त्रयोदश माला, खंड 9, अंक 14

गुरुवार, 10 अगस्त, 2000
19 श्रावण, 1922 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...
Date ...

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

यशपाल कृष्ण अबरोल
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 10 अगस्त, 2000/19 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 265	2–47
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 266 से 280	47–80
अतारांकित प्रश्न संख्या 2862 से 3091	80–359
सभा पटल पर रखे गए पत्र	360–361
राज्य सभा से संदेश	361,577–79
कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	362–364
लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने के बारे में	365–389
पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ पर विस्तार) संशोधन विधेयक	389
नियम 377 के अधीन मामले	390–395
(एक) राजस्थान में जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग पर उपरि पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	390
(दो) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा नदी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	391
(तीन) उत्तरी बंगाल का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	391

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कालम
(चार)	केरल में त्रिवेन्द्रम और अंगमाली के बीच सेंट्रल रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जार्ज ईडन	392
(पांच)	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर यूनिट, पश्चिम बंगाल के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	393
(छः)	तमिलनाडु में कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोलार पेट्टई और होसूर के बीच एक नई बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी. वेत्रिसेलवन	394
(सात)	कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती कृष्णा बोस	394
(आठ)	उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहासों में चम्बल नदी पर पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री रघुराज सिंह शाक्य	395
भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) विधेयक		395–422
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	396
	श्रीमती मेनका गांधी	395
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी	397
	डा. संजय पासवान	400
डा. राम चन्द्र डोम		402
	प्रो. रासा सिंह रावत	405
	श्री के.पी. सिंह देव	408
	डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	410
	श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	411
	श्री गिरधारी लाल भार्गव	415
	खण्ड 2 से 7 और 1	422
	पारित करने के लिए प्रस्ताव	422
मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक		422–427
	राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन – स्वीकृत	427

विषय	कालम
सूचना स्वातंत्र्य विधेयक..	427–434
विचार करने के लिए प्रस्ताव	427
श्रीमती वसुंधरा राजे	427
श्री पवन कुमार बंसल	429
विभिन्न मंत्रालयों को विषय के आवंटन के बारे में..	434–438
नियम 193 के अधीन चर्चा..	439–576
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश	439
श्री बसुदेव आचार्य	439
श्री मणिशंकर अय्यर	450
श्री अरूण जेटली	465
श्री तरित बरण तोपदार	482
श्री किरीट सोमैया	487
कुंवर अखिलेश सिंह	497
डा. बी.के. रमैया	500
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	504
श्री प्रकाश परांजपे	507
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	513
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	521
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	523
डा. नीतिश सेनगुप्ता	534
श्री जी.एम. बनातवाला	540
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	544
श्री रूपचन्द पाल	545
श्री अरूण शौरी	571
श्री पी.एच. पांडियन	571
श्री मोहन रावले	576
मंत्री द्वारा वक्तव्य..	579–582
जम्मू-कश्मीर में बम विस्फोट	579
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	579

लोक सभा

सोमवार, 10 अगस्त, 2000/19 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व मित्र श्री जे.बी. मुथियाल राव के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री जे.बी. मुथियाल राव ने 1962-1970 के दौरान तीसरी और चौथी लोक सभा में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर और नगरकुर्मूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

उससे पहले श्री राव 1952-1957 के दौरान हैदराबाद राज्य विधानसभा के और 1957-1962 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के सदस्य रहे।

श्री राव ने एक सक्षम प्रशासक के रूप में 1967-69 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में एक उपमंत्री के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया।

श्री राव पेशे से कृषक और व्यापारी थे। वह विभिन्न क्षमताओं में भिन्न-भिन्न संगठनों से संबद्ध रहे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अथक श्रम किया।

श्री राव ने काफी विदेश यात्राएं कीं। वह 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ गये भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे और सोमालिया में भारत के राजदूत थे।

श्री जे.बी. मुथियाल राव का निधन 79 वर्ष की आयु में 26 जुलाई, 2000 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में हुआ।

हम इस साथी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

हस्तशिल्प का विकास

***261. श्री मान सिंह पटेल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प विकास निगमों ने हस्तशिल्प, तांबे की वस्तुएं, शीशे की सामग्री, हाथ से की जाने वाली रंगाई, गलीचों, साड़ी की बुनाई और मिट्टी के बर्तनों से सम्बद्ध कला कार्य को प्रोत्साहन देने से संबंधित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य निगमों/शीर्ष सोसाइटियों और स्वैच्छिक संगठनों इत्यादि से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान और चालू वर्ष में इस हेतु राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। तांबा, शीशा, टेराकोटा, हाथ से रंगे कालीनों, साड़ी बुनाई तथा मिट्टी के बर्तनों सहित हस्तशिल्प के संवर्धन से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प विकास निगमों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ऐसे प्रस्तावों पर प्रचार, प्रदर्शनी,

विपणन सहायता, एम्पोरियमों का नवीकरण आदि जैसी योजनाओं के अंतर्गत सहायता की मंजूरी के लिए विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत (वर्ष 1999-2000 एवं चालू वर्ष में) विभिन्न राज्यों की हस्तशिल्प विकास निगमों से सहायता के लिए प्राप्त प्रस्तावों एवं स्वीकृति हेतु पात्र पाए गए प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे अनुबंध-1 पर दिए गए हैं।

(ग) हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाओं पर राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए सरकार की योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को सीधे सहायता प्रदान नहीं की जाती। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य निगमों/शीर्ष समितियों/स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता स्वीकृत की जाती है। विभिन्न राज्य निगमों/शीर्ष समितियों एवं स्वैच्छिक संगठनों आदि से पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष में सहायता के लिए प्राप्त एवं स्वीकृति के लिए पात्र प्रस्तावों के विस्तृत ब्यौरे अनुबंध-2 पर हैं।

(घ) चूंकि राज्य सरकारों को सीधे सहायता प्रदान नहीं की जाती इसलिए राज्य सरकारों द्वारा इनके उपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध 1

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य हस्तशिल्प निगम के नाम	योजना जिसके अंतर्गत सहायता मांगी गई	1999-2000 के दौरान रिलीज की गई राशि	2000-2001 के दौरान (31 जुलाई, 2000 तक) स्वीकृत की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश			
	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., हैदराबाद	प्रचार	–	6.23
	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., हैदराबाद	प्रदर्शनी	8.40	9.60
	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., हैदराबाद	कल्याण	–	15.66
	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., हैदराबाद	प्रशिक्षण	–	0.57
	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., हैदराबाद	विपणन	29.00	–
2.	असम			
	असम सरकार विपणन निगम लि., गुवाहाटी	एम्पोरियम	–	6.25

1	2	3	4	5
	असम सरकार विपणन निगम लि., गुवाहाटी	प्रदर्शनी	6.40	12.80
	असम सरकार विपणन निगम लि., गुवाहाटी	प्रचार	2.12	–
	असम सरकार विपणन निगम लि.. गुवाहाटी	अंश पूंजी सहायता	11.00	–
3.	दिल्ली			
	दिल्ली लघु औद्योगिक विकास निगम लि. नई दिल्ली	प्रदर्शनी	4.60	7.20
4.	गोवा			
	गोवा हस्तशिल्प ग्रामीण एवं लघु उद्योग विकास निगम लि., पणजी	प्रदर्शनी	–	2.40
	गोवा हस्तशिल्प ग्रामीण एवं लघु उद्योग विकास निगम लि., पणजी	एम्पोरियम	2.50	–
	गोवा हस्तशिल्प ग्रामीण एवं लघु उद्योग विकास निगम लि., पणजी	अंश पूंजी सहायता	5.00	–
5.	गुजरात			
	गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लि.. गांधीनगर	विपणन विकास योजना	–	1.12
	गुजरात राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि., गांधीनगर	एम्पोरियम	–	2.50
	गुजरात राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि., गांधीनगर	प्रदर्शनी	4.10	9.60
	गुजरात राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि., गांधीनगर	अंश पूंजी सहायता	10.00	–

1	2	3	4	5
6.	हरियाणा			
	हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि., चंडीगढ़	प्रदर्शनी	2.69	4.80
	हरियाणा पर्यटन निगम, चण्डीगढ़	विपणन	23.00	–
	हरियाणा राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लि., चण्डीगढ़	एम्पोरियम	2.50	–
7.	हिमाचल प्रदेश			
	हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., शिमला	प्रदर्शनी	5.73	7.20
8.	जम्मू एवं कश्मीर			
	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) निगम लि., श्रीनगर	एम्पोरियम	7.50	–
	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) निगम लि., श्रीनगर	प्रदर्शनी	–	2.40
	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) निगम लि., श्रीनगर	डिजाइन	0.40	–
	जम्मू एवं कश्मीर हस्तशिल्प (बिक्री एवं निर्यात) निगम लि., श्रीनगर	अंश पूंजी सहायता	12.00	–
9.	कर्नाटक			
	कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि., बंगलौर	एम्पोरियम	4.22	2.50

1	2	3	4	5
	कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि., बंगलौर	प्रदर्शनी	1.09	4.80
	कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि., बंगलौर	कल्याण	24.28	18.00
	कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लि., बंगलौर	अंश पूंजी सहायता	5.00	–
10.	केरल			
	केरल हस्तशिल्प विकास निगम लि., त्रिवेन्द्रम	प्रदर्शनी	3.13	4.80
11.	मध्य प्रदेश			
	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., भोपाल	एम्पोरियम	–	17.50
	एम पी लघु उद्योग निगम लि., भोपाल	एम्पोरियम	2.50	5.00
	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., भोपाल	प्रदर्शनी	8.40	9.60
	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., भोपाल	प्रचार	–	0.56
	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., भोपाल	डिजाइन	7.58	–
	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लि., भोपाल	अंश पूंजी सहायता	12.00	–
12.	महाराष्ट्र			
	महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लि., मुम्बई	प्रदर्शनी	2.81	4.80

1	2	3	4	5
13.	मणिपुर			
	मणिपुर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., इम्फाल	प्रदर्शनी	1.60	6.40
	मणिपुर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., इम्फाल	अंश पूंजी सहायता	7.00	–
14.	मेघालय			
	मेघालय हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., शिलांग	प्रदर्शनी	–	6.40
	मेघालय हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., शिलांग	प्रचार	–	1.02
15.	मिजोरम			
	मिजोरम हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., आइजॉल	एम्पोरियम	–	2.94
	मिजोरम हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, आइजॉल	प्रदर्शनी	1.80	6.40
	मिजोरम हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम, आइजॉल	अंश पूंजी सहायता	5.00	–
16.	नागालैण्ड			
	नागालैण्ड हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि., दीमापुर	एम्पोरियम	–	7.50
	नागालैंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., दीमापुर	प्रदर्शनी	8.40	12.80
	नागालैण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., दीमापुर	प्रचार	0.93	
	नागालैण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., दीमापुर	अंश पूंजी सहायता	10.00	–

1	2	3	4	5
17.	उड़ीसा			
	उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लि., भुवनेश्वर	प्रदर्शनी	5.29	9.60
	उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लि., भुवनेश्वर	कल्याण	–	35.00
	उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लि., भुवनेश्वर	प्रशिक्षण	–	3.30
	उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लि., भुवनेश्वर	विपणन	2.25	–
	उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लि., भुवनेश्वर	अंश पूंजी सहायता	40.00	–
18.	पंजाब			
	पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लि., चंडीगढ़	प्रदर्शनी	–	2.40
	पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम, चण्डीगढ़	प्रशिक्षण	–	0.34
19.	राजस्थान			
	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि., जयपुर	यूएनडीपी-वुड परियोजना	10.75	16.38
	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि., जयपुर	एम्पोरियम	1.94	7.50
	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि., जयपुर	प्रदर्शनी	5.79	7.20
	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि., जयपुर	प्रचार	7.02	–
20.	तमिलनाडु			
	तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लि., चेन्नई	प्रचार	–	1.54

1	2	3	4	5
	तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लि., चेन्नई	प्रदर्शनी	7.50	7.20
	तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लि., चेन्नई	एम्पोरियम	23.87	–
	तमिलनाडु हस्तशिल्प विकास निगम लि., चेन्नई	अंश पूंजी सहायता	5.00	–
21.	त्रिपुरा			
	त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., अगरतल्ला	प्रदर्शनी	6.42	9.60
	त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., अगरतल्ला	डिजाइन	0.37	–
	त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., अगरतल्ला	प्रशिक्षण	–	0.66
	त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., अगरतल्ला	एम्पोरियम	5.00	–
	त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., अगरतल्ला	प्रचार	1.74	–
	त्रिपुरा हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लि., अगरतल्ला	अंश पूंजी सहायता	7.00	–

1	2	3	4	5
22.	उत्तर प्रदेश			
	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि., कानपुर	डिजाइन	0.60	–
	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि., कानपुर	प्रदर्शनी	2.61	7.20
23.	पश्चिम बंगाल			
	पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम लि., कलकत्ता	प्रदर्शनी	–	4.80
	पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम लि., कलकत्ता	प्रचार	–	2.59
	पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम लि., कलकत्ता	अंश पूंजी सहायता	10.00	–

अनुबंध 2

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001		
		स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	रिलीज की गई राशि	स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	20	49.97	23	82.69	19	89.25	22	26.55	84
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3	2.26	–	0.00	–	0.00	–	0.00	3
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	6.18	2	0.00	3	6.70	3	0.00	16
4.	असम	74	148.14	40	94.03	23	116.70	65	29.26	202
5.	बिहार	58	19.33	21	12.87	16	66.55	17	0.33	112
6.	दिल्ली	84	117.75	66	246.19	73	353.18	42	90.47	265
7.	गोवा	7	47.65	7	8.22	5	14.80	3	9.28	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	गुजरात	69	94.65	41	78.75	35	76.03	20	27.63	165
9.	हरियाणा	30	59.52	17	46.18	21	84.09	10	11.05	78
10.	हिमाचल प्रदेश	36	66.93	36	49.89	20	32.08	11	23.78	103
11.	जम्मू एवं कश्मीर	55	53.92	36	65.89	31	126.47	21	8.93	143
12.	कर्नाटक	27	51.29	17	23.07	21	108.41	9	26.01	74
13.	केरल	20	33.57	12	15.54	15	51.78	7	22.39	54
14.	मध्य प्रदेश	45	71.86	20	146.13	31	101.00	17	58.12	113
15.	महाराष्ट्र	46	61.04	19	46.23	25	95.16	8	16.50	98
16.	मणिपुर	46	42.76	15	59.37	15	58.35	28	21.14	104
17.	मेघालय	10	1.02	8	95.92	3	9.58	17	7.42	38
18.	मिजोरम	4	12.05	8	29.93	5	11.31	12	9.35	29
19.	नागालैण्ड	19	37.27	13	296.22	15	40.68	22	24.56	69
20.	उड़ीसा	133	137.06	79	140.92	81	151.84	90	37.75	383
21.	पंजाब	22	20.77	22	79.19	7	25.21	7	5.92	58
22.	पांडिचेरी	12	2.80	4	49.52	4	17.33	5	17.32	25
23.	राजस्थान	29	31.31	11	79.71	28	53.36	26	25.60	94
24.	सिक्किम	6	2.01	–	0.00	4	24.16	3	4.65	13
25.	तमिलनाडु	41	38.45	30	80.76	31	86.39	19	14.17	121
26.	त्रिपुरा	26	65.07	18	31.78	15	29.72	15	14.06	74
27.	उत्तर प्रदेश	182	224.28	112	309.77	110	332.88	30	35.87	434
28.	पश्चिम बंगाल	103	106.44	70	92.71	32	100.60	50	17.66	255
	कुल	1215	1605.35	747	1495.72	688	1529.66	579	585.77	3229

[हिन्दी]

श्री मान सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, 1993 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण स्तर पर हस्तशिल्प क्षेत्र में 50 लाख से ज्यादा कारीगर काम कर रहे हैं जिनसे सरकार ने 1999-2000 के बीच में 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा कमायी है। ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को आर्थिक सहायता अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है। जो भी सहायता मिलती है, वह मिडिलमैन के पास जाती है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो अनुबंध दिया है, उसे अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि गुजरात में जो प्रस्ताव मंजूर किये हैं, 1997-98 की तुलना में वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में उनकी संख्या घटी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं? इसके साथ ही सरकार गुजरात प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है या किये जाने का प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि हैंडीक्राफ्ट्स उत्पादन की बिक्री के लिए समुचित व्यवस्था व कारीगरों को उचित मूल्य देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और पिछले तीन सालों में हैंडीक्राफ्ट्स उत्पादों के निर्यात की क्या स्थिति है?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने जानना चाहा है कि ग्रामीण कारीगरों को हम कैसे और अधिक रोजगार दें और उन्हें उनकी प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य मिले। इसके बारे में हैंडीक्राफ्ट सैक्टर में हमारे आर्टीजन्स की संख्या बढ़े और उन्हें उचित मूल्य मिले तथा जो बिचौलिये, मिडिलमैन हैं, वे न रहें, इसके लिए हमने अर्बन हाट की एक योजना बनाई है। ताकि हमारे आर्टीजन्स सीधे अपना माल, अपनी प्रोडक्ट्स अर्बन हाट में जाकर बेचें तो उन्हें उचित मूल्य मिलेगा। जहां तक उन्होंने कहा है कि गुजरात में जो प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं, उनकी संख्या में कमी आई है, उनकी बात सही है। इसका कारण यह है कि हमारे पास ज्यादातर जो प्रस्ताव आते हैं, हमें उनकी गुणवत्ता देखनी पड़ती है। जो प्रस्ताव भेजने वाली संस्था है, उस संस्था की आर्थिक क्षमता कितनी है, उसकी लोगों में क्या इमेज है, यह भी हम देखते हैं और यह सब देखकर हम उसके प्रस्ताव को मंजूर करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्य ने और भी बातें कहीं जिनमें उन्होंने कहा है कि गुजरात में हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है। हम चाहते हैं हमारे पास ज्यादा प्रस्ताव आयें तो हम गुजरात स्टेट हैंडीक्राफ्ट बोर्ड से तथा इसी तरह जो सारे देश के हैंडीक्राफ्ट बोर्ड हैं, उन्हें तथा राज्य सरकारों को हम अपील करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव स्क्रूटिनाइज करके हमें भेजें। क्योंकि अभी भी वहां से ये कम संख्या में आते हैं और राज्य सरकारें भी इसमें कम इंटरेस्ट लेती हैं। वैसे हमने गुजरात में इसे बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में अर्बन हाट के लिए भूमि पूजन कर दिया है। सूरत में इसकी मार्केटिंग व्यवस्था खड़ी करने के लिए मार्केटिंग सैंटर भी खड़ा किया है और भुज में भी क्लस्टर अप्रोच सरकार की ओर से लिया है, और क्लस्टर की योजना हम वहां इम्पलीमेंट करने के लिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का एक सवाल सप्लीमेंटरी में यह भी है कि निर्यात की क्या पोजीशन है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि जो हैंडीक्राफ्ट्स का निर्यात है, उस निर्यात में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी हो रही है और यह 12-13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1993-94 में 3797 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हुआ था। 1999-2000 में 8059.63 करोड़ का निर्यात हुआ था।

श्री मान सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, दक्षिण गुजरात में जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां कारपेट उद्योग चल रहा है, उनमें 12 हजार से ज्यादा ग्राम्य कारीगर काम कर रहे हैं। वहां से व्यारा में उत्पादित तैयार माल के एक्सपोर्ट की कुछ व्यवस्था की जाए, उसके लिए व्यारा में सैंटर बनाये जाए, यह मेरी मांग है। क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में कुछ सोच रहे हैं?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, कारपेट के लिए पूरे देश में बहुत बड़ा स्कोप है और उसे एक्सप्लोर करने के लिए हैंडीक्राफ्ट सैक्टर की ओर से बहुत भारी प्रयास हो रहे हैं। जैसे माननीय सांसद ने बताया है, उनकी बात सही है कि जो भी एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी या ट्रेडर्स हैं, वहां जो वनवासी एरियाज हैं, रिमोट जंगल एरियाज हैं, वहां के जो आर्टीजन्स हैं, उन्हें ये लोग कुछ इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करते हैं कि वे उनसे माल बनवाते हैं और उन्हें कम पैसे देते हैं तथा अच्छी कीमत लेकर वे उसी माल को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जो उन्होंने सुझाव रखा है हम उस पर ध्यान रखेंगे और अगर वहां से अच्छे प्रोपोजल ये भेजें तो हम उन्हें जरूर मंजूर करेंगे।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में व्यापारी, संभवत: अधिकारियों की मिलीभगत से, शिल्पकारों का ढोंग रचाकर दिल्ली हाट में मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगी कि असली शिल्पकारों के संरक्षण के लिए सरकार कौन सी क्रियाविधि अपना रही है।

श्री काशीराम राणा: महोदय, एक शिकायत यह है कि कुछ शिल्पकार दिल्ली हाट में स्टाल प्राप्त करने में असमर्थ हैं। मैं इस शिकायत पर विचार करूंगा और निश्चित रूप से मैं अपेक्षित कार्रवाई करूँगा।

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि वर्ष 2000-2001 में कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए साड़ी बुनकर समुदाय के कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इस हेतु आवंटित की जाने वाली संभावित रकम कितनी है।

श्री काशीराम राणा: महोदय, मैंने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि आंध्र प्रदेश के संबंध में, वर्ष 1997-98 में हमने 20 प्रस्तावों की स्वीकृति दी थी और 49.97 लाख रुपए की रकम जारी की गई थी। वर्ष 1998-99 में, आंध्र प्रदेश से हमें 23 प्रस्ताव प्राप्त हुए और जारी की गई रकम 82.69 लाख रुपए थी। वर्ष 1999-2000 में, हमने 19 प्रस्तावों को स्वीकृत किया और 89.25 लाख रुपए जारी किए गए थे। जहाँ तक वर्ष 2000-2001 का संबंध है, हमने 22 प्रस्तावों को स्वीकृत किया है और 26.55 लाख रुपए संवितरित किए हैं।

श्री तरित वरण तोपदार: क्या मंत्री महोदय हस्तशिल्प क्षेत्र के संरक्षण के लिए एक नीतिगत मुद्दे के रूप में आरक्षण पर विचार करेंगे? मैं उनसे यह जानना चाहूँगा क्योंकि वस्त्र मंत्री हथकरघा और हस्तशिल्प मंत्री भी हैं। आबिद हुसैन समिति ने इस क्षेत्र के लिए विस्तार से आरक्षण का उल्लेख किया था परन्तु पूर्व की सभी सरकारों ने इसका अनुपालन नहीं किया। मंत्री महोदय इसका भी जवाब देने की कृपा करें।

श्री काशीराम राणा: महोदय, तथापि, हथकरघा का संबंध इस प्रश्न से नहीं है परन्तु निश्चित रूप से मैं इसका जवाब दूंगा। जहाँ तक हथकरघा आरक्षण अधिनियम का संबंध है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा गठित सत्यम समिति ने इस अधिनियम को रद्द किए जाने की अनुशंसा की है। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैंने कई बार इसकी घोषणा की है कि सरकार बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हथकरघा आरक्षण अधिनियम बना रहेगा।

श्री तरित वरण तोपदार: क्या आप शिल्पकारों के लिए आरक्षण नीति बनाने वाले हैं?

श्री काशीराम राणा: ऐसी कोई अनुशंसा नहीं की गई है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष जी, जैसा अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि हस्तशिल्प वस्तुओं का जो निर्यात हुआ उसमें 12-13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। मैं आपके माध्यम से उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के हस्तशिल्पियों ने बहुत अच्छा काम किया है। बस्तर जिले की हस्तशिल्प कला न केवल देश में बल्कि सारे विश्व में अपना स्थान बनाए हुए है। उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों एवं सामान का भारी मात्रा में हम निर्यात कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम को डिजाइनिंग के लिए वर्ष 2000-2001 में आपके मंत्रालय ने बिल्कुल भी धनराशि आबंटित नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम को डिजाइनिंग के लिए इस वर्ष कोई धनराशि आवंटित करेंगे ताकि वे नई-नई डिजाइनें विकसित करके हस्तशिल्प सामग्री का निर्यात बढ़ा सकें और देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष जी, न केवल मध्य प्रदेश के बस्तर जिले, बल्कि देश में किसी भी राज्य में जो क्राफ्ट है और धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है उसको जीवंत रखने के लिए सरकार की ओर से भारी प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वे ऐसे लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि उनकी कला या क्राफ्ट को कोई और सीख ले।

जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, क्राफ्ट के लिए यदि ऐसी कोई प्रपोजल प्रदेश की तरफ से आती है, तो हम उस पर सिम्पैथैटिकली विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम ने प्रस्ताव भेजा हुआ है। क्या मंत्री महोदय डिजाइनिंग डिवेलपमेंट के लिए इस वर्ष कोई धनराशि आबंटित करेंगे?

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, हम जरूर विचार करेंगे।

अधिनियमों का क्रियान्वयन

***262. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:**
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद् द्वारा पारित किए गए और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अनेक कानूनों को अधिसूचित/क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन कानूनों को अधिसूचित/क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) ऐसा ही प्रश्न तारीख 13.12.1999 को लोक सभा के सदस्य द्वारा पहले भी पूछा गया था। प्रश्न को आश्वासन माना गया था और तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री ने उसका निम्नलिखित उत्तर दिया था:-

"अद्यतन जानकारी सुगमता से उपलब्ध नहीं है, वह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।"

अपेक्षित जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी। तथापि, जितनी भी जानकारी उपलब्ध हुई है विवरण के रूप में सदन के पटल पर रख दी गई है।

विवरण

ऐसे कुछ अधिनियमों, जिन्हें प्रवृत्त नहीं किया गया है, के बारे में उपलब्ध जानकारी निम्नलिखित है

(1) बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का 32) और बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) (संशोधन) अधिनियम, 1993 (1993 का 41)

श्रम मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये अधिनियम संबद्ध राज्य सरकारों (अर्थात् कुल 14 बीड़ी उत्पादक राज्यों) द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं। उक्त अधिनियमों के प्रवर्तन की अधिसूचनाओं की तारीख और संख्या का राज्य सरकारों से पता लगाया जा रहा है।

(2) दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 (1995 का 33)

यह अधिनियम अभी तक प्रवृत्त नहीं हुआ है। दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997, 28.7.1997 को राज्य सभा में पुरः स्थापित किया गया था। संसद् ने, विधेयक को समीक्षा और रिपोर्ट के लिए तत्कालीन शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया था। ग्यारहवीं लोक सभा के विघटन के पश्चात् समिति विघटित हो गई और विधेयक राज्य सभा में वापस आ गया। मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक की बाबत इसके विद्यमान रूप में ही आगे कार्रवाई करने के पूर्व सरकार के विनिश्चय का समर्थन करने का निर्णय लिया। इसी बीच, बारहवीं लोक सभा का विघटन हो गया और विधेयक संसद् के विचार-विमर्श के लिए नहीं लाया जा सका। पुनः वर्तमान मंत्रिमंडल ने, संशोधन विधेयक की बाबत इसके विद्यमान रूप में ही आगे कार्रवाई करने के पूर्व पिछली सरकार के विनिश्चय का अनुमोदन कर दिया है।

(3) अवक्रय अधिनियम, 1972 (1972 का 26)

अवक्रय अधिनियम, 1972 को 1.6.1973 से प्रवृत्त करने के लिए, तारीख 30.4.1973 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके पश्चात्, 30.4.1973 की अधिसूचना को अधिक्रांत करते हुए और अधिनियम को 1.9.1973 से प्रवृत्त करने का प्रस्ताव करते हुए, 31.5.1973 को एक और अधिसूचना जारी कर दी। चूंकि, अधिनियम को प्रवृत्त करने के विरुद्ध जनता से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसलिए, अधिनियम का प्रवृत्त न करने का विनिश्चय किया गया था और तदनुसार, तारीख 31.5.1973 की अधिसूचना को विखंडित करने के लिए 23.8.1973 को एक और अधिसूचना जारी की गई थी। बैंकिंग विधि समिति ने, वैयक्तिक संपत्ति प्रतिभूति विधि (1977) संबंधी अपनी रिपोर्ट में अधिनियम को संशोधित करने के लिए ऐसे अनेक प्रस्ताव किये जिनके दूरगामी परिणाम होंगे।

तदनुसार, उक्त अधिनियम का संशोधन करने के लिए एक विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। राज्य सभा ने संशोधन विधेयक, 1989 को गृह मामलों से संबंधित राज्य सभा समिति को निर्दिष्ट कर दिया। इस समिति ने 1972 के अधिनियम और संशोधन विधेयक, 1989 की विस्तारपूर्वक समीक्षा की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 1989 के संशोधन के पश्चात् भी अधिनियम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा। समिति ने यह सिफारिश की थी कि सरकार अवक्रय के संपूर्ण मुद्दे की गहराई से समीक्षा करने के लिए उसे विधि आयोग को निर्दिष्ट करने पर विचार करे। तदनुसार, यह विषय भारत के विधि आयोग को निर्दिष्ट किया गया था। विधि आयोग ने अब पिछले वर्ष उक्त विषय संबंधी अपनी 168वीं रिपोर्ट दे दी है और इसकी सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का 46)

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997, 14 अगस्त, 1997 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। उक्त विधेयक के उपबंध न्यायमूर्ति मलिमथ समिति, विधि आयोग की 129वीं रिपोर्ट, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों और तारीख 30 जून, 1997 और 1 जुलाई 1997 को दिल्ली में आयोजित विधि मंत्रियों के सम्मेलन के अंगीकृत संकल्प पर आधारित है। उक्त विधेयक समीक्षा और रिपोर्ट के लिए विभाग-संबद्ध गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था। समिति ने विभिन्न मंचों, जिनमें भारतीय विधिक परिषद्, राज्य विधिक परिषद् और जिला विधिक संगम आदि भी हैं, से आक्षेप और सुधार आमंत्रित किये। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर उक्त समिति द्वारा विचार किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 17.12.1998 को प्रस्तुत की जिसे सरकार ने विचार करने के पश्चात् स्वीकार कर लिया। उक्त विधेयक जैसा कि उक्त समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और अब वह सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 हो गया है।

इस विभाग को सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के कार्यान्वयन का विरोध करने वाले अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में, तत्कालीन माननीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री ने इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए भारतीय विधिक परिषद् के प्रतिनिधियों को बुलाया था। भारतीय विधिक परिषद् के प्रतिनिधि वर्तमान विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री से भी मिल चुके हैं और उनके अभिमत प्राप्त करने की प्रक्रिया को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। विभिन्न विधिज्ञ संगमों और व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को प्रवर्गीकृत किया गया है और उनकी सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 के उपबंधों की दृष्टि से समीक्षा की जा रही है।

(5) संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978

सरकार संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 3 प्रवृत्त करने के प्रश्न पर समय-समय पर विचार करती रही है किन्तु इसे प्रवृत्त करना उपयुक्त नहीं समझा गया।

(6) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 प्रवृत्त नहीं की जा सकी क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) और कतिपय राज्य विधियां न्यायालयों/अधिकरणों में अधिवक्ताओं को हाजिर होने से विनिर्दिष्ट रूप से प्रतिषिद्ध करती है।

(7) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 (1982 का 46)

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के सभी उपबंध, अर्थात् धारा 2 के खंड (क), (ख) और (घ) से (ट) और धारा 3 से धारा 6, धारा 8 से धारा 12, धारा 14 से धारा 21 और धारा 23, तारीख 21.8.1984 से प्रवृत्त कर दिए गए हैं। धारा 2 के खंड (ग), धारा 7 और धारा 22 के उपबंध अभी प्रवृत्त किये जाने हैं। उक्त अधिनियम की धारा 13 का 1984 के अधिनियम सं. 49 द्वारा लोप किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से कतिपय क्रियाकलापों/स्थापनों को अपवर्जित करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ञ) में "उद्योग" पद की परिभाषा में औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2 (ग) द्वारा संशोधन किया गया था। संशोधन इस आशय की अधिसूचना जारी करने की तारीख से प्रवृत्त होना था। तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिधि से अपवर्जित किए जाने के लिए आशयित संस्थाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत प्रतितोष तंत्र के अभाव में "उद्योग" की संशोधित परिभाषा अभी तक प्रवृत्त नहीं की जा सकी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संशोधन, जिनमें धारा 2(ञ) का और संशोधन भी सम्मिलित है, के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 7 एक नया अध्याय 2-ख अंत:स्थापित करती है और धारा 22 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38(2) में खंड (कख) अंत:स्थापित करती है। ये संशोधन शिकायत निपटान प्राधिकरण की स्थापना करने और ऐसे प्राधिकरण को कतिपय व्यष्टिक विवाद निर्दिष्ट करने तथा इन उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने से संबंधित हैं। शिकायत निपटान प्राधिकरण स्थापित करने के लिए इन धाराओं में और संशोधन करने का प्रस्ताव है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर प्रश्न है लेकिन मैं माननीय विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर देने का सही-सही प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उत्तर में उल्लिखित सात कानूनों की अतिरिक्त बतायें कि कितने अधिनियम ऐसे हैं जिन्हें प्रवृत्त नहीं किया गया है। इसी के साथ अधिनियम के बनाने के पश्चात् भी अधिनियम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगा, सरकार ऐसा महसूस करती है और ऐसा महसूस करते हुए अनेक अधिनियमों को विधि आयोग तथा अन्य के यहां संशोधन परिवर्धन हेतु भेज देती है। क्या यह समझा जाये कि अधिनियम बनाने के पूर्व सरकार उन सभी पक्षों का ध्यान नहीं रखती जो बाद में दिखाई देते हैं?

श्री अरुण जेटली: प्रश्न का पहला भाग यह है कि जिन कानूनों के बारे में विभिन्न विभागों से जानकारी आई थी, उनकी सूची मैंने दी है। ऐसे सात कानून हैं जो इस संसद ने पारित किये हैं लेकिन पूरी मात्रा में या कुछ कानून ऐसे हैं जो बिल्कुल भी लागू नहीं हुए। इसके अतिरिक्त हमने बार-बार विभागों को लिखा है। अन्य विभागों के अलावा आगे प्रांतीय सरकारों ने भी इन कानूनों को नियमित करना था, उनको भी लिखा है लेकिन उनकी पूरी जानकारी नहीं आई है क्योंकि कानून पारित होने के बाद लेजिस्लेटिव विभाग के दायरे से यह कानून बाहर चला जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनको इसे लागू करना पड़ता है। फिर भी हमने ऐसी एक सूची बनाने का प्रयास किया है। उस सूची में लगभग 35 ऐसे कानून हैं जिनमें 11 ऐसे हैं जो पिछले कुछ महीनों में पारित हुए हैं। इसलिए उनको लागू करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन 24 ऐसे हैं जो पहले पारित किये जा चुके हैं लेकिन पूरी मात्रा में अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

दूसरा, ऐसा नहीं है कि कानून बनाने से पूर्व इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता लेकिन हर कानून के संबंध में कुछ

विशेष परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनकी वजह से जिस विभाग को उसको लागू करना पड़ता है या जिस केन्द्र या प्रांत की सरकार को उसको लागू करना पड़ता है, उसकी कोई राय आती है तो उसके किसी प्रावधान के बारे में पुनर्विचार होता है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन संविधान का चवालीसवां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 3 को प्रवृत्त करने के प्रश्न पर सरकार समय-समय पर विचार करती चली आ रही है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कौन सी उड़चने हैं, कौन सी बाधायें हैं, किस पर सरकार विचार कर रही है? कृपया यह सब विस्तारपूर्वक बताने की कृपा करें।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, चवालीसवां संशोधन संविधान अधिनियम 1978 में पारित हुआ था। उसके कई पहलू लागू किये जा चुके हैं। केवल उसमें धारा तीन ऐसी थी जो लागू नहीं हुई। 1978 से अभी तक विभिन्न सरकारें रही हैं और उन्होंने इसे अभी तक लागू करना उचित नहीं समझा क्योंकि उसमें एक प्रावधान था कि क्या संविधान की धारा 22 के तहत नजरबंदी तीन महीने के लिए हो सकती है? जो एडवाइज बोर्ड बनता है, उसको तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होती है। तीन महीने तक नजरबंदी बिना एडवाइजरी बोर्ड के रिकमेंडेशन के हो सकती है। उस तीन महीने की अवधि को दो महीने करने का प्रयास है लेकिन विभिन्न सरकारों को लगा कि शायद अभी यह उचित नहीं होगा इसलिए कई बार उसको कंसीडर करने के बाद भी अभी तक इसे लागू नहीं किया गया।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी की परिभाषा रूल ऑफ लॉ है। सरकार बिना हिसाब-किताब के राज्य चला रही है। *...(व्यवधान)* आप उत्तर में देखिए।

[अनुवाद]

''अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं है और विभिन्न मंत्रालयों से सूचना प्राप्त की जा रही है।''

यह उत्तर नौ महीने पहले का है। अभी जो उत्तर दिया है-

''अपेक्षित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और विभिन्न मंत्रालयों से सूचना प्राप्त की जा रही है।''

[हिन्दी]

यानी जो कानून बनता है, जिस कानून को पार्लियामेंट पास करती है, हमारा प्रश्न है जिसे पार्लियामेंट ने पास किया और प्रैजीडेंट ने भी एसेंट कर दिया, उसके बावजूद भी वह कानून लागू नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब कानूनों को लागू करने में कौन सी शक्तियां रोके हुई हैं। आज भेद खुल गया है कि 24 कानून अभी तक लागू नहीं हुए।

उनका लिखित उत्तर नहीं आया है। हमारा आरोप है कि सरकार गंभीर भी नहीं है। जो बिल पार्लियामेंट पास करती है और जिसे प्रैजीडैंट की ऐसैंट मिलती है, उसे लागू करने में गंभीर नहीं है। प्रश्न पूछने के 8-9 महीने पहले भी इनसे पूछा गया लेकिन फिर भी हिसाब नहीं मिला। आज भी कहते हैं कि इन्फोर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनका पूरक प्रश्न यह है कि सरकार इस संबंध में गंभीर नहीं है। आपको इसका गंभीरतापूर्वक जवाब देना होगा।

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, जिन कानूनों का मैं जिक्र कर रहा था, उसमें से कुछ कानून ऐसे हैं जो पिछले कुछ महीनों में पारित हुए हैं जिनके संबंध में लागू करने की कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त कई कानून ऐसे हैं, जो यह नहीं है कि पिछले दो-ढाई साल में पारित हुए हों लेकिन ऐसे कानून हैं जो पिछले 20-25 सालों में पारित हुए हैं। विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें केन्द्र में रही हैं और कई कारणों की वजह से उन कानूनों के कुछ अंश ऐसे हैं जो उस समय लागू करना सरकारों ने उपयुक्त नहीं समझा। उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो प्रान्तीय सरकारों ने लागू करने हैं, उन्होंने उनको लागू नहीं किया। इसलिए बार-बार विधि मंत्रालय की तरफ से सूचना इकट्ठी करना कि कौन से कानून लागू नहीं हुए हैं, औपचारिक रूप से सात की हमें सूचना आई है, कुछ की नहीं आई लेकिन फिर भी हमने उस जानकारी को इकट्ठा करके सदन के समक्ष रखा है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, दूसरा सप्लीमैंट्री पूछने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको शून्यकाल में अवसर मिल सकता है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि जो कानून इस संसद ने पारा किए

हैं, वे अभी तक लागू क्यों नहीं हो पा रहे हैं। रघुवंश जी ने बताया कि सरकार वाकई सीरियस नहीं है। दिल्ली रैंट कंट्रोल जैसा कानून, जैसाकि आप सभी जानते हैं कि यहां पर आवास की कितनी दिक्कत है, दिल्ली बहुत बढ़ता हुआ शहर है, उसके बावजूद नैग्लीजैंस बढ़ती जा रही है। क्या मंत्री जी बताएंगे, उन्होंने बाद में लिखा है:

[अनुवाद]

"मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को इसके वर्तमान रूप में जारी रखने के पिछली सरकार के निर्णय का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

उसमें कैसे कार्यवाही करवाने जा रहे हैं?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, जहां तक दिल्ली रैंट कंट्रोल एक्ट 1995 का प्रश्न है, उस कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया और 1995 से अब तक तीन अलग दलों की सरकारें रह चुकी है। उसके बाद इसलिए लागू नहीं हुआ जिसके कारण मैंने बताए हैं कि कानून बनने के पश्चात् कानून को लागू करने की तिथि कौन सी होगी, कानून में लिखा था कि यह केन्द्र सरकार तय करेगी। 1997 में सरकार को यह लगा कि इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको संशोधन के माध्यम से लाना चाहिए। वे संसदीय समिति के सामने गए और उसके बाद कैबिनेट ने उस वक्त जो तय किया था, कई बार चर्चा होती रही है और अब अर्बन डैवलपमैंट मिनिस्ट्री उसके ऊपर फाईनल निर्णय लेने वाली है जो कैबिनेट ने ऐप्रूव किये कि जो 1997 में बना था, उसे परस्यू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री के. मलयसामी: महोदय, यहाँ समस्या जांच की प्रक्रियाओं में होने वाले प्रक्रियात्मक विलंब की नहीं है। जब संकल्प पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो उसके बाद अगली प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने की होती है। सहमति और अधिसूचना के बीच विलंब का कोई मौका नहीं हो सकता है। यह प्रधानत: एक भौतिक प्रक्रिया और लिपिकीय कार्य है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। राज्यों में तो, हम यही करते हैं कि जब किसी विशेष विधेयक का किसी के द्वारा अनुगमन अथवा उसका पता लगाया जाता है तो इसे अविलंब रूप से अधिसूचित किया जाता है। मुझे पता नहीं कि केन्द्र सरकार में, यह जानने के लिए कि क्या यह अधिसूचित किया गया है या नहीं, ऐसा कोई तरीका है या नहीं। मुझे पता नहीं कि इस संबंध में किसी समय सीमा का निर्धारण किया गया है या नहीं। हम इस दिशा में क्यों नहीं सोचते ताकि एक समय सीमा निश्चित की जा सके और उसी निर्धारित समय में इसे अधिसूचित किया जा सके?

श्री अरुण जेटली: सरकार के पास स्पष्ट रूप से एक ऐसी प्रणाली है जो गंभीरतापूर्वक यह विचार करती है कि जैसे ही कोई कानून पारित होता है और राष्ट्रपति महोदय इस अधिनियम को अपनी सहमति प्रदान करते हैं, कानून को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को लागू किया जाए। मेरे पास ऐसे विभिन्न कानूनों अथवा कुछ कानूनों के कुछ खण्डों की सूची है जिन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है और किसी विशेष समय में, समूचे कानून को अधिसूचित किये जाने के दौरान भी इसका कुछ भाग, कुछेक कारणों से अधिसूचित नहीं होता। विभिन्न कानूनों के संबंध में अलग-अलग कारण होते हैं।

उदाहरण के लिए, 1982 में औद्योगिक विवाद अधिनियम में कुछ संशोधन किये गये थे। 1982 से आज तक, उस संशोधन के एक भाग को अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि 1982 के उस संशोधन के दायरे से कुछ उद्योगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम से बाहर रखने का इरादा था। अतएव, विभिन्न मजदूर संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए 1982 से अब तक सरकार ने उन संशोधनों को अधिसूचित नहीं किया है। इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता संसद द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति महोदय ने इसे स्वीकृति प्रदान की। परन्तु बाद में, वकील संगठनों द्वारा दलीय हितों से परे होकर किए गए विरोध के पश्चात् इस सभा के और दूसरी सभा के भी माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया कि अधिसूचना जारी करने के पहले बार के सदस्यों के साथ थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। अतएव, अधिसूचना की प्रक्रिया के अनुसार, अधिकतर कानूनों को अधिसूचित किया गया है। कुछ मामलों में ऐसा है कि किसी एक या दो प्रावधानों को अधिसूचित नहीं किया गया है और प्रत्येक मामले में कुछ विशेष कारण हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया है।

श्री आर.एल. भाटिया: महोदय, संसद सर्वोच्च है और यहाँ पारित होने वाले कानूनों और विधेयकों को राष्ट्रपति महोदय अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और तब यह कानून बनता है। क्या आपके पास निगरानी करने वाला ऐसा कोई अभिकरण है जिसके माध्यम से आप यह देख सकें कि विधेयकों को कार्यान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे माननीय मित्र ने यह मुद्दा उठाया है कि सहमति और कार्यान्वयन के बीच एक लम्बा समय लगता है। क्या इसके लिए कोई निगरानी प्रणाली है?

दूसरे, ऐसे कई कानून हैं जिन्हें देश में पारित किया गया है और वे संविधि-पुस्तक के अंग हैं। उन्हें उन परिस्थितियों में पारित

किया गया था। परन्तु वर्तमान स्थिति में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। क्या आपने इस पर विचार किया है कि अप्रासंगिक हो गए सभी पिछले कानूनों को संविधि पुस्तक से हटाया जाए?

श्री अरुण जेटली: प्रश्न के दो भाग है। जहाँ तक श्री भाटिया जी द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न का संबंध है, उन्होंने पूछा है कि क्या ऐसी कोई निगरानी प्रणाली है जिसके माध्यम से यह देखा जा सके कि कानूनों को अधिसूचित किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि संसद और इसकी इच्छा ही सर्वोच्च है। जब किसी कानून को पारित किया जाता है, तब इसे प्रशासनिक मंत्रालय के पास भेजा जाता है, जिसके ऊपर कानून को अधिसूचित करने की जिम्मेदारी होती है। कानून में ही, संसद, जिसकी इच्छा सर्वोच्च है, के द्वारा सरकार अथवा राज्य सरकारों को कुछ कानूनों में इसे उस तिथि जिसे वो उचित समझते हो, को अधिसूचित करने के लिए प्रत्यायोजित अधिकार-क्षेत्र प्रदान करती है। कुछ प्रावधानों से संबंधित छिटपुट अपवादों के अलावा अधिकतर कानूनों को अधिसूचित किया गया है और वे मंत्रालय इसका रिकार्ड रखते हैं कि किसे अधिसूचित नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं। कभी-कभी कारणों के संबंध में भी यदि कुछ विरोध होता है अथवा कुछ अन्य दृष्टिकोण सामने रखे जाते हैं, उसे भी वे ध्यान में रखते हैं और समय-समय पर उसे अधिसूचित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाती है।

प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि उन अव्यवहृत कानूनों से कैसे निपटा जाए जो अब बेकार हो गए हैं। सरकार ने पी.सी. जैन समिति का गठन किया था, जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। इसने बेकार और अव्यवहृत कानूनों की लंबी सूची बनाई है और एक के बाद एक, उनमें से प्रत्येक इस सभा में आते रहे हैं और उनका बड़ी संख्या में निरसन हुआ है। वास्तव में, इस सत्र में भी कुछ निरसन हुए हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह कार्य चलता रहता है। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अव्यवहृत कानूनों की सूची भी सरकार के पास उपलब्ध है।

[हिन्दी]

मालभाड़ा दरों में वृद्धि

***263. श्री [+]जयभान सिंह पवैया:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में रेल मालभाड़ा दरों में वृद्धि की है और आवश्यक वस्तुओं पर से राजसहायता भी वापस ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं तथा इसका माल परिवहन पर क्या असर पड़ेगा;

(ग) इससे अनुमानत: कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;

(घ) क्या मालभाड़ा दरों में वृद्धि किये जाने के भी रेलवे की निधियों की कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया. है।

विवरण

(क) रेल मंत्रालय ने 2000-2001 के बजट में किए गए प्रस्तावों के अनुसार मालभाड़ा दरों में वृद्धि की है। बहरहाल, यूरिया और मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, तरल पेट्रोलियम गैस, चीनी, खाने का नमक, खाद्य तेल, फल एवं सब्जियां जैसी आम उपभोग की कतिपय आवश्यक वस्तुओं की माल भाड़ा दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

(ख) अन्य वस्तुओं की मालभाड़ा दरों में वृद्धि अतिरिक्त आय जुटाने के लिए की गई थी ताकि निवेश की लागत में हुई वृद्धि को पूरा किया जा सके तथा विकासपरक परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जा सके। माल यातायात में सुधार के लक्षण देखने में आए जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि रेलवे ने अप्रैल, 2000 से जून, 2000 की अवधि के दौरान लगभग 116.57 मिलियन टन राजस्व उपार्जक माल यातायात का लदान किया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त किए गए लदान से 8.61 मिलियन टन अधिक है। यह लदान अप्रैल, 2000 से जून, 2000 की अवधि के आनुपातिक लक्ष्य की तुलना में 2.12 मिलियन टन अधिक है।

(ग) 2000-2001 के दौरान माल भाड़ा दरों में वृद्धि के जरिए माल और पार्सल सेवाओं से (लगभग) 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने का अनुमान था।

(घ) और (ङ) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से रेलों को पेंशन संबंधी देयताओं सहित अपने सभी संचालन व्यय पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने की आशा है। पहले के वर्षों की ही भाँति वित्त मंत्रालय 1500 करोड़ रुपये की सीमा तक के लाभांश के भुगतान के स्थगन के लिए सहमत हो गया है जिसका भुगतान बाद के वर्षों में किया जाएगा। वित्त मंत्रालय रेलों की पूंजी निधि के लिए सामान्य राजकोष से 249 करोड़ रुपए

का ऋण मुहैया कराने के लिए भी सहमत हो गया है। रेलवे का यह प्रस्ताव है कि अधिक कुशल परिचालन, अत्यधिक किफायत और सादगी के उपायों को लागू करके तथा गैर-परम्परागत राजस्व स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाकर धन की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जाए।

श्री जयभान सिंह पवैया: माननीय अध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्ष 1999-2000 के दौरान रेलवे ने 45 करोड़ 60 लाख टन माल की ढुलाई का रिकार्ड स्थापित किया है। यह गत वर्ष की तुलना में 3 करोड़ 5 लाख टन अधिक है। खास तौर से यह वृद्धि आदरणीय ममता जी के मंत्रालय सम्भालने के बाद हुई है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद रेलवे की निधियों में नए सत्र में खासी कमी हो रही है। खास तौर से मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशंस की आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय माल ढुलाई में रेलवे का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। रेलवे का वित्त सूचकांक और रेलवे में निर्माण तथा नवीकरण में निवेश भी कुछ बिगड़ने लगा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिशा में कोई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि पिछले साल माल ढुलाई में हम लोगों ने बढ़ोत्तरी दर्ज की है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि उनके दूसरे खंड के प्रश्न में यह बात कहां से आ गई कि उसमें कमी आई है। दरअसल पिछले वर्ष 456 ग्रास मिलियन टन हमने ढुलाई की, इस बार 475 ग्रास मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। कुल मिलाकर यह बढ़ती चली जा रही है। यह बात सही है कि 1998-99 में इसमें कमी आई। उसका कारण यह था कि एक तो देश भर में रिसैशन था इसलिए कमी आई, लेकिन उसके बाद लगातार वृद्धि होती चली जा रही है।

श्री जयभान सिंह पवैया: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न राजस्व से संबंधित है। मेरा संसदीय क्षेत्र ग्वालियर है। इस ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी के साथ दुर्भाग्य से सौतेला और अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है। वहां जहां एक ओर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं, वहीं सेना की बहुत बड़ी छावनी भी है। ग्वालियर स्टेशन में सुपर फास्ट गाड़ियों में वर्षों से चला आ रहा आरक्षण का कोटा समाप्त कर दिया है। उस कोटे का कम्प्युटरीकरण के कारण दूसरे स्टेशंस में विलय किया गया है। ग्वालियर के जो निकटतम् स्टेशन हैं, आगरा और झांसी, क्या इन स्टेशंस पर भी आरक्षण का कोटा वापस लिया गया है, यदि नहीं लिया गया तो यह फैसला ग्वालियर जैसे बड़े स्टेशन पर ही लागू क्यों हुआ है, जबकि उससे रेलवे को अपेक्षित राजस्व प्राप्त हो रहा है? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इसकी बहाली के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी?

श्री दिग्विजय सिंह: एक ऐसा दौर था जब कहा जाता था कि ग्वालियर में ही सारी सुविधाएं एकत्र करके भेजी जा रही हैं। माननीय सदस्य का यह कहना कि ग्वालियर के साथ नाइंसाफी हुई है, कम से कम सदन में यह मानने को कोई तैयार नहीं है। आपने जो आरक्षण से सम्बन्धित सवाल रखा है, आरक्षण की पद्धति से देश भर में कहीं से कहीं का आरक्षण करवा सकते हैं। ग्वालियर के साथ कोई ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई है। जो कोटा था उसको हटा लिया गया है, इस बाबत अगर माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसिफिक जानकारी हो तो वह हमारी जानकारी में लाएं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, माल-भाड़े की दर हमारे देश में सर्वाधिक ऊंची दरों में से एक है। अब हमारे देश में इसे बढ़ाए जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पिछले दो या तीन वर्षों से हम उत्तर में सुनते आ रहे हैं कि रेलवे गैर-परम्परागत ढुलाई से अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने की कोशिश कर रहा है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि अप्रैल से जून तक के पिछले तीन महीनों के दौरान रेलवे ने कितनी सीमा तक गैर-परम्परागत ढुलाई का कार्य किया जिससे कि रेलवे की कमाई बढ़ी।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य ने वर्ष 2000-2001 के बजट प्राक्कलनों के बारे में पूछा है। हमने गैर-परम्परागत क्षेत्रों से संसाधनों की प्रत्याशित वसूली का पता लगाया है। आप्टिकल फाइबर संचार के लिए ढुलाई का पट्टा लगभग 500 करोड़ रुपये के बराबर होगा *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैं गैर-परम्परागत साधनों की ढुलाई की बात कर रहा हूं। परम्परागत साधनों में कोयला, उर्वरक, पेट्रोलियम इत्यादि जैसे ढुलाई के साधन आते हैं। लेकिन गैर-परम्परागत ढुलाई के बारे में आपको क्या कहना है?

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, नॉन ट्रेडीशनल ट्रैफिक में हम लोगों ने कुछ रास्ते अपनाए हैं। उसमें एक एक्सपेरीमेंट कोंकण रेलवे में किया है। जो ट्रक से माल जाता है, वह एक शहर से दूसरे शहर में जाता है। हम सीधे ट्रक को रेल के ऊपर लगा लेते

हैं और 48-50 घंटे में एक डेस्टीनेशन से दूसरे डेस्टीनेशन उसे पहुंचाते हैं। जो हमारे रोड पर माल जाता है, उसे रेल पर ले जाते हैं। एक्सपेरीमेंट बेसिस पर कोंकण रेलवे पर हो रहा है। अगर यह सफल हुआ तो देश के और हिस्सों में भी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अन्य वस्तुओं की क्या स्थिति है? परम्परागत वस्तुओं के अलावा, मैं अन्य गैर-परम्परागत वस्तुओं के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अदर गुड्स में एक और भी प्रयास किया है, और वह पार्सल का है। पार्सल की एक निश्चित अवधि एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने के लिए है तो उस पर थोड़ा भाड़ा भी ज्यादा आएगा ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : क्या एक अलग से वैगन अलॉटमेंट हुआ है और नया क्या किया जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को कम्पलीट करने दीजिए?

...*(व्यवधान)*

श्री दिग्विजय सिंह : यह रेलवे कोई अकेले आपके क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। आपके बारे में भी बताएंगे। हमेशा हम लोग प्याज आलू के बारे में करते रहे हैं। मैं बसुदेव आचार्य जी से कह रहा था कि अभी आपने कहा था कि हम लोगों ने क्या किया है। एक तो पार्सल ट्रैफिक के इलाके में किया है। उसमें रेलवे पर भी जिम्मेदारी सौंपी है। अगर समय के अंदर सामान नहीं पहुंचा तो हम उन्हें मुआवजा देंगे और उसका किराया भी बढ़ाएंगे। जो नार्मल पार्सल है, उससे थोड़ा ज्यादा किया है। 48-50-72 घंटा यह समयावधि की है। इतने समय में एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी माननीय सदस्य के पास यदि कोई और सुझाव हों तो हम उन्हें भी स्वीकार करने को तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य भी हैं। यह वास्तविकता नहीं है, यह जो कम्पैरीजन किया गया है वह पिछले वर्ष की तुलना में आन्तरिक-तुलना ही है। जब हम रेवेन्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली कम्पैरीजन ट्रांसपोर्ट सैक्टर से होना चाहिए। मेरे पास पिछले दस वर्षों के आंकड़े हैं। मेरे पास टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) की रिपोर्ट भी है। इसमें एक बात कही गई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुबोध मोहिते, कृपया, अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए। कृपया, बात को समझिए कि अभी अन्य प्रश्न भी पूछे जाने हैं।

श्री सुबोध मोहिते : मैं, अनुपूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं। पिछले तीन सालों में रोड ट्रैफिक और रेल ट्रैफिक में कितना प्रतिशत डिक्लाइन हुआ है? रेल यातायात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? मेरे पास रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का पत्र है, इसमें उन्होंने कहा है कि मालभाड़े की दर में कमी को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 1980 में फोइस की स्कीम सरकार लाई थी। इस 'फोइस' स्कीम से कोई लाभ नहीं हुआ है। इस 'फोइस स्कीम' की असफलता के क्या कारण हैं? इस स्कीम के संबंध में 1980 से अब तक कितना व्यय हुआ है? पिछले 20 वर्षों से इस स्कीम से क्या लाभ हुआ है? ये मेरे दो प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप एक ही प्रश्न का उत्तर दें दोनों का नहीं। वे दो प्रश्न पूछने के हकदार नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनका जो सवाल है, रेल से रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है, यह बात बिल्कुल सही है। 1950 में करीबन 82 प्रतिशत रेलवे सामान को ढोता था। आज रेलवे 40 प्रतिशत ढो रही है।

श्री सुबोध मोहिते : डिक्लाइन कितना होगा?

श्री दिग्विजय सिंह : बता रहा हूं। डिक्लाइन 82 प्रतिशत से 40 प्रतिशत पर आ गया है। 60 प्रतिशत रोड का है। जो काम करने का तरीका है, वह पूरे देश और सदन के सामने हम हमेशा समय-समय पर रखते रहे हैं। यह कोई छुपाने की बात नहीं है। डैक्लाइन तो हुआ है और उसकी वजह यह है कि रोड को तो तवज्जह दी गई। जो सरकारी समर्थन रोड ट्रैफिक को मिला है, वह समर्थन रेलवे को नहीं मिला। ...*(व्यवधान)* उल्टा रेलवे को कुछ काम करना पड़ता है। हमारे सोशल ऑब्लीगेशन के काम हैं जिनको हम करते हैं और 3000 करोड़ रुपया उसमें खर्च होता है। देश में कभी सूखा, कभी अकाल और तूफान आते हैं तो हम मुफ्त अपना सामान देते हैं। इसलिए माननीय सदस्य को इन बातों का ख्याल रखना होगा। इसका ख्याल रखते हुए हमने हर साल पिछले दो वर्षों में वृद्धि की है। इस बार और भी टार्गेट बढ़ा रखा है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुबोध मोहिते : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : अध्यक्ष महोदय, मध्य रेल की दौंड़-मनभाउ सिंगल लाइन पर वाणिज्यिक दृष्टि से अहमदनगर, श्रीरामपुर, कोपरगांव, शहूरी, भीगोंदा जैसे कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं लेकिन 15 साल में वाणिज्यिक दृष्टि से विकास के बदले दिनों-दिन वहां रेल की संख्या कम कर दी गई। पैसेंजर ट्रेन तक वहां से जो चलती थी, वह भी बंद कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न डैवलपमेंट के बारे में नहीं है।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : वाणिज्यिक दृष्टि से बोल रहा हूं। उसके पास पार्सल जोड़ा जाता है और उस दृष्टि से रेल कम हुई हैं तो क्या सरकार वापस नये जोड़ने का विचार कर रही है या नहीं?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, रेलवे जहां एक ओर कमर्शियल ऑरगेनाइजेशन है, वही दूसरी ओर जो हमारी जिम्मेवारी है, उसका भी हम निर्वाह करते हैं। अगर माननीय सदस्य को ऐसा लगता है कि उनके रेलवे स्टेशन पर कोई खास गलती रेलवे विभाग ने की है और वह यदि हमारी जानकारी में लाएंगे तो पैसेंजर एमैनिटी से लेकर पार्सल तक जो आपने बात कही, ...*(व्यवधान)* बिजनैस का अगर बड़ा सेंटर होता तो हम छोड़ते नहीं हैं। हम तो बिजनैस खोजते रहते हैं, इसलिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर इनको लगता है कि इनके क्षेत्र में या इनके स्टेशन पर कोई कमी है तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

मुख्य युद्धक "अर्जुन" टैंक के निर्माण की स्थिति

***264. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" पिछले पन्द्रह वर्षों से निर्माण प्रक्रिया में है;

(ख) क्या प्रत्येक नये सेनाध्यक्ष की नियुक्ति के साथ टैंक के लिए सेना द्वारा नए मानदंड निर्धारित किए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलंब होता है; और

(ग) यदि हां, तो कम लागत वाले और सक्षम मुख्य युद्धक टैंक के उत्पादन हेतु क्या ठोस कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और इसे कब तक विकसित कर लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" का विकास-कार्य पहले ही पूरा हो गया है और सेना ने 124 अर्जुन टैंकों के विनिर्माण के लिए एक मांग-पत्र भेज दिया है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मुख्य युद्धक टैंक के बारे में विचार 20वीं शताब्दी में किया गया। अब 15 वर्षों के अन्तराल के उपरान्त 21वीं शताब्दी में इस पर कार्यान्वयन किए जाने की संभावना है। इसी बीच कई आशंकाएं व्यक्त की गई कि अस्त्र-शस्त्र का इतना अधिक विकास हो गया है कि युद्ध में आज इस टैंक का उपयोग अनावश्यक हो गया है। इसी बीच मिसाइलों तथा कतिपय अन्य उपकरणों का इजाद हो चुका है। इस संबंध में अन्य आशंकाएं भी हैं। उदाहरणस्वरुप, पिछले इन 15 सालों में, इन मुख्य युद्धक टैंकों के डिजायनों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है और उनकी कीमतों में वृद्धि की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब युद्धक उपकरणों में इतना अधिक विकास हो गया है और चूंकि इस टैंक पर 15 साल पहले विचार किया गया और उसे अब कार्यान्वित किया जा रहा है इसके बावजूद भी क्या सरकार सोच रही है कि वर्तमान संदर्भ में यह टैंक प्रासंगिक है। क्या सरकार अभी भी मानती है कि वर्तमान में यह प्रासंगिक है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, हमारी सरकार ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं विश्व की सभी सरकारों और सशस्त्र बलों का विश्वास है कि टैकों का युद्ध अभी अनावश्यक नहीं हुआ है। यही कारण है टैंकों का निरन्तर विकास हुआ है विशेषकर मुख्य युद्धक टैंकों का और हम भी इसी व्यवस्था के अंग हैं?

जहां तक विलम्ब का संबंध है इस बारे में सच यह है कि विलम्ब तो हुआ है लेकिन लापरवाही इसका कारण नहीं थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि नये विचार पनपे और कई अन्य मुद्दे जैसे अच्छी मारक क्षमता, अच्छा नियंत्रण और इसी प्रकार की अन्य बातें सामने आई और इन पर विचार किया गया और इसी वजह से टैंक को अंतिम स्वीकृति जिसके बारे में हमारे अभियंताओं और वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था, में विलंब हुआ।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रत्येक अभियंता और प्रत्येक सेनाध्यक्ष के बदलते ही इन टैंकों के डिजायन भी बदल जाया करते हैं। इसलिए सरकार को कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या अब इन डिजायन के निरन्तर परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया है। क्या सरकार मानती है कि अब जहां तक डिजायनों का संबंध है उसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा?

महोदय, यदि हम मीडिया आशंकाओं की जांच कर सकें तो जहां तक इन मुख्य युद्धक टैंकों के निर्माण का संबंध है तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की क्षमता बारे में कई आशंकाएं उठाई गई हैं। यह आशंका व्यक्त की गई कि इस ही विशेष कारण से अन्तिम डिजायन में इतना अधिक विलम्ब हुआ जो कि पिछले 15 वर्षों से विचाराधीन रहा है। जहां तक इस मुख्य युद्धक टैंक के निर्माण का संबंध है। हमें अपने देश के लोगों के मन से इस आशंका को हटाना होगा। चूंकि पिछले 15 वर्षों में इन टैंकों के डिजायन में काफी बार परिवर्तन किया गया है जिसके कारण इनकी लागत में भारी वृद्धि हुई है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस टैंक की लागत प्रभाव के बारे में जानना चाहता हूं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सक्षमतापूर्वक इस टैंक के डिजायन को अन्तिम रूप दे दिया है और कब इन 124 टैंकों, जिनकी अब मांग की गई है, को युद्ध के लिए शामिल किया जाएगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैंने सभा में और कहीं भी ऐसा नहीं कहा है और मैंने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यह नहीं कहा है कि प्रत्येक अभियंता और प्रत्येक नये सेनाध्यक्ष के बदलने का मतलब इसके डिजायन में परिवर्तन है। मुझे नहीं मालूम यह जानकारी उन्हें कहां से मिली।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मेरे प्रथम अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने ऐसा कहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जहां तक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की क्षमता का प्रश्न है, मैं समझता हूं माननीय सदस्य को इसके बारे में आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संगठन की क्षमता कई रक्षा आवश्यकताओं में प्रमाणित हुई है जिनमें मिसाइलें भी शामिल हैं जिन्हें हमने बनाया है और बना रहे हैं। इसलिए, उनकी क्षमता पर हमें प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक टैंक की लागत का संबंध है यह लगभग 14 करोड़ प्रति टैंक है और जहां तक इन 124 टैंकों की आपूर्ति का प्रश्न है यह 2002-03 में आरम्भ हो जाएगी। अब इसे 2007-08 का समय लगेगा लेकिन हम प्रायस कर रहे हैं कि पूरा दिया गया क्रय आदेश वर्ष 2005-06 तक पूरा कर लिया जाए।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनकी रूस यात्रा के समय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि भारत टी-92 टैंकों को खरीदने जा रहा है। क्या रक्षा मंत्रालय ने जर्मन के लियोपार्ड टैंक और ग्रेट ब्रिटेन के चीफटैन टैंकों की सुयोग्यता की भी जांच की है?

यदि हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है तो हम बाहर से और टैंकों का आयात क्यों कर रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, 1994 में पहली बार टी-90 टैंक पर विचार किया गया था। इसकी जांच की प्रक्रिया को 1996-97 में आरम्भ किया गया। इस टैंक पर विचार और जांच ही नहीं हुई बल्कि राजस्थान के मरुस्थल और जहां कहीं भी इसका परीक्षण किया जाना था किया गया। सेना ने इस टैंक को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के रूप में ही नहीं पाया बल्कि इसे विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यक टैंक के रूप में भी माना।

सभा को विदित है कि इन टैंकों का प्रयोग हमारे पश्चिमी क्षेत्र के पड़ोसियों के साथ संघर्ष की दशा में किया जाएगा। जहां ऐसी लड़ाई लड़ी जानी है वहां की भूमि से हर कोई परिचित है क्योंकि इन क्षेत्रों में हमने कई टैंकों की लड़ाइयां लड़ी हैं।

जहां तक इस मामले में सरकार का संबंध है सेना जो कि इसकी प्रयोगकर्ता है का निर्णय ही अंतिम होता है। सेना ने इस बारे में सुझाव ही नहीं दिया बल्कि उसने इसका मूल्यांकन किया और निर्णय लिया कि यही टैंक हमें चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 265, डा. संजय पासवान।

...(व्यवधान)

श्री सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर को टाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 'एम.वी.टी. अर्जुन' से संबंधित है।

श्री सिमरनजीत सिंह मान : मैंने पूछा था कि क्या 'लियोपार्ड' और 'चीफटेन' टैंकों का भी परीक्षण किया गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, 'टी-92' टैंक कोई नहीं है। माननीय सदस्य ने टी-92 टैंक का जिक्र किया था। यह टैंक 'टी-90' है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न भी 'टी-92' से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

शायिका श्रेणी के यात्रियों की सुरक्षा

***265. डा. संजय पासवान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रात्रि में यात्रियों की सुरक्षा हेतु एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के शायिका डिब्बों में विक्रेताओं के रूप में चोरों के अतिरिक्त रेलवे का कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शायिका श्रेणी के यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन स्थिति की जांच के लिए आकस्मिक जांच करता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शायिका के यात्रियों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां, की गई जांचों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध की गई जांचों की संख्या	पकड़े गए फेरी वालों की संख्या
1998-99	12.12 लाख	44,106
1999-2000	12.52 लाख	46,302
2000 (मई तक)	2.16 लाख	10,631

(ङ) "पुलिस व्यवस्था" राज्य सरकारों का विषय होने के नाते चलती गाड़ियों और रेल परिसरों में यात्रियों और उनके माल-असबाब की संरक्षा और सुरक्षा की संवैधानिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है जिसका निर्वहन वे अपनी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के माध्यम से करती हैं। यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों के अलावा रेल प्रशासन राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है:-

1. रेल मंत्री द्वारा जनवरी, 2000 में मुख्य सचिवों और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई गई थी। रेलगाड़ियों और रेल परिसरों में अपराधों की रोकथाम के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और रेल सुरक्षा बल को कारगर बनाने के सुझाव देने के लिए रेलों और राज्य सरकारों के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय संयुक्त समिति बनाई गई है।

2. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसरों और गाड़ियों से असामाजिक तत्वों को हटाया जा रहा है।

3. सवारी डिब्बों में चढ़ने/से उतरने वाली यात्रियों पर सवारी डिब्बा परिचरों/चल टिकट परीक्षकों द्वारा उचित निगरानी रखी जाती है और सवारी डिब्बों को, विशेषकर रात्रि के समय यथोचित रूप से बंद करके ताला लगा दिया जाता है।

4. यात्रियों को अपनी रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराने को सुगम बनाने के लिए गाड़ी के गार्डों/स्टेशन मास्टरों/रेल सुरक्षा बल के कर्मियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट के फार्म उपलब्ध कराए जाते हैं।

5. रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के बीच सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और अपराध आसूचना के आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है।

6. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को उनके सामान की चोरी से बचाने के लिए उन्हें सचेत करने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन-उद्घोषणा-प्रणाली और सीसीटीवी के माध्यम से घोषणाएं करना।

7. यात्रियों द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस के पास एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल चौकियों की व्यवस्था की गई है।

8. उपयुक्त निवारक उपाय करने के लिए रेलों पर अपराधों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के साथ उच्च स्तरीय आवधिक समन्वय बैठकों का आयोजन किया जाता है।

9. जब कभी कोई राज्य सरकार चलती गाड़ियों में चल चौकियां स्थापित करना चाहती है तो उस समय स्थान आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

डा. संजय पासवान : अध्यक्ष महोदय, रेल में चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं आम हो गई हैं तथा रेल में यात्रियों को लूटने या मारने का काम बड़ा आसान हो गया है। ये घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, मगर हमें जो एक कारण दिखाई पड़ता है वह यह है कि स्लीपर क्लास में जो जनरल टिकट के यात्री होते हैं, उनसे फाइन लेकर उन्हें बैठने की अनुमति दी जाती है। इस कारण से इस क्लास के लोगों को यात्रा करने में परेशानी होती है। यात्री के वेश में जो लोग फाइन लेने वाले होते हैं, उनमें लूटेरे या हत्यारे हैं, ये कौन लोग हैं, इसका अंदाजा नहीं होता है। इस कारण दो समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली यह है कि उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलती और अगर मिलती है तो जबरदस्ती करते हैं, लड़ते-झगड़ते हैं। वे चोर के या किसी अन्य वेश में आकर किसी को भी लूट लें, हत्या कर दें, इसकी काफी गुंजाइश होती है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रेल के यात्रियों के लिए सुरक्षा के क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि उनके जीवन की और सामान की रक्षा हो सके।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जो घटनाएं घट रही हैं, उनके बारे में अक्सर समाचार-पत्रों और दूसरे माध्यमों से भी यह जानकारी मिलती रहती है। दो बुनियादी बातें हैं, उन्हें जरूर इस सवाल से जोड़ना चाहिए। पहली यह है कि जो कानून और व्यवस्था का भारतीय रेल का सवाल है, वह राज्य सरकारों के जिम्मे है और राज्य सरकारें उसकी जिम्मेदारी लेती हैं। जी.आर.पी. जिसको राज्य सरकार की पुलिस कहा जाता है वह उसमें जाती है, इसलिए सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की पुलिस की है।

दूसरी बात यह है कि रेलवे कोई आइलैंड नहीं है कि वह इन समस्याओं से बचा रहेगा। जहां-जहां, जिस-जिस राज्य में कानून और व्यवस्था खराब है वहां यह समस्या है लेकिन जहां-जहां कानून और व्यवस्था बेहतर है वहां-वहां रेलवे में भी यह समस्या कम देखने को मिलती है। दूसरी बात यह है कि आर.पी.एफ. को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। लोगों की जनरल फीलिंग यह है कि जी.आर.पी. रेलवे की पुलिस है। इसको दूर करने के लिए हमने जनवरी के महीने में राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और डी.जी.पी. की बैठक यहां बुलाई थी। उसमें आठ राज्यों के चीफ सैक्रेट्रीज और डी.जी.पी. की एक अलग टास्क फोर्स बनाई थी और कहा था कि जो काम आपके जिम्मे हैं उनको आप पूरा करें। हम इसमें आधा पैसा जी.आर.पी. के लिए देते हैं और आधा पैसा राज्य सरकारें देती हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम पैसा भी देते हैं फिर भी हमें बदनामी उठानी पड़ती है। इसलिए कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी की रिपोर्ट आई है और वह रिपोर्ट राज्य सरकारों के पास दुबारा भेजी गयी है। जिसमें कई कदम उठाए गये है जिससे यात्रियों की परेशानियों को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदय, जी.आर.पी. का संबंध राज्य सरकारों से है लेकिन उन्हें रेलवे की इच्छानुसार तैनात किया जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, माननीय सदस्य सच्चाई से वाकिफ नहीं है।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा सौभाग्य है कि बिहार के माननीय मंत्री जी ही मेरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। जितनी ट्रेनें बिहार के लिए जाती हैं उनमें यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में काम करने वाले श्रमिक ही होते हैं जो अपने घर धन कमाकर वापस जाते हैं और उन्हें रास्ते में ही ट्रेन में लूट लिया जाता है। ...*(व्यवधान)* बिहार में भी ट्रेनों में लूट लिया जाता है। जो यहां से कमाई करके बिहार जाते हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या है और उसमें ट्रेन प्रशासन क्या कर सकता है। पुलिस सुरक्षा सरकारी इश्यू है लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि रेल मंत्रालय ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या उपाय कर रहा है। अगर कोई यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है और रेल मंत्रालय द्वारा उसकी सुरक्षा के क्या उपाय किये गये हैं। यह मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जो सवाल आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने पूछा है वह केवल बिहार के लिए नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि जहां-जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति गिरी हुई है वहां ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में ऐसा नहीं होता है। हम उस विवाद में जाना नहीं चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर सवाल है इसलिए मैं इसका जवाब राजनैतिक तौर पर देना नहीं चाहता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या आप उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप चेयर को संबोधित करें।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कानून और व्यवस्था की स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ हैं। जहां ये घटनाएं हो रही हैं, सारे सदस्य उनको जानते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही जनवरी में जो कमेटी बनाई गयी है और जिसकी रिपोर्ट आई है। ...*(व्यवधान)* वह इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए

बनाई गयी है। जब आर.पी.एफ. को थोड़ी ताकत मिल जायेगी तो वह निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकेगी। दूसरी बात जो वी.आई.पी. की सिक्योरिटी की है तो जहां-जहां राज्य सरकारों की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से वी.आई.पी. के लोगों को सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है रेलवे उनको पूरी तरह से जाने की इजाजत देती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पुराने सवारी डिब्बों को बदला जाना

***266. श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे में पुराने और अप्रचलित मॉडल वाले सवारी डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी प्रकार के सवारी डिब्बों को आरामदायक बनाने के लिए इनकी बनावट में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (ग) सवारी डिब्बों के उपयोग की सेवा की आयु लगभग 25 वर्ष की होती है जिसके पश्चात् उन्हें आयु-एवं-दशा के आधार पर सेवा में हटा लिया जाता है, गाड़ियों में विभिन्न आयु-समूह के सवारी डिब्बे चलाए जाते हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए सभी सवारी डिब्बों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है, इस समय सेवा में प्रयुक्त सवारी डिब्बे 50 के दशक के प्रारम्भ में स्विट्जरलैंड से तकनीक आयात करके अपनाए गए डिज़ाइन के हैं, बेहतर आराम और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पिछले कई वर्षों के दौरान इस डिजाइन में विभिन्न फेरबदल करके सुधार किया गया है और इसे सुखद यात्रा के अनुकूल बनाया गया है। हाल के डिज़ाइनों में कुछ ऐसे सुधार किए जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं:-

(1) वात-ब्रेक वाली बोगी चलाना।

(2) एक सवारी डिब्बे से दूसरे सवारी डिब्बे तक सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन के लिए आधुनिक किस्म के यू.आई.सी. गलियारेदार मार्ग की व्यवस्था करना।

(3) पॉली-विनाइल फर्श की व्यवस्था एवं शौचालय में स्टेनलेस स्टील साज-सज्जा।

(4) सवारी डिब्बों के निर्माण के लिए लकड़ी रहित सामग्री का उपयोग करना।

(5) गाड़ी में बिजली की 24 वोल्ट प्रणाली के स्थान पर 110 वोल्ट प्रणाली का इस्तेमाल करना।

(6) छत आरोहित वातानुकूलन प्रणाली की व्यवस्था करना।

(7) अग्निरोधी पर्दों एवं साज-सज्जा आदि की व्यवस्था करना।

रेलों ने बदल रही यात्री आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सवारी डिब्बे जैसे ए.सी. 2-टियर, ए.सी. 3-टियर, द्वितीय श्रेणी दिन कालीन सवारी डिब्बे, दुमांजिली सवारी डिब्बे आदि भी सेवा में शामिल किए हैं। यह महसूस करते हुए कि इस सुधारों के बावजूद, मौजूदा सवारी डिब्बा प्रौद्योगिकी में और बेहतरी नहीं आ पा रही है, भारतीय रेलों ने उन्नत सुरक्षा और यात्री आराम के लिए आधुनिकतम, उच्च गति, कम वजन वाले और अपेक्षाकृत अधिक लंबे सवारी डिब्बों के स्वदेशी विनिर्माण के उद्देश्य से अक्तूबर, 1995 में मैसर्स एलस्टोम एल.एच.बी. जर्मनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण-एवं आपूर्ति कंट्रैक्ट किया है। यह डिजाइन चरणबद्ध रूप में सवारी डिब्बा की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अपनाया जाएगा। यह नई प्रौद्योगिकी भारतीय रेल के सवारी डिब्बों को पूर्णत: आधुनिक बनाएगी। इन सवारी डिब्बों के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

* उपयुक्त निवेशों के साथ 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक गति बढ़ाने को संभावना के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटा की उच्चतर गति पर बेहतर और शोर रहित यात्रा सुलभ कराना।

* आरोहण रोधी विशेषताओं के साथ नए किस्म के कपलरों के इस्तेमाल से बेहतर यात्री सुरक्षा मुहैया कराना। इससे दुर्घटना होने की स्थिति में एक सवारी डिब्बे के ++ दूसरे सवरी डिब्बे पर चढ़ने की संभावना न्यूनतम हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर दुर्घटनाओं की स्थिति में हताहतों की संख्या में कमी आएगी।

* इन सवारी डिब्बों में बैठने की 16 प्रतिशत अधिक क्षमता होती है जिससे रेलों को यात्रियों की बढ़ती भीड़ की निकासी करने और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी। यह सवारी डिब्बा मौजूदा सवारी डिब्बों की अपेक्षा लगभग 7 टन हल्का भी है जिसके परिणामस्वरूप प्रति यात्री ऊर्जा लागत में 27

प्रतिशत की कटौती होगी। इस सवारी डिब्बे के साथ नई साज-सज्जा की सामग्री, जैसे पेंच-रहित शीशी पुनर्बलित प्लास्टिक पैनल, एपोक्सी फर्श, एर्गोनोमिकली डिजाइन वाली कुर्सियां, अग्निरोधी साज-सज्जा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर्दे, गद्देदार कुर्सियों का प्रयोग होने लगा है। इस सवारी डिब्बे में पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नियंत्रित निस्सारण टॉयलेट प्रणाली की भी व्यवस्था है।

* यह सवारी डिब्बा जंग रोधी है क्योंकि उसके फर्श एवं छत ऑस्टेनीटिक स्टैनलेस स्टील से निर्मित और पार्श्वीय एवं छोर की दीवारें तथा पार्श्वीय दिवारों एवं छत के ढांचे फेराटिक स्टैनलेस स्टील से निर्मित हैं।

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन

***267. श्री ब्रजमोहन राम:**
श्रीमती रेनु कुमारी:

क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत के माध्यम से राज्यवार कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) चालू वित्त वर्ष हेतु राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन होता है; और

(घ) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु केन्द्रीय सहायता/अंशदान का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) आपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय पवन विद्युत, बायोमास विद्युत/सहउत्पादन, बायोमास गैसीफायरों, लघु पन बिजली, सौर प्रकाशवोल्टीय और शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न आपारंपरिक ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिनांक 31.3.2000 तक विभिन्न आपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से संयोजित की गई राज्यवार और वर्षवार विद्युत क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। यह मंत्रालय अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए राज्यवार लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करता है। चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के दौराम समग्र रूप में पूरे देश के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रमवार वास्तविक लक्ष्य संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) के ब्यौरे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिनांक 31.3.2000 तक विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संयोजित की गई राज्यवार और वर्षवार विद्युत क्षमता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पवन विद्युत कार्यक्रम			सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत			लघु पनबिजली		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
		(मे.वा.)			(कि.वा.)			(मे.वा.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.50	6.00	26.25	–	–	–	–	14.01	12.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	0.20	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	0.04	0.01
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गुजरात	20.10	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	0.13	2.00
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	4.00	–
10.	कर्नाटक	11.17	2.63	14.59	30.00	–	–	7.10	2.75	5.40
11.	केरल	–	–	–	–	–	25.00	–	2.00	–
12.	मध्य प्रदेश	2.70	6.16	4.14	–	100.00	–	–	2.41	–
13.	महाराष्ट्र	0.23	23.34	50.35	–	–	–	2.50	0.21	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	0.10	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	0.01	6.39
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	0.70
18.	उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	0.06	–
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	100.00	–	2.00	4.50
20.	राजस्थान	–	–	2.00	–	–	–	–	–	0.53
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	0.15	–
22.	तमिलनाडु	31.14	17.77	45.68	150.00	–	–	–	–	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	25.00	–	1.50	0.10	–
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	25.00	–	–	–	–	–
26.	अंडमान व निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	चंड़ीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	100.00	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	66.83	55.89	143.00	205.00	125.00	225.00	11.10	28.57	33.58

मे.वा.= मेगावाट

कि.वा.= किलोवाट

पिछले तीन वर्षों के दौरान दिनांक 31.3.2000 तक विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत संयोजित की गई राज्यवार और वर्षवार विद्युत क्षमता

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बायोमास विद्युत			बायोमास गैसीफायर			अपशिष्ट से ऊर्जा		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
			(मे.वा.)			(कि.वा.)			(मे.वा.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	10.00	1.00	1000.00	2300.00	3630.00	0.25	–	4.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	असम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	गुजरात	–	0.50	–	–	5.00	–	–	2.00	–
7.	हरियाणा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	–	10.00	26.00	860.00	500.00	10.00	–	–	1.00
11.	केरल	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	मध्य प्रदेश	–	5.00	–	–	100.00	–	–	–	2.70
13.	महाराष्ट्र	–	–	–	–	100.00	200.00	–	–	–
14.	मणिपुर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16.	मिजोरम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17.	नागालैंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	उड़ीसा	–	–	–	10.00	–	–	–	–	–
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	0.75	–	–
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22.	तमिलनाडु	33.50	10.00	–	130.00	70.00	120.00	–	–	0.06
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	8.00	8.00	24.00	–	–	–	1.00	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	500.00	–	30.00	–	–	–
26.	अंडमान व निकोबार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27.	चंड़ीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29.	दमन व दीव	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33.	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	41.50	43.50	51.00	2490.00	3085.00	3990.00	2.00	2.00	8.46

मे.वा. = मेगावाट कि.वा. = किलोवाट

विवरण-2

चालू वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए निर्धारित किए गए कार्यक्रम वार वास्तविक लक्ष्यों के विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम/योजना	2000-2001 के लिए वास्तविक लक्ष्य
1	2	3
1.	पवन विद्युत	200 मेगावाट
2.	बायोमास विद्युत/सह-उत्पादन	60 मेगावाट
3.	लघु जल विद्युत	40 मेगावाट
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	300 किलोवाट
5.	बायोमास गैसीफायर	7 मेगावाट
6.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा	10 मेगावाट
	कुल	317.3 मेगावाट

विवरण-3

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता के विवरण

क्रम सं.	कार्यक्रम/क्षेत्र	सब्सिडी
1	2	3
1.	पवन विद्युत	कुछ बैंचमार्क के अध्यधीन प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए उपस्कर की लागत का 60%
2.	बायोमास गैसीफायर	कोऑपरेटिव, पंचायतों, गैर-सरकारी संगठनों, केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों, व्यक्तियों/ उद्यमियों आदि के स्वामित्व वाली परियोजनाओं के लिए कुछ बैंचमार्कों पर 30 से 60%

1	2	3
3.	ग्रिड इंटरएक्टिव सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत	2 करोड़ रु./100 किग्रा. (अधिकतम)
4.	बायोमास विद्युत/सहउत्पादन पूंजीगत सब्सिडी	
	1. न्यूनतम बाहर दी जाने वाली (एक्सपोर्टेबल) विद्युत 45 मेवा. (संयुक्त उद्यम विधि के माध्यम से मिलों के समूह में)	60 बार और अधिक के लिए अतिरेक विद्युत का 35 लाख रु./मेवा. (अधिकतम 31.50 करोड़ रु./परियोजना) और 80 बार तथा अधिक की परियोजना के लिए अतिरेक विद्युत का 45 लाख रु./मेवा. (अधिकतम 40.50 करोड़ रु./ परियोजना)
	2. न्यूनतम बाहर दी जाने वाली (एक्सपोर्टेबल) विद्युत 9 मेवा. (स्वतंत्र विद्युत उत्पादक विधि (आई.पी.पी.) के माध्यम से सिंगल मिल) ब्याज सब्सिडी	60 बार और अधिक के लिए अतिरेक विद्युत का 35 लाख रु./ मेवा. (अधिकतम 6.30 करोड़ रु./परियोजना) और अतिरेक विद्युत का 45 लाख रु./मेवा. (अधिकतम 8.10 करोड़ रु./ परियोजना) ब्याज दर को 1% से 3% तक कम करना जो ब्याज दर 11% से कम न होने के अध्यधीन है।
5.	शहरी, म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्ट	
	क. पूजीगत सब्सिडी	50% तक, नवीन प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए अधिकतम 3.00 करोड़ रु. प्रति मेवा.
	ख. ब्याज सब्सिडी	वित्तीय संस्थाओं को दिए जाने के लिए ब्याज दर को 7.5% तक कम करना, जो परियोजनाओं के प्रकार के आधार पर कुछ सीमाओं के अध्यधीन है।
6.	लघु पन बिजली	
	क. पूंजीगत सब्सिडी	
	1. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	6.00 करोड़ रु. प्रति मेवा. तक
	2. मध्य हिमालय, लद्दाख और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4.50 करोड़ रु. प्रति मेवा. तक
	3. अन्य पहाड़ी क्षेत्र	3.00 करोड़ रु. प्रति मेवा. तक
	ख. ब्याज सब्सिडी	
	1. पहाड़ी क्षेत्र	7.5% से 2%
	2. अन्य क्षेत्र	5% से 1.5%

मेवा. – मेगावाट

तेल की खोज और पेट्रोलियम शोधन

***268. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में तेल की खोज और पेट्रोलियम शोधन के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदी हां, तो उभरती हुई प्रवृत्तियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कौन से नीतिगत निर्णय लिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) (1) तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज.)

के कार्यनिष्पादन का पुनरीक्षण त्रैमासिक कार्यनिष्पादन पुनरीक्षणों की पद्धति के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष, सरकार तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का साथ, उनके वार्षिक कार्यनिष्पादन लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए समझौता ज्ञापन करती है और संबंधित वर्ष के पूरा होने पर लक्ष्यों की तुलना वास्तविक उपलब्धियों से की जाती है और तदनुसार कार्यनिष्पादन श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं।

(2) अन्वेषण में निजी/संयुक्त उद्यम क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का पुनरीक्षण विभिन्न उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों (पी.एस.सीज.) के अंतर्गत गठित प्रबंध समिति में किया जाता है जिसमें सरकार क्रास प्रतिनिधित्व हाइड्रोकार्बन महानिदेशक और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अन्य पदाधिकारी करते हैं।

(3) निजी और संयुक्त उद्यम रिफाइनरियों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की कोई पद्धति नहीं है।

(ख) (1) अन्वेषण क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आइ.एल.) और निजी क्षेत्र द्वारा तेल और गैस के अनुमानित भण्डारों में की गई वृद्धि नीचे दी गई हैं:-

	1997-98	1998-99	1999-2000
तेल+तेल समतुल्य गैस (एम.एम.टी.ओ.ई.)×	29.59	85.20	63.40

2. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियां

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियों के विगत तीन वर्षों के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में उनका वास्तविक क्रूड थ्रूपुट नीचे दिए अनुसार हैं:-

1998-99	1999-2000		1997-98			
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
क्रूड थ्रूपुट (एम.एम.टी.पी.ए.)××	59.450	61.314	63.705	64.466	67.815	68.835

(ग) (1) तेल का देशज उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) निम्नलिखित जैसे गहन अन्वेषण क्रियाकलापों के माध्यम से नए हाइड्रोकार्बन भण्डारों की खोज करना, मौजूदा क्षेत्रों में अधिकाधिक गहराई में अन्वेषण, गहरे पानी वाले और सीमावर्ती क्षेत्रों तक अन्वेषण क्रियाकलापों का विस्तार, अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोली के विभिन्न दौरों और नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के माध्यम से अन्वेषण क्रियाकलापों में अधिकाधिक निजी सहभागिता जिसके अंतर्गत 12 अप्रैल, 2000 को 22 उत्पादन हिस्सेदारी ठेकों पर हस्ताक्षर किए गए।

(2) नई खोजों का तीव्रतर विकास।

(3) बेहतर रिजर्वायर प्रबंधन एवं उन्नत और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन का इष्टतमीकरण।

(2) सरकार ने देश में परिशोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार द्वारा और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र में नई रिफाइनरियां खोल कर परिशोधन क्षमता में वृद्धियों की अनुमति प्रदान करना।

(2) जून, 1998 में परिशोधन क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त किया जाना।

(3) जून, 2000 से परिशोधन क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी सीधे निवेश की अनुमति प्रदान करना।

टिप्पणी:-

× एम.एम.टी.ओ.ई: मिलियन टन में तेल+तेल समतुल्य गैस

×× एम.एम.टी.पी.ए: मिलियन टन प्रतिवर्ष।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन हेतु डीजल का उपयोग

***269. श्री सुकदेव पासवान:**
श्री सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन हेतु डीजल के उपयोग के संबंध में कोई सर्वसम्मति बनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निर्णय कब तक प्रभावी किए जाने की संभावना है;

(ग) इससे कितनी विद्युत का उत्पादन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने डीजल के उपयोग से विद्युत उत्पादन की लागत का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ताप विद्युत तथा जल विद्युत की उत्पादन लागत की तुलना में इसकी उत्पादन लागत कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा नवंबर, 1995 में घोषित एवं अद्यतन तरल ईंधन नीति जहां विद्युत उत्पादन के लिए कुछ तरल ईंधन के प्रयोग की अनुमति देती है, वहीं इस उद्देश्य के लिए उच्च स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) के प्रयोग को अनुमति नहीं देती है। हालांकि उक्त नीति विद्युत उत्पादन के लिए विशेष मामले के रूप में ऐसे दुर्गम या पृथक क्षेत्रों में एच.एस.डी. के सीमित आधार पर प्रयोग की अनुमति देती है, जहां लघु डीजल आधारित क्षमता स्थापित की जानी है और जहां पर अन्य ईंधन का प्रयोग व्यावहारिक नहीं है। सरकार ने हाल ही में विद्युत उत्पादन में ईंधन के रूप में घरेलू आयात पर केवल मामला दर मामला आधार पर तभी विचार किया जाएगा जब घरेलू एच.एस.डी. की उपलब्धता में कमी हो। इस आशय से शीघ्र ही संकल्प जारी होने की संभावना है।

(ग) कुछ अन्य तरल ईंधनों की तरह एच.एस.डी. विद्युत परियोजनाओं के लिए ईंधन का और भी विकल्प खुलेगा क्योंकि अन्य ईंधनों की अपेक्षा एच.एस.डी. ईंधन के कुछ विशेष लाभ हैं और इसे विद्युत संयंत्र अंतरिम आधार पर वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं जिसे अंततः गैस से इसकी उपलब्धता के आधार पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ईंधन के रूप में एच.एस.डी. के प्रयोग से उत्पादित किए जाने वाले विद्युत संबंधी लक्ष्य अब तक निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) किसी भी प्रकार के ईंधन के प्रयोग से विद्युत उत्पादन की लागत विभिन्न घटकों जैसे परिवहन लागत, कैलोरिफ्फिक मूल्य, ईंधन की मूल लागत और कर/ड्यूटी जैसे सीमा शुल्क, केन्द्रीय एवं राज्य उत्पाद कर तथा ईंधन की आपूर्ति में शामिल जोखिम आदि पर निर्भर है। हालांकि कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन एवं जल विद्युत उत्पादन की तुलना में हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) आधारित विद्युत उत्पादन संभावित रूप से अधिक महंगा होगा।

[अनुवाद]

रक्षा विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

***270. श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में सरकार से कथित रूप से स्पष्टीकरण मांगा है, जैसाकि 18 जुलाई, 2000 के "जनसत्ता" में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किए गए मंत्रालय के अनुमानित भूमि के क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रक्षा विभाग की भूमि को खाली करवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) डॉ. बी.एल. बढ़ेरा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने संपूर्ण देश की रक्षा भूमि से अनधिकृत कब्जे हटाए जाने के वास्ते प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। तथापि, इस संबंध में माननीय न्यायालय से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों/राज्य सरकारों ने अनुमानतः 13786.86 एकड़ रक्षा भूमि पर अनधिकृत/अवैध कब्जा किया हुआ है। रक्षा संपदा महानिदेशक और सेना मुख्यालयों को छावनी अधिनियम, 1924 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुसार अनधिकृत कब्जे हटाए जाने की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अनधिकृत कब्जों का पता लगाना और उसे खाली करवाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। कुछ अनधिकृत कब्जों के बारे में मुकदमे चल रहे हैं और इसलिए उन्हें खाली करवाए जाने की कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाएगी।

उर्वरक कंपनियों द्वारा अतिरिक्त मात्रा में राजसहायता को हड़प लेना

***271. श्री रघुनाथ झा:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ उर्वरक कंपनियों ने उत्पादन क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाते हुए अतिरिक्त मात्रा में राजसहायता हड़प ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्होंने कंपनीवार कितनी अतिरिक्त राजसहायता राशि का दावा किया है;

(ग) इस संबंध में जांच का यदि कोई आदेश दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कंपनीवार क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पहले गठित की गई समितियों की सिफारिशें सरकार के पास लम्बित हैं जो उर्वरकों के मूल्य निर्धारण करने के लिए धारण मूल्य योजना में विसंगतियाँ दूर करने से संबद्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) सरकार ने देश में क्षमता को कम करके बताने एवं देश में कुछ यूरिया विनिर्माता एककों द्वारा अधिक राजसहायता लेने से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए दो प्रकार की कार्यवाही की है - दण्डात्मक कार्यवाही का प्रारंभ एवं राजसहायता के रूप में ली गई अधिक रकम की वसूली। जहां तक कुछ उर्वरक कम्पनियों द्वारा अधिक राजसहायता को लेने का संबंध है, संबंधित यूरिया एककों से सही रकम की वसूली, सरकार द्वारा दिनांक 19.5.2000 के संकल्प के तहत डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट एवं उस पर सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगी। जहां तक दण्डात्मक कार्रवाई का संबंध है, मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उपलब्ध साक्ष्यों की जांच पड़ताल के लिए सौंपा गया है जिससे यह पता लगाया जा सके कि संबंधित एककों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है।

(घ) और (ङ) सरकार यूरिया एककों के लिए एक नई उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति, सरकार द्वारा जनवरी, 1997 में गठित उस उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर, तैयार कर रही है जिसने मौजूदा प्रतिधारण मूल्य सह सब्सिडी की विसंगतियों को नोट किया था और अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा एकक-वार यूरिया एककों के लिए प्रतिधारण मूल्य निर्धारण की समाप्ति की सिफारिश की थी।

उर्वरकों संबंधी मूल्य निर्धारण नीति

***272. श्री अधीर चौधरी :**
श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में यूरिया के मूल्य निर्धारण और वितरण मंत्रालय को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए उर्वरकों के मूल्य निर्धारण की एक दीर्घकालिक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस प्रकार कितनी राजसहायता बचाई जा सकेगी;

(घ) सरकार द्वारा इस नई नीति का किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) नई नीति को कब तक प्रभावी बनाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ङ) सरकार, उर्वरक क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधि नीति एवं जनवरी, 1997 में यूरिया के सब्सिडी के वर्तमान प्रणाली का पुनरीक्षण करने एवं एक व्यापक आधार वाली वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रणाली वाले विकल्प का सुझाव देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यूरिया एककों के लिए एक नई मूल्य निर्धारण नीति तैयार कर रही है। सरकार का इरादा एक ओर तो अपनी राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से उर्वरक क्षेत्र में नियंत्रण-मुक्त व्यवस्था के प्रति बढ़ने का तथा साथ ही वाजिब दाम पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध करने का है।

दीर्घावधि उर्वरक नीति की मुख्य विशेषताएं, मौजूदा प्रणाली में असामान्यताएं दूर करना, फीडस्टाक नीति, संयुक्त उद्यमों संबंधी नीति, नई मूल्य निर्धारण नीति, नई क्षमताओं के सृजन के लिए नीति, यूरिया पर चरणबद्ध रूप से वितरण नियंत्रण हटाना, दीर्घावधि मांग-आपूर्ति आकलन एवं डब्ल्यू.टी.ओ. से संबंधित मामले हैं।

दीर्घावधि उर्वरक नीति एवं यूरिया एककों के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् घोषित की जाएगी।

विधि आयोग की रिपोर्टें

*273. **डा. वी. सरोजा :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधि आयोग द्वारा अभी तक कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सभी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्रियान्वयन हेतु लंबित पड़ी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है और किस-किस मंत्रालय के पास ये लंबित पड़ी हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की संख्या 174 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी संबद्ध मंत्रालय/विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है और यदि सरकार विधि आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती है तो उनके क्रियान्वयन के लिए कार्रवाई की जाती है। विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई कुल 174 रिपोर्टों में से 170 रिपोर्टें संसद् के दोनों सदनों के पटलों पर रखी जा चुकी हैं। कार्यान्वित की गई रिपोर्टों की संख्या 91 है और ऐसी रिपोर्टों की संख्या 33 है जो स्वीकार नहीं की गई हैं/जिनमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। कार्यान्वयन/विचार के लिए लंबित रिपोर्टों की संख्या, जिनमें संसद् में रखी जाने वाली चार रिपोर्टें भी सम्मिलित हैं, 50 है।

कार्यान्वयन/विचार के लिए लंबित रिपोर्टों का ब्यौरा और उन मंत्रालयों/विभागों के नाम, जिनमें वे लंबित हैं, दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विभाग संबद्ध गृह मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस मंत्रालय की अनुदान मांगों (1999-2000) पर अपनी 56वीं रिपोर्ट और अनुदान मांग (2000-2001) पर 61वीं रिपोर्ट में जैसी कि यह सिफारिश की गई है कि संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को प्रेरित किया जाना चाहिए और लंबित रिपोर्टों के कार्यान्वयन के संबंध में, प्रगति पर नजर रखने के लिए मास में एक बार नियतकालिक बैठकें बुलाई जा सकती हैं, उनसे पत्र-व्यवहार की मार्फत आग्रह किया गया और साथ ही इस विभाग में विभिन्न तारीखों को अनेक बैठकें आयोजित की गईं और परिणामस्वरूप, लंबित रिपोर्टों पर विचार/कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।

विवरण

क्र.सं.	रिपोर्ट सं.	विषय
1	2	3
विधायी विभाग		
1.	6वीं	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम।
2.	13वीं	संविदा अधिनियम।
3.	17वीं	न्यास अधिनियम, 1882 ।
4.	34वीं	भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ।
5.	56वीं	सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 से भिन्न, वाद की सूचना के बारे में कानूनी उपबंध।

1	2	3
6.	60वीं	साधारण खंड अधिनियम।
7.	65वीं	विदेशी विवाह-विच्छेद की मान्यता।
8.	69वीं	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ।
9.	70वीं	संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 ।
10.	83वीं	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 के कुछ उपबंध।
11.	86वीं	विभाजन अधिनियम, 1893 ।
12.	89वीं	परिसीमा अधिनियम, 1963 ।
13.	90वीं	भारत में क्रिश्चियनों के बीच विवाह-विच्छेद के आधार : भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 10 ।
14.	94वीं	अवैध या अनुचित रूप से अभिप्राप्त साक्ष्य : प्रस्तावित धारा 166क, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ।
15.	98वीं	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और धारा 26 : विवाह विषयक कार्यवाहियों में बालकों के लिए अंतरिम भरण पोषण के लिए आदेश।
16.	108वीं	वचन-विबन्ध।
17.	111वीं	घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 ।
18.	113वीं	पुलिस अभिरक्षा में क्षति - प्रस्तावित धारा 114ख, साक्ष्य अधिनियम, 1872।
19.	133वीं	अप्राप्तवय बालकों की संरक्षकता और अभिरक्षा से संबंधित मामलों में स्त्रियों के विरुद्ध विभेद दूर करना और कल्याणकारी सिद्धांत का विस्तार।
20.	136वीं	केन्द्रीय विधियों की बाबत उच्च न्यायालय के विनिश्चयों में विरोध - इसे कैसे रोका और क्या समाधान निकाला जाए।
21.	148वीं	1947 से पूर्व के कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों का निरसन।
22.	150वीं	सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम संख्याक 5) में कुछ संशोधनों के सुझाव।
23.	153वीं	अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण।
24.	159वीं	विधियों का निरसन और संशोधन : भाग-1 ।
25.	163वीं	सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1997 ।
26.	164वीं	भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम (1869 का 4)।
27.	168वीं	अवक्रय अधिनियम, 1972 ।
28.	170वीं	निर्वाचन विधियों में सुधार।

1	2	3
29.	174वीं	महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार : हिन्दू विधि के अधीन प्रस्तावित सुधार।
डाक विभाग		
30.	38वीं	भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 ।
आर्थिक कार्य विभाग		
31.	11वीं	परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 ।
32.	66वीं	विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, 1874 ।
33.	82वीं	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अधीन नामनिर्देशन का प्रभाव।
34.	112वीं	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 ।
राजस्व विभाग		
35.	67वीं	भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 ।
36.	155वीं	स्वापक और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम सं. 61)।
37.	162वीं	केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सीमाशुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण और आय-कर अपील अधिकरण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन।
गृह मंत्रालय		
38.	87वीं	बंदी शनाख्त अधिनियम, 1920 ।
39.	154वीं	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2)।
40.	156वीं	भारतीय दंड संहिता।
41.	172वीं	बलात्संग विषयक विधियों का पुनर्विलोकन।
42.	173वीं	आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 ।
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग		
43.	158वीं	उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 का संशोधन।
माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग		
44.	123वीं	न्याय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण : उच्चतर शिक्षा केन्द्रों से संबंधित विवाद।
45.	160वीं	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 52) में संशोधन।
बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग		
46.	165वीं	बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
पोत परिवहन विभाग		
47.	151वीं	नावधिकरण विषयक अधिकारिता।

1	2	3
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग		
48.	166वीं	भ्रष्ट लोक सेवक (संपत्ति समपहरण) विधेयक।
रक्षा मंत्रालय		
49.	169वीं	सेना, नौसेना और वायु सेना अधिनियमों में संशोधन।
पर्यावरण और वन मंत्रालय		
50.	171वीं	जैव विविधता विधेयक।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग को आघात

***274. श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बाजार में विदेशी वस्त्रों के आगमन के परिणामस्वरूप भारतीय वस्त्र उद्योग को आघात लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी वस्त्रों के आयात से उन मिलों के लिए खतरा पैदा हो गया है जो पहले से बंद होने के कगार पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) हालांकि फैब्रिकों के आयात में वृद्धि दृष्टिगत हुई है, आयात की मात्रा देश में निर्मित फैब्रिक की कुल मात्रा की तुलना में 1% भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, फैब्रिकों के आयात का एक भाग मूल्यवर्द्धित निर्यात के लिए अग्रिम लाइसैंस के आधार पर होता है।

सरकार आयात पर निगरानी रख रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगी कि आयात के कारण घरेलू उद्योग को किसी प्रकार की गंभीर हानि अथवा नुकसान न हो। यदि अनुचित व्यापार की प्रक्रियाओं का कोई मामला ध्यान में आता है तो यदि आवश्यक हुआ तो डब्ल्यू.टी.ओ. के पाटनरोधी, प्रतिकारी उपायों आदि के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार वस्त्र उद्योग को सुरक्षित रखने और सुदृढ़ बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठा रही है। कुछेक महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना लागू की गई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह अधिक प्रतियोगी बन सके।

(2) शुल्क की 5% रियायती दर पर निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात की सुविधा।

(3) कुछ श्रेणियों की ट्रिमिंग और अलंकरण का शून्य शुल्क आयात।

(4) सरकार ने हाल ही में कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया है। इस मिशन के महत्वपूर्ण अंगों में से एक मौजूदा जिनिंग और प्रेसिंग फैक्टरियों को उन्नत/आधुनिक बनाकर कपास प्रसंस्करण की सुविधाओं में सुधार लाना है।

(5) कुछ अपवाद से वस्त्र क्षेत्र में स्वचल मार्ग द्वारा 100% तक विदेशी इक्विटी सहभागिता की स्वीकृति देना।

(6) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करके आयात देशों की पारिस्थितिकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने वस्त्र और परिधान उद्योग को तैयार करना तथा सुग्राही बनाना।

(7) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) अपनी 6 शाखाओं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्रों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहा है जिससे डिजाइन, वाणिज्यकीकरण और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(8) वस्त्र निर्यातों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रोत्साहन देने तथा स्थिरता और निरंतरता प्रदान करने के लिए वर्ष 2000-2004 की अवधि के लिए नव निर्यातक हकदारी (कोटा) नीतियों की घोषणा की गई है।

कोंकण रेल निगम द्वारा उठाया जा रहा घाटा

*275. **श्री राजो सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोंकण रेल परियोजना के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या संबंध कोंकण रेलवे निगम वर्तमान में भारी घाटे में चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोंकण रेल निगम को लाभप्रद बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) कोंकण रेलवे परियोजना के निर्माण पर लगभग 3550 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

(ख) और (ग) कोंकण रेलवे अपने संचालन व्यय को पूरा करने के लिए सक्षम है। बहरहाल, निर्माण कार्य करने के लिए बाजार से प्राप्त किए गए ऋणों को चुकाने के कारण कोंकण रेलवे वित्तीय कठिनाई में है। रेल परियोजनाओं में, उनकी प्रकृति के अनुसार, भारी पूंजी का निवेश अपेक्षित होता है। अत: इस परियोजना की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त यातायात उपार्जन करने में कई वर्ष लगते हैं। वर्ष 1999-2000 के लिए कोंकण रेलवे परियोजना का वित्तीय ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) आय	130.21 करोड़ रुपए
(2) व्यय	111.67 करोड़ रुपए
(3) (क) लीज प्रभार	19.96 करोड़ रुपए
(ख) वित्त प्रबंध लागत	313.99 करोड़ रुपए
	403.21 करोड़ रु.
(ग) मूल्य ह्रास	69.26 करोड़ रुपए
वित्तीय घाटा	(2)+(3)-(1)
	=111.67+403.21-130.21
	=384.67 करोड़ रु.

(घ) रेलवे कोंकण रेलवे की अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए गहन प्रयास कर रही है। पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के अलावा, यातायात को आकर्षित करने के लिए, जहां कहीं संभव हो, रेल द्वारा सड़क वाहनों के संचलन और स्टेशन से स्टेशन तक की दरें प्रस्तुत करने के लिए रो-रो (रोल ऑन रोल ऑफ) नामक एक नई सेवा शुरू करने जैसे कुछ उपाय इस दिशा में किए गए हैं। इस प्रणाली के लिए अधिक यातायात आकर्षित करने के उद्देश्य से कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थानीय उद्योग से संपर्क करने के लिए जोरदार तरीके से विपणन करना शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त देश के अन्दर अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं शुरू करने के लिए कोंकण रेलवे को अपनी निर्माण सुविज्ञता का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी गई है ताकि यह रेलवे और संसाधन जुटा सके।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

*276. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सहित बारह राज्य विद्युत वित्त निगम के सहयोग से अपने-अपने विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे इन राज्यों में विद्युत व्यवस्था के सुधार में कहां तक मदद मिलेगी;

(घ) ऐसे कुल कितने राज्य हैं जिन्होंने अभी तक अपने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के विषय में सहमति नहीं दी है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से उनके राज्य विद्युत बोर्डों की पुनर्गठित करने का आग्रह करती रही है; और

(च) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) से (च) राज्य जो कि पावर फाइनेंस कार्पोरेशन की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ अपने विद्युत क्षेत्र में सुधार व पुनर्संरचना कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं वे असम, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर हैं। यह प्रत्याशा की जाती है कि राज्य विद्युत क्षेत्र के सुधार व पुनर्संरचना से अधिकाधिक

जिम्मेवारी, यूटिलिटियों के कार्य निष्पादन में सुधार, हानियों में कमी तथा वित्तीय व्यवहार्यता आदि पैदा होगी। इससे विद्युत स्थिति में सुधार लाने और अपेक्षित निवेशों को आकर्षित करने में सहायता प्राप्त होगी।

केन्द्र सरकार पूरे देश में विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया में गति लाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करती रही है। विद्युत एक समवर्ती विषय होने के नाते भारत सरकार सुधार कार्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर एक आम सहमति बनाने के लिए सचेत प्रयास करती रही है। इस पहल के एक भाग के रूप में मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के साथ कई बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 26.2.2000 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के गत सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि सुधार कार्य दृढ़ निश्चय, उत्साह और आवश्यकता के अनुरूप आरंभ किए जाने चाहिएं। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में तैयार की गई सुधार नीति के मुख्य घटक निम्न हैं:-

(1) सभी स्तरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा।

(2) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग का समयबद्ध कार्यक्रम।

(3) एक निर्धारित अवधि के भीतर विद्युत चोरी में कमी लाना और अंततः विद्युत चोरी को दूर करना।

(4) प्राथमिकता आधार पर उपकेन्द्र को एक यूनिट मानते हुए उप पारेषण और वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।

यदि विद्यमान व्यवस्था में उपर्युक्त प्राप्त होने योग्य प्रतीत नहीं होता है तो वितरण का निगमीकरण/सहकारिताकरण/निजीकरण आरम्भ करना पड़ेगा।

अधिकतर राज्यों से प्रतिक्रिया अधिक उत्साहवर्धक रही हैं। चौदह राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एस.ई.आर.सी.) की स्थापना कर ली हैं। छः राज्यों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण कार्यों के लिए अलग-अलग कम्पनियों के रूप में अपने संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों का पहले ही विकेन्द्रीकरण कर चुके हैं। उड़ीसा ने अपने वितरण नेटवर्क का पूर्णतः निजीकरण कर लिया है और अंशतः अपनी ताप विद्युत कम्पनी का निजीकरण किया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के साथ संज्ञा-ज्ञापन/समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें समयबद्ध तरीके से अपने विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए राजी हो गए हैं और भारत सरकार इसकी प्राप्ति के लिए अपेक्षित आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

विद्युत वित्त निगम की उपलब्धियां

***277. प्रो. दुखा भगत :**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत वित्त निगम ने विभिन्न राज्यों में विद्युत असंतुलन को कम करने में कोई विशेष सफलता हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यवार कुल कितना वार्षिक ऋण उपलब्ध कराया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): (क) और (ख) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन की स्थापना विद्युत क्षेत्र में पिवोटल डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीटियूशन के रूप में की गई थी। विद्युत क्षेत्र के सन्तुलित तथा सम्पूर्ण देश में यूटिलिटियों एवं विद्युत परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए यह निगम विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को उचित प्राथमिकता देता है। विभिन्न राज्यों के बीच विद्युत असंतुलन को कम करने के लिए चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को पूरा करने, विद्युत की निकासी के लिए विलुप्त पारेषण संयोजनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा कार्यावधि विस्तार, एवं प्रणाली सुधार पर जोर दिया गया है। विद्युत क्षेत्र में सुधारों को गति प्रदान करने के लिए सरकार नोडल एजेंसी के रूप में पी.एफ.सी. के विकास को समर्थन प्रदान करती रही है। पी.एफ.सी. उत्तरोत्तर रूप से देश में निजी विद्युत उत्पादकों की निधियों की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

(ग) पावर फाइनेंस कार्पोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराए गए क्रमों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पी.एफ.सी. द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य-वार ऋण

(लाख रुपये में)

राज्य	1997-98 के दौरान	1998-99 के दौरान	1999-2000 के दौरान
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	9023	15026	46497

1	2	3	4
असम	–	–	4474
गोवा	9	372	984
गुजरात	9500	21542	13620
हरियाणा	1670	8730	20249
हिमाचल प्रदेश	1599	2922	9686
कर्नाटक	27198	31063	25439
केरल	5129	2482	613
मध्य प्रदेश	22901	22391	25816
महाराष्ट्र	42347	43023	37453
मेघालय	3	–	–
मिजोरम	–	1171	32
नागालैंड	2584	1286	1402
उड़ीसा	10000	16970	11247
पंजाब	34133	22060	28378
राजस्थान	27718	35583	29560
तमिलनाडु	10410	14496	17277
उत्तर प्रदेश	–	5155	4661
पश्चिम बंगाल	3403	5232	4563
कुल	207626	249483	281949
केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों को सावधि ऋण	–	–	28866
निजी विद्युत यूटिलिटियों को सावधि ऋण	–	15250	29605
कुल जोड़	207626	264733	340420

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों द्वारा डाक मत पत्रों के माध्यम से मतदान किया जाना

*278. **श्री विजय गोयल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध सैनिक बल के कार्मिकों को डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान किए जाने की सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें ये मतपत्र समय पर जारी किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इनमें से अलग-अलग कितने-कितने व्यक्तियों के द्वारा वर्ष 1998 और 1999 के चुनावों में इस सुविधा का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार सशस्त्र बलों के लिए प्रॉक्सी मतदान का अधिकार दिए जाने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) संघ के सशस्त्र बलों, जिनमें अर्द्धसैनिक बल भी हैं, और किसी ऐसे बल के सदस्य, जिसे सेना अधिनियम, 1950 के उपबंध लागू किए गए हैं, अन्य बातों के साथ-साथ, डाक मतपत्र द्वारा मत देने के पात्र हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि प्रवर्ग-वार सेवा नियोजित मतदाताओं का विवरण देना संभव नहीं है और न ही उसके पास सशस्त्र बलों के कार्मिकों आदि के संबंध में, पृथक आंकड़े उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) सरकार ने सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों को निर्वाचनों में परोक्षी प्रणाली के माध्यम से मत देने के लिए अतिरिक्त विकल्प देने का विनिश्चय किया है। तद्नुसार, 9.12.1999 को निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था जिसकी विभाग संबद्ध गृह मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

फ्लोटिंग स्टोरेज आदि के लिए ठेका

*279. **श्री आर.एल. भाटिया:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन भारतीय नौवहन निगम को फ्लोटिंग स्टोरेज और तेलों की उतराई का ठेका देने से मुकर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) साजसम्भाल की जाने वाली मात्रा के मुकाबले वर्तमान लाइट्रेज प्रचालन सम्पन्न करने के लिए आई.ओ.सी. ने बंगाल की खाड़ी में सैंडहैड्स में और आसपास 3,00,000 एम टी की क्षमता के फ्लोटिंग स्टोरेज और तेलों की उतराई (एफ एस ओ) रखने का प्रस्ताव किया है। आरम्भ में नामांकन आधार पर भारतीय नौवहन निगम (एस सी आई) को एक उपयुक्त एफ एस ओ पद्धति प्रदान करने की संभावना का पता लगाया गया था। यह आई ओ सी और एफ सी आई के बीच द्विपक्षीय वाणिज्यिक सौदा है जिसमें निर्णय संबंधित कंपनियों के बोर्ड द्वारा अपनी वाणिज्यिक सूझबूझ और जरूरतों के आधार पर लिये जाते हैं।

तेल उत्पादक और निर्यातक देशों की बैठक

*280. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 2000 में हुए तेल उत्पादक और निर्यातक देशों (ओपेक) के सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने तेल उत्पादक और निर्यातक देशों के सम्मेलन में विकासशील देशों पर पेट्रोलियम मूल्यों के भार को कम करने के उद्देश्य से तेल के द्विस्तरीय मूल्य निर्धारण के संबंध में कोई दृष्टिकोण अपनाया है;

(ग) यदि हां, तो तेल उत्पादक और निर्यातक देश किस सीमा तक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को घटाने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(घ) तेल उत्पादक और निर्यातक देशों की तेल के द्विस्तरीय मूल्य निर्धारण के कारण भारतीय उपभोक्ताओं के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) जी नहीं। तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की बैठक में केवल ओपेक के सदस्यों ने भाग लिया था।

भारत ने 11 से 15 जून, 2000 की अवधि के दौरान कैलगेरी, कनाडा में आयोजित विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सम्मेलन के दौरान डा. रिलवान् लुकमान, ओपेक महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक की जिसमें भारत ने विकासशील देशों पर पेट्रोलियम मूल्य के बोझ को कम करने के लिए द्विस्तरीय तेल मूल्य का सुझाव दिया।

फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य संवेदनशील हैं तथा इनमें अत्यधिक उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों के रुझान का हमारे आयात बिल तथा घरेलू मूल्यों पर असर पड़ता है।

"पद आधारित रोस्टर" की शुरुआत

2862. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.ओ.पी.टी. ने दिनांक 2 जुलाई, 1997 से आरक्षण प्रणाली लागू करने हेतु "रिक्ति आधारित रोस्टरों" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टर शुरू करते समय रक्षा मंत्रालय तथा सभी स्वायत्तशासी/वैधानिक संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन सेवाओं की 1, 2, 3 तथा 4 किसी श्रेणी में अधिक/कम कर्मचारियों का पता लगाने की प्रक्रिया में दिनांक 2 जुलाई, 1997 के डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/2/96 प्रतिष्ठान (नि.) के पैरा (5) का अनुपालन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो दिनांक 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार उक्त सेवाओं की सभी श्रेणियों में अधिक/कम कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर अधिक/कम कर्मचारियों का पता लगाने के लिए उक्त कार्यालय ज्ञापन संख्या का उल्लेख किये बिना प्रक्रिया को पूरा किया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) यह व्यवस्था आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य व जे.सी. मलिक बनाम रेल मंत्रालय के मामले में उच्चतम न्यायालय

की संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार आरक्षण नीति अपनाने के लिए लागू की गई है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण पदों पर लागू होना चाहिए न कि रिक्तियों पर।

(ग) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

''रोल आन रोल आफ'' सेवाओं का कार्यनिष्पादन

2863. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने प्रयोग के आधार पर कुछ वर्ष पूर्व कोंकण रेलवे में ''रोल आन-रोल आफ'' सेवाओं की शुरुआत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ये सेवायें सफल हुई;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजमार्गों पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए पूरे देश में अन्य रेलों द्वारा ''रोल आन-रोल आफ'' सेवाएं कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जनवरी, 1999 से, जब से सेवाएं शुरू की गई थी। 31 मई 2000 तक वित्तीय ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(लाख रुपयों में)

सकल आमदनियां	427.53 रु.
कुल खर्च	393.39 रु.
शुद्ध आधिक्य	34.14 रु.

(घ) भारतीय रेलों पर इस सेवा को शुरू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। निजी क्षेत्र के जरिए इस सेवा को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। मालडिब्बों और इस सेवा के विपणन शुरू करने में निवेश करने के लिए प्रवर्तक की आवश्यकता होगी। भारतीय रेलें ढुलाई सहित अन्य अवसंरचनात्मक सहायता मुहैया कराएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की खाली जमीन की बिक्री

2864. डा. जसवंत सिंह यादव:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की खाली पड़ी और फालतू जमीन की बिक्री करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने मिलों के नाम के साथ-साथ उनकी फालतू जमीन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उसके लिए संबंधित राज्य सरकारों की मंजूरी ले ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन कारणों से सरकार ऐसा निर्णय करने के लिए विवश है;

(ङ) उक्त जमीन की बिक्री से मिलों को अनुमानित कितनी धनराशि प्राप्त होगी;

(च) क्या कुछ धनराशि को संबंधित मिलों के पुनरुद्धार और उनमें काम करने वाले कामगारों के वेतन तथा अन्य देनदारियों के भुगतान पर खर्च किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार ने वर्ष 1995 में एन.टी.सी. के लिए सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया था और सहायक निगमों/मिलों के पुनरुद्धार के लिए निधियाँ प्रदान करने के लिए मुख्य संसाधन के रूप में बेशी भूमि को बेचना अभिज्ञात किया था। इस समय सरकार एन.टी.सी. मिलों के लिए अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रही है, जिसके लिए संसाधनों की व्यवस्था मिलों की बेशी भूमि को बेचने से की जानी प्रस्तावित है।

(ख) एन.टी.सी. ने सभी मिलों के लिए ऐसा एक अध्ययन किया है।

(ग) और (घ) दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों ने भूमि को बेचने के लिए बिना किसी शर्त के अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने भूमि को बेचने के लिए सशर्त अनुमति दी

है। बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने अभी अपना उत्तर नहीं दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि को बेचने की अनुमति नहीं दी है। राज्य सरकारों की अनुमति शहरी भूमि उच्चतम सीमा अधिनियम, मूल आवंटन की शर्तों, भूमि के प्रयोग के परिवर्तन आदि जैसे अनेक कारणों के लिए लेना आवश्यक है।

(ङ) हालांकि, बेशी भूमि का मिल-वार मूल्यांकन किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र जहां कि अधिकांश बहुमूल्य भूमि स्थित है, सशर्त अनुमति देने के कारण बेशी भूमि से वसूल किए जाने वाले मूल्य के बारे में अनिश्चितता है।

(च) और (छ) बेशी भूमि की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाएगा।

विद्युत करघा क्षेत्र को प्रोत्साहन

2865. श्री सुरेश चन्देल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यह जानने के लिए कि इस समय देश में कितने विद्युत करघे काम कर रहे हैं-कोई आकलन या सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विद्युत करघा उद्योग की बदहाल होती स्थिति और विद्युत करघा इकाईयों की संख्या के कम होते जाने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विद्युत करघा उद्योगों की संख्या का कम होना रोकने के लिए विशेष उपाय करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा विद्युत करघा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ङ) देश भर में इस समय काम कर रहे विद्युतकरघों की संख्या लगभग 15,58,000 है। राज्य-वार विद्युतकरघों की संख्या निम्नलिखित है:

(अनंतिम)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	विद्युतकरघों की संख्या
आंध्र प्रदेश	44683
असम	2726
बिहार	2870
दिल्ली	1102
गोवा	122
गुजरात	308165
हरियाणा	9882
हिमाचल प्रदेश	1302
जम्मू और कश्मीर	शून्य
कर्नाटक	58611
केरल	3252
मध्य प्रदेश	40046
महाराष्ट्र	663059
उड़ीसा	3281
पंजाब	22432
राजस्थान	32568
तमिलनाडु	292885
उत्तर प्रदेश	65366
पश्चिम बंगाल	4339
दादर नगर हवेली	464
पांडिचेरी	830

विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र सहित वस्त्र क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में चल रही आम मंदी की स्थिति से गुजर रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युतकरघा क्षेत्र की प्रौद्योगिकी अप्रचलन, कुछ राज्यों में अधिक विद्युत प्रभार आदि समस्याएं हैं।

भारत सरकार ने विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) का क्रियान्वयन जो अन्य बातों के साथ-साथ विद्युतकरघा क्षेत्र को भी कवर करती है।

(2) 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों (पी.एस.सी.) के माध्यम से बुनकरों की जागरूकता बढ़ाना तथा प्रशिक्षण, परामर्श, कौशल उन्नयन का प्रावधान।

(3) अन्य बातों के साथ-साथ विद्युतकरघा क्षेत्र (अब तक 14 विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया गया है) द्वारा तैयार फैब्रिकों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन।

(4) कामगारों के लाभार्थ समूह बीमा योजना।

(5) विद्युतकरघों के निर्यातकों को संयुक्त राज्य अमरीका/ यूरोपीय संघ जैसे कोटा बाजारों की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विद्युतकरघा निर्यातक हकदारी प्रणाली के माध्यम से 15% निर्यात कोटा का प्रावधान।

(6) विद्युतकरघा क्षेत्रों के लिए विद्युत प्रभार (सूची) के व्यवस्थीकरणी के प्रश्न को राज्य सरकारों के साथ उठाना।

(7) अन्य बातों के साथ-साथ विद्युतकरघा क्षेत्र के लाभार्थ वस्त्र अनुसंधान संघों के माध्यम से अनुसंधान परियोजना को प्रारंभ करना।

(8) उच्च शक्ति प्राप्त अखिल भारतीय विद्युतकरघा बोर्ड के माध्यम से विद्युतकरघा क्षेत्र के साथ आवधिक बातचीत करते रहना।

सूती कपड़ा मिलें

2866. श्री रामानंद सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन-कौन सी सूती कपड़ा मिलें हैं और वे कहाँ-कहां स्थित हैं तथा इस समय इन मिलों में राज्य-वार/मिल-वार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने मिलें घाटे में चल रही हैं अथवा रुग्ण घोषित हुई हैं;

(ग) इन मिलों के बन्द होने के कारण कितने कामगार प्रभावित हुए हैं;

(घ) सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) सरकार ने इन मिलों को पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) 30.6.2000 तक की स्थिति अनुसार, देश में सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों तथा उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मिलों की संख्या	कामगारों की संख्या
आंध्र प्रदेश	98	49169
असम	8	3322
बिहार	9	3578
दिल्ली	1	1318
गोवा	1	182
गुजरात	149	173819
हरियाणा	78	23431
हिमाचल प्रदेश	16	16264
जम्मू और कश्मीर	2	4113
कर्नाटक	59	36906
केरल	36	16657
मध्य प्रदेश	60	59651
महाराष्ट्र	206	177387
मणिपुर	1	304
उड़ीसा	16	15710
पंजाब	72	58743
राजस्थान	53	58218
तमिलनाडु	860	201247
उत्तर प्रदेश	74	82418
पश्चिम बंगाल	39	41126
दमन और दीव	3	371
दादर नगर हवेली	3	1318
पांडिचेरी	11	7985
कुल	1855	1033237

(ख) और (ग) 30.4.2000 तक की स्थिति के अनुसार, बी.आई.एफ.आर. के पास पंजीकृत रुग्ण मिलों की संख्या 445 है और बंद मिलों की कुल संख्या 356 है। इन मिलों के बंद होने के कारण प्रभावित कामगारों की संख्या 3,40,000 (लगभग) है।

(घ) और (ङ) प्रभावित कामगारों के पुनर्वासन और इन मिलों को पुनरुज्जीवित करने के लिए उठाए गए/उठाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नानुसार हैं:

भारत सरकार ने रुग्ण और संभाव्य रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के संबंध में उठाए जाने वाले जरूरी निषेधात्मक, सुधारात्मक और उपचारात्मक उपायों का तेजी से पता लगाने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, एस.आई.सी.ए. 1985 बनाया है और बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की है। बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनर्वासन योजनाओं में विभिन्न उपाय शामिल हैं जैसे पूंजी का पुनर्निर्माण, प्रवर्तकों द्वारा नई निधियाँ जुटाना, अन्य कंपनियों के साथ समामेलन, प्रबंधन का परिवर्तन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी और सावधिक ऋणों की व्यवस्था करना।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1985 की वस्त्र नीति के विवरण-पत्र के अनुसरण में सरकार ने निजी क्षेत्र में वस्त्र मिलों के स्थायी रूप से आंशिक रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना बनाई है। वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना का उद्देश्य पात्र कामगारों को केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना के मानदण्डों के अनुसार टैपरिंग आधार पर प्रथम वर्ष में वेतन के 75%, द्वितीय वर्ष में 50% और तृतीय वर्ष में 25% के बराबर अंतरिम राहत प्रदान करना है।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थ बाहर भेजे गए अधिकारी

2867. श्री भेरुलाल मीणा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामान्य/लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अधिकारियों की शैक्षिक, प्रबंधकीय, प्रशासकीय तथा तकनीकी कार्य क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें कुछ प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थ नामित करती है, जिसका खर्च राजकोष पर आता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु और दीर्घावधि दोनों प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए ऐसे अधिकारियो में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी थे; और

(घ) उक्त प्रकार के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के अधिकारियों को नामित न करने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों को कोलम्बो योजना, यू.एस. सहायता जैसे तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भी नामित किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण संबंधी लागतों का वहन अधिकांशत: अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा कुछ मामलों में अंतर-राष्ट्रीय यात्रा लागत का वहन सरकार/विद्युत मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के.वि.प्रा. एवं विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से 75 अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इनमें से तीन अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा दावों की अदायगी

2868. श्री रमाकान्त यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धारा 104 के अंतर्गत खुले वैगनों में बुक किए गए माल और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 93, 99 एवं 21 (बी) के अंतर्गत बन्द वैगनों में बुक किए गए माल के दावों के भुगतान के लिए रेलवे उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल दावा कार्यालय भविष्य में रेलवे के जोखिम पर बुक किए गए दावों का भुगतान करेगा;

(ग) क्या उत्तर रेलवे के वाराणसी दावा कार्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठों में दायर किये गये दावों के लिए अपील मामलों की समीक्षा करने के बाद इन्हें वापस लेने का फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो 1 जनवरी 2000 से 30 जून, 2000 के दौरान उत्तर रेलवे के वाराणसी दावा कार्यालय द्वारा वापस लिए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। जब कभी परेषकों की सहमति से माल को खुले माल डिब्बों में ढोया जाता है, तो उसके नष्ट, क्षतिग्रस्त अथवा माल की खराबी होने की अवस्था में रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी आम तौर पर देय धनराशि की आधी होगी। नुकसान, नष्ट, क्षतिग्रस्त, खराब होने अथवा बंद मालडिब्बों में दर्ज परेषण की गैर-सुपुर्दगी के कारण प्राप्त होने वाले क्षतिपूर्ति दावों की रेलवे द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, उसके बाद ही दावे को रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों की धाराओं के तहत निपटाया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नागपुर विमानपत्तन का उन्नयन

2869. श्री सुबोध मोहिते: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार से नागपुर विमानपत्तन का उन्नयन एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में करने और वहां रक्षा मंत्रालय की खाली पड़ी जमीन का उपयोग करके वहां पर एक कार्गो "हब" का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) नागपुर में रक्षा भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का निर्माण करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री की ओर से दिसंबर, 1998 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, भारतीय वायुसेना के लिए इस भूमि की संक्रियात्मक आवश्यकता होने के कारण उक्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

नागरकोइल रेलवे स्टेशन पर स्टेबलिंग लाइनें और शंटिंग-नेक बनाना

2870. श्री पोन राधाकृष्णन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागरकोइल रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां तीन दिशाओं से रेलगाड़ियां पहुंचती हैं और वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो स्टेबलिंग लाइनों तथा दो शंटिंग-नेक बनाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रमुख जंक्शन-स्थल में दो स्टेबलिंग लाइनों और दो शंटिंग-नेक नहीं बनाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक लगा दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) नागरकोइल एक जंक्शन स्टेशन है जहां तीन दिशाओं से गाड़ियां आती हैं। नागरकोइल मौजूदा सुविधाओं के अतिरिक्त एक शंटिंग नैक, एक पिट लाइन तथा एकीकृत सिक लाइन की सुविधाओं की आवश्यकता है। इन सुविधाओं पर कार्य चल रहा है तथा इसके पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31 मार्च 2002 निर्धारित की गई है। नागरकोइल में यातायात के वर्तमान और परियोजित स्तर के लिए और अधिक स्टेबलिंग लाइन या शंटिंग-नैक की आवश्यकता नहीं है।

नैप्था आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन

2871. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विद्युत का उत्पादन कर रहे नैप्था आधारित विद्युत संयंत्रों और प्लांट लोड फैक्टर का ब्यौरा क्या है तथा जब कोयला और गैस पर आधारित अन्य विद्युत संयंत्रों और परमाणु विद्युत संयंत्रों की तुलना में प्रति इकाई लागत और कीमत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नैप्था आधारित विद्युत का मूल्य बहुत ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान नैप्था आधारित विद्युत प्रत्येक संयंत्र का लाभ और घाटा कितना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थ बाहर भेजे गए अधिकारी

2872. श्री सुरेश पासी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामान्य/लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अधिकारियों की शैशिक, प्रबंधकीय, प्रशासकीय तथा तकनीकी कार्य क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें कुछ प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थ नामित करती है, जिसका खर्च राजकोष पर आता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु और दीर्घावधि दोनों प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए ऐसे अधिकारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी थे; और

(घ) उक्त प्रकार के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को नामित न करने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अपना कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है पर नोडल मंत्रालयों/विभागों जैसे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक मामले विभाग इत्यादि द्वारा परिचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिकारियों को प्रायोजित/नामित करती है। हालांकि, नामांकन आरक्षण के आधार पर न कर के पात्रता के आधार पर किया जाता है तथा प्राप्त सभी नामांकन चयन के लिए नोडल मंत्रालय/विभाग को भेजे जाते हैं। इस चयन प्रक्रिया में रसायन और उर्वरक मंत्रालय को कोई हाथ नहीं है। पिछले तीन वर्षों में, चार अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया था, जिसके खर्च का भार सरकार ने उठाया था, तथा इनमें से दो अधिकारी अनुसूचित जाति के थे।

कर्नाटक में चल रही रेल परियोजनाएं

2873. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में चल रही रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में कार्यप्रगति क्या है और अभी तक उन पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई;

(ग) क्या कुछेक परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) कर्नाटक में चालू रेल परियोजनाओं का नाम, प्रत्येक मामले में प्रगति, मार्च, 2000 तक वहन व्यय और 2000-2001 के दौरान प्रत्येक परियोजना के लिए आबंटित धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में उल्लिखित है।

प्रत्येक परियोजना का मौजूदा स्थिति कार्य आरम्भ न करने के कारणों, जहां कहीं लागू हो और इस संबंध में किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक में रेल परियोजना

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लागत	31.3.2000 तक खर्च	2000-01 के लिए बजट परिव्यय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
			नई लाइने		
1.	बेंगलूरू-सत्यमंगलम	225.00	2.00	0.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई है, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है और शीघ्र ही पूरा होने वाला है, अंतिम

1	2	3	4	5	6
					स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने पर भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तैयार किए जाएंगे और संरेखन तैयार कर लिया जाएंगा।
2.	गडबल-रायचूर	100.41	4.22	5.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है, प्रथम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण के पूरा होने पर भूमि अधिग्रहण संबंधी योजनाएं तैयार की जाएंगी।
3.	गुलबर्गा-बीदर	242.42	1.70	2.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं, अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि पर संरेखन विछाना शुरू कर दिया गया है, कार्य भूमि उपलब्ध होने पर शुरू किया जाएगा।
4.	हसन-बेंगलूरू	408.56	45.46	9.00	हसन और श्रवणबेलगोला (40 कि.मी.) और बेंगलूरु से नीलमगाला (16 कि.मी.) के बीच भूमि उपलब्ध है, 40 कि.मी. में से 30 कि.मी. के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और हसन छोर से 30 कि.मी. के लिए पुल संबंधी कार्य का निर्माण पूरा हो गया है।
5.	हुबली-अंकोला	991.91	6.42	6.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, 128 कि.मी. लंबाई के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी योजनाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है और उन्हें 2.03 करोड़ रुपये भी जमा कर दिये गये है, कार्य भूमि उपलब्ध होते ही शुरू कर दिया जाएगा। 1.8 कि.मी. लंबाई में छोटे पूलों और मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है जहां पर भूमि अधिग्रहण शामिल नहीं है।
6.	कद्दूर-चिकमंगलौर-सकलेशपुर	157.00	9.69	2.90	80 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, 2 पहुंच मार्गों में कार्य प्रगति पर है और 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है, मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।
7.	कौट्टूर-हरिहर	120.29	0.17	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे और कागजात तैयार करने शुरू कर दिए गए हैं।
8.	मुनीराबाद- महबूबनगर	438.96	4.36	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है, 26 कि.मी. के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं, मिट्टी संबंधी और दोहरीकरण भाग के लिए छोटे पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन भागों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
			आमान परिवर्तन		
1.	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर	217.82	129.79	26.00	अरसीकेरे-हसन शकलेशपुर पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है खन्ड के शेष भाग पर मिट्टी पुल, मिट्टी संग्रहण संबंधी कार्य प्रगति पर है मंगलौर और कावकापुत्तुर (44 कि.मी.) के बीच संरचना तैयार है और कावकापुत्तुर से सुब्रहमण्यम रोड इस वर्ष पूरा हो जाएगा, घाट खंड में सुरंग को गहरा करने और किनारों को चौड़ा करने के कार्य के साथ-साथ फिसलन और ढलाव को रोकने के लिए भू-तकनीकी उपाय शुरू कर दिए गए हैं, मंगलौर सुब्रहमण्यम घाट खंड को 2001-02 में पूरा करने का लक्ष्य है और समग्र खंड दिसम्बर, 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हो।
2.	बेंगलूरु-हुबली-बिरुर-शिमोगा	450.90	397.26	2.00	बंगलूरु से हुगली तक और विरूर और शिमोगा के बीच लाइन पर कार्य पूरा हो गया है शिमोगा-तलगुप्पा पर कार्य प्रगति पर है, शिमोगा-कामसी (25 कि.मी.) तक और सागर-तलगुप्पा (15 कि.मी. तक) मिट्टी संबंधी कार्य जहां पर प्रगति 90 प्रतिशत है यह खंड हल्के यातायात वाला है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति कर रहा है।
3.	हास्पेट-हुबली-गोचा	569.46	528.44	1.00	कार्य पूरा हो गया है।
4.	मैसूर-चामराजनगर	175.00	0.00	0.10	क्राय आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।
5.	मैसूर-हसन	212.11	193.72	10.00	कृतियों पुल जिसका निर्माण मांग परिवर्तन पर किया जाएगा को छोड़कर कार्य पूरा हो गया है, पुल मार्च, 2001 तक पूरा हो जाएगा।
6.	शोलापुर-गदग	265.77	120.00	40.00	कार्य चरणों में किया जा रहा है शोलापुर बांटगी और हांटगी से बीजापुर तक कार्य पूरा हो गया है शेष खंड पर कार्य प्रगति पर है, जिसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।
7.	यशवंतपुर-सलेम	183.38	175.78	0.10	कार्य पूरा हो गया है वयानपनहल्ली से सेलम तक खंड यातायात के लिए खोल दिया गया है, बहरहाल, बयानपनहल्ली, यशवंतपुर हब्बल और लिंगरैयापुरन ने ऊपरी सड़क पुल की जनता की मांग के कारण नहीं खोला जा सका है राज्य सरकार इसके शीघ्र खोलने के लिए प्रयास कर रही है।

1	2	3	4	5	6
8.	येलहांका चिकबाल्लपुर और कोलार-बंगारपेट	64.69	58.66	0.10	स्वीकृत कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
			दोहरीकरण		
1.	बेंगलूरु सिटी-कृष्णाराजपुरन	85.00	0.00	0.10	कार्य आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।
2.	बेंगलूरु-केंगरी (विद्युतीकृत)	20.72	0.69	0.10	कार्य निम्न पारिचालनिक प्राथमिकता वाला है और संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर शुरू किया जाएगा।
3.	हारमेट-युंलकल (आमान परिवर्तन)	154.14	17.68	1.00	मिट्टी संबंधी छोटे पुलों और मिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदा अनुसूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
4.	केंगरी-रमनाग्राम	45.00	0.07	0.10	कार्य निम्न पारिचालनिक प्राथमिकता वाला है और संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर शुरू किया जाएगा।
5.	विकाराबाद-तांदूर (वाडी-सिकंदराबाद खंड)	90.56	82.18	1.00	कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए चालू कर दिया गया है।
6.	व्हाइटफील्ड-कुप्पम	104.93	75.23	4.00	कार्य प्रगति पर है और व्हाइट फील्ड से बंगारपट तक पहला चरण पूरा हो गया है और यातायात के लिए चालू कर दिया गया है बंगारपेट से कुप्पस तक कार्य निम्न पारिचालनिक प्राथमिकता वाला है और संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर शुरू किया जाएगा।
7.	यशवंतपुर-तुमकुर	80.00	2.00	5.00	आवश्यक-स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं भूमि अधिग्रहण सहित कार्य शुरू करने के लिए प्रारम्भिक प्रबंधन किए जा रहे हैं।

गुजरात में मतदाता पहचान पत्र

2874. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में विशेष रूप से जामनगर जिले में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान कर दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मतदाता को फोटो पहचान पत्र कब तक प्रदान किये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गुजरात में कुल 2,96,31,636 मतदाताओं में से 2,31,77,051 (78.22%) व्यक्तियों को त्रृटि रहित फोटो पहचान पत्र दिए जा चुके हैं। जामनगर जिले में, 10,77,594 मतदाताओं में से 8,15,403 व्यक्तियों को त्रृटि रहित पहचान पत्र दे दिए गए हैं। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण और उनके फोटो पहचान पत्र तैयार करने की प्रक्रिया अनवरत और निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए, सभी मतदाताओं को किसी नियत समय बिंदु पर पहचान पत्र जारी करने की स्कीम के अंतर्गत लाना संभव नहीं है।

1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों को परिवार पेंशन

2875. श्री शिवाजी माने: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीनों सैन्य सेवाओं के 1986 के पूर्व और पश्चात् पेंशन प्राप्त सभी सेनाकर्मियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1972 लागू होती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 15 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार क्रमश: वायुसेना रिकार्ड कार्यालय (ए.एफ.आर.ओ.)/उप रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना) नई दिल्ली के पास परिवार पेंशन के संबंध में कितने आवेदन लंबित थे;

(घ) उक्त में से, 1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों के ऐसे कितने आवेदन हैं जो 1 जनवरी, 1998 के पूर्व प्राप्त हुए थे और अभी भी ए.एफ.आर.ओ./उप रक्षा लेखा नियंत्रक (वायुसेना) नई दिल्ली के पास निपटाने हेतु लंबित हैं;

(ङ) इनके इतने लंबे समय तक लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं;

(च) क्या ए.एफ.आर.ओ., नई दिल्ली को इस संबंध में 1986 के पूर्व पेंशनधारियों से कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और 1986 के पूर्व के पेंशनभोगियों के परिवार पेंशन संबंधी सभी मामलों का निपटान कब तक कर दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) परिवार पेंशन योजना, 1972 केवल केन्द्रीय सिविल पेंशनभोगियों/रक्षा सिविलियन पेंशनभोगियों के लिए लागू है। सशस्त्र सेना पेंशनभोगियों के लिए समय-समय पर यथासंशोधित 1964 की एक अलग योजना है। यह परिवार पेंशन योजना तीनों सेनाओं के 1986 से पहले और बाद के सभी मामलों पर समान रूप से लागू होती है।

(ग) लंबित आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:-

(1) वायुसेना अभिलेख कार्यालय- 750

(2) उप नियंत्रक, रक्षा लेखा (वायुसेना)- 50

(घ) 1.1.1998 से पहले प्राप्त आवेदनों की संख्या इस प्रकार है:-

(1) वायुसेना अभिलेख कार्यालय - शून्य

(2) उप नियंत्रक, रक्षा लेखा (वायुसेना) शून्य

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जी, हां।

(छ) उपर्युक्त के अनुसार 800 मामलों सहित सभी मामलों में परिवार पेंशन 24.11.97 के आदेशों के संदर्भ में पहले ही समेकित की जा चुकी है। तथापि, 14.7.98 और 7.10.99 के आदेश के संदर्भ में और संशोधन विचाराधीन है। सभी पेंशन संवितरण एजेंसियों को अनुदेश दिए गए हैं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विद्यमान अनुदेशों के अनुसार सामान्य परिवार पेंशन यथाशीघ्र संशोधित कर दें।

उपभोक्ताओं को ग्रे लोंग क्लोथ (लट्ठे) की आपूर्ति

2876. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रे लोंग क्लोथ (लट्ठे) का उत्पादन करने वाले हथकरघों का ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं तथा दिल्ली में उनके कमीशन एजेंटों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या ग्रे लोंग क्लोथ (लट्ठे) का उत्पादन करने वाले हथकरघे निर्धारित भार और मीटरों में कपड़े की आपूर्ति नहीं करते; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि वे उपभोक्ताओं को ठगे नहीं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार किसी प्रकार के कपड़े के उत्पादन के साथ-साथ कमीशन एजेंटों के विवरण से संबंधित स्थानवार कोई आंकड़े नहीं रखती है।

(ख) और (ग) सरकार ने ग्रे लांग क्लाथ के उत्पादन के लिए कोई विशिष्ट निर्धारण नहीं किया है इसलिए इस संबंध में सरकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उद्योग के रूप में हस्तशिल्प का व्यापार

2877. **श्री वाई.वी. राव:**
श्री जितेन्द्र प्रसाद:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्तशिल्प व्यापारियों ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प व्यापार को उद्योग के रूप में घोषित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विश्व हस्तशिल्प बाजार में भारत के हिस्से का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निर्यात-आयात बैंक ने हाल ही में जारी एक पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि भारत को उन बड़े बाजारों में अपनी निर्यात पैठ बढ़ाने की आवश्यकता है जहां इसकी उपस्थिति नगण्य है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) निर्यात-आयात बैंक ने मई 2000 में भारतीय हस्तशिल्प पर एक विशिष्ट पत्र निकाला। उनके द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि फ्रांस, नीदरलैण्ड, इटली, स्वीटजरलैण्ड, कनाडा, जापान और हांगकांग जैसे वृहद बाजारों में जहां हमारा निर्यात नगण्य है भारतीय हस्तशिल्प निर्यात की पैठ बढ़ाने की आवश्यकता है। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन देशों में भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात संतोषप्रद है और ये देश भारत के दस शीर्षस्थ हस्तशिल्प आयातकों में आते हैं।

दमन और दीव में वस्त्र उद्योग का विकास

2878. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दमन और दीव में वस्त्र उद्योग के विकास की प्रबल संभावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां वस्त्र आधारित कुछ संस्थाएं स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संघ राज्य क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार की भूमिका एक सुसाधक की है और यह अपने वस्त्र उद्योगों को स्थापित नहीं करती। वर्तमान में, सरकार के पास दमन और दीव में कोई वस्त्र आधारित संस्थान स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। तथापि, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने वस्त्र व पटसन उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) आरंभ की है जो कि 01.04.1999 से 5 वर्षों की अवधि अर्थात 31.03.2004 तक के लिए परिचालन में हैं। कोई भी पात्र वस्त्र/पटसन एकक उपर्युक्त योजना के ढांचे के अंतर्गत और संबंध वित्तीय संस्थान/बैंक के सामान्य वित्तीय मानदंडों के भीतर निधियों का उपयोग कर सकता है। सरकार का वित्तपोषण योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% बिन्दु के ब्याज की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है। यह योजना "दमन एवं दीव" सहित संपूर्ण भारत पर लागू है।

हैपेटाइटिस 'बी' टीके का मूल्य

2879. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से हैपेटाइटिस 'बी' टीके के उच्च मूल्य और इसे औषध मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा हैपेटाइटिस 'बी' टीके के मूल्य में कमी करने और इसे उपभोक्ताओं को उचित दर पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) इस प्रकार के अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) हैपेटाइटिस "बी" टीके औषध (कीमत नियंत्रण) 1995 के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण में नहीं आते हैं। तथापि, राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण इस टीके की कीमत को मानीटर कर रहा है और पाया है कि एन्जिरेक्स बी (हेपटाइटिस "बी" टीके का एक प्रमुख ब्रांड) की कीमत में दिसम्बर, 94 से जून, 2000 की अवधि में 0.5 मि.ली. इंजेक्शन और 1.0 मि.ली. इंजेक्शन के संबंध में क्रमशः 24.49% और 10.22% तक कमी हुई है।

[हिन्दी]

शैक्षिक संस्थान के भवन को ध्वस्त किया जाना

2880. डा. बलिराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कल्याण रेलवे स्टेशन के निकट किलोमीटर संख्या 51/13-14 पर स्थित एक शैक्षिक संस्थान के भवन को इस आधार पर ध्वस्त कर दिया है कि रेलवे की भूमि पर निर्मित थी;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि का कुल क्षेत्र कितना है तथा इस भूमि के स्वामी का नाम क्या है;

(ग) क्या उक्त भूमि की जांच करने के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस शैक्षिक संस्थान को कितने मुआवजे का भुगतान किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलवे प्रशासन ने बताए गए स्थान पर रेलवे की भूमि पर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया है।

(ख) भूमि का कुल क्षेत्रफल 6804 वर्गमीटर है तथा मध्य रेलवे इस भूमि का मालिक है।

(ग) और (घ) जी हां, यह भूमि रेलवे की भूमि है जैसा कि भूमि अभिलेखों के जिला निरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है।

(ङ) रेलवे भूमि से अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है।

[अनुवाद]

जल विद्युत परियोजनाएं

2881. श्री हसन खान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को निमो-वासवो जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने, प्रचालन करने तथा इसका रख रखाव करने के साथ साथ इसके लिए सर्वेक्षण और जांच करने हेतु विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत मंजूरी दी है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को राज्य से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात करगिल में चुटक जल विद्युत परियोजना शुरू करने हेतु भी कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन दोनों परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) जी, हां। 20 जुलाई, 2000 को विद्युत मंत्रालय भारत सरकार तथा जम्मू एवं कश्मीर सरकार के बीच जम्मू एवं कश्मीर में निम्मों बायगो (30 मे.वा.) एवं चुटक (18 मे.वा) जल विद्युत परियोजनाओं समेत सात जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। मार्च, 2000 में निम्मो बायगो परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रगति जम्मू एवं कश्मीर सरकार से प्राप्त हुई। परियोजना अभिकल्पन भू विज्ञान एवं निर्माण समेत संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संभार तंत्र के विभिन्न पहलूओं पर विचार करने के लिए नैशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) के अधिकारियों ने परियोजना स्थल का दौरा किया और अतिरिक्त जांच कार्य जैसे गोज और निस्सरण स्थल भूमिगत विद्युत गृह के लिए खोजकर्त्ता डिफ्ट, बराज अक्ष पर अतिरिक्त ड्रिल होल की स्थापना जिसकी पारगम्यता जांच एवं जन शक्ति आयोजना सुनिश्चित की जाए तथा निर्माण उपस्कर आयोजना एवं निर्माण प्रणाली की स्थापना।

चुटक जल विद्युत परियोजना के संबंध में एनएचपीसी ने मुख्य सचिव, विद्युत विकास विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार से उक्त परियोजना की विस्तृत परियोनजा रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

क्रेडिट कार्डों के माध्यम से टिकटों की बिक्री

2882. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंक क्रेडिट कार्डों पर रेल टिकटों की बिक्री प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को रेलवे द्वारा फरवरी, 2000 से बिना कोई सार्वजनिक सूचना जारी किए बंद कर दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इसे आम व्यक्ति की सुविधा तथा टिकट आरक्षण में बेहतर कार्यकुशलता लाने हेतु बेहतर रूप से पुन: शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि बैंकों ने उत्तर रेलवे को रेलवे की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था, इसलिए उत्तर रेलवे प्रशासन ने फरवरी, 2000 में दिल्ली क्षेत्र में क्रेडिट कार्डों के जरिए बुकिंग बन्द कर दी, संबंधित आरक्षण कार्यालयों में इस बारे में सूचना को विधिवत् दर्शाया गया था।

(घ) और (ङ) रेलवे की बकाया राशि का समय के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उत्तर रेलवे बैंकों के साथ मौजूदा करार में संशोधन हेतु समन्वय कर रहा है। दो पार्टियों के बीच हुए करार पर हस्ताक्षर हो जाने पर यह सुविधा पुन: शुरू की जाएगी।

कूपन रेट बॉण्ड द्वारा अनिवासी भारतीयों से धनराशि जुटाना

2883. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निर्धारित कूपन रेट बांड्स द्वारा अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा कोष जुटाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्ध विद्युत कम्पनियों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो बांडो की शर्तें और विदेशी मुद्रा में धन जुटाने सहित इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) बांड जारी करने वाली कंपनियों और उनसे जुटाए जाने वाले धन का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) एक निर्धारित कूपन रेट बॉण्ड के जरिए अप्रवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा निधि जुटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र वाली विद्युत कम्पनियों को अनुमति प्रदान करने से संबंधित कोई प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

आई.पी.सी.एल. में इंडियन आयल कारपोरेशन का निवेश

2884. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने सरकार द्वारा उल्लिखित मूल्य पर आई.सी.पी.एल. में 25 प्रतिशत की इक्विटी की भागीदारी की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पेशकश को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत सरकार ने अभी तक केवल इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन के बारे में ही "हिताभिव्यक्ति" आमंत्रित की है।

[हिन्दी]

जी.आर.एस.ई. का कार्यनिष्पादन

2885. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अपने कतिपय कार्य बाहर से ठेके के आधार पर कराती है जबकि इसके पास पर्याप्त कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पोतों पर उन कार्यकलापों को कराने के लिए उप-संविदाकारों को लगाता है जिनमें उसके पास विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है। इनमें वातानुकूलन, संवातन, इंसुलेशन, हल ब्लास्टिंग, जिंक स्प्रेइंग आदि हैं। जिन ट्रेडों में उसके पास अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध है, उनमें कभी-कभी गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अपनी जनशक्ति बढ़ाने के लिए उप संविदा देने का सहारा लेता है ताकि निर्माणाधीन बहुत से पोतों का एक साथ कार्य किए जाने के कारण कार्यभार में वृद्धि के साथ तालमेल बिठाया जा सके। कंपनी का यह प्रयास रहता है कि यथासंभव कम से कम उप संविदाएं की जाएं।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

2886. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्करः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना का नदी तल स्थित विद्युतघर उस आवश्यक मानदण्ड की पूर्ति करता है जो इसे आवास शुल्क भुगतान से विशेष छूट प्राप्त परियोजनाओं की सूची में शामिल करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से इस परियोजना को उक्त सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पूर्व विद्यमान परियोजना के अनुसार गुजरात में रिवर बेड पावर हाउस सरदार सरोवर परियोजना मेगा पावर परियोजना का दर्जा पाने और टरबो जेनरेटर सेटों पर आयात शुल्क के भुगतान में छूट की पात्र है। गुजरात सरकार के विशेष मामले के रूप में परियोजना को मेगा पावर परियोजना का दर्जा देने तथा परियोजना के लिए टरबो जेनरेटर सेटों पर आयात शुल्क के भुगतान में छूट हेतु केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार से अपने प्रस्ताव के संबंध में अतिरिक्त सूचना देने और सार्वजनिक क्षेत्र मेगा विद्युत परियोजनाओं पर लागू संशोधित मेगा विद्युत नीति की सभी शर्तों के बारे में राज्य सरकार से पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

दस्तकारी उद्योग में कर्मचारी

2887. श्रीमती रेणूका चौधरीः क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दस्तकारी उद्योग में भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य-वार अलग-अलग दस्तकारी उद्योग में अनुमानित रोजगार के सृजित अवसर कितने हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र के रोजगार वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण समाप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) इसे बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। हस्तशिल्प क्षेत्र में राज्यवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग-अलग रोजगार के अद्यतन अनुमानित अवसर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1995-96 की गणना के आधार पर हस्तशिल्प कारीगरों का आंकलन

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	97372	24508	121880
2.	अरुणाचल प्रदेश	14880	855	15735

1	2	3	4	5
3.	असम	92665	7817	100482
4.	बिहार	190913	22202	213115
5.	दिल्ली	1555	43349	44904
6.	गोवा	886	236	1122
7.	गुजरात	115915	26055	141970
8.	हरियाणा	60728	57205	117933
9.	हिमाचल प्रदेश	48707	308	49015
10.	कर्नाटक	7497	14282	21779
11.	केरल	13617	1588	15205
12.	मध्य प्रदेश	23664	27459	51123
13.	महाराष्ट्र	52439	60377	112816
14.	मणिपुर	302547	77441	379988
15.	मेघालय	50186	3378	53564
16.	मिजोरम	2535	2725	5260
17.	नागालैंड	69293	10585	79878
18.	उड़ीसा	64050	5306	69356
19.	राजस्थान	202212	205488	407700
20.	सिक्किम	2646	7122	9768
21.	तमिलनाडु	89414	35928	125342
22.	त्रिपुरा	239031	5464	244495
23.	उत्तर प्रदेश	927346	249183	1176529
24.	पश्चिम बंगाल	535389	18892	554281
25.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	854	236	1090
26.	दादर एवं नागर हवेली	111	-	111
27.	दमन एवं दीव	104	174	278
28.	लक्ष्यद्वीप	126	-	126
29.	पांडिचेरी	490	1342	1832
	कुल	3207172	909505	4116677

उपर्युक्त आंकड़ों में जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ संघ शासित प्रदेश, जहां गणना का कार्य चल रहा है, के हस्तशिल्प कारीगर शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

सीमा सड़क संगठन के लिए धनराशि

2888. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में सरकार द्वारा इस संगठन को कौन-कौन से प्रमुख कार्य सौंपे गए; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संगठन को कितनी धनराशि मुहैया कराई गई और योजनागत तथा गैर-योजनागत कार्यों पर पृथकत: कितनी राशि व्यय की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) गत दो वर्षों के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए, निर्माण-कार्यों की राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं। सड़कों के ब्यौरे देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

(ख) सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए बड़े कार्यों में संक्रियात्मक महत्व की सड़कों का निर्माण, सुधार और अनुरक्षण करना है।

(ग) सीमा सड़क संगठन का बजट गैर-योजनागत है। सीमा सड़क संगठन अन्य मंत्रालयों/विभागों की ओर से एजेंसी निर्माण-कार्यों का भी निष्पादन करता है। सीमा सड़क विकास बोर्ड बजट के अधीन सीमा सड़क संगठन को दी गई निधियों और गत 3 वर्ष के दौरान एजेंसी निर्माण-कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

गत दो वर्ष में विभिन्न राज्यों में निर्माण-कार्यों पर खर्च की गई राशि

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	खर्च की गई राशि			
		सीमा सड़क संगठन निर्माण-कार्य		एजेंसी निर्माण कार्य	
		1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू व कश्मीर	146.19	150.52	13.10	13.29
2.	हिमाचल प्रदेश	18.93	25.62	–	–
3.	उत्तर प्रदेश	23.6	18.97	20.07	19.39
4.	राजस्थान	34.6	32.28	4.16	4.62
5.	गोवा	2.00	7.27	0.93	8.51
6.	सिक्किम	10.77	21.33	0.46	0.25
7.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1.30	2.18	–	–
8.	पश्चिम बंगाल	21.77	6.33	–	–
9.	असम	5.43	5.40	32.21	30.36

1	2	3	4	5	6
10.	अरुणाचल प्रदेश	74.84	74.56	64.25	61.72
11.	मेघालय	2.15	3.70	11.94	6.21
12.	त्रिपुरा	2.88	4.20	25.07	32.77
13.	मणिपुर	13.73	14.22	17.84	14.99
14.	मिजोरम	24.95	26.53	35.75	31.31
15.	पंजाब	7.52	7.45	–	–
16.	हरियाणा	–	0.08	–	–
17.	बिहार	–	–	19.6	19.2
18.	उड़ीसा	–	2.14	–	1.82
19.	नागालैंड	21.75	22.38	12.97	26.74
20.	मध्य प्रदेश	–	–	–	1.01
21.	महाराष्ट्र	9.78	3.03	40.36	28.19

विवरण-2

गत तीन वर्ष के दौरान संगठन को उपलब्ध कराई निधियां और निर्माण-कार्यों पर खर्च हुई राशि
(इनमें म्यांमार, भूटान में करवाए गए निर्माण कार्य और कुछ लघु-कार्य शामिल हैं)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	उपलब्ध करवाई गई निधियां		खर्च की गई निधियां	
	सीमा सड़क संगठन निर्माण कार्य	एजेंसी निर्माण कार्य	सीमा सड़क संगठन निर्माण-कार्य	एजेंसी निर्माण कार्य
1997-98	407.89	278.77	407.89	278.77
1998-99	450.02	335.50	450.02	335.50
1999-2000	444.60	356.12	444.60	356.12

[अनुवाद]

विद्रोह विरोधी रणनीति

2889. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना जल्द ही छोटे पैमाने की लड़ाइयों के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अध्ययन करने और उन्हें विकसित करने में रक्षा बलों की सहायता करने हेतु पहली बार अपनी तरह की विद्रोह विरोधी रणनीति तैयार करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की जाने वाली इस सर्वांगीण रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप आतंकवाद को किस हद तक कम से कम कर दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) भारतीय नौसेना के लिए प्रति-विद्रोही सिद्धांत संबंधी एक सैन्य प्रशिक्षण नोट जारी किया गया है। इस नोट का फील्ड स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसे सेना में बटालियन स्तर तक जारी किया गया है।

(ख) और (ग) इस सिद्धांत में सामरिक, संक्रियात्मक और रणनीतिक स्तर पर अनुचिंतन शामिल है। इसके ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा। आतंकवाद पर अंकुश लगाने में कई पहलू शामिल होते हैं और इस प्रकार का अंकुश लगाने में किसी उपाय विशेष के योगदान की मात्रा के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

'करगिल्स अनटोल्ड स्टोरी'

2890. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मई, 2000 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में करगिल्स अनटोल्ड स्टोरी: इंडिया वन ए वार लोस्ट वन एट होम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह निष्कर्ष किस हद तक वास्तविकताओं के अनुरूप है कि कारगिल संघर्ष में हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमा को और अधिक असुरक्षित और संवेदनशील बना दिया है और वहां भारी संख्या में सशस्त्र आतंकवादियों का जमाव है; और

(ग) सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा को बढ़ाने और इसमें दर्शायी गई त्रुटियों को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सच नहीं है कि सीमा अब असुरक्षित है। वास्तव में सैन्य टुकड़ियों की तैनाती में बढ़ोत्तरी कर दी गई है और घुसपैठ के सभी मार्गों पर चौकसी बरती जा रही है अथवा गश्त की जा रही है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है तथा शत्रुओं की ओर से किए जाने वाले किसी भी दुष्प्रयास को विफल करने हेतु समुचित रक्षा तैयारियां बनाए रखने के लिए समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

जनमत सर्वेक्षण

2891. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:**
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक सभा और राज्य विधान सभा चुनावों के पहले और बाद में विभिन्न एजेंसियों द्वारा जनमत सर्वेक्षण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जनमत सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पालम में उपरिपुल का निर्माण

2892. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में उन समपारों का ब्यौरा क्या है जहां सड़क उपरिपुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या पालम रेलवे भूमि समपार पर सड़क उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(घ) पालम रेलवे समपार पर सड़क उपरिपुल का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(घ) इस स्थिति में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का ब्यौरा	मौजूदा स्थिति
1.	विवेक विहार के नजदीक दिल्ली-गाजियाबाद खंड पर किमी 8/14-16 पर समपार सं. 156-बी के बदले निचला सड़क पुल	इस प्रस्ताव की योजना बनाई जा रही है। रेलवे ने अपने ब्यौरे नगर पालिका दिल्ली को प्रस्तुत कर दिए हैं। पूर्वापेक्षाओं यथा पहुंच मार्गों के लिए अनुमान, समपार को बंद करने के लिए बचन, राज्य बजट में प्रावधान आदि दिल्ली नगर पालिका द्वारा पूरा कर लिए जाने के पश्चात् इस कार्य को लागत में भागीदारी के आधार पर रेलवे के बजट में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।
2.	पंखा रोड, दिल्ली के नजदीक दिल्ली रेवाड़ी खंड समपार सं. 13-ए के बदले निचला सड़क पुल	13.3.2000 को दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रोफाइल रूप-रेखा और सार-लागत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गई है। धन की उपलब्धता के अध्यधीन यह प्रस्ताव रेलवे के बजट में शामिल किया जायेगा।
3.	दिल्ली सहारनपुर लाइन पर दिल्ली में सड़क सं. 63 पर समपार सं. 3 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	प्रारंभ में यह कार्य वर्ष 1988-89 में दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिन्होंने रेलों के पास 188 करोड़ रुपये भी जमा करवा दिए थे। वर्ष 1999 में उन्होंने इस परियोजना पर पुनः विचार शुरू कर दिया है। 6-लेन वाले ऊपरी सड़क पुल के लिए संशोधित प्रोफाइल रूप-रेखा अनुमोदित की जा चुकी है और संशोधित लागत का आकलन किया जा रहा है तथा रेलों के पास शेष राशि जमा कराने के लिए दिल्ली सरकार को सूचित किया जाएगा। इस राशि के जमा हो जाने के पश्चात् रेलवे दिल्ली सरकार के परामर्श से इस कार्य के निष्पादन के लिए कार्रवाई आरंभ करेगी।
4.	पालम रेलवे स्टेशन के निकट दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर किमी 18.02 पर समपार सं. 15-सी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	इस कार्य का प्रस्ताव प्रारंभ में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1994 में प्रायोजित किया गया था, लेकिन इसे आस्थगित रखा गया था। जुलाई, 2000 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने पुनः इस परियोजना पर विचार शुरू कर दिया है। रेलवे ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को अद्यतन सूचना प्रस्तुत कर दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्वापेक्षाएं यथा पहुंच मार्गों के लिए अनुमान, समपार बंद करने के लिए बचन, राज्य बजट में प्रावधान भूमि के अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्रवाई, यदि कोई हो पूरे किए जाने के पश्चात् इस कार्य को लागत में भागीदारी के आधार पर रेलवे के बजट में शामिल करने संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

विमानों के कलपुर्जों का आयात

2893. श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपये से अधिक के विमान कलपुर्जों का आयात किया जाता है जिसमें से 60 प्रतिशत रूसी विनिर्माताओं से आयात किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कलपुर्जों के देशी विकल्प का पता लगाने की कोशिश कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। औसतन प्रतिवर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये के वायुयान कलपुर्जों का आयात किया जाता है, जिसमें से 75% से थोड़ा अधिक कलपुर्जे रुस और सी.आई.एस. देशों से खरीदे जाते हैं।

(ख) और (ग) नट, बोल्ट, पेंच, वासर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर और रबड़ की मदों जैसे अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों के देशीकरण का कार्य प्रगति पर है। भारतीय वायु सेना के लिए अतिरिक्त हिस्से पुर्जों की आवश्यकता पर विचार करने और उनके स्वदेशी विकास की संभाव्यता का पता लगाने के लिए भारतीय वायु सेना, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और सैन्य हवाई उड़ान योग्यता प्रमाणन केन्द्र जैसी निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशक को सदस्य के रूप में लेकर एक समिति का गठन किया गया है। भारतीय वायु सेना ने अपेक्षित मदों के स्वदेशी विकास, उत्पादन और पूर्ति हेतु निजी उद्योग को शामिल करने के लिए भारतीय उद्योग संघ के साथ समन्वय की पहल भी की है।

मिजोरम में रसोई गैस एजेन्सियां

2894. श्री पी. आर. किन्डिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लोगों की मांग पूरी करने के लिए मिजोरम में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इन नई एजेंसियों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए, पिछली विपणन योजनाओं से लंबित चले आ रहे स्थानों के अतिरिक्त एल.पी.जी. विपणन योजना 1996-98 में मिजोरम राज्य के लिए 6 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं।

(ख) और (ग) विपणन योजनाओं में शामिल किए गए स्थानों के विषय में तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं तथा डीलरों/वितरकों का चयन डीलर चयन बोर्डों द्वारा प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने में साक्षात्कार की तारीख से सामान्यतया लगभग 6-12 माह लग जाते हैं।

"इंडिया हाइड्रो-कार्बन विजन 2025"

2895. श्री कृष्णमराजू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ग्रुप आफ इंडिया हाइड्रोकार्बन विजन-2025" ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार होने के बाद संसद में कब तक पेश कर दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) भारतीय हाइड्रोकार्बन झलक-2025 दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

इस रिपोर्ट की मुख्य बातों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकाधिक घरेलू उत्पादन और विदेश में समांशता तेल में निवेश के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, उत्पादों का स्तर सुधार कर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के माध्यम से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का विकास वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में विकास करना, मुक्त बाजार व्यवस्था लाना, कार्यनीतिक और रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश के लिए तेल सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है।

"भारतीय हाइड्रोकार्बन झलक-2025" रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है।

तमिलनाडु में रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडरब्रिज का निर्माण

2896. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में विभिन्न रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण कार्य धनराशि की कमी के कारण रोक कर रखा गया है अथवा विलंबित है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना/स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को और धनराशि के आवंटन हेतु दक्षिण रेलवे से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार तमिलनाडु में आमान परिवर्तन रेल लाइनों का दोहरीकरण और नई रेल लाइन परियोजनाओं को भी धनराशि की कमी के कारण रोक कर रखा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा पर्याप्त निर्णयों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं। आवंटित निधियों के अनुरूप कार्य की प्रगति की जा रही है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल भारतीय रेलों पर लगभग 22,000 करोड़ रु. तथा 9000 करोड़ रु. की क्रमश: नई लाइनों तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं की लम्बी सूची के कारण ऐसी सभी परियोजनाओं का सरकार द्वारा प्राथमिकता निर्धारण किया गया है तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धन आवंटित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि. के सैनिक हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें

2897. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औझर, नासिक (महाराष्ट्र) में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के सैनिक हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक विमानों को उतरने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) इस समय हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के औझर, नासिक (महाराष्ट्र) स्थित हवाई अड्डे का वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रिफाइनरियों का विलय

2898. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास रिफाइनरी और कोचीन रिफाइनरी का क्रमश: इंडियन आयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोफोर्स तोप के गोलों का विनिर्माण

2899. डा. अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोफोर्स तोप के गोलों का विनिर्माण पूर्णत: देश में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विनिर्माण इकाई कहां-कहां स्थित है;

(ग) क्या इन बोफोर्स गोलों का निर्यात भी किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इनका निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है; और

(ङ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ङ) बोफोर्स तोप के पांच प्रकार के गोले भारत में आयुध निर्माणियों द्वारा विनिर्मित किए जा रहे हैं।

विभिन्न प्रकार के गोलों की विनिर्माण इकाइयों के स्थान नीचे दिए गए हैं:-

	गोले	स्थान
1.	गोला107	आयुध निर्माणी, चान्दा/ बोलनगीर
2.	गोला 77 बी	
3.	155 प्रदीपक 18 कि.मी.	आयुध निर्माणी, देहू रोड
4.	155 स्मोक 24 कि.मी.	आयुध निर्माणी, चान्दा
5.	155 एच.ई.ई.आर. गोला	

बोफोर्स गोलों का निर्यात नहीं किया जा रहा है।

पानीपत तेल शोधक कारखाना

2900. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानीपत तेल शोधक कारखाने को आक्यूपेशनल हैल्थ एंड सेफ्टीमैंनेजमेंट सिस्टम सीरिज द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) पानीपत तेलशोधक कारखाने की व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को मैसर्स डेटनारस्के वेरिटास (डी.एन.वी.), नीदरलैण्ड्स द्वारा "व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला-18001 (ओ.एच.ए.एस. 18001)" के अन्तर्गत मई, 2000 में अधिप्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण-पत्र तीन वर्ष के लिए वैध है। यह प्रमाण-पत्र पानीपत तेलशोधक कारखाने द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के किए गये अनुपालन के सत्यापन के बाद दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दरी बुनने वालों की दशा

2901. श्री अरुण कुमार: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार और देश के अन्य भागों में दरी बुनने वालों की दयनीय दशा से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के इन दरी बुनने वालों को न तो रियायती दरों पर कच्ची सामग्री मिल रही है और न ही बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विशेषकर बिहार में, बुनकरों को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन: (क) से (ग) 1995-96 की हथकरघा जनगणना के परिणाम के अनुसार तथा इसकी अवधि के बाद बुनकरों की आय में वृद्धि हुई। नाबार्ड तथा सिडबी (एसआईडीबीआई) सारे देश में फैले बुनकरों/ शिल्पकारों हेतु पुन: वित्त सुविधा लगातार दे रहे हैं तथा 1996-97 से 1998-99 के दौरान बिहार राज्य में कारीगरों/बुनकरों को 205.32 लाख रुपये प्रदान किये गये थे।

(घ) और (ङ) भारत सरकार बुनकरों/शिल्पकारों के लाभ के लिए राज्य सरकारों को विकासात्मक तथा कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये स्कीमें बिहार सहित सभी राज्यों में चालू हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्षमता उन्नयन, डिजाइन तथा उत्पाद विकास, विपणन के लिए सहायता, कार्यशाला-सह-आवास आदि का निर्माण करना है। आगे, बिहार सरकार ने दरी बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न जिलों में 8 बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

2902. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्ष के दौरान बिहार में प्रत्येक बिजली घर की विद्युत उत्पादन क्षमता में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन बिजलीघरों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बिजली घर वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बिहार में मौजूदा बिजली घरों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु निम्नांकित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम (स्वीकृति की तिथि)	क्षमता (मे.वा.)
1.	तेनुघाट टीपीपी चरण- 2 (2/89)	3×210
2.	मुजफ्फरपुर टीपीपी विस्तार (12/95)	2×250

इस समय, एनटीपीसी ने कहलगांव एसटीपीपी चरण-2 (2×660 मे.वा.) को छोड़कर मौजूदा यूनिटों की क्षमता बढ़ाने के लिए किसी विद्युत संयंत्र को उन्नत बनाने की योजना नहीं है। बहरहाल, बिहार में बीएसईबी के निम्नलिखित पुराने विद्युत केन्द्रों के निष्पादन तथा उपलब्धता में सुधार हेतु नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीमें प्रस्तावित हैं:-

क्र.सं.	विद्युत केन्द्र का नाम	आर एंड एम मे शामिल यूनिटें
ताप विद्युत केन्द्र		
1.	पतरातू	770 मे.वा. (हासित) (4×40+2×90+2×105+2×110)
2.	बरौनी	310 मे.वा. (हासित) (2×50+2×105)
3.	मुजफ्फरपुर	220 मे.वा. (2×110)
जल विद्युत केन्द्र		
1.	सुबर्णरेखा	130 मे.वा.(2×65)

पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य नीति

2903. **श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वित्त मंत्रालय के अधीन औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (इन्डस्ट्रियल कास्ट्स एण्ड प्राइसेज ब्यूरो) द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान मूल्य नीति की समीक्षा कराने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्तमान दोषपूर्ण नीति के कारण तेल कम्पनियों को दो हजार एक सौ पचपन करोड़ रुपये से अधिक निगमित कर का भुगतान करना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) अधिकांश पेट्रोलियम उत्पाद अविनियमित/नियंत्रणमुक्त हैं तथा उनके मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा शासित होते हैं। नियंत्रित उत्पादों के मामले में उत्पादों पर राजसहायता तथा प्रतिराजसहायता के लिए तंत्र के रूप में मूल्यों का उपयोग किया जाता है।

(ग) तेल कम्पनियों ने वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमश: 2119 करोड़ रुपये और 2483 करोड़ रुपये निगमित कर का भुगतान किया। विभिन्न कम्पनियों द्वारा निगमित कर के भुगतान का कम्पनीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) तेल कंपनियों समेत सभी कम्पनियों को संसद द्वारा पारित लागू कानून के अनुसार निगमित कर का भुगतान करना होता है।

विवरण

निगमित कर (लाभांश कर के बिना) का कम्पनीवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

	1998-99	1997-98
आई ओ सी	606	437
एच पी सी	293	273
बी पी सी	272	198
आई बी पी	6	6
एम आर पी एल	2	4
एम आर एल	40	7
सी आर एल	113	77
ओ आई एल	121	80
ओ एन जी सी	834	642
एल आई एल	18	20
गेल	175	370
बी आर पी एल	3	6
योग	2483	2119

[अनुवाद]

न्यायिक सदस्यों की भर्ती

2904. श्री ई. अहमद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायिक सदस्यों की भर्ती न किए जाने के कारण रेलवे दावा न्यायाधिकरण का काम गत दो वर्षों से रुका हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 2000 तक न्यायाधिकरण में निपटान हेतु लंबित पड़े मामलों की संख्या क्या है तथा लंबित मामलों के तेजी से निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या न्यायिक सदस्य के पद हेतु साक्षात्कार अक्तूबर, 1999 में हुए थे और दिल्ली में वाइस चेयरमैन (न्यायिक) की तैनाती के मुद्दे पर न्यायाधिकरण के चेयरमैन तथा रेलवे बोर्ड के बीच विवाद के कारण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अब तक जारी नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो विवाद के निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) 30.6.2000 तक की स्थिति के अनुसार 27,759 मामले लंबित हैं, लंबित मामलों के निपटान के लिए अधिकरण द्वारा कलकत्ता और चंडीगढ़ में अध्यक्ष, रेलवे दावा अधिकरण द्वारा सरकिट पीठों को आयोजन करके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जब कभी मामलों के महत्व के आधार पर निपटान के लिए अपेक्षित होता है, आवश्यकता के अनुसार, एकल सदस्यीय सिटिंग का भी आयोजन किया गया है।

(ग) से (ङ) अक्तूबर, 1999 में सदस्य (न्यायिक) के पदों के चयन के लिए साक्षात्कार लिया गया था और पैनल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा नियुक्ति के प्रस्तावों के बहुत शीघ्र जारी होने की आशा है।

[हिन्दी]

हैबरगांव और मैराबाड़ी के बीच रेल बस सेवा

2905. श्री तरुण गोगोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जून, 1998 में असम में हैबरगांव और मैराबाड़ी और सेनचोग और सिलघाट के बीच रेल बस सेवा चलाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या रेलवे ने इस प्रयोजन के लिए चार पहियों वाली दो बसें तैयार करने का आदेश दिया है;

(ग) यदि हां, तो यह आदेश कब दिया गया था और यह आदेश किस कंपनी को दिया गया था;

(घ) रेल बसें कब तक प्राप्त होने और चालू होने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इन खण्डों पर रेल बस सेवाएं चलाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि पुनर्स्थापन की अधिक लागतों तथा वाणिज्यिक औचित्य के अभाव के कारण खण्डों को स्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित किया जाना

2906. **श्री राजैया मल्याला:**
श्री दिलीप संघाणी:
श्री वी.एस. शिवकुमार:
श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री बाबूभाई के. कटारा:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थापित की गई विभिन्न उच्च न्यायालयों की खंडपीठों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों की और खंडपीठों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) अपेक्षित जानकारी विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) गौहाटी उच्च न्यायलय की एक स्थायी न्यायपीठ 12 अगस्त, 2000 से इटानगर में स्थापित करने प्रस्ताव है। गौहाटी उच्च न्यायालय (इटानगर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 2000, 18 जुलाई, 2000 को अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु की राज्य सरकार और मद्रास उच्च न्यायालय ने यह सूचित किया है कि व मदुरै में स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए सहमत हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समाधानप्रध रूप में राज्य सरकार द्वारा न्यायालय भवनों आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को पूरा करने के पश्चात् ही केन्द्रीय सरकार इस संबंध में, आवश्यक कार्रवाई करेगी।

किसी अन्य राज्य सरकार से संबद्ध उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	न्यायपीठ का स्थान
1.	इलाहाबाद	लखनऊ
2.	आंध्र प्रदेश	-
3.	बम्बई	नागपुर
		औरंगाबाद
		पणजी (गोवा)
4.	कलकत्ता	पोर्ट ब्लेयर
5.	दिल्ली	-
6.	गौहाटी	कोहिमा
		आइजोल
		इम्फाल
		अगरतला
		शिलांग
7.	गुजरात	-
8.	हिमचाल प्रदेश	-
9.	जम्मू-कश्मीर	-
10.	कर्नाटक	-
11.	केरल	-
12.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
		इन्दौर
13.	मद्रास	-
14.	उड़ीसा	-
15.	पटना	रांची
16.	पंजाब और हरियाणा	-
17.	राजस्थान	जयपुर
18.	सिक्किम	-

नई औषध नीति

2907. **श्री अनंत गंगाराम गीते:**
श्री अनंत गुढे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उदारीकरण और वैश्वीकरण के संबंध में भेषजक्षेत्र के कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए नई औषध नीति को अन्तिम रूप दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक हुए विचाराधीन प्रमुख नीति संबंधी परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और उनका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) मार्च 1999 में, विद्यमान औषध मूल्य नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करने तथा वैकल्पिक तंत्र, यदि कोई हो, का सुझाव देने के लिए, सरकार ने औषध मूल्य नियंत्रण समीक्षा समिति (डी.पी.सी.आर.सी.) का गठन किया था जिससे मूल्य नियंत्रण की कड़ाई को कम किया जा सके जहां पर यह प्रतिउत्पादक है। एक अन्य समिति, नामत: औषध अनुसंधान तथा विकास समिति (पी.आर.डी.सी.) का गठन मार्च, 1999 में किया गया था। देश के औषध उद्योग की अनुसंधान तथा विकास क्षमता को सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाने तथा देशी अनुसंधान तथा विकास के लिए भारतीय भेषज कंपनियों के लिए अपेक्षित सहयोग की पहचान करने के लिए दोनों समितियों ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर नीति में संशोधन करने के संबंध में सरकार ने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

2908. **श्री तूफानी सरोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी में कुछ रसोई गैस एजेंसियां स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी में क्रमश: 6, 8 एवं 13 नई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कायमकुलम ताप विद्युत निगम से विद्युत का अन्तरण

2909. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कायमकुलम ताप विद्युत निगम से विद्युत केन्द्रीय पूल में स्थानान्तरित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कायमकुलम से उत्पादित विद्युत की मात्रा का ब्यौरा क्या है और केरल राज्य को कितने प्रतिशत विद्युत दी गई है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और केरल सरकार की कोई मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) कायमकुलम संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (सीसीपीपी) चरण-1 (350 मे.वा.) केरल को उसके आग्रह पर सौंपी गई थी। बहरहाल, केरल विद्युत बोर्ड (केईबी) इस परियोजना से पूरी बिजली के उपयोग में समर्थ नहीं हो सका। परिणामत: स्टेशन को कुछ समय के लिए बन्द कर देना पड़ा। इसके अलावा केईबी परियोजना से उत्पादित बिजली का पूरा भुगतान भी नहीं कर रहा है। परिणामत: विद्युत मंत्रालय इस विद्युत स्टेशन को क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में परिवर्तित करने और विद्युत आवंटन संबंधी मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित फार्मूला/दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य राज्यों को बिजली आवंटन पर विचार कर रहा है।

(ग) नवंबर, 1998 से जुलाई, 2000 की अवधि के दौरान कायमकुलम स्टेशन से उत्पादित 1938.218 मिलियन यूनिट विद्युत पूर्ण रूप से केरल को आपूर्ति की गई है।

(घ) और (ङ) इस परियोनजा से केरल को पूरी विद्युत आपूर्ति केईबी तथा नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के बीच हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार के अनुसार है।

[हिन्दी]

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत शामिल औषधियां

2910. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए किसी प्राधिकारी की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के अधिकार का प्रयोग करते समय बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों के पक्ष में निर्णय लिए जा रहे हैं और भारतीय कंपनियों के हितों की अनदेखी की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण 29 अगस्त, 1997 को स्थापित किया गया था जिसे अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचित औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतें निर्धारित/संशोधित करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) एन.पी.पी.ए. द्वारा दवाइयों के मूल्य निर्धारण से संबंधित निर्णय औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कटिहार-जोगबनी-राधिकापुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2911. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटिहार-जोगबनी-बसोई-राधिकापुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन हेतु आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और वर्ष 2000-2001 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) उक्त रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू हो जाने और पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) कार्य की अनुमानित लागत 257 करोड़ रुपये है। वर्ष 2000-2001 के लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

(ग) और (घ) अपेक्षित अनुमतियों के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा, जिसके लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। रेलों के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की निश्चित अवधि दर्शाना संभव नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में अनेक सरकारी विभाग सम्मिलित हैं।

सांसदों के साथ रेल महाप्रबंधकों की बैठक

2912. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री अरुण कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांसदों को उनके क्षेत्र से संबंधित रेल के बारे में विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा करने और इनमें संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु मंडल रेल महाप्रबंधकों द्वारा हर तीन महीने में एक बार आमंत्रित किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त पद्धति को कार्यरूप देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) अनुदेश मौजूद हैं कि महाप्रबंधक और मंडल महाप्रबंधक प्रत्येक तिमाही में रेलवे के मामलों/समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बार अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों के साथ

बैठकें आयोजित करें। कुछ रेलें संसद सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित कर रही हैं। प्रत्येक तिमाही में स्थानीय संसद सदस्यों के साथ बैठकें सुनिश्चित करने के लिए सभी महाप्रबंधकों को अनुदेश दोहरा दिए गए हैं।

[हिन्दी]

बिहार के गांवों का विद्युतीकरण

2913. श्री राम टहल चौधरी:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के सभी गांवों विशेषकर रांची जिले के गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अनुसार बिहार के 67513 बसे हुए गांवों (1991 की जनगणना अनुसार) में से मार्च, 2000 के अंत तक 47888 का विद्युतीकरण हो चुका है। रांची जिले में 2038 गांवों में से (1991 की जनगणना अनुसार) 31 मार्च, 2000 तक 1409 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। जबकि 629 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गांवों के विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गांवों के विद्युतीकरण संबंधी प्राथमिकताओं का निर्धारण संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा समस्त गांवों के विद्युतीकरण के लिए समय-सीमा मुख्यत: ढांचागत प्रणालियों के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, राज्य में विद्युत की उपलब्धता तथा उपभोक्ताओं की मांग पर निर्भर करेगी।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	के दौरान विद्युतीकृत गांव				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
2.	अरुणाचल प्रदेश	134	80	310	121	111
3.	असम	17	14	170	222	130
4.	बिहार	258	205	59	43	27
5.	गोवा	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
6.	गुजरात	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
7.	हरियाणा	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
8.	हिमाचल प्रदेश	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
9.	जम्मू व कश्मीर	5	6	50	43	27
10.	कर्नाटक	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
12.	मध्य प्रदेश	605	751	1019	503	400
13.	महाराष्ट्र	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
14.	मणिपुर	60	85	71	163	140
15.	मेघालय	69	23	शून्य	शून्य	60
16.	मिजोरम	50	50	65	45	9
17.	नागालैंड	(ए)	(ए)	(ए)	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	200	226	223	740	737
19.	पंजाब	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
20.	राजस्थान	689	711	699	750	654
21.	सिक्किम	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
22.	तमिलनाडु	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
23.	त्रिपुरा	200	200	150	62	60
24.	उत्तर प्रदेश	947	650	428	1305	1422
25.	पश्चिम बंगाल	435	351	310	89	66
	जोड़ (राज्य)	3669	3352	3554	4086	3843
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)	(ए)
	जोड़ भारत	3669	3352	3554	4086	3843

(ए) 1981 की जनगणना के अनुसार शत-प्रतिशत विद्युतीकृत गांव।

मुजफ्फरनगर-रुड़की रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण

2914. श्री हरपाल सिंह साथी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुजफ्फरनगर से रुड़की तक रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर अनुमानित रूप से कितना खर्च आएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, प्रारम्भिक स्थान देवबंद सहित मुजफ्फरनगर से हरिद्वार वरास्ता रुड़की एक नई ब.ला. के लिए सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि देवबंद से रुड़की (27.45 कि.मी.) रेल लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत 61.81 करोड़ रुपये है और यह परियोजना वित्त की दृष्टि से अर्थक्षम नहीं है।

(ग) धन की कमी और लाइन के अलाभप्रद होने के कारण इस कार्य को आरम्भ करना संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में रद्दी माल का बेचा जाना

2915. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री द्वारा कितना रद्दी माल बेचा गया;

(ख) क्या रद्दी माल की जगह मूल स्पेयर पार्टों के बेचे जाने संबंधी कोई शिकायत प्रकाश में आई है;

(ग) क्या उत्पादन की तुलना में रद्दी माल का अनुपात अधिक रहा है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान वाहन निर्माणी, जबलपुर द्वारा बेचे गए स्क्रैप की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1997-98		1998-99		1999-2000	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1060 मीट्रिक टन+खुले सामान की 7201 अदद	63.55 लाख रुपये	401 मीट्रिक टन+खुले सामान की 1643 अदद	20.69 लाख रुपये	2221 मीट्रिक टन+खुले सामान की 2940 अदद	63.60 लाख रुपये

अप्रैल 1996 में एक फर्म को निर्माणी से स्क्रैप के साथ-साथ अनधिकृत तरीके से कुछ संघटकों/हिस्से पुर्जों को भी निकालने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। उक्त फर्म के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी तथा इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी। जांच पड़ताल के बाद वाहन निर्माणी, जबलपुर के तीन कर्मचारियों को दंडित किया गया था। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जांच बोर्ड द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक उपाय कार्यान्वित कर दिए गए हैं। ऐसी कोई अन्य घटना नहीं हुई थी।

गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन मूल्य की तुलना में स्क्रैप के मूल्य की प्रतिशतता इस प्रकार है:-

1997-98	1998-99	1999-2000
0.196%	0.038%	0.094%

[अनुवाद]

बंगलौर और मैसूर के बीच हाई स्पीड ट्रेक

2916. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बंगलौर और मैसूर के बीच हाई स्पीड ट्विन ट्रेक रेल प्रणाली के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थान के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो लाइन के दोहरीकरण पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी;

(ग) प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की कितनी भागीदारी है;

(घ) इसे कब तक आरम्भ कर दिए जाने और पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। रेल मंत्रालय में अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, बेंगलूरू और मैसूर के बीच रेलपथ के दोहरीकरण के लिए निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(1) विद्युतीकरण सहित बेंगलूरू-केंगेरी (12.5 कि.मी.) के बीच दोहरीकरण-अनुमानित लागत 20.7 करोड़ रुपये।

(2) केंगेरी-रामनगरम (32 कि.मी.) के बीच दोहरीकरण-अनुमानित लागत 45 करोड़ रुपये।

इसके अलावा रामनगरम से मैसूर के दोहरीकरण के लिए हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। कर्नाटक राज्य सरकार ने रामनगरम और मैसूर के बीच दोहरीकरण की 50 प्रतिशत लागत वहन करने का प्रस्ताव किया है और प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, रेलों द्वारा पहले से ही स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 2000-2001 के दौरान निधियों का आबंटन इस प्रकार है।

(1) बेंगलूरू-केंगेरी दोहरीकरण (12.5 कि.मी.)- 0.1 करोड़ रुपये।

(2) केंगेरी-रामनगरम दोहरीकरण (32 कि.मी.)- 0.1 करोड़ रुपये।

सौर ऊर्जा

2917. श्री तिरूनावकरसू: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में सौर ऊर्जा से कितनी ऊर्जा का उत्पादन हुआ; और

(ख) सौर ऊर्जा के लागत में लाभप्रद होने के कारण उसे एक वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) वर्तमान समय सौर में ऊर्जा का उपयोग देश में दो प्रमुख विधियों के माध्यम से किया जा रहा है- जल तापन, शुष्कन, कुकिंग आदि के लिए तापीय विधि और रोशनी को विद्युत में बदलने के लिए प्रकाशवोल्टीय विधि, जिसे रोशनी, पंपन, संचार, रेफ्रिजरेशन और विद्युत उत्पादन जैसे कई प्रकार के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। देश में स्थापित विभिन्न सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर सतापीय प्रणालियों से पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमानित ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जल तापन, कुकिंग जैसे अनुप्रयोगों तथा अविद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युत की छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा लागत प्रभावी पाई गई है। मंत्रालय, जागरूकता को बढ़ावा देने और राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर देश में विभिन्न सौर ऊर्जा उत्पादों के उपयोग में सहायता करने उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। हाल के वर्षों में उठाए गए कदमों में शामिल हैं:-

(1) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) और कुछ बैंकों के माध्यम से सौर तापीय प्रणालियों के लिए उदार ऋण की योजनाएं चलाई गई हैं।

(2) इरेडा द्वारा प्रकाशवोल्टीय बाजार विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त उदार ऋण की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(3) सौर उत्पादों के प्रभावकारिता, विश्वसनीयता और आर्थिकी में सुधार के उद्देश्य से की जाने वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सहायता की जा रही है।

(4) प्रकाशवोल्टीय उत्पादन संबंधी कार्यकलापों की सहायता करने के लिए उदार ऋण की एक योजना चलाई गई है।

(5) नए अनुप्रयोग क्षेत्रों में और नए बाजार के विकास के लिए विशेष प्रदर्शन परियोजनाएं अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित की जा रही है।

(6) कई श्रेणियों के भवनों में सौर प्रचालित जल तापन प्रणालियों को अनिवार्य बनाने के लिए एक आदर्श भवन उपनियमों का प्रारूप तैयार किया गया है और इसे सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

(7) सौर कुकरों के संवर्धन में स्वनियोजित कार्मिकों को शामिल करने के लिए एक योजना चलाई गई है।

(8) सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए देश में कतिपय क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की संज्ञा दी गई है।

(9) अन्य सरकारी विभागों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि जहां कहीं भी लागत प्रभावी हो, वे सौर ऊर्जा प्रणालियों का इस्तेमाल करें।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सौर ऊर्जा से अनुमानित ऊर्जा उत्पादन

	1997-98	1998-99	1999-2000
देश में स्थापित प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों से उत्पादित विद्युत ऊर्जा (मिलियन किवा. घं. विद्युत में)	36.45	45.225	51.975
देश में स्थापित सौर तापीय प्रणालियों से उत्पादित तापीय ऊर्जा (मिलियन किवा. घं. तापीय में)	429.25	463.80	495.72

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-पम्पों और गैस एजेंसियों का आबंटन

2918. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-पम्प और गैस-एजेंसियां खोले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पेट्रोल-पम्पों और गैस एजेंसियों को कब तक आबंटित किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश राज्य के लिए 1996-98 की वर्तमान विपणन योजना में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए 89 स्थान तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए 287 स्थान सम्मिलित किए जा चुके हैं। विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के संबंध में तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञापन दिया जाता है तथा डीलरों?डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने में आमतौर पर लगभग 6-12 महीने लगते हैं।

[अनुवाद]

न्यूनतम सल्फर डीजल की आपूर्ति

2919. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से संपूर्ण देश में सल्फर की मात्रा 0.05 प्रतिशत (अधिकतम) के साथ न्यूनतम सल्फर डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार को देश के विभिन्न भागों में अधिकतम 0.05 प्रतिशत गंधक मात्रा वाले अत्यन्त कम गंधक वाले डीजल की आपूर्ति की मांग के संबंध में अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

तेल उद्योग ने 1.4.2000 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से नए गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए 0.05 प्रतिशत अधिकतम गंधक मात्रा वाले अत्यन्त कम गंधक वाला डीजल आरम्भ कर दिया है।

पूरे देश में 0.05 प्रतिशत अधिकतम गंधक मात्रा वाले डीजल की आपूर्ति के लिए विद्यमान रिफाइनरियों में सुधार करने होंगे।

गोला-बारूद की कम आपूर्ति

2920. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों को बेसिक हाविटजर गोला-बारूद के आयात के आदेश देने के क्या कारण हैं जब भारतीय आयुध निर्माण कारखाने ऐसे गोला बारूद का निर्माण करने के लिए सभी आवश्यक मशीनों, उपस्करों आदि से सुसज्जित हैं;

(ख) क्या इन आयुध निर्माण कारखानों को आदेश न देना और समय रहते आदेश न देना भी गोला-बारूद की कम आपूर्ति के कारणों में से एक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन आयुध निर्माण इकाइयों का भी कुल अधिकतम क्षमता से कार्यकरण करना सुनिश्चित करने हेतु उपाय करेगी जिससे कि विदेशी आपूर्ति-कर्ताओं पर निर्भरता को टाला जा सके?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) एफ.एच. 77 बी हॉवित्जर तोप प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाला 155 मि.मी. गोला बारूद का आयुध निर्माणियों द्वारा स्वदेश में ही उत्पादन किया जा रहा है और यदि सेना की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आयुध निर्माणियों में क्षमता विद्यमान हो तो सामान्यतया इस गोला बारूद का आयात नहीं किया जाता है। 155 मि.मी. गोला बारूद की कतिपय उत्कृष्ट श्रेणियों का आयात हाल ही में ऐसे कुछ मामलों में किया गया है जहां स्वदेशी क्षमता अभी स्थापित की जानी थी अथवा सेना की गोला-बारूद संबंधी आवश्यकता आयुध निर्माणियों की उत्पादन क्षमता से अधिक थी। उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी वाले गोला बारूद के आयात के मामले में उसकी प्रौद्योगिकी भी प्राप्त की जाती है ताकि आयुध निर्माणियां बाद में स्वदेशी उत्पादन के लिए अधुनातन प्रौद्योगिकी को अपना सकें।

तेल और प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति

2921. श्री जी.जे. जावीया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की तेल और प्राकृतिक गैस की राज्य-वार वार्षिक मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादन में वृद्धि करने और आयात घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सूचना संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई है।

(ख) जी नहीं। कच्चे तेल की मांग तथा आपूर्ति के बीच का अंतर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। फिलहाल प्राकृतिक गैस का आयात नहीं किया जाता है।

(ग) उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग, रिजर्वायर की प्रकृति की बेहतर समझ, नए क्षेत्रों के विकास, वर्तमान क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास तथा अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी तथा निजी पूंजी आमंत्रित करके देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में वर्तमान रिफाइनरियों के विस्तार तथा संयुक्त व निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों की स्थापना करके देश में परिशोधन क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है।

विवरण-1

वर्ष 2000-2001 के लिए कच्चे तेल की अनुमानित मांग

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

राज्य	रिफाइनरी	मांग
गुजरात	आई ओ सी - कोयाली	
	आर पी एल	39.27
महाराष्ट्र	बी पी सी एल	
	एच पी सी- मुंबई	14.45
कर्नाटक	एम आर पी एल	10.52
केरल	के आर एल	7.50
तमिलनाडु	सी पी सी एल- चेन्नई	
	सी पी सी एल- नारीमनम	7.00
आंध्र प्रदेश	एच पी सी - विशाख	7.00
बिहार	आई ओ सी - बरौनी	4.00
बंगाल	आई ओ सी - हल्दिया	4.00
हरियाणा	आई ओ सी -पानीपत	5.70
उत्तर प्रदेश	आई ओ सी - मथुरा	8.00
असम	बी आर पी एल	
	आई ओ सी - डिग्बोई	
	आई ओ सी- गुवाहाटी	
	एन आर एल	5.39
योग	112.83	

देश में कच्चे तेल का उत्पादन 29.63 मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) होने का अनुमान है तथा राज्य-वार वितरण निम्नानुसार है:-

	एम एम टी
मुंबई अपतट	15.16
गुजरात	5.84
असम	5.34
आंध्र प्रदेश	2.34
अन्य राज्य	0.95
योग	29.63

विवरण-2

(एम एम एस सी एम डी)

राज्य	31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार आबंटन	30 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार आपूर्ति
महाराष्ट्र	17.60	9.81
गुजरात	26.02	15.88
मध्य प्रदेश	4.20	3.28
उत्तर प्रदेश	19.42	16.43
हरियाणा	2.75	2.96
राजस्थान	4.07	3.61
असम	10.76	5.25
त्रिपुरा	4.80	0.95
आन्ध्र प्रदेश	8.68	4.25
पांडिचेरी	0.20	0.16
तमिलनाडु	2.17	0.13
दिल्ली	3.08	0.79
योग	103.75	63.5

विद्युत क्षेत्र में विदेशी इक्विटी

2922. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दी है, जैसा कि दिनांक 13 जून, 2000 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति देने से देशी निजी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देशी कम्पनियों के हित में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) देश में बढ़ती हुई बिजली की मांग तथा इस क्षेत्र में और अधिक निवेश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को और अधिक उदार बनाने के लिए 12 जून, 2000 को बिजली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण (परमाणु ऊर्जा विद्युत संयंत्रों के अलावा) से संबंधित परियोजनाओं के बारे में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की ऊपरी सीमा को हटाने का निर्णय लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लूनी बाड़मेर मुनाबाव रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2923. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लूनी बाड़मेर मुनाबाव रेल लाइन के आमान परिवर्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस पर अब तक कितना खर्च हो चुका है और वर्ष 2000-01 के दौरान इसके निमित कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) उक्त लाइन पर आमान परिवर्तन का काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

(1) मिट्टी संबंधी कार्य:- लूनी-समदड़ी के बीच 50 कि.मी. लंबाई के लिए मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है और शेष भाग पर मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है, समग्र प्रगति लगभग 30% है।

(2) पुल संबंधी कार्य:- बड़े और छोटे पुलों पर कार्य प्रगति पर है, समग्र प्रगति लगभग 40% है।

(3) मिट्टी संबंधी कार्य:- मिट्टी सप्लाई प्रगति पर है। समग्र प्रगति लगभग 25% है।

(ख) (1) 31.3.2000 तक किया गया खर्च 20.84 करोड़ रुपये है।

(2) 2000-01 के दौरान 25 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

(ग) परियोजना के पूरा होने के लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

तेल क्षेत्र का कम उत्पादन

2924. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकसित देशों के अधिकांश तेल क्षेत्रों की तुलना में हमारे मौजूदा तेल क्षेत्रों की ड्रिलिंग दर काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ड्रिलिंग दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) किसी कूप की वेधन (छेदन) की दर भूवैज्ञानिक परिस्थितियों, वेधन की गहराई, प्रयुक्त वेधन प्रौद्योगिकी और लगाए गए उपस्कर जैसे घटकों पर निर्भर करती है। वेधन दर भूवैज्ञानिक दृष्टि से परिचित क्षेत्रों (परिचित विकास क्षेत्रों) में नए अथवा अपरिचित क्षेत्रों (अपरिचित जोखिम पूर्ण/अन्वेषणात्मक क्षेत्र) की तुलना में सामान्यतया बेहतर होती है। चूंकि परिस्थितियां स्थान दर स्थान भिन्न भिन्न होती हैं इसलिए ऐसी कोई तुलनाएं व्यवहार्य नहीं हैं।

(ग) वेधन दर में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकियों का लगातार उन्नयन करने और प्रचालनात्मक तकनीकों में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं।

रेलमार्गों और पुलों का बदला जाना

2925. श्री चिन्तामन वनगा:
श्री अनन्त नायक:
श्री राजो सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में जोन/राज्य-वार आज तक कौन-कौन से रेलमार्गों की कितनी लम्बाई और कितने पुलों को बदला जाना था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान किन-किन रेलमार्गों की कितनी लम्बाई और कितने पुलों को बदला गया और आज तक इन पर जोन/राज्य-वार कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों में रेलमार्ग और पुलों को बदले जाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्वी रेल के अन्तर्गत पटना-गया, गया-क्यूल और पटना-हावड़ा रेल लाइनें भी बदली जानी हैं;

(च) यदि हां, तो इन्हें कब तक बदल दिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या इन्हें बदलने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) पिछले तीन वर्षों और आलोच्य वर्ष में नवीकरण के लिए अपेक्षित रेलपथ का जोन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है रेलपथ नवीकरण और पुल पुनर्निर्माण का ब्यौरा जोन-वार रखा जाता है, न कि राज्य-वार अथवा मार्ग-वार, पुलों से संबंधित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) पिछले तीन वर्षों (जून तक) और आलोच्य वर्ष में बदले गए रेलपथ और उन पर किए गए खर्च का जोनवार ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है। रेलपथ नवीकरण, पुल पुनर्निर्माण और उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा जोनवार रखे जाते हैं। राज्य-वार अथवा मार्ग-वार नहीं। पुलों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। नवीकरण के लिए अपेक्षित रेलपथ की लंबाई और रेल बजट में उपलब्ध धनराशि के आधार पर रेलपथ नवीकरण के लिए लक्ष्य प्रतिवर्ष निर्धारित किए जाते हैं।

(ङ) पटना-गया, गया-किउल और पटना-हावड़ा लाइन पर रेलपथ के केवल उसी हिस्से का बदलाव किया जाएगा जो बदलाव के लिए अपेक्षित हैं।

(च) परिवर्तन की आवश्यकता और रेलवे बजट में उपलब्ध धनराशि के आधार पर रेलपथ का बदलाव कार्यक्रमबद्ध आधार पर किया जा रहा है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों और आलोच्य वर्ष में नवीकरण के लिए अपेक्षित रेलपथ का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

रेलवे	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
मध्य	2092	2122	1864	1772
पूर्व	1215	1150	1284	1279
उत्तर	2671	3004	3868	3764
पूर्वोत्तर	797	635	856	816
पूर्वोत्तर सीमा	420	419	918	539
दक्षिण	583	962	836	1100
दक्षिण मध्य	842	1026	1641	1705
दक्षिण पूर्व	2144	3076	2947	2113
पश्चिम	2068	1720	3042	2939
जोड़	12832	14114	17255	16627

विवरण-2

रेलपथ नवीकरण की प्रगति और उस पर खर्च का रेलवेवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(समूचे रेलपथ नवीकरण की प्रगति कि.मी. में और उस पर खर्च करोड़ रु. में)

रेलवे		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (जून तक)
1		2	3	4	5
मध्य	प्रगति	506	616	596	103
	खर्च	313.22	394.81	392.47	490*

1		2	3	4	5
पूर्व	प्रगति	351	321	236	87
	खर्च	230.98	173.09	177.01	250*
उत्तर	प्रगति	467	510	553	95
	खर्च	262.23	291.31	348.84	450*
पूर्वोत्तर	प्रगति	185	134	71	35
	खर्च	75	79.18	50.82	90*
पूर्वोत्तर सीमा	प्रगति	83	69	66	12
	खर्च	48.88	42.01	37.12	50*
दक्षिण	प्रगति	221	222	113	32
	खर्च	122.97	108.43	75.93	140*
दक्षिण मध्य	प्रगति	170	161	263	54
	खर्च	109.08	107.72	173.39	260*
दक्षिण पूर्व	प्रगति	615	634	703	189
	खर्च	417.53	397.87	541.21	600*
पश्चिम	प्रगति	353	300	406	72
	खर्च	225.34	205.15	236.21	270*
जोड़	प्रगति	2951	2967	3007	–
	खर्च	1805.23	1802.57	2042.0	2600*

* वर्ष 2000-2001 के लिए आबंटित धनराशि।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों द्वारा कच्चे तेल के प्रसंस्करण में कटौती

2926. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पहले निजी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों में कच्चे तेल के प्रसंस्करण में कटौती की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह कटौती कितनी अवधि के लिए की गई थी और इससे सरकार को कितना घाटा हुआ; और

(घ) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) निजी क्षेत्र में प्रचालन कर रही एक मात्र तेल रिफाइनरी, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड में, जुलाई, 1999 में इसके चालू होने के पश्चात् आज की तारीख तक क्रूड प्रसंस्करण के संबंध में कोई कटौती लागू नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दक्षिण-पश्चिम जोन का क्षेत्राधिकार

2927. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम जोन के विस्तृत भू-क्षेत्राधिकार के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण-मध्य रेलवे के गुंटकल डिवीजन का विलय नवगठित दक्षिण-पश्चिम जोन में करने से संबंधित स्थिति क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश दक्षिण-पश्चिम जोन में गुंटकल डिवीजन के विलय के विरुद्ध था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्व में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) नए जोनों की स्थापना जातिगत, प्रादेशिक और भाषा संबंधी आधार पर नहीं अपितु अर्थव्यवस्था और कार्य कुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप कतिपय कारकों यथा आकार कार्यभार पहुंच, यातायात का स्वरूप और अन्य परिचालनिक/प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

बुनकर योजनाओं का बंद करना

2928. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बुनकरों के लिए बाजार विकास सहायता योजना और हथकरघा विकास केन्द्र/क्वालिटी डाइंग यूनिट स्कीम बंद कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी समीक्षा की गई है और इसका समग्र मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) हथकरघा विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही अन्य योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) विपणन विकास सहायता तथा हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कृष्ठ रंगाई इकाई स्कीम क्रमश: दिनांक 1.4.2000 तथा 1.4.1998 से समाप्त हो गई है तथा इसके बाद कोई समीक्षा नहीं हुई।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में विकास के लिए सरकार निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रही है:

1. कार्यशाला-सह-आवास स्कीम
2. समूह बीमा स्कीम
3. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम
4. थ्रिफ्ट फंड स्कीम
5. नई बीमा स्कीम
6. प्रचार तथा प्रदर्शनी स्कीम
7. निर्यातयोग्य उत्पादों का विकास तथा उनके विपणन की स्कीम
8. विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम
9. मिल गेट कीमत स्कीम

रिफाइनरियों की क्षमता का विस्तार

2929. **श्री के. येरननायडू:**
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास रिफाइनरी, कोचीन रिफाइनरी और कावेरी बेसिन रिफाइनरी (तमिलनाडु) का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से अलग-अलग प्रत्येक की क्षमता को कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) मणली, चेन्नई में 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम एम टी पी ए) रिफाइनरी क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण परियोजना 333.82 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घटक सहित 2360.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर संस्वीकृत की गई है व परियोजना 36 महीनों में अर्थात् जुलाई, 2003 तक पूरी की जानी है।

नागपट्टिणम में कावेरी बेसिन रिफाइनरी (सी बी आर) की वर्तमान परिशोधन क्षमता घरेलू से व्यवधान दूर करके 0.5 से बढ़ाकर 1.00 एम एम टी पी ए की जा रही है। सी बी आर का विस्तार जुलाई, 2001 में चालू किया जाएगा।

कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड (के आर एल) की परिशोधन क्षमता 7.5 के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 13.5 एम एम टी पी ए करने का प्रस्ताव है। परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत (सितम्बर 1999 के आधार मूल्य पर) 4320 करोड़ रुपये है तथा यांत्रिक पूर्णता की अवधि निवेश अनुमोदन की प्राप्ति से 36 महीनों में अनुमानित की गयी है।

[हिन्दी]

नई विद्युत परियोजनाएं

2930. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य-वार कितनी नई विद्युत परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा राज्य-वार कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं मंजूर की गई हैं;

(ग) ये प्रस्ताव किस चरण पर लंबित पड़े हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा संस्थापित क्षमता कितनी है; और

(ङ) इन सभी परियोजनाओं को शीघ्रतिशीघ्र मंजूर किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) 2000-01 के दौरान चालू किए जाने के लिए निर्धारित विद्युत परियोजनाओं का उनकी अनुमानित लागत एवं अन्य सूचनाओं सहित ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है। 2000-01 के दौरान निजी क्षेत्र में 39 नई ताप विद्युत परियोजनाओं, जिनकी कुल क्षमता 22324.14 मे.वा. है, राज्य क्षेत्र में 5 ताप विद्युत परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 1470 मे.वा. है तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 7 परियोजनाओं जिनकी कुल क्षमता 6080 मे.वा. है को संभावित रूप से चालू किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2000-01 (अब तक) के दौरान योजना आयोग ने राज्य क्षेत्र के किसी भी विद्युत परियोजना को निवेश स्वीकृति नहीं दी है।

विवरण

2000-01 के दौरान चालू किए जाने के लिए निर्धारित विद्युत परियोजनाएं

क्र.सं.	यूनिट का नाम	क्षमता मे.वा	अद्यतन लागत लाख रु. में	चालू की गई	
				मूल	वास्तविक
1	2	3	4	5	6
ताप विद्युत					
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी-एसटी (हरि.)	144	99250	10/2000	31.7.2000
2.	पानीपत टीपीएस चरण-2/(हरि.)	210	85436	2/2001	2/2001
3.	सापरखेड़ा टीपीएस -यू-3 (महा.)	210	154500	5/2000	31.5.2000
4.	कापरखेड़ा टीपीएस यू-4 (महा.)	210	(यू. 3 व 4)	11/2000	11/2000
5.	बक्रेश्वर टीपीपी यू-2 (प.बं.)	210	249039	4/2000	29.5.2000
6.	बक्रेश्वर टीपीपी यू-3 (प.बं.)	210	यू-1, 2 व 3 के लिए	9/2000	11/2000
7.	लिमाखोंग डीजी यू-1 से 6 (मणि.)	6×6	12602	11/2000	12/2000

1	2	3	4	5	6
8.	कोविलकलप्पल जीटी + एसटी (तमि.)	107	के. वि. प्रा.	9/2000	10/2000
			के द्वारा	10/2000	11/2000
9.	कोंडापल्ली सीसीजीटी जीटी 1-2 एसटी		टीईसी अभी प्राप्त की जा रही रही है		
	आंध्र प्रदेश	350	180.616 मि.	6/2000	8/2000
			अमेरिकन डालर+	4/2000	22/6/2000
			385254 रु.	9/2000	10/2000
10.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर जीटी+एसटी तमिलनाडु	330.5	206.549	12/2000	12/2000
			अमेरिकन डालर	12/2000	12/2000
			+ 42980 रु.		
11.	समलपट्टी डीजी यू-1 से 4 तमिलनाडु	60	61.222 मि.	2/2001	2/2001
			अमेरिकन डालर +		
			15309.8 रु.	3/2001	3/2001
12.	जोजो बेश टीपीएस यू-1 बिहार	120	102519	1/2001	1/2001
13.	कोचीन सीसीजीटी यू-1 केरल	38	एन.ए.	5/2000	8/2000
14.	बरेली डीजी (कर्नाटक)	27.8	एन.ए.	5/2000	8/2000
जलं	विद्युत				
1.	दोयांग यू-1 से 3 (नागालैंड)	3×25	75870		6/2000
2.	घानवी यू-1 व 2 (हिमाचल प्र.)	2×11.25	9464	6/2000	6/2000
3.	अपर सिन्ध-2 (ज. एवं. क.)	35	3210000		12/2000
4.	अपर सिन्ध विस्तार (ज.व क.)	35	4227	2/2001	–
5.	सीवा-3 यू-1 से 3 ज.एवं. क.	3×3	6000	9/2000	–
6.	चेनानी-3 यू-1 से 3 ज. एवं क.	3×2.5	4623	9/2000	–
7.	पहलगांव यू-1 व 2 ज. एवं क.	2×1.5	एन. ए.	12/2000	–
				एमएनईएस के अंडर	
8.	रणजीत सागर यू-1 से 4 पंजाब	4×150	302000	7/2000, 8/2000	
				1/2000, 2/2001	–
9.	अपर इन्द्रावती यू-3 व 4 उड़ीसा	2×150	87542	8/2000, 2/2001	–
10.	श्री सैलम एलबी पावर हाउस यू-1 (ए.पी.)	150	232455	12.2000	–
11.	शरावती टीआर (कर्ना.)	60	40857	9/2000	–

[अनुवाद]

बड़े स्टेशनों का विकास

2931. श्री साहिब सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े शहरों (दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद और कानपुर आदि) में अधिकतर रेल स्टेशन आज की यातायात आवश्यकताएं पूरा करने में सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो स्टेशनों के दोनों ओर से प्रवेश करने और बाहर निकलने, हल्के वाहनों के यातायात से पैदल यात्रियों के आवागमन को अलग करने, भारी वाहनों के यातायात से हल्के वाहनों के यातायात को अलग करने, शहरी रेल से रेल यातायात का एकीकरण, यदि हो तो और विभिन्न तरह के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की दृष्टि से उक्त स्टेशनों में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है और इस तरह के वित्तपोषण के अलग-अलग स्रोत क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) बड़े रेलवे टर्मिनलों पर विशेषकर व्यस्त अवधि के दौरान क्षमता की समस्याएं हैं।

(ख) और (ग) समस्या से निपटने के लिए कार्यवाही आवश्यकता पर आधारित होती है और सतत उपाय प्रत्येक टर्मिनल की विशेषताओं पर आधारित होते हैं। ऐसे मामलों में संसाधनों की उपलब्धता भी कार्रवाई का निर्धारण करती है।

टर्मिनलों पर यातायात के बेहतर संचलन के उद्देश्य से स्टेशनों पर दोहरे प्रवेश, पैदल यात्रियों का संचलन वाहन यातायात से अलग करना, विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग, शहरी रेल परिवहन प्रणाली के साथ एकीकरण जैसाकि कलकत्ता और चेन्नई में है आदि जैसे उपाय किए जाते हैं।

ये उपाय निरंतर लागू किए जाते हैं और तदनुसार धन की व्यवस्था की जाती है। धन की व्यवस्था रेलवे के आंतरिक स्रोतों से की जाती है।

रिक्ति आधारित रोस्टर के स्थान पर पद आधारित रोस्टर

2932. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिक्ति आधारित रोस्टर तभी तक संचालित हो सकती है जब तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन आरक्षण के एक निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच जाए;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों के अंतर्गत रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में पद आधारित रोस्टर लागू किए गए हैं; और

(ग) सेवाओं की इन श्रेणियों में रिक्तियां आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टरों को लागू किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उच्चतम न्यायालय ने आर.के. सभरवाल के मामले में (ए.आई.आर. 1995 एस.सी. 1371, पृष्ठ 1375) यह अभिनिर्धारित किया था कि रोस्टर और चालू खाते का चलना तब तक अनुज्ञात किया जाता रहेगा जब तक कि आरक्षण की विहित प्रतिशतता पूरी नहीं हो जाती और इसके पश्चात् काडर में होने वाली रिक्तियां ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग में से भरी जाएंगी, जिनसे वे संबंधित हैं।

(ख) सेवा के सभी प्रवर्गों में पद-आधारित रोस्टर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, 02.07.1997 से लागू किया गया था।

(ग) आर.के. सभरवाल के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए पद-आधारित रोस्टर लागू किया गया था।

बेलूर (कर्नाटक) में रसोई गैस एजेंसी

2933. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि बेलूर के रसोई गैस के उपभोक्ताओं को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सक्लेशपुर, अरसिकरे और अन्य स्थानों से रसोई गैस लानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बेलूर में रसोई गैस वितरक नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कर्नाटक में हासन जिले में बेलूर में ग्राहकों को एल पी जी की सुविधा सक्लेशपुर तथा अरसिकरे के डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

(ख) और (ग) बेलूर में स्थान के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए विपणन योजना में एक एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप सम्मिलित कर ली गई है। विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के संबंध में तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिया जाता है तथा डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने में आमतौर पर लगभग 6-12 महीने लगते हैं।

आदर्श आचार संहिता

2934. श्री कमल नाथ: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों की घोषणा की तारीख से आदर्श आचार संहिता करने संबंधी फैसले को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे रखने के बारे में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह वांछा की है कि आदर्श आचार संहिता निर्वाचनों की घोषणा की तारीख से लागू होनी चाहिए जैसा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरबंस सिंह जलाल के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

(ख) इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के साथ विचार-विमर्श जारी है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

2935. श्री जयभद्र सिंह:
डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री चन्द्रेश पटेल:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने मतदाताओं ने हाल ही में हुए लोक सभा, विधान सभा और पंचायतों के चुनावों में वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान किया है;

(ख) क्या सरकार चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के उपयोग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सभी राज्यों में मशीन के माध्यम से मतदान कराने के लिए, ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव हों, सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) प्रत्येक राज्य के लिए वोटिंग मशीन खरीदने हेतु कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) ऐसे मतदाताओं, जिन्होंने हाल ही में हुए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से मतदान किया, की संख्या के बारे में आंकड़ों से युक्त विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। पंचायतों का निर्वाचन राज्य का विषय है और ये राज्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा कराए जाते हैं न कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा और इसलिए, इस संबंध में, सरकार द्वारा जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार को आगामी वर्ष के दौरान कराए जाने वाले राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में उपयोग के लिए अतिरिक्त 1,50,000 इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें क्रय करने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुआ है और इसकी समीक्षा की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 150 करोड़ रुपये के कुल व्यय का प्राक्कलन किया गया है। इस संबंध में, निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय का राज्यवार प्राक्कलन नहीं किया गया है।

विवरण

ऐसे मतदाताओं, जिन्होंने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से मतदान किया, की संख्या के बारे में आंकड़े।

(1) 1999 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन

राज्य का नाम	ऐसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जहां इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया था	मतदान केन्द्रों की संख्या	निर्वाचकों की संख्या	ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन के माध्यम से मतदान किया
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	02	3,705	3,336,830	2,054,469
गोवा	02	1,135	908,800	409,944
गुजरात	02	3.121	3,152,817	1,269,027
हरियाणा	02	2,837	2,070,082	1,405,429
कर्नाटक	03	5,351	4,615,119	2,732,896
केरल	02	2,475	2,378,669	1,534,430
मध्य प्रदेश	02	3,139	2,854,795	1,593,427
महाराष्ट्र	04	5,156	4,672,305	2,130,043
उड़ीसा	01	1,566	1,318,541	625,351
पंजाब	03	4,122	3,636,383	2,248,492
राजस्थान	02	3,464	2,861,070	1,402,963
तमिलनाडु	04	6,373	6,340,218	3,178,037
उत्तर प्रदेश	04	6,508	5,642,291	2,680,735
पश्चिम बंगाल	03	3,449	2,830,782	1,908,051
चंडीगढ़	01	644	584,656	282,879
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र	07	8,539	8,707,436	3,793,697
पांडिचेरी	01	778	702,176	444,174
योग	45	62,362	56,612,969	29,694,044

(2) 1999 में हुए राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन

राज्य का नाम	ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जहां इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया था	मतदान केन्द्रों की संख्या	निर्वाचकों की संख्या	ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन के माध्यम से मतदान किया
गोवा (जून, 1999)	40 (संपूर्ण राज्य)	1,135	908,849	577,308
आंध्र प्रदेश	14	3,705	3,336,830	2,054,469
कर्नाटक	24	5,351	4,615,119	2,732,896
महाराष्ट्र	24	5,156	4,672,305	2,130,043

(3) 2000 में हुए राज्य विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन

राज्य का नाम	ऐसे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या जहां इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया था	मतदान केन्द्रों की संख्या	निर्वाचकों की संख्या	ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन के माध्यम से मतदान किया
हरियाणा	45	8,077	5,826,607	3,917,946
उड़ीसा	10	2,339	1,964,225	1,054,013

[हिन्दी]

बढ़िया किस्म की रेशम का उत्पादन

2936. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और जापान जैसे अन्य देशों की तरह बढ़िया किस्म की रेशम के उत्पादन की कोई संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां। जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी की सहायता से सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से देश में द्विफसलीय रेशम उत्पादन विकास प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। यह परियोजना, जो कि वर्ष 1991 में शुरू हुई और जिसने कुछ प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक विकास किया है, अप्रैल, 1997 से पांच वर्ष के अपने दूसरे चरण में है और यह क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अंतरित करने, भारतीय दशाओं में इसको अपनाने तथा विस्तार की प्रक्रिया के सही सैट का पता लगाने के कार्य में लगी है। अभी तक ये उपाय प्रोत्साहनजनक रहे हैं। द्विफसलीय प्रजातियों के वाणिज्यिक उपयोग से ऐसी आशा है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन होने लगेगा।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं का हिस्सा

2937. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित विद्युत परियोजनाओं द्वारा एक दूसरे को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत का अनुपात कितना है;

(ख) क्या राजस्थान विद्युत बोर्ड मध्य प्रदेश में स्थित सतपुडा ताप विद्युत स्टेशन यूनिट संख्या 1 के रखरखाव का अपने हिस्से का नियमित रूप से भुगतान नहीं कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) राजस्थान विद्युत बोर्ड पर मध्य प्रदेश की बकाया धनराशि कितनी है और इसके भुगतान के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य निम्नलिखित संयुक्त उद्यम विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे है और इन परियोजनाओं में मध्य प्रदेश और राजस्थान की विद्युत हिस्सेदारी निम्नवत है:-

विद्युत परियोजना का नाम	स्थल	मध्य प्रदेश का हिस्सा	राजस्थान का हिस्सा
राणाप्रताप सागर एचपीएस (99 मे.वा.)	राजस्थान	50%	50%
जवाहर सागर एचपीएस (172 मे.वा.)	राजस्थान	50%	50%
गांधी सागर एचपीएस (115 मे.वा.)	मध्य प्रदेश	50%	50%
सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन न. 1 (312.5 मे.वा.)	मध्य प्रदेश	60%	40%

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सं. 1 में उत्पादित होने वाली ऊर्जा मे राजस्थान के हिस्से का उपयोग कर रहा है और राजस्थान अपने हिस्से की विद्युत में से मध्य प्रदेश द्वारा उपयोग में लाई जा रही विद्युत की लागत का समायोजन सतपुड़ा ताप विद्युत स्टेशन सं. 1 के ओ एण्ड एम खर्च से कर रहा है।

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के अनुसार 30 जून 2000 की स्थितिनुसार मध्य प्रदेश की राजस्थान पर बकाया राशि सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सं. 1, गांधी सागर, राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर जल विद्युत स्टेशन के ओ एण्ड एम खर्च तथा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सं. 1 (आर एस ई बी का हिस्सा) से एम एस ई बी द्वारा की जाने वाली अतिरिक्त विद्युत निकासी पर विचार करते हुए 181.71 करोड़ रुपये बैठती है। एमपीईबी बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए सतपुड़ा विद्युत गृह संख्या 1 से राजस्थान हिस्से से विद्युत की अतिरिक्त निकासी कर रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ने एक दूसरे के खिलाफ बकाया देय राशियों का भिन्न-भिन्न मूल्यांकन किया है। इस मुद्दे पर 3.6.99 को मध्य प्रदेश राजस्थान अन्तर राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की हुई बैठक में भी चर्चा की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त उल्लिखित परियोजनाओं के ओ एण्ड एम खर्च का मिलान संयुक्त रूप से करना चाहिए तथा अपेक्षित आंकड़ों को अन्तिम समझा जाना चाहिए। मिलान किए बकाया देय राशियों के आंकड़ों के संबंध में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का डीजल आधारित परियोजनाओं में परिवर्तन

2938. श्री जे.एस. बराड़:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र के अंतर्गत आने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को डीजल आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में परिवर्तित करने का विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) इस परिवर्तन के कारण प्रत्येक परियोजना पर कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इस परिवर्तन के बाद विद्युत उत्पादन लागत में कितनी अनुमानित वृद्धि/कमी होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) एनटीपीसी के सभी गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र (गांधार को छोड़कर) तरल ईंधन, जो वैकल्पिक ईंधन है तथा गैस की कमी पर प्रयुक्त होता है से प्रचालन में समर्थ है इनकी डिजाईन की गई है तथा ये हाईस्पीड डीजल फायरिंग की क्षमता रखते हैं।

एनटीपीसी ने गांधार में भी तरल ईंधन ज्वलन सुविधा उपलब्ध कराने पर बाद में विचार किया है, जिसका परियोजना की पूंजी लागत पर नगण्य प्रभाव है। बहरहाल, वर्तमान में भारतीय गैस प्राधिकरण लि. गांधार संयंत्र को हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (एचबीजे) से जोड़ने के लिए पाईपलाइन बिछा रहा है ताकि गांधार संयंत्र की अधिकतम उत्पादन क्षमता का उपयोग करने हेतु गैस की आपूर्ति को पूरा किया जा सके जिससे कि इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सकेगा।

[अनुवाद]

हथकरघा विकास केन्द्र और गुणवत्ता वाली रंगाई की इकाईयां

2939. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार, विशेषकर गुजरात में कितने हथकरघा विकास केन्द्र और कितनी गुणवत्ता युक्त रंगाई की इकाईयां मौजूद हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक कितनी नई इकाइयों की स्थापना की गई;

(ग) बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) गुजरात सहित देश में स्वीकृत हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कृष्ट रंगाई इकाईयों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) स्कीम 1997-98 से प्रचालन में थी। स्कीम के प्रचालन के अंतिम वर्ष के दौरान 260 नये हथकरघा विकास केन्द्र तथा 78 उत्कृष्ट रंगाई इकाईयां स्वीकृत की गई थी। भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए गुजरात सहित राज्य सरकारों को विकासात्मक तथा कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता अब भी प्रदान कर रही है।

विवरण

गुजरात सहित देश में स्वीकृत हथकरघा विकास केन्द्रों तथा उत्कृष्ट रंगाई इकाईयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	हथकरघा विकास केन्द्रों की संख्या	उत्कृष्ट रंगाई इकाईयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	397	151
2.	असम	103	-
3.	बिहार	53	19
4.	गुजरात	7	-
5.	हरियाणा	1	-
6.	हिमाचल प्रदेश	11	3
7.	जम्मू व कश्मीर	3	-
8.	कर्नाटक	30	4
9.	केरल	72	12
10.	मध्य प्रदेश	28	6
11.	महाराष्ट्र	20	3
12.	नागालैंड	142	7
13.	उड़ीसा	214	40
14.	राजस्थान	1	-
15.	तमिलनाडु	324	36
16.	त्रिपुरा	13	10
17.	उत्तर प्रदेश	89	51
18.	पश्चिम बंगाल	197	40
19.	पांडिचेरी	5	-
	कुल	1710	382.00

कोंकण रेल मार्ग में खराबी

2940. श्री रमेश चेन्नितला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारी वर्षा के कारण कोंकण रेलवे लाइन में खराबी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो कोंकण रेलवे कार्पोरेशन ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वहां से अब तक कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गई हैं और इससे कोंकण रेलवे कार्पोरेशन को कितना घाटा हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, अभूतपूर्व बारिश होने के कारण भूस्खलन हुआ था जिसके परिणामस्वरूप जून/जुलाई, 2000 में यातायात बाधित हुआ था।

(ख) कोंकण रेलवे ने मरम्मत के लिए व्यक्तियों और सामग्री को जुटाकर युद्ध स्तर पर पुन: स्थापन का कार्य किया था।

(ग) भारी वर्षा के कारण भूस्खलन होने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान कुल 190 गाड़ियां, जिनमें 67 गाड़ियां 11.6.2000 से 15.6.2000 के बीच तथा 123 गाड़ियां 6.7.2000 से 19.7.2000 के बीच रद्द की गयी हैं। इस कारण 6.43 करोड़ रुपये की आमदनी की हानि हुई है और 0.43 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा।

[हिन्दी]

रेलवे खान-पान प्रणाली

2941. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री दहयाभाई वल्लभभाई पटेल:
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री मोहन रावले:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलगाड़ियों में विशेषकर राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में रेलवे खान-पान सेवा के माध्यम से यात्रियों को घटिया और अस्वास्थ्यकर भोजन दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, "खान-पान" सेवाओं के स्तर और गुणवत्ता में और सुधार लाने के उद्देश्य से रेलवे ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे कि खाने की थाली के स्थान पर तीन पीस कैसरोल पैक्ड भोजन की शुरुआत, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्रियों की शुरूआत, कुल्हड़ों में दही की आपूर्ति, मिनरल वाटर की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, राजधानी/शताब्दी और अन्य सुपरफास्ट गाड़ियों के मीनू और सेवाओं की समीक्षा करना। मंडल/क्षेत्रीय और बोर्ड के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। खान-पान सेवाओं में सुधार सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों द्वारा अचानक जांचें/निरीक्षण किए जाते हैं। प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाती है। जिन शिकायतों के निवारण के लिए बोर्ड कार्यालय में एक "खान-पान निगरानी कक्ष" भी स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का पुनरुद्धार

2942. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार एएमएसीओ, अमरीका और एनआईओसी, ईरान के सक्रिय सहयोग से मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एम.एफ.एल.) का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले महीने तक इसकी शेयरधारिता की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है और शेयरों के मामले में इसका निष्पादन कैसा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन, बिक्री, अर्जित आय और व्यय के संबंध में एमएफएल का कार्य निष्पादन कैसा रहा;

(घ) क्या अधिक जैव उर्वरक के उत्पादन हेतु सरकार द्वारा एमएफएल के विस्तार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम.एफ.एल.), चेन्नई के संयंत्रों का पुनरुद्धार 601.43 करोड़ रुपये की कुल लागत से मार्च, 1998 में पूर्ण हो गया है। परियोजना का वित्त पोषण 113.32 करोड़ रुपये (22%) के साम्य पूंजी घटक और 468.11 करोड़ रुपये (78%) के ऋण से किया गया था। प्रवर्तकों (भारत सरकार तथा एन आई ओ सी, ईरान) ने मिलकर साम्य पूंजी में 92.63 करोड़ रुपये का अंशदान किया और शेष धनराशि जनता को शेयर निर्गत करके तथा एम एफ एल के आन्तरिक उपार्जन के माध्यम से जुटाई गई ऋण भाग की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों, भारत सरकार अन्य कारपोरेट्स व ऋणपत्रों के माध्यम से की गई थी।

(ख) दिनांक 31-7-2000 की स्थिति के अनुसार एम एफ एल की प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की 59.15%, एन आई ओ सी, ईरान की 24.92% और जनता की 15.93% शेयर धारिता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, उत्पादन बिक्री, व्यय और लाभ/हानि में एम एफ एल के कार्य निष्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गऐ हैं:-

क्र.सं.		1997-98	1998-99	1999-2000 अनन्तिम
1.	यूरिया (000, मी. टन)	63.71	327.98	403.76
2.	एन पी के (000, मी. टन)	458.68	732.91	811.26
3.	शुद्ध बिक्री/आय (रु. करोड़)	546.77	1161.17	1230.04
4.	व्यय (रु. करोड़)	602.12	1186.91	1205.06
5.	शुद्ध आय/हानि (रु. करोड़)	(55.35)	(25.74)	(24.98)

(घ) और (ङ) जैव उर्वरक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना/विस्तार करने हेतु सहायता अनुदान देने के लिए एक केन्द्रीय योजना है जिसके तहत एम एफ एल ने अपने मनाली, चेन्नई स्थित जैव उर्वरक संयंत्र की क्षमता 100 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 150 टन प्रति वर्ष करने के लिए सरकार से 7 लाख रुपये की सहायता अनुदान के लिए अनुरोध किया है।

नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

2943. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों का उचित पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विस्फोट किए जाने के कारण कई भवनों में दरारें पड़ गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन भवनों की मरम्मत किए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) परियोजना प्राधिकारियों नामश: नाथपा-झाकरी पावर कार्पोरेशन (एनजेपीसी) ने इस बात की पुष्टि की है कि हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकरी जल विद्युत परियोजना (1500 मे.वा.) के निर्माण के कारण प्रभावित हुए व्यक्तियों के लिए उचित पुनर्वास किया गया है।

एनजेपीसी ने अगस्त, 1996 से सितम्बर, 1997 के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स (एनआईआरएम) द्वारा एक अध्ययन करवाया था जिसमें यह पता चला कि ढांचे को पहुंचे नुकसान का कारण केवल परियोजना क्षेत्र में हुआ विस्फोट ही नहीं था बल्कि इसके कई और कारण भी हो सकते हैं। एनआईआरएम के अध्ययन ने विस्फोट कार्य के प्रभाव के रेडियल जोन को अभिज्ञात किया है जिसमें इस ढांचे को क्षति पहुंच सकती थी। एनआईआरएम की खोज के आधार पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को हुए नुकसान का आकलन किया है। शिमला जिले के अंतर्गत आने वाले गांवों में प्रभावित गांववासियों को राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा 52.40 लाख रुपये का संवितरण किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस नुकसान के पुन: मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक अतिरिक्त निधियां परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेंगी ताकि इन्हें प्रभावित गांववासियों को संवितरित किया जा सके।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन

2944. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में विद्युत परियोजनाएं

2945. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान केरल सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अभी तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और बाकि परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान अर्थात् जुलाई, 1998 से जून, 2000 तक तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाएं प्राप्त की गई:-

परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि
1. कोझीकोड हैवी फ्यूल (128 मे.वा.)	जुलाई, 1999

स्थिति: इस परियोजना को मूल रूप से के.वि.प्रा. द्वारा अक्तूबर, 1994 में टीईसी प्रदान की गई थी और इसे अक्तूबर, 1995 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदुपरान्त, केरल रा.वि.बोर्ड ने परियोजना के कार्य स्थल को तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर इडक्करा से बदलकर नल्लालन कर दिया। केरल रा.वि. बोर्ड ने अब कोझीकोड में नल्लालन में संशोधित प्रस्ताव हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस प्रस्ताव पर केएसईबी के प्रतिनिधियों द्वारा के.वि.प्रा. के साथ 3.11.99 को आयोजित एक बैठक में विचार किया गया था। बैठक में मांगे गए ब्यौरे/स्पष्टीकरण अभी भी केरल रा.वि.बो. से प्रतीक्षित हैं।

2. कन्नूर सीसीजीटी (513 मे.वा.)	नवम्बर, 1999

स्थिति: इस परियोजना हेतु डीपीआर मूल रूप से जनवरी, 1997 में प्राप्त की गई थी। तथापि, इसे आवश्यक निवेशों की कमी की वजह से वापिस कर दिया गया। केरल द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव को के.वि.प्रा. की स्वीकृति हेतु नवम्बर, 1999 में प्राप्त किया गया था। इस प्रस्ताव को 28.1.2000 को टीईसी प्रदान की गई है।

पिछले दो वर्षों के दौरान केरल सरकार से अनुमोदित हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कोई जल विद्युत स्कीम प्राप्त नहीं की गई है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद में एक तेलशोधक कारखाने की स्थापना

2946. श्री धर्म राज सिंह पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद जिले के बारा तहसील के शंकरगढ़ प्रखंड के ढोकरी क्षेत्र में एक तेलशोधक कारखाने की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तेलशोधक कारखाने को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड ने जिला इलाहाबाद की बारा तहसील में शंकरगढ़ के समीप लोहगरा में 7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की ग्रासरूट रिफाइनरी स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) इस परियोजना के सभी सांविधिक अनुमोदनों के प्राप्त होने और वित्तीय बन्दी के 48 माह के भीतर पूरा होने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड पर डी एम यू रेलगाड़ियां शुरू करना

2947. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली-रेवाड़ी खण्ड पर यात्रियों की अधिक संख्या का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली-रेवाड़ी के बीच डी एम यू सेवा शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अतिरिक्त कोचिंग स्टॉक की कमी सहित संसाधनों की तंगी।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्र की स्थापना

2948. श्री शीश राम ओला: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के झुंझुनू के भडौना खुर्द गांव में कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड द्वारा 200 मेगावाट विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य किस हद तक पूरा कर लिया गया है और इस संयंत्र को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 27.2.1997 को राजस्थान झुंझुनू में कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड (कृभको) द्वारा एक 200 मे.वा. विद्युत परियोजना की स्थापना किए जाने के बारे में सूचित किया है। के.वि.प्रा. ने परियोजना के ब्यौरे के बारे में कुछ प्रश्न उठाए थे, परंतु उर्वरक विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

विद्युत राजसहायता संबंधी अध्ययन

2949. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबों को विद्युत राजसहायता देने संबंधी अध्ययन करने हेतु पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और पैनल के विचारणीय विषय क्या हैं;

(ग) क्या पैनल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पैनल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड का गठन

2950. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री पी.आर. खूंटे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में तेल चयन बोर्डों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल चयन बोर्डों का कार्यकाल कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार ने निम्नांकित संघटन से डीलर चयन बोर्डों जिन्हें पहले तेल चयन बोर्ड के रूप में जाना जाता था का गठन किया है:-

(1)	सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश	अध्यक्ष
(2)	उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, संबंधित तेल कंपनी का उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
(2)	उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, दूसरी तेल कंपनी का उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य

इन डीलर चयन बोर्डों के अध्यक्ष अपने पद पर तब तक रहते जब तक सरकार को उनकी जरूरत होती है तथा उनका कार्यकाल एक ऐसी अवधि के लिए है जो दो वर्ष से अधिक की न हो।

[अनुवाद]

उड़ीसा में तेलशोधक कारखाने

2951. श्री अनन्त नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कुछ तेलशोधक कारखानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) उड़ीसा में पारादीप के निकट गांव अभयचन्द्रपुर में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम एम टी पी ए) क्षमता की एक रिफाइनरी स्थापित कर रही है और वर्तमान समय सूची के अनुसार इस परियोजना के अगस्त, 2003 में पूरी होने की आशा है।

इसके अतिरिक्त, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत पारादीप में 2.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की एक ल्यूब रिफाइनरी के लिए मैसर्स अशोक लीलैण्ड को आशय पत्र जारी किया गया था।

[हिन्दी]

ब्रिटिश कम्पनी की रेलें

2952. श्री अनंत गुढ़े: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटिश कम्पनी की कुछ रेलगाड़ियां अभी भी देश में कुछ छोटी लाइनों पर चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा उन्हें रायल्टी के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने तथा उक्त रेलगाड़ियों को भारतीय रेल के अधीन चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। बहरहाल रेलवे की निम्नलिखित छोटी लाइनें जिसमें इन चल रही चेंल स्टॉक भी शामिल है आजादी से पहले से निजी कंपनियों के स्वामित्व में हैं

(1) अहमदपुर- कटवा और

(2) मुर्तजापुर-यावतमला

(i) मुर्तजापुर-अवलपुर और

(ii) पुतगांव-आर्वी

स्वामित्व वाली कंपनियां पहले मद के लिए दि अहमदपुर-कटवा रेलवे कंपनी लि. और दूसरे मद के लिए दि. सेट्रल प्रोविसेज कंपनी लि. है। ये कंपनियां ब्रिटिश नहीं अपुति भारतीय कंपनियां हैं, जिन्हें तत्कालीन भारतीय कंपनी अधिनियम, के तहत शामिल किया गया था।

(ख) इन कंपनियों को कोई रायल्टी नहीं दी जा रही है। भारतीय रेवले द्वारा परिचालित इन लाइनों के करारों के तहत वित्तीय शर्तें संलग्न विवरण में दर्शायी गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

निजी रेल कंपनियों के साथ करारों को शासित करने वाली वित्तीय शर्तें

1. *अहमदपुर-कटवा रेलवे कंपनी लि.*

कंपनी के साथ हुए करार के तहत, यदि एक वर्ष में सकल प्राप्तियां प्रदत पूंजी का 3.5 प्रतिशत प्रतिफल अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तब इस घाटे को सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, यदि प्राप्तियां प्रदत पूंजी के 3.5% से अधिक किंतु 5% से कम की होती हैं तब अतिरिक्त धनराशि कंपनी द्वारा रखी जाएगी। सकल प्राप्तियां प्रदत्त पूंजी से 5% से अधिक होने की अवस्था में अधिशेष कंपनी और सरकार के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा। इस समय कंपनी को सालाना प्रदत्त पूंजी के 3.5% के समतुल्य ही धनराशि अदा की जा रही है।

2. *दि सेंट्रल प्रोविसेंज रेलवेज कंपनी लि.*

कंपनी के साथ हुए करार के तहत परिचालनिक और अनुरक्षण खर्चों के लिए मध्य रेलवे द्वारा सकल आमदनी का 45% रखा जाता है। यदि शेष धनराशि कंपनी की 94 लाख रुपये पूंजी पर सालाना 5% प्रतिफल और प्रबंधन खर्च के लिए सालाना 21000

रुपये जुटाने के लिए अपर्याप्त होती है तब कंपनी को यह घाटा मध्य रेलवे द्वारा पूरा किया जाएगा। यदि शेष धनराशि गारंटीशुदा प्रतिफल से ज्यादा होती है जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है, तब इसे मध्य रेल और कंपनी द्वारा बराबर-बराबर बांट लिया जाता है।

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा

2953. श्री दिग्शा पटेल: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नौवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं तथा इसके लिए किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान गुजरात में क्रियान्वित की गई योजनाओं और वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के आगामी दो वर्षों के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु किए गए/प्रस्तावित आवंटन का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) देश भर में बायोगेस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास तथा लघु पन बिजली जैसे क्षेत्रों में काफी सारे अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। नौवीं योजना अवधि के लिए वित्तीय आवंटनों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) गुजरात राज्य में, नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं तथा रिलीज की गई निधियों की स्थिति संलग्न विवरण 2 में दी गई है।

(ग) और (घ) गुजरात राज्य सहित पूरे देश में नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान सभी वर्तमान योजनाओं/कार्यक्रमों को जारी रखने का प्रस्ताव है। वर्ष 2000-2001 के लिए कार्यक्रम-वार वित्तीय आवंटनों और निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण-3 में दिए गए हैं। वर्ष 2001-2002 के लिए आवंटनों तथा वास्तविक लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण-1

9वीं योजना अवधि के दौरान बजटीय आवंटनों सहित कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा

		वित्तीय (रु. करोड़ में)	वास्तविक
क्रम सं.	कार्यक्रम/योजना	9वीं योजना आवंटन	9वीं योजना वास्तविक लक्ष्य
1	2	3	4
1.	बायोगैस	286.00	10 लाख
2.	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	30.00	800
3.	उन्नत चूल्हा	84.00	150 लाख
4.	बायोमास/गैसीफायर	25.00	40 मे.वा.
5.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	53.00	660 (पुराने ब्लॉक)
			200 (नए ब्लॉक)
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम	219.00	-
	एसपीवी घरेलू रोशनी		2 लाख
	एसपीवी लालटेन		3 लाख
	एसपीवी विद्युत संयंत्र		1.6 मे.वा.

1	2	3	4
7.	एसपीवी पंप	46.50	4000
8.	एसपीवी अनुसंधान एवं विकास	25.00	-
9.	सौर तापीय (एसटी) ऊर्जा	34.00	-
	सौर जल तापन प्रणालियां (वर्गमी, संग्राहक क्षेत्र		1.5 लाख
	सौर कुकर		1.5 लाख
10.	पवन पंप एवं हाइब्रिड प्रणालियां	8.00	1000
			250 कि.वा.
11.	पवन विद्युत	63.00	1000 मे.वा.
12.	लघु पनबिजली (एसएचपी)	187.00	-
	(एसएचपी)		130 मे.वा.
	(पन चक्कियां)		700
	(मरम्मत एवं रखरखाव)		65 मे.वा.
13.	बायोमास विद्युत	226.00	314 मे.वा.
14.	सौर विद्युत	63.00	141.5 मे.वा.
15.	शहरी एवं औद्योगिक तथा राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा बोर्ड	62.00	42 मे.वा.
16.	अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य सहायक कार्यकलाप	150.64	-

मे.वा. = मेगावाट, कि.वा.= किलोवाट, वर्गमी. = वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र

विवरण-2

गुजरात राज्य में नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान कार्यान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं तथा रिलीज की गई निधियों की स्थिति

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यक्रम	वास्तविक प्रगति	रिलीज की गई निधियां (रु. करोड़ में)
1	2	3	4
1.	बायोगैस संयंत्र	32.333	11.04
2.	सामुदायिक/संस्थागत/ विष्ठा आधारित संयंत्र	26	0.26
3.	उन्नत चूल्हा	2.56 लाख	10.03
4.	ऊर्जा पार्क	4	0.08
5.	पवन विद्युत	20 मे.वा.	0.54
6.	बायोमास विद्युत	0.5 मे.वा.	0.20
7.	बायोमास गैसीफायर्स	650 कि.वा.	0.03
8.	सौर प्रकाशवोल्टीय		1.93
	1. सौर लालटेन	2212	-
	2. घरेलू रोशनी प्रणालियां	7000	-
	3. सड़क रोशनी प्रणालियां	3350	-
9.	पंपन प्रणालियां		
	(क) एसपीवी पंपन	3	0.37
	(ख) जल पंपन पनचक्कियां	149	-
10.	अपशिष्ट से ऊर्जा (मे.वा)	2 मे.वा.	2.22

विवरण-3

वर्ष 2000-01 के लिए कार्यक्रमवार वित्तीय आवंटनों तथा निर्धारित किए गए वास्तविक लक्ष्यों के ब्यौरे

क्रम सं.	कार्यक्रम	बजट अनुमान	वास्तविक लक्ष्य 2000-2001
1.	बायोगैस	62.00	1,80,000 लाख
	सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र	7.00	400
2.	उन्नत चूल्हा	21.00	25 लाख
3.	बायोमास/गैसीफायर	5.20	7 मे.वा.
4.	समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	9.00	-
5.	विशेष क्षेत्र प्रदर्शन पार्क एसएसडीपी	1.50	36
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम	52.00	-
	एसपीवी घरेलू रोशनी		50000
	एसपीवी लालटेन		70000
	सड़क रोशनी प्रणालियां		3000
	एसपीवी विद्युत संयंत्र एवं अन्य प्रणालियां		275 कि.वा.पी.
7.	एसपीवी पंप	9.50	700
8.	एसपीवी अनुसंधान एवं विकास	3.00	-
9.	सौर तापीय (एसटी) ऊर्जा घरेलू सौर जल तापन प्रणालियां सौर कुकर	4.00	- 35000 वर्गमी. संग्राहक क्षेत्र 35000 सं.
10.	सौर ऊर्जा केन्द्र	2.00	-
11.	पवन पंप एवं हाइब्रिड प्रणालियां	1.50	200 60 कि.वा.
12.	पवन विद्युत	12.00	200 मे.वा.
13.	लघु पनबिजली (एसएचपी)	34.00	40 मे.वा.
	(मरम्मत एवं रखरखाव)		20 मे.वा.
	(पन चक्कियां)		200
14.	बायोमास विद्युत	34.80	60. मे.वा.
15.	सौर विद्युत	8.00	300 कि.वा.
16.	शहरी एवं औद्योगिक तथा राष्ट्रीय बायो-ऊर्जा बोर्ड	20.00	10 मे.वा.
17.	अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य सहायक कार्यकलाप	22.16	-

मे.वा. = मेगावाट, कि.वा.= किलोवाट, वर्गमी. = वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र

लकवा परियोजना में गैस की उपलब्धता

2954. श्री पवन सिंह घाटोवार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "गेल" लकवा एल.पी.जी. रिकवरी प्रोजेक्ट को किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की गई थी और किस तिथि को इसे पूरा किया गया था;

(ख) इस परियोजना को स्वीकृति दिए जाने के समय ओ.एन.जी.सी. के लकवा क्षेत्र से कितनी गैस उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया था;

(ग) क्या आज की तिथि के अनुसार उक्त संयंत्र की गैस की उपलब्धता में कमी आई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गैस की उपलब्धता में कमी से उक्त संयंत्र पर कितना वित्तीय प्रभाव पड़ा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड की लकवा स्थित एल.पी.जी. निकासी परियोजना 25 सितम्बर, 1992 को अनुमोदित की थी तथा संयंत्र 19 अक्तूबर, 1998 को चालू किया गया था।

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के क्षेत्रों से लकवा परियोजना के लिए इसके अनुमोदन के समय 2.0 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एम एम एस सी एम डी) गैस उपलब्ध होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) वर्तमान में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लकवा एल पी जी संयंत्र के लिए प्रति दिन औसतन 0.85 मिलियन मानक घन मीटर फीड गैस की आपूर्ति कर रहा है।

(घ) लकवा, जेलेकी, एवं रूद्रसागर, इत्यादि स्थित आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन के वे प्रमुख तेल क्षेत्र हैं जहां स्वाभाविक गिरावट आ रही है, वहां गैस आपूर्ति में कमी के लिए पर्यावरणीय समस्यायें एवं अनियमित विद्युत आपूर्ति प्रमुख कारण हैं।

(ङ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने गैस उपलब्धता में कमी के कारण वर्ष, 1999-2000 में एल पी जी संयंत्र प्रचालन के विषय में 16.13 करोड़ रुपये की हानि उठाई थी।

ट्रक यूनियनों की मांगें

2955. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास शोधनशाला से गैस सिलिंडर भरे जाने वाले एककों तक रसोई गैस ढोने वाले ट्रकों की ट्रक यूनियनों की कुछ मांगें लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल उद्योग ने पिछले वर्ष अखिल भारतीय आधार पर एल.पी.जी. थोक परिवहन के लिए निविदा जारी की है। कुछ परिवहनकर्त्ताओं ने कतिपय परिवहनकर्त्ताओं की ओर से प्रस्तावित टैंक के लगाए जाने के विरुद्ध इस मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे हैं। टैंक ट्रकों को निविदा के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार लगाया जाता है।

उड़ीसा में वैतरणी नदी पर पुल का बनाया जाना

2956. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में जखपुरा और जेनपुर के बीच वैतरणी नदी पर एक रेल पुल बनाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) अब तक कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की जा चुकी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरकों का आयात

2957. प्रो. रासा सिंह:
श्री चिन्तामन वनगा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने प्रकार के उर्वरकों का आयात किया गया और वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने प्रकार के उर्वरकों का आयात प्रस्तावित है तथा वे देश कौन-कौन से हैं और इन पर कितना व्यय हुआ;

(ख) किन दरों पर उर्वरकों का आयात किया गया और उर्वरकों के आयात के लिए टाईप-वार किन-किन एजेंसियों को अनुमति दी गई;

(ग) प्रति टन आयातित यूरिया की वर्तमान लागत कितनी है और प्रति टन घरेलू यूरिया की लागत कितनी है; और

(घ) लागत में अन्तर, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं और इस अन्तर को कम से कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएंगे?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिस पर सांविधिक मूल्य और संचलन नियंत्रण है और आवश्यकता तथा स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए जिसके आयात निर्धारित सरणीबद्ध एजेंसियों अर्थात मैसर्स एमएमटीसी लि., मैसर्स स्टेट ट्रडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एसटीसी) एवं मैसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के माध्यम से किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई यूरिया की मात्रा तथा उस पर किया गया व्यय इस प्रकार है:-

वर्ष	यूरिया (लाख मी.टन)	व्यय (रुपये करोड़)
1997-98	23.89	729.36
1998-99	5.56	125.00
1999-2000 (अनन्तिम)	5.33	74.07

एजेन्सीवार आयात और वह लागत तथा भाड़ा मूल्य जिन पर गत 3 वर्षों के दौरान इनका आयात किया गया है।

एजेन्सी	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मात्रा (लाख मी. टन)	भारित औसत लागत एवं भाड़ा मूल्य (अमरीकी डालर)	मात्रा (लाख मी. टन)	भारित औसत लागत एवं (भाड़ा मूल्य अमरीकी डालर)	मात्रा (लाख मी. टन)	औसत भारित लागत एवं भाड़ा मूल्य (अमरीकी डालर)
एमएमटीसी	11.04	151.30	2.58	100.74	2.33	86.43
एसटीसी	9.98	153.37	1.50	100.67	1.02	86.43
आईपीएल	2.87	139.66	1.48	99.60	1.98	85.50

गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया का आयात लिबिया, सीआईएस, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ईरान से किया गया था।

डीएपी और एमओपी नामक अन्य प्रमुख उर्वरकों पर से 24.8.1992 से नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था और इनके आयातों को क्रम से दिनांक 17.9.1992 तथा 17.6.1993 से असरणीबद्ध कर दिया गया था। इस उर्वरकों का आयात कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत योजना के भीतर स्वतंत्र रूप से निजी खाते में किया जाता है। चूंकि ये उर्वरक नियंत्रणमुक्त हैं, अत: उर्वरक विभाग मूल्य, व्यय तथा आयात के स्रोतों से संबंधित ब्यौरे नहीं रखता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई डीएपी और एमओपी की मात्रा निम्न प्रकार है:

वर्ष	यूरिया (लाख मी. टन)	व्यय (रु. करोड़)
1997-98	23.89	729.36
1998-99	5.56	125.00
1999-2000 (अनन्तिम)	5.33	74.07

डी ए पी के आयात जोर्डन यू.एस.ए, मैक्सिको, सउदी अरब, सीआईएस, दक्षिणी कोरिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका से तथा एमओपी के आयात कनाडा, जोर्डन जर्मनी, इजराइल, और सीआईएस से किए गये थे।

(ग) और (घ) चालू वर्ष में अभी तक यूरिया के कोई आयात नहीं किए हैं। तथापि, फर्टिलाइजर मार्किट वुलेटिन तथा अन्य साप्ताहिक बेलेटिनों में प्रकाशित ब्यौरों के अनुसार प्रिलड यूरिया के मूल्यों की पुष्टि हुई है और वर्तमान में सीआईएस उत्पादकों द्वारा एफओबी आधार पर 133-136 अमेरिकी डालर (रुपए 5985-6120 प्रतिटन) और एजी उत्पादकों द्वारा एफओबी आधार पर 130-140 अमेरिकी डालर (रुपये 8550-6300 प्रतिटन) के बीच उद्धृत किए जा रहे हैं 1.4.2000 के अनुसार घरेलू यूरिया का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 8218 रुपये प्रतिटन है। पैट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासनिक मूल्य निर्धारण पद्धति को सितम्बर, 1997 से समाप्त कर दिया गया है और आयात समता समता मूल्यों द्वारा शासित किया जाता है। उर्वरक उत्पादन के लिए वरीय स्टाक "गैस" की आपूर्ति देश में कम होती जा रही है। अत: फीडस्टाक के मूल्य निर्धारण पर सरकार का सीमित नियंत्रण है जो कि स्वदेशी और आयातित यूरिया के मूल्य के अन्तर को न्यूनतम करने के लिए स्वदेशी यूरिया की उत्पादन लागत में प्रमुख घटक है घरेलू यूरिया उत्पादन की भारित औसत लागत अधिक है क्योंकि लगभग 40% स्वदेशी यूरिया क्षमता नेफ्था और ईंधन तेल पर आधारित है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में सेना के कब्जे वाली संपत्तियों के किराये का भूगतान

2958. श्री अली मोहम्मद नायक: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में सेना के कब्जे वाली स्थायी संपत्तियों का ब्यौरा क्या है और ये किस तारीख से सेना के कब्जे में हैं;

(ख) क्या संपत्ति के मालिकों को किराये का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जम्मू व कश्मीर में सेना द्वारा अलग-अलग तारीखों से 21119.993 एकड़ भूमि किराए/ अधिग्रहण के आधार पर ली गई है। किराए पर लिए गए भवनों की कुल संख्या 26 है। भूमि और भवनों के लिए किराए का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

एच.डी.डब्ल्यू. घोटाले की जांच

2959. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. 420 करोड़ रुपये के एच.डी.डब्ल्यू. घोटाले में अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सी.बी.आई. द्वारा इस संबंध में अभी तक किए गए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सी.बी.आई. ने साक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार से जर्मनी सरकार के साथ बातचीत करने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इस समय मामले की मौजूदा स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (च) एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बी के सौदे के बारे में 5 मार्च, 1990 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पंजीकृत किए गए मामले की अभी जांच की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि जांच के एक बड़े हिस्से का कार्य स्विट्जरलैंड और जर्मनी में किया जाना अपेक्षित था। विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, दिल्ली द्वारा 20 जनवरी, 1998 को जारी किए गए रोगेटरी पत्र स्विट्जरलैण्ड और जर्मनी के सक्षम प्राधिकारियों को क्रमश: 23 फरवरी, 1998 तथा 3 फरवरी, 1998 को प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि, जर्मनी के प्राधाकारियों ने यूरोपीय मानवाधिकार कंवेंशन और अपनी संवैधानिक विधि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता के अनुरोध को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, स्विट्जरलैंट से "रोगेटरी पत्रों" के परिणाम अभी तक प्रतीक्षित हैं। जर्मनी और स्विट्जरलैंड में रोगेटरी पत्र के निष्पादन के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सीधे ही और विदेश मंत्रालय/जर्मनी में भारतीय राजदूतावास के माध्यम से भी कार्यवाई की जा रही है।

9 मई, 1997 को दायर की गई लम्बित/जनहित याचिका के संदर्भ में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच में हुई प्रगति संबंधी "स्टेटस रिपोर्ट" दिल्ली उच्च न्यायालय को भी नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

[हिन्दी]

जी.टी. रोड और पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्गों पर पेट्रोल पम्प

2960. श्री राजो सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुगल सराय और कलकत्ता के बीच ग्राण्ड ट्रंक रोड पर और बिहार के पटना और फरक्का के बीच पूर्वी एक्सप्रेस राजमार्ग पर कुछ ही पेट्रोल पम्प हैं, और

(ख) यदि हां, तो दोनों राजमार्गों पर और अधिक पेट्रोल पम्प खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) फिलहाल मुगलसराय तथा कलकत्ता के बीच ग्रान्ड ट्रंक रोड पर 256 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनरत हैं तथा इस रोड पर 20 अन्य खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप स्थापन का प्रस्ताव है। परन्तु, बिहार में पटना तथा फरक्का के बीच ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे नामक कोई रोड़ नहीं है।

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के जल्दी चयन के लिए पूरे देश में नए डीलर चयन बोर्डों का गठन कर लिया गया है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का आयात

2961. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों, औषधियों और रसायन जिनकी बिक्री/वितरण सरकार के नियंत्रण में है के आयात के लिए निजी पार्टियों/फर्मों को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसी जिन निजी पार्टियों/फर्मों को उक्त वस्तुओं का आयात करने की अनुमति प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी पार्टियों/फर्मों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों की उनके प्रतिशत सहित कुल संख्या कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग)यूरिया एकमात्र ऐसा मद है जो सांविधिक मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रणाधीन है। यूरिया के आयात सरकारी खाते में किए जाते है। तथापि, कुछेक उर्वरक कम्पनियों को काम्पलेक्स उर्वरकों के निर्माण के लिए यूरिया के आयात की अनुमति दी गई है, जिनके गत तीन वर्षों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(मात्रा मीट्रिक टन में)

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
कोरोमण्डल फर्टिलाईजर्स लि.	30,000	90,000	75,000
मद्रास फर्टिलाईजर्स लि.	50,000	1,50,000	2,40,000
जुआरी इण्डस्ट्रीज लि.	शून्य	शून्य	60,000
गोदावरी फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिक्लस लि.	शून्य	शून्य	20,000

अन्य प्रमुख उर्वरक अर्थात डीएपी, एमओपी के आयात मुक्त हैं तथा औषधियों एवं रसायनों के मामलों में भी यही बात है।

[हिन्दी]

जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 का निरसन

2962. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चीनी और सीमेंट इकाइयों से जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनिय, 1987 के निरसन हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 1.7.1997 से पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनिय, 1987 (जे.पी.एम. अधिनियम) के अंतर्गत जारी अनिवार्य पटसन पैकेजिंग आदेशों के क्षेत्राधिकार से सीमेंट को निकाल दिया गया था। पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 (जे.पी.एम) अधिनियम के अन्तर्गत गठित स्थाई सलाहकार समिति समय-समय पर पटसन सामग्री में अनिवार्य रूप से पैक की जाने वाली वस्तु अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उनके प्रतिशत की सिफारिश करती है। मार्च-अप्रैल, 2000 के दौरान पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में हड़ताल तथा उसके फलस्वरूप बी-ट्विल बोरों की कमी होने को ध्यान में रखते हुए 31.3.2000 के आदेश द्वारा चीनी और खाद्यान्न के लिए 10% तक की छूट दी गई। यह आदेश 30.9.2000 तक वैध है। जे.पी.एम. अधिनियम, 1987 को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

रिक्ति पर आधारित रोस्टर

2963. श्री रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिक्ति आधारित रोस्टर तभी तक संचालित हो सकता है जब तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन आरक्षण के एक निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों के अंतर्गत रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में पद आधारित रोस्टर लागू किए गए हैं; और

(ग) सेवाओं की इन श्रेणियों में रिक्तियां आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टरों को लागू किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) आर.के. सबरवाल और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10.2.1995 के निर्णय के अनुसार "जैसे ही रोस्टर में अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्गों के पद भर दिए जाते हैं तो आरक्षण पूरा हो जाता है। रोस्टर पर आगे कार्यवाही नहीं हो सकती है तथा उसे रोक देना चाहिए, सेवा निवृत्ति आदि के कारण किसी संवर्ग यदि कोई पद रिक्त हो जाता है तो उस पद को उसी वर्ग-आरक्षित या सामान्य-द्वारा भरा जाएगा जिस वर्ग का पदधारी पहले उस पद पर कार्यरत था,"

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक विभाग एवं प्रशिक्षण) ने दिनांक 2.7.97 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के पैरा 1 के तहत निर्णय को निम्नानुसार दोहराया है:-

"रिक्ति आधारित रोस्टर उसी वक्त तक कार्य कर सकता है जब तक उस संवर्ग में आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता"

(ख) और (ग) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन में समाविष्ट नीति निर्देशों के अनुसरण में रेल मंत्रालय ने इन्हीं अनुदेशों को अपनाया है और ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नत पदों के लिए तथा ग्रुप "घ" से ग्रुप "ग" में पदोन्नतियों के लिए रिक्तियों पर आधारित रोस्टर को पदों पर आधारित रोस्टर से बदल दिया गया है, अभी तक ग्रुप "ग" से ग्रुप "ख" में पदोन्नती के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

521 मेगावाट इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन बाइन्ड साईकिल प्रोजेक्ट्स

2964. श्री टी गोविन्दन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को एसफाल्टीन पर आधारित अंबलपुगल, कोच्ची में 521 मेगावाट इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कंबाइन्ड साईकिल प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए केरल सरकार (सी.आर.एल. प्रोजेक्ट) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड प्रोजेक्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) मार्च, 1998 में मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (सीआरएल) द्वारा 35.8 अमरीकी डालर की विनिमय दर पर 2994 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वैक्यूम रेसिड्यू/ एसफेल्टाईन को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हुए एक 522 मे.वा. की एकीकृत गैसीगृत संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त की गई।

के.वि.प्रा. की टिप्पणियां मैसर्स सीआरएल को इस अनुरोध के साथ भिजवा दी गई है कि तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी के.वि.प्रा. में प्राप्त की जानी है।

मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल का निर्माण

2965. श्री रतन लाल कटारिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा के यमुना नगर जिले में मुस्तफाबाद रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोलडैम विद्युत परियोजना

2966. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ने जून, 2000 को कोलडैम में एक विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था;

(ख) इसमें खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य के कब से शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इस विद्युत परियोजना से उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून, 2000 को कोल-डैम परियोजना का शिलान्यास किया था।

(ख) और (ग) इस परियोजना को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन किए जाने के पश्चात् सुनिश्चित किया जाएगा। प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर अनंतिम लागत लगभग 3900 करोड़ रुपये है। विकास पूर्व गतिविधियों/अध्ययनों पर कार्य आरम्भ हो गया है। परियोजना को 11वीं योजनावधि के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

उड़ीसा में पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए जगह की पहचान किया जाना

2967. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में पेट्रोल और डीजल के खुदरा विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए जगहों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खुदरा विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या नए विक्रेताओं की सूची को अंतिम रूप देने के लिए उड़ीसा के महाचक्रवात प्रभावित क्षेत्रों पर कोई विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल उद्योग खुदरा बिक्री डीलरशिप खोलने के लिए व्यवहार्य स्थानों की पहचान करने के लिए उड़ीसा सहित देश के विभिन्न भागों में आवधिक सर्वेक्षण करता है। व्यवहार्य पाए गए स्थानों को मात्रा दूरी मानक के आधार पर विपणन योजनाओं में शामिल कर लिया जाता है। पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अलावा उड़ीसा के लिए 1996-98 की विपणन योजना में 30 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई हैं।

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का शीघ्र चयन करने के लिए उड़ीसा राज्य में 2 डीलर चयन बोर्डों का गठन किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में लम्बित विद्युत परियोजनाएं

2968. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी) के पास कर्नाटक की कितनी विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र स्वीकृत हेतु क्या कदम उठाए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 31.7.2000 की स्थितिनुसार जो परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में जांचाधीन है और जिन स्कीमों को परियोजना प्राधिकारियों को लौटाया गया है अथवा जिन्हें पुन: प्रस्तुत करने की प्रत्याशा है उनकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जैसे ही संबंधित परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लम्बित निवेश सुनिश्चित कर लिए जाते हैं वैसे ही के.वि.प्रा. में जांचाधीन स्कीमों पर टीईसी प्रदान किए जाने हेतु विचार किया जाएगा।

विवरण

जांचाधीन स्कीमें

	स्कीम का नाम	टिप्पणियां
1.	नानजांगुड सीसीपीपी (टी) (96.7 मे.वा.)	लम्बित निवेश अंतर्राज्यीय कोण से सीडब्ल्यूसी द्वारा जल उपलब्धता का समाधान करना तथा लागत को निर्धारित करना है।
2.	मांडया सीसीपीपी (टी) (164.4 मे.वा.)	लम्बित निवेश धारा 29 (2) का अनुपालन, विभिन्न स्वीकृतियों जैसे- पर्यावरणीय स्वीकृति, परिवहन स्वीकृति, ईंधन लिंकेज, जल उपलब्धता इत्यादि का पुनः विधिमान्यकरण करना है।
3.	हासन सीसीपीपी (टी) (189 मे.वा.)	लम्बित निवेश सीडब्ल्यूसी द्वारा अंतर्राज्यीय दृष्टिकोण से जल उपलब्धता का समाधान करना है।
4.	तेलगी टीपीपी (टी) (1×350 मे.वा.)	टीईसी के लिए एसपीएसी द्वारा नोट की सिफारिश की गई है क्योंकि लागत को उचित प्रकार से नहीं तैयार किया गया है। और उपस्कर एवं सेवा लागतों को उचित अनुपात में नहीं दर्शाया गया है।
5.	रायपुर टीपीपी (टी) (1×210 मे.वा)	लम्बित निवेश धारा 29 (2) की अनुपालना करना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना है।

स्कीमें लौटा दी गई/डीपीआर प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

1. येलाहंका डीजीपीपी विस्तार (टी) 2×23.4 मे.वा.)

2. अलमट्टी डीपीएच (एच) (5×50×1×18 मे.वा.)

3. शिवसमुद्रम एचईपी (एच) (2×135 मे.वा.)

4. महादायी एचईपी (एच) (2×10+2×1.50+2×12.5 मे.वा.)

5. अपर कृष्णा एचईपी (एच) (1107 मे.वा.)

6. बंगलोर टीपीपी (टी) (2×250 मे.वा.)

7. विजय नगर टीपीप -1 (टी) (1×500 मे.वा.)

8. मेन शिवपुर कोन्नूर एलएनजी आधारित सीपीपी (टी) (500 मे.वा.)

9. तालीहल्ला एग्यूमेंटेशन एचईपी (एच) (410 मे.वा. घं.)

पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना

2969. श्री विलास मुत्तेमवारः
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डीः

क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पुनः प्रयोज्य ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक इसके लिए 130 मिलियन डालर का ऋण तथा 'ग्लोबल इन्वारनमेंट फेसिलिटी' के तहत 5 मिलियन डालर का अनुदान प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत की दूसरी पुनः प्रयोज्य ऊर्जा परियोजनाओं को भारतीय पुनःप्रयोज्य ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से ऋण दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) जी हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विश्व बैंक की दूसरी ऋण श्रृंखला

भारत की दूसरी अक्षय ऊर्जा परियोजना में, विश्व बैंक से 130 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण तथा विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) से 5 मिलियन अमेरिकी डालर का अनुदान शामिल है। इस ऋण श्रृंखला का उद्देश्य लघु पन बिजली और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाना है। स्रोत तथा क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

(अमेरिकी डालर मिलियन में)

	लघु पन बिजली	ऊर्जा दक्षता	कुल
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई डी ए) का ऋण	30	20	50
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आई बी आई डी) का ऋण	80	-	80
विश्व पर्यावरण सुविधा (जी ई एफ) का अनुदान	-	5	5
कुल	110	25	135

वर्तमान स्थिति: विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने ऋण को 27 जून, 2000 को अनुमोदित कर दिया है। इस ऋण श्रृंखला को प्रचालित करने के लिए ऋण एवं अन्य समझौतों पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।

जम्मू और कश्मीर को रेशमी बस्त्रों की आपूर्ति

2970. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य के रूग्ण रेशमी कारखाने को फिर से चलाने के लिए रेशमी वस्त्रों की आपूर्ति हेतु जम्मू एवं कश्मीर ने सरकार को मना लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त दो प्राथमिक परियोजनाओं की रूपरेखाओं को मूल्यांकन तथा जांच-पड़ताल के लिए भेजा गया जिनमें उनके रेशम उत्पादन व रेशम बुनाई फैक्टरी के आधुनिकीकरण हेतु सहायता के लिए कहा गया है। जम्मू और कश्मीर उद्योग लि. (जम्मू और कश्मीर सरकार का एक उपक्रम) ने भी इन दो प्रस्तावों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक संगठन को नियुक्त करने में सक्षम बनाने हेतु सहायता के लिए भी अनुरोध किया है। कर्नाटक की तकनीकी परामर्श सेवा संगठन (टैक्सोक) को परियोजनाओं की तकनीकी-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त की गई थी। टैक्सोक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी तथा उसे जम्मू और कश्मीर सरकार को प्रेषित किया गया था।

[हिन्दी]

नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु विद्युत संयंत्र

2971. श्री मानसिंह पटेल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण हेतु निजी क्षेत्र को सौंपने का है जिनका "प्लांट लोड फैक्टर" बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पुराने विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आरंभ करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने उनकी भागेदारी के लिए व्यापक मार्गदशी सिद्धांत जारी किए हैं। नीतिगत पहलों के अंतर्गत नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए निजी भागेदारी हेतु तीन विकल्पों की परिकल्पना की गई है यथा (1) (एलआरओटी) लीज पुनर्स्थापना, प्रचालन तथा हस्तांतरण (2) संयंत्र की बिक्री और (3) जे.वी. (राज्य विद्युत बोर्डों) (रा.वि. बोर्डों) और निजी कम्पनियों के बीच संयुक्त उद्यम तथापि, विद्युत संयंत्रों के पुनः स्थापन और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण में विद्युत क्षेत्र को लगाने के लिए विकल्प

और पहले राज्यों/रा.वि. बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों पर निर्भर करते हैं।

[अनुवाद]

"आकाश" प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

2972. **श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 जुलाई और 8 जुलाई, 2000 को देश में निर्मित जमीन से हवा में एकाधिक लक्ष्यों पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र "आकाश" का परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता मिली है और इसकी विशिष्टताएं क्या हैं; और

(ग) इसका बार-बार परीक्षण किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ये परीक्षण उन बहुत से उड़ान परीक्षणों का हिस्सा थे, जिन्हें विभिन्न उप-प्रणालियों की जांच करने के लिए विकास के दौरान किए जाने की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों से इस प्रणाली के विकास में इस्तेमाल के लिए बहुमूल्य आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

वस्त्रों का निर्यात

2973. **श्री जयभान सिंह पवैया:**
श्री माणिकराव होडल्या गावित:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री तिरूनावकरसू:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री अनन्त नायक:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री मोहन रावले:
श्री हरिभाऊ शंकर महाले:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री टी. गोविन्दन:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में मद-वार तथा देश-वार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के वस्त्र विशेषकर, सिले-सिलाये वस्त्र निर्यात किए गये हैं;

(ख) उक्त अवधि में मद-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) मद-वार ये मदें किन-किन कंपनियों और राज्यों से निर्यात की गयी हैं;

(घ) वर्ष 1998-99 की तुलना में 1999-2000 के दौरान निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा/घटा है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चालू वर्ष में वस्त्रों/सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(च) उक्त अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा विश्व में वस्त्रों के बाजार की तलाश करने सहित निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए इस उद्योग को पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए परिधानों की मात्रा और मूल्य नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	मात्रा (मिलियन नगों में)	मूल्य (अमरीकी मिलियन डालर में)
1997-98	1314.2	4910.3
1998-99	1390.8	5269.4
1999-2000	1440.6	5524.5
2000-2001 (अप्रैल-जून)	370.1	1444.7

स्रोत : अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद्:

यू.एस.ए., ई.यू. सदस्य राज्य, यू.ए.ई., सी.आई.एस. देश, जापान, सऊदी अरब, स्विटजरलैंड, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि हमारे सिले-सिलाये परिधानों के प्रमुख आयातक देश हैं।

(ग) राज्य-वार, कंपनी-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान सिले-सिलाये परिधानों के निर्यात में वर्ष 1998-99 की तुलना में अमरीकी डालर मूल्य में 6.1% तक की वृद्धि हुई।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों के निर्यात (सिले-सिलाये परिधानों सहित) के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

(अमरीकी मिलियन डालर में)

क्रम सं.	मदें:	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
1.	सिले-सिलाये परिधान	5200.0	5900.0	6000.0	6500.0
2.	उप-योग (क+ख+ग) (सूती वस्त्र)	4320.0	4175.0	4500.0	4750.0
	(क) (सूती फैब्रिक्स और मेड अप्स) (एमएम/पीएल)	2100.0	1975	2400.0	2400.0
	(ख) (सूती फैब्रिक्स और मेड अप्स) (हथकरघा)	520	600	600.0	650.0
	(ग) सूती यार्न	1250	1600	1500.0	1700.0
3.	मानव निर्मित वस्त्र	1150.0	1200.0	1100.0	1150.0
4.	रेशम	315.0	300.0	265.0	330.0
5.	ऊन और ऊनी वस्त्र	300.0	365.0	300.0	315.0
	कुल (वस्त्र)	6085	11940.0	12165.0	13045.0
6.	हस्तशिल्प	1835.0	2035.0	1990.0	2240.0
7	पटसन	180.0	230.0	153.0	170.0
8.	कयर	60.0	70.0	77.0	77.0
	कुल योग	13360.0	14275.0	14385.0	15532.0

(च) अप्रैल निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने लेटिन अमरीकी देशों, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लिया तथा इंटरनेशनल मेन्स वियर कोलोन फेयर, जर्मनी और हांगकांग फैशन वीक, हांगकांग में भाग लिया। उपर्युक्त के अतिरिक्त परिषद् ने नए अवसरों का पता लगाने के लिए लेटिन अमरीकी देशों में प्रतिनिधिमंडल भेजा। परिषद प्रत्येक वर्ष पृथक रूप से ग्रीष्म, शीत, बसन्त और शरद्कालीन मौसमों के लिए परिधानों के लिए विदेशी क्रेताओं को सीधे विपणन व प्रदर्शन के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले और भारतीय निट मेले का आयोजन कर रही है। परिषद ने परिधान उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए समूचे देश के विभिन्न स्थानों में अप्रैल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र स्थापित किए हैं।

(छ) सरकार अनेक उपाय कर रही है जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में निर्यातकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत सामान के आयात का अधिकार, देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन उत्तपाद विकास और गुणवत्ता उन्नयन, प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना आदि ताकि सिले-सिलाये परिधान उद्योग को उन्नत बनाया जा सके तथा निर्यात में तेजी लाई जा सके। सरकार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) और जटिल इन्फ्रास्ट्रक्चर संतुलन (सी.आई.बी.) योजनाओं के अंतर्गत सहायता सहित निर्यात के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने के लिए भी अनेक उपाय कर रही है।

भारतीय तेल निगम हेतु ऋण

2974. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम को ऋण देने के लिए बने सिंडीकेट में भारतीय बैंकों ने शामिल होने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय तेल निगम के गहन अध्ययन का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय तेल निगम ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से पिछले तीन वर्षों के दौरान लिए गए ऋण का उपयोग कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो भारतोय तेल निगम ने अपने व्यापार को किस हद तक बढ़ाया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई ओ सी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु रसोई गैस (घरेलू) का प्रयोग

2975. डा. संजय पासवान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजसहायता के भार में कमी करने के लिए रसोई गैस (घरेलू) के वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में, एल पी जी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 की शर्तों के अनुसार घरेलू एल पी जी का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(ग) और (घ) वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, तेल विपणन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक एल पी जी कनेक्शन अलग से उपलब्ध कराए जाते हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में कारगो स्टेशन की स्थापना

2976. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फल और चावल के निर्यात हेतु आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक विशेष रेलवे कारगो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से बड़ी मात्रा में आम, नारियल और अन्य कृषि उत्पादों की रेल के द्वारा ढुलाई की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में ऐसे निर्यात के लिए अलग कारगो सुविधा अथवा स्टेशन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आम के मौसम के दौरान विजयवाड़ा क्षेत्र से भारी मात्रा में आम यातायात प्राप्त होता है। नारियल के यातायात का उल्लेखनीय संचलन नहीं है। सभी मदें यथा आम और अन्य फल और विभिन्न कृषि उत्पादों की बुकिंग माल अथवा पार्सल के रूप में की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आई.डी.पी.एल. संयंत्रों का बंद हो जाना

2977. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.पी.एल. के अनेक संयंत्र बंद पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और राज्य-वार कहां स्थित हैं;

(ग) इन संयंत्रों के बंद हो जाने के बाद वेतन आदि सहित इन संयंत्रों पर कितनी धनराशि वार्षिक तौर पर खर्च की जा रही है;

(घ) इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने में होने वाले विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) आई.डी.पी.एल. के ऋषिकेश (उ.प्र.) हैदराबाद (आं.प्र.) और गुड़गांव (हरियाणा) स्थित तीनों संयंत्रों में कुछ सीमित सूत्रयोगों के उत्पादन को छोड़कर प्रचालन अक्टूबर, 1996 से बन्द है।

(ग) कारपोरेट कार्यालय और विपणन-प्रभाग सहित तीनों संयंत्रों में खर्च की गई राशि नीचे दी जाती है:-

अक्टूबर, 1996 से मार्च 1997	15.95 करोड़ रुपये
अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998	50.10 करोड़ रुपये
अप्रैल, 1998 से मार्च, 1999	66.34 करोड़ रुपये
अप्रैल, 1999 से मार्च 2000	61.59 करोड़ रुपये

(घ) और (ङ) कंपनी का भविष्य जिसमें पुनरुद्धार भी शामिल है, बी आई एफ आर की कार्यवाहियों और अंतिम निर्णय द्वारा निर्धारित होगा।

[अनुवाद]

डी.पी.आर. कर्मियों की पेंशन में एक बार पेंशन वृद्धि

2978. श्री पी.आर. किन्डिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.एस.सी. कर्मियों की पेंशन में एक बार पेंशन वृद्धि (वन टाइम इन्क्रीज) किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब से लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या किसी अवकाश प्राप्त डी.एस.सी. कर्मी को इस समय एक बार पेंशन वृद्धि (वन टाइम इन्क्रीज) की सुविधा मिल रही है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 1.1.1986 से पहले के सैन्य पेंशनभोगियों को पेंशन में एक बार की वृद्धि प्रदान करने वाले आदेशों के अनुसार, यदि पुनर्नियोजित सैन्य पेंशनभोगियों की पुनर्नियोजन-अवधि 10 वर्ष से कम थी तो वे पेंशन में एक बार की आनुपातिक वृद्धि पाने के हकदार थे। जो सैन्य कार्मिक रक्षा सुरक्षा कोर में पुनर्नियोजित हुए थे तथा उन्होंने भी 10 वर्ष से कम सेवा की थी, वे भी पेंशन में एक बार की वृद्धि पाने के हकदार थे। तथापि,1.1.1996 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित करने वाले आदेशों के अनुसार, पेंशन में एक बार की वृद्धि को 1.1.1996 से संशोधित पेंशन में संविलय कर दिया गया है। फिलहाल, कोई भी सैन्य पेंशनभोगी पेंशन में एक बार की वृद्धि पृथक राशि के रूप में प्राप्त नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

रुपये के अवमूल्यन का तेल आयात पर असर

2979. श्री सुकदेव पासवान:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ महीनों में डालर के मुकाबले रुपये के अवमूल्यन के कारण तेल आयात पर भारी असर पड़ने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000-2001 के दौरान तेल आयात के लिए कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस कारण तेल पूल खाते पर कितना असर होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) अमेरीकी डालर के लिए रुपये की विनिमय दर में हालिया परिवर्तनों के कारण ठेकागत परिमाणों के लिए भारतीय रुपयों के रूप में तेल आयात बिल पर कुछ असर पड़ा है। वर्ष 2000-2001 के लिए आयात बिल में वास्तविक वृद्धि और तेल

पूल खाते पर इसका प्रभाव वर्ष 2000-2001 की शेष अवधि के लिए आयात की जाने वाली मात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों पर निर्भर करेगा।

पूणे-सूरत रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

2980. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे-सूरत बरास्ता नासिक रेल लाइन को बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) पूना से नासिक तक नई लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया है सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही आगे परियोजना पर विचार करना संभव होगा फिलहाल रेलवे का नासिक-सूरत नई लाइन के लिए सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उनके पास पहले ही बड़ी संख्या में नई लाइन परियोजनाएं रूकी हुई हैं, जिनको पूरा करने के लिए 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है और रेलवे संसाधनों की अत्याधिक तंगी महसूस कर रही है।

[अनुवाद]

आयुध कारखानों का कार्यनिष्पादन

2981. श्री अधीर चौधरी:
श्री रामनायडू दग्गुवाटि:
डा. (श्रीमती) सी.सुगुणा कुमारी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री ए. नरेन्द्र:
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:
डा. अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थलसेनाध्यक्ष ने आयुध कारखानों के कार्यनिष्पादन के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है और प्रमुख शस्त्रीकरण कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और इन कारखानों में नवीनतम निगरानी प्रणाली और हथियारों का पता लगाने वाले राडार आदि का देश में ही उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) वर्ष 1999 और 2000 के दौरान आज तक इन प्रत्येक कारखानों का वास्तविक और वित्तीय निष्पादन क्या रहा;

(घ) आयुध कारखानों के कार्य निष्पादन में सुधार और इनका आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन्नत अस्त्र प्रणाली तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो निजी क्षेत्र में तैयार की जाने वाली मदों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इसके परिणामस्वरूप रक्षा तैयारियों की खबर बाहर न निकले?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (छ) सेनाध्यक्ष ने टी-72 टैंकों, टी-72 टैंक के बैरलों और ग्राड रांकेट गोलाबारूद जैसी कतिपय विशिष्ट मदों/सामान के संबंध में चिंता व्यक्त की है। सेनाध्यक्ष ने सेना की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में आयुध निर्माणियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करते हुए, आयुध निर्माणियों की लागत में किफायत और आयुध निर्माणियों, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की क्षमताओं के इष्टतम उपयोग के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए हैं। उन्होंने उन क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से इंगित नहीं किया है, जिन्हें निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकता है और उन्नत प्रणालियों से संबंधित उनके विचार देश में संपूर्ण रक्षा औद्योगिक कॉम्पलेक्स के संदर्भ में हैं।

आयुध निर्माणियां न तो निगरानी प्रणाली अथवा शस्त्रों का पता लगाने वाले रेडारों सहित किसी भी प्रकार के रेडारों का निर्माण करती हैं और न ही आयुध निर्माणियों में इन मदों के निर्माण की कोई योजना है।

कार्य प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें प्रौद्योगिकी का उन्नयन, क्षमताओं में वृद्धि अपना उपयोगिता काल पूरा कर चुके पुराने और निष्प्रयोज्य संयंत्र और मशीनरी को बदलना तथा सैन्य बलों की आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षा से संबंधित नवीनतर प्रौद्योगिकी वाली विभिन्न रक्षा

मदों के उत्पादन के लिए नए संयंत्र और मशीनरी की स्थापना करना भी शामिल है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान आयुध निर्माणियों में उत्पादन पिछले वर्ष हुए उत्पादन की तुलना में 34.6% अधिक रहा। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक आयुध निर्माणी का वित्तीय निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक प्रत्यक्ष निष्पादन का संबंध है, ये निर्माणियां विभिन्न प्रकार की बहुत-सी मदों का निर्माण करती हैं जिनमें छोटे हथियार और उनके गोलाबारूद, परिवहन वाहन, कवचित कार्मिक वाहन, टैंक, तोपखाना व टैंक का गोलाबारूद आदि शामिल है।

आयुध निर्माणियों के आधुनिकीकरण के लिए 9वीं योजना अवधि में 1,241 करोड़ रुपये की राशि रखी गई । वर्ष 1999-2000 तक 512 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया जा चुका है और शेष 2 वर्ष की अवधि में 729 करोड़ रुपये की शेष राशि का निवेश किए जाने की योजना है।

उन्नत शस्त्र प्रणाली के उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपे जाने का प्रस्ताव नहीं है।

वित्तीय निष्पादन
विक्रय/निर्गमों से प्राप्त राशि

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	निर्माणी	1998-99		1999-2000	
एम एंड सी		सेना	सभी मांगकर्ता आईएफडी को छोड़कर	सेना	सभी मांगकर्ता आईएफडी को छोड़कर
1	2	3	4	5	6
1.	ओएफकेएटी	-	3.52	-	3.12
2.	ओएफए	-	15.73	-	23.60
3.	एमएसएफ	0.05	2.93	0.39	4.66
4.	ओएफ एम	-	0.02	-	0.05
5.	ओसीएफसी	16.13	21.24	35.11	39.37
6.	ओएफषीएच	-	1.22	3.60	4.18
7.	ओएफएजे	6.58	10.95	3.18	7.43
8.	एमपीएफ	2.25	3.13	1.18	1.55
9.	एचएपीपी	-	0.65	-	4.59
	उप-योग	25.01	59.40	43.46	88.5500
डब्ल्यूवीएंडई					
1.	आरएफआई	140.35	194.47	192.62	251.68
2.	एसएएफ	19.76	75.09	38.32	88.61
3.	ओएफटी	12.73	67.32	9.67	42.54
4.	जीएसएफ	5,.56	12.05	11.13	19.9000
5.	ओएफसी	1.01	5.67	2.72	5.8500

1	2	3	4	5	6
6.	एफजीके	0.71	10.87	2.73	15.6100
7.	जीसीएफ	5.05	12.96	27.04	54.0900
8.	ओएफडीसी	2.57	5.89	1.33	5.8300
	उप-योग	187.74	384.30	285.56	484.1100
9.	वीएफजे	545.13	546.11	572.86	574.6200
10.	जीआईएफ	–	4.21	–	3.6200
	उप-योग	545.13	550.31	572.86	578.2400
ए एंड ई.					
1.	सीएफए	30.22	38.29	30.48	36.30
2.	एचईएफ	2.65	16.00	4.27	14.86
3.	ओएफआई	0.79	4.37	10.14	14.71
4.	एएफके	190.34	259.96	194.85	268.90
5.	ओएफवी	55.36	119.67	115.86	222.55
6.	ओएफके	390.32	483.48	702.85	855.34
7.	ओएफसीएच	460.36	518.97	812.75	895.19
8.	ओंएफडीआर	31.41	50.18	78.57	102.07
9.	ओएफबीए	–	10.74	39.82	52.05
10.	ओएफबीओएल	72.49	72.69	164.52	168.52
	उप-योग	1233.94	1574.36	2154.11	2630.4900
ए वी					
1.	एचवीएफ	638.91	658.52	691.40	694.0600
2.	ओएफपीएम	278.96	291.67	325.35	335.6700
3.	ईएफए	11.47	12.09	8.37	8.6700
4.	ओएफडून	11.73	17.97	14.02	29.1200
5.	ओएलएफ	1.51	1.85	7.00	7.3500
	उप-योग	942.59	982.10	1046.14	1074.8700
ओ ई एफ					
1.	ओईएफसी	132.67	146.21	166.82	179.1900
2.	ओसीएफएस	124.54	139.44	167.63	182.0100

1	2	3	4	5	6
3.	ओसीएफएवी	53.45	74.84	64.40	82.3300
4.	ओपीएफ	70.63	74.61	68.52	73.2900
5.	ओईएफएच ज़ेड	23.76	26.49	22.21	27.5500
	उप-योग	405.05	161.59	489.58	544.4600
	कुल योग	3339.46	4012.07	4591.71	5460.6600

औषधियों का आयात/निर्यात

2982. डा. वी. सरोजा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीवन रक्षक औषधियों सहित उन औषधियों की मात्रा और किस्में क्या हैं जिनका आयात और निर्यात गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान किया गया है और चालू वर्ष के दौरान किए जाने का प्रस्ताव है तथा जिन देशों के साथ आयात/निर्यात किया गया उनके नाम क्या हैं एवं औषधियों का किस्मवार और देशवार ब्यौरा क्या है और आयात की गई औषधियों पर कितना व्यय किया गया; और

(ख)सरकार द्वारा आयात की गई उपरोक्त औषधियों का उत्पादन देश में सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) कुछेक प्रपुंज औषधों को छोड़कर सभी प्रपुंज औषध आयात की उन्मुक्त सूची के अन्तर्गत आते हैं और इनका बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात किया जा सकता है। वाणिज्यिक आसूचना एवं साख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत की विदेश व्यापार सांख्यिकी के अनुसार भारत से विगत तीन वर्षों, यथा मार्च, 1998, 1999, 2000 के दौरान औषधों और दवाइयों के कुल निर्यात और आयात की कीमत निम्नानुसार है:

मद	वर्ष 1997-98 (लाख रु.)	वर्ष 1998-99 (लाख रु.)	वर्ष 1999-2000 (लाख रु.)
औषधीय और भेषजीय उत्पादों का आयात	144711.68	161519.91	150230.30
औषधों, भेषजों तथा शुद्ध रसायनों का निर्यात	541931.34	625606.68	663145.07

औषधों और भेषजों का आयात मुख्यत: चीन, यूएसए, जर्मनी, यू.के., फ्रांस, स्विटजरलैंड, बेल्जियम, कोरिया गणराज्य नीदरलैंड, इटली, जापान, डेनमार्क, स्वीडन, रूस, और आयरलैंड से किया जा रहा है। भारत से निर्यात मुख्यत: यूएसए, रूस, जर्मनी, हांगकांग, यू.के. नाइजीरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ईरान, ब्राजील, वियतनाम और चीन को किया जा रहा है।

(ख) कुछेक मामलों को छोड़कर भारत के औषध महा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत सभी प्रपुंज औषधों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। मूलावस्था से उत्पादन पर उच्च प्रतिलाभ तथा स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर आधारित उत्पादन के लिए मूल्य नियंत्रण से छूट की व्यवस्था औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में की गई है।

वस्त्र उद्योग में विद्युत शुल्क में की गयी वृद्धि को वापस लेना

2983. श्री राममोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों से वस्त्र उद्योग में विद्युत प्रशुल्क में की गयी वृद्धि को वापस लिए जाने के संबंध में आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों से भी प्रभारों में उपयुक्त स्तर तक कमी करने का आह्वान किया है तथा वस्त्र उद्योग में विद्युत शुल्क को औचित्यपूर्ण बनाने हेतु इसे बिक्री शुल्क की भांति देश भर में निर्धारित करने के लिए आग्रह किया है ताकि राज्यों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की राज्यवार क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु आगे और क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, हां। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों (जम्मू और कश्मीर, गोवा, सिक्किम, और 7 पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) से 14 जुलाई, 2000 को अनुरोध किया गया है कि वे उचित स्तर पर वस्त्र उद्योग के लिए विद्युत शुल्क को कम करें, क्योंकि वस्त्र उद्योग विभिन्न राज्यों में विद्युत के शुल्क असामान्य रूप से अधिक होने के फलस्वरूप उत्पादन की अधिक लागत के कारण अत्यधिक भार में है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे बिक्री कर के अनुरूप विद्युत शुल्क को सुव्यवस्थित बनाए।

(घ) राज्य सरकारों से अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) सरकार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठा रही है:-

(1) सरकार ने कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने, वस्त्र मिलों को कोटि की कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है।

(2) वस्त्र और पटसन उद्योग के आधुनिकीरण के लिए 1.4.1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है।

(3) कोटि के वस्त्रों के मूल्यांकन में उद्योग को सहायता देने के लिए वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला स्थापित की गई है।

पूंजीगत माल के निर्यात के लिए पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन (ई.पी.सी.जी.) योजना को सरल बनाया गया है।

(5) अपरिष्कृत कपास की अपेक्षित कोटि के आयात के लिए उद्योग को सहायता देने के लिए कपास के आयात को भी ओ.जी.एल. के अंतर्गत रखा गया है।

रसोई गैस का वितरण

2984. श्री माधवराव सिंधिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू तथा वाणिज्यिक उपयोग की रसोई गैस के उत्पादन, आयात, बांटलिंग तथा वितरण का निजीकरण किए जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उत्पादन/आयात से लेकर उपभोक्ता स्तर तक पहुंचने में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र के रसोई गैस की लागत तथा मूल्य ढांचा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने निजी पक्षकारों को वर्ष 1993 से समानांतर विपणन योजना (स.वि.यो.) के तहत बाजार निर्धारित मूल्यों पर देश में एल पी जी का आयात एवं विपणन करने की अनुमति दे दी है। 30 जून, 2000 तक ऐसे 23 पक्षकारों ने समानांतर विपणन योजना के तहत एल पी जी (थोक) की लगभग 787.7 टीएमटी मात्रा आयात की है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के द्वारा विपणित एलपीजी (घरेलू) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (प्र.मू.व्य.) के तहत है, जबकि समानांतर विपणनकर्ता उनके द्वारा एल पी जी का मूल्य नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन

2985. श्री रामानन्द सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी क्षेत्र की किन-किन मिलों द्वारा कपड़े का उत्पादन किया जाता है;

(ख) प्रत्येक मिल द्वारा प्रतिवर्ष उत्पादित कपड़े की मात्रा कितनी है; और

(ग) लाभ अर्जित करने वाली मिलों के नाम क्या हैं और कौन-कौन सी मिलें घाटे में चल रही हैं।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) देश में कपड़े का उत्पादन करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं:-

1. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) कंपनी समूह

2. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि., कानपुर

(ख) जहां तक राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) कंपनी समूह का संबंध है, ऐसी मिलों जो कि कपड़े का उत्पादन कर रही हैं उनके द्वारा वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की अवधि में निर्मित कपड़े की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान बीआईसी में मिलवार उत्पादन निम्नानुसार है:-

(1) न्यू एगर्टन वूलन मिल्स 2.13 लाख मीटर

(2) कानपुर वूलन मिल्स 2.79 लाख मीटर

(ग) एन.टी.सी. की मिलों के नाम और पिछले दो वर्षों के दौरान उसको हुए लाभ/घाटों के ब्यौरों का विवरण-2 संलग्न है। बीआईसी वूलन मिल्स (न्यू एगर्टन वूलन मिल्स और कानपुर वूलन मिल्स) को घाटे हो रहे हैं।

विवरण-1

वस्त्र का उत्पादन करने वाली एन टी सी मिलों का नाम और उत्पादित वस्त्र की मात्रा

(लाख मी.)

वस्त्र का उत्पादन

क्रम सं.	सहायक निगम/मिलों का नाम	1998-99		1999-2000	
		अपना	जॉब कार्य	अपना	जॉब कार्य
1	2	3	4	5	6
एनटीसी (डीपीआर) लि.					
1.	पानीपत बुलन मिल	2.89	-	3.21	-
एनटीसी (एम पी) लि.					
2.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल	8.29	-	0.41	-
3.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	25.79	-	13.28	-
4.	न्यू भोपाल टैक्सटाईल मिल्स	8.52	-	6.24	-
एनटीसी (एस एम) लि.					
5.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	10.10	-	15.35	1.33
6.	भारत टेक्सटाइल मिल्स	9.43	0.45	4.62	5.67
7.	चालिसगांव टेक्सटाइल मिल्स	4.77	-	13.40	-
8.	धुले टेक्सटाइल मिल्स	1.05	1.44	4.52	-
9.	मुम्बई टेक्सटाइल मिल्स	0.86	0.23	1.15	0.38
10.	नन्देद टेक्सटाइल मिल्स	8.79	-	11.13	-
11.	न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स	1.09	2.88	2.50	2.36
12.	फिनले मिल्स	22.86	-	25.89	-
13.	गोल्ड मोहर मिल्स	16.27	-	17.79	-

1	2	3	4	5	6
14.	न्यू सिटी आव बाम्बे मैन्यू, मिल्स	45.04	–	37.57	–
एनटीसी (एम एन) लि.					
15.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स न. 1	24.57	–	29.87	0.03
16.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स न. 2	0.21	0.85	1.37	2.10
17.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स न. 3	10.99	12.87	14.30	24.62
18.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स न. 5	19.37	0.14	11.32	5.27
19.	टाटा मिल्स	8.12	3.58	13.16	8.75
20.	जाम मैन्यू. मिल्स	1.46	1.06	–	2.36
21.	कोहिनूर मिल्स न.1	3.93	0.02	1.98	4.54
22.	पोद्दार मिल्स	7.19	1.96	12.05	6.54
23.	मॉडल मिल्स	1.04	0.01	2.40	–
24.	आर.एस.आर.जी. मिल्स	1.09	–	1.02	2.48
25.	आर.बी.बी.ए. मिल्स	20.71	–	21.04	–
26.	सवतराम रामप्रसाद मिल्स	0.38	–	–	–
एनटीसी (ए पी के के एंड एम) लि.					
27.	मिनर्वा मिल्स	38.30	3.91	37.50	2.01
28.	परवथी मिल्स	44.29	–	52.00	–
एनटीसी (टी एन एंड पी) लि.					
29.	कोयम्बटूर मुरूगन मिल्स	40.58	–	37.84	–
30.	सोमसुन्दरम मिल्स	20.39	–	15.28	–
	कुल	408.37	29.40	408.19	68.44

विवरण-2

राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

राज्यवार, मिलवार निवल लाभ (+)/हानि(–)दर्शाने वाला विवरण-पत्र 1998-99 और 1999-2000

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	मिलों का नाम	1998-99	1999-2000 (अनंतिम)
1	2	3	4
एन टी सी (डी पी आर) लि.			
पंजाब			
1.	दयालबाग स्पि. एंड विविंग मिल्स	-5.40	-6.01

1	2	3	4
2.	खरर टेक्सटाइल मिल्स	-3.89	5.03
3.	पानीपत बुलन मिल्स	-7.30	-7.67
4.	सूरज टेक्सटाइल मिल्स राजस्थान	-4.66	-4.57
5.	एडवार्ड मिल्स	-4.99	-5.14
6.	महालक्ष्मी मिल्स	-4.30	-4.82
7.	श्री विजय काटन मिल्स	-3.74	-3.81
8.	उदयपुर काटन मिल्स	-3.81	-4.24
एनटीसी (मध्य प्रदेश) लि.			
9.	बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स	-16.34	-20.36
10.	बुरहनपुर तप्ती मिल्स	-11.00	-13.05
11.	हीरा मिल्स	-10.02	-10.89
12.	इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	-15.35	-18.47
13.	कल्याणमल मिल्स	-13.71	-16.10
14.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	10.86	-12.50
15.	स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स	-8.84	-10.35
एनटीसी (उत्तर प्रदेश) लि.			
16.	एथर्टन मिल्स	-10.40	-11.55
17.	बिजली कॉटन मिल्स	-2.66	-4.34
18.	लक्ष्मीरत्तन कॉटन मिल्स	-13.71	-16.12
19.	लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स	-7.33	-7.79
20.	मूइर मिल्स	-16.30	-18.40
21.	न्यू विक्टोरिया मिल्स	-17.54	-18.93
22.	रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स	-3.25	-5.61
23.	श्री विक्रम कॉटन मिल्स	-4.15	-4.40
24.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	-4.27	-4.89
25.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	-19.72	-22.47
26.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	-14.95	-19.91
एनटीसी (साउथ महाराष्ट्र) लि.			
27.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	-9.79	-12.64

1	2	3	4
28.	औरंगाबाद टेक्सटाईल मिल्स	-2.82	-2.44
29.	वर्षा टेक्सटाईल मिल्स	-1.33	-1.40
30.	भारत टेक्सटाईल मिल्स	-10.93	-12.03
31.	चालीसगांव टेक्सटाईल मिल्स	-5.19	-5.45
32.	धूले टेक्सटाईल मिल्स	-7.93	-6.99
33.	दिग्विजय टेक्सटाईल मिल्स	-16.86	-15.77
34.	एलिफिस्टन स्पीनिंग एंड बीविंग मिल्स	-10.08	-11.42
35.	फिनले मिल्स	-13.73	-15.09
36.	गोल्ड मोहर मिल्स	-9.76	-10.01
37.	जुपिटर टेक्सटाईल मिल्स	-13.92	-16.23
38.	मुंबई टेक्सटाईल मिल्स	-13.07	-14.74
39.	नादेड़ टेक्सटाईल मिल्स	-7.28	-6.75
40.	न्यू सिटी ऑफ बंबई स्पी. मिल्स	-11.55	-11.21
41.	न्यू हिंद टेक्सटाइल मिल्स	-13.26	-15.35
42.	पोदार प्रोसंसर्स	-6.71	-7.90
43.	श्री मधुसूदन मिल्स	-7.01	-8.02
एनटीसी (महाराष्ट्र नार्थ) लि.			
44.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 1	-19.48	-20.50
45.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 2	-13.45	-13.78
46व 47.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 3 व 4	-21.07	-22.14
48.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स न. 5.	-10.94	-11.73
49.	इण्डिया यूनाइटेड मिल्स हार्डवर्क्स	-8.66	-9.57
50.	जाम मैन्यू. मिल्स	-9.16	-9.09
51,52,53.	कोहिनूर मिल्स न.1, 2 व 3	-13.51	-13.96
54.	पोद्दार मिल्स	-12.96	-11.01
55.	मॉडल मिल्स	-18.44	-21.73
56.	आर बी बी ए मिल्स	-7.29	-8.59
57.	आर एस आर जी मिल्स	-6.30	-6.60
58.	सवतराम रामप्रसाद मिल्स	-4.57	-4.67
59.	श्री सिताराम मिल्स	-9.53	-6.60

1	2	3	4
60.	टाटा मिल्स	-18.15	-16.55
61.	विदर्भ मिल्स	-6.37	-6.62
एनटीसी (गुजरात) लि.			
62.	अहमदाबाद जूपिटर टेक्सटाईल मिल्स	-12.56	-15.22
63.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाईल मिल्स	-12.49	-14.80
64.	हिमाद्री टेक्सटाईल मिल्स	-8.33	-10.99
65.	जहांगीर टेक्सटाईल मिल्स	-14.97	-18.19
66.	महालक्ष्मी टेक्सटाईल मिल्स	-9.55	-11.95
67.	न्यू माणिकचौक टेक्सटाईल मिल्स	-10.01	-11.85
68.	पेप्लाड टेक्सटाईल मिल्स	-5.10	-5.99
69.	राजकोट टेक्सटाईल मिल्स	-3.49	-4.30
70 व 71.	राजनगर टेक्सटाईल मिल्स 1 व 2	-15.22	-17.30
72.	विरमगांव टेक्सटाइल मिल्स	-7.96	-9.38
एनटीसी (सीपीपीके एंड एम) लि. आंध्र प्रदेश			
73.	अदोनी कॉटन मिल्स	-1.44	-1.60
74.	अनंतपुर कॉटन मिल्स	-3.77	-4.20
75.	अजय जाही मिल्स	-7.32	-8.49
76.	नटराज स्पिनिंग मिल्स	-3.58	-4.00
77.	नेथा स्पि. व विविंग मिल्स	-1.77	-2.20
78.	त्रिरूपति कॉटन मिल्स	-2.99	-3.85
कर्नाटक			
79.	एम एस के मिल्स	-9.51	-10.34
80.	मिनर्वा मिल्स	-11.61	-13.27
81.	मैसूर स्पि. व मैन्यू. मिल्स	-7.33	-8.41
82.	श्री मेंलम्मा कॉटन मिल्स	-4.24	-4.90
केरल			
83.	अलगप्पा टेक्सटाईल मिल्स	-4.43	-3.74
84.	कन्नौर स्पि. व विबिंग मिल्स, केन	-0.58	-0.92
85.	केरला लक्ष्मी मिल्स	-3.09	-2.29
86.	परवधी मिल्स	-10.25	-9.25

1	2	3	4
87.	विजय मोहिनी मिल्स	-2.73	-3.07
पाण्डिचेरी			
88.	कन्नौर स्पि. व विविंग मिल्स, माहे	-1.82	-1.19
एनटीसी (टी एवं एंड पी) लि.			
89.	बालाराम वर्मा टेक्सटाईल मिल्स	-2.58	-1.78
90.	कंबोडिया मिल्स	-3.60	-3.59
91.	कोयंबटूर मुरुगन मिल्स	-3.49	-3.43
92.	कृष्णावेनी टेक्सटाईल मिल्स	-3.00	-3.23
93.	ओम प्रकाश वि. मिल्स	-2.74	-[illegible]
74.	पंकज मिल्स	-2.57	-2.94
75.	पायोनियर स्पिनर्स मिल्स	-1.37	-1.39
76.	श्री रंगविलास स्पी. एंड वि. मिल्स	-2.60	-2.40
97.	सामसुन्दरम मिल्स	-4.13	-3.30
98.	कलेश्वरर (मिल्संबी एकक)		
एनटीसी (डब्ल्यू बी ए वी एंडओ) लि.			
असम			
99.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	-4.26	-3.42
बिहार			
100.	बिहार कॉपरेटिव वीवर्स स्पी. मिल्स	-3.39	-4.58
101.	गया कॉटन व जूट मिल्स	-5.40	-6.77
उड़ीसा			
102.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	-3.87	-5.24
पश्चिम बंगाल			
103.	आरती कॉटन मिल्स	-3.42	-4.13
104.	बंगाली कॉटन मिल्स	-3.04	-3.85
105.	बंगाल फाईन स्पी. एंड वी. मिल्स न.-1	-6.60	-6.85
106.	बंगाल फाईन स्पी. एंड वी. मिल्स न.-2	-1.78	-2.46
107.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	-7.74	-8.51
108.	मनिन्द्रा बी.टी. मिल्स	-4.94	-5.92
109.	ज्योति वीविंग फैक्ट्री	-3.06	-3.59
110.	लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स	-4.82	-4.79
111.	रामपूरिया कॉटन मिल्स	-8.12	-8.57

1	2	3	4
112.	सेंट्रल कॉटन मिल्स	-10.55	-11.65
113.	श्री महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	-8.16	-9.21
114.	सोदपुर कॉटन मिल्स	-2.66	-3.13
एनटीसी (धारक कंपनी)			
पांडिचेरी			
115.	स्वदेशी कॉटन मिल्स	-6.98	-5.85
116.	श्री भारती मिल्स	-6.95	-5.78
कोयम्बटूर			
117.	श्री शारदा मिल्स	-6.41	-5.03
118.	कोयम्बटूर स्पी.एडं वी. मिल्स	-12.48	-11.40
119.	कालेश्वरर मिल्स 'ए' एकक	-9.08	-9.91

हस्तकरघा आधारित उद्योग को विद्युत करघा उद्योग में बदला जाना

2986. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हस्त करघा आधारित उद्योग को विद्युत करघा उद्योग में बदले जाने के संबंध में हस्त करघा बुनकर यूनियनों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों के स्टाप

2987. श्री तूफानी सरोज:
श्री श्रीनिवास पाटील:
श्रीमती जसकौर मीणा:
श्रीमती भावना बेन देवराजभाई चीखलीया:
श्री राधामोहन सिंह:
श्री दह्याभाई बल्लभभाई पटेल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
डा. अशोक पटेल:
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विशेष स्टेशन पर रेलगाड़ी के रूकने के स्थान की व्यवस्था करने के लिए कुछ निश्चित मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी रेलगाड़ियों के स्टेशन-वार रूकने के स्थानों की व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इन मानदंडों में ढील देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय): (क) जी हां, गाड़ियों का ठहराव मुहैया कराने के लिए गाड़ी की प्रकृति, स्टेशन पर प्राप्त होने वाले यातायात के पैटर्न और यात्रा और वैकल्पिक सेवाओं की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रिक की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अंगामाली-सबरीमाला रेल लाइन का निर्माण

2988. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) अंगामाली-सबरीमाला रेल लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है और अभी तक इस पर कितना खर्चा आया;

(ख) वर्ष 2000-01 के दौरान इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत सहित इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इस लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 116 कि.मी. लम्बाई के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा शेष लम्बाई के लिए कार्य प्रगति पर है। अभी तक इस कार्य पर 46 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(ख) 2000-01 के लिए बजट परिव्यय एक करोड़ है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 550 करोड़ रुपये है।

(ग) अभी तक लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

रसोई गैस पर कर में कमी

2989. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद अनवारुल हक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने स्वीकृत राजसहायता की उच्च लागत के नाम पर कई बार रसोई गैस का मूल्य बढ़ाया है;

(ख) क्या रसोई गैस पर कुल कर तेल कंपनियों द्वारा दिए गए मूल्य का करीब 40% है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजसहायता के नाम पर लगाए गए रसोई गैस के वर्तमान कर को कम करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार ने नवम्बर, 1997 में यह निर्णय लिया था कि घरेलू एल पी जी पर देय राजसहायता को वर्ष 2000-01 तक आयात समता मूल्य के 15% के स्तर पर लाने के लिए इसे चरणों में कम किया जाएगा तथा वर्ष 2002-03 से आगे राजसहायता राजकोषिय बजट को अंतरित की जाएगी। तदनुसार घरेलू एल पी जी के 'भंडार बिन्दुगत मूल्य' में 1.2.1999 से 14 रुपये प्रति सिलेंडर तक और 23.3.2000 से 30 रुपये प्रति सिलेंडर तक की वृद्धि की गई थी। घरेलू एल पी जी पर देय राजसहायता तेल पूल खाते से पूरी की जाती है।

(ख) ऐसे विभिन्न शुल्क एवं कर घटक, अर्थात सीमा एवं उत्पाद शुल्क, बिक्री कर एवं अन्य सांविधिक उद्ग्रहण, जो दिल्ली में घरेलू एल पी जी के खुदरा बिक्री मूल्यों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, लगभग 23.5% बनते हैं। बिक्री कर जैसे कुछ एक करों को राज्यों द्वारा अपने कानूनों के तहत प्रशासित किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

500 मेगावाट की विद्युत परियोजना

2990. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोच्चि तेल शोधक कारखाने द्वारा कोच्चि में व्यर्थ हो जाने वाली गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके एक 500 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) मार्च, 1998 में मैसर्स कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड (सीआरएल) द्वारा 35.8 अमरीकी डालर की विनिमय दर पर 2994 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वैक्थूम रेसिड्यू/एसफेल्टाईन को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हुए एक 522 मे.वा. की एकीकृत गैसीकृत संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त की गई।

के.वि.प्रा. की टिप्पणियाँ मैसर्स सीआरएल को इस अनुरोध के साथ भिजवा दी गई है कि तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए सभी आवश्यक स्वीकृतियों को सुनिश्चित करने के पश्चात् विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी के.वि.प्रा. में प्राप्त की जानी है।

कटक में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

2991. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पास कटक जिले में अल्थगढ़ के पास ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना करने से संबंधित कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त ताप विद्युत संयंत्र को कब तक स्थापित करने और उसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) कटक जिले में अल्थगढ़ के समीप एक ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन के पास लम्बित नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

विपणन नीति

2992. **प्रो. दुखा भगत:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने अधिक राजस्व अर्जित करने के लिए कोई प्रभावी विपणन नीति तैयार नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। रेलों की अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए सुपरिभाषित विपणन नीति है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जल विद्युत उत्पादन निगम और मध्य प्रदेश के बीच समझौता

2993. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार की इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर बरगीमान और जोवट परियोजनाओं को केन्द्र सरकार को 51 प्रतिशत भागीदारी की प्रतिबद्धता से सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं को योजनानुसार शीघ्रतापूर्वक पूरा करने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी;

(घ) क्या उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय जल विद्युत उत्पादन निगम में तैनात किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) इन्दिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं का एक संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में क्रियान्वयन करने के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 16 मई, 2000 को एक समझौता ज्ञापन इस वचनबद्धता के साथ हस्ताक्षरित किया गया कि परियोजना में एनएचपीसी की हिस्सेदारी अधिक होगी अर्थात् संयुक्त उद्यम में शेयर धारित के 51% से कम नहीं होगी।

(ग) जल विद्युत परियोजनाओं की 5.5 करोड़ रुपये प्रति मे.वा. की दर से वर्तमान अनुमानित लागत को दृष्टिगत रखते हुए इन्दिरा सागर के लिए लगभग 5500 करोड़ रुपये और ओंकारेश्वर परियोजना पर लगभग 2500 करोड़ रुपये की प्रत्याशित धनराशि अपेक्षित होगी।

(घ) और (ङ) एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए), जल संसाधन विभाग तथा मध्य प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत कार्मिकों को उपयुक्तता और गुण-अवगुण के आधार पर संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

रैबीज़ की दवा की अनुपलब्धता

2994. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ समय से रैबीज की जीवन रक्षक दवा "रैबीज इम्यूनोग्लोबिन" बाजार में उपलब्ध नहीं है जिससे रैबीज के रोगियों को बहुत परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस जीवन रक्षक दवा को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या प्रस्तावित हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) जी हां। रैबीज के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवा "रैबीज इम्यूनोग्लोबिन" की अप्रैल, 2000 में कमी के बारे में औषध नियंत्रक, दिल्ली द्वारा सूचना दी गई है। सप्लाई भेजने के लिए इस मामले को उत्पादों के साथ उठाया गया था और औषध नियंत्रक, दिल्ली द्वारा पुष्टि की गई है कि इस समय इन औषधियों की कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

बिलासपुर में प्रशासनिक कार्यालय का निर्माण

2995. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के बिलासपुर में रेलवे प्रशासनिक कार्यालय का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) यह कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) इस परिस्थिति में कोई समय-सीमा इंगित करना संभव नहीं है क्योंकि जोनों के पुनर्गठन के समग्र मामले के रेलों को पेश आ रही संसाधनों की तंगी के आलोक में फिलहाल समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

विशेष वितरण कोष

2996. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **विद्युत मंत्री** विशेष वितरण कोष के बारे में 8 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6405 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए विशेष वितरण कोष स्थापित करने के संबंध में आगे कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य इकाइयों ने अर्थक्षम परियोजनाएं तैयार की हैं उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन्होंने अब तक अर्थक्षम परियोजनाएं तैयार नहीं की हैं उनको इन्हें शीघ्र तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) सरकार ने त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान 2000-2001 में विशेष निधि की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में 1000 करोड़ रुपये दिए हैं। अनुदान एवं ऋण के रूप में ऋण जारी करने संबंधी रूपरेखा योजना आयोग एवं वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार की जा रही है। रूपरेखा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद राज्यों से कहा जाएगा कि वे त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु परियोजनाओं को सूत्रबद्ध करें।

आयुधागारों का आधुनिकीकरण

2997. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री रामचन्द्र पासवान:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्सी के दशक में आयुद्धों का भंडारण और कम लागत वाले भंडार गृहों के निर्माण के तरीके का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञों का एक दल यूरोप भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उसके द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस दल ने अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ गोलाबारूद डिपुओं में इग्लू की तरह के गोलाबारूद भण्डारण गृह, परीक्षण के तौर पर बनाने के सिफारिश की थी। जॉच करने पर यह पाया गया कि इन स्टेशनों की मिट्टी की भार सहन क्षमता इग्लू को तरह के भण्डारण गृह बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा इग्लू की तरह के भण्डारण गृह निर्माण की आरंभिक लागत परंपरागत भंडारण गृह के निर्माण की लागत से अधिक थी, परंतु इनके लम्बी अवधि तक चलते रहने के कारण इसे दीर्घकाल में किफायती माना गया था। अत: सरकार ने संक्रियात्मक जरूरतों, भूमि की उपलब्धता और उपयुक्तता तथा लागत औचित्य को ध्यान में रखते हुए इग्लू तथा परंपरागत दोनों ही प्रकार के भंडारण गृहों का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

तेल क्षेत्र में विदेशी इक्विटी

2998. श्री एम.वी.चन्द्रशेखर मूर्ति:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेल क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमित दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी का तेल क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सरकार ने विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए देश में तेल क्षेत्र में उन अन्वेषण तथा परिशोधन कार्यों में शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति दे दी है जो अत्यधिक पूंजी-प्रधान हैं। बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग, उन्नत उत्पादकता, गुणवत्ता वाले उत्पादों, बेहतर व्यावसायिक कार्यों, प्रतिस्पर्धा आदि के कारण आखिर में ग्राहकों को ही लाभ होगा। सरकार ने अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक उपाय आरंभ किए हैं। इनमें अन्यों के साथ-साथ उत्पादन तथा उत्पादकता में सुधार, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पाद विकास, निवेश लागत में कमी, विभिन्न लागत नियंत्रण उपाय, अनुसंधान तथा विकास, कार्य आदि सम्मिलित हैं। सरकार अपने कार्यनिष्पादन की निरंतर निगरानी कर रही है। सरकार द्वारा समीक्षा की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है।

कुर्ला-ठाणे के बीच अतिरिक्त लाइनें

2999. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्रशासन के कुर्ला-ठाणे (मुम्बई) अतिरिक्त लाइन परियोजना के निर्माण संबंधी समय सीमा को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या विक्रोली और भाण्डुप के निकट अस्थाई मकानों के संबंध में पुनर्वास कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना के विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान इस परियोजना हेतु कितना बजटीय प्रावधान किया गया है और अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(ङ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां। परियोजना मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) यह परियोजना मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना-2 (एम.यू.टी.पी.) का एक भाग है। मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास

प्राधिकरण में स्थापित परियोजना निगरानी यूनिट द्वारा एम.यू.टी.पी. परियोजनाओं की झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास संबंधी कार्रवाही की जा रही है। उन्होंने पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रम को अनंतिम रूप दे दिया है, जिसके अंतर्गत दिसम्बर, 2000 तक झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को अस्थायी स्थान में और दिसम्बर, 2002 तक स्थायी कोठरियों में शिफट कर दिया जाएगा।

(ग) झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के पुनर्स्थापन में लिए गये समय के कारण परियोजना के समापन में विलंब हुआ है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और जिसमें से 27.90 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया गया था। चालू वर्ष के अर्थात् 2000-2001 में 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ङ) यह परियोजना दो चरणों में स्वीकृत है:-

(1) कुर्ला-भांडुप (10 किलोमीटर) चरण-1- मार्च, 2000 के अंत तक परियोजना की वास्तविक प्रगति 50 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 48.87 प्रतिशत थी।

(2) भांडुपठाणे (7 किलोमीटर) चरण-2-मार्च 2000 के अंत तक परियोजना की वास्तविक प्रगति 22 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 20.51 प्रतिशत थी।

भूमि के अधिग्रहण और पॉकेटों में अतिक्रमण हटाने में लिए गए समय के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।

''सारस'' एयरक्राफ्ट का विकास

3000. श्री सुरेश रामराव जाधव: (क) हिंदुस्तान एयरोनोटिस लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे लाइट ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट ''सारस'' के विकास चरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितना व्यय हो चुका है; और

(ग) इस ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट के कब तक अपनी उड़ाने भरने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक): (क) से (ग) हल्के परिवहन वायुयान ''सारस'' का विकास राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला, बेंगलूर द्वारा किया जा रहा है जो कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद को एक संस्थान है। इस परिषद से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार ''सारस'' के प्रथम आदि-रूप को बनाने में प्रगति हासिल की गई है। इस परियोजना पर अब तक 67.49 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय हो चुका है और इस वायुयान के प्रथम आदि-रूप की उड़ान अगस्त, 2001 तक भरे जाने की संभावना है।

पश्चिमी राजस्थान में तेल भंडार

3001. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर और जलौर जिलों की सीमा पर स्थित संचूर और गुलमालिनी में अत्याधिक मात्रा में तेल के भंडार पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह क्षेत्र खोज के लिए 'शैल' को दिया गया था और अब उन्होंने 'करेन' नामक दुबई की कंपनी को अपने भागीदार के रूप में शामिल किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक फर्म द्वारा किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेल उत्पादन का कार्य कब से शुरू हो जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुडामलानी में अन्वेषण ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 में तेल की खोज की गई है।

(ख) और (ग) आरंभ में ब्लाक आरजे-ओएन-90/1 मैसर्स शैल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी.बी.(एस.आई.पी.डी.), नीदरलैंड्स को संविदा पर दिया गया था। 22.12.1999 में मैसर्स केर्न एनर्जी इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय आस्ट्रेलिया में है, को ब्लाक में 50% प्रतिभागिता हित एस.आई.पी.डी.के. पास है।

प्रचालक द्विआयामी/त्रिआयामी भूकंपनीय सर्वेक्षण कर रहा है। वर्ष 2000 के दौरान 1000 लाइन किलोमीटर द्विआयामी तथा 200 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी सर्वेक्षण किया जाना है। भूकंपीय सर्वेक्षणों के आधार पर 2000-01 के दौरान एक कूप का वेधन किए जाने की भी योजना है।

(घ) चूंकि खोज की वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रचालक द्वारा अभी निश्चित की जानी है, इसलिए उत्पादन आरंभ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बारूदी सुरंगों का आयात

3002. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार करगिल और कुछ अन्य सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाने का है;

(ख) क्या बारूदी सुरंगों के आयात का विचार है और यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(ग) सेना द्वारा देश में बनी बारूदी सुरंगों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या देश में बारूदी सुरंगों का उत्पादन स्तरीय नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो देश में ही बनी बारूदी सुरंगों की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) सरकार वे सभी उपाय कर रही है जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। इस संबंध में अधिक ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

रिक्ति आधारित रोस्टर

3003. **श्री सुरेश पासी:**

डा. बलिराम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिक्ति आधारित रोस्टर तभी तक संचालित हो सकती जब तक आरक्षित श्रेणि के व्यक्तिों से प्राप्त अभ्यावेदन आरक्षण के एक निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच जाएं;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों के अंतर्गत रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर श्रेणी एक, दो, तीन तथा चार में पद आधारित रोस्टर लागू किए गए हैं; और

(ग) सेवाओं की इन श्रेणियों में रिक्तियां आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टरों को लागू किए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/2/96-स्थापना(आरईएस) में निहित निदेशों के अनुसार रिक्ति आधारित रोस्टरों की जगह पर मद आधारित रोस्टर लागू किए गए हैं। पद आधारित रोस्टर आर.के. सब्बरवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप यह सुनिश्चित करने का तंत्र है कि आरक्षित श्रेणियां संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पदों में अपना हिस्सा प्राप्त कर सके।

इसके परिणामस्वरूप, भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड को छोड़कर (जो पंजाब राज्य सराकर के आरक्षण नियमों का पालन करता है) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू सहित सभी संगठनों में श्रेणी क,ख,ग और घ सेवाओं में पद आधारित आरक्षण रोस्टर लागू किए हैं।

हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना

3004. **श्री के. येरननायडू:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का विचार आंध्र प्रदेश सरकार के साथ हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) हैदराबाद-सिकंदराबाद जुड़वा शहरों में बहुरूपात्मक शहरी परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिए आध्र प्रदेश सरकार ने रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव किया है। समझौता ज्ञापन मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

जम्मू-उधमपुर रेल लाइन का निर्माण

3005. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री अली मोहम्मद नायक:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू से उधमपुर तक रेल लाइन बिछाने का कार्य किस तिथि को आरंभ किया गया;

(ख) अब तक कुल लम्बाई में से कितनी लम्बाई पर रेल लाइन बिछा दी गयी है और इस पर कितना धन व्यय हुआ है;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने की वास्तविक समय-सीमा क्या है और विलंब के क्षेत्रवार क्या कारण हैं;

(घ) उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ङ) पूरी प्रक्रिया को क्षेत्रावार कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(च) वर्ष 1999 के दौरान भेजी गई जम्मू से पूंछ, बारामूला से कुपवाड़ा और उधमपुर से डोडा-भद्रवाह सर्वेक्षण रिर्पोटों को अन्तिम रूप देने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) यह कार्य सितंबर, 1981 में आरंभ हुआ था।

(ख) जम्मू से उधमपुर तक कुल 53.2 किलोमीटर की लंबाई में से 11 किलोमीटर (जम्मू से बजाल्ता) पूरा हो गया है। 31.03.2000 तक इस परियोजना पर 307 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

(ग) यह परियोजना 1981-82 में स्वीकृत की गई थी और सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की समापन अवधि पांच वर्ष है। बहरहाल, यह कार्य संसाधनों की तंगी, भू-तकनीकी समस्याओं और कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्रतिकूल स्थिति के कारण अनुसूची के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका।

(घ) उधमपुर-कटरा और काजीगंध बारामूला के बीच कार्य आरंभ हो गया है और कटरा तथा काजीगंध के बीच कार्य के लिए योजना बनाई जा रही है। 31.3.2000 तक इस परियोजना पर 191.82 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ङ) उधमपुर-कटरा और काजीगंध-बारामूला खंडों पर कार्य दिसंबर, 2003 तक पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों। कटरा से काजीगंध पहले अगस्त, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य था लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण इस लक्ष्य तिथि को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। नवीन लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(च) जी नहीं।

(छ) जम्मू से पुंछ बरास्ता अखनूर रजौरी एक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। बारामूला से कुपवाड़ा (60 किलोमीटर) और उधमपुर से भादरवाह बरास्ता डोडा (85 किलोमीटर) तक एक नई बड़ी लाइन और डोडा से किश्तवार (55 किलोमीटर) तक एक शाखा लाइन के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है जिसके अक्तूबर, 2001 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत की स्थापित क्षमता

3006. श्री साहिब सिंह: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से सम्पन्न राज्य हैं और वहां जल, ताप और परमाणु ऊर्जा की तुलना में पवन ऊर्जा की क्या स्थिति है;

(ख) क्या पवन ऊर्जा की तुलना अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण, वितरण की लागत की दृष्टि से की जा सकती है;

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र में अपारम्परिक ऊर्जा की वर्तमान में राज्यवार स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले पांच वर्षों में इनमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) अब तक किए गए पवन संसाधन मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, पवन विद्युत उत्पादन के लिए तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश राज्य संभाव्यता वाले राज्यों के रूप में उभरकर सामने आये हैं। जल, ताप एवं परमाणु क्षमता क्रमश: 23816 मेगावाट, 70186 मेगावाट तथा 2680 मेगावाट की तुलना में 1183 मेगावाट की पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है।

(ख) पवन विद्युत उत्पादन की स्तरीकृत लागत, पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न राजकोषीय एवं संवर्धनात्मक प्रोत्साहनों को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक विद्युत के साथ बिल्कुल तुलनीय है।

(ग) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अपारंपरिक ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संस्थापित क्षमता संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) नवीं योजना के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 1685 मेगावाट है। अगली योजना अवधि के लिए लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

अपारम्परिक ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं (31.3.2000 के अनुसार) की राज्यवार संस्थापित क्षमता

क्रम सं.	राज्य	सार्वजनिक (मेगावाट)	निजी क्षेत्र (मेगावाट)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12.8	142.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.0	21.2
3.	असम	0.0	2.2
4.	बिहार	0.0	0.1
5.	गोवा	0.0	0.1

1	2	3	4
6.	गुजरात	17.3	158.0
7.	हरियाणा	0.0	5.2
8.	हिमाचल प्रदेश	0.0	11.6
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.0	8.5
10.	कर्नाटक	7.3	94.0
11.	केरल	2.0	6.1
12.	मध्य प्रदेश	0.6	39.8
13.	महाराष्ट्र	11.0	87.7
14.	मणिपुर	0.0	4.1
15.	मेघालय	0.0	1.5
16.	मिजोरम	0.0	11.8
17.	नागालैंड	0.0	3.9
18.	उड़ीसा	0.0	1.3
19.	पंजाब	0.0	21.3
20.	राजस्थान	2.0	5.1
21.	सिक्किम	0.0	9.3
22.	तमिलनाडु	19.4	853.0
23.	त्रिपुरा	0.0	1.0
24.	उत्तर प्रदेश	0.0	83.4
25.	पश्चिम बंगाल	0.0	8.5
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.0	0.2
27.	चंडीगढ़	0.0	0.0
28.	दादर व नागर हवेली	0.0	0.0
29.	दमन व दीव	0.0	0.0
30.	दिल्ली	0.0	0.1
31.	लक्षद्वीप	0.0	0.0
32.	पांडिचेरी	0.0	0.0
33.	अन्य	1.6	0.3

कर्नाटक सरकार का पेट्रोल पंपों के लिए अनुरोध

3007. श्री कोलूर बसवनागौड़: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम ने सरकार से राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में 1400 पेट्रोल पंप स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) कर्नाटक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम ने, कर्नाटक राज्य में विभिन्न स्थानों पर इसके पक्ष में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें देने के लिए अनुरोध भेजे हैं। आजकल खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, डीलर चयन बोर्डों के द्वारा चयन प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती हैं।

[हिन्दी]

रक्षा अभियंत्रण अकादमी

3008. श्री सुरेश चन्देल:
श्री रामशकल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सेवाओं में और अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए रक्षा अभियंत्रण अकादमी की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना में जनशक्ति विशेषकर तकनीकी जनशक्ति की भारी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस अंतर को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हाँ। 28.1 प्रतिशत अफसरों की कमी है।

(घ) एक विवरण-संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान एक पेशेवर विज्ञापन एजेंसी की सहायता से सेना के लिए छवि निखार अभियान चलाया गया था। इस अभियान का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा सेना में सेवा का विकल्प देने वाले योग्य युवा उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस तथ्य को देखते हुए यह अभियान जारी है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने, सिद्धान्तरूप में, सेना में अफसरों की कमी को दूर करने के लिए अल्पावधि, मध्यम और दीर्घ अवधि के उपायों की अनुमति दी है।

इन उपायों में जनवरी 2000 से दिसंबर 2001 तक की दो वर्ष की अवधि के लिए एन डी. ए, ए सी सी तथा सीधे प्रवेश पाने वाले कैडिटों के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में अफसरों के प्रशिक्षण काल में छह महीनों की कमी करना तथा अल्पसेवा कमीशन को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु व्यवहार्य विकल्पों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन शामिल है।

[अनुवाद]

दांडिक न्याय प्रणाली

3009. श्री राम प्रसाद सिंह: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय दांडिक न्याय प्रणाली पुरानी हो गई है और अब इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार को दांडिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में आमूल और अनवरत परिवर्तनों की आवश्यकता की जानकारी है। विधि आयोग और बकाया समिति जैसे विभिन्न अन्य निकाय समय-समय पर विद्यमान दांडिक न्याय प्रणाली, न्यायिक प्रणाली और दंड संहिताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में अध्ययन करते रहे हैं। इस दृष्णिकोण के मद्देनजर, संसद में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, '1994 पेश किया जा चुका है। विधि आयोग ने, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता का व्यापक पुनर्विलोकन किया है और मामलों के शीघ्र निपटारे और दंड प्रक्रिया संहिता को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध, में विभिन्न सिफारिशें करते हुए, अपनी 154वीं और 156वीं रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।

सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें न्यायधीशों/ मजिस्ट्रेटों के पदों की संख्या में वृद्धि छोटे-छोटे दांडिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायिक/मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, विशेष न्यायालयों की स्थापना, न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग और लोक अदालतों की स्थापना करके मध्यस्थता और बातचीत जैसी विवाद समाधान की अन्य वैकल्पिक पद्धतियों को अपनाना भी सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालयों ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जैसे विधि के समान प्रश्न वाले मामलों का समूहन और वर्गीकरण, विशेषित न्यायपीठों की स्थापना, मामलों को कंप्यूटर द्वारा सूचीबद्ध करना, आदि।

विधि आयोग ने प्रत्येक राज्य में अभियोजन निदेशालय स्थापित करने की सिफारिश की है और साथ ही राज्य सरकारें मामलों के दक्ष अभियोजन के लिए अभियोजन निदेशक और पुलिस अन्वेषण एजेंसी के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित करेंगी। ये सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

[हिन्दी]

राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में इंजनों का प्रयोग

3010. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता और भूवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में किस प्रकार के इंजनों का उपयोग किया जाता है;

(ख) क्या उक्त राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों हेतु प्रयोग किए गए इंजनों को हटा कर अब दूसरे प्रकार के इंजनों का प्रयोग किया जाता है जो रेलगाड़ियों के परिचालन में विलंब का प्रमुख कारण है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) धनबाद के रास्ते चलने वाली कलकत्ता राजधानी (2301/2302) नई दिल्ली और हावड़ा के बीच तीन फेज नोदन प्रणाली वाले डब्ल्यू.ए.पी. 5 बिजली रेल इंजन लोको द्वारा चालित है। पटना के

रास्ते चलने वाली कलकत्ता राजधानी (2305/2306) नई दिल्ली और मुगलसराय के बीच डब्ल्यू.ए.पी. 5 बिजली रेल इंजन द्वारा चालित है और मुगल सराय और हावड़ा के बीच डब्ल्यू.डी.एम. 2 किस्म के डीजल रेल इंजन द्वारा चालित है।

धनबाद के रास्ते चलने वाली भुवनेश्वर राजधानी नई दिल्ली और हावड़ा के बीच डब्ल्यू.ए.पी. 5 बिजली रेल इंजन द्वारा और हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच डब्ल्यु डीएम 2 डीजल रेल इंजनों द्वारा भुवनेश्वर के बीच डब्ल्यु.डी.एम. 2 डीजल रेल इंजनों द्वारा चालित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ऊर्जा उद्यान के लिए आबंटित धनराशि

3011. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरन प्रतिवर्ष विशेषकर तमिलनाडु में संस्वीकृत ऊर्जा उद्यानों का स्थानवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक ऊर्जा पार्कों के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए संस्वीकृत ऊर्जा उद्यान परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) क्या पूर्व में तमिलनाडु में किसी ऊर्जा उद्यान के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या आगामी वर्षों में तमिलनाडु में और ऊर्जा उद्यानों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान तमिलनाडु सहित 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 50 ऊर्जा पार्कों को स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत किए गए राज्यवार, स्थानवार तथा वर्षवार ऊर्जा पार्कों, ऊर्जा पार्क-वार आवंटित की गई निधियां और उनकी स्थिति संलग्न विवरण 1 में दी गई हैं।

(ग) से (च) जी, हां। अब तक तमिलनाडु में कुल 9 ऊर्जा पार्क स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 8 ऊर्जा पार्क पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। ऊर्जा पार्कों के स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण 2 में दिए गए हैं। इस राज्य में और अधिक ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण-1

पिछले दो वर्षों अर्थात् 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान स्वीकृत किए गए राज्य-वार, स्थान-वार तथा वर्ष-वार ऊर्जा पार्क-वार आवंटित की गई निधियों और उनकी स्थिति:-

आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	स्थान	स्वीकृति का वर्ष	आवंटित निधियां (लाख रु. में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	कृषि-बागवानी संस्था, पब्लिक गार्डन, हैदराबाद	1998-99	4.026	पूर्ण
2.	आंध्र युनिवर्सिटी, विशाखापटनम	1999-2000	3.67	कार्यान्वयनाधीन
असम				
1.	स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, असम युनिवर्सिटी, सिल्चर	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5
2.	कांटन कालेज गुवाहाटी	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन
3.	डिफू गवर्नमैंट कॉलेज डिफू, कर्बी अंगलोंग	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन
4.	डिब्रूगढ़ एस-एस कॉलेज डिब्रगढ़	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन
5.	नलबाड़ी कॉलेज नलबाड़ी	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन
6.	गर्ल्स पोलिटेक्नीक बामुनि मैडम	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन
7.	असम एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी, जोरहाट	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन
8.	श्रीमंत शंकरादेव कलाक्षेत्र, गुवाहाटी	1999-2000	7.916	कार्यान्वयनाधीन
बिहार				
1.	इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद	1998-99	2.03	कार्यान्वयनाधीन
दिल्ली				
1.	इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	1999-2000	5.247	कार्यान्वयनाधीन
गुजरात				
1.	वन चेतना केन्द्र, जिला नवसारी	1999-2000	1.675	कार्यान्वयनाधीन
2.	सहयाद्री सृष्टि सैंटर डबखल, जिला वालसाड	1999-2000	1.675	कार्यान्वयनाधीन
3.	डिस्ट्रिक्ट इंस्टिच्यूट आफ एजूकेशन एंड ट्रेनिंग गांधी नगर	1999-2000	4.057	कार्यान्वयनाधीन
4.	त्रिभुवनदास फाउंडेशन, आनंद	1999-2000	4.15	जेडा (जी.ई.डी.ए.) से रद्द करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ।
हरियाणा				
1.	हंसराज पब्लिक स्कूल, पंचकुला	1999-2000	7.78	कार्यान्वयनाधीन
2.	अहीर कॉलेज, रेवाड़ी	1999-2000	4.617	कार्यान्वयनाधीन
3.	गुरू जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार	1999-2000	5.445	कार्यान्वयनाधीन
हिमाचल प्रदेश				
1.	गवर्नमेंट पोलिटेक्निक, कांगड़ा	1999-2000	3.1397	कार्यान्वयनाधीन
2.	एच.पी.कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, जिला कांगड़ा	1999-2000	4.3397	कार्यान्वयनाधीन
3.	गवर्नमेंट पोलिटेक्निक कंडाघाट, जिला सोलन	1999-2000	3.102	कार्यान्वयनाधीन
4.	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रिकान्ग-पिओ, जिला किन्नौर	1999-2000	1.50	कार्यान्वयनीधीन
5.	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज काजा, जिला लाहौल स्पीति	1999-2000	1.50	कार्यान्वयनाधीन
6.	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलांग जिला लाहौल स्पीति	1999-2000	1.50	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5
जम्मू एवं कश्मीर				
1.	शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एँड टेक्नोलोजी, जम्मू	1999-2000	3.5976	कार्यान्वयनाधीन
2.	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर, कश्मीर	1999-2000	0.9776	कार्यान्वयनाधीन
3.	श्री प्रताप कॉलेज मौलाना आजाद रोड श्रीनगर, कश्मीर	1999-2000	0.9716	कार्यान्वयनाधीन
4.	गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी, जम्मू	1999-2000	0.9716	कार्यान्वयनाधीन
कर्नाटक				
1.	एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च मेलकोट जिला मांडिया	1998-99	3.87	पूर्ण हुआ
महाराष्ट्र				
1.	अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती	1999-2000	4.114	कार्यान्वयनाधीन
2.	चल्केवाड़ी पवन फार्म, जिला सतारा	1999-2000	5.12	कार्यान्वयनाधीन
मणिपुर				
1.	हंड्रेड फ्लावर्स हायर सैकेण्डरी स्कूल	1999-2000	2.924	कार्यान्वयनाधीन
2.	गवर्नमेंट डीफ एंड म्यूट स्कूल, तकयाल	1999-2000	2.785	कार्यान्वयनाधीन
3.	ऑफिसर्स क्लब, लैम्फेलपत	1999-2000	3.414	कार्यान्वयनाधीन
मिजोरम				
1.	सायहा गवर्नमेंट कॉलेज सायहा	1999-2000	1.734	कार्यान्वयनाधीन
2.	कोलासिब गवर्नमेंट कॉलेज कोलासिब	1999-2000	1.734	कार्यान्वयनाधीन
3.	गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चम्पई	1999-2000	1.734	कार्यान्वयनाधीन
4.	लंगलेई गवर्नमेंट कॉलेज लंगलेई	1999-2000	1.734	कार्यान्वयनाधीन
नागालैंड़				
1.	डॉन बोस्को यूथ सेंटर, कोहिमा	1999-2000	4.453	कार्यान्वयनाधीन
2.	होली क्रॉस स्कूल, दिमापुर	1999-2000	1.253	कार्यान्वयनाधीन
3.	जापान-रिबा गवर्नमेंट हाई स्कूल, चोजुबा, फेक	1999-2000	1.253	कार्यान्वयनाधीन

1	2	3	4	5
4.	स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड रूरल डेवलपमेंट मेडजिफेमा, दिमापुर जिला	1999-2000	5.6018	कार्यान्वयनाधीन
5.	डॉन बोस्कों हायर सेकेण्डरी स्कूल, मोन, जिला मोन	1999-2000	2.3318	कार्यान्वयनाधीन
राजस्थान				
1.	कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी एंड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (सी.टी.ए.ई.) उदयपुर	1998-99	1.34	कार्यान्वयनाधीन
तमिलनाडु				
1.	पी एस जी कॉलेज ऑफ टेक्नोलाजी, कोयम्बटूर	1998-99	3.80	पूर्ण हुआ
2.	गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधी ग्राम	1998-99	4.25	पूर्ण हुआ
उत्तर प्रदेश				
1.	डी.ए.वी. सेंटनरी पब्लिक स्कूल, मेरठ	1998-99	1.779	कार्यान्वयनाधीन
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
1.	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेअर	1999-2000	2.47	कार्यान्वयनाधीन
चंडीगढ़				
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	गांधी स्मारक भवन, चंडीगढ़	1999-2000	3.0684	कार्यान्वयनाधीन

विवरण-2

तमिलनाडु राज्य में स्वीकृत किए गए ऊर्जा पार्कों का स्थान-वार ब्यौरा

क्रम सं.	स्थान	स्वीकृति का वर्ष	आवंटित निधियां (लाख रु. में)	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी पाल्कालई नगर, मदुरई	1995-96	1.215	पूरा हुआ
2.	डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजी. सैंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अन्ना यूनिवर्सिटी, मद्रास	1995-96	0.76	पूरा हुआ

1	2	3	4	5
3.	दलित लिबरेशन एजूकेशन ट्रस्ट, 46 मेन (बूथ रोड) सेंट थामस माउंट, मद्रास	1995-96	2.13	पूरा हुआ
4.	तमिलनाडु साइंस एंड टेक सैंटर गांधी मंडपम रोड, इंजी. कॉलेज पोर्ट, मद्रास	1995-96	2.07	पूरा हुआ
5.	रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तिरूचिरापल्ली	1995-96	4.26	पूरा हुआ
6.	विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	1997-98	1.598	पुरा हुआ
7.	वेल्लौर इंजी. कॉलेज वैल्लौर तमिलनाडु	1997-98	4.79	पुरा हुआ
8.	पी.एस.जी. कॉलेज ऑफ टेक्नोलोजी, कोयम्बटूर	1998-99	3.80	पुरा हुआ
9.	गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधी ग्राम	1998-99	14.25	पुरा हुआ

रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति

3012. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दामोदार घाटी निगम द्वारा रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति के संबंध में उन मार्टिन्स कंपनी के साथ किसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। डीवीसी ने रियायती दर पर विद्युत की आपूर्ति हेतु मैं. उषा मार्टिन स्पेशल लिमिटेड (यूएमआईएसएसएल) के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। पर यूएमआईएसएसएल द्वारा अपना प्रचालन पुन: आरंभ करना एवं रियायत का लाभ लेना शेष है।

(ख) अपने पुन: आरंभ पैंकेज में बीआईएफआर ने यूएमआईएसएसएल को डीवीसी से कुछ रियायतों/राहतों की सिफारिश की। मै. यूएमआईएसएसएल का पतरातू संयंत्र, जो बिहार राज्य के हजारीबाग जिले का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में स्थित है और इसमें कार्यरत 1000 कर्मचारियों का भविष्य शामिल है। इसलिए यूएमआईएसएसएल को पुन: चालू करना आवश्यक माना गया ।

[हिन्दी]

कटिहार रेल-जंक्शन पर "पिट लाइन" का निर्माण

3013. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कटिहार रेल-जंक्शन में लंबी दूरी की एक्सप्रेस-गाड़ियों के अनुरक्षणार्थ उनकी संख्या के अनुपात में "पिट-लाइनों" का निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस दिशा में कोई नए कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इन "पिटलाइनों" का निर्माण कब तक किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) जी हां। कटिहार में गर्त लाइन की अपर्याप्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1998-99 के दौरान 24 सवारी डिब्बों की क्षमता वाली एक नई गर्त लाइन के लिए एक परियोजना स्वीकृत की थी। निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

नारनौल-रींगस-फुलेरा रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

3014. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारनौल-रींगस-फुलेरा रेल मार्ग को आमान परिवर्तन से बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आमान परिवर्तन कब तक हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) नारनौल-फुलेरा मी.ला. के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव हो सकेगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में रेल लाइनों का आमान परिवर्तन

3015. श्री शीश राम ओला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं और कितनी परियोजनाओं का क्रियान्वयन अभी तक किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली-रेवाड़ी-महेन्द्रगढ़-सूरजगढ़-चिडावा-झुंझनू-नवलगढ़-सीकर-रिंगस रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर काम कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) अजमेर-चित्तौगढ़-उदयपुर भिलड़ी-समदड़ी-जोधपुर, लूणी-बाडमेर-मुनाबाय, आगरा किला-बांदीकुई मीटर लाइनों के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन का कार्य पहले से ही प्रगति पर है।

श्रीगंगानगर-सरुपसर और रेवाड़ी-सदूलपुर मीटर लाइनों के आमान परिवर्तन का कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां जिनके लिए आवश्यक कार्रवाई पहले की आरंभ कर दी गई है, प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।

पीपर, रोड़-बिलाड़ा के आमान परिवर्तन का कार्य फुलेरा-जोधपुर आमान परिवर्तन कार्य के वस्तुपरक आशोधन के रूप में स्वीकृत किया गया था। बहरहाल, निम्न पारिचालनिक प्राथमिकता और पीपर रोड़-बिलाड़ा खंड पर अत्यधिक कम यातायात के कारण इस कार्य को अभी तक आरंभ नहीं किया जा सका है। यह कार्य कुछेक चालू परियोजनाओं के पूरा हो जाने और संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने का बाद आरंभ किया जाएगा।

(ख) से (घ) जयपुर-रिंगस-सीकर-नवलगढ़-झुनझुन-चिरावा-सूरजगढ़-लोहारू और रिंगस-रेवाड़ी मीटर लाइनों के आमान परिवर्तन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस परियोजना पर आगे विचार सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद संभव होगा।

रेवाड़ी-सदूलपुर परियोजना के भाग के रूप में रेवाड़ी-महेंद्रगढ़-लोहारू मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां जिनके लिए आवश्यक कार्रवाही आरंभ कर दी गई हैं, प्राप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा।

दिल्ली-रेवाड़ी दूसरी लाइन का आमान परिर्वतन पहले से ही प्रगति पर है।

[अनुवाद]

भेषज कम्पनियां

3016. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी सरकारी भेषज कम्पनियां काम कर रही हैं और इनमें कम्पनीवार कितना निवेश किया गया है;

(ख) उक्त प्रत्येक कम्पनी में कौन-कौन सी औषधियां तैयार की जा रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बड़ी मात्रा में औषधियों और प्रतिपादन (फार्मूलेशन) का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(घ) क्या किन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बन्द किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) आई.डी.पी.एल., एच.ए.एल., बी.सी.पी.एल., बी.आई.एल. और एस.एस.पी.एल. सरकार के स्वामित्व वाली भेषजीय कंपनियां हैं और इनमें 31.3.2000 तक सरकारी इक्विटी क्रमश: 916.8 करोड़ रुपये 44.41 करोड़ रु., 13.96 करोड़ रु., 40.67 करोड़ रु., और 24.52 करोड़ रु. है। इसके अतिरिक्त, क्रमश: 149.84 करोड़ रु., 29.90 करोड़ रु. और 1.93 करोड़ रुपये की धनराशि इक्विटी के लिए आवंटित हेतु लंबित है।

इनमें से आई.डी.पी.एल. ने प्रपुंज औषधों का उत्पादन बन्द कर दिया है जबकि एच ए एल विभिन्न किस्म के पेनिसिलिन,

स्ट्रेप्टोमाइसिन, एयूरोफंजिन आदि का उत्पादन करती है। बी.सी.पी.एल. एंटि विनोम सेरम (प्रपुंज) का उत्पादन करती है और बी. आई.एल. विभिन्न प्रकार के शेरा और टीकों (प्रपुंज में) का उत्पादन करती है। एस.एस.पी.एल. किसी प्रपुंज औषध का उत्पादन नहीं करती है।

(ग)वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इन कम्पनियों द्वारा उत्पादित औषधियों और प्रतिपादनों (फार्मूलेशन) का कुल मूल्य क्रमश: 88 करोड़ रुपये 98 करोड़ रुपये और 104 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) ये सभी वे कंपनियां हैं जिनके मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए हैं। इन कंपनियों के भविष्य का निर्णय बी आई एफ आर की कार्यवाहियों तथा अन्तिम निर्णय द्वारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान में कोको स्कीम के अंतर्गत आवंटित पेट्रोल पंप

3017. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, तथा जैसलमेर जिलों में कोको स्कीम के अंतर्गत आवंटित किए गए पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोको स्कीम को जारी रखने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह किस सीमा तक लाभकारी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालन आधार के अंतर्गत 18 खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किए गए हैं जिनमें नीचे दर्शाये अनुसार राजस्थान में जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र भी शामिल हैं:

जिला	खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
जोधपुर	3
पाली	2
सिरोही	3
जालौर	5
बाडमेर	2
जैसलमेर	3
कुल	18

(ख) और (ग) यह एक ग्राहक अनुकूल योजना है अत: उद्योग का इस योजना को चलाए रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में जल विद्युत का उत्पादन

3018. श्री अनन्त नायक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में संघाघरा, बड़ा घाघरा और खंधाधर जल प्रपातों से विद्युत उत्पादन की कोई संभावना है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) बड़ा घाघरा बृहत् जल विद्युत परियोजना (1.50 कि.वा.) उड़ीसा रिन्यूएबल डेवलपमेन्ट एजेंसी द्वारा विकसित की जा रही एक मौजूदा स्कीम है। राज्य एजेंसियों द्वारा 100 कि.वा. के संभावित विद्युत उत्पादन के लिए अभिज्ञात नहर आधारित जल विद्युत स्कीम संघाघरा एवं 1200 कि.वा. के विद्युत उत्पादन के लिए अभिज्ञात खंधाधर जल विद्युत स्कीम का विकास कार्य शुरू किया जाना शेष है।

राजसहायता में बचत

3019. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि गैस आधारित उर्वरक इकाइयों और नाफ्था आधारित इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर क्रमश: गैस और नाफ्था उपलब्ध कराया जाए तो वार्षिक तौर पर कितनी राजसहायता की बचत होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): जहां प्राकृतिक गैस का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता है, प्राकृतिक गैस उत्पादन करने वाले देशों में गैस की कीमत अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न होती है। तथापि, नेप्था एक अन्तर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार होने वाली वस्तु है जहां समस-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार मूल्यों में भिन्नता होती है। वास्तव में, देश में उर्वरक कम्पनियों के गैस एवं नेप्था के मूल्य में भी अवस्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो एवं अन्य तथ्यों के अनुसार इकाई दर इकाई भिन्नता होती है। इसलिए, यदि इन वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर भारतीय उर्वरक एककों को उपलब्ध कराया जा सकता है तो सब्सिडी की बचत के बारे में उचित मूल्यांकन करना कठिन होगा।

कपास का निर्यात

3020. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देशवार कितनी मात्रा में और कितने रुपये मूल्य की कपास का निर्यात किया गया तथा चालू वर्ष में कितना निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या (क) में उल्लिखित कपास का निर्यात निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कपास निर्यात के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कपास के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) हालांकि कपास के निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गये हैं, सरकार निर्यात के लिए कोटा रिलीज करती है। 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान रिलीज किया गया कोटा और वास्तविक निर्यात नीचे दिया गया है:-

वर्ष (अक्टू.-सित)	रिलीज किया गया कोटा (लाख गांठ में170 किग्रा. प्रत्येक)	वास्तविक निर्यात (लाख गांठ में 170 किग्रा. प्रत्येक)	मूल्य करोड़ रु. में
1996-97	14.42	16.82*	1655.00
1997-98	8.2	3.4937	316.85
1998-99	5.00	1.01253	86.71
1999-2000 (31.7.2000 तक)	5.00	0.50946	3983

*1995-96 का बचा हुआ 4.69 लाख गांठ सहित।

प्रमुख देश जिनको भारत से कपास का निर्यात किया जाता है, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्राजील, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इजरायल, इटली, जापान, मलेशिया, मारीशस, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, फिलीपींस, रूस, सउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडेन, स्विटजरलैंड, थाइलैंड, टोगो, तुर्की, और यु.के. हैं।

(घ) निर्यात की मात्रा अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य और गुणवत्ता प्राचलों पर निर्भर करती है। हाल के वर्षों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की कीमतें काफी कम हुई है तथा घरेलू बाजार में कीमतों के बराबर अथवा कम है।

(ङ) कपास विकास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य अनुसंधान, किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रसार, बाजार अध्यसंरचना में सुधार और कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में समग्र सुधार हेतु गिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

3021. श्री चिंतामन वनगा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने क्रियाकलापों में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटरीकरण की कोई परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में किन-किन रेलवे स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है और चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान किन-किन स्टेशनों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, रेलों ने यात्री आरक्षण सुविधाओं को पहले ही कंप्यूटरीकृत किया हुआ है मालभाड़ा परिचालन सेवाओं को कंप्यूटरीकृत करने की रूपरेखा (ब्लू प्रिंट) बनाई गई है और दोपे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग को उत्तर रेलवे में परिचालित किया गया है, कार्मिक प्रबंधन, खरीद तथा वस्तुसूची पर नियंत्रण, कारखाना प्रबंध के क्षेत्र में अग्रगामी परियोजनाएं मंडल तथा क्षेत्रीय स्तरों पर कार्यान्वित करने के विभिन्न चरणों पर हैं, यात्री संपर्क के क्षेत्र में कंप्यूटर टेलीफोन एकीकरण का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

(ख) कंप्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय रेलों द्वारा 507 परियोजनाएं शुरू की हैं/ शुरू होने वाली हैं, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

महाराष्ट्र राज्य में 85 परियोजनाएं शुरू की गई हैं/शुरू होने वाली हैं, जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में उल्लिखित हैं।

(ग) महाराष्ट्र में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण 3 में दिए गए हैं महाराष्ट्र में स्थित वे स्थान वार्षिक योजना 2000-01 में जिन्हें कंप्यूटरीकरण आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए शामिल किया गया है, के नाम संलग्न विवरण 4 में दिए गए हैं, वार्षिक योजना 2001-2002 को अंतिम रूप देते समय अगले वित्तवर्ष में स्टेशनों को कंप्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया जाएगा।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों पर शुरू की गई/शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना की प्रकृति	परियोजनाओं की संख्या
1.	यात्री आरक्षण, अनारक्षित एवं सीजन टिकट तथा अन्य संबंधित कार्य	382
2.	मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस)	1
3.	क्षेत्रीय तथा मंडल, उत्पादन इकाइयों, मुख्यालयों का कंप्यूटरीकरण	53
4.	कारखानों तथा भंडारों का कंप्यूटरीकरण	56
5.	प्रबंध सूचना प्रणाली	1
6.	रेलनेट	1
7.	अन्य	13
	कुल	507

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेलों पर शुरू की गई/शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	परियोजना की प्रकृति	परियोजनाओं की संख्या
1.	यात्री आरक्षण, अनारक्षित एवं सीजन टिकट तथा अन्य संबंधित कार्य	71
3.	मंडल तथा क्षेत्रीय, उत्पादन इकाइयों, मुख्यालयों का कंप्यूटरीकरण	5
4.	कारखानों तथा भंडारों का कंप्यूटरीकरण	4
5.	प्रबंध सूचना प्रणाली	1
6.	रेलनेट	1
7.	अन्य	3
	कुल	85

विवरण-3

महाराष्ट्र में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

क्रम सं.	रेलवे	स्थल
1	2	3
1.	मध्य रेलवे	अहमदनगर
2.	मध्य रेलवे	अजनी
3.	मध्य रेलवे	अकोला
4.	मध्य रेलवे	अंबरनाथ
5.	मध्य रेलवे	अमरावती
6.	मध्य रेलवे	बल्हारशाह
7.	मध्य रेलवे	बेलापुर सीबीओ
8.	मध्य रेलवे	भुसावल
9.	मध्य रेलवे	चन्द्रपुर
10.	मध्य रेलवे	चेम्बूर
11.	मध्य रेलवे	चिंचवाड़
12.	मध्य रेलवे	डेक्कन जिमखाना
13.	मध्य रेलवे	देवलाली
14.	मध्य रेलवे	धुले
15.	मध्य रेलवे	डोंबीवली
16.	मध्य रेलवे	घाटकोपर
17.	मध्य रेलवे	जलगांव
18.	मध्य रेलवे	कल्याण
19.	मध्य रेलवे	खड़की
20.	मध्य रेलवे	कुर्ला (टर्मिनस)
21.	मध्य रेलवे	लोनावला
22.	मध्य रेलवे	मनमाड़
23.	मध्य रेलवे	मुलुण्ड
24.	मध्य रेलवे	मुंबई छ.शि.ट.
25.	मध्य रेलवे	नागपुर
26.	मध्य रेलवे	नासिक
27.	मध्य रेलवे	नासिक सीबीओ
28.	मध्य रेलवे	पनवेल
29.	मध्य रेलवे	पुणे
30.	मध्य रेलवे	पुणे छावनी
31.	मध्य रेलवे	रविवार पेठ
32	मध्य रेलवे	संथरा मार्केट
33.	मध्य रेलवे	शंकर शेठ
34.	मध्य रेलवे	शरडी
35.	मध्य रेलवे	सोलापुर
36.	मध्य रेलवे	थाणे
37.	मध्य रेलवे	वाशी
38.	मध्य रेलवे	वर्धा
39.	कोंकण रेलवे	चिपलुन
40.	कोंकण रेलवे	कुडाल
41.	कोंकण रेलवे	थिविम
42.	कोंकण रेलवे	रत्नागिरि
43.	दक्षिण मध्य रेलवे	औरंगाबाद
44.	दक्षिण मध्य रेलवे	जालना
45.	दक्षिण मध्य रेलवे	कोल्हापुर
46.	दक्षिण मध्य रेलवे	मिरज
47.	दक्षिण मध्य रेलवे	नांदेड़
48.	दक्षिण मध्य रेलवे	परभनी
49.	दक्षिण मध्य रेलवे	सांगली
50.	दक्षिण पूर्व रेलवे	गोंदिया
51.	दक्षिण पूर्व रेलवे	इतवारी
52.	पश्चिम रेलवे	अंधेरी
53.	पश्चिम रेलवे	बांद्रा टर्मिनस

1	2	3
54.	पश्चिम रेलवे	भायन्दर
55.	पश्चिम रेलवे	बोरीविली
56.	पश्चिम रेलवे	चर्चगेट
57.	पश्चिम रेलवे	मलाड
58.	पश्चिम रेलवे	मुंबई सेन्ट्रल
59.	पश्चिम रेलवे	सहार एयर पोर्ट मुंबई
60.	पश्चिम रेलवे	वसई रोड़
61.	पश्चिम रेलवे	विरार

विवरण-4

महाराष्ट्र में स्थित वे स्थान जिन्हें वार्षिक योजना 2000-01 में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए शामिल किया गया है

1. नेवी नगर, कोलाबा
2. बाईकुला
3. बेलापुर
4. दौंड
5. कोपरगांव
6. महाराष्ट्र एसेम्बली
7. यावतमल
8. सतारा

यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं

3022. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकटवर्ती बेंगलूर रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ बढ़ने के कारण यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) 1. वर्ष 1999-2000 में बेंगलूरु क्षेत्र के लिए यशवंतपुर में दूसरे कोचिंग टर्मिनल के कार्य को मंजूरी दी गई थी। कार्य की अनुमानित लागत 1513.35 लाख रु. है।

2. यशवंतपुर क्षेत्र में मुहैया कराई जाने वाली प्रस्तावित टर्मिनल सुविधाएं निम्नानुसार है:-

1. 3 अतिरिक्त प्लेटफार्म लाइनें जिनकी प्रत्येक की क्षमता 24 बोगियों की है।

2. 2 गर्त लाइनें जिनकी प्रत्येक की क्षमता 24 बोगियों की है।

3. स्थायी लाइनें जिनकी प्रत्येक की क्षमता 24 बोगियों की है।

4. एकीकृत कोच अनुरक्षण सुविधाएं।

5. 2 अतिरिक्त कोच लाइनें जिनकी प्रत्येक की क्षमता 10 बोगियों की हो।

6. 24 बोगी क्षमता की शेटिंग नेक।

7. अतिरिक्त यात्री सुविधाएं।

8. परिचालनिक और अनुरक्षण विभागों हेतु कार्य करने के लिए सेवा बिल्डिंग ।

(3) चरण-1 के दौरान निम्नलिखित सुविधाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है।

1. 24 बोगी की क्षमता वाला एक ऊंची सतह का प्लेटफार्म,

2. 24 बोगियों की क्षमता को संभालने के लिए मौजूदा ऊंची सतह वाले आइलैंड प्लेटफार्म का विस्तार,

3. 24 बोगी क्षमता की 1 स्थायी लाइन।

4. 24 बोगी क्षमता वाली 1 गर्त लाइन।

5. सिक लाइन सुविधाएं।

(ग) 1999-2000 में इस कार्य के लिए 10.00 लाख रु.तथा 2000-2001 के लिए 60.00 लाख रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

विद्युत उत्पादन क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त किया जाना

3023. श्री सुबोध मोहिते:
श्री एन.जनार्दन रेड्डी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त करने के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति ले ली है;

(ख) क्या इस विषय के संबंध में राज्य सरकारों तथा विद्युत उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के विचार ले लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्युत उत्पादन क्षेत्र को लाइसेंस मुक्त किए जाने पर तदनुसार स्वीकृति में विलम्ब से ऐसी कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं जो विद्युत खरीद संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर करने को तैयार है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्यमान कानून के अंतर्गत, विद्युत उत्पादन के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। नई विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन में निवेश को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उन स्कीमों की पूंजी व्यय की सीमा को जून, 2000 में निम्नवत रूप से बढ़ा दिया गया जिनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता है:-

(1) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली माध्यम की तथा दिनांक 30.3.1992 की टैरिफ अधिसूचना में दिनांक 23 मई, 1997 के संशोधन के अनुरूप ताप-विद्युत परियोजनाओं के लिए 5,000/-करोड़ रु.।

(2) आईसीबी माध्यम पर अन्य ताप-विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए 1,000/- करोड़ रुपये।

(3) निजी क्षेत्र की अभिज्ञात बृहत् परियोजनाओं, जिनकी स्कीम को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी अथवा निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है, के लिए 20,000 करोड़ रुपये।

(4) आईसीबी माध्यम पर जल-विद्युत केन्द्र के लिए 1,000 करोड़ रुपये।

(5) आर एंड एम स्कीमों के लिए 500 करोड़ रुपये।

(6) अन्य सभी स्कीमों के लिए 250 करोड़ रुपये।

अन्तर्राज्यीय नदियों के पानी का समुपयोजन करने वाली सभी जल-विद्युत स्कीमों को प्राधिकरण के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए (लागत पर ध्यान न देते हुए) प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

बरौनी-कटिहार रेल लाइन को दोहरा बनाना

3024. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली बरौनी और कटिहार के बीच की रेल लाइन को दोहरी बनाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) एकल लाइन खण्डों का दोहरीकरण/दोहरी लाइन खण्डों पर बहु-लाइन उपलब्ध कराने का कार्य तब किया जाता है जब इन लाइनों की वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है। सुझाए गए खण्ड पर यातायात अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां दोहरीकरण का औचित्य बनता हो। यातायात के इस स्तर पर पहुंचने के पश्चात ही दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर आरक्षण कोटा

3025. श्री अरुण कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी-वार आरक्षण का कितना कोटा आबंटित है;

(ख) क्या यह क्षेत्र जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जहानाबाद स्टेशन पर विभिन्न गाड़ियों में शयनयान श्रेणी में

निम्नलिखित आरक्षण कोटा उपलब्ध है;

गाड़ी संख्या		शायिकाओं की संख्या
जहानाबाद से		
3330 गंगा दामोदर एक्सप्रेस	-	8
8623 पटना-हटिया एक्सप्रेस	-	4
3343 पतामाऊ एक्सप्रेस	-	9
पटना से		
3232 दानापुर-हावड़ा एक्सप्रेस	-	3
2391 मगध एक्सप्रेस	-	3

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुनियादी ढांचे का नवीकरण

3026. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अपने नए और पुराने बुनियादी ढांचे का नवीकरण करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल लाइनों के अतिरिक्त माल डिब्बों, सवारी डिब्बों और सिग्नल प्रणाली का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान जोन/राज्य-वार नवीकरण हेतु चुनी गई लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) नौवीं योजना के दौरान 19250 किलोमीटर रेलपथ के नवीकरण की योजना बनाई गई थी जिसके लिए नौवीं योजना के दौरान 13200 करोड़ रुपये (सकल) धन की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। संसाधनों की तंगी के कारण योजना आयोग द्वारा लक्ष्य घटाकर 13922 किलोमीटर कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। कोचिंग स्टॉक और माल डिब्बों का अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। विगत के वर्षों में सवारी और माल डिब्बों को अपेक्षाकृत अधिक आरामदायक, विश्वसनीय एवं सुरक्षित बनाने के लिए अभिकल्प में अनेक सुधार किए गए हैं। जहां तक सिगनल प्रणाली का संबंध है, धन की उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(1) आधुनिक सिगनल प्रणालियां यथा रेलपथ परिपथन, अंतर्पाशन और समपारों पर टेलीफोन.

(2) बहु संकेतों रंगीन रोशनी वाली सिगनल प्रणाली (एमएसीएल),

(3) कांटों एवं सिगनलों का केन्द्रीयकृत परिचालन

(4) सहायक चेतावनी प्रणाली, द्वितिय दूरस्थ सिगनल

(5) धुरा काउंटर द्वारा अंतिम वाहन जांच

(ङ) रेलपथ नवीकरण की स्थिति जोन-वार रखी जाती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान नवीकरण के लिए जोन-वार लक्ष्य

निम्नानुसार हैं:-

रेलवे	लक्षित संपूर्ण रेलपथ नवीकरण किलोमीटर में जिसे किया जाना है।
मध्य	630
पूर्व	310
उत्तर	530
पूर्वोत्तर	130
पूर्वोत्तर सीमा	65
दक्षिण	170
दक्षिण मध्य	300
दक्षिण पूर्व	715
पश्चिम	400
जोड़	3250

ओ एन जी सी के लापता ड्रिलिंग रिग्स

3027. श्री राजो सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम में ड्रिलिंग रिग्स के लापता होने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने ड्रिलिंग रिग्स लापता हुए और इन पर कितनी लागत लगी थी; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ एन जी सी) में वेधन रिगों के लापता होने की कोई घटना नहीं घटी हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन थैलों पर बाह्य मार्किट सहायता

3028. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हाइड्रो-कार्बन मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल पटसन की थैलियों पर 10 प्रतिशत बाह्य बाजार सहायता (ईएमए) देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो जिन थैलियों पर बाह्य बाजार सहायता दी जानी है उनकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष तथा अगले तीन वर्षों में इस तरह की कितनी थैलियों का किस सीमा तक निर्यात किया जाएगा?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां, पटसन विनिर्माण विकास परिषद हाइड्रोकार्बन मुक्त पटसन बोरों के निर्यात के "एफओबी" मूल्य पर 14.9.1998 से 10% बाह्य बाजार सहायता (ईएमए) प्रदान कर रही है।

(ख) जिन बोरों पर बाह्य बाजार सहायता दी जाती है, वे अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देशों के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। इन बोरों का विनिर्माण खनिज तेल का उपयोग किए बिना किया जा रहा है और ये खाद्य सामग्री की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त हैं।

(ग) फिलहाल इसका आकलन उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह अपेक्षित है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन बोरों के लिए मांग बढ़ेगी।

[अनुवाद]

कोचीन में एल.एन.जी. टर्मिनल की स्थापना

3029. श्री टी. गोविन्दन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल स्थित एक संयुक्त उपक्रम कंपनी मैसर्स पेट्रोनेट एल.एन.जी. से केरल के कोचीन में एक एल.एन.जी. टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि., इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. का संयुक्त उद्यम पेट्रोनेट एल एन जी लि. (पी.एल.एल) कोचीन (केरल) में एक एल एन जी टर्मिनल की स्थापना कर रहा है। पेट्रोनेट एल एन जी ने 01 जनवरी, 2005

से 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम एम टी पी ए) एल एन जी की आपूर्ति के लिए कतर की मैसर्स राम गैस के साथ एक दीर्घकालिक एल एन जी बिक्री-खरीद करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस टर्मिनल की अनुमानित लागत 360 मिलियन अमेरीकी डालर है। पी एल एल ने भूमि आबंटन और पर्यावरण स्वीकृति सहित परियोजनापूर्व क्रियाकलाप पूरे कर लिए हैं। बूट आधार पर एल एन जी टर्मिनल के निर्माण के लिए ई पी सी ठेकेदारों की पूर्वार्हता के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।

आंध्र प्रदेश में पवन विद्युत परियोजनाएं

3030. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने आंध्र प्रदेश सरकार को पवन विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता देने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इस समय की कितनी पवन विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान में समग्र रूप से 88 मेगावाट क्षमता की 25 पवन विद्युत परियोजनाएं प्रचालन में हैं।

मैसूर रेलवे-स्टेशन में उपरि-पुल का निर्माण

3031. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मैसूर रेलवे स्टेशन पर एक दूसरा उपरि-पुल बनवाने का प्रस्ताव है चूंकि वहां इस समय इस बने उपरि-पुल से अधिक संख्या में यात्री नहीं निकल पाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का शीघ्र क्रियान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जासूसी के आरोप में सेना अधिकारी के रिश्तेदार की गिरफ्तारी

3032. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक वरिष्ठ सेना अधिकारी के दामाद को कथित तौर पर पाकिस्तान अधिकारियों को महत्वपूर्ण रक्षा जानकारी देने पर गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या भारत के सुरक्षा तंत्र में आई एस आई एजेंटों की घुसपैठ से आसूचना अधिकारी परेशान हैं;

(ग) यदि हां, तो कुछ अन्य अधिकारियों की मिलीभगत का भी पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार को जून 1999 से ऐसे पांच जासूसी के मामलों की सूचना मिली है जिसमें रक्षा स्थापनाओं के निम्न/मध्यम स्तर के सूत्रों द्वारा कथित रूप से सामान्य प्रकृति की सैन्य सूचनाएं बाहर भेजी गई हैं। शत्रु की आसूचना एजेंसियों के इस प्रकार के प्रयासों को निष्फल करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर समुचित निवारक कदम उठाए गए हैं।

कच्चे तेल के आयात शुल्क में कमी

3033. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल के आयात शुल्क में कमी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने नवंबर, 1997 में कच्चे तेल पर आयात शुल्क को मार्च 2002 तक चरणों में 0.5% तक कम करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2000-01 से संबंधित राजकोषीय बजट में कच्चे तेल पर आयात शुल्क 20% से कम करके 15% कर दिया गया था।

हाइड्रोकार्बन के नए भंडार

3034. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तेल और प्राकृतिक गैस निगम को हाइड्रोकार्बन के सात नये भंडारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा संभावित भंडार कितना है;

(ग) क्या शीघ्र ही व्यावसायिक ड्रिलींग शुरू होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) ने वर्ष 1999-2000 के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार सात नई हाइड्रोकार्बन खोजें की हैं:-

क्र.सं.	खोज का नाम	बेसिन	तेल +तेल समतुल्य गैस के आरंभिक स्थानिक भंडार (1 अप्रैल, 2000 को एमएमटी में)
1.	अखोलजुनी	कैम्बे	1.00
2.	सादरा	कैम्बे	0.26
3.	सफराई	ऊपरी असम	5.60
4.	तिचना	एएएफबी-त्रिपुरा	3.98
5.	टी पी	मुंबई अपतट	अनुमानाधीन
6.	लक्ष्मणेश्वरम	कृष्णा-गोदावरी	0.71
7.	श्रीगट्टापल्ले	कृष्णा-गोदावरी	0.41

(ग) और (घ) कुछ एक खोजों का भूवैज्ञानिक आंकड़ों का मूल्यांकन एवं रूपरेखा वेधन प्रगति पर है। अखोलजुनी, तिचना एवं सफराई में खोज के पश्चात अनुमान वेधन आरंभ हो गया है। सादरा, लक्ष्मणेश्वरम एवं सफराई में स्थान वेधन हेतु लामबंद किए गए हैं तथा टी पी एवं श्रीगट्टापल्ले के लिए भविष्यगत योजना के विषय में निर्णय लेने हेतु आंकड़ों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

एमएम टी=मिलियन मीट्रिक टन, ओ+ओईजी= तेल जमा तेल समतुल्य गैस

आंध्र प्रदेश में सड़क उपरि पुलों का निर्माण

3035. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान कितने उपरि पुलों का निर्माण किया जाएगा;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में विभिन्न समपारों पर सड़क उपरि पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सड़क उपरि पुलों के निर्माण के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है तथा 2000-2001 के लिए इस हेतु कितना आवंटन किया गया है; और

(छ) इन सड़क उपरि पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) सूचना राष्ट्रीय राजमार्ग, वार नहीं रखी जाती है। लागत में भागीदारी के आधार पर निष्पाक्षित किए जा रहे ऊपरी/निचले पुलों से संबंधित कार्यों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण 1 में दी गई है।

(ग) और (छ) रेल ऊपरी/निचले सड़क पुलों से संबंधित कार्य को पूरा करने की योजना राज्य सरकारों द्वारा संपर्क मार्गों के कार्यों के साथ-साथ बनाती है। अत: पुलों का पूरा होना, सम्पर्क मार्गों के पूरा होने पर निर्भर करता है।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) विवरण-2 संलग्न है।

विवरण-1

लागत में भागीदारी के आधार पर निर्माणाधीन ऊपरी सड़क पुल राज्य-वार निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	राज्य	ऊपरी सड़क पुलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30
2.	असम	04
3.	बिहार	13
4.	गुजरात	03
5.	हरियाणा	04
6.	कर्नाटक	45
7.	केरल	33
8.	महाराष्ट्र	19
9.	मध्य प्रदेश	11
10.	नागालैंड	01
11.	उड़ीसा	08
12.	पंजाब	07
13.	राजस्थान	06
14.	तमिलनाडु	44
15.	उत्तर प्रदेश	26
16.	पश्चिम बंगाल	25

विवरण-2

आंध्र प्रदेश में लागत में भागीदारी के आधार पर किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्य का नाम और स्थान	2000-01 के दौरान आबंटन (हजार रुपयों में)	मार्च, 2000 तक हुआ खर्च	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	समपार सं. 23-ए के बदले टिम्मापुर-सादनगर में ऊपरी सड़क पुल	2,00,00	28,50	पायो और खम्भों की उप-संरचना का कार्य पूरा हो गया है। अधिसंरचना के लिए कंक्रीट कार्य प्रगति पर है। पूर्ववलित कंक्रीट के स्लीपर गार्डर तैयार करने और पूर्ववलित आर सी सी का शेष कार्य किया जाना है।
2.	ख श्रेणी के समपार के बदले पालाकोल्लू-गोरिंटाडा में ऊपरी सड़क पुल	3,25,46	25,80	केवल पुल और पहुंच मार्गों के लिए समेकित संशोधित अनुमान सृजित कर दिए गए है। निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।
3.	समपार सं. 23 के बदले फतेहनगर में ऊपरी सड़क पुल	2,00,00	1,72,20	कार्य पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।
4.	समपार सं. 2-ई के बदले जामिया-उरमानिया में ऊपरी सड़क पुल	75,00	37,00	रेलवे के भाग के लिए दो-लेन की चौड़ाई वाली सड़क हेतु संशोधित सिविल इंजीनियरी अनुमान सत्यापित कर दिए गए हैं सम्पर्क मार्गों के लिए हैदराबाद नगर निगम से अनुमानों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
5.	समपार सं.16 के बदले घाटकेश्वर में ऊपरी सड़क पुल	35,00	1,02,65	रेलवे के भाग में कार्य पूरा हो गया है। समपार को बंद करने के लिए रेल संरक्षा आयुक्त के दस्तावेजों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क मार्ग पूरे कर लिए गए हैं परन्तु इन्हें शुरू नहीं किया गया है।
6.	किमी 324/1-2 पर समपार सं. 59-ए के बदले काजीपेट में ऊपरी सड़क पुल	3,00,00	13,01	राज्य सरकार को 26.8.98 को सूचित किया गया था कि ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किमी 324/1-2 पर कियां जायेगा। आगे की कार्रवाही राज्य सरकार के परामर्श से की जायेगी।
7.	समपार सं. 244 के बदले चिराली में ऊपरी सड़क पुल	2,00,00	71,30	पी-1,पी-2, पी-3 और पी-4 में सभी 27 खम्भों पर कंक्रीट का कार्य पूरा हो गया है। पी-4 खम्भे के शीर्ष का कार्य प्रगति पर है।
8.	समपार सं. 30-बी के बदले जहिराबाद में ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	13,00	राज्य सरकार ने मिट्टी के तटबंधों के स्थान पर पुलियाओं की व्यवस्था करके सम्पर्क मार्गों के डिजाइन को संशोधित किया है। केवल पुल के सामान्य प्रबंध आरेखों को संशोधित किया गया है और संशोधित अनुमानों की स्वीकृति के लिए कार्रवाही की जा रही है।
9.	समपार सं. 252 के बदले रामाकृष्णपुरम गेट पर ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	51,60	समपार बंद कर दिया गया है। नींव बिछानें और सतह ब्लॉक तक स्तम्भ खड़ा करने संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं। सतह ब्लॉक तैयार किए जा चुके हैं।
10.	सीताफल मण्डी के निकट समपार सं.1 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2,00,00	1,34,80	रेलवे के हिस्से के सामान्य प्रबंध आरेख राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं। सम्पर्क मार्गों के लिए अनुमान अभी राज्य सरकार से प्राप्त होने है।
11.	जाल्लारपेट बेंगलूर सिटी खंड के कुप्पन पर किमी 251/13-14 पर मौजूदा समपार सं. 101 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,30,00	72,01	सामान्य प्रबंध आरेख अनुमोदित कर दिए गए हैं। सम्पर्क मार्ग संबंधी अनुमान लोक निर्माण विभाग से प्राप्त हो गए हैं। संयुक्त अनुमानों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।
12.	समपार सं. 475 के बदले एनमनचिनी-नरसिंहपल्ली में ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	13,000	परीक्षण के तौर पर खुदाई की जा रही है। सामान्य प्रबंध आरेख तैयार किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5
13.	समपार सं. 250 के बदले गूंटूर-तेनाली में ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	17,35	सामान्य प्रबंध आरेख अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भेजे गए हैं राज्य सरकार 4 लेनों वाला पुल चाहती है।
14.	समपार सं. 429 के बदले पीतमपुरम में ऊपरी सड़क पुल	1,14,54	90	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त निरीक्षण पुरे हो गए हैं। परीक्षण के तौर पर खुदाई की जा रही है। सामान्य प्रबंध आरेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
15.	समपार सं. 104 के बदले खम्माम ऊपरी सड़क पुल	2,50,00	90	सामान्य प्रबंध आरेखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
16.	तिरुपति-रेणिगुंटा खण्ड पर तिरुपति टाऊन के बीच किमी 92/9-10 पर समपार सं. 105 के बदले ऊपरी सड़क पुल	2,00,00	6,75	योजना और अनुमान के संबंध में कार्रवाई की जा रही है
17.	समपार सं. 82 के बदले महबूबाबाद में ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	90	ईएनली/आर एंड बी/हैदराबाद द्वारा अनुमोदित आरेखों का स्थल सत्यापन किया जा रहा है।
18.	समपार सं. 480 के बदले बाध्याचरम में ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	90	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त निरीक्षण पुरे हो गए हैं। परीक्षण के तौर पर खुदाई की जा रही है। सामान्य प्रबंध आरेख तैयार किए जा रहे हैं।
19.	अंकापल्ली-ताड़ी खंड पर समपार सं. 487 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,00,00		2000-2001 का नया कार्य है। क्षेत्र संबंधी विवरण संकलित कर लिए गए हैं। सड़क प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है।
20.	मंडेसा रोड़-सुमनदेवी रोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर किमी 664/5-7 पर हरिपुरम में ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	4,00	मिट्टी जांच संबंधी कार्य पूरा हो गया है। सामान्य प्रबंध आरेख तैयार कर लिए गए हैं और विस्तृत संरचनात्मक आरेख तैयार किए जाने हैं।
21.	किमी 635/6-9 पर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर बरुआ-मंदसाब के बीच पालवालसा के निकट ऊपरी सड़क पुल	75,00	4,00	मिट्टी जांच संबंधी कार्य पूरा हो गया है। सामान्य प्रबंध आरेख तैयार कर लिए गए हैं और विस्तृत संरचनात्मक आरेख तैयार किए जाने हैं।
22.	बरुआ-सोमपेट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर किमी 664/6-7 पर ऊपरी सड़क पुल	60,00	कुछ नहीं	मिट्टी जांच संबंधी कार्य पूरा हो गया है। सामान्य प्रबंध आरेख तैयार कर लिए गए हैं और विस्तृत संरचनात्मक आरेख तैयार किए जाने हैं।

1	2	3	4	5
23.	सिंकदराबाद में रेल निलयम और स्टेशन यार्ड पर निचले सड़क पुल सं, 251 को चौड़ा करना	3,00,00	1,17,72	बांक्स भाग और प्रारंभिक प्रबंधों से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं और महत्वपूर्ण सतह तैयार करने से संबंधित कार्य भी पूरा हो गया है और 2 बांक्सों की ढलाई का कार्य प्रगति पर है।
24.	मधिरा स्टेशन के निकट किमी 528/32-34 पर समपार सं. 122 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,00,00		सामान्य प्रबंध आरेखों की जांच की जा रही है।
25.	परेचेरला स्टेशन के निकट किमी 108/8-9 पर समपार सं. 306 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	-	योजना स्तर पर है।
26.	नसारापेट स्टेशन के निकट किमी 630/6-7 पर समपार सं. 285 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	-	योजना स्तर है।
27.	भद्राचलम रोड यार्ड पर किमी 45/8-10 पर समपार सं. 18-के के बदले निचला सड़क पुल	10,00	-	योजना स्तर पर है।
28	बल्लमपल्ली स्टेशन के किमी 237/8-10 पर समपार सं. 62 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	-	योजना स्तर पर है।
29.	हाफिज़पेट स्टेशन के निकट किमी 165/13-14 पर समपार सं. 26 के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,00,00	-	योजना स्तर पर है।
30.	गूडूर-उडूरु स्टेशन के बीच किमी 135/2-4 पर समपार सं. 99/ए तथा गूडूर-कोंडागुंटा स्टेशनों के बीच किमी 0/3-4 पर समपार सं. 99/बी के बदले ऊपरी सड़क पुल	1,40,00	-	योजना स्तर पर है।

मेघालय में रसोई गैस एजेंसियां

3036. श्री पी.आर. किन्डियाः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेघालय में जिला खासी हिल्स और जन्तिया हिल्स में रसोई गैस एजेंसियों की संख्या मांग और जनसंख्या अनुपात में पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए विज्ञापन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा और अधिक रसोई गैस की एजेंसियां खोलने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार मेघालय राज्य में 22 एल पी जी टिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालनरत हैं जो खासी हिल्स तथा जन्तिया हिल्स के उन क्षेत्रों को कवर करती हैं जहां एल पी जी कनेक्शन तुरन्त प्रदान किए जाते हैं।

पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अलावा 1996-98 की वर्तमान विपणन योजना में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए 8 स्थान सम्मिलित कर लिए गए हैं। विपणन योजना में सम्मलित स्थानों के संबंध में विज्ञापन दिया जाता है तथा डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है।

डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का जल्दी चयन करने के लिए मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा मिजोरम तथा मेघालय राज्यों के लिए एक डीलर चयन बोर्ड का गठन किया जा चुका है।

नासिक में रसोई गैस एजेंसी और पेट्रोल विक्रय केन्द्र

3037. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नासिक (महाराष्ट्र) में रसोई गैस और पेट्रोल विक्रय केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान नासिक में नई रसोई गैस एजेंसी और पेट्रोल विक्रय केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान में महाराष्ट्र के नासिक जिले में 37 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 88 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में हैं।

(ख) से (घ) नासिक जिले में 19 नई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 21 नई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

दत्तक कानून में संशोधन

3038. डा. वी. सरोजा: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दत्तक कानून में निहित औपचारिकताओं को सरल बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक की डीलरशिप

3039. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को राज्य वार और श्रेणीवार उर्वरक की कुल कितनी डीलरशिप प्रदान की गई;

(ख) उर्वरक डीलरशिप की उपरोक्त श्रेणी के लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया;

(ग) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को दी जाने वाली डीलरशिप के कोटे में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को डीलरशिप देते समय अन्य क्या रियायतें दी जाते हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) सरकार ने सितम्बर, 1978 में सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक निर्माताओं उपक्रमों को डीलरों की सभी भावी नियुक्ति के 25% अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करने की हिदायत दी जा चुकी है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए डीलरशिप आरक्षित करने की ऐसी कोई हिदायतें नहीं हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान एवं वर्तमान वर्ष के लिए आज की तारीख तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य को दी गई उर्वरक डीलरशिप के राज्य-वार एवं श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार द्वारा कोई रियायत नहीं दी जा रही है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक विनिर्माता उपक्रम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को डीलरशिप प्रदान करते समय निम्न प्रकार की रियायतें/प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं:-

(1) कोई जमानत जमा नहीं या सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में नाममात्र की जमानत जमा;

(2) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के साथ तालमेल में मदद ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि उन्हें अपेक्षित वित्त पोषण होता है;

(3) केवल प्रथम तीन वर्षों के लिए तेजी से चलने वाले माल की आपूर्ति में तरजीह, व्यस्ततम सीजन के दौरान माल की आपूर्ति;

(4) इस तथ्य को नजर अन्दाज करते हुए कि उसने मंदी के सीजन में माल लिया है या नहीं;

(5) तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) द्वारा केरल में 50 टन तक एवं केरल से बाहर के लिए 100 टन तक फैक्टम फौस, यूरिया, एवं डाइअमोनियम फांस्फेट (डीएपी) के लिए 15 रुपये प्रतिटन का अतिरिक्त लाभ;

विवरण-1

वर्तमान वर्ष के लिए एवं विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एवं अन्य को दिये गए उर्वरक डीलरशिप का राज्य-वार एवं श्रेणी-वार दर्शाने वाला विवरण पत्र।

क्र.सं.	राज्य	1997-98				1998-99			
		एससी	एसटी	अन्य	योग	एससी	एसटी	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	52	10	636	698	29	7	474	510
2.	कर्नाटका	16	7	157	180	7	2	82	91
3.	केरल	40	0	56	96	16	3	115	134
4.	तमिलनाडु	12	0	95	107	8	0	171	179
5.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	2	2
6.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	52	52
7.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	महाराष्ट्र	0	0	67	67	4	1	113	118
9.	राजस्थान	0	0	17	17	1	2	98	101
10.	गोवा	0	0	4	4	0	0	0	0
11.	हरियाणा	0	0	23	23	0	0	10	10
12.	पंजाब	0	0	6	6	0	0	8	8
13.	उत्तर प्रदेश	1	0	0	30	6	2	254	262
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	1	1
15.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	बिहार	1	0	13	134	14	0	68	82
18.	पश्चिम बंगाल	1	0	27	28	52	9	28	89
19.	उड़ीसा	0	0	54	54	9	1	105	115
20.	असम और उ.पू.राज्य	0	4	1	5	0	3	7	10
	योग	123	21	1305	1449	146	30	1590	1766

क्र.सं.	राज्य	1999-2000				2000-2001			
		एससी	एसटी	अन्य	योग	एससी	एसटी	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	8	1	113	122	1	0	73	74
2.	कर्नाटका	6	0	99	105	1	0	31	32
3.	केरल	9	3	137	149	0	0	53	53
4.	तमिलनाडु	7	0	159	166	1	0	14	15
5.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	0	0	33	33	0	0	0	0
7.	मध्य प्रदेश	0	0	8	8	0	0	1	1
8.	महाराष्ट्र	11	1	154	166	0	0	41	41
9.	राजस्थान	0	0	26	26	3	0	61	64
10.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	हरियाणा	0	0	19	19	0	0	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	पंजाब	2	0	28	30	0	0	1	1
13.	उत्तर प्रदेश	4	5	28	37	1	0	39	40
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	11	11	0	0	3	3
15.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	दिल्ली	0	0	1	1	0	0	0	0
17.	बिहार	1	0	174	175	10	1	8	19
18.	पश्चिम बंगाल	0	0	14	14	0	0	11	11
19.	उड़ीसा	1	0	2	3	0	6	8	14
20.	असम और उ.पू.राज्य	0	4	2	6	0	0	0	0
	योग	49	14	1008	1071	17	7	346	370

[हिन्दी]

पटसन मिलें

3040. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री प्रियरंजन दास मुंशी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नेशनल जूट मेन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन की मिलों के नाम क्या-क्या हैं और ये किन-किन स्थानों पर हैं और इनमें मिल-वार फिलहाल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितनी मिलें बंद पड़ी हैं/रुग्ण हैं;

(ग) सरकार द्वारा सुझाए गए पुनरूद्धार पैकेज का ब्यौरा क्या है और इसमें कौन-कौन सी मिलों को शामिल किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन की सभी इकाइयों को बेचने का निर्णय किया है;

(ङ) क्या सरकार ने इन इकाइयों को बेचने से पहले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ बातचीत की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार ने कामगारों के हितों की रक्षा करना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) एनजेएमसी की 6 पटसन मिलें निम्नानुसार हैं:-

नाम		स्थिति	30 जून, 2000 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या
1.	राष्ट्रीय	पं. बंगाल में स्थित	6807
2.	किन्नीसन	-वही-	4171
3.	खरदाह	-वही-	3468
4.	यूनियन	-वही-	1385
5.	अलेक्जेन्द्रा	-वही-	2172
6.	आरबीएचएम (कटिहार)	बिहार में स्थित	1054
	कुल:		19057

(ख) एनजेएमसी के अंतर्गत 6 पटसन मिलों में से कोई भी बंद नहीं है। तथापि, सभी मिलें रुग्ण घोषित की गयी हैं तथा बीआईएफआर को प्रेषित की गयी है।

(ग) बीआईएफआर ने परिचालन एजेंसी (आईआईबीआई) को पुनरुद्धार पैकेज को अद्यतन करने और उसे बीआईएफआर को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

तेल उद्योग को बुनियादी उद्योग का दर्जा देना

3041. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल उद्योग ने देश में सभी तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात टर्मिनल परियोजनाओं के लिए बुनियादी उद्योग का दर्जा दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी वित्तीय नीति की तत्काल आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के साथ जोड़ी गई केवल एल.एन.जी. परियोजनाओं के लिए अब तक बुनियादी उद्योग का दर्जा प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो शेष एल.एन.जी. टर्मिनल्स को बुनियादी उद्योग का दर्जा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) एल.एन.जी. क्षेत्र के सभी पहलुओं की संवीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित किए गए सचिव-स्तरीय अधिकारियों के दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि एल.एन.जी. आयात टर्मिनल परियोजनाओं को बुनियादी सुविधाओं का दर्जा प्रदान किया जाए। अधिकारियों के इस दल की सिफारिशें सचिवों की समिति को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) नीति हेतु समिति

3042. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने द्रवीकृत प्राकृतिक गैस नीति हेतु किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) सरकार ने देश के लिए, एक एकीकृत एल एन जी नीति बनाने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) से संबंधित सारे मुद्दों की जांच करने के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों के एक दल का गठन किया है। अधिकारियों के दल ने विनियमन, एल एन जी नौवहन तथा वित्तीय व्यवस्था सहित विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं। सिफारिशें सचिवों की समिति को प्रेषित की जा चुकी हैं।

उड़ीसा में बुनकरों की गिरती हुई दशा

3043. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में बुनकरों की स्थिति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली निधियों की अनुपलब्धता के कारण दिन-व-दिन गिरती जा रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार बुनाई के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू करने हेतु बुनकरों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने पर विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है तथा उनके लिये दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारत सरकार हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए राज्य सरकारों को विकासात्मक एवं कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उड़ीसा सहित राज्य सरकारों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर हथकरघा बुनकरों की आय के साथ-साथ उत्पादकता वृद्धि हेतु क्षमता उन्नयन, करघों की खरीद, बुनाई तकनीकों में सुधार, कार्यशाला-सह-आवास आदि के निर्माण के लिए निधियां जारी की जाती हैं। 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान, हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए उड़ीसा सरकार को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत क्रमश: 5.02 करोड़ रुपये तथा 6.14 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किये गये थे।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र में माल-भाड़ा टर्मिनलों की स्थापना

3044. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान निजी क्षेत्र में माल-भाड़ा टर्मिनल स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर अभी तक कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) माल-भाड़ा टर्मिनल स्थापित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करने वाली कंपनी का क्या नाम है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, प्राइवेट टर्मिनल के लिए एक योजना पर विचार किया गया था।

(ख) रेल ग्राहकों को मूल्य संवर्धन सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से और टर्मिनल अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए माल-भाड़ा टर्मिनलों को स्थापित करने के लिए अच्छी साख वाली निजी पार्टियों को सिद्धांत रूप से आमंत्रित करने का विनिश्चय किया गया है, टर्मिनल सेवा मुहैया कराने वाला ग्राहकों को माल की वुकिंग करने, लदान/उतराई, सुपुर्दगी, भंडारण आदि के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराएगा, रेलें उन्हें उपयुक्त वित्तीय संबंधी प्रोत्साहन देंगी,

(ग) कार्य निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने पर शुरू किया जाएगा,

(घ) एक निजी कम्पनी मैं. कांटीनेंटल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लि. से गुडगांव के निकट गढ़ी हरसरू में ऐसे एक माल-भाड़ा टर्मिनल स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

सवारियों के सामने आने वाली समस्याएं

3045. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले बिस्तर अत्यन्त घटिया किस्म के होते हैं तथा इन्हें ठीक से धोया और प्रैस नहीं किया गया होता है;

(ख) क्या सवारी डिब्बों में कोच अटेंडेंट/ए.सी. आपरेटर अकसर अनुपस्थित रहते हैं;

(ग) क्या राजधानी शताब्दी जैसी रेलगाड़ियों में दी जाने वाली खाद्य सामग्री बासी तथा घटिया होती है;

(घ) क्या अधिकांश रेलगाड़ियों विलम्ब से चलती हैं वे अन्दर और बाहर से गंदी होती हैं तथा अधिकांश रेलगाड़ियों के गद्दियों के बदले जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो टिकटों के बढ़े हुए दर के रूप में सवारियों से लिए गए अधिक धन के बदले सावरियों को वांछित सेवा प्रदान करने हेतु सरकार का क्या प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। अच्छी क्वालिटी के साफ-सुथरे, उपयुक्त रूप से धुले हुए और प्रेस किए हुए लिनन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियमित उपाय किए जाते हैं खराव क्वालिटी की लिनन की आपूर्ति के कुछ मामले नोटिस में आए हैं और ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई सहित उपयुक्त निवारक उपाय किए जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। खानपान के स्तर में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। परोसे गए भोजन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। सभी प्राप्त शिकायतें तत्परता से निपटाई जाती हैं।

(घ) जी नही। गाड़ियों के समयपालन पर दिन प्रति दिन के आधार पर निगरानी रखी जाती है। यात्रा शुरू होने से पहले धुलाई लाइन पर नियमित रूप से कीटनाशक दवाइयां छिड़कने सहित सभी गाड़ियों के अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफाई की जाती है। शीघ्र और प्रभावी रूप से सफाई करने के लिए मार्गवर्ती स्टेशनों पर हाई प्रेशर जेट प्लांटस भी उपयोग किए जाते हैं। समय-समय पर खराब अथवा जीर्ण-शीर्ण गद्दों को बदला जाता है।

(ङ) गाड़ियों में ऑन-बोर्ड सेवाओं की नियमित निगरानी करके यात्रियों को बढ़िया सेवा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। कर्मियों को दूर करने के लिए तत्काल निवारक कार्रवाई की जाती है।

सतलुज नदी के जरिए घुसपैठ

3046. श्री रामदास आठवले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 14 मार्च जनवरी, 2000 के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सेना के गुप्तचर तंत्र को किसी राज्य की पुलिस से सतलुज नदी के जरिए घुसपैठियों के घुस आने के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम कमान मुख्यालय ने इस संबंध में जांच पूरी कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इससे क्या जानकारी मिली है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग का विकास

3047. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के समक्ष मौजूद समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है और बाआईएफआर में उनकी राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ग) एस.आई.सी.ए. 1985 की धारा 18 (4), एस.आई.सी.ए. की धारा 17 (2) के अंतर्गत तथा ए.ए.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूर की गयी योजनाओं के लिए बीआईएफआर द्वारा संस्तुत कपड़ा मिलें राज्यवार और स्थानवार कौन-कौन सी हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) सरकार ने वस्त्र उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:-

(1) देश में सूती वस्त्रों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से, सरकार ने उत्पादन, उत्पादकता तथा कपास की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा वस्त्र मिलों को उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धियां सुनिश्चित करने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है।

(2) सूती वस्त्रों उद्योगों सहित वस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) 1.4.99 से 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गयी है।

(3) वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला वस्त्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में उद्योग की सहायता करने के लिए स्थापित की गयी है।

(4) पूंजीगत सामानों के आयात के लिए, पूंजीगत सामान निर्यात संवर्द्धन (इपीसीजी) योजना को सरल बनाया गया है।

(5) उद्योग की सहायता के लिए कपास के आयात को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है ताकि अपरिष्कृत कपास की अपेक्षित गुणवत्ता का आयात हो सके।

(ख) 30.4.2000 की स्थिति के अनुसार, बीआईएफआर के पास पंजीकृत वस्त्र मिलें (राज्य-वार) नीचे दी गयी हैं:-

राज्य	मामलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	33
असम	4
बिहार	3
गुजरात	76
हरियाणा	22
हिमचाल प्रदेश	1
कर्नाटक	22
केरल	6
मध्य प्रदेश	19
महाराष्ट्र	85
उड़ीसा	4
पंजाब	12
राजस्थान	22
तमिलनाडु	72
उत्तर प्रदेश	36

1	2
पश्चिम बंगाल	17
नई दिल्ली	8
चंडीगढ़	1
दादर नगर हवेली	2
कुल	445

(ग) 30.4.2000 की स्थिति के अनुसार, एसआईसीए 1985 के अंतर्गत, 56 मामलों में योजना धारा 18 (4) के अंतर्गत, 3 मामलों में योजना धारा 17(2) के अंतर्गत स्वीकृत की गयी है तथा 7 मामलों में योजना एएआईएफआर द्वारा स्वीकृत की गयी है।

झारग्राम-पुरूलिया रेल लाइन का निर्माण

3048. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारग्राम से पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन बिछाने का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना की स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) झारग्राम-पुरूलिया नई लाइन की सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 136.24 कि.मी. लम्बी इस लाइन की लागत प्रतिफल की ऋणात्मक दर के साथ 267.65 करोड़ रुपये है। संसाधनों की गंभीर तंगी तथा लाइन की अलाभप्रद प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

काष्ठा हस्तकला को प्रोत्साहन

3049. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रायद्वीप से निर्यात के लिए काष्ठ हस्तकला को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो काष्ठ हस्तकला के निर्यात की राज्यवार मात्रा और मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा केरल हस्तकला विकास को सुधारने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) हस्तकला के उत्पादन में लगे लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी हां, मात्रानुसार/राज्यानुसार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान काष्ठ हस्तशिल्प का निर्यात निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वर्ष	निर्यात
1.	1997-98	218.70
2.	1998-99	286.04 (अनंतिम)
3.	1999-2000	348.95 (अनंतिम)

(ग) और (घ) केरल में हस्तशिल्प विकास और प्रोत्साहन के लिए तथा देश में कारीगरों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता प्राप्त बेंत एवं बांस परियोजना के तहत केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीछी (केरल) को सहायता देना, तिरूवंनतपुरम में वुड सीज़निंग प्लांट की स्थापना, एकीकृत विकास के लिए शिल्प समूह की पहचान, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा काष्ठ एवं काष्ठ हस्तशिल्प पर अन्तर्राष्ट्रीय केटॉलाग का प्रकाशन, डिजाइन एवं तकनीकी विकास, सामान्य सुविधा केन्द्र/शिल्प विकास केन्द्र और एम्पोरियमों की स्थापना, प्रशिक्षण प्रदर्शनी एवं प्रचार वर्कशेड-सह-आवास और समूह बीमा आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत संयंत्र स्थापित करना

3050. **श्री निखिल कुमार चौधरी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार के कटिहार जिले के कुरसेला में कोसा नदी के किनारे एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अधिगृहित भूमि पर विद्युत संयंत्र लगाने में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार उक्त संयंत्र की स्थापना चालू वित्तीय वर्ष में करने पर गंभीरता से विचार करने का इरादा रखती है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) जी, नहीं। हालांकि बिहार रा.वि. बोर्ड द्वारा कुरसेला, जिला कटिहार(बिहार) में 2×250 मे.वा. के विद्युत केन्द्र की स्थापना संबंधी व्यवहार्यता रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृती हेतु जनवरी, 1994 में के.वि.प्रा. को रिपोर्ट भेजी गई पर उक्त रिपोर्ट 3.11.1995 को बिहार रा.वि.बोर्ड को सभी इनपुटों/स्वीकृतियों जैसे ई (एस) अधिनियम, की धारा- 29 (2) का अनुपालन, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति आदि के सुझाव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति आदि के सुझाव के साथ लौटा दी गई। उक्त पर बिहार रा.वि. बोर्ड से पुन: कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मांडवी (गुजरात) में रसोई गैस की आवश्यकता

3051. श्री मानसिंह पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में मांडवी में इस समय रसोई गैस की अनुमानित मांग कितनी है और तत्संबंधी आपूर्ति स्थिति क्या है;

(ख) जिले में रसोई गैस की पूर्ण आवश्यकता को पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या रसोई गैस की आपूर्ति में मांडवी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) गुजरात राज्य के कच्छ तथा सूरत जिलों में दो मांडवी तालुका हैं। दोनों तालुकों में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत वर्तमान ग्राहकों की एल पी जी जरूरत कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है। मांडवी के दोनों स्थानों के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर अपने व्यापार क्षेत्र में एल पी जी की आपूर्ति कर रहे हैं।

दिल्ली-रेवाड़ी रेल मार्ग का आमान परिवर्तन

3052. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और रेवाड़ी की बीच दोहरी बड़ी लाइन की व्यवस्था हेतु इन दोनों शहरों के बीच की मीटर लाइन के आमान परिवर्तन के बारे में क्या प्रगति हुई है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इस संबंध में अब तक कितना व्यय हुआ है।

(ग) 2000-2001 के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) दिल्ली और रेवाड़ी के बीच बड़ी लाइन की व्यवस्था कब तक हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) स्थिति नीचे दी गई है:-

1. 90% मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है।
2. बड़े और छोटे पुलों पर कार्य प्रगति पर है। 19 बड़े पुलों में से 11 पुल और 80 छोटे पुलों में से 20 पुल पुरे हो चुके हैं।
3. मिट्टी की सम्पूर्ण मात्रा खरीदी जा चुकी है।
4. 13 स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का आधुनिकीकरण/विस्तार कार्य प्रगति पर है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत-69.54 करोड़ रु. आज तक किया गया खर्च-40 करोड़ रु. (लगभग)

(ग) 2 करोड़ रु.

(घ) लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

जबलपुर-गोंडिया रेल-लाइन का आमान परिवर्तन

3035. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर-गोंडिया रेल-लाइन के आमान परिवर्तन से कुछ स्थानों पर इस रेल मार्ग में परिवर्तन आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्ग परिवर्तन के कारण कुछ स्थानों पर रेलवे की कुछ भूमि को खाली छोड़ा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेल भूमि पर अतिक्रमण की घटना से अवगत है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त भूमि के उपयोग हेतु क्या योजनाएं तैयार की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां, बहरहाल, जहां कहीं, वास्तव में मार्ग परिवर्तन होगा वहीं पर ही भूमि स्पेयर होगी,

(ग) और (घ) चूंकि छोटी लाइन अभी भी मौजूद है इसलिए प्रस्तावित मार्ग परिवर्तन के कारण रेलवे भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, मार्ग परिवर्तन के कारण फालतू होने वाली संभावित भूमिका उपयोग अथवा निपटान राज्य सरकार के परामर्श से किया जाएगा।

[अनुवाद]

अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन

3054. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **अपारम्पकि ऊर्जा स्त्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक निजी कंपनी ने शहर के कूड़ा करकट को ईंधन गुटिका में बदलना शुरू कर दिया है और अब 10 मे.वा. का विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध करा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैदराबाद संयंत्र की प्रतिदिन 500 टन ईंधन गुटिका का उत्पादन करने की क्षमता है; और

(घ) इस एकक से कितना विद्युत उत्पादन किया जा सकता है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां। मैसर्स सैलको इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद ने हैदराबाद शहर के 700 टन प्रतिदिन के कूड़े-कचरे से 210 टन ईंधन गुटिकाओं के उत्पादन की स्वीकृत क्षमता की तुलना में शहर के लगभग 350 टन कूड़े कचरे को 105 टन ईंधन गुटिकाओं में बदलने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की है। इस कंपनी के पास ईंधन के रूप में इन गुटिकाओं के इस्तेमाल से 10 मेवा. विद्युत संयंत्र को स्थापित करने की भी एक योजना है।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय ने 84 लाख रु. की पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत की है। इसके अलावा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी डी बी) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) ने मैसर्स सैलको इंटरनेशनल लिमि. हैदराबाद को क्रमश: 455 लाख रु. और 200 लाख रु. की ऋण सहायता उपलब्ध कराई है।

(ग) इस परियोजना की स्वीकृत क्षमता 210 टन ईंधन गुटिका प्रतिदिन है।

(घ) विद्युत उत्पादन की मात्रा, इस विद्युत संयंत्र में उपयोग किए जाने वाली ईंधन गुटिकाओं की वास्तविक गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेगी।

इस्त्रायल से पायलटरहित विमान की खरीद

3055. श्री सुबोध मोहिते:
श्री बी. वेंकटेस्वरलु:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस्त्रायल से हर्मिज-450 और पायलटरहित विमान सर्चर 3 मॉडल के खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए अन्य द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा समझौते कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या ये विमान प्रदर्शन उड़ाने भर चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में तैयार हो रहे 'लक्ष्य और निशांत' पायलटरहित लक्ष्य भेदी विमान का विकास कार्य समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 'लक्ष्य' (पायलट रहित लक्ष्यभेदी विमान): इसकी विकास परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है।

'निशांत'- इसके विकास कार्यक्रम में कुछ विलंब हुआ है।

(च) और (छ) निशांत परियोजना के विलंब का मुख्य कारण देश में ही विकास कार्यों से जुड़ी प्रौद्योगिकी समस्याएं हैं। इस परियोजना की अब वर्ष 2000-01 में पूरा हो जाने की संभावना है।

सूरत-भुसावल रेल लाइन का दोहरीकरण

3056. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरत और भुसावल के बीच के रेल मार्ग का दोहरीकरण कब तक शुरू किये जाने की संभावना हैं; और

(ख) उक्त रेल मार्ग के दोहरीकरण के कार्य को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सूरत-उधना और भुसावल-जलगांव खंडों पर दोहरी बड़ी लाइन पहले से ही मौजूद है, इसके अलावा, उधना-जलगांव खंड के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है, सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

समपारों पर सिगनल प्रणाली

3057. श्री राजो सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के चौकीदार वाले सभी रेलवे फाटकों पर सिगनल प्रणाली उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चौकीदार वाले शेष सभी फाटकों को कब तक सिगनल प्रणाली के तहत लाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय रेलों पर 16,280 चौकीदार वाले समपार हैं। इनमें से केवल 6,120 पर पहले से ही सिगनल प्रणाली की व्यवस्था है। सिगनल प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए रेल एवं सड़क यातायात के घनत्व, समपारों का वर्गीकरण और स्थान आदि के आधार पर समपारों की पहचान की जाती है। इन समपारों पर सिगनल प्रणाली व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उत्तरोत्तर की जा रही है।

(ग) भारतीय रेलों पर सभी चौकीदार वाले समपारों पर सिगनल प्रणाली की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है। 1030 व्यस्त समपार फाटकों के अंतपार्शन के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। इसे धन की उपलब्धता के आधार पर उत्तरोत्तर शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

शांति रक्षक मिशन में रक्षा कर्मियों की तैनाती

3058. श्री टी. गोविन्दन: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मिशनों में देश-वार कितने भारतीय रक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अभियानों में कितने रक्षाकर्मी मारे गए/खो गए हैं; और

(ग) प्रभावित परिवारों को दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान विदेश में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सेवा के दौरान भारतीय सेना के चार कार्मिकों

की मृत्यु हुई। उनमें से एक कार्मिक की मृत्यु वर्ष 1999 के दौरान लेबनान में प्राकृतिक कारणों से हुई तथा तीन कार्मिकों (दो की प्राकृतिक कारणों से और एक की कार्रवाई के दौरान) की मौत चालू वर्ष के दौरान सिएरा लिओन में हुई।

(ग) सैन्य कार्रवाई के दौरान मृत सैनिकों के निकटतम संबंधियों को सेवा के दौरान कार्मिक की मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन संबंधी हकदारियों के अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 50,000 अमरीकी डालर की एकमुश्त राशि दी जाती है। अन्य मामलों में, भारत में सेवा के दौरान हताहतों के लिए लागू मानदंडों के अनुसार पेंशन संबंधी हकदारियाँ दी जाती हैं।

विवरण

भारत से रक्षा कार्मिकों की देशवार/संयुक्त राष्ट्र मिशनवार तैनाती:-

क्र.सं.	देश	मिशन	रक्षा कार्मिकों की संख्या
1.	लेबनान	यू एन आई एफ आई एल	सभी रैंक 618
2.	सिएरा लिओन	यू एन ए एम एस आई एल	सभी रैंक 3162
3.	कांगो	एम ओ एन यू सी	12 अफसर
4.	कुवैत	यू एन आई के ओ एम	7 अफसर
5.	इराक	यू एन जी सी आई	1 अफसर

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ओएनजीसी को तेल खोज कार्यों की लागत में कमी करने का प्रस्ताव

3059. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने ओएनजीसी को तेल खोज में लगने वाली लागत को कम करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कंपनियों का ब्यौरा क्या है और ये किन-किन देशों के हैं;

(ग) क्या ओ एन जी सी ने इन प्रस्तावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो क्या ओ एन जी सी के पास गहरे समुद्र में तेल की खोज करने संबंधी पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो ओ एन जी सी द्वारा गहरे समुद्र में तेल की खोज करने संबंधी सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में नई रेल लाइनों का बिछाया जाना

3060. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में बिछाई गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना खर्च हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने हेतु किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इन पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) क्या यमुना नगर (हरियाणा) के पोंटा साहिब (हि.प्र.), यमुना नगर से चंडीगढ़ और यमुना नगर से कुरूक्षेत्र तक नई रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में कोई नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई है।

(ख) किए गए सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) रेवाड़ी से रोहतक तक नई बड़ी लाइन

(2) कालका से परवानू तक नई बड़ी लाइन

(3) पानीपत से मेरठ तक नई बड़ी लाइन

(4) घुम्मनहेड़ा-हसनपुर-जफरपुर के रास्ते विजवासन को बहादुरगढ़ से जोड़ना इन सर्वेक्षणों पर किया गया कुल खर्च 9.96 लाख रु. था।

(ग) और (घ) जी नहीं। बहरहाल जगाधरी (यमुना नगर) और पौटां साहिब के रास्ते चंडीगढ़ से देहरादून तक एक नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

रक्षा खरीदों पर सी बी आई की अंतरिम रिपोर्ट

3061. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्रा रमशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 तक की गई रक्षा खरीदों की जांच की अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके आधार क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं। रक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अनुरोध किया है कि जब से सरकार ने रक्षा खरीद मामलों में बिचौलियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाया है उसके बाद के रक्षा खरीद संबंधी मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा इस कार्य के लिए उपयुक्त किसी अन्य एजेंसी से जाँच करवाई जाए। ये मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग में संविक्षाधीन हैं तथा फिलहाल इनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच नहीं की जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शिल्पकारों के लिए "कैड" केन्द्र की स्थापना

3062. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के बालूचारी शिल्पकारों के लिए "केड" (कम्प्यूटर एडेड डिजाइन) केन्द्र की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है और परियोजना के लिए आवश्यक निधियां जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, नहीं। यद्यपि, वर्ष 1995-96 के दौरान बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल ने बालूचरी साड़ी के विकास हेतु राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन के लिए (एनआईएसटीएडीएस) नई दिल्ली ने कम्प्यूटर एडेड डिजाइन केन्द्र (सीएडी) की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। परियोजना 5.37 लाख रुपये की कुल लागत के अनुसार स्वीकृत की गई थी। अब तक, इस परियोजना के अंतर्गत एनआईएसटीएडीएस को 4.37 लाख रुपये की राशि जारी की गई ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अंतर्गत परियोजना

3063. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा चलाई जा रही चालू परियोजनाओं की क्या संख्या है;

(ख) इन विद्युत परियोजनाओं की क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी लागत आएगी और गत तीन वर्षों के दौरान इनकी उत्पादकता कितनी रही;

(ग) क्या सरकार तमिलनाडु में कुछ नई परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण करा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु में विद्युत में निजी क्षेत्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) तमिलनाडु में एनटीपीसी तथा एनएचपीसी द्वारा कोई बिजली परियोजना निष्पादित नहीं की जा रही।

(ग) और (घ) एनटीपीसी/भारत सरकार ने तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के चेय्यूर में 1500 मे.वा. क्षमता की बिजली परियोजना की मेगा परियोजना के रूप में पहचान की है जिसे एनटीपीसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। एनटीपीसी 1000 मे.वा. क्षमता के चरण-1 की स्थापना की संभावनाओं का पता लगा रहा है, जिसके लिए कई पूर्व शून्यता अध्ययन कराए गए हैं।

एनएचपीसी को अब तक तमिलनाडु में कोई परियोजना नहीं सौंपी गई है। निजी विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम/क्षमता	प्रवर्तक का नाम
1.	नवैली जीरो टीपीएस (1×250मे.वा.)	मै. एसटी-सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी
2.	पिलाईफरियमनल्लूर सीसीजीटी (330.5 मे.वा.)	मै. पीपीएन पावर कम्पनी
3.	नॉर्थ मद्रास टीपीएस चरण-2 (2×525 मे.वा.)	मै. विडियोकॉन पावर लि.
4.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (4×50 मे.वा.)	मै. जीएमआर वासावी पावर कारपो. लि.
5.	तुतीकोरिन टीपीपी चरण-2 (1×525 मे.वा.)	मै. एसपीआईसी इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि.
6.	समायानल्लूर डीजीपीपी (106 मे.वा.)	मैं. बालाजी पावर कार्पोरेशन लि.
7.	समालपट्टी डीजीपीपी (106 मे.वा.)	मै. समालपट्टी पावर कम्पनी
8.	नॉर्थ मद्रास टीपीपी-3 (1×525 मे.वा.)	मै. त्रिशक्ति एनेर्जी प्राइवेट लि.
9.	कुड्डालौर टीपीपी (2×660 मे.वा.)	मै. कुड्डालौर पावर कम्पनी
10.	वेम्बर सीसीजीटी (एलएनजी) (1873 मे.वा.)	मै. इंडिया पावर प्रोजेक्टस लि.

नोट:

टीपीएस	-	थर्मल पावर स्टेशन
सीसीजीटी	-	कम्बाइड साइकिल गैस टरबाईन
डीजीपीपी	-	डीजल जेनरेटेड पावर प्लाट
टीपीपी	-	थर्मल पावर प्रोजेक्ट

[हिन्दी]

'गेल' द्वारा घरेलू बाजारों से निधियां जुटाना

3064. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) चालू वर्ष के दौरान अपनी विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए घरेलू बाजारों से धनराशि जुटाने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी हां। गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) आन्तरिक संसाधनों की उपलब्धता तथा बाजार परिस्थितियों के आधार पर अपनी परियोजनाओं अर्थात कांडला/जामनगर-लोनी एल पी जी पाइपलाइन तथा गांधार में एल पी जी संसाधन परिसर के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान ऋण लिखतों के तहत 300 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना बना रही है।

[अनुवाद]

लोको शैड़ों की उपयोगिता

3065. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेल उन लोको शैड का उपयोग नहीं कर रहा है जिसे स्टीम लोकोमोटिव्स के हटाए जाने के बाद बंद कर दिया गया था;

(ख) क्या इस लोको शैड के उपयोग की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लोको शैड्स से अब तक रेल विभाग की कितनी सम्पत्तियों की चोरी और जमीन पर कब्जा किए जाने की सूचना मिली है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) मध्य रेलवे पर अधिकांशत: बंद हो गए भाप रेल इंजन शेडों का रेलवे की आवश्यकतानुसार यथा सवारी और मालडिब्बों के क्रिया कलापों, डीजल/विद्युत रेल इंजन शेडों, दुर्घटना राहत गाड़ियों को खड़ा करने, कर्मीदल बुकिंग आदि के लिए वैकल्पिक उपयोग किया जाता है। कुछ अन्य भाप शेड जिनका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता था बंद कर दिए गए हैं।

(घ) मध्य रेलवे पर इन लोको शेडों से अब तक रेल संपत्ति की चोरी और रेलवे भूमि के अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

पावरग्रिड कार्पोरेशन (पीजीसी) द्वारा उच्च वोल्टेज वाले उप विद्युत केन्द्र की स्थापना

3066. **श्री रामदास आठवले:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मेरठ, इलाहाबाद और भिवाड़ी में उच्च बोल्टेज वाले अतिरिक्त उप विद्युत केन्द्रों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्युत की निरंतर आपूर्ति हेतु महाराष्ट्र में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वाले अतिरिक्त उप विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में प्रणाली सुधार की दृष्टि से पावरग्रिड मेरठ में टिहरी पारेषण प्रणाली के अंतर्गत 400/220 के.वी. का अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र तथा इलाहाबाद और भिवाड़ी में 400 के.वी. का उपकेन्द्र स्थापित कर रहा है।

(ख) से (घ) आमतौर से पावरग्रिड ऐसे स्थान तक वृहत्त विद्युत पारेषण प्रणाली स्थापित करता है जहां से राज्य विद्युत बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति के लिए पारेषण लाईन का निर्माण कर सके। इसके उपकेन्द्र के स्थल का निर्धारण लाभभोगी राज्य विद्युत बोर्डों के परामर्श से किया जाता है। पावरग्रिड द्वारा महाराष्ट्र के भण्डारा क्षेत्र में 400 के.वी. के उपकेन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि यह मध्य प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा निर्माण की जा रही सिपत सुपर ताप विद्युत परियोजना से अपने हिस्से का पारेषण कर सकें। भण्डारा उपकेन्द्र से विभिन्न क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति के लिए उचित लाइनों का निर्माण एमएसईबी द्वारा किया जाएगा।

कच्चे तेल का उत्पादन

3067. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का उत्खनन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रतिवर्ष आयात किये जा रहे कच्चे तेल की मात्रा कितनी है; और

(घ) कच्चे तेल का आयात कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का आयात निम्नानुसार है:-

वर्ष	कच्चे तेल के आयात (एम एम टी)
1997-98	34.49
1998-99	39.81
1999-2000*	44.99

एमएमटी: मिलियन मीट्रिक टन
* अनन्तिम

(घ) सरकार कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्न उपाय कर रही है जिससे आयात कम करने में सहायता मिलेगी:

(1) बेहतर रिजर्वायर प्रबंधन तथा उन्नत व लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से वर्तमान क्षेत्रों से उत्पादन इष्टतम करना।

(2) नई खोजों का ज्यादा तेजी से विकास।

(3) नीचे वर्णित जैसे गहन अन्वेषण कार्यों के माध्यम से नए हाइड्रोकार्बन भंडार खोजना :

* वर्तमान क्षेत्रों में अधिक गहराई तक अन्वेषण।
* गहन जल तथा सीमावर्ती क्षेत्रों तक अन्वेषण कार्य बढ़ाना।
* अन्वेषण बलाकों के लिए बोली के विभिन्न दौरों तथा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति, जिसके तहत 12 अप्रैल, 2000 को 22 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए थे। के माध्यम से अन्वेषण कार्यों में बढ़ी हुई निजी प्रतिभागिता।

[अनुवाद]

प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गये अधिकारी

3068. सरदार बूटा सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजकोष की लागत पर और प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अधिकारियों की शैक्षिक, प्रबंधकीय तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार करने हेतु प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए नामित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कितने अधिकारी दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये;

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंध रखने वाले अधिकारियों की संख्या और उनका प्रतिशत क्या था; और

(घ) उक्त प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में न भेजने के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस मंत्रालय में स्वयं किसी भी अधिकारी को विदेश में प्रशिक्षण के लिए मनोनीत नहीं किया है। तथापि, प्रक्रिया के अनुसार जैसे ही कभी विदेश में प्रशिक्षण हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से मनोनयन आमंत्रण के परिपत्र प्राप्त होते हैं, इन परिपत्रों के प्रति उन्हें मनोनयन भेजे जाते हैं।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इस मंत्रालय से कोई भी अधिकारी किसी प्रशिक्षण कोर्स के लिए विदेश नहीं भेजा गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) का निर्माण

3069. श्री टी. गोबिन्दन: क्या **रेल मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में ऐसे 47 स्थानों की जानकारी है जहां के समपारों के स्थान पर सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) का निर्माण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है;

(ङ) लागत भागीदारी आधार पर कितने सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) के निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी है;

(ङ) क्या सरकार केरल में समपारों पर और अधिक सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) का निर्माण करने पर विचार कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तानूर समपार के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) पहचाने गए स्थानों की संख्या 47 के बजाए 62 है। 50 स्थान लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक है। और 12 स्थानों के मामले में कार्य निक्षेप शर्तों के आधार पर शुरू किया जा सकता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 33 स्थान लागत में भागीदारी के आधार पर

(घ) 50 स्थान लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक हैं। जिनमें से 33 के लिए पहले से ही स्वीकृति प्राप्त हो गए है।

(ङ) और (च) जी हां, धन की उपलब्धता तथा राज्य सरकार द्वारा उचित प्राथमिकता देते हुए और आधारभूत आवश्यकताएं पूरा करते हुए प्रस्ताव को प्रायोजित करने पर निर्भर करता है। तनूर के संबंध में, लागत में भागीदारी के आधार पर समपारों को ऊपरी पुलों के निर्माण के लिए अर्हक माना गया है परन्तु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्राथमिकता प्रदान करते हुए अभी प्रस्ताव को प्रायोजित किया जाना है।

विवरण

क्र सं.	समपार सं.	समपार कि.मी. में	खंड	क्या यह कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत है अथवा नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	159	531/8-10	पोदनूर-शोरुवण्णूर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
2.	28	46/9-10	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
3.	73	105/5-6	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
4.	69 ए	101/10-11	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
5.	11	17/16-17	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
6.	31	49/2-3	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
7.	67	95/7-8	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
8.	13	21/5-6	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
9.	26	39/13-14	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
10.	17	28/10-11	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
11.	54	67/13-14	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
12.	64	80/12-13	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	

1	2	3	4	5	6
13.	48	62/9-10	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
14.	71	102/13-14	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
15.	43	56/9-10	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत	
16.	सी आर एल	8/15-16	सीआरएल-तिरुपुनिथुरा	स्वीकृत	
17.	2	ईक्यू 3/19-20	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत	
18.	76	111/10-11	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
19.	76टी	1/9-10	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत	
20.	8	8/17-18	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत	
21.	1	ईक्यू 1/11-12	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत	
22.	561	179/13-14	कोल्लम-त्रिवेन्द्रम	स्वीकृत	
23.	543	157/5-6	कोल्लम-त्रिवेन्द्रम	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
24.	541	156/8-9	कोल्लम-त्रिवेन्द्रम	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
25.	20	688/2-3	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
26.	228	731/13-14	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
27.	261	787/15- 788/1	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
28.	172	629/11-12	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
29.	276	825/15-826/1	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
30.	229	732/9-10	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
31.	202	688/13-14	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
32.	171	626/10-11	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
33.	174	ए639/14-15	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
34.	185	666/3-4	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
35.	177	660/4-5	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
36.	271	807/6-7	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
37.	186	666/11-12	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	

1	2	3	4	5	6
38.	232	738/7-8	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
39.	215	713/10-11	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
40.	199	686/1-2	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
41.	272	810/1-2	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
42.	192	673/8-9	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
43.	196	679/1-2	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
44.	239	749/2-3	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
45.	206	695/12-13	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
46.	238	743/3-4	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
47.	269	805/5-6	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत	
48.	49	53/10-11	पोल्लाची-पालघाट	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
49.	52	544-5	पोल्लाची-पालघाट	स्वीकृत नहीं	लागत में भागीदारी के आधार पर अर्हक
50.	50	54/12-13	पोल्लाची-पालघाट	स्वीकृत	
51.	23	34/10-11	शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
52.	160	533/8-10	पोदनूर-शोरुवण्णूर	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
53.	68ए	97/12-13	शोरुवण्णूर-एर्णाकुलम	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
54.	75ए	108/6-7	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
55.	9	15/6-7	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
56.	75बी	108/6-7	एर्णाकुलम-कोल्लम	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
57.	577	208/6-7	कोल्लम-त्रिवेन्द्रम	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
58.	174	बी 642/8-9	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
59.	176	655/3-4	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
60.	174सी	647/7-8	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
61.	183	665/2-3	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।
62.	178	666/5-6	शोरूवण्णूर-मंगलोर	स्वीकृत नहीं	निक्षेप शर्तों पर शुरू किया जा सकता है।

* क्रम सं. 51 से 62 पर उल्लिखित निर्माण कार्यों के लिए निक्षेप शर्तों पर समपार मुहैया कराए गए थे और इसलिए इन्हें ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल में निक्षेप शर्तों अर्थात् मौजूदा नियमों के अनुसार सड़क प्राधिकरण का लागत पर बदला जा सकता है।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के पदों को भरना

3070. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिनियुक्ति के जरिए पदों/नियुक्तियों को भरते समय सभी मंत्रालयों/विभागों को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों पर विधिवत रूप से विचार करने का निदेश दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय से विभिन्न विदेशी नियुक्तियों में वर्ग1,2,3, और चतुर्थ श्रेणी से संबंधित विभिन्न पदों/नियुक्तियों को भरने के लिए कुल कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पदों/नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रसायन और उर्वरक मंत्रालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति श्रेणी के उन कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के आवेदन अग्रेषित करती है। जो विदेश में नियुक्ति के लिए परिपत्र के अनुसार आवेदन करते हैं। चयन उस संगठन द्वारा किया जाता है जिसे ऐसे कार्मिकों की सेवाओं की जरूरत होती है। कर्मचारी इस प्रकार के चयन के बाद उर्वरक विभाग से श्रेणी-क के तीन अधिकारी विदेश नियुक्ति पर गए हैं। परिचालित नियुक्ति के लिए उस विभाग से कोई अ.जा./अ.ज.जा. का अभ्यर्थी नहीं था।

फर्टिलाइजर्स इकाइयों के कर्मचारियों को भुगतान

3071. श्री सुनील खां: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. की दुर्गापुर इकाइयों के कर्मचारियों को भुगतान बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की नियुक्ति/तैनाती

3072. सरदार बूटा सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों, कार्यकारी निदेशको, अंश-कालिक अध्यक्ष और प्रबंधन बोर्ड के सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के पदों पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती का है

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों, स्वायत्त वैधानिक निकायों, संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों में ऊपर लिखित मदों पर कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त/तैनात किया गया है; और

(घ) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (वह निकाय है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है) के गठन के लिए दिनांक 3.3.1987 के संकल्प सं. 27 (21) ई.ओ/86 (ए.सी.सी.) में घोषित नीति के अनुसार निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तकृष्ट व्यवसायिक प्रबंधकों की लेवल-1 (मुख्य कार्यपालकों) और लेवल-2 (निदेशकों) के पदों पर तथा कोई भी अन्य स्तर के पदों पर, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाता है, नियुक्ति की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति के वास्ते व्यक्ति के चयन के लिए जाति कोई एक मानदण्ड नहीं है। इसीलिए, मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर के पदों पर जो व्यक्ति नियुक्त हुए हैं उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या से सम्बन्धित सूचना न तो उपलब्ध है और न ही रखी जाती है।

रिक्ति पर आधारित रोस्टर

3073. श्री अशोक अर्गल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिक्ति पर आधारित रोस्टर तभी तक संचालित हो सकती है जब तक आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन आरक्षण के एक निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच जाए;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय तथा इसके उपक्रमों के अंतर्गत रिक्ति पर आधारित रोस्टरों के स्थान पर श्रेणी एक, दो, तीन, तथा चार, में पद आधारित रोस्टर लागू किए गए हैं; और

(ग) सेवाओं की इन श्रेणियों में रिक्तियां आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टरों को लागू किए जाने के क्या कारण है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार तथा का.एवं. प्र. विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्थापना (आ.) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के अनुसार।

विदेशों में अ.जा./अ.ज.जा. की नियुक्ति

3074. श्री अशोक प्रधान: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यू.एन.ओ/इससे संबद्ध संगठनों के अंतर्गत विदेशों में अनुसूचित जातियों अनु.ज. जातियों के व्यक्तियों की तैनाती के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाही की गई है;

(ग) यू.एन.ओ./इसके संबद्ध संगठनों/अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इससे संबद्ध संगठनों में कितने व्यक्ति तैनात किए गए और उनमें से अनु. जातियों और अनु.ज. जातियों से संबंधित कितने व्यक्ति थे, और

(घ) उक्त मांग पर संतोषजनक कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (घ) यू एन ओ के पदों/इससे संबद्ध संगठनों के लिए नामांकन मांगने वाले नोडल मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय आदि हैं। एतदविषयक जब भी कोई अवसर आया, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को नामांकन भेजे थे। चयन के लिए संबंधित संगठनों द्वारा निर्धारित मानदंड योग्यता एवं पात्रता है। आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति) से संबंधित भूतपूर्व उप सलाहकार (उर्वरक) जो अब संयुक्त सलाहकार (उर्वरक) हैं, ने 1995 में कहीं विदेश में नियुक्ति के लिए उनके नाम को प्रायोजित न किए जाने के खिलाफ 6 दिसम्बर, 1995 को एक अभ्यावेदन किया था। इसकी पांच पड़ताल की गई और तत्पश्चात उन्हें 2 मार्च 1998 से 9 अप्रैल, 1998 तक यू. के. में हुए इन्वायरमेंटल आडिट एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन संबंधी कोलम्बो प्लान के तहत अल्पकालिक पाठ्यक्रम के द्वितिय मोड्यूल में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उर्वरक विभाग के संबद्ध कार्यालय नामत: उर्वरक उद्योग समन्वय समिति समेत उर्वरक विभाग से चार अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 1995-96 में विदेश में नियुक्ति हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था। इनमें से कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं था।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

यूरिया घोटाला

3075. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरिया घोटाले की जांच कर रही सी.बी.आई. की टीम विदेशों से खाली हाथ लौट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त यात्रा पर कुल कितना व्यय हुआ है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) दल ने हाल ही में 18.5.2000 से 24.5.2000 तक मैसर्स कर्सन लिमिटेड, अंकारा, टर्की के अभियुक्त श्री टंके एलंकास और श्री सिहान करांसी जिन पर यूरिया घोटाले के मामले में भारत में मुकदमा चल रहा है, के विरुद्ध टर्की गणराज्य की जांच एजेंसी से सूचना एकत्र करने के लिए अंकारा, टर्की का दौरा किया था।

(ग) अंकारा, टर्की के दौरे के दौरान आवास और परिवहन की भारतीय दूतावास द्वारा की गई व्यवस्था को छोड़कर 3,65,832 रुपये का खर्च हुआ था।

उर्वरकों की बेस दरों पर रियायत

3076. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उर्वरकों की बेस दरों पर रियायत में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके फलस्वरूप उर्वरकों की खुदरा दरों में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या यह परिवर्तन आयातित डाई-अमोनियम फास्फेट पर लागू होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान फोस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के लिए रियायत की बेस दरें इस प्रकार हैं:-

(रु. प्रति मीट्रिक टन)

उत्पाद	1-4-1999 से 28-2-2000	29-2-2000 से 3-3-2000	1-4-2000 से
डी ए पी (स्वदेशी)	4500	3900	2800
डी ए पी (आयातित)	3050	900	950
एम ओ पी	3250	2695	2800
काम्पलेक्स	2531-4204	2192-3613	1577-2800

(ग) डी ए पी और एम ओ पी के अधिकतम खुदरा मूल्य 29-2-2000 से क्रमश: 7.2% और 15% तक बढ़ा दिये गये। इसके साथ ही डी ए पी और इसके मध्यवर्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट की वजह से रियायत की वेस दरों में संशोधन जरूरी कर दिया।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

जोधपुर रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण

3077. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे संपत्ति का अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब से यह अतिक्रमण किया गया है;

(ग) क्या अदालत में कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो यह कब से; और

(ङ) रेलवे की इस संपत्ति को खाली कराए जाने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) एक एस.टी.डी./पीसीओ बूथ के लिए रेलवे द्वारा लाइसेंस दिया गया था। नियमों के अनुसार ऐसे टेलीफोन बूथों के लिए 30 वर्ग फूट का क्षेत्र आबंटित किया जाता है बहरहाल लाइसेंसधारी ने जनवरी, 1998 से 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ग्रहण कर रखा है।

(ग) और (घ) जी, हां 27.7.1999 से।

(ङ) रेलवे ने अतिरिक्त सिविल न्यायधीश, जोधपुर की अदालत में मुकदमा दायर किया है।

दिल्ली में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

3078. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-पानीपत रेल लाइन पर सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से खेड़ा कलां रेलवे स्टेशन तक और दिल्ली-रोहतक रेल लाइन पर ओल्ड आजादपुर से रामपुरा रेलवे क्रासिंग तक रेल लाइन के दोनों ओर अतिक्रमण हुए हैं और इन जमीनों पर हजारों झुग्गियां और पक्के मकान बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार इन जमीनों को खाली कराने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या जून 2000 में बादली रेलवे स्टेशन के आस पास रेलवे द्वारा हटाई गई झुग्गियां रेलवे अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से फिर बन गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार वहां से झुग्गियों को कब तक हटाएगी और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) दिल्ली-पानीपत रेल लाइन पर सब्जी रेलवे स्टेशन से खेड़ा कलां रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन के दोनों ओर रेलवे भूमि पर अतिक्रमणों की संख्या अनुमानत: 4600 है तथा आजादपुर और रामपुर केबिन के बीच रेलवे लाइन के एक ओर रेल भूमि पर अतिक्रमणों की संख्या अनुमानत: 6300 है।

(ख) अतिक्रमणकारियों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में सार्वजनिक स्थल (अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखली) अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) जून 2000 में बादली रेलवे स्टेशन से पक्के निर्माणों सहित अनुमानत: 200 अवैध निर्माणों को हटाया गया था। तदुपरांत कुछ अतिक्रमणकारी बार-बार इस क्षेत्र में अपने तंबू लगा रहे हैं। जब भी इनका पता चलता है तो रेलवे इन्हें हटा देती है। बहरहाल, सरकारी भूमि पर अप्राधिकृत अधिभोगियों को पुनर्वासित करने की नीति की इस समय केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है। इस मामले में रेलवे अधिकारियों की सांठगाठ होने की कोई सूचना नहीं है।

विद्युत परियोजनाओं में विदेशी निवेश

3079. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कुछ विद्युत परियोजनाओं में निवेश के लिए कुछ विदेशी कंपनियों और विश्व बैंक के साथ किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन विद्युत परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें से प्रत्येक विद्युत परियोजना को कितनी विदेशी सहायता प्रदान की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) केन्द्रीय एवं राज्य क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के संबंध में इन परियोजनाओं के लिए निवेश या इनके क्रियान्वयन के संबंध में विश्व बैंक के साथ पिछले 2 वर्षों में कोई समझौता नहीं किया गया है। निजी क्षेत्र विद्युत परियोजना के संबंध में यह परियोजना विकासकर्त्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे परियोजना के लिए अपेक्षित निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करे और इसके लिए भारत सरकार और विश्व बैंक समेत वित्तीय संस्थानों के बीच किसी समझौते की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों एवं निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के बीच किया जाता है। अप्रैल, 2000 से प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशी कंपनियों के निवेश वाली 59 निजी विद्युत परियोजनाओं में से, जिनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित है, नौवीं योजनावधि (1997-2002) के पहले तीन वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा 20 परियोजनाओं के संबंध में विद्युत क्रय समझौता पर हस्ताक्षर किए गए है। इन 20 परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे एवं मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शाई गई है:-

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.)	पीपीए पर हस्ताक्षर की तारीख	टीईसी की तारीख	चालू करने का कार्यक्रम	के.वि.प्रा. की टीईसी के अनुसार मिलियन में अनुमानित लागत (प्रति रु. प्रति अमेरिकन डालर की दर से विदेशी विनिमय)
1	2	3	4	5	6	7
1.	भद्रावती टीपीएस मैसर्स सेंट्रल इंडिया पावर (महाराष्ट्र)	1072	3.8.1998	29.12.1994	वित्तीय समापन से 42-48 माह	51870 रु.
2.	दुबुरी टीपीपी यूनिट 1 व 2 (मैसर्स कलिंगा पावर कार्पोरेशन उड़ीसा	500	15.11.1997	29.4.1999	वित्तीय समापन से 33-36 माह	313.596 मिलि. अमेरिकन डालर+9528.3 रु. (39.5)
3.	गोरीपोर टीपीपी (मैसर्स गोरीपोर पावर कम्पनी) पं. बंगाल	150	15.10.1998	19.4.1999	वित्तीय समापन से 32 माह	28.07 मिलि. अमेरिकन डालर+ 5485.66 रु. (39.5)
4.	रोजा टीपीपी (मैसर्स इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स (उत्तर प्रदेश)	567	24.9.1998	19.9.1997	वित्तीय समापन से 40 माह	280.7267 मिलि. अमेरिकन डालर+14355.284 रु. (35.5)
5.	श्रीनगर एचईपी (मैसर्स डंकन्स नॉर्थ हाइड्रो पावर कम्पनी लि.) उत्तर प्रदेश	330	28.8.1998	26.11.1999	वित्तीय समापन से 62 माह	95.054 मिलि. अमेरिकन डालर+12998.9 रु. (42.00)
6.	भिलाई, टीपीपी'' (मैसर्स भिलाई पावर सप्लाई कम्पनी) मध्य प्रदेश	574	17.11.1997	3.10.1997	वित्तीय समापन से 39 माह	419.699 मिलि. अमेरिकन डालर+9997.81 रु. (35.5)
7.	पिठमपुर डीजीपीपी (मैसर्स साहपुराजी पलोई- मध्य प्रदेश	119.7	18.11.1997	10.2.1998	वित्तीय समापन से 14-17 माह	68.729 मिल. अमेरिकन डालर+ 1740.53 रु. (39)
8.	रतलाम डीजीपीपी (मैसर्स जीवी- के पावर (रतलाम) मध्य प्रदेश	118.63	-वही-	-वही-	-वही-	73.88 मिलि. अमेरिकन डालर+1631.62 रु. (39)
9.	विजाग टीपीएस(मैसर्स एचएनपी- सीएल) आंध्र प्रदेश	1040	15.4.1998	25.7.1996	वित्तीय समापन से 38-44 माह	943.75 मिलि. अमेरिकन डालर+ 13249.93 रु. (35)
10.	रामागुंडम विस्तार (मैसर्स बीपीएल ग्रुप (आंध्र प्रदेश (ऑन आईसीबी रूट)	520	29.1.1999	26.6.1997	वित्तीय समापन से 33-39 माह	369.30 मिलि. अमेरिकन डालर+ 10735 रु. (35.5)
11.	कृष्णापटनम बी टीपीपी (बीबीआई पावर कृष्णापटनम कम्पनी (आंध्र प्रदेश) ऑन आईसीबी रूट	520	9.7.1999	16.6.1998	वित्तीय समापन से 36-42 माह	355.131 मिलि. अमेरिकन डालर+9606.14 रु. (35.5)

1	2	3	4	5	6	7
12.	नागार्जुन टीपीपी (मैसर्स नागार्जुन पावर कार्पोरेशन लि. कर्नाटक	1015	23.7.199	29.4.1999	वित्तीय समापन से 38-42 माह	273.795 मिलि. अमेरिकन डालर+277.4 जीबीपी+907.19 एफएफआर+ 17926.85 रु. (42 रु./प्रति अमेरिकन डालर रु. 68.50 जी-बीपी.7, 20 रु./एफएफआर)
13.	बंगलौर सीसीपीपी मैसर्स पिनया पावर (कर्नाटक)	107.6	22.10.1999	20.9.1999	वित्तीय समापन से 19 माह	56.577+मिलि. अमेरिकन डालर+ 1529.69 रु. (42)
14.	नॉर्थ मद्रास टीपीएस-2 मैसर्स विडीयोकान पावर) तमिलनाडु	1050	2.2.1998	3.4.1996	वित्तीय समापन से 42-46 माह	585.96 मिलि. अमेरिकन डालर+ 24022.40 रु. (34.5)
15.	तुतीकोरिन टीपीपी चरण-2 मैसर्स एसपीआईसी (तमिलनाडु)	525	12.2.1998	31.7.1997	वित्तीय समापन से 39 माह	321.779 मिलि. अमेरिकन डालर+ 145.893 डीईएम + 8753.89रु. (35 रु./अमेरिकन डालर व 21 रु./डीईएम)
16.	नॉर्थ मद्रास टीपीपी-3 मैसर्स त्रि-शक्ति एनर्जी प्राईवेट (लि.) तमिलनाडु	525	19.7.1999	31.7.1998	वित्तीय समापन से 37 माह	147.915 मिलि. अमेरिकन डालर+ 122.927 जीबीपी+ 7365.60 रु. (35.5 रु./अमेरिकन डालर रु. 57/जीबीपी व 6.21 रु./ एफएफआर)
17.	समयानल्लूर डीजीपीपी मैसर्स बालाजी पावर तमिलनाडु	106	21.5.1998	10.2.1998	वित्तीय समापन से 14-17 माह	59.84 मिलि. अमेरिकन डालर+ 1508.45 रु. (39)
18.	समलपट्टी डीजीपीपी मै. समलपट्टी पावर कम्पनी (लि.) तमिलनाडु	106	22.5.1998	-वही-	-वही-	61.222 मिलि. अमेरिकन डालर+ 1530.98 रु. (39)
19.	जायमकोंडम टीपीपी (मैसर्स जायमकोंडम लिग्नाईट पावर कार्पोरेशन लि.(तमिलनाडु ऑन आईसीबी रुट)	500	15.6.1998 प्रदान करने की तारीख	प्रवर्तकों द्वारा सीईए को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।		तकनीकी आर्थिक स्वीकृति मिलनी शेष है।
20.	एन्नौर सीसीजीटी (मैसर्स डक्खन भारत एनर्जी कन्जोसियम) तमिलनाडु (आनआईसीबी रुट)	1884.64	28.12.1998 प्रदान करने की तारीख	-वही-		वही-

(ग) इन परियोजनाओं के लिए प्राप्त विदेशी ऋण एवं किए गए निवेश का वास्तविक ब्यौरा परियोजना के पूरा होने एवं सीईए द्वारा निर्धारित वित्तीय पैकेज को अनुमोदन दिए जाने के पश्चात ही ज्ञात हो सकेगा।

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती

3080. **श्री अशोक प्रधान:**
सरदार बूटा सिंह:
डा. बलिराम:
श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, सांविधिक संगठनों/मंत्रालय से संबद्ध कार्यालयों के प्रधान/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेश और प्रबंधन बोर्ड/गवर्निंग काउंसिल के अधिकारी/गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में तैनात/नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों जैसे विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों के प्रबंधन बोर्ड/गवर्निंग काउंसिल के प्रधान/अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, अधिकारी/गैर-सरकारी सदस्य के रैंक के कुल कितने पद हैं तथा ऐसे पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल शोधक कारखानों की क्षमता

3081. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्रों के तेलशोधक कारखानों की कारखाने वार कितनी क्षमता है;

(ख) तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में कितने तेल की खोज की जा रही है; और

(ग) देश में तेल और गैस भंडारों के संबंध में किन-किन क्षेत्रों में सकारात्मक संकेत मिले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) देश में विभिन्न रिफाइनरियों की वर्तमान क्षमता संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) 1999-2000 के दौरान देश में कच्चे तेल का कुल उत्पादन 32.005 एम एम टी था।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान ऊपरी असम, कावेरी, कृष्णा गोदावरी, कैम्बे, राजस्थान तथा मुंबई हाई बेसिनों में तेल व गैस खोजों के सकारात्मक चिह्न पाए गए हैं।

विवरण

परिशोधन-क्षमता

क्र.सं.	सार्वजनिक	(मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष)
1.	आई ओ सी एल, डिग्बोई	0.65
2.	आई ओ सी एल, गुवाहाटी	1.00
3.	आई ओ सी एल, बरौनी	4.20
4.	आई ओ सी एल, हल्दिया	3.75
5.	आई ओ सी एल, मथुरा	8.00
6.	आई ओ सी एल, पानीपत	6.00
7.	आई ओ सी एल, कोयाली	12.50
8.	बी पी सी एल, मुंबई	6.90
9.	एच पी सी एल, मुंबई	5.50
10.	एच पी सी एल, विशाख	7.50
11.	के आर एल, कोच्चि	7.50
12.	सी पी सी एल, चेन्नई	6.50
13.	सी पी सी एल, नरिमनम	0.50
14.	बी आर पी एल, बोंगाईगांव	2.35
15.	एन आर एल, नुमालीगढ़	3.00
	उप जोड़	75.85
	(ख) संयुक्त क्षेत्र	
1.	एम आर पी एल, मंगलौर	9.69
	(ग) निजी क्षेत्र	
1.	आर पी एल, जामनगर	27.00
	कुल क्षमता	112.54

तमिलनाडु में पवन चक्की

3082. डा. ए.डी.के. जयशीलन: क्या **अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तमिलनाडु की पवन चक्की विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु के त्रिचेनलूर में ज्वार भाटा तरंगों पर आधारित कुछ पवन चक्की विद्युत परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) तमिलनाडु में 771 मेगावाट की समग्र पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में, 19 मेगावाट प्रदर्शन परियोजनाएं और निजी क्षेत्र में, 752 मेगावाट वाणिज्यिक परियोजनाएं शामिल हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत परियोजनाएं

3083. श्री अमर राय प्रधान: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने के पश्चात् कब तक स्थापित कर दिए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) 31.7.2000 की स्थितिनुसार पश्चिम बंगाल की कोई विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु जांचाधीन नहीं है तथापि, कुछ अनिवार्य निवेशों के अभाव में पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं परियोजना प्राधिकारियों को लौटा दी गई हैं:-

1.	उत्तर बंगाल	4×60 मे.वा.
2.	डीपीएल यूनिट-7	1×110 मे.वा.
3.	संथालडीह विस्तार	2×120 मे.वा.
4.	मुर्शिदाबाद	4×500 मे.वा.
5.	राम्मम चरण-3 एचईपी	3×20 मे.वा.

उड़ीसा में तेल की खोज में लगी कंपनियां

3084. श्री बिक्रम केशरी देव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा राज्य में तेल की खोज में कौन-कौन सी कंपनियां लगी हुई हैं;

(ख) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने उन्हें पर्याप्त धनराशि और सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) पहले आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और अब आयल एंड नेचुरल कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड को अपने निजी बजट से उड़ीसा राज्य में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण में लगाया जाता रहा है।

लापता कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई

3085. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने हाल ही में लापता 142 कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनी कार्य विभाग ने सेबी के साथ मिलकर बेईमान निदेशकों, प्रवर्तकों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग ने इन कम्पनियों में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों, जमाकर्ताओं के धन को वापस दिलाने हेतु योजना बनाई;

(घ) यदि हां, तो क्या विभाग ने अपनी जांच के दौरान लापता कम्पनियों की सूचि में बागान कम्पनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, साफ्टवेयर कम्पनियों को शामिल किया;

(ङ) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा कुल कितनी धन राशि का चुना लगाया, अन्यत्र प्रयोग किए जाने का अंदेशा है; और

(च) भविष्य में इस हेतु क्या सुधारात्मक कार्रवाई और सुधार किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 142 कम्पनियों में से, 93 कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत अभियोजन आरंभ किए गए हैं। जो 37 कम्पनियों तुलन पत्र और वार्षिक विवरणियों जैसे अपने सांविधिक दस्तावेज भरने में नियमित है, उनके विरुद्ध अभियोजन आरंभ नहीं किए गए हैं। 08 कम्पनियां परिसमापनाधीन हैं। 03 कम्पनियों की परिसम्पत्तियां पंजाब और कर्नाटक (क्रमश: 2 कम्पनियां और 1 कम्पनी) की राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत कर ली गई हैं तथा 01 कम्पनी औद्योगिक वित्त और पुनर्वास बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की कार्यवाहियों के अधीन है।

(ख) विभाग ने दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलूर और हैदराबाद में प्रादेशिक निदेशकों/कम्पनी रजिस्ट्रारों के संयोजकों के रूप में तथा सेबी और स्टाक एक्सचेन्जों के प्रतिनिधियों के सदस्यों के रूप में सात कार्य बलों का क्षेत्रवार गठन किया है। इन कार्य बलों का मुख्य उत्तरदायित्व इन एजेन्सियों के पास उपलब्ध सूचना की जांच करके अपने क्षेत्र की लापता, हुई कम्पनियों की पहचान करना है। इन कार्य बलों को सचिव, कम्पनी कार्य विभाग (डी सी ए) और अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के इसके सह-अध्यक्ष के रूप में एक केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा मानीटर किया जाता है।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित 93 कम्पनियों में से, 24 कम्पनियां ऐसी हैं जिन्हें समुचित पूछताछ के बाद भी ढूंढा नहीं जा सका है। इन 24 कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 433/439 के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए क्षेत्रीय संगठनों को हिदायतें दे दी गई हैं ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान के लिए इन कम्पनियों की परिसम्पत्तियों से समापक द्वारा राशि उगाही जा सके।

(घ) सेबी से प्राप्त 142 कम्पनियों की सूची में विभिन्न प्रकार का व्यापार करने वाली कम्पनियों के नाम शामिल हैं। कम्पनी कार्य विभाग ने उपरोक्त सूची में किसी प्लांटेशन/गैर-बैंककारी वित्त और साफ्टवेयर कम्पनी का नाम शामिल नहीं किया है।

(ङ) इन 142 कम्पनियों में कुल 668.61 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है।

(च) सभी सूचीबद्ध कम्पनियों, जो पब्लिक इश्यू जारी करती हैं, के कार्य संचालन को मनीटर करने की मुख्य जिम्मेवारी सेबी/ स्टाक एक्सचेंज में निहित है। हांलिक निवेशकों के हित संरक्षण के लिए एक नयी धारा 205 ग कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 में ''निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि'' नामक निधि स्थापित करने के लिए अन्त: स्थापित की गई है। चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध कानून को और सख्त बनाए जाने के उद्देश्य से 23.12.1999 को लोक सभा में पुर: स्थापित उक्त विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किसी पब्लिक कम्पनी का कोई निदेशक जो लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक लेखे और विवरणियां दायर करने या जमाराशि का प्रतिसंदाय करने में असफल रहता है, तो वह अभियोजन आदि की कार्रवाई भुगतने के अलावा पांच वर्षों तक किसी पब्लिक कम्पनी का निदेशक बनने के योग्य नहीं होगा।

[हिन्दी]

ताप और जल विद्युत उत्पादन

3086. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ताप और जल विद्युत उत्पादन की स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ नई विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) नौवीं योजना के लिए 40245.2 मे.वा. क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गई थी। बरहाल जुलाई, 1999 में की गयी मध्यावधि समीक्षा के दौरान 28097.2 मे.वा. जल विद्युत, 18818 मे.वा. ताप विद्युत तथा 880 मे.वा. न्यूक्लीयर परियोजनाओं से है।

नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान वास्तविक क्षमता संवर्धन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1997-98	3226 मे.वा.
1998-99	4267 मे.वा.
1999-2000	4507 मे.वा.

(ग) और (घ) नौवीं योजना के दौरान 2807.2 की क्षमता वृद्धि के अलावा स्वीकृत अर्थात् निवेश अनुमोदन प्राप्त परियोजनाओं तथा दसवीं एवं 11वीं योजना के दौरान मिलने वाले लाभों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

स्वीकृत/निर्माणाधीन-क्षमता अभिवृद्धि का परियोजना-वार ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	लाभ 2002-07	2007-12
1	2	3	4	5
1.	शाहपुर कंडी (पंजाब) -ए	160.0	0.0	160.0
2.	शाहपुर कंडी-बी (पंजाब)	8.0	0.0	8.0
3.	जाखम (राजस्थान)	5.0	5.0	0.0
4.	सूरतगढ़-2 (राजस्थान)	500.0	500.0	0.0
5.	ग्लोबल बी (सीसीजीटी (राजस्थान)	130.0	130.0	0.0
6.	कटापठार (उ.प्र.)	19.0	19.0	0.0
7.	चमेरा-2 (हि.प्र.)	300.0	300.0	0.0
8.	दुलहस्ती (जम्मू व कश्मीर)	390.0	390.0	0.0
9.	धौलीगंगा (उ.प्र.)	280.0	280.0	0.0
10.	टिहरी चरण-1 (उ.प्र.)	1000.0	500.0	0.0
11.	सरदार सरोवर (गुजरात)16%	192.0	128.0	0.0
12.	धुव्रण सीसीपीपी (गुजरात)	110.0	110.0	0.0
13.	बाणसागर-4 (म.प्र.)	20.0	20.0	0.0
14.	नर्मदा सागर (म.प्र)	1000.0	1000.0	0.0
15.	सरदार सरोवर (म.प्र.)57%	684.0	456.0	0.0
16.	घाटघर पीएसएस(महाराष्ट्र)	250.0	250.0	0.0
17.	सरदार सरोवर (महाराष्ट्र) 27%	324.0	216.0	0.0
18.	टीएपीपी यू-3 व 4 (महाराष्ट्र)	1000.0	1000.0	0.0
19.	बालीमेला डीपीएच. (आं.प्र.)	60.0	60.0	0.0
20.	रायलसीमा (आ.प्र.)	420.0	420.0	0.0
21.	बृन्दावन (कर्नाटक)	12.0	12.0	0.0
22.	सरापदी एचई (कर्नाटक)	90.0	90.0	0.0
23.	कुटियाडी टी.आर. (कर्नाटक)	3.8	3.8	0.0
24.	मालनकारा (केरल)	10.5	10.5	0.0
25.	पाइकारा अल्टीमेट चर (टी एन.)	150.0	150.0	0.0

1	2	3	4	5
26.	सिम्हाद्री टीपीएस (आं.प्र.)	1000.0	500.0	0.0
27.	कैगा यू-3व4 (कर्नाटक)	440.0	0.0	440.0
28.	नैवेली एफएसटी विस्तार (टी.एन.)	420.0	210.0	0.0
29.	मुजफ्फरपुर विस्तार (बिहार)	500.0	500.0	0.0
30.	तेनुघाट एक्स.यू 3 से 5 (बिहार)	630.0	630.0	0.0
31.	बालीमेला चरण-2 (उड़ीसा)	150.0	150.0	0.0
32.	बारगढ़ (उड़ीसा)	9.0	9.0	0.0
33.	रोथांग्चू (सिक्किम)	30.0	30.0	0.0
34.	रोलेप एचई (सिक्किम)	9.0	9.0	0.0
35.	पूरूलिया पीएसएस (प.बंगाल)	900.0	900.0	0.0
36.	राम्मम चरण-1 (पं. बंगाल)	36.0	36.0	0.0
37.	कोयल कारो (बिहार)	710.0	0.0	710.0
38.	तीस्ता चरण-5 (असम)	510.0	510.0	0.0
39.	धनश्री एचईपी (असम)	20.0	20.0	0.0
40.	कारबी-एल. बोरपानी (असम)	100.0	100.0	0.0
41.	लकवा डब्ल्यूएच (असम)	47.5	47.5	0.0
42.	अमगुड़ी सीसीजीटी (असम)	90.0	90.0	0.0
43.	सेरलुई-बी (मिजोरम)	9.0	0.0	9.0
44.	कोपिली एचई चरण-2 (असम)	25.0	25.0	0.0
45.	लोकतक डी/एस (मणिपुर)	90.0	90.0	0.0
46.	तुरियल (मिजोरम)	60.0	60.0	0.0
47.	नैवेली टीपीपी (टी.एन.)	250.0	250.0	0.0
48.	तालचेर टीपीएस-2 (उड़ीसा)	2000.0	2000.0	-
49.	रिहन्द टीपीएस(उ.प्र.)	1000.0	1000.0	-
50.	रामागुण्डम टीपीएस (आंध्र प्रदेश)	500.0	500.0	-
51.	सिपत एसटीपीएस (म. प्र.)	1980.0	1980.0	-
52.	अन्ता-2 (जीपीएस) राजस्थान	650.0	650.0	-
53.	औरैया-2 (जीपीएस) (उ.प्र.)	650.0	650.0	-
54.	कवास जीपीएस-2 (गुजरात)	650.0	650.0	-
55.	गांधार जीपीएस-2 (गुजरात)	650.0	650.0	-

रेलवे सम्पत्ति का उपयोग

3087. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी मात्रा में रेलवे की रिहायशी सम्पत्ति अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पत्ति को उपयोग में लाने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(ग) क्या राजस्थान के गंगापुर में हजारों एकड़ रेलवे भूमि पर निर्मित लोको-शेड का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई उचित निर्णय लेने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) पश्चिम रेलवे के गंगापुर सिटी के लोको शैड के बंद होने के कारण जो इमारतें/ढांचे विनिर्मुक्त हो गए थे, उनका वैकल्पिक उपयोग किया जा रहा है जैसे कि दुर्घटना राहत गाड़ी को बड़ी करने इत्यादि के लिए कुछ अन्य ढांचे बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं अत: उनका वैकल्पिक उपयोग नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

सेना हेतु स्लीपिंग बैगों की खरीद

3088. श्री सुरेश कुरूप: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सात करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 8588 स्लीपिंग बैगों, जिनका उपयोग उनकी घटिया गुणवत्ता के कारण सियाचिन में सेना द्वारा नहीं किया जा सका, की खरीद के संबंध में महानिदेशक गुणवत्ता आवश्वासन की रिपोर्ट की अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त निर्णय मई, 1993 में लिया गया था जिसकी राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ी और जिसने हमारी सेना टुकड़ियों को भारी जोखिम में डाल दिया;

(ग) यदि हां, तो किस स्तर पर इन बैगों की खरीद का निर्णय लिया गया था; और

(घ) इसके लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) 8588 स्लीपिंग बैगों की खरीद के संबंध में गुणता आश्वासन महानिदेशालय की किसी रिपोर्ट को नजर अंदाज किए जाने का कोई भी मामला रक्षा मंत्रालय के सामने नहीं आया है।

विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए नमूने को परीक्षण मूल्यांकन के दौरान सेना मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद कवर सहित 8588 अदंद स्लीपिंग बैगों की आपूर्ति के लिए संविदा क्रयादेश दिनांक 11.5.92 को फ्रांस के मैसर्स मांक्लर को प्रस्तुत किया गया था।

8588 अदद स्लीपिंग बैगों की कुल संविदा मात्रा में से 6255 अदद स्लीपिंग बैगों की आपूर्ति किए जाने के बाद भी विक्रेता भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत नहीं कर सका, क्योंकि उसने संविदा के तहत अपेक्षित निष्पादन तथा वारंटी बांड प्रस्तुत नहीं किया था। विक्रेता ने साख पत्र में संशोधन करने के लिए अनुरोध किया था ताकि वह प्रत्येक खेप के लिए 10% मूल्य की बैंक गारंटी प्रस्तुत कर सके। किंतु, विक्रेता को साख-पत्र पर भुगतान नहीं किया गया, क्योंकि उसके द्वारा अपने बैंकर को प्रस्तुत दस्तावेज कालातीत हो गए थे। विक्रेता द्वारा कालातीत दस्तावेजों को पुन: वैध किए जाने के संबंध में रक्षा मंत्रालय को बार-बार अनुस्मारक दिए जा रहे थे ताकि वह भुगतान प्राप्त कर सके।

वित्त प्रभाग की सलाह पर, इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सेना मुख्यालय, महानिदेशक गुणता आश्वासन और रक्षा (वित्त) के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 21.5.93 को एक बैठक की गई। यह बैठक तत्कालीन संयुक्त सचिव (आयुध) की अध्यक्षता में की गई तथा इसमें रक्षा (वित्त) महानिदेशक गुणवता आश्वासन और सेना मुख्यालय के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सेना मुख्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया कि विक्रेता द्वारा सप्लाई किए जा चुके सामान, बीच में एक फालतू सिलाई को छोड़कर जिसे भविष्य में सप्लाई किए जाने वाले स्लीपिंग बैगों में न किए जाने के लिए कहा गया था, स्वीकार्य था। उन्होंने यह भी सूचित किया कि सप्लाई किए जा चुके सामान के लिए भुगतान करने के संबंध में प्रयोक्ता निदेशालय को कोई आपत्ति नहीं थी।

गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक के प्रतिनिधि द्वारा इस बात की भी पुष्टि की गई थी कि प्राप्त की गई खेपों का भौतिक निरीक्षण

किया गया था और उनमें छोटी-मोटी विसंगतियों को नोट करके, उनको जारी करने की स्वीकृति दे दी गई थी।

विस्तृत चर्चा और संविदा शर्तों तथा भुगतान उपबंधों को देखने के पश्चात् बैठक में साख-पत्र के तहत भुगतान जारी करने का निर्णय लिया गया।

अपर महानिदेशक आयुध सेवा (वस्त्र, आवश्यक वस्तुएं एवं प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित अफसरों के बोर्ड की सिफारिशों पर बाहरी कवर के पिछले हिस्से में बीच में सिलाई वाले सभी स्लीपिंग बैगों का उपयोग कर लिया गया है। इन बैगों के इस्तेमाल की सिफारिश अत्यंत ठंड से बचने के लिए वस्त्र और उपस्कर के हिस्से के रूप में भारतीय स्लीपिंग बैगों की स्वीकृति के स्थान पर की गई।

रक्षा मंत्रालय के पूर्ण दावे को पूरा करने के लिए विक्रेता द्वारा निष्पादन बंधपत्र और वारंटी बंधपत्र के लिए दिए गए संविदा मूल्य के 20% की बैंक गारंटी को भुनाने का निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्रालय को 2,268,393.20 फ्रांसीसी फ्रेंक (लगभग 1.57 करोड़ रुपये) की राशि पहले ही प्राप्त हो गई है जो प्रशासनिक प्रभारों को घटाकर बैंक गारंटी की मूल राशि है। शेष राशि के भुगतान से संबंधित मामला भी पेरिस में एक समुचित फ्रांसीसी न्यायालय के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय द्वारा 7,984,14920 फ्रांसीसी फ्रेंक के दावे के लिए नई दिल्ली में एकल माध्यस्थम के समक्ष एक मामला भी दायर किया गया है। माध्यस्थम संबंधी कार्यवाही चल रही है।

सेना मुख्यालय द्वारा इन स्लीपिंग बैगों को स्वीकार करने में हुई चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए एक जांच अदालत का गठन भी किया गया है और इस संबंध में जांच-अदालत की कार्रवाई चल रही है। जांच-अदालत की कार्यवाही प्राप्त हो जाने के पश्चात् मैसर्स मांक्लर, फ्रांस द्वारा सप्लाई किए गए स्लीपिंग बैगों को स्वीकार करने में हुई चूकों के लिए जिम्मेदार पाए गए सभी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

विद्युत उत्पादन में कमी

3089. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन लक्ष्य से 30 प्रतिशत कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्रवार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(घ) उन राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ विद्युत क्रय समझौतों को अब तक अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, नहीं। वर्ष 1999-2000 के दौरान ऊर्जा उत्पादन का वास्तविक 469.000 मि.यू. लक्ष्य की तुलना में 480.011 मि.यू. था, जो कि लक्ष्य के 2.3% वृद्धि का घोतक है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) और (ङ) विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) राज्य विद्युत बोर्ड (रा.वि.बोर्ड) और स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी) के बीच एक अनुबंध है जिसके अन्तर्गत दोनों पक्षों के बीच विभिन्न जोखिमों के आबंटन तथा विद्युत की खरीद/बिक्री हेतु स्यात्मकताओं के संबंध में समझौता किया जाता है। विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) की मानीटरिंग संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। सामान्यत: भारत सरकार इन समझौतों को अन्तिम रूप प्रदान करने में प्रगति की मानीटरिंग नहीं करती है। इन समझौतों को तैयार करने में राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1994 में पीपीए के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत परिपत्रित किए हैं। राज्य सरकारों के अपने पीपीए तैयार करने में सक्षम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने आदर्श पीपीए का एक प्रारूप भी परिपत्रित किया है और पीपीए के संबंध में प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की हैं।

विदेश संस्थानों में प्रशिक्षणार्थ बाहर भेजे गए अधिकारी

3090. श्री कांति लाल भूरिया: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सामान्य/लोक प्रशासन और व्यवसाय-प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अधिकारियों की शैक्षिक, प्रबंधकीय, प्रशासकीय तथा तकनीकी कार्य क्षमताएं विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें कुछ प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थ शामिल करती है, जिसका खर्च राजकोष पर आता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लघु और दीर्घावधि, दोनों प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए ऐसे अधिकारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी थे; और

(घ) उक्त प्रकार के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को शामिल न करने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एम. रामचन्द्रन): (क) से (घ) सभी प्रकार के विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों जिसके लिए केन्द्र सरकार की विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को नामित/प्रतिनियुक्त किया जाता है, जैसे यू के और जापान में कोलंबो योजना कार्यक्रम और दाता देशों तथा भारत सरकार के बीच विभिन्न द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में क्षमता निर्माण परियोजना में भारत-आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण के अंतर्गत कार्यक्रमों पर केन्द्रीय नीति, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) तथा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा तैयार की जाती है और प्रशासित/संचालित की जाती है।

पिछले 3 वर्षों की अवधि के दौरान, वस्त्र मंत्रालय के 6 अधिकारियों ने विदेशी संस्थानों में अल्प अवधि/दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से, 01 अधिकारी अनुसूचित जाति श्रेणी का तथा 01 अधिकारी अनुसूचित जनजाति श्रेणी का था।

बांद्रा और गांधीधाम के बीच ट्रेन सेवा की शुरूआत

3091. श्री किरीट सोमैया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बांद्रा (मुम्बई) से गांधीधाम और मुम्बई से कच्छ के लिए रेल सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ट्रेनों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान 2963/2964 बांद्रा-बडोदरा सायाजी नगरी एक्सप्रेस तथा 9103/9104 बडोदरा-गांधीधाम एक्सप्रेस का विलय करके बांद्रा गांधीधाम एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अंतर्गत कंपनी विधि निपटान योजना, 2000 जो 31 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 529(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2191/2000]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 658(अ) जो 12 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-दस में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2192/2000]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं:

(1) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अंतर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2193/2000]

(2) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2194/2000]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): मैं टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा

(3) के अंतर्गत टेक्सटाइल समिति (संशोधन) नियम, 2000 जो 13 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2195/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:—

2. मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि 31 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा पारित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 को राज्य सभा ने 9 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में निम्न संशोधनों के साथ पारित कर दिया है।

खंड 5

1. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 36– "27" *के स्थान पर* "26" *प्रतिस्थापित किया जाए।*

खण्ड 12

2. पृष्ठ 3, पंक्ति 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

".....

1.....5

5. छत्तीसगढ़.....90.

पहली अनुसूची

3. पृष्ठ 25,–पंक्ति 8–13 *के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–*

"(2) पांच आसीन सदस्यों, अर्थात् श्री ओ. राजगोपाल, श्री दिलीप सिंह जूदेव, श्री झुमुक लाल भेंडिया, श्री बालकवि बैरागी और कुमारी मैवल रिवैलो, में से जिनकी पदावधि 30 जून, 2004 को समाप्त होगी, श्री दिलीप सिंह जूदेव और श्री झुमुक लाल भेंडिया दोनों छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य तीन आसीन सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।"

4. पृष्ठ 25, पंक्ति 14–19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–

"(3) छः आसीन सदस्यों अर्थात् श्री अर्जुन सिंह, श्री कैलाश जोशी, श्री भगतराम मनहर, श्री हंसराज भारद्वाज, श्री पी.के. माहेश्वरी और श्री विक्रम वर्मा में से जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2006 को समाप्त हो जाएगी, श्री भगतराम मनहर छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से एक स्थान को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य पांच सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।"

तीसरी अनुसूची

5. पृष्ठ 34, पंक्ति 4–5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:–

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, में–

(क) पैरा 2 में अंक "22 के स्थान पर अंक "23" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुसूची में, भाग 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्–"

इसलिए मैं यह विधेयक राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के प्रावधानों के अनुसार इस अनुरोध के साथ लौटा रहा हूँ कि उक्त संशोधनों के प्रति लोक सभा की स्वीकृति के संबंध में इस सभा को सूचित किया जाए।

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा लौटाया गया यथासंशोधित मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 जो कि लोक सभा द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2000 को पारित किया गया था, सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 9 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा 9 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव पर मैं एक संशोधन करना चाहूँगा।

मेरा संशोधन है "कि देश में भाषिक-प्रादेशिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में कार्यमंत्रणा समिति के इस प्रतिवेदन को नियम 193 के अधीन चर्चा हेतु एक तिथि निर्धारित करने के लिए समिति को लौटा दिया जाए। दिनांक 26.7.2000 को इस सभा में प्रस्तुत समिति के दसवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुति को 27 जुलाई, 2000 को हुई बैठक में उठाया नहीं जा सका था।"

महोदय, मेरा संशोधन काफी व्याख्यात्मक है। 26 जुलाई को हमें कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था और उस प्रतिवेदन में समिति ने यह संस्तुति की थी कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर नियम 193 के अधीन चर्चा की जाए। इस चर्चा को 27 जुलाई के लिए संस्तुत किया गया था किंतु कई कारणों से यह चर्चा उस दिन नहीं हो सकी। तत्पश्चात् चर्चा की ही नहीं गई। यह एक प्रकार की संसदीय त्रुटि है, मैं जानता हूँ, किंतु चर्चा कभी नहीं हो पाई।

महोदय, आपको याद होगा कि सभा की बैठक के पहले दिन ही मैंने आपसे अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी थी। महोदय, हालांकि आपने यह अनुमति नहीं दी थी किंतु आपने मुझे सभा में कहा था कि इस प्रस्ताव पर चर्चा बाद में की जाएगी। महोदय, मुझे मिलाकर इस सभा के कुल 19 सदस्यों ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर नियम 193 के अधीन चर्चा का नोटिस दिया था मगर तीसरा सप्ताह खत्म होने को आया और हमें कुछ भी बताया नहीं गया है। अल्पसंख्यकों पर यह चर्चा संसदीय प्रक्रिया की त्रुटि का शिकार रही है।

अब, मैं चाहता हूँ कि यह प्रतिवेदन समिति को वापिस लौटाया जाए ताकि समिति अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बारे में इस सभा में चर्चा के लिए समय व तिथि निर्धारित कर सके।

महोदय, इस उद्देश्य के लिए यह प्रतिवेदन समिति को लौटाया जाए।

श्री पी.सी. थॉमस (मुवत्तुपुजा): मुझे विश्वास है कि सरकार यह स्वीकार कर लेगी ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय यह एक गंभीर मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ की एक टिप्पणी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): महोदय, इसी विषय पर मैंने भी नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए नोटिस दिया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। ये क्या हो रहा है?

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं कि देश में भाषायी और प्रादेशिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विषय को लेकर चर्चा के लिए सर्वश्री अबुल हसनत खां और मोइनुल हसन का नाम क्रमश: 27, 28, 31 जुलाई और 1 अगस्त, 2000 की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया था। किंतु समय की कमी के कारण यह चर्चा नहीं हो पाई।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ये क्या है? मैं इस सभा में कुछ सदस्यों का व्यवहार समझ नहीं पा रहा हूँ।

कल दिनांक (9.8.2000) को कार्यमंत्रणा समिति की हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी तथा यह तय किया गया था कि इस विषय पर चर्चा के लिए तिथि का निर्धारण, कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्थिति समझने का प्रयत्न करें।

प्रश्न है:

"कि यह सभा 9 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यमंत्रणा समिति की अगली बैठक में हम तिथि निर्धारित करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 12.07 बजे

लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को शीघ्र पारित किये जाने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में 'शून्य काल' चलेगा।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, कल हमारे 34 कार्यकर्त्ताओं को उस समय चोट लग गई जब वे चैम्कीटोल्ला में आयोजित एक सभा से वापस आ रहे थे। *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण विधेयक की क्या स्थिति है। मैं इस सभा के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि जहाँ तक महिला आरक्षण विधेयक का प्रश्न है, अब यह वास्तव में एक अत्याचार है और यह एक असंवैधानिक तरीका बन चुका है। यह महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध मैच फिक्सिंग की तरह है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, अगली कार्यमंत्रणा समिति में हम तिथि एवं समय निश्चित करेंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): नियम 296 के अधीन, मैं सभा में बोलूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगली कार्यमंत्रणा समिति में हम तय करेंगे।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: कुछ समाचार पत्रों में संसदीय कार्य मंत्री के हवाले से कहा गया है कि इस विधेयक को इस सत्र में विचार हेतु नहीं लिया जा रहा है। हम इसका कारण जानना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह विधेयक पहले ही सभा में पेश कर दिया गया था। कृपया समझें।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: यह पेश कर दिया गया था लेकिन इस सत्र में यह विचार के लिए नहीं लिया जा रहा है। मैं जानना चाहते हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अन्य कितने विधेयक बहस के लिए लाये गए, यह तो सरकार की तरफ से दो तरह की बात कही जा रही है। अनेक विधेयकों पर विचार किए गए तथा बिना सर्वानुमति के पारित कर दिए। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार की देरी असंवैधानिक तथा अक्षम्य है।

महोदय, धरना दिया गया है तथा अखिल भारतीय प्रजातांत्रिक महिला संघ और अन्य महिला संगठनों द्वारा पार्लियामेंट स्ट्रीट में आज एक रैली का आयोजन किया गया है। हम सरकार से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि यह विधेयक कब विचार के लिए लिया जायेगा। हम चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री अभी उत्तर दे। हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि वास्तव में, यह विधेयक कब लिया जायेगा। यह कहना हास्यास्पद है कि विधेयक पेश कर दिया गया है। *...(व्यवधान)* इसमें की जा रही देरी असंवैधानिक एवं अक्षम्य है। अन्य कई विधेयक लिये जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैडम, कृपया बैठ जाएं।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: हम चाहते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई की बात के अलावा कुछ भी सभा की कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैडम आपने अपना मुद्दा उठा दिया है। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जसवंत सिंह बिश्नोई की बात के अलावा कुछ भी सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, लूनी बाड़मेर मुनाबाब के मध्य 297 किलोमीटर का सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील रेल खंड है। वर्ष 1997-98 के बजट में इसका आमान परिवर्तन स्वीकृत हो गया था। जिसके लिए बजट में 40 करोड़ रुपये का अलोकेशन किया गया था। वर्ष 1998-99 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये का अलोकेशन हुआ था और 1999-2000 में 20 करोड़ रुपये का अलोकेशन रेल बजट में हुआ था। वर्तमान वर्ष 2000-2001 में इसके लिए 30 करोड़ रुपये का अलोकेशन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुनाबाब पाकिस्तान बॉर्डर पर सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां युद्ध के समय हमेशा रेलें युद्ध सामग्री लेकर आती-जाती हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इन वर्षों में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे, उनकी राशि आमान परिवर्तन के काम में नहीं लाई जा सकी, जिसके कारण वह राशि लैप्स हो गई। इसके परिणामस्वरूप सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील रेलवे स्टेशन मुनाबाब का आमान परिवर्तन का कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस कार्य के लिए जो अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा इस अधूरे पड़े आमान परिवर्तन के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैडम, कृपया समझें। आपने नोटिस दिया है, मैंने आपका नाम बुलाया भी है। आपने अपना मुद्दा भी उठाया है। कृपया, समझने की कोशिश करें। अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया दूसरों को भी मौका दें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, ये लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सरकार उत्तर देने जा रही है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सरकार उत्तर देने जा रही है। क्या आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

कोई बात सभा की कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कोई बात सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। आपने सरकार से उत्तर मांगते हुए अपना मुद्दा उठा दिया है। सरकार उत्तर देने जा रही है। आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह किस प्रकार का व्यवहार है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कोई बात सभा की कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सरकार से उत्तर नहीं चाहते हैं? मेरे विचार में, सामान्यत: शून्य काल में सदस्यों द्वारा कोई मुद्दा उठाये जाने पर यदि सरकार उत्तर देना चाहती है तो हम उसे भी ऐसा करने की अनुमति देते हैं। यह क्या हो रहा है?

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, उन्होंने काफी समय ले लिया है। अपने दल की तरफ से मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): हर बार सरकार यही कहती है।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.एच. पांडियन: सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। संसद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडू, आप क्या कहना चाहते हैं?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री के. येरननायडू: यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक पर विचार के लिए तैयार है तो तेलुगु देशम पार्टी इसका समर्थन करके इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करवाने के लिए तैयार है। शुरु से ही हम अनुरोध करते रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी स्पष्टत: लोक सभा में यह कहते रहे हैं।

श्री तिरुनावकरसू (पुडुक्कोट्टई): मैं भी दूसरे सदस्यों के इस मत का समर्थन करता हूं कि इसे इसी सत्र में लिया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): अध्यक्ष महोदय ....

अध्यक्ष महोदय: यह बहस नहीं हो रही है। यह क्या है? चूंकि माननीय महिला सदस्य ने नोटिस दे रखा था अत: मैंने उन्हें बुलाया। प्रत्येक सदस्य इस बहस में भाग लेना चाहता है। दूसरों के मामलों का क्या होगा? क्या वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं? आप दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: सरकार को वह वादा करना चाहिए इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करवाने के लिए वह आवश्यक कार्रवाई करने जा रही है।

श्री माधवराव सिन्धिया: यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस सदैव इस बात पर जोर देती रही है कि स्थानीय निकाय और पंचायतों में महिलाओं को जो एक तिहाई आरक्षण दिया गया है उसे बढ़ाकर विधान सभाओं और संसद में भी कर देना चाहिए। कांग्रेस यह भी आवाज उठाती रही है कि यथाशीघ्र यह विधेयक लाया जाए और पारित किया जाए। ताकि संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया जा सके।

[हिंदी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, जब तक मुसलमान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का सवाल तय नहीं होता है, तब तक महिला आरक्षण विधेयक नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। यदि आता है, तो हम विरोध करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, जब तक मुसलमानों की महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के आरक्षण का सवाल तय नहीं हो जाता है, तब तक महिला आरक्षण विधेयक सदन में प्रस्तुत करने का कोई लाभ नहीं होगा। हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में लीडर के सामने चर्चा हुई है, यह ठीक है। चुनाव आयोग से भी इस संबंध में राय मशविरा लिया गया है। चुनाव आयोग का कहना था कि इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक पंक्ति जुड़ जाये और संशोधन होकर बिल आये। प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा था हम चुनाव आयोग से अभी बात करेंगे। हमारी समाजवादी पार्टी तथा अन्य कई साथियों की राय है कि जब तक मुसलमान महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया जायेगा तब तक यह बिल सदन में पेश नहीं किया जाएगा। ...*(व्यवधान)* यह हमारी पुरानी मांग चली आ रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की तरफ से, मैंने अनेक अवसरों पर सरकार से इस विधेयक के लिए कहा है। हमने सभी बहसों में भाग भी लिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया समझें कि यह कोई बहस नहीं चल रही है। यह 'शून्य काल' है। आप जो कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वचन नहीं रखा है। हम इसी सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पक्ष में है। सबसे पहले उन्हें विधेयक को प्रस्तुत करना चाहिए और इसे पारित करवाना चाहिए और तब वे पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में विचार कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* पहले उन्हें विधेयक को पारित करके एक तिहाई आरक्षण करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आपके दल के सदस्य पहले ही यह मुद्दा उठा चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी वचनबद्धता के बारे में कुछ कहेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी मायावती। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो बिल है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। यह बिल लोक सभा में पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस बिल को पास करने से पहले मेरी मंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि पहले महिला आरक्षण बिल में संशोधन किया जाये। उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जब आप इस विधेयक में संशोधन करके इसे पार्लियामैंट में पास कराने के लिए लायेंगे *...(व्यवधान)* अन्यथा अगर आप इसे एज इट इज ही लायेंगे तो हम इस विधेयक का विरोध करेंगे। हम चाहेंगे कि जब महिलाओं के आरक्षण का मामला आता है, तो राजनीति में बहुजन समाज की महिलायें, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की महिलायें काफी पिछड़ी हुई हैं। सही मायने में सरकार राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण का लाभ देना चाहती है तो सबसे पहले आपको इन महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था करनी होगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या करें जीरो ऑवर में ऐसा ही होता है।

...(व्यवधान)

कुमारी मायावती: तब आप इस बिल को पार्लियामैंट में प्रस्तुत करें, ऐसी मेरी रिक्वैस्ट है।

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों को साकार रूप देते हुए कुछ वर्ष पहले कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने लोकल बॉडीज, पंचायतों में, म्युनिसिपैलिटीज में महिलाओं के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था करके उनके सपनों को साकार रूप दिया था। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि यह आरक्षण पार्लियामैंट तक पहुंचना चाहिए।

उस एक-तिहाई का प्रावधान पार्लियामैंट में भी होना चाहिए। इसी लक्ष्य हेतु कल भी कांग्रेस का आन्दोलन हुआ था, डैमोन्सट्रेशन हुआ था जिसे लीडर ऑफ दी औपोजीशन ने सम्बोधित किया था। हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, अनुरोध करते हैं, मांग रखते हैं कि समन्वय स्थापित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, उत्तरदायित्व होता है। लेकिन समन्वय का बहाना लेते हुए उनकी आड़ में इस बिल के बारे में टालमटोल करें, यह हम बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए सरकार से स्पष्ट रूप से हमारी यह मांग है कि यह बिल इसी सैशन में लाया जाए, पास किया जाए ताकि महिलाओं को पार्लियामैंट में एक-तिहाई आरक्षण मिले। यह कांग्रेस की मांग है। हम इस मांग को पूरे जोर से दुबारा यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा कि आम सहमति होगी, तभी बिल लाया जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ डा. रघुवंश प्रसाद सिंह कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभी पार्टी के नेताओं की बैठक हुई थी और उसमें आम सहमति नहीं बनी...*(व्यवधान)* जब तक विधेयक में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनौरिटीज की महिलाओं का हिस्सा नहीं होगा तब तक उस विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आम सहमति लानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय, इसका कोई औचित्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ भी बनातवाला कहेंगे उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, महिला सदस्य को अपने स्थान पर बैठने के लिए कहिए।

महोदय, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण न देने का कोई औचित्य नहीं है। अत: अन्य पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, इस विषय पर सभा में पुरुष सदस्यों व महिला सदस्यों के बीच कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री ने दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में हम सभी उपस्थित थे। बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई थी और उस बैठक में इस बात पर व्यापक आम सहमति हुई थी कि विभिन्न पार्टियों को अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को शामिल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को इस निर्णय का सम्मान करना होगा। किंतु यदि सरकार फिर भी इस विधेयक पर अड़ी रहती है तो हम स्वयं को इस विधेयक से सहबद्ध नहीं कर पाएंगे। अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को समुचित आरक्षण मिले जो उनका अधिकार है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, उत्तर प्रदेश में हाल में संपन्न पंचायत चुनावों में यह बात सामने आई है कि महिला उम्मीदवारों को सबसे अधिक स्थान मिले हैं। यह हमारे देश में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक नया आयाम और एक नई दिशा है। अत: यह इस तथ्य को बताता है कि लोग महिलाओं को स्वीकार कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की राय है कि महिला आरक्षण विधेयक यथासंभव शीघ्र सभा में पेश किया जाए। हम सरकार को दोष नहीं देते क्योंकि सरकार शुरू से ही ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* पंचायत के चुनाव में पिछड़ी जाति का आरक्षण किया गया है। ...*(व्यवधान)* यह क्यों नहीं कहते कि वहां अनुसूचित जाति, बैकवर्ड क्लास को उसमें शामिल किया गया हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: श्री मुलायम सिंह यादव, आप वरिष्ठ सदस्य है ...*(व्यवधान)* यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं भी इसका विरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: यू.पी. में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति शामिल की गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह यादव उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, सरकार शुरु से ही महिला आरक्षण विधेयक को सभा में पुर:स्थापित करने के लिए उत्सुक है किंतु सभा में व्यवधान के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई है। अत: हमारी स्पष्ट राय है कि तृणमूल कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक का वर्तमान रूप में समर्थन करती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महोदया, आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। आप अनावश्यक रूप से सभा का समय बर्बाद कर रही हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय हम हमारे चुनाव घोषणा पत्र अर्थात राजग के चुनाव घोषणा पत्र में दिए गए आश्वासनों और वचनों के प्रति प्रतिबद्ध हैं ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में है और वह बिल सदन में पास हो, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। परन्तु धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन हो तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। *...(व्यवधान)*

कुमारी मायावती: धर्म के आधार पर नहीं, लेकिन जाति के आधार पर हम रिजर्वेशन चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): पिछले पांच सालों से मैं देख रहा हूं। इसी सदन में इस बिल के ऊपर हम मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को 33 परसेंट रिजर्वेशन देना चाहिए। मैं सरकार से विनती करता हूं कि आप सारे सदन के मैम्बर्स की भावनाओं का आदर करो। अभी माधवराव सिंधिया जी ने राजीव गांधी की बात की थी। मैं सारे पक्ष के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि लोक सभा के चुनाव हुए तो 33 परसेंट आपकी पार्टी ने रिजर्वेशन दिया? *...(व्यवधान)* आप बोलिये न, कितने परसेंट दिया?

श्री मुलायम सिंह यादव: बता देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: आप सब एक्सपीरिएंस छोड़कर बात न करें। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी पार्टी की खुली राय हम रख देंगे। सरकार ने बिल पेश किया। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: विधान सभा कानून बनाती है, लोक सभा कानून बनाती है, पंचायतें कानून नहीं बनाती हैं। इसमें आपको अन्तर करना चाहिए। इसको आप उसके साथ जोड़ते हो। पंचायतों में हमने अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जा, आपकी पार्टी ने महिलाओं के लिए ज्यादा सीटें दी हैं क्या?

श्री मुलायम सिंह यादव: मान्यवर, पंचायतें कानून नहीं बनाती हैं, इसमें अन्तर करना चाहिए। विधान सभाएं और लोक सभा कानून बनाती हैं, आप इसको उसके साथ जोडते हो। पंचायतों में हमने अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): महोदय, द्रमुक पार्टी की ओर से हम सरकार के कदम का समर्थन करते हैं। हमने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है और वहां पर यह पूर्णत: सफल है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): एक महिला के हाथ के नीचे काम करने में कठिनाई होती है, यह अनुभव करने के बाद भी आप यह मांग कर रहे हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है।

[अनुवाद]

श्री तिरुनावकरसू (पुडुक्कोट्टई): महोदय, एमजीआर अन्नाद्रमुक की ओर से मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को इसी सत्र में लाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। हमने भी ऐसा वचन दिया है। हमें इस विधेयक को इसी सत्र में पारित करना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): हमारी पार्टी इसे सपोर्ट करती है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह जनरल डिबेट नहीं है। आप बैठ जाइये, प्लीज।

श्री रामदास आठवले: प्रमोद महाजन जी, बिल में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज के लोगों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वरना हमारी पार्टी इसका विरोध करेगी। इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और माइनोरिटीज के लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, आप कर रहे हैं न?

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, सदस्यों को मेरी बात सुननी चाहिए। मैं इस तरह नहीं बोल सकता हूँ *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): यह गलत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे माननीय मंत्री की बात सुनें।

श्री प्रमोद महाजनः महोदय, यह सभा में सभी पक्षों द्वारा उठाया गया एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं इस संबंध में सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे सरकार के उत्तर को धैर्यपूर्वक सुने।

श्री बसुदेव आचार्यः हम धैर्यपूर्वक सुनेंगे।

श्री प्रमोद महाजनः आप धैर्यपूर्वक नहीं सुन रहे हैं। इसके कोई संकेत नहीं है। *...(व्यवधान)* आप सभी भी बोल रहे हैं। यह इसका संकेत नहीं है।

महोदय, हमने महिला आरक्षण विधेयक पहले ही इस सभा में पुरःस्थापित कर दिया है। हम इस विधेयक को इसके वर्तमान स्वरूप में ही यथासंभव शीघ्र पारित करना चाहते हैं। किंतु जैसा आपने देखा है कि इस सभा में प्रत्येक पक्ष महिला आरक्षण विधेयक को अपनी शर्तों पर पारित करवाना चाहता हूँ *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः इसे पारित करने के लिए हमने कोई शर्त नहीं रखी है। यह एक सामान्य दृष्टिकोण है *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसुः महोदय, माननीय मंत्री सभा में मतभेद पैदा कर रहे हैं *...(व्यवधान)* वे बड़ी चतुराई से हर बात को दबा रहे हैं *...(व्यवधान)* यह कोई तरीका नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजनः श्री बनातवाला कहते हैं मैं सही हूँ *...(व्यवधान)* महोदय कम से कम एक बार सही बोलना अच्छा है किंतु श्री बनातवाला बिलकुल सही नहीं हैं *...(व्यवधान)* महोदय, जैसा आपने देखा है कि विधेयक के वर्तमान स्वरूप के बारे में सभा में कोई आम सहमति नहीं है। श्री मुलायम सिंह यादव उसमें परिवर्तन चाहते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : हम आपकी बात से सहमत हैं। जब तक सर्वसम्मति नहीं बनती, तब तक यह बिल नहीं आना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुमारी मायावती कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मुलायम सिंह जी इस विधेयक में परिवर्तन चाहते हैं, मायावती जी परिवर्तन चाहती हैं, बनातवाला जी चाहते हैं, रघुवंश जी चाहते हैं, विजय जी नहीं चाहते, शिव सेना का और ही मत है। *...(व्यवधान)* आपने देखा होगा कि महिलाओं का जो आरक्षण बिल है, वह संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें दो तिहाई बहुमत से, शांति से इसे पारित करना चाहिए। जब सदन में इतने बड़े मुद्दे पर आम सहमति हो और यह शांति से पास हो जाए, तभी वह करेंगे और तभी वह ठीक हो सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है, आम सहमति होनी चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : हम राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयकों से भी सहमत नहीं थे *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : वे संविधान (संशोधन) विधेयक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, यह अलग मुद्दा है। इस समय हम महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे गंभीरता से लें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयकों को पारित करवाया है *...(व्यवधान)* क्या उनके संबंध में सभा में आम सहमति थी? अब वे आम सहमति की बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)* सरकार इस विधेयक को पारित करवाना नहीं चाहती है। सरकार ने इस विधेयक को केवल पुरः स्थापित कर दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने नहीं दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : मैं उत्तर देना चाहता हूं। वे मेरे बोलते समय इस तरह व्यवधान नहीं डाल सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार ने विधेयक पुरःस्थापित क्यों किया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं। श्री बसुदेव आचार्य क्या आप नहीं चाहते कि सरकार इस संबंध में उत्तर दे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें कि वे उत्तर न दें तो मैं उन्हें बैठने के लिए कह सकता हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : इस विधेयक को सभा के समक्ष रखा जाए। इस पर चर्चा और मतदान हो *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, श्री बसुदेव आचार्य सभा को अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। क्या यही लोकतांत्रिक प्रणाली है? वे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हर समय वे दूसरों पर अपनी राय थोपना चाहते हैं। उन्होंने एक मुद्दा उठाया और वे उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं *...(व्यवधान)* जो भी मैं कहना चाहता हूं, कह सकता हूं, यह मेरा अधिकार है*...(व्यवधान)* वे मुझे यह आदेश नहीं दे सकते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है। यदि वे मुझे यह बताना चाहते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए तो उन्हें इस पार्टी में शामिल होना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सभा में शिष्ट व्यवहार नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मेरे बोलने में हर बार इस तरह व्यवधान नहीं डाला जा सकता है, मैं बोलना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप भी पीठासीन अधिकारी रह चुके हैं।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, सरकार अपने रवैये के प्रति गंभीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप भी पीठासीन अधिकारी रह चुके हैं। कृपया इस बात को समझें। आपका व्यवहार उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : जब मैं पीठासीन अधिकारी था मैंने सरकार को एक विधेयक को सभा के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्ष सरकार को विधेयक को सभा के समक्ष रखने के लिए कह सकता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं आपकी अध्यक्षता में काम करने में खुश हूं न कि श्री पांडियन की अध्यक्षता में अन्यथा वे प्रतिदिन मुझे निर्देश देते रहेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मैं कह रहा था कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में ढेर सारे महत्वपूर्ण सुझाव विभिन्न माननीय सदस्यों ने रखे हैं। जो आज महिला विधेयक सदन के सामने पेश किया गया था, उससे भिन्न हैं। हर एक सुझाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं इस पर सरकार की ओर से टिप्पणी नहीं कर सकता कि कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है लेकिन सरकार की मंशा है कि महिलाओं को आरक्षण देना इतनी बड़ी बात है और इस पर जब तक आम सहमति निर्माण होकर, शांति से सदन काम नहीं कर सके, तब तक इस विधेयक को लाने में दिक्कत आ रही है। हमारे इरादे में कोई गलती नहीं है और यह मेरी कठिनाई है। *...(व्यवधान)* इसलिए हम यह प्रयास करेंगे कि सहमति हो और अगर नहीं हो तो फिर बहुमत या अल्पमत का फैसला देखा जाएगा लेकिन अभी तक तो सहमति का प्रयास कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): मेरा यह अनुरोध है कि एक समय और तिथि तय कर लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.37 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य, श्री पी.एच. पांडियन, श्री अमर राय प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, मैं दिल्ली के चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व करता हूं। ...*(व्यवधान)* माधवराव जी, हमें कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिला बिल के बारे में आपने जो कहा, मैं सिर्फ निवेदन करता हूं कि एक तिथि तय कर दें। उस तिथि तक आप प्रयत्न कर लें। उस तिथि तक आम राय होती है तो फिर कम से कम बिल तो लायें। ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, हम निवेदन करेंगे। हम फिर बोलेंगे। ...*(व्यवधान)* इस पर भारी आंदोलन होगा। ...*(व्यवधान)* लाखों लोग सड़कों पर आएंगे। ...*(व्यवधान)* आपने अपनी बात कह दी, हम भी बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : आप बिल तो प्रस्तुत करें। कुछ समय आप तय करके इस पर आप एक तिथि तय कर लीजिए। ...*(व्यवधान)* उस तिथि के अंदर-अंदर आम राय स्थापित करने का प्रयास करेंगे और अगर उस तिथि तक आम राय स्थापित नहीं हुई तो आप यहां बिल ले आएं और सबकी विचारधाराओं के अनुसार ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : इसमें हम जल्दी से जल्दी आम राय का प्रयत्न करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.39 बजे

(इस समय श्री माधवराव सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चांदनी चौक शहर को सरकार हैरिटेज सिटी डिक्लेअर करे। मैं उस चांदनी चौक का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है, टाउन हॉल है, ओल्ड सैक्रेटेरिएट है, रैड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, गौरी शंकर मंदिर है, गुरुद्वारा शीशगंज है, मिर्जा गालिब की हवेली है और न जाने कितनी-कितनी पुरानी हवेलियां और कितने ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थान हैं।

आज चांदनी चौक की हालत ठीक नहीं है। वहां ट्रैफिक अधिक है और जिस प्रकार से अवैध निर्माण वहां तेजी से हो रहे हैं, ऐतिहासिक इमारतें है, ऐतिहासिक शहर है, इन सब को देखते हुए सरकार इनका रख-रखाव नहीं कर रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस शहर को हैरिटेज-सिटी डिक्लेयर करे। रोम जैसे देश में वहां की जो पुरानी संस्कृति है, उसके सहारे वहां टूरिज्म का व्यापार किया जा रहा है। इसी प्रकार चांदनी चौक में हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जो पहाड़गंज क्षेत्र में होटल्स में ठहरते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार चांदनी चौक को हैरिटेज सिटी डिक्लेयर करे। जगमोहन जी अर्बन डवेलपमेंट मिनिस्टर हैं, जिन्होंने शाहजहांनाबाद का सपना देखा है। इस क्षेत्र के लिए स्पेशल फन्ड दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. एस. वेणुगोपाल (आदिलाबाद): महोदय, आपको पता होगा कि 4,34,905 रुपए के कुल योजना आवंटन में से ग्यारहवें वित्त आयोग ने ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. वेणुगोपाल, जरा बात सुनिए। यह मामला पहले ही उठाया जा चुका है और मंत्री जी भी इसका उत्तर दे चुके हैं।

डा. एस. वेणुगोपाल : महोदय, यह अति महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)* सरकार ने इसके लिए चर्चा की तारीख नियत नहीं की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में मामला पिछले सप्ताह उठाया गया था और मंत्री जी ने भी इसका उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

डा. एस. वेणुगोपाल : महोदय, कृपया इस सरकार को अनुदेश दें ...*(व्यवधान)* हमारी राज्य सरकार को पूरी तरह वंचित

रखा गया है। हम कई सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं। मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कम से कम सरकार चर्चा के लिए दिन निर्धारित कर दे। उस समय तक मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले को केबिनेट के निर्णय के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, हम सभा में भिन्न चर्चाओं हेतु दिन निर्धारित नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)* हम चर्चा हेतु यहां हैं ...*(व्यवधान)*

डा. एस. वेणुगोपाल : महोदय, कृपया आप चर्चा हेतु दिन निर्धारित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को निर्देश दें। ...*(व्यवधान)* सरकार को दिन निर्धारित करने चाहिएं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. वेणुगोपाल समय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्धारित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय अध्यक्ष महोदय, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कुछ अधिकारियों एवं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी (जेस्को) की मिलीभगत से तेल खुदाई के टैंडर के नाम पर सरकारी खजाने की लूट की गई है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा सरकारी नियमों एवं जांच-पड़ताल की समुचित प्रक्रिया की अवहेलना करके समुद्र के भीतर तेल की खुदाई के टैंडर जेस्को को देने का प्रयास किया गया है। जेस्को के पास समुद्र तटों के अन्दर तेल की खोज करने वाले बद्रीनाथ और केदारनाथ नामक दो रिंग है। बद्रीनाथ रिंग की अधिकतम खुदाई क्षमता 400 फीट है, जबकि जेस्को ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को झूठा आश्वासन दिया कि उसके पास समुद्र में 600 फीट तक ड्रिलिंग करने की क्षमता है। आयोग के अधिकारियों ने बिना इसकी जांच पड़ताल किए, इस आश्वासन को सही मान लिया। आयोग के अधिकारियों से जेस्को ने 1996 में चालाकीपूर्वक समुद्र के अन्दर अपने रिग की अवधि तीन साल तक बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली है, किन्तु उक्त कार्य में इनका संयंत्र कितना सफल रहा, इसे आई.ए.डी.सी. की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इनका संयंत्र एक वर्ष के अन्दर छः महीने नाकाम रहा और जेस्को ने आयोग से 140 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त की, जबकि उक्त कम्पनी के द्वारा संयंत्र की मरम्मत पर दस करोड़ रुपए ही व्यय किए गए। इस प्रकार करोड़ों रुपयों का घपला अधिकारियों और कम्पनी की मिली-भगत से हुआ है। मेरा निवेदन है कि इसकी खुली जांच कराकर अधिकारियों और कम्पनी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, महाराष्ट्र के नासिक जिले में बहुत से दर्शनीय और प्रेक्षणीय स्थल हैं, जैसे सप्त-सरूंगढ़, तहसील कारवड़, हादगढ़ तहसील सापुनार, करंजी तहसील डिंडोरी, दावलेश्कर तहसील त्रम्बकेश्वर, त्रम्बकेश्वर तहसील त्रम्बकेशकर आदि। मेरा सरकार से आग्रह है कि इन क्षेत्रों को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेवली में लिगनाइट पर रायल्टी में वृद्धि के मामले पर उच्चस्तरीय चर्चाओं और स्मरणपत्र दिये जाने के बावजूद इस मामले पर कोयला मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है।

महोदय, तमिलनाडु में नेवली में लिगनाइट पर रायल्टी वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा ग्रुप-5 कोयला अर्थात गैर कोकिंग कोल की मान्य दरों पर निर्धरित किया गया था। ग्रेड एफ और जी, और लिगनाइट कोल हेतु दरें 2.50 रु. प्रति मीट्रिक टन पर निर्धारित की गई थी। इसके बाद ग्रुप-5 कोल की रायल्टी अक्तूबर 1994 में 50 रु. मीट्रिक टन बढ़ाई गई थी। तथापि लिगनाइट कोल पर रायल्टी अभी संशोधित की जानी है। नियमों के अनुसार वृहत खनिजों पर रायल्टी का संशोधन तीन वर्षों में एक बार निर्धारित किया जाना चाहिए। यह 1997 से देय है।

डा. कालिंगर के सक्षम नेतृत्व के अधीन तमिलनाडु सरकार दलितों और गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी उपाय क्रियान्वित कर रही है। तमिलनाडु सरकार के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए मैं सरकार से लिगनाइट की रायल्टी निर्धारित करने का अनुरोध करता हूं ताकि भुगतान किया जा सके। नेवली लिगनाइट निगम लगभग 400 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष लाभ अर्जित कर रहा है। भारत सरकार को रायल्टी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। निगम स्वयं उसका भुगतान कर सकता है। अतः मैं माननीय प्रधान मंत्री के साथ-साथ कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह हस्तक्षेप करे और देखे कि रायल्टी में वृद्धि की जाए और बकायों का भुगतान भूतलक्षी प्रभाव से तुरन्त किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय *...

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरयिंकिल): महोदय, मैं केरल हाइटेक इंडस्ट्रीज लि. (केलटेक) से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूं।

अपराह्न 12.49 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

वे आई.एस.आर. ओ. और डी.आर.डी.ओ. के लिए हार्डवेयर का उत्पादन करते है कम्पनी घाटे में चल रही है। राज्य सरकार और केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच कुछ बातचीत हुई थी। सहमति हुई थी कि इसके पुनरुज्जीवन के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा "केलटेक" को 10 करोड़ रुपए अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा और शेष केरल सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। केरल सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है लेकिन रक्षा मंत्रालय से उसका हिस्सा अभी मिलना बाकी है। मैं समझता हूं कि यह मामला केबिनेट के पास अभी लंबित पड़ा है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर विचार करे। कृपया इस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए ताकि अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई को बिना किसी कठिनाई के पुनरुज्जीवित किया जा सके। मैं यथा शीघ्र सरकार के हस्तक्षेप के लिए अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि देश के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जायेगी। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी बिहार राज्य के रोहतास जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना नहीं की गयी है। जिसका नतीजा यह है कि जिले के मेधावी और गरीब छात्रों को जिले से बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि रोहताश जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कालेजों से अलग की जानी चाहिए और स्कूलों को दी जानी चाहिए। लेकिन यह कुछ राज्यों में क्रियान्वित नहीं की जा रही है।

हाल ही में इसे केरल में क्रियान्वित किया गया था। लेकिन क्रियान्वयन की प्रक्रिया में, वहां पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार पाया गया है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि क्रियान्वयन की प्रक्रिया, जिसे सरकार द्वारा अपनाया गया है, इस प्रकार की है कि यह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है और इसे बिना किसी उचित प्रक्रिया के मनमाने ढंग से किया गया है।

अत: महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है जिससे भारत में विद्यार्थियों की शिक्षा का सम्बन्ध है चूंकि यह नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के बारे में है, मैं अनुरोध करूंगा कि पनपे हुए इस भ्रष्टाचार के महान अभियोग की भारत सरकार के दल द्वारा जांच कराई जाए जो स्कूलों से निम्नतम स्तर तक पहुंच गई है।

महोदय, इस मामले के सम्बन्ध में केरल में काफी आन्दोलन चल रहा है और केरल सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और उसने इस मामले की न्यायिक आयोग द्वारा जांच कराने की मांग को भी स्वीकार नहीं किया है।

अत: महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि यदि केरल सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करने जा रही है तो भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। ...*(व्यवधान)* मैं स्वयं को जो श्री थामस ने कहा है उसके साथ सम्बद्ध करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, मैं भी स्वयं को जो श्री थामस ने कहा है उसके साथ सम्बद्ध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, तीन नये राज्यों के बन जाने के बाद अब राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थानी भाषा सर्वत्र हिंदुस्तान में बोली जाती है। करोड़ों लोग उसे बोलते हैं। भारत के हर प्रांत में राजस्थानी लोग हैं। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय पिछले गुरूवार 3 अगस्त, 2000 को रात 10.00 बजे दूरदर्शन में प्रसारित कार्यक्रम "आज तक" में दर्शाया गया था कि उड़ीसा में देवगढ़ जिले में एक दम्पति ने गरीबी से तंग आकर अपने बच्चे बेच डाले लेकिन महोदय यह अत्यन्त गुमराह करने वाली और आधारहीन सूचना है जिसे दूरदर्शन

के मैट्रो चैनल में प्रसारित किया गया है यह मनगढ़न्त जानकारी है।

तत्पश्चात् ''संकेत'' नामक अन्य उड़िया निर्माता ने भी उस स्थान का दौरा किया। वहां उसने पाया कि वह दम्पत्ति अपने बच्चे सहित मौसेरे ससुर के घर गया था जहां उस बच्चे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई उन्होंने मृत शरीर को वहां जला दिया और अपने गांव वापिस आ गए।

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से अपील करता हूं कि वे मामले की छानबीन करें और इस कार्यक्रम के निर्माता के खिलाफ उचित कार्यवाही करें ताकि इससे उड़ीसा का नाम बदनाम न हो।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एन.टी.सी. मिलों में कार्यरत कर्मकारों के दिल में घबराहट पैदा हो गई है। अखबारों में यह बयान आ रहा है कि एन.टी.सी. की 119 मिलों में से 100 बंद होने जा रही हैं। मेरे क्षेत्र मुम्बई में ऐसी 18 मिलें हैं और केन्द्रीय मंत्री श्री जोशी के क्षेत्र में 7 मिलें हैं। सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि कितनी मिलें बंद होने वाली हैं। सरकार कितनी जमीन बेचने जा रही है और उनसे कितना पैसा मिलने वाला है? उसमें जितना पैसा मिलेगा, वह मुम्बई की एन.टी.सी. मिल के वर्कर्स को मिलना चाहिये। देशभर में 82,113 एन.टी.सी. कर्मचारी हैं जिनमें मुम्बई में 28,828 कर्मकार हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह उनमें से कितने कर्मचारी कम करने जा रही है। इस सदन में उन मिलों के माडर्नाइजेशन के बारे में आश्वासन दिया गया था। इस हेतु कहा गया था कि एन.टी.सी. वर्कर्स को रॉ-मैटीरियल, कपास और वर्किंग कैपिटल देंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार यह सब क्यों नहीं दे रही है। सरकार की इस बारे में जो भी नीति हो, वह स्पष्ट होनी चाहिये। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस बारे में अपना बयान दे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): उपाध्यक्ष महोदय, श्री रावले जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह गंभीर तथा महत्व का है। मैं उनकी बात वस्त्र उद्योग मंत्री तक पहुंचा दूंगा। इस संबंध में टैक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई है। मैं श्री रावले जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बात की चर्चा उनसे भी करें।

श्री मोहनभाई एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): उपाध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दियू सब केन्द्र प्रशासित प्रदेश हैं जिन्हें स्टेटहुड का दर्जा दिये जाने के लिये सरकार को एक बिल लोक सभा में लाना चाहिये। देश में लोकतंत्र का सिस्टम है और लोगों के चुने हुये प्रतिनिधि भारत सरकार में चीफ एक्सीक्यूटिव होते हैं लेकिन जहां तक यूनियन टैरिटौरीज़ का प्रश्न है, वहां चुने हुये लोगों को यह अधिकार नहीं है। ये हिस्से भारत देश से एक अलग हिस्से की तरह रह रहे हैं। वहां के लोगों की भी यह भावना है कि वे सब अपने आपको इस सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाये जाने के लिये ऐतिहासिक बिल लाई है, मैं मांग करता हूं कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुये केन्द्र प्रशासित राज्यों - लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन तथा दियू के लिये भी उसी प्रकार का बिल लेकर आये। लोग चाहते हैं कि वे भी उसी सिस्टम से जुड़ें। जिस प्रकार से उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा आन्दोलन हुआ, क्या आप हम लोगों को मजबूर करेंगे कि वे भी उसी आन्दोलन के मार्ग पर जायें।

अपराह्न 1.00 बजे

उन लोगों के आंदोलन के मार्ग पर आने से पहले भारत सरकार को इस बात को समझना चाहिए तथा इस बारे में तुरंत बिल लाकर जो हमारे देश में लोकशाही का सिस्टम है, उस सिस्टम को सारी यूनियन टैरिटरीज में लागू करना चाहिए। इसलिए इस बारे में एक बिल सरकार को तुरंत लोक सभा में लाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पीने के पानी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जाधव को बुलाया है, आप बीच में इंटरप्ट मत करिये। आप बिना परमीशन के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद बहुत दिनों से लम्बित पड़ा है। बेलगाम-कारावाड़ के लोग इस सीमा विवाद में फंसे हुए हैं, जो बहुत परेशान हैं। बेलगाम में खास तौर से मराठी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इस विवाद का अभी तक फैसला नहीं हुआ है, यह मामला अभी तक लम्बित पड़ा हुआ है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन इस बारे में केन्द्र सरकार पूरी तरह से उदासीन है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से इतनी ही मांग करना चाहता हूं कि जो इतने दिनों से लम्बित विवाद है, जिसके लिए लोग धरने दे रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, मोर्चे पर जा रहे हैं। जब हम 11वीं लोक सभा में थे, तब भी जन्तर-मन्तर पर धरने दिये गये थे और मोर्चे भी हुए थे। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : सर, यह बहुत गंभीर मामला है, मुम्बई में 69 लोग इसके लिए आंदोलन करते हुए मारे गये हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जाधव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार उदासीनता छोड़कर जल्दी से जल्दी इस विवाद को हल करने का प्रयास करे, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

अपराह्न 1.01 बजे

पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक+

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) अधिनियम 1994 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : महोदय मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.06 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे पुन: समवेत हुई।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए]*

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर की जनता पिछले कई वर्षों से रेलवे क्रासिंग पर पुल निर्माण की मांग कर रही है, खास तौर से औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय फैशसाबनी का पुल, मण्डोर कृषि मंडी का पुल, भरवासिया फाटक का पुल, पावटा रसाला रोड का पुल एवं कल्याण सिंह की प्याऊ के पास जयपुर रोड का पुल, उपरोक्त पांचों पुल जनहित में शीघ्र ही बनाना अति आवश्यक है क्योंकि उपरोक्त रेलवे क्रासिंग पर गाड़ियों का आना जाना रहता है तथा ज्यादा ट्रैफिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

+भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2, दिनांक 10.8.2000 में प्रकाशित।

[श्री जसंवत सिंह बिश्नोई]

होने से कई घंटों तक रास्ता जाम हो जाता है जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यातायात अवरुद्ध होने से कई बार गंभीर रूप से घायल एवं बीमार व्यक्ति रास्ते में मर जाते हैं।

मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उपरोक्त पुल जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही बनवाया जाये।

(दो) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत गंगा नदी को प्रदूषण रहित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): सभापति जी, गंगा एक्शन प्लान का प्रारंभ देश के प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था तथा इसके लिए अरबों रुपये आबंटित किए थे। आज तक अरबों रुपये खर्च होने के बाद गंगा शुद्ध होने की बजाए अधिक प्रदूषित हो गयी है। आज भी नगरों का फैक्ट्रियों का विषाक्त जल गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार गंगा एक्शन प्लान का फेस 1 पूरा हो चुका है। सरकार फेस 2 प्रारंभ करने जा रही है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि फेस 1 में भारी अनियमितताएं हुई हैं तथा गंगा के प्रदूषण में कोई कमी नहीं हुई है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि फेस 2 प्रारंभ करने से पहले फेस 1 में किए गए कार्यों की पूर्ण समीक्षा की जाए तथा इसकी उपलब्धियों/अनियमितताओं से देश को अवगत कराया जाये। साथ ही फेस 2 में गंगा को शुद्ध करने के लिए ठोस तथा वास्तविक कार्यवाही की जाए और चरणबद्ध तरीके से गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए तथा फेस 1 में अनियमितता करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुकरणीय दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

(तीन) उत्तरी बंगाल का चहुँमुखी विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, संपूर्ण उत्तरी बंगाल में औद्योगिक विकास नगण्य है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना से उत्तरी बंगाल में कृषि विपणन नेटवर्क सहित बुनियादी औद्योगिक अवसंरचना में स्थिरता नहीं आ सकी है, प्राथमिक अध्यापकों के कुछ सीमित पदों और गांवों की मंडी में छिटपुट व्यापार के सिवाय बेरोजगारी बढ़ रही है।

वहां पर युवा बेरोजगारों के गुजारे के लिए कुछ भी नहीं है। शिक्षित बेरोजगार युवा, अशिक्षित लोग और कार्यरत युवा अपने गुजारे के लिए किसी भी प्रकार के कार्य की तलाश में उत्तर भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। श्रीलंका से चाय का आयात किये जाने के कारण उत्तरी बंगाल का चाय उद्योग पतनोन्मुखी हो गया है और बैंकिंग उद्योग चाय उद्योग की व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहा है। पटसन उत्पादक लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की नगण्य के बराबर बनाए जा रहे हैं।

उत्तरी बंगाल के गांवों का विद्युतीकरण न होने के मद्देनजर भूटान की चूका जल विद्युत परियोजना से उत्तरी बंगाल को बिजली पारेषित की जा रही है। तिस्ता नहर परियोजना कब तक पूरी की जाएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अत: मेरी मांग है कि उत्तरी बंगाल के विकास में कमियों और आर्थिक असंतुलन का शीघ्र पता लगाने के लिए योजना आयोग को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संपूर्ण उत्तरी बंगाल में राजबंशी अनुसूचित जाति को अपनी भाषा के विकास और अपनी सामाजिक-आर्थिक पहचान के संरक्षण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिक तरजीह दी जानी चाहिए। उत्तरी बंगाल में संसाधनों की कमी के कारण इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों को भी जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम के लाभों से वंचित रखा गया है। दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद को राज्य सरकार के माध्यम के बजाए सीधे केन्द्र से योजना सहायता मिलनी चाहिए।

(चार) केरल में त्रिवेन्द्रम और अंगमाली के बीच 'सेन्ट्रल रोड' को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री जार्ज ईडन (एर्णाकुलम): केरल में 'मेन सेन्ट्रल रोड' एक महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क त्रिवेन्द्रम से अंगमाली तक है। यह सड़क त्रिवेन्द्रम, क्विलोन, एलप्पी, पथनम्थिट्टा, कोट्टायम और एर्णाकुलम जिलों से होकर गुजरती हैं। चूँकि राज्य में वाहनों के आवागमन में तेजी से वृद्धि हो रही है और सड़क सुविधाएं कम हैं अत: 'मेन सेन्ट्रल रोड' को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बदलने की अत्यावश्यकता है।

अच्छी सड़कों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण राज्य के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह पता चला है कि समुचित विकास के लिए केन्द्र सरकार नई सड़कों के निर्माण में अधिक धन निवेश करने जा रही है।

अत: मैं जल भूतल परिवहन मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे 'मेन सेन्ट्रल रोड' को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने की मांग पर विचार करें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो रिकार्ड में है। वही प्रोसिडिंग का पार्ट बनेगा।

(पांच) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर यूनिट, पश्चिम बंगाल के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): पश्चिम बंगाल और पूर्वी क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार को हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की दुर्गापुर इकाई के पुनरुज्जीवन के लिए आगे आना चाहिए और इस संबंध में सभा को आश्वासन देना चाहिए। राज्य में यूरिया की मांग प्रतिवर्ष 10 लाख टन से कुछ अधिक है। जून 1997 से दुर्गापुर इकाई में उत्पादन बंद होने के बाद राज्य यूरिया की बाहर से आपूर्ति पर निर्भर हो गया है। हल्दिया संयंत्र को चलने नहीं दिया गया। अब ये दोनों संयंत्रों और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बिहार स्थित बरौनी संयंत्र और असम स्थित नामरूप संयंत्र को 1992 से औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप रखा है।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल में उर्वरक की औसत खपत 120 किग्रा प्रति हैक्टेयर है जबकि राष्ट्रीय औसत 90 किग्रा. प्रति हैक्टेयर है। जहां तक उर्वरकों की मांग का संबंध है पश्चिम बंगाल का देश में छठा स्थान है। उर्वरकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मात्रा में अतिरिक्त उर्वरकों की आवश्यकता है पश्चिम बंगाल में उसके 16 प्रतिशत की खपत है और इस संबंध में पश्चिम बंगाल का देश में चौथा स्थान है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि उर्वरक संयंत्रों के कुशल व अर्थक्षम संचालन के लिए इन संयंत्रों को नेफ्था और तेल से चलाने के बजाय प्राकृतिक गैस से चलाया जाए।

प्राकृतिक गैस को निर्यात के लिए द्रवित प्राकृतिक गैस में बदलने के लिए विकसित किए जा रहे प्रमुख गैस भंडार उत्तर-पश्चिम आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और खाड़ी तट के देशों अर्थात ओमान, कतर आदि देशों में है।

गैस के स्रोत की पहचान करने में एक पहलू टर्मिनल की स्थिति है। इंडोनेशिया, मलेशिया और आस्ट्रेलिया से गैस की आपूर्ति के लिए पूर्वी तट स्थित कोई भी टर्मिनल अच्छा रहेगा क्योंकि इससे परिवहन में कम समय लगेगा और लागत भी कम होगी। हल्दिया के निकट पूर्वी तट स्थित टर्मिनल से अन्तर्देशीय उवरक संयंत्रों जैसे दुर्गापुर, हल्दिया, बरौनी, सिन्दरी, गोरखपुर और अन्य संयंत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है।

मैं केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूँ कि दुर्गापुर इकाई में उत्पादन शीघ्र शुरू हो और अन्य इकाइयों को पुनरुज्जीवित किया जाए।

(छः) तमिलनाडु में कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जोलार पेट्टई और होसूर के बीच एक नई बड़ी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. वेत्रीसेलवन (कृष्णागिरि): महोदय, जोलारपेट्टई और होसूर के बीच एक नई बड़ी लाइन बिछाने के लिए आरंभिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण की स्वीकृति दी गई और सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण के दिसम्बर, 2000 तक पूरा होने की आशा है।

यह प्रस्तावित रेल लाइन कृष्णागिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छः क्षेत्रों अर्थात बारगुर, कृष्णागिरि, बालाकोड, कावेरी पट्टीनम, ओजूर और तल्ली से होकर गुजरेगी। शैक्षिक, कृषि और औद्योगिक विकास के कारण अनेक लोग इस मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। इस रेलवे लाइन से लोग बंगलौर आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यह इस क्षेत्र की जनता की दीर्घकाल से लम्बित मांग है। यही नहीं यह रेलवे लाइन ब्रिटिश शासन के दौरान उपयोग में थी।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि सर्वेक्षण कार्य को शीघ्रता से पूरा करवाये और निर्माण कार्य अविलम्ब शुरु करवाएं।

(सात) कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): महोदय, कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का आधुनिकीकरण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता है।

कलकत्ता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का उद्घाटन नेताजी के शताब्दी वर्ष में जनवरी, 1997 में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने किया था।

विमानपत्तन का घरेलू खंड नवनिर्मित है और इसमें एयरोब्रिज, इलेवेटर और एस्केलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। उस समय से हम सुन रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खंड का भी आधुनिकीकरण और पुनर्गठन किया जा रहा है। उस समय से लगभग चार वर्ष बीत गए है। किंतु एयरोब्रिज न होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को दूर उतरना पड़ता है और अप्रवासन कार्यालय बस

[श्रीमती कृष्णा बोस]

लेकर पहुंचते हैं। अप्रवासन कार्यालय में भी स्थान बहुत कम है। प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों की लम्बी कतारें लगी होती हैं। वहां पर एक कन्वेयर बेल्ट है और यात्रियों को अपने सामान की जांच कराने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

मैं नागर विमानन मंत्री से आग्रह करता हूँ कि वे इस मामले पर गौर करें और यह सुनिश्चित करें कि कार्य शीघ्रता से किया जाए और अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलें।

(आठ) उत्तर प्रदेश के इटावा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहासों में चम्बल नदी पर पुल के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): सभापति जी, केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत इटावा के सहासों में चम्बल नदी पर पुल निर्माण धन के अभाव में कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क करने पर कहा गया कि केन्द्र सरकार जब तक धनराशि उपलब्ध नहीं करायेगी कार्य पूरा नहीं हो पायेगा। क्षेत्र की जनता में इस पुल के निर्माण में विलम्ब होने से आक्रोश व्याप्त है।

अत: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जीं से कहना चाहूंगा कि मानवीय आधार पर शीघ्र पुल के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश जारी करने तथा धन उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे क्षेत्र की जनता को राहत मिले।

अपराह्न 2.20 बजे

भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 9-भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार करेगी। माननीय मंत्री बोलेंगे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992, 31 जुलाई 1993 से प्रवृत्त हुआ। भारतीय पुनर्वास परिषद के मुख्य कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण, संपूर्ण देश में सभी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के मानकों का नियमितीकरण, पारस्परिक आधार पर देश में और देश के बाहर संस्थानों/विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को मान्यता देना और पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त अर्हता धारक वृत्तिकों के लिए केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखना है।

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुभवों से अधिनियम के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी व व्यापक बनाने और इसे नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम के संगत बनाने की दृष्टि से कतिपय संशोधन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। हमने पुनर्वास में अनुसंधान को बढ़ावा देने और इसकी परिधि में विशेष शिक्षा लाकर भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यकलापों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया है।

मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सदस्यों की आभारी हूं। जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए और इस विधेयक को समर्थन दिया। हमने विधि मंत्रालय (विधायी विभाग) के साथ परामर्श कर "विशेष शिक्षा" की परिभाषा को विधेयक में शामिल करने के बारे में इस सम्माननीय समिति के सुझाव पर विचार किया। हमें सलाह दी गई कि "विशेष शिक्षा" अभिव्यक्ति को केवल विधेयक के पूरे नाम में स्थान दिया गया है और भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष की अर्हताओं के संदर्भ में प्रयोग किया गया है और यह सर्वविदित और ज्ञात अभिव्यक्ति है अत: हमने परिभाषाओं से संबंधित खंड 3 में "विशेष शिक्षा" अभिव्यक्ति की परिभाषा शामिल करना आवश्यक नहीं समझा।

मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करती हूँ।

मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की थी इसका प्रारूप बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। मेरे विचार से इस पर विचार किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, प्रारंभ में, मैं कहना चाहता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में हमने निर्णय लिया था कि हम इसे एक घंटे में पारित करेंगे। यदि संसद, जोकि देश का सबसे बड़ा मंच है, विकलांगों के पुनर्वास के मुद्दे पर चर्चा करने का एकदम ही विचार नहीं रखती, तो मेरे विचार से हम उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति और भी अन्याय और आक्षेप करेंगे। इसलिए, मैं सरकार द्वारा प्रस्तावित और माननीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी की पहल पर लाए गए संशोधन का समर्थन करता हूँ।

मैं केवल दो या तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डालूँगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं। यह संकल्पना एक कानून की संकल्पना मात्र नहीं है बल्कि यह मानवीय संवेदना और देश के मूल्यों की संकल्पना है। कोई भी कानून अपंगों के भाग्य, भविष्य और विकलांगों के पुनर्वास की प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकता-चाहे कोई भी परिभाषा हम दें। केवल सामाजिक जागरूकता अभियान ही समाज को सुदृढ़ करता है। मेरे विचार से, माननीय मंत्री जी सुधार करेंगे यदि मैं गलत हूं। हाल की जनगणना में यह बताया गया था कि अभी पूरे विश्व में सर्वाधिक विकलांग जनसंख्या हमारे देश में ही है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होने के कारण इन लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। मुझे कहते हुए शर्म आती है कि एक नागरिक और एक ऐसा व्यक्ति होते हुए जो सार्वजनिक जीवन में है, सही शब्दों में, हम उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते। जैसी वे हमसे और समाज से अपेक्षा करते हैं।

महोदय, आप विश्व के किसी भी हिस्से में जाएँ। यहाँ कि एशिया के छोटे राष्ट्रों में भी आप जाएं, उनके लिए बस में, ट्रेन में, सभी जगह प्रवेश द्वार के पास एक सीट आरक्षित होती है। भारत में ऐसा अब तक नहीं किया गया है। हमारे देश की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इस मुद्दे को बिल्कुल महत्व नहीं देती। घंटों तक बिना किसी की सहायता के वे बस खड़े रहते हैं, जब तक कि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं कहता। वर्तमान परिवहन प्रणाली में उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। यही मेरा प्रथम मुद्दा है।

दूसरे, मेरा उनसे यह सुझाव है कि वे इस मामले में क्रांतिकारी रूप से सामने आ सकती हैं। हम निर्वाचित सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रतिदिन इस प्रकार के लोगों से बड़ी संख्या में मिलते हैं। महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि दो प्रकार के मामले हैं। दस या ग्यारह अथवा पन्द्रह वर्ष पहले देश में विशेषकर गांवों में पोलियो से बचाव के लिए समग्र प्रतिरक्षा कार्यक्रम नहीं था। इसके कारण, वहाँ ऐसे समुदाय, समूह, गाँव मौजूद हैं जहां प्रत्येक परिवार में दो या तीन शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं। निश्चित ही, वहाँ बड़ी उम्र के लड़के और लड़कियाँ हैं और पुनर्वास प्रक्रिया तथ्यात्मक रूप से शून्य ही है। इसका संबंध शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से है।

माननीय मंत्री जी, यदि आप दमदम रेलवे स्टेशन के निकट बंग्या उन्माद आश्रम नामक स्थान पर जाएंगे तो आप वहाँ भयंकर स्थिति पाएंगे और आप देख सकते हैं कि सहवासियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। यदि वे भोजन करना चाहें भी तो वे अपनी भूख को व्यक्त नहीं कर सकते। मैंने एक स्थानीय शिकायत मिलने पर एक निरीक्षण में देखा है कि जो लोग वहाँ लगे हुए हैं, वे मानसिक रूप से अपंग लोगों के लिए तैयार किया गया भोजन खा जाते हैं। भोजन के समय के दौरान, जब वे चिल्लाते हैं और जब वे अपनी भूख को व्यक्त नहीं कर सकते। तब उनके बचाव के लिए कोई भी नहीं आता है। जिन लोगों को वहाँ तैनात किया जाता है, उन्हें उनमें अच्छी भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वे सिर्फ अपने वेतन के लिए ही कार्य करें। उनमें मानवीय हृदय भी होना चाहिए। आश्रमों में रह रहे मानसिक रूप से अपंग लोगों से इस प्रकार का क्रूर व्यवहार किया जाता है।

मैं तीसरा उदाहरण दूँगा। हाल में यह खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश नेत्रहीन विद्यालय में क्या हुआ। यह समाचार-पत्रों की एक सनसनीखेज खबर थी कि कैसे उनका उत्पीड़न किया जाता है, कैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। उनमें से कुछ का तो यौन शोषण भी किया गया था। इन बातों से समाज में समस्याएं बढ़ती हैं।

पांच वर्ष पहले, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, कुमारी ममता बनर्जी और मैं शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान शिविरों का आयोजन किया करते थे। यह एक सकल आयोजन साबित हुआ। चिकित्सकों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का पहचान कर लिए जाने के पश्चात् तब उन्हें कृत्रिम अंग, कुर्सियाँ, बैसाखी एवं हर प्रकार का स्नेह दिया जाता है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई योजना बना सकती हैं ताकि लोक सभा के संसद सदस्य साल में एक बार एक पहचान शिविर का आयोजन करें? इस संबंध में, समाज कल्याण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश होने चाहिएं। जन प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित पहचान शिविरों में, समाज कल्याण मंत्रालय को पूरी सहायता और सहयोग देना चाहिए। इस प्रकार के पहचान शिविरों का वर्ष में एक बार आयोजन किया जाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इसका आयोजन वर्ष में एक बार से ज्यादा किया जाना चाहिए। राजस्थान में अप्रैल; पश्चिम बंगाल में मई; और गुजरात में जून इस प्रकार से किया जा सकता है। आप इस प्रकार की योजना तैयार करें। इसका प्रबंध जन प्रतिनिधियों की पूरी भागीदारी के साथ किया जाना चाहिए, और संबंधित क्षेत्र की

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जनता के साथ हम और सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू कर सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को यह भी सुझाव दूँगा कि मंत्रालय ऐसी स्वयंसेवी संगठनों को सूचीबद्ध करे जो अपने प्रयोजनों के लिए निधियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय को प्रत्येक राज्य के संबंधित जिलों में स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकलाप के क्षेत्रों का विभाजन करना चाहिए। प्रत्येक माह के बाद मानिटरिंग रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए जिससे यह पता चल सके कि वे किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और भविष्य में कैसे कार्य करेंगे।

अब, पुनर्वास केन्द्रों का बात करता हूँ। भारत में कितने पुनर्वास केन्द्र हैं? हम रक्षा मंत्रालय के लिए बजटीय सहायता की मांग करते हैं। निश्चित ही हम रक्षा की बात करते हैं, और हम सभी अन्य विभागों की बात करते हैं। परन्तु संसद में, हम कभी इसकी चर्चा नहीं करते कि वित्त मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम, इस मंत्रालय को पर्याप्त बजटीय सहायता दी जानी चाहिए। हम इसकी बात तो कभी नहीं करते। यदि संभव हो, तो मंत्री महोदय मंत्रिमंडल की बैठक में यह मांग कर सकती हैं। मंत्री महोदय भारत के लगभग सभी जिलों अथवा कुछ नोडल जिलों में पुनर्वास केन्द्रों के विस्तार कार्यक्रम हेतु विशेष कोष गठित कर सकती हैं। हमें कुछ नोडल जिलों का चयन करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि समस्त उत्तरी बंगाल में शारीरिक रूप से विकलांग किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए पुनर्वास केन्द्र तक पहुँचाने का हमारे पास कोई अवसर नहीं है। अब, सिलीगुड़ी में कुछ कृत्रिम अंग बड़ी कठिनाई से निर्मित किये जाते हैं। बड़े दुःख की बात है कि उन्हें कृत्रिम अंगों को प्राप्त करने के लिए थोड़ी-बहुत घूस भी देनी पड़ती है। हमें उन्हें कृत्रिम अंगों को प्राप्त करने के लिए वहाँ भेजना पड़ता है। पहले, हम उन्हें पूणे या राजस्थान या भारत के किसी अन्य हिस्से में भेजा करते थे। अब, यह स्थिति रोज सामने आ रही है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि और अधिक बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव करें। ऐसे स्वयंसेवी संगठन जिनकी साख है, को शामिल करें और उन्हें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष योजना सुपुर्द करें जिसकी नियमित लेखा परीक्षा हो। तब, उसकी जाँच होनी चाहिए। यदि आप इस जाँच प्रक्रिया में हमें शामिल करते हैं तो हम बड़ी खुशी के साथ थोड़ा बहुत खर्च भी करेंगे और मेरे विचार में पूरी संसद इस मुद्दे पर सहमत होगी। दुर्भाग्यवश, जहां भारत में विकलांग व्यक्तियों की सर्वाधिक जनसंख्या है वहां इस देश में जागरूकता अभियान न्यूनतम है।

मेरे विचार में, पूरी संसद मेरे सुझावों से सहमत होगी। यदि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, तो मेरे विचार से, इस संशोधन के प्रयोजन का महत्व और भी बढ़ेगा। हम अपने उद्देश्यों को बिना किसी समस्या के प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. संजय पासवान (नवादा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार और जागरुक मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि जो संशोधन पहले होना चाहिए था, वह बाद में हो रहा है, लेकिन समय पर हो रहा है। जिस उद्देश्य से पुनर्वास परिषद का गठन किया गया था, निश्चित तौर से अपनी सीमाओं में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो इसके लक्ष्य थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया गया, मगर बीच में कई कानून बदले गए, विकलांगता की परिभाषा बदली गई। इस कारण इस परिषद को चलाने में दिक्कतें आ रही थीं। आज उन तमाम परिवर्तनों को करके, मेनका जी ने जो काम किया है, उससे सही मायने में, यह परिषद् आगे बढ़ेगी।

महोदय, "पुनर्वास" शब्द बहुत व्यापक है। हम लोग बिहार में, अपने राज्य में पुनर्वास को सुनते थे, जिसको रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कहते हैं। रिलीफ जो फ्लड के बाद होता था या फिर पुनर्वास विस्थापितों का होता था। निश्चित रूप से यह बीमार से संबंधित है, रोगी से संबंधित है, विकलांग से संबंधित है, यह हैल्थ विभाग का मैटर है और वर्तमान में यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में आता है। इसलिए हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि इस मुद्दे पर स्वास्थ्य विभाग, श्रम मंत्रालय, एच.आर.डी. का जो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय है और ट्राइबल अफेयर्स है, उनको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए क्योंकि जो विकलांगता होती है वह समाज के कमजोर वर्ग में होती है और उसमें भी जो महिला और बच्चे होते हैं, उन पर इसका ज्यादा अटैक होता है।

सभापति महोदय, जैसा बिल में कहा गया है कि कल्याण, स्वास्थ्य और वित्त विभाग से इसमें सदस्य बनाने की व्यवस्था की गई है, हम चाहेंगे कि श्रम मंत्रालय का भी एक सदस्य रखा जाये, ट्राइबल अफेयर्स का भी एक सदस्य रखा जाए और एक सदस्य एच.आर.डी. मिनिस्ट्री से रखा जाए। निश्चित रूप से पुनर्वास का जो मतलब है, इसका बड़ा भारी मतलब होता है, बड़ी भारी केनोटेशन्स होती हैं।

महोदय, इसमें एक रजिस्टर बनाने की बात कही गई है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सेंट्रल रेगुलेशन के लिए रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। जो देहातों में पुराने लोग हैं, जिन्होंने किसी स्कूल, कॉलेज या किसी विश्वविद्यालय से डिग्री नहीं ली है, जो पुराने लोग हैं, जो अपने वर्षों के अनुभव से काम करते हैं, बहुत से लोग टूटी हुई हड्डी को एकदम जोड़ देते हैं, इस प्रकार से कई

हुनरमंद लोग होते हैं, लेकिन उनको कहीं रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता था। परन्तु हम चाहेंगे कि उनको अब इस संशोधन के बाद रजिस्टर में शामिल किया जाएगा। जो पुश्तैनी और खानदानी पेशे के लोग हैं जो वर्षों से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास किसी प्रकार की डिग्री नहीं है, उनको भी इस रजिस्टर में शामिल किया जाना चाहिए, यह अच्छी बात की जा सकती है। हम चाहेंगे कि इस रजिस्टर में उनको एज ए रिहैबिलिटेशन प्रैक्टिशनर के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। उनका भी इन्वाल्वमेंट हो, उनका रजिस्ट्रेशन हो, यह हम चाहेंगे।

सभापति महोदय, अभी यह प्योरली डॉक्टर्स के एम्बिट में आता है। जब भी आर.सी.आई. की बात होती है, तो आर.सी.आई. में हमेशा डॉक्टरों की बात की जाती है। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आर.सी.आई. का मैम्बर बनना है, कौन लोग उसमें थे, डाक्टर लोग उसमें थे। इस प्रकार से डॉक्टरों की जो एक मौनोपोली है, एकाधिकार बना हुआ है, यह टूटना चाहिए। यह ठीक है कि इसमें डॉक्टर का काम होता है, लेकिन इसके बावजूद हम यह चाहेंगे कि पुनर्वास शब्द के साथ अगर न्याय करना है, तो डाक्टर भी होने चाहिएं, लेकिन डाक्टरों के अलावा भी जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उन्हें इसमें जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पुनर्वास शब्द को, ढंग से और ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए और केवल हैल्थ विभाग या सामाजिक न्याय या कल्याण विभाग तक ही समेट कर न रखा जाए बल्कि इसको जितने भी संबंधित विभाग हैं उनसे सलाह-मशविरा करके, राय करके, उन सभी की भागीदारी करके, इस शब्द के प्रति न्याय होना चाहिए।

इसलिए मैं, अपने स्तर से, अपनी ओर से माननीय मंत्री जी और इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि वे एक बहुत महत्वपूर्ण बिल लेकर आई हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। हमें विश्वास है कि इस बिल के पास होने के बाद से नए आयाम पैदा होंगे, नए रास्ते खुलेंगे और हम लोग सब मिल कर के पुनर्वास शब्द की जो व्याख्या है, जो उसका महत्व है, उसको समझेंगे। इसलिए मैं इस आसन से और इस सदन से उम्मीद करता हूं कि इस बिल को अविलंब पास किया जाए और पास करने के बाद, निश्चित तौर से, मानवता के नाम पर, भारत में जो विकलांग हैं, उनके लिए इससे एक नया अध्याय जुड़ने वाला है।

[अनुवाद]

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। मैं भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूँ। इस विधेयक की गहराई से जांच की गई है और ईमानदारी से इस विधेयक की अनुशंसा की है। इसलिए, मेरा उनकी अनुशंसाओं से मतभेद नहीं है। परन्तु मैं कार्यकारी परिषद के गठन के संबंध में दो बातें बताना चाहूँगा, जिसमें मंत्रालयों के सदस्यों में वृद्धि की गई है। पहले, यह चर्चा की गई थी कि वहाँ नौकरशाहीकरण की अधिक संभावना है। ठीक यही संभावना अभी भी यहाँ मौजूद है। इसलिए, अभी भी इस मुद्दे पर मुझे आपत्ति है। बेहतर होता यदि नौकरशाहीकरण से बचा जाता।

मंत्रीजी ने अपने प्रारंभिक भाषण में हमें कार्मिक, विशेषकर, अध्यक्ष के विशेष ज्ञान की परिभाषा के बारे में बतया था। स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर विशिष्ट टीका-टिप्पणी की है। परन्तु मंत्री जी ने उन टीका-टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया है। मैं अभी भी यह कहता हूँ कि परिषद के बेहतर कार्यकरण और परिषद के गठन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित किया जाना चाहिए।

इन दो आपत्तियों के बारे में कहने के बाद मुझे इस मौके पर कुछ और भी कहना चाहिए। आप अवश्य जानते होंगे कि हमारे देश की जनसंख्या 100 कसेड़ तक पहुँच गई है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): यह 100 करोड़ और 38 लाख है।

डा. राम चन्द्र डोम: हमें 100 करोड़ से ज्यादा कहना चाहिए। हाल ही में, राष्ट्रीय निदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एक मध्यावधि सर्वेक्षण किया गया था। उनके अनुमान के अनुसार भारतीय जनसंख्या के 5 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं से ग्रसित हैं। आप अनुमान लगाएं-पांच प्रतिशत का अर्थ होता पाँच करोड़ लोग। हमारे देश में, विभिन्न कारणों से लोग आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अपंग हैं। वे नेत्रहीन, बहरे, शारीरिक रूप से विकलांग या फिर मानसिक रूप से अपंग हैं। समस्या का आयाम इतना गंभीर है कि हम उनकी समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हमारे देश में विकलांग लोग बड़े ही असहाय हैं।

समाज के इस अभागे और असहाय हिस्से के लिए सरकार के पास अभी भी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। इसलिए, मात्र थोड़ी सी राहत और कल्याणकारी कार्यों से ही उनका पुनर्वास नहीं हो सकता है। इन आंकड़ों के अनुसार, मैं अवश्य कहूंगा कि पुनर्वास कार्यक्रम सामाजिक कल्याण और अधिकारिता विभाग की ही जिम्मेदारी नहीं है। केन्द्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों का समन्वित और समन्वयकारी अभिगम होना चाहिए ताकि देश में विकलांग लोगों को समाज में रहने के लिए और समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उन्हें उनका अधिकार और विशेषाधिकार दिलाया जा सके।

[डां. रामचन्द्र डोम]

महोदय, शिक्षा भी उपेक्षित है। ऐसा वहां हुए तकनीकी कठिनाईयों के कारण है। हम आज भी नहीं कह सकते हैं कि अभिज्ञेय विकलांग विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम त्रुटिहीन है। यह सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित नहीं किया जाता है। उनमें से अधिकतर गैर सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों पर निर्भर हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि विकलांग विशिष्ट शिक्षा प्रणाली को सरकार के कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और यह सरकार द्वारा पूरी तरह प्रायोजित होना चाहिए।

महोदय, बहुत सारी विकलांगताएं सामाजिक-आर्थिक कारणों से हैं। इसलिए, यदि हम इन कारकों का उन्मूलन नहीं करते तो हम आने वाले दिनों में विकलांगताओं को नहीं रोक सकते। हम जानते हैं कि हमारे देश में नेत्रहीनता का मुख्य कारण कुपोषण ही है। यदि बच्चों को कम उम्र में ही विटामिन-ए दिया जाए तो नेत्रहोनता के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके लिए कार्यक्रम तो है परन्तु आज हम यह नहीं कह सकते कि इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चे को विटामिन-ए की एक बूँद भी प्राप्त हो रही है। अभी तक, उन्हें इसका पूर्ण अधिकार नहीं मिला है। उनकी पूरी देखभाल करने वाला कोई नहीं हैं और कुछ थोड़ी से कल्याण कार्यक्रम इन समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। अंधेपन जैसी विकलांगता के उन्मूलन के लिए सरकार और समाज की भी सुदृढ़ प्रतिबद्धता बहुत आवश्यक है।

आज भी मुख्यत: समाज और सरकार में जागरूकता की कमी और वचनबद्धता के अभाव के कारण यह स्थिति बनी हुई है।

श्री दासमुंशी जी ने पोलियो के विषय में कहा है। यद्यपि विश्व भर में पोलियो के उन्मूलन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है और व्यापक पैमाने पर पोलियो के उन्मूलन के कार्यक्रम अनेक चरणों में चलाये जा रहे हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह कार्यक्रम पूरे मन से चलाया गया तथा उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण मैं यह नहीं कह सकता कि कागजी आंकड़ों और वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। यदि हम इस प्रकार के कागजी आंकड़ों पर निर्भर रहेंगे तो असहाय हो जायेंगे। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम सख्ती से लागू किये जाने चाहिएं।

महोदय, अब मैं रोजगार की बात करूंगा। विशेषत: विकलांगों के पुनर्वास की प्रक्रिया में रोजगार एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे संविधान में यद्यपि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। पहले जनसंख्या के हिसाब से सरकारी नौकरियों का 3% विकलांगों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। लेकिन स्थिति क्या है? समाज का दृष्टिकोण क्या है? विभाग का दृष्टिकोण क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि रोजगार में आरक्षण का 3% लक्ष्य प्रत्येक सरकारी विभाग में चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य का, प्राप्त कर लिया गया है? हम यह नहीं कह सकते। प्रत्येक जगह उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से अनेक तरीके से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार का दृष्टिकोण अभी भी मौजूद है। अत: सरकार के लिए यह मेरा विशेष सुझाव है कि अपने देश के विभिन्न केन्द्रीय और राज्यस्तरीय विभागों में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना चाहिए। यह कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

महोदय, मध्यावधि में किए गए केन्द्रीय सर्वेक्षण के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है और यह कुल जनसंख्या की 5% तक पहुंच गई है। अत:, तदनुसार सरकारी नौकरियों में भी विकलांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाना चाहिए। यह कार्य पूरी सत्यनिष्ठा से किया जाना चाहिए।

महोदय, पुनर्वास के लिए तथा विकलांगता की रोक के लिए भी, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि जागरुकता पैदा की जाए- लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, व्यावसायिकों में जागरूकता पैदा की जाये, और समाज के प्रत्येक वर्ग में जागरूकता पैदा की जाए। इस संबंध में सूचना के माध्यम; छपाई वाले एवं इलेक्ट्रानिक दोनों, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सरकारी माध्यमों के बारे में भी हम यह नहीं कह सकते कि विकलांगता के कारणों, उसकी रोकथाम तथा विकलांगों के पुनर्वास के लिए ये माध्यम अपेक्षित भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। हम यह नहीं कह सकते। अत: जागरूकता पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे सूचना माध्यमों पर नियंत्रण रखा जाए तथा उनका पुन: मूल्यांकन किया जाए ताकि वे अपनी भूमिका के प्रति ईमानदारी बरत सकें।

महोदय, गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) के कार्य के बारे में श्री दासमुंशी जी बता चुके हैं। अनेक अच्छी गैर-सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं, लेकिन आजकल गैर सरकारी संस्थाओं का गठन आम बात हो गयी है तथा अनेक नाममात्र की संस्थाएं भी बन गई हैं। विकलांगों के लिए और अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के नाम पर वे अनेक कठिनाइयां पेदा कर रही हैं तथा जनता का धन बरबाद कर रही हैं। वे कार्यक्रमों का शोषण कर रही हैं। इसलिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए तथा गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर निगरानी रखनी चाहिए।

मैं दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। यह मेरा सुझाव है। इन दिनों विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रम में स्थानीय निकायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्थानीय निकायों यथा पंचायतों और नगर निगमों को शामिल किए

बगैर न इन कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है न ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और न ही कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो चुका है।

डा. राम चन्द्र डोम: मैं एक दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

अत: इस कार्यक्रम में पंचायत तथा स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि अनेक राज्यों में हम लोगों को जो कि चुने हुए सांसद और विधायक हैं अपने क्षेत्र में अनेक योजनाओं को लागू करने के लिए स्थानीय क्षेत्रीय विकास निधि मिल रही है। इस मामले में, हम सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि उसमें से कम से कम एक प्रतिशत धन भी विकलांगों की सहायता के लिए दिया जाता हो। इसलिए मेरा यह विशेष सुझाव है कि हमें यह तय करना चाहिए कि कुल आबंटित निधि का 5% विकलांगों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए दिया जाए ताकि उनके अन्दर यह भावना आ सके कि विकास का अर्थ विकलांग व्यक्तियों के विकास से भी है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी द्वारा लाये गये भारतीय पुनर्वास परिषद (संशोधन) विधेयक, 1992 का पुरजोर समर्थन करता हूं। वास्तव में यह पुनर्वास परिषद् पहले 1986 में एक सोसायटी थी जिसे संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी। बाद में भारत सरकार द्वारा 1992 में संसद के अंदर भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक लाया गया था और 31 जुलाई, 1993 को यह विधेयक प्रवर्त हुआ। उसके बाद एक और विधेयक भारत में विकलांगों की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और पुनर्वास हेतु 22 दिसम्बर, 1995 को पारित किया गया। इस विधेयक द्वारा विकलांगों को समान अवसर, समान अधिकार संरक्षण, पूर्ण भागीदारी और इन तीनों चीजों में संरक्षण प्रदान किया गया। मैं समझता हूं कि श्रीमती मेनका गांधी द्वारा जो संशोधन विधेयक आज यहां लाया गया है, वह इन्हीं चीजों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तथा अधिक सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए है। इस बारे में समाज, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एवं गैर-सरकारी संस्थायें अपना दायित्व समझे।

सभापति महोदय, इस संदर्भ में मुझे एक दृष्टांत याद आता है। अष्टावक्र जी प्राचीनकाल में एक बार राजा जनक की सभा के अंदर गये जहां बड़े-बड़े विद्वान बैठे हुए थे। अष्टावक्र जी का शरीर आठ जगह से टेढ़ा-मेढ़ा था। उन्हें देखकर सभा में विद्वानों को कुछ हंसी आ गई। अष्टावक्र जी को थोड़ा सा सात्विक क्रोध आया और उन्होंने कहा कि वे वहां नहीं बैठना चाहते क्योंकि मुझे तो एक विद्वान समझकर आमंत्रित किया गया था और इसीलिए मैं विद्वानों की सभा में आया था। मेरी शारीरिक कुरुपता देखकर ये लोग हंस रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मेरा बाहरी मूल्यांकन किया है और मेरे अंदर की प्रतिभा, क्षमता और बुद्धि का आंकलन नहीं किया। यह तो एक दृष्टांत है जिसके माध्यम से समाज को यह समझना पड़ेगा कि विकलांगता जहां उस व्यक्ति के लिए अभिशाप है, वहां समाज का कर्तव्य है कि उस विकलांगता को सम्मान प्रदान करे तथा एक सामान्य नागरिक की तरह उसके साथ व्यवहार करे। उसे आगे बढ़ने का अवसर दे, उसे शिक्षा प्रदान कराये। यह समाज का कर्त्तव्य है कि उसे पुनर्वासित करने में मदद करे।

सभापति महोदय, महाकवि सूरदास आंख से अंधे थे लेकिन कितने महान कवि बन गये। ऋषि दयानन्द भारतीय पुनर्जागरण के परोधा और क्रांति के अग्रदूत थे। उनके गुरु स्वामी विरजानन्द आंख से अंधे थे लेकिन कितने बड़े गुरु थे। उन्होंने श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण किया। इसलिए विकलांग हो जाना अयोग्यता का परिचायक नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगा और विशेष रूप से मेनका गांधी जी की भी प्रशंसा करना चाहूंगा कि श्री वाजपेयी के नेतृत्व में वह निरंतर प्रयत्नशील हैं। उच्च शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, पुनर्वास की दृष्टि से जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है, उसके बारे में दुर्भाग्य से कहना पड़ता है और हमें इसकी जानकारी नहीं है कि हमारे देश में विकलांगों की सही संख्या क्या है। कोई कहता है कि सवा करोड़ है। 1991 में हमारे देश की आबादी 84.4 करोड़ थी और उस समय 1.6 करोड़ विकलांगों की संख्या का आंकलन किया गया था। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि अब यह छ: करोड़ हो गई है, कोई कहता है कि आबादी का दस प्रतिशत है और कोई कहता है कि आबादी का छ: प्रतिशत है। इसका सही आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वर्ष 2000-2001 में होने वाली जनगणना के अंतर्गत जहां और बहुत सी बातें पूछी जाती हैं, वहीं विकलांगों के बारे में चाहे वह अंधा हो, अपंग हो, अपाहिज हो, मानसिक या शारीरिक दृष्टि से अक्षम हो, उनके बारे में पूछा चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं। इस प्रकार यदि सब प्रकार की अशक्तता के आंकड़े उपलब्ध हो जाएं तो सरकार को योजना

[प्रो. रासा सिंह रावत]

बनाने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। मैं समझता हूं इसके लिए श्रीमती मेनका जी गृह मंत्रालय और जनसंख्या के निदेशक तथा आयुक्त को लिखेंगी, ताकि विकलांगों के सही आंकड़े हमारे सामने आ सकें।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): हमने पहले ही यह व्यवस्था कर दी है कि 2001 की जनगणना के दौरान विकलांगों की भी जनगणना की जाए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अगर यह किया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु समाचार पत्रों में कुछ दिनों पहले ही आया था कि इस तरफ कम ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। आज शहरों में और सारे महानगरों में नेत्रहीनों, मूक और बधिर व्यक्तियों का कल्याण करने वाली संस्थाएं हैं तथा मानसिक चिकित्सालय, मैन्टल हास्पीटल्स वगैरह शहरों में हैं, जबकि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसलिए जब विकलांगों के पुनर्वास का सवाल आता है तो राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद जैसे संवैधानिक निकाय बनाकर उनके पुनर्वास के लिए रजिस्टर रखने के लिए और जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का मानक एक समान हो, जो काम करने वाले लोग हैं और जो वहां ट्रेनिंग दी जाती है, उनका स्टैंण्डर्ड एक जैसा रहे। जिस तरह शहरों में ध्यान रखा जाता है, मेरा मेनका जी से अनुरोध है कि इन सुविधाओं को ग्रामीण आबादी तक, गरीबों की बस्तियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। गांवों में अभी इतनी जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है कि अंधा व्यक्ति शहरों में नेत्रहीन विद्यालय में ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है या मूक और बधिर व्यक्तियों के लिए कोई स्कूल खुले हुए हैं। जैसे आजकल विकलांगों को पी.सी.ओ. बूथ दिये जा रहे हैं। उन्हें टाइपराइटर्स वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई विकलांग व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में बेजोड़ हैं। गायन और वाद्य बजाने में बेजोड़ हैं। वहां उन्हें उनका स्थान मिलता है। लेकिन आज कम्प्यूटर का जमाना आ गया है और कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी पुनर्वास परिषद का कर्तव्य है कि वह विकलांगों के लिए प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रदान करने का अवसर प्रदान करे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन सेवाओं का विस्तार किया जाए, ताकि गांवों के लोग भी लाभान्वित हो सके। हमें समाज में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि विकलांगों का कल्याण हो। दुखी मानवता की सेवा करना हमारा पहला कर्त्तव्य है। दुखी मानवता की सेवा करना ईश्वर की सच्ची उपासना है।

सभापति महोदय, आप तो डाक्टर और प्रोफेसर रहे हैं, आप इस बात को भली प्रकार से जानते होंगे। कबीर ने कहा है - कबीरा सो ही पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीन न जानि हे वो काफिर बेपीर।

सच्चा पीर वही है जो पराई पीड़ा को समझता है। जो पराई पीड़ा को नहीं समझता.....

सभापति महोदय : वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे।

प्रो. रासा सिंह रावत : परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचा काम नहीं है।

हमारे समाज के इन विकलांग लोगों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विकलांग व्यक्ति समाज में सम्मान चाहता है, वह भीख नहीं चाहता है। इसलिए उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण है, जो कि भरा नहीं जाता है। उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है। इसलिए हस्तकला के क्षेत्र में उद्योगप्रद शिक्षा प्रदान करने में जो राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया है, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने में शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप उन्हें अवसर मिलें, ऐसा करने में यह विधेयक सक्षम हो सकेगा।

अपराह्न 3.00 बजे

उच्च शिक्षा विकलांग वर्ग के पुनर्वसन की आधारशिला है जो सर्वाधिक उपेक्षित हैं। मेनका गांधी जी समझी होंगी कि हायर एजुकेशन, टैक्निकल एजुकेशन और इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री विराजे हुए हैं और इसकी बड़ी चर्चा है। टैलीकम्युनिकेशन्स के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। यह आधारशिला है। एक ओर तो प्रौद्योगिकी और सहायक साधनों की आवश्यकता है और दूसरी ओर सामान्य नागरिकों की तरह इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बहस में भाग लेने का अवसर दिया। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

महोदय, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं एक अत्यन्त व्यापक कानून से संबंधित उस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसमें यह प्रावधान हैं कि विकास से वंचित व्यक्तियों को अपनी क्षमता के पूर्ण विकास के लिए पुनर्वास एक कल्याणकारी उपाय के बजाय उनके अधिकार के रूप में मिले।

महोदय मैं तहे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री और एक के बाद एक आने वाली सरकारों को बधाई देता हूं, प्रशंसा करता हूं जिन्होंने यह विधेयक पेश किया है। अब, आप इसे और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस अत्यन्त महत्वपूर्ण खण्ड को कानूनी मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं जो कि अभी तक कानूनी नहीं था और इसीलिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ, एक के बाद एक आने वाली कई सरकारों ने आटिज्म पीड़ित व्यक्तियों, मस्तिष्क विकलांगता, मानसिक विकलांगता और अनेक प्रकार की अशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए नेशनल ट्रस्ट और नेशनल हैंडिकैप्ड के लिए वित्त विकास निगम की स्थापना की है। किंतु साथ ही साथ, यद्यपि विकलांगों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। यदि सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन किया जाए तो हम पाएंगे कि अनेक संगठनों, राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी निकायों, गैर-सरकारी संगठनों और इतने अधिक निकायों के कारण जो इनके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, मेरे विचार में एक अत्यन्त सख्त और प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था जिससे इनकी निगरानी बनाई जानी चाहिए जिससे इनकी निगरानी सख्ती से की जा सके क्योंकि हमारे देश की 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है।

अपराह्न 3.03 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1991, जो कि सरसरी तौर पर बिना किसी क्रम के सरसरी तौर पर किया गया था; को देखने पर यह ज्ञात हो जाएगा कि अब तक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि 50 मिलियन व्यक्ति अर्थात् 100 मिलियन में से 5 करोड़ विकलांग हैं। वे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, अपनी परेशानियां व्यक्त नहीं कर सकते या सहायता प्राप्ति के लिए कह नहीं सकते। इसलिए किसी भी योजना के लिए क्रमबद्ध और वैज्ञानिक आंकड़ा उसका मूल आधार होता है अन्यथा ये सभी कानून लड़खड़ा जायेंगे क्योंकि उनका कार्यान्वयन संभव नहीं होगा और कानून यथार्थ में लागू नहीं हो पायेगा। इसलिए इस प्रकार के कार्य में, सभी नीतियों और कार्यक्रमों में तालमेल अत्यन्त स्वागत योग्य है। इसके लिए अत्यन्त प्रभावशाली तरीके से निगरानी तथा वैचारिक दृष्टिकोणों में सहमति के साथ-साथ इनका क्रियान्वयन भी होना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, देश में करीब छः करोड़ लोग विकलांग हैं, निःशक्त हैं और उन्हें डिसेबल्ड कहा जाता है। ठीक कहा प्रो. रासा सिंह रावत जी ने कि भगवान खुदा या प्रकृति की ओर से डिसेबिलिटी उनके शरीर में हो गई लेकिन जो सभ्य समाज है, उसको चाहिए कि इस तरह के उपाय करे कि वे भी समाज में सम्मानित रहें, उपेक्षित न हों और उनकी जीवनयापन के लिए विशेष सुविधा का प्रबंध किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, यह जो विधेयक आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। सन् 1992 में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के बाद जो नया विधेयक बना और फिर 1995 में जो कानून बना, उसकी परिभाषा को इस विधेयक में सरकार ने दावा किया है कि सहज और सरल बनाया गया है। इसमें हैल्थ के मामले में स्पष्ट परिभाषा रहेगी और विकलांग को भी परेशान कर के अब नहीं छोड़ा जाएगा, जैसा कि पहले होता था। इसलिए इस विधेयक के माध्यम से परिभाषा को सहज किया गया है। सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं।

सभापति महोदय, इस विधेयक के माध्यम से जो इस क्षेत्र में काम करते हैं ओर जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने और सहूलियत आदि देने का काम किया गया है। उन्हें इसमें प्राथमिकता के आधार पर सहूलियतें दी जाएंगी, लेकिन सभी बातों के चलते, विकलांगता के चलते, बड़ा भारी संकट गांवों में पैदा हो जाता है। जब हम गांवों में जाते हैं, तो किसी विकलांग को हमारे सामने लाकर बैठा देते हैं, जिसकी टांग खराब है या आंख खराब या पोलियो से ग्रस्त है। गरीबों में तो पोलियो की बीमारी अधिक होती है, उनके रोजगार का कोई जरिया नहीं होता और उसे गांव में हमारे सामने उठाकर ले आते हैं और हमसे कहते हैं कि उसकी सहायता कीजिए। हम बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, उसकी कैसे मदद करें। जिले में कल्याण विभाग होता है वह भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाता है। उन्हें सर्टिफिकेट लेने में भारी दिक्कतें आती हैं। वहां न कागज होता है न कलम होती है। प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय में भी कोई ऐसा प्रबंध नहीं होता जिससे उनकी ठीक प्रकार से मदद की जा सके।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, इस विधेयक में उसकी परिभाषा को सरल किया गया है। हमारी मांग है कि उसके काम में भी सुधार होना चाहिए और पूरे देश में जो छः करोड़ विकलांग हैं, चाहे वे आंख से विकलांग हों, टांग से विकलांग हों, मानसिक रूप से विकलांग हों, बधिर या मूक हों, सब तरह के विकलांगों की किस तरह से मदद की जा सकती है, इस बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। गांवों में विकलांगों की संख्या जानने या उनके रजिस्ट्रेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। जब हम लोग गांव में जाते हैं, तो देखते हैं कि हर गांव में एक-दो विकलांग तो होते ही हैं, उन्हें हमारे सामने पेश कर देते हैं और हमसे कहते हैं कि इनकी मदद की जाए। हम बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि उनकी कैसे मदद हो। इस समस्या को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि सभी विकलांगों की मदद हो सके।

सभापति महोदय, कुछ एन.जी.ओ. ऐसे हैं, जो समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाली एन.जी.ओ. की भी कमी नहीं है। मैं चाहूंगा कि रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में जो जाली एन.जी.ओ. काम कर रहे हैं, उन्हें पकड़ा जाए और उनकी मदद रोक दी जाए और जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार उन्हें प्रोत्साहित करे। जो एन.जी.ओ. उपेक्षित, पीड़ित और विकलांग की सच्चे मायने में सेवा कर रहे हैं, उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की है कि राज्य और केन्द्र सरकार के कल्याण विभाग भी ठीक प्रकार से काम करें। प्रक्रिया इतनी सहज और सरल होनी चाहिए कि एन.जी.ओ. ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकें जिससे गांवों में आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन विकलांग हैं और उनकी मदद कैसे की जा सकती है।

सभापति महोदय, तीन प्रतिशत विकलांगों को जो सरकारी नौकरी में आरक्षण है, उसमें भी उनका पूरा प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से नहीं होता है। प्रायः होता यह है कि सरकारी नौकरी भी विकलांग को नहीं मिलती है क्योंकि उससे सब घृणा करते हैं। इसलिए हम अपने को सभ्य समाज तभी समझेंगे जब देश के उपेक्षित, पीड़ित, शोषित समाज के लोगों को सम्मानित किया जाएगा और बराबर का दर्जा दिया जाएगा तथा देश के सभी विकलांगों की मदद की जाएगी और जो कानून बन रहा है उसके प्रावधानों को प्रेक्टीकली समाज में एप्लाई किया जाएगा, व्यवहार में लाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर देने के लिए, धन्यवाद। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं, लेकिन कुछ प्रश्न भी हैं। मैं जानती हूं कि कोई भी कानून या संशोधन लाते समय हमारे इरादे बहुत नेक होते हैं। लेकिन आठ वर्षों तक बहरी महिलाओं के संगठन के अध्यक्ष के नाते विकलांगों से संबंधित कार्य करते समय और एक मंत्री के नाते दोनों ही रूप में, मैंने यह अनुभव किया है कि सरकार द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं - यद्यपि हम भी सरकार में रहे हैं - केवल सेवानिवृत्त होने वाले नौकरशाहों के लिए पुनर्वास समिति या पुनर्वास आयोग बनकर रह जाती हैं। बनाई गई सभी परिभाषाएं और निर्धारित योग्यताएं सेवानिवृत्ति के बाद उन्हीं के पुनर्वास के लिए ही होती हैं। इस संशोधन में भी ऐसा है। परिषद के चेयरमैन के लिए प्रशासनिक अनुभव रखा गया है। मेरे विचार में विकलांग और अशक्त लोगों के लिए कार्य करने के लिए अत्यधिक निकटता और भावनात्मक लगाव की जरूरत होती है जिसके लिए प्रशासनिकता की बजाए भावना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है या कहा जाए तो इसके लिए मन और मस्तिष्क की शुद्धता की जरूरत होती है।

जरूरत इस बात की है कि विकलांगों से सरोकार रखने के वास्ते ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि उनकी समस्याओं को समझे तथा उनके साथ अपने को समान समझ सके न कि किसी ऐसे प्रशासक जो कि सरकार में किसी विशेष पद पर रह चुका हो तथा जिसे सेवानिवृत्ति के बाद किसी पद की जरूरत हो।

मेरे विचार में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में किसी विकलांग व्यक्ति को, विशेषकर छोटे बच्चों में यह धारणा कर ली जाती है यह कोई अभिशाप है या यह भी कहा जाता है कि "भूतकाल में इसके परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा कुछ किया होगा इसीलिये ईश्वर ने इस पीढ़ी को दण्ड दिया है।" समाज में लोग यह मान लेते है कि केवल अभिशाप के कारण या किसी और कारण से उसका फल वह बच्चा भुगत रहा है। हमने विकलांगता के ऐसे मामले भी देखे हैं कि इस प्रकार के बच्चों को घर के अन्दर बांधकर रखा जाता है, ताकि दूसरे लोग उनको न देख सकें क्योंकि दूसरों द्वारा उन्हें देख लिए जाने पर परिवार के लोग अपने को शर्मिंदा महसूस करते हैं।

हमारे देश के अधिकांश भाग में, गरीबी है विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि हमारी जनसंख्या का 80 प्रतिशत गांवों में रहता है, मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि जनसंख्या के इस भाग की समस्या दूर करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

मैं ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हूं। विकलांगों के लिए न्यूनतम सहायता लेना बहुत कठिन है क्योंकि आपके पास न तो विशेषज्ञ हैं, न ही संस्थाएं, और न ही स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी आरम्भिक स्तर पर आवश्यकता होती है। अधिकांश गरीब और अशिक्षित माता-पिताओं को यही नहीं पता

है कि यह सब क्या है तथा वे उस वातावरण से बाहर जाकर मदद नहीं मांग सकते। इसलिए मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन सभी संशोधनों में ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं।

इन दिनों गैर-सरकारी संगठन सिद्धांत वाक्य है। सरकार से नहीं होता तो एन.जी.ओ. को दे दी। गैर-सरकारी संगठन कहां हैं और कौन हैं? मैं किसी संगोष्ठी में गई थी जहां गैर-सरकारी संगठनों के शामिल होने पर पूरी चर्चा की गई थी। मेरा मानना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों का वर्गीकरण हुआ है। वे उसे 'मोंगों' ''माई ओन एन.जी.ओ.'' कहते हैं। सरकार के अंदर या नौकरशाही में उन्होंने अपना गैर-सरकारी संगठन गठित कर लिया है जिसे वे 'मोंगो' कहते हैं। वे इसे ''माई ओन एन.जी.ओ.'' ''मोंगों'' कहते हैं।

इसके अलावा ''गोंगो भी है - सरकार का अपना एन.जी.ओ.''। सरकार द्वारा चालित कुछ एन.जी.ओ. उन्हें धन देते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ''गोंगोस'' कहलाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन दिनों व्यवसायियों ने ''बोंगोज'' नामक अपने एन.जी.ओ. स्थापित कर लिए हैं जो जब अन्य कम्पनी या कोई प्रतिस्पर्द्धात्मक कम्पनी आगे आती है तब एन.जी.ओ. मामला दायर करते हैं, इसे प्रदूषण, स्थानीय विकास इत्यादि के नाम पर बंद कर देते हैं तथा अन्य कम्पनियों को आगे आने से रोकते हैं।

मैं आपको इसकी पूरी सूची दे सकती हूं। परन्तु ऐसा ही हो रहा है। बात सिर्फ एन.जी.ओस. को निधि देने तक ही सीमित नहीं है। उनमें से कितनों के पास विकलांगों के पुनर्वास की विशेष समस्या को सुलझाने की क्षमता है? कोई संगोष्ठी करना, पेपर प्रस्तुत करना और कहना आसान है कि हमारा एन.जी.ओ. ये सब देख रहा है। उनमें से कितनों के पास विशेषज्ञता है और कितने उनकी समस्याएं दूर करने में सक्षम हैं? मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उनकी जो भी स्कीमें उपलब्ध हैं उन्हें संसद सदस्यों में परिचालित करें। हममें से जिनकी इसमें रुचि है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वे कम से कम प्रचार करके इसकी प्रगति के बारे में जान सकते हैं। निधियां उपलब्ध हैं परन्तु जब हम मंत्रालय में जाकर कुछ स्कीमों को स्वीकृत करवाने की कोशिश करते हैं तो इसकी प्रक्रिया और अन्य बातें इतनी जटिल हैं कि हमारे जैसे सरकार में रहने वाले लोग भी इसे कठिन समझते हैं। मैं पांच वर्षों तक महिला और बाल विकास मंत्री रही थी। मुझे मंत्रालय से अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक भी कार्यक्रम की स्वीकृति करवाना असम्भव प्रतीत होता है। वे यही कहेंगे यहां जाइए, यह करिए, उधर से सर्टिफिकेट लाइए, यह करिए वह करिए। अंत में, मैं समझती हूं कि चुनाव अनुदान से पहले आता है और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगी कि दिन में विकलांगों की देखभाल के लिए किसी का होना अत्यंत आवश्यक है। जहां माता-पिता काम करते हैं और जहां वे घर में रहने वाले विकलांग बच्चों या बढ़ते बच्चों की पूरे समय देखभाल करने में असमर्थ हैं वहां वे बिना सुरक्षा सुविधाओं का सहारा लेते हैं ताकि उनके बच्चे वहां जा सके अन्य लोगों के साथ रहे और प्रशिक्षण तथा संरक्षण प्राप्त कर सकें। जब माता-पिता दूर होते हैं तो वहां वे सुरक्षित हाथों में रहते हैं। आज यह सुविधा काफी महंगी है और अधिकांश माता-पिता इसका सहारा नहीं ले सकते। आंकड़े दर्शाते हैं कि इस देश में किसी प्रकार की भी विकलांगता वाले पांच प्रतिशत लोगों को किसी न किसी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है फिर भी हम इन संशोधनों और कानून से संबंधित बाते इस प्रकार करते हैं मानों उन्हें यहां पारित करने से समस्या सुलझ जाएगी। इतने कम लोगों को शामिल किया गया है कि चाहे हम पुनर्वास कार्यक्रम पर करोड़ों रुपये खर्च करने की बात कर रहे हों फिर भी बहुसंख्या इन स्कीमों और कार्यक्रमों से वंचित रह जाती है।

मैंने मानव संसाधन विकास मंत्री, डा. मुरली मनोहर जोशी को लगभग एक माह पहले पत्र लिखा था। मुझे एक पत्र मिला जिसमें यह लिखा था कि फलां-फलां से संबंधित पत्र उन्हें मिला है। ...*(व्यवधान)* यह किस बारे में है? अगर संभव हुआ तो मैं इस विभाग के प्रभारी मंत्री को पत्र की एक प्रति भेजूंगा। एक महिला ने मुझे पत्र लिखा था। वह अंधी है। अंधी होने के बावजूद उसने ब्रेल लिपि में अपना शोध कार्य किया है। उसने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर लेक्चरर के विभिन्न पदों के लिए कई साक्षात्कार दिए थे। उसे हर बार यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि अंधी होने के कारण आप कैसे पढ़ा सकती हैं? उन्होंने मुझे एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा कि पीएचडी होने पर भी उन्हें नौकरी के लिए भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। मैंने यह पत्र मानव संसाधन विकास मंत्री के पास भेजा जिसमें यह कहा गया है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री को हस्तक्षेप करके उस महिला को न्याय दिलाना चाहिए। पीएच.डी. के साथ-साथ वह महिला वरीयता प्राप्त छात्रा रही है फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल सका। हम विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कहां और क्यों? सभी प्रकार की नौकरियों में उनके लिए तीन प्रतिशत का आरक्षण है। उनमें से वास्तव में कितनों को रोजगार मिल पाता है? उनमें से कितनों को नौकरियां दी गई हैं। मैं यही प्रश्न पूछना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि यह विधेयक में अच्छे विचारों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, विकलांग बच्चों को अलग करके देखने के बजाय मैं समझती हूं कि अब यह समय आ गया है जब हमें शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि न्यूनतम विकलांगता वाले बच्चों के साथ

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

उन्हें भी समेकित शिक्षा दी जाए। जब ये बच्चे अन्य सामान्य बच्चों के साथ स्कूल जाएंगे जो उनका ध्यान रख सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं तो बच्चों के सोचने की सही प्रक्रिया में बदलाव आएगा। इससे इनमें आत्मविश्वास आएगा और वे समाज में सामान्य जीवन जी सकेंगे। परंतु इसके बावजूद हम उन्हें अलग रखना चाहते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानों वे अलग प्रजाति के हों, जिसे मैं समझती हूं कि अगर हमें उनके लिए वास्तव में पुनर्वास कार्यक्रम बनाने हैं तो ये बातें दूर होनी चाहिएं।

वास्तव में हम उन्हें प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं जो उनकी देखभाल करेंगे। वे संस्थान कहां हैं जहां विशेषज्ञता है और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए आधार संरचना है? मैं जानना चाहूंगी कि क्या हमारे प्रत्येक राज्य में कम से कम एक संस्थान है जो ऐसी बातों की देखरेख कर सकता है। मैं यह बात विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कह रही हूं। वहां कोई संस्थान नहीं है, वहां प्रशिक्षित लोग भी नहीं हैं और कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी नहीं है। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए या उन्हें अपने में शामिल करने के लिए हम ऐसी सुविधाएं कैसे जुटा पाएंगे?

विकलांग बच्चों में काफी प्रतिभा होती है। हम अंधे और गूंगे बच्चों के साथ काफी वर्षों से काम कर रहे हैं। वे अपनी प्रतिभा, कला, बाटिक कार्य, पेंटिंग और अन्य बातों के द्वारा व्यक्त करते हैं जो उन्हें भगवान ने विकल्प के रूप में दिया है। हमें इसका विकास करने के लिए अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है जो इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मैं बहुत अधिक कहना नहीं चाहती हूं परंतु मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार से मिलने वाला अधिकांश धन, चाहे वह पुनर्वास परिषद के माध्यम से हो या गैर-सरकारी संगठनों से या अन्य माध्यमों से, इसका बहुत कम प्रतिशत ही विकलांग लोगों तक पहुंच पाता है। हम हर प्रकार की सहायता, पेंशन और अन्य सहयोग प्रणालियों की बात कर रहे हैं। परंतु निधियां कहां जा रही हैं? मैं समझती हूं कि हमें नियंत्रण और संतुलन द्वारा तथा इसे पूरी तरह शहरीकरण करने के बजाय निचले स्तर से ही विकलांग बच्चों के पुनर्वास के संबंध में कार्य करना होगा। एक ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत है जो कल्याण से न्याय की ओर जाता हो तथा एक ऐसे स्थान की ओर जाता हो जहां सामान्य सामाजिक प्रणाली हो।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, विकलांग व्यक्ति भी होशियार व्यक्ति होता है। श्री मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी इसी सदन के एक माननीय सदस्य हुआ करते थे जो अजमेर से तीन बार सांसद रहे और जो नेत्रहीन व्यक्ति थे। ऐसा नहीं है कि केवल जिसकी आंखें हों वही आगे बढ़ सकता है या तरक्की कर सकता है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय हरदेव जोशी जी का एक हाथ नहीं था। मैं समझता हूं कि वे भी एक प्रकार से विकलांग ही थे। इसी संसद में माननीय जयपाल रेड्डी जी हैं। विकलांगों की एक संस्था से मेरा अच्छा संबंध है। इस बात को माननीय मेनका जी भी भलीभांति जानती हैं। विकलांग व्यक्ति हारमोनियम बजा सकता है, गायन कर सकता है और लेखन भी कर सकता है। देश में इस बारे में कुछ संस्थाएं ठीक से काम कर रही हैं। दिल्ली में भी एक संस्था है जो जयपुर में दर्शनीय स्थानों को देखने गयी थी। विकलांग व्यक्तियों में बहुत प्रतिभा होती है।

माननीय मेनका जी जो बिल लाई हैं मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत फागी में पानी में फ्लोराइड की समस्या है जो लोगों को अपंग बना देता है। इससे लोगों को ठीक प्रकार से जीने का अधिकार नहीं मिलता है। अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि विकलांग या तो मानसिक होगा, चलने में विकलांग होगा या जिसको दिखाई न देता हो, वह विकलांग होगा। इस परिभाषा में लोगों को लाया गया है। साथ ही जो बोर्ड के निर्वाचित सदस्य होंगे उनको तीन से बढ़ाकर सात करने के प्रस्ताव का भी मैं समर्थन करता हूं और अपील की अवधि जो 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन करने का प्रावधान है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। जो पांच प्रतिशत की बात सदन के सामने आई है तो मेरा कहना है कि 5 करोड़ 20 लाख व्यक्ति देश में विकलांग हैं और इसके 77 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। इसलिए उन सारे विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। चार संस्थाएं जो काम कर रही हैं उनमें से एक देहरादून में अपंगों के बारे में काम करती है। दूसरी, सिकन्दराबाद में है जो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के बारे में विचार करती है, तीसरी कलकत्ता में है जो आर्थोपैडिक क्षेत्र में कार्य करती है और चौथी मुम्बई में है जो गूंगें-बहरे लोगों के लिए कार्य करती है।

मेरा निवेदन है कि यदि मंत्री हमारे वित्त मंत्री जी से "सामाजिक अर्थव्यवस्था के निर्माण में लाभ की प्रतिपूर्ति के लिए कर में छूट" पर बात करें तो उन संस्थाओं को 100 परसेंट की छूट मिल जायेगी और इन संस्थाओं की मदद हो सकती है। मैं जानता हूं कि बजट कम है लेकिन फिर भी मंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर लें। इस संबंध में एक जानकारी देना चाहूंगा कि जयपुर में डा. सेठी का एक जयपुर फुट नाम से संस्थान चल रहा है जहां विकलागों के पैर और हाथ लगाये जाते हैं। इसलिये चाहूंगा कि सरकार भी इस संबंध में मदद दे। वहां एक रामचन्द्र के नाम से योग्य कार्यकर्ता हैं और मैं जयपुर से आता हूं। इस संबंध में यदि

सरकार उस योग्यता का लाभ उठाना चाहे तो इस पर विचार कर सकती है।

सभापति जी, मुझे आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये धन्यवाद और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, मैं सभा को आपके माध्यम से एक बहुत ही दुखद समाचार के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमने अभी-अभी सुना है। कश्मीर में एक बम फटा जिसमें कुछ प्रेस फोटोग्राफर और संवाददाता मारे गए हैं। मैं यहां बैठे माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध में ब्यौरे इकट्ठे करें और अगले दिन की कार्यवाही से पहले सभा को विश्वास में लें। यह बहुत दुखद घटना है जिसमें विख्यात प्रेस फोटोग्राफर और संवाददाता या तो मारे गए या घायल हो गए।

सभापति महोदय : मंत्री जी, सूचना एकत्र करके सभा को सूचित करें।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): हम सूचना एकत्र करके सभा को बताएंगे।

श्रीमती मेनका गांधी : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं कि उन्होंने पुनर्वास परिषद विधेयक जैसे विषय की ओर दिल से ध्यान दिया है। मैं उनकी बातों को एक-एक करके उठाऊंगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने सामाजिक जागृति के महत्व की बात की है। हमारी जनसंख्या का लगभग पांच प्रतिशत विकलांग हैं और यह सच है कि किसी देश की जनसंख्या जितनी अधिक बढ़ती है उस देश में उतने ही अधिक विकलांग लोग होते हैं। श्री दासमुंशी ने कहा है कि हमें विकलांग लोगों के लिए विभिन्न कार्य करने चाहिएं। पिछले पचास वर्षों के दौरान मंत्रालय ने 52000 लोगों को कृत्रिम पैर और अंग प्रदान किए हैं। मेरे कार्यभार संभालने के बाद पिछले दो वर्षों के दौरान यह संख्या साढ़े तीन लाख से अधिक हो गई है। प्रत्येक सप्ताह विशेष रूप से एक कैंप कभी-कभी सप्ताह में दो बार कैंप लगाया जाता है। मंत्री बनने के बाद मैंने पहला काम यह किया कि संसद सदस्यों को पत्र लिखा और उनसे पूछा, श्री दासमुंशी को भी वह पत्र मिला होगा कि अगर वे सहयोग करने को तैयार हों तो मुझे उनके क्षेत्र में कैंप लगाकर खुशी होगी। अधिकांश संसद सदस्यों के क्षेत्रों में कैंप लगाए गए।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मुझे पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

श्रीमती मेनका गांधी : सभी लोगों को यह पत्र प्राप्त हुआ है। उस ओर बैठे हुए अधिकांश लोगों को कैंप की सुविधा मिली है। कुछ लोगों को चार-चार बार कैंप लगाने की सुविधा मिली हैं क्योंकि वे बार-बार आए थे। यह काम पहले ही दिन से हुआ है।

अब तक हमने कई सौ कैंप लगा दिए हैं। ये बड़े-बड़े कैंप हैं, कोई छोटे-मोटे कैंप नहीं हैं जहां जाकर आप कुछ चीजें बांट देते हैं। इसमें ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो पहले नहीं हुई और वह है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा द्वारा अपंग व्यक्तियों के अंगों को जोड़ा गया है इन विशेष शल्य चिकित्सा के लिए हमने पूरे देश में डाक्टरों को प्रशिक्षित किया है।

श्री दासमुंशी स्थायी केन्द्र चाहते हैं मुझे उन्हें सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि पिछले ही वर्ष हमने 107 स्थायी केन्द्रों की स्थापना की है। हमने इस उद्देश्य के लिए पांच जिलों में से एक जिले को लिया है। यह पांचों जिलों में सेवाएं प्रदान करेंगे और इसके पास स्थायी सहायक और उपकरण केन्द्र होंगे जिसमें उन लोगों, जो बहरे, गूंगे, अन्धे हैं और जिन्हें किसी भी समय अंगों की आवश्यकता होती है, वहां जाकर जांच करा सकते हैं और यदि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत होती है तो विशिष्ट अस्पतालों में भेजा जा सकता है। इसके अलावा हम पूरे भारत में छः अत्यन्त बड़े सम्पूर्ण केन्द्रों की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं जो विशेष अस्पतालों के रूप में कार्य करेंगे जहां केवल प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे।

जब मैं मंत्री बनी तो वहां कई सालों से चला आ रहा "अलिम्बको" नामक केन्द्र था जो घाटे में चल रहा था। यह लाभ नहीं कमा रहा था। यह अपनी क्षमता का मात्र 32 प्रतिशत ही कार्य कर रहा था। यह बन्द होने की कगार पर था।

अब "अलिम्बको" लाभ कमा रहा है इसने परिस्थितियों को बदल दिया है। हम अंगों की मांग को पूरा करने के लिए देश में दो और अन्य अलिम्बको आरम्भ करने जा रहे हैं। हम विश्वास करते हैं कि किसी को भी दस वर्ष इन्तजार नहीं कराना चाहिए क्योंकि देश में "जयपुर फुट" के अलावा यही एक मात्र कृत्रिम अंग बनाने वाला संस्थान है। हम उन्हें इस प्रकार के कार्य ज्यादा से ज्यादा करने देने चाहिएं।

कृत्रिम अंगों को ज्यादा से ज्यादा त्रुटिहीन बनाने के लिए हमने अमरीका से सहयोग भी लेना शुरू किया हैं। यह उसके अतिरिक्त है जो हम सेना की इकाइयों के लिए कर रहे हैं। सेना की इकाइयों को अपने कार्मिकों के पुनर्वास के लिए विशेष धनराशि दी जाती है। उनके किसी भी पुनर्वास संस्थान को पृथक

[श्रीमती मेनका गांधी]

धनराशि प्रदान की जाती है। शिविर के अलावा कुछ संस्थाएं हैं जो स्थापित की जाने की प्रक्रिया में है मैं समझती हूं कि अगले वर्ष के मध्य तक आप पूरे भारत में इन्हें काम करता हुआ पाएंगे।

श्री दासमुंशी ने कहा कि सभी माननीय संसद सदस्यों को पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। यह उस पत्र का हिस्सा है जिसे मैंने लिखा था नि:सन्देह मैं शिविर इसी शर्त पर लगाती हूं कि संसद सदस्य अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से कुछ धन देंगे और मैं शेष धन डालूंगी ताकि हम छोटे शिविर न लगाए। इसका परिणाम यह है कि हम ऐसे शिविर लगाते है जहां उसी समय 1,000 अथवा 1,500 लोगों को सहायता अथवा उपकरण प्रदान किये जा सकें।

एक माननीय सदस्य ने गैर-सरकारी संगठनों के बारे में कहा है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठन हैं मैंने अपने अनुभव से पाया है कि विकलांगों की आवश्यकता पूरी करने वाले ये गैर-सरकारी संगठन वृद्धाश्रम गरीब बच्चों और अन्य के लिए काम करने वालों से अधिक ईमानदारी से काम करते हैं। हम सभी से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि हम विकलांगों को दिये जाने वाले धन की चोरी न करें। अत: इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करके मैं प्रसन्न हूं।

जहां तक धन का सम्बन्ध है इसके लिए पर्याप्त धन दिया जाता है। आवश्यकता इसके समय पर उचित प्रयोग किये जाने की हैं। हमने सभी प्रमाण पत्रों और कागजी कार्यों को अत्यन्त आसान बना दिया है। मैंने प्रत्येक संसद सदस्य को एक पुस्तिका - अंग्रेजी के लिए सफेद और नीले रंग की हिन्दी के लिए - दी है जिसमें प्रत्येक योजना दी गई है और उसका विवरण दिया है ताकि आप इन योजनाओं को देखें और फार्म भरकर अपने क्षेत्र में उन्हें लागू कराए। *...(व्यवधान)* मुझे सभी से यह कहते हुए पत्र मिले हैं कि उन्हें वह प्राप्त हो गई है *...(व्यवधान)* ठीक है यदि आपको नहीं मिली है तो हम उसे पुस्तक में पुन: लगा देंगे। मैं आशा करती हूं कि आपको मेरे पत्र मिल गए होंगे जिसमें कहा गया है कि ये गैर-सरकारी संगठन आपके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं *...(व्यवधान)* अधिकतर लोगों को यह मिल गई है।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): आपने इसे बुलेटिन में क्यों नहीं छपा दिया? *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी : मैंने सुनिश्चित करने के लिए जो किया है वह यह है कि प्रत्येक संसद सदस्य को मेरे द्वारा उसके निर्वाचन क्षेत्र में काम करने वाली गैर-सरकारी संगठन की सूची मिल जाए *...(व्यवधान)* यह स्वीकार करना कठिन है कि किसी को यह न मिली हों।

डा. पासवान ने केन्द्रीय रजिस्टर के बारे में कहा है। हमारे पास व्यावसायिकों के लिए केन्द्रीय रजिस्टर है। यह विकलांग लोगों को सूचीबद्ध करने के लिए नहीं है। उसके लिए जैसा कि माननीय गृह राज्य मंत्री ने हमें पहले ही बता दिया है और उनके हस्तक्षेप के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। 1980 के बाद हमने एक बार भी उनकी गणना नहीं कराई है ताकि हमें ठीक से पता चल सकेगा कि देश में कितने विकलांग हैं और वह किस श्रेणी के हैं *...(व्यवधान)*

डा. संजय पासवान (नवादा): मैंने केन्द्रीय रजिस्टर में विकलांगों को सूचीबद्ध करने के बारे में नहीं कहा है। कई लोग हैं जिन्हें देशी ज्ञान है मैंने कहा था कि गांव में रहने वाले लोगों को जो पुश्तैनी ज्ञान से इसके साथ अन्तर्ग्रस्त हैं, को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी : मैं यह कहने ही वाली थी कि पिछले दो वर्षों में हमने एक "ब्रिज" कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें देशी ज्ञान रखने वाले 38,000 से अधिक लोगों को आर.सी.आई. द्वारा प्रशिक्षण दिया गया वे आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास आवश्यक डिप्लोमा अथवा डिग्री नहीं है।

जहां तक कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए 3 प्रतिशत आरक्षण का सवाल है मैं सहमत हूं कि 3 प्रतिशत को प्राप्त नहीं किया गया है। कुल मिलाकर कई लोगों को रोजगार दिया गया है लेकिन यह तीन प्रतिशत नहीं बनता। अब जो हमने किया है वह यह है कि हमने गैर-सरकारी रोजगार एजेन्सियां शुरू की हैं जोकि विकलांगों को प्रशिक्षण देती हैं और उन्हें नौकरियां उपलब्ध कराती हैं। हमारी कलकत्ता में इस प्रकार की एक एजेन्सी अत्यन्त सफलतापूर्वक कार्य कर रही है इसका नाम "रिच" है। इसने एक साल के भीतर लगभग एक हजार लोगों का पुनर्वास किया है।

प्रो. रावत ने पूछा था कि क्या गणना में विकलांगता को सम्मिलित किया गया है।

मैं यह देख रही हूं कि प्रत्येक सदस्य ने जो पूछा है मैंने उसका जवाब दे दिया है कि नहीं दिया है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा ने कहा है कि आर.सी.आई. ज्यादातर नौकरशाही से ग्रस्त है यह सच हो सकता है अथवा यह सच है लेकिन मैंने यह स्वयं देखने का प्रयास किया है कि इसमें ऐसे विशिष्ट लोगों की समिति बनाई जाए जो इस कार्य क्षेत्र में जुटे हुए हैं जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने श्री ठाकुर हरि प्रसाद को आर.सी.आई. का चेयरमैन बनाया है जो हैदराबाद में विकलांगों के लिए एक बड़ा केन्द्र चलाते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति पर मैंने मेजर आलुवालिया को चेयरमैन बनाया है जो स्वयं विकलांग हैं और एक स्पाइनों केन्द्र चला रहे हैं।

हम विभिन्न राज्यों में मेरूदंड संबंधी बीमारियों के उपचार के तीन केन्द्र (स्पाइनो सेंटर्स) खोल रहे हैं। हमने भारतीय पुनर्वास परिषद में कई विशेषीकृत समितियां बनाई हैं जिनकी बैठक होती रहती हैं। लगभग 25000 डाक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। वस्तुत: देश में 121 उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्र हैं। वे चिंतित हैं और प्रशिक्षण केन्द्र न होने के बारे में चिन्ता की गई है। प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं और कई अन्य प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थपित किए जाएंगे।

मेरे विचार से मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई कमोवेश सभी चिन्ताओं के बारे में बोल दिया है। श्री भार्गव ने और संस्थानों की स्थापना की बात कही। जैसा मैंने कहा है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने गैर-सरकारी संगठन आगे आते हैं। हम अधिकाधिक संख्या में संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं।

श्री के.पी. सिंह देव : मैं सरकारी निगरानी एजेंसी के बारे में जानना चाहता हूं।

श्रीमती मेनका गांधी : मुझे खेद है कि मैं इस बारे में भूल गई। पहले यह कार्य केवल अधिकारियों के हाथ में था। वे वास्तव में यह नहीं जानते थे कि किस बात की जांच करें। अत: वे ऐसे स्थान से वापस आ जाते जहां बिजली नहीं होती और कहते एयर कंडीशनर्स पर्याप्त संख्या में नहीं हैं या वे वापस आ जाते और कहते कि बाहर बोर्ड नहीं था या बही - खाते ठीक से नहीं बनाए गए थे आदि। हमने अपने क्षेत्र में प्रवीण लोगों को भी इस कार्य में लगाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए अमरज्योति के सदस्य कहीं अन्यत्र जाकर जांच करेंगे। हमने सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों को भी लिया है। हमने टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइसेंज जैसे समाज कार्य संस्थानों के लोग भी लिए हैं। हमारे पास अपने विशेषीकृत विभाग भी हैं जिनमें वर्तमान में केवल निरीक्षक है। निरीक्षण गहनता से किया जाता है। दुर्भाग्यवश वे अनेक आपत्तिजनक बातें सामने ला रहे हैं। यह केवल नि:शक्त पर लागू नहीं होता है। अत: हम उस बारे में बाद में बात करेंगे।

चूंकि अनेक गैर-सरकारी संगठन अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं अत: मैं सभी माननीय सदस्यों को गैर-सरकारी संगठनों की एक सूची दे रही हूं। मुझे आशा है कि मेरे लिए वे उन पर निगरानी रखेंगे और मुझे सूचित करेंगे कि उनके क्षेत्र में कार्य कर रहे जिन गैर-सरकारी संगठनों को धन दिया गया उन्हें धन दिया जाता जारी रहना चाहिए या नहीं।

मैं आप लोगों को पुन: धन्यवाद देती हूं और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.40 बजे

मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

खंड 5

संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,-

"27" के स्थान पर "26" प्रतिस्थापित किया जाए।(1)

खंड 12

विधान सभाओं के बारे में उपबंध

पृष्ठ 3,-

"पंक्ति 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"_____

1.....5

5. छत्तीसगढ़.....90."

(2)

पहली अनुसूची

पृष्ठ 25,-

पंक्ति 8-13 **के स्थान** पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(2) पांच आसीन सदस्यों, अर्थात् श्री ओ. राजगोपाल, श्री दिलीप सिंह जूदेव, श्री झुमुक लाल भेंडिया, श्री बालकवि बैरागी और कुमारी मैवल रिवैलो, में से जिनकी पदावधि 30 जून, 2004 को समाप्त होगी, श्री दिलीप सिंह जूदेव और श्री झुमुक लाल भेंडिया दोनों छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य तीन आसीन सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।" (3)

पृष्ठ 25

पंक्ति 14-19 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(3) छः आसीन सदस्यों अर्थात् श्री अर्जुन सिंह, श्री कैलाश जोशी, श्री भगतराम मनहर, श्री हंसराज भारद्वाज, श्री पी.के. माहेश्वरी और श्री विक्रम वर्मा में से जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2006 को समाप्त हो जाएगी, श्री भगतराम मनहर छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से एक स्थान को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य पांच सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।" (4)

तीसरी अनुसूची

पृष्ठ 34,

पंक्ति 4-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, में-

(क) पैरा 2 में अंक "22" के स्थान पर अंक "23" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुसूची में, भाग 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-" (5)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

खंड 5

पृष्ठ 2, पंक्ति 36,-

"27" **के स्थान पर** "26" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

खंड 12

पृष्ठ 3,-

"पंक्ति 30 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"_____

1.....5

5. छत्तीसगढ़.....90." (2)

पहली अनुसूची

पृष्ठ 25,-

पंक्ति 8-13 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(2) पांच आसीन सदस्यों, अर्थात् श्री ओ. राजगोपाल, श्री दिलीप सिंह जूदेव, श्री झुमुक लाल भेंडिया, श्री बालकवि

बैरागी और कुमारी मैवल रिवैलो, में से जिनकी पदावधि 30 जून, 2004 को समाप्त होगी, श्री दिलीप सिंह जूदेव और श्री झुमुक लाल भेंडिया दोनों छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य तीन आसीन सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।" (3)

पृष्ठ 25,

पंक्ति 14-19 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(3) छः आसीन सदस्यों अर्थात् श्री अर्जुन सिंह, श्री कैलाश जोशी, श्री भगतराम मनहर, श्री हंसराज भारद्वाज, श्री पी.के. माहेश्वरी और श्री विक्रम वर्मा में से जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2006 को समाप्त हो जाएगी, श्री भगतराम मनहर छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से एक स्थान को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य पांच सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।" (4)

तीसरी अनुसूची

पृष्ठ 34,

पंक्ति 4-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, में-

(क) पैरा 2 में अंक "22" **के स्थान पर** अंक "23" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुसूची में, भाग 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-" (5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 36,-

"27" के स्थान पर "26" प्रतिस्थापित किया जाए।" (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 3,-

पंक्ति 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए-

"____________________

1...................................5

5. छत्तीसगढ़.................................90;" (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि पृष्ठ 25,-

पंक्ति 8-13 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(2) पांच आसीन सदस्यों, अर्थात् श्री ओ. राजगोपाल, श्री दिलीप सिंह जूदेव, श्री झुमुक लाल भेंडिया, श्री बालकवि बैरागी और कुमारी मैवल रिवैलो, में से जिनकी पदावधि 30 जून, 2004 को समाप्त होगी, श्री दिलीप सिंह जूदेव और श्री झुमुक लाल भेंडिया दोनों छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य तीन आसीन सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित स्थानों में से तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।" (3)

कि पृष्ठ 25,-

पंक्ति 14-19 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(3) छः आसीन सदस्यों अर्थात् श्री अर्जुन सिंह, श्री कैलाश जोशी, श्री भगतराम मनहर, श्री हंसराज भारद्वाज, श्री पी.के. माहेश्वरी और श्री विक्रम वर्मा में से जिनकी पदावधि 2 अप्रैल, 2006 को समाप्त हो जाएगी, श्री भगतराम मनहर छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित स्थानों में से एक स्थान को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे और अन्य पांच सदस्य मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित समझे जाएंगे।" (4)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:—

कि पृष्ठ 34,

पंक्ति 4-5 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:—

''संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, में-

(क) पैरा 2 में अंक ''22'' **के स्थान पर** अंक ''23'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

(ख) अनुसूची में, भाग 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-'' (5)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीएच. विद्यासागर रावः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

''कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।''

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

''कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.44 बजे

सूचना स्वातंत्र्य विधेयक

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ:-

''कि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही का संप्रवर्तन करने के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोकहित के संगत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, सरकार को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अब अनेक स्तरों पर सूचना का अधिकार विधि अधिनियमित करने की आवश्यकता समझी गई है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में ''सूचना का अधिकार तथा खुली और पारदर्शी सरकार'' संबंधी एक कार्यकारी समूह की नियुक्ति की। इस कार्यकारी समूह से यह कहा गया था कि वह खुले और उत्तरदायी शासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सूचना के पूर्ण अधिकार या इसे चरणबद्ध रीति से लाने की व्यवहार्यता की जांच करे। उक्त कार्यकारी समूह ने मई, 1997 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की और अपने कार्य के अंग के रूप में निम्नलिखित सिद्धान्तों के आधार पर विधान का प्रारुप तैयार किया:-

(क) सूचना का प्रकटीकरण नियम हो और गोपनीयता अपवादस्वरूप हो;

(ख) अपवादों को स्पष्टत: परिभाषित किया जाए; और

प्रारूप विधेयक और कार्यकारी समूह की रिपोर्ट की अलग-अलग समय पर तीन विभिन्न मंत्री समूहों द्वारा जांच की गई थी और सचिवों की समिति ने व्यापक विचार-विमर्श किया था जिसके परिणामस्वरूप इन सभी सुझावों का परिणाम यह अंतिम विधेयक बना। प्रस्तावित विधेयक मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 19 तथा संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुरुप है।

प्रस्तावित विधेयक का प्रारुप तैयार करते समय सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए आम जनता को अपेक्षित सूचना प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक के प्रस्तावित खंड 8 और खंड 9 से यह देखा जा सकता है कि सरकार ने अधिकतम स्वतंत्रता सुनिश्चित की है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकारी की सुरक्षा में सूचना पहुंचाने की अनुमति दी गई है तथा अपवादों को न्यूनतम रखा गया है। प्रस्तावित विधेयक का दायरा काफी बड़ा है क्योंकि इसके अंतर्गत वे सभी सरकारी प्राधिकरण आते हैं जो राज्य/केन्द्र शासित सरकारों के साथ-साथ केन्द्र, निकायों द्वारा शासित या नियंत्रित या उनके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किये जाते हैं, संसद के दोनों सदन, राज्य विधान सभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायलय और उनके अधीनस्थ न्यायालय तथा चुनाव आयोग, सीएजी, यूपीएससी जैसे संवैधानिक प्राधिकरण शामिल हैं। यह विधेयक संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने या विशेष श्रेणी की सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य करता है।

यह विधेयक सूचना के लिए तन्त्र भी निर्धारित करता है तथा सार्वजनिक प्राधिकारियों को अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर ही उसका निपटान करने के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी

नियुक्त करता है। निर्णय के 30 दिनों के अंदर ही निर्धारित प्राधिकारियों से अपील करने का भी प्रावधान है।

विधेयक के पारित होने के बाद सूचना प्रदान करने के लिए सस्ती, तीव्र और सक्षम पद्धति का विकास करना आवश्यक होगा तथा इसके लिए लोक सेवकों को पर्याप्त आधार-संरचना और प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित होगा तथा इस अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिसूचना जारी करनी होगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार के ऐसे सभी नियमों, जो आम जनता को ऐसी सूचना देने में बाधा पैदा करते हैं, की समीक्षा की जाएगी ताकि खुलेपन की संस्कृति का विकास हो सके।

इस संदर्भ में प्रस्तावित विधेयक के खंड 14 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 तथा लागू प्रत्येक अन्य अधिनियम उस सीमा तक लागू नहीं होगा जब ऐसा अधिनियम इस अधिनियम तब उपबंधों के अनुरुप नहीं रहेगा जिससे यह स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित विधेयक अधिक प्रभावी होगा।

सूचना की स्वतंत्रता विधेयक एक ऐतिहासिक कानून है जो अधिक खुले, स्पष्ट और जवाबदेह सरकार की ओर ले जाता है। सभापति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार करके इस सम्माननीय सदन में इसे एकमत से पारित किया जाए।

सभापति महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

> "कि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही का संप्रवर्तन करने के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोकहित से संगत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, स्वतंत्रता के बाद से उदार समाज को रूप देने, एक उदारीकृत राज व्यवस्था बनाने तथा लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए विधि पुस्तिका में कई नए कानून जोड़े गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत लाखों लोगों के कल्याण, उच्च प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के साथ-साथ उच्च राष्ट्रीय हितों पर विचार किया गया है।

तथापि, चूंकि हमने पुरानी राजतंत्र प्रणाली अपनाई है, हमारी सिविल सेवा में मानसिक स्तर और दृष्टिकोण में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। सरकार और लोगों के बीच शासक और शासित का संबंध ही है। इस प्रकार, यह 'माई-बाप" वाला दृष्टिकोण हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए अभी भी जारी है और यह तथ्य है कि युवा, कई परिवारों के विद्यार्थियों, ने जो समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित है, कड़ी मेहनत से और लोकतंत्र की वजह से प्रशासन में जाने में सफल हो सके। महोदय, यह विडम्बना ही है कि स्वतंत्रता के 53 वर्ष बाद भी अगर आज कोई नागरिक कोई जानकारी मांगता है या सरकारी अधिकारी की जवाबदेही मांगता है तो उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वास्तव में जिस व्यक्ति से सूचना मांगी जाती है वह अपमानित महसूस करता है। इसका कारण है कि सिविल सेवा पर औपनिवेशिक प्रभाव अभी भी है जिससे कि कोई भी सजग नागरिक जो कुछ सूचना चाहे जिसके आधार पर कोई सरकारी निर्णय लिया गया था या कोई सरकारी नीति तैयार की जा रही है। उसे उस प्रयास से विरत रखा जा सके।

माननीय मंत्री द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए बोलने और व्यक्त करने के अधिकार या समानता के अधिकार के अंतर्गत ही सूचना का अधिकार छिपा हुआ है। महोदय, दुर्भाग्यवश जैसा कि मैं कहता रहा हूं आज यह सरकार अपने कार्यकरण के बारे में और प्रजातंत्र के विभिन्न निर्णयों के बारे में गोपनीयता नहीं रख पाई है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण के मामले में 1975 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं इसे पढ़ता हूं:

> "हमारी उत्तरदायीपूर्ण सरकार जहां जनता के प्रतिनिधि अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है, वहां गोपनीयता बहुत कम रह पाती है। इस देश के लोगों को वह सब कुछ जानने का अधिकार है, जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे जनता के कार्यों को विशेष रूप से जानने के अधिकारी होते हैं। जानने का अधिकार जो कि बोलने के अधिकार से निकला है, एक ऐसा कारण है जो किसी को भी ऐसे रहस्य जानने के लिए प्रेरित करेगा जिसका सार्वजनिक सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।"

महोदय आम व्यक्ति को सूचना की उपलब्धता के संबंध में स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी दुख प्रकट किया था कि विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत लोगों को एक रुपए में से केवल सोलह पैसे ही पहुंच पाते हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान यह स्थिति नहीं बदली है क्योंकि लोग नहीं जानते कि जनता का पैसा किस तरह खर्च किया जाता है। महोदय, आज ई डब्ल्यू एस भवन की प्लानिंग प्रक्रिया सौ वर्ष पहले बने किसी महल के भवन से भी धीमी है। हमारी प्लानिंग प्रक्रिया और सरकारी काम से हमें यही मिला। कितना पैसा कहां खर्च किया गया और क्या सरकारी

[श्री पवन कुमार बंसल]

धन का सही प्रयोग हुआ है ये सभी प्रश्न भ्रष्टाचार का पता लगाने और सरकारी धन के दुरुपयोग को नियंत्रित करने तथा सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा एकाधिकार पर नियंत्रण रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए तथाकथित ईमानदार बाबू द्वारा जनता से छुपाई गई जानकारी को अब जनता के लिए खुला छोड़ दिया गया है। पारदर्शिता से प्रजातंत्र को नया अर्थ मिलेगा और प्रजातंत्र सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी उपकरण बन जाएगा। इससे सार्वजनिक नैतिकता बढ़ेगी। इससे सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बढ़ावा मिलेगा और अंतत: इससे सरकार की सक्षमता में वृद्धि हो सकेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं सूचना स्वातंत्र्य विधेयक के पुर:स्थापन का स्वागत करता हूं जिसका उद्देश्य प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए जनहित के अनुरूप सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने की स्वतंत्रता प्रदान करना है।

महोदय इतना कहने के बाद मैं कुछ संशोधनों का संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा जिनके बारे में मैंने सुझाव दिया है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि एक ही खंड है जिसके संबंध में मुझे कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, उससे पहले मुझे यह कहने की अनुमति दें कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण कानून है और जैसा कि मैंने कहा है यह एक ऐतिहासिक कानून भी है, मुझे आशंका है कि यह अंतत: अप्रयोज्य साबित होगा या ऐसी स्थिति उत्पन्न करेगा जो नियंत्रण से बाहर होगी।

कानून क्या है? यह लोगों की इच्छा का चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त किया गया घोषणा-पत्र है। हम भी यही कानून चाहते हैं। काफी समय से लोगों को सरकार की सूचना से दूर रखा गया है और इसलिए यह सरकार द्वारा सही कदम उठाया गया है कि लोगों की काफी समय से लंबित मांग को इस कानून द्वारा पूरा किया जाएगा। जो प्रजातंत्र के प्रभावी कार्यकरण के लिए जरुरी है। प्रजातंत्र केवल एक अवधि के बाद केवल मतदान करना ही नहीं है। प्रजातंत्र अपने आप में एक सिद्धांत है। प्रजातंत्र का अर्थ है कि आपको प्रजातांत्रिक प्रवृत्ति का विकास करना है। इस कार्य के लिए आपको प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन और विकास करना होगा। इस विधेयक का लक्ष्य इन उद्देश्यों को पूरा करना है इसलिए इसे लाया जाना चाहिए।

परंतु जब मैं कहता हूं कि यह बेकार हो जाएगा तो मुझे केवल इस बात की आशंका है कि ऐसे कानून बनाने से ही मानसिकता बदल जाएगी। जैसा कि मैंने शुरु में कहा है कि यह मानसिकता बदलना आसान नहीं है। लोगों ने सरकारी सूचना को अपने अधीन ही रखा है यहां तक कि जो सूचना हानिकारक नहीं है उसे भी उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। यहां मैं यह कहते हुए नहीं हिचकिचाता और मैं आपका समर्थन चाहता हूँ कि इस सभा में भी जब हम संसदीय प्रश्नों के माध्यम से सूचना पाना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रयास यह देखने के लिए किया जाता है कि कम से कम संसद सदस्यों को संभावित सूचना प्रदान की जानी चाहिए। मैं केवल इस सरकार को ही दोष नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा है कि नौकरशाही की औपनिवेशिकता जिसे हमने ग्रहण किया है यही इसका कारण है। इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। जब तक हम यह कर सकते हैं तब तक हो सकता है इस विधेयक से कुछ भी हासिल न हो।

दूसरी बात यह है कि यद्यपि यह एक अमान्य दस्तावेज नहीं है फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में यह सरकार के लिए समस्या पैदा कर सकता है। यहां मैं सरकार के साथ हूं। मैं समझता हूं कि जिस रूप में इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है इससे एक नए प्रकार का न्याय क्षेत्र पैदा हो सकता है। यद्यपि सिविल न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के लिए प्रतिबंध का प्रावधान है मैं समझता हूं कि यह विधान रिट याचिकाओं के लिए रास्ता खोल सकता है। आप हमें वे अभिमत बनाने का, चाहे जल्दी में ही कुछ संशोधनों के माध्यम से मैंने इनका सुझाव दिया है।

संशोधनों का उल्लेख करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत महत्व वाला विधेयक है इसलिए अगर इस विधेयक को संसद में लाए जाने से पहले स्थाई समिति को संदर्भित कर दिया जाता तो अच्छा होता क्योंकि इस विधेयक को जल्दी पारित करने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हमने देखा है कि सरकार कुछ विधेयक लाती है और अध्यादेशों को विधेयकों में परिवर्तित करती है तथा सभा में यह दर्शाती है कि समय की मांग है कि इस विधेयक को तुरंत पारित किया जाए। यह हमने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक के संबंध में देखा है जहां एक अध्यादेश जारी किया गया था और बहुत जल्दबाजी में विधेयक को पारित किया गया तथा इसी सदन में पारित किया गया था और उसके बाद कई वर्षों तक इस अधिनियम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परंतु इस विधेयक के साथ ऐसी कोई जल्दी वाली बात नहीं है।

सभापति महोदय: अब चार बज गए है।

श्री पवन कुमार बंसल: अगर आप मुझे रोकने का संकेत दे रहे हैं तो मैं आपसे बाद में बोलने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप अपना भाषण दो घंटे बाद जारी रख सकते हैं। अब संशोधन लिए जाएंगे। श्री वरकला राधाकृष्णन।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय मैंने अपना भाषण अभी समाप्त नहीं किया है। मुझे अपना भाषण जारी रखना है। मेरे

भाषण समाप्त करने के बाद ही संशोधन प्रस्तुत करने का समय आएगा।

सभापति महोदयः वे अपना संशोधन अभी प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"विधेयक को उस पर 30 नवम्बर, 2000 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।" (1)

सभापति महोदयः मैं समझता हूं श्री विलास मुत्तेमवार उपस्थित नहीं हैं।

4 से 6 बजे तक हम नियम 193 के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर चर्चा करेंगे। 6 बजे के बाद हम सूचना स्वातंत्र्य विधेयक, 2000 पर चर्चा करेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः इस चर्चा के लिए 4 से 6 बजे तक दो घंटे का समय तय किया गया है। श्री आचार्य 4 बजे चर्चा शुरु करेंगे और यह 6 बजे समाप्त होगी तथा 6 बजे के बाद सूचना स्वातंत्र्य विधेयक पर चर्चा की जाएगी।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय अध्यक्षपीठ इस बात का फैसला सभा की अनुमति के बिना कैसे कर सकता है कि यह सभा 6 बजे के बाद तक चलेगी?

सभापति महोदयः बी ए सी ने निर्णय लिया है कि हम 8 बजे तक बैठेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): हम यह संकल्प कल पारित कर चुके हैं।

श्री रूपचंद पालः आपको बीएसी में जो कुछ हुआ वह बताने की जरूरत नहीं है। इस सभा को 6 बजे ही अपनी सहमति देनी है।

सभापति महोदयः हम 6 बजे ही सभा की सहमति लेंगे।

श्री रूपचंद पालः यह काम 6 बजे किया जा सकता है।

श्री प्रमोद महाजनः जो लोग सूचना स्वातंत्र्य विधेयक में भाग लेना चाहते हैं वे उस समय जरुर आएं। इसलिए उन्होंने इसकी घोषणा की है। अन्यथा श्री पवन कुमार बंसल ने चर्चा शुरु कर दी है और उन्हें 6 बजे इसे पूरा करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने सभा को सूचित किया है कि इस विधेयक पर 6 बजे चर्चा होगी।

अपराह्न 4.01 बजे

विभिन्न मंत्रालयों को विषयों के आवंटन के बारे में

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): क्या हम विनिवेश के संबंध में चर्चा को 6 बजे के बाद भी जारी रखेंगे?

सभापति महोदयः विनिवेश पर चर्चा 4 से 6 बजे के बीच होगी।

श्री प्रकाश परांजपेः इसलिए 6 बजे के बाद कोई चर्चा नहीं होगी।

सभापति महोदयः विनिवेश पर चर्चा 6 बजे तक समाप्त हो जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): राज्य सभा में, मंत्री जी ने लगभग डेढ़ घंटे तक उत्तर दिया था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः इसके संबंध में हमने बीएसी में सहमति दी थी।

श्री मणिशंकर अय्यरः बीएसी में जो कुछ भी हुआ हो परंतु मैं अब आपसे इस सभा में अनुरोध कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः नेताओं ने बीएसी की बैठक में भी भाग लिया था। अब हम चर्चा शुरू करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं अपने दल की ओर से स्थिति को स्पष्ट करता हूं। बीएसी की बैठक में हम इस बात पर सहमत हुए थे कि अगर जरूरी हुआ तो सरकारी कार्रवाई को पूरा करने के लिए हम देर शाम तक बैठेंगे। परंतु अगर आप नियम 193 के अधीन चर्चा को दो घंटे तक सीमित करते हैं

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

जिसकी प्रकृति विनिवेश है तो यह पूरी बहस के साथ अन्याय होगा। विनिवेश का मुद्दा न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इसमें काफी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: पहले हमें चर्चा शुरू करनी चाहिए। श्री आचार्य जी चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय नियम 193 के अंतर्गत चर्चा शुरु करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसे व्यवस्था का प्रश्न भी माना जा सकता है।

सभापति महोदय: संभावना का कोई प्रश्न नहीं होगा। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आपको अपना पक्ष स्पष्ट रखना चाहिए। क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री तरित बरण तोपदार: जी हां।

सभापति महोदय: संबंधित नियम पढ़िए। अगर मुझे लगा कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं रूलिंग दूंगा।

श्री तरित बरण तोपदार: प्रक्रिया और कार्यसंचालन नियमों के नियम 194 के अंतर्गत कहा गया है:

> "यदि अध्यक्ष का, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाए कि विषय अविलम्बनीय है ....."

मंत्री जी अब विनिवेश पर चर्चा कर रहे हैं। वे एक नए प्रकार के मंत्री हैं जिन्हें कुछ ही महीने पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनकी स्थिति क्या है? विगत में किसी भी मंत्री की ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए, नियम पुस्तिका में कार्यवाही के संचालन के लिए यह सभा ऐसे नियम नहीं बना सकती है।

सभापति महोदय: आपको यह बात नियम समिति को बतानी होगी।

श्री तरित बरण तोपदार: नियम 389 में अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है:

> "ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से संबंधित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जाएंगे जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश दे।"

सभापति महोदय: मुझे अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार: हमारे संविधान के अनुच्छेद 77(3) में कहा गया है:

> "राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।"

अब वस्त्र मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, नागर विमानन विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग में विनिवेश किया जा रहा है।

सभापति महोदय: मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूँ कि व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, अब मैं आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

सभापति महोदय: मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं कि इस संबंध में अध्यक्षपीठ को सौंपी गई अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मैं प्रवृत्त नहीं हूँ। मैं अपने अभिमत पढ़ूंगा।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: मुझे यह पूरा करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने माननीय मंत्री की बात सुनी है।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: विनिवेश मंत्री की शक्ति क्या है? क्या वह वस्त्र मंत्री से बड़ा है? क्या वह पेट्रोलियम मंत्री से बड़ा है? क्या वह मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों से बड़ा है? इसलिए, प्रधान मंत्री ही एकमात्र सक्षम मंत्री है जो इस विषय के लिए उत्तरदायी है न कि विनिवेश मंत्री। इस श्रेणी में वह मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों से बड़ा नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं अभिमत जारी करूँगा। अब, मैं इस विषय पर अपने अभिमत भी दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं समझता हूं कि आप विवेकपूर्ण ज्ञान के अनुसार विधि के तथा इस अध्यक्षपीठ की अध्यक्षता के अपने व्यावहारिक अनुभव से ही फैसला करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): तमिलनाडु विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष के रूप में ही आप फैसला करेंगे।

सभापति महोदय: संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत "राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।"

उक्त अनुच्छेद के अनुसरण में, स्थिति की तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालयों, जिन्हें समय समय पर संशोधित किया गया है, के बीच कार्य के आवंटन के लिए सरकार द्वारा नियम बनाये जाते हैं।

यह आपका नहीं अपितु सरकार का विशेषाधिकार है कि वह भिन्न मंत्रालयों को विषय के आवंटन का निर्णय करे अथवा कुछ विषय पुन:आवंटित करे और नए मंत्रालय/विभाग सृजित करे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मामले में कोई व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री तरित बरण तोपदार: नहीं महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में कोई नया नियम नहीं बनाया गया है *...(व्यवधान)* कैबिनेट मंत्री किसी अन्य मंत्री से ऊपर नहीं हो सकता। केवल प्रधान मंत्री ही वह कर सकते हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है।

श्री तरित बरण तोपदार: यह कार्य संचालन के नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): मैं इस बात से सहमत हूं कि कार्य आवंटन सरकार का विशेषाधिकार है *...(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार: कृपया इस पर प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया ली जाए।

सभापति महोदय: क्या आप विनिवेश संबंधी चर्चा में अथवा मंत्रालय में दिलचस्पी रखते हैं?

श्री तरित बरण तोपदार: हमें दोनों में दिलचस्पी है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री जोस, अब किस नियम के अंतर्गत आप खड़े हो रहे हैं?

श्री ए.सी. जोस: महोदय, मैं आपने विनिर्णय का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने अपना विनिर्णय पहले ही दे दिया है। वह अंतिम है।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। मेरा कहना है कि ऐसा मंत्रालय गठित करने के बाद कार्य संचालन का कोई नया नियम नहीं बनाया गया है।

सभापति महोदय: मेरे विनिर्णय को पुनरीक्षित करने का प्रश्न ही नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस असाधारण मामले में अध्यक्ष की अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं हूं।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: क्या यह असाधारण मामला है? आपने अभी-अभी कहा है कि यह असाधारण मामला है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह विनिवेश संबंधी चर्चा है न कि प्रक्रियात्मक वाद-विवाद।

श्री तरित बरण तोपदार: हमने सूचना दी हुई है। हमारी उसमें बहुत दिलचस्पी है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पहले ही दस मिनट बीत चुके हैं। श्री जोस, आप किस नियम के अंतर्गत खड़े हो रहे हैं?

श्री ए.सी. जोस: यह आपके विनिर्णय बारे में ही है। मैं आपके विनिर्णय का स्वागत करता हूं। केवल एक चीज का है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मेरे विनिर्णय देने के पश्चात् कोई भी संसद सदस्य उस पर प्रश्न नहीं कर सकता।

श्री ए.सी. जोस: मैं उस पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ।

श्री तरित बरण तोपदार: मैं एक स्पष्टीकरण के लिए आप से अपील कर रहा हूँ *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते। यह प्रथा है।

श्री तरित बरण तोपदार: हर जगह अपील के लिए गुंजाइश होती है। यहां आप अपील को भी खारिज कर रहे हैं। यह क्या है महोदय?

सभापति महोदय: अब श्री बसुदेव आचार्य, नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करेंगे।

अपराह्न 4.09 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आरम्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह दूसरी बार है कि मैं विनिवेश नीति संबंधी चर्चा, अर्थात हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने के संबंध में चर्चा आरंभ कर रहा हूं। सरकारी क्षेत्र की अवधारणा को 1948 में भारत सरकार द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प को स्वीकार करने के बाद अपनाया गया था। इसके बाद सरकार ने 1956 में औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प स्वीकार किया था।

तभी से हमारे देश में सरकारी क्षेत्र की इतिहास प्रारंभ हुई। विनिवेश के नाम में, बेचने के नाम में भारत सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विघटित कर रही है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने हमारे देश के औद्योगिक विकास में अंशदान किया है। जब हमने आजादी प्राप्त की थी, उस समय हमारे देश के उद्योगपति भारी उद्योगों की स्थापना करने की स्थिति में नहीं थे। तब सरकार ने निर्णय किया था कि कुछ क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के अधीन रखा जाएगा। तब हमने देखा कि हमारे देश में सरकारी क्षेत्र ने अंतर्गत भारतीय पचास प्राधिकरण का आगमन हुआ, कई तेल कम्पनियां आई भारी उद्योग लगाए गए। उन्होंने हमारे देश की आर्थिक स्वतंत्रता में काफी योगदान किया है।

आज हमारी आजादी के 53 वर्ष के बाद यदि हम कहते हैं कि ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हमारे देश पर बोझ हैं और हमारे देश का धन इन पर बर्बाद हो रहा हैं तो यह सही नहीं है। इन 53 वर्षों के दौरान लगभग 2 लाख करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र में निवेशित किया गया है। लेकिन इसमें से सरकार का योगदान क्या है? बजटीय सहायता मात्र 27,000 करोड़ रुपये ही है। शेष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने आन्तरिक संसाधनों और ऋण द्वारा लिया है। ये सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को अब खराब बताया जा रहा है। इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान क्या है? सुधार की नीति 1991 में अपनाई गई थी। 1991 में लाभांश के रूप में, कारपोरेट शुल्क, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्कों के रूप में इसने केन्द्रीय राजस्व में 9520 करोड़ रुपये, 1991-92 में 19,721 करोड़ रुपये, 1992-93 में 22,449 करोड़ रुपये, 1993-94 में 22,988 करोड़ रुपये, 1994-95 में 27,472 करोड़ रुपये, 1995-96 में 30,878 करोड़ रुपये, 1996-97 में 37,447 करोड़ रुपये दिये है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल 1,80,505 करोड़ रुपये का योगदान किया है। अत: इस केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने केन्द्र सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का योगदान किया है। इसके बावजूद उन्हें अब हानिकर बताया जा रहा है जैसे कि वह देश का धन इन पर लग रहा है अथवा ये देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है। यदि इनके शेयरों का विनिवेश किया जाता है अथवा इन्हें बहुत सस्ते में बेचा जाता है तो इसका हमारी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

महोदय, 1992 में, ब्याज परिव्यय जो शेयरों में लगाए जाने के पश्चात् बनाया गया था वह 263.40 करोड़ रुपये था। लेकिन पूर्वानुमानित आमदनी 266.78 करोड़ रुपये थी। अत: उस विशेष वर्ष में बचायी गयी राशि पूर्वानुमानित आमदनी के रूप में कमायी गई राशि में कम थी। 1993 में, बनाया गया ब्याज परिव्यय 436 करोड़ रुपये था और पूर्वानुमानित आमदनी 394.88 करोड़ रुपये थी। 1994 में बनाया गया ब्याज परिव्यय 436.67 करोड़ रुपये था और पूर्वानुमानित आमदनी 470.17 करोड़ रुपये थी। 1995 में बनाया गया ब्याज परिव्यय 892.12 करोड़ रुपये और पूर्वानुमानित आमदनी 976.27 करोड़ रुपये थी। 1996 में बनाया गया ब्याज परिव्यय 908.90 करोड़ रुपये और पूर्वानुमानित आमदनी 1415.18 करोड़ रुपये थी। 1997 में बनाया गया ब्याज परिव्यय 946.43 करोड़ रुपये और पूर्वानुमानित आमदनी 1783.91 करोड़ रुपये थी।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सर्वेक्षण के अनुसार यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आरंभ होने से निवेश 2,30,000 करोड़ रुपये था, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त इक्विटी वर्ष 1998-99 में 77.66 करोड़ रुपये थी और भारत सरकार द्वारा उस विशेष वर्ष के दौरान रोकी गई राशि 64.68 करोड़ रुपये थी। अत: ऋण के रूप में ली गई शेष राशि कुल 1,49,779 करोड़ रुपये थी। अत: सरकार का यह कहना कि सारी राशि हमारे 243 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फंसी हुई है, सही नहीं है। लेकिन यदि हम निजी क्षेत्र में फंसी हुई राशि को देखें तो यह राशि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फंसी हुई राशि से बहुत अधिक है। उसमें फंसी हुई राशि 62,000 करोड़ से कम नहीं है। यदि हम उसमें गैर-निष्पादित परिसम्पत्ति को जोड़ दे तो यह 5,8000 करोड़ रुपये बनती है।

अत: सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में फंसी हुई राशि निजी क्षेत्र में फंसी हुई राशि की तुलना में बहुत कम है। इसके बावजूद, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानिकर कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वह देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रही है।

और इसके कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को कौडी के भाव बेचा जाना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि वह तो 1990 में पूर्व सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का अनुसरण कर रही है वह कांग्रेस सरकार और संयुक्त मोर्चा सरकार की नीतियों का अनुसरण कर रही है।

मैं श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा लिखित "फॉदर आफ दा रिफार्म" नामक लेख का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं। यह 5 मार्च, 2000 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था। पंसारी के बिलों का भुगतान करने के लिए घर को मत बेचिए। यहां मैं श्री नरसिम्हा राव जी ने जो कहा है उसे उद्धृत करता हूं:

> "दो टूक शब्दों में, निःसंदेह यह बिक्री कोई अद्वितीय नहीं है। हमें इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। यह बिक्री साधारणतः राष्ट्र का स्वामित्वहरण है।"

यह वह है जो "फादर आफ दा रिफार्म" ने कहा है।

अब हमारे सामने संयुक्त मोर्चा सरकार के 'सांझा न्यूनतम कार्यक्रम' है। इस कार्यक्रम में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा क्या कहा गया है? सरकारी क्षेत्र के संबंध में संयुक्त मोर्चा सरकार सरकारी क्षेत्र को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी। प्रतिस्पर्द्धा और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था में, एकाधिकार और असक्षमता के लिए कोई जगह नहीं है।

विनिवेश के संबंध में सरकारी क्षेत्र से गैर प्रमुख और गैर सामरिक क्षेत्रों को हटाने के प्रश्न की ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए। ऐसे प्रयासों के रूप में निवेश निधि सृजित करने के लिए राजस्व निर्धारित किया जाना चाहिए जो अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मजबूत बनाने में प्रयुक्त की जाएगी। तत्पश्चात् श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए रुग्ण उद्योगों को पुनर्वास करने और पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

श्री मुरासोली मारन संयुक्त मोर्चा की सरकार में उद्योग मंत्री थे। अब वह वाणिज्य और उद्योग मंत्री है। जब संसद में यह प्रश्न उठाया गया था तो उन्होंने बताया था:

> "मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं। मुझे भली भांति मालूम है कि निजीकरण जैसाकि पूर्व के सोवियत संघ अथवा पूर्व यूरोपीय देशों में घटित हुआ है भारत में निकट भविष्य में अकल्पनीय है"

अपराह्न 4.25 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

> "अतः हमें उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वह विनिवेश का सीमित प्रयोग है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार उस नीति का अनुपालन कर रही है? उन्होंने बार-बार कहा है कि वह पहले की सरकार की नीति का अनुपालन कर रही है।

दूसरे सदन में एक प्रश्न "क्या सरकार ने लाभ कमाने वाली केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का हिस्सा विनिवेश करने का निर्णय लिया है, के जवाब में यह कहा गया है कि सरकार द्वारा किया जा रहा विनिवेश इसकी घोषित विनिवेश की नीति के अनुसार है। इसकी घोषित विनिवेश नीति क्या है? लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के लिए पृथक नीति नहीं है।

संयुक्त मोर्चा सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री द्वारा कहा गया कि हम निजीकरण बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं वह विनिवेश का सीमित प्रयोग है। मैं विनिवेश मंत्री से यह पूछना चाहता हूं। अब वही इसके सक्षम प्राधिकारी हैं। वह ही पेट्रोलियम कम्पनियों के बारे में निर्णय लेंगे। वह ही अन्य मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में भी निर्णय करेंगे। हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने के लिए केबिनेट में एक पद का सृजन किया गया है ताकि हमारे नवरत्नों को बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को सौंपा जा सके। हमारे नवरत्नों को एकाधिकार उद्योगपतियों को सौंपने के लिए एक पद का सृजन किया गया है ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोंटाई): चीन भी वही कर रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरा अनुरोध है कि वे चीन का संदर्भ न दें। क्या वे वही कर रहे हैं जो कि चीन कर रहा है? चीन ने एक कर्मचारी की भी छंटनी नहीं की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनकी सरकार क्या कर रही है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं वहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में बात कर रहा हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने हमारे दरवाजे नहीं खोले हैं।

सभापति महोदय: श्री आचार्य, कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): रूस को क्या हुआ है?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी घोषित नीति क्या है। विनिवेश आयोग का गठन संयुक्त मोर्चा सरकार के समय किया गया था। यह उनके न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): किसी देश ने अपने दरवाजे नहीं खोले हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: चीन ने उनकी तरह से अपने दरवाजे नहीं खोल रखे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया: चीन ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर रखा है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं 1993 में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन गया था। जहाँ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी प्रतिनिधिमंडल के साथ थे। पूर्व प्रधानमंत्री .....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री आचार्य, कृपया पीठ को सम्बोधित करें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी घोषित नीति क्या है। क्या इसमें पारदर्शिता है? कोई पारदर्शिता नहीं है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह कहा गया था कि विनिवेश आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रहेगी तथा संसद को यह जानने का अधिकार होगा कि क्या हो रहा है। क्या इसमें कहीं पारदर्शिता है? उनकी कार्यप्रणाली में कहीं पारदर्शिता नहीं है। सरकार की वर्तमान नीति क्या है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार क्या उसी नीति का पालन कर रही है जो कि पूर्ववर्ती सरकार के समय थी।

अब मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार संसद की भी उपेक्षा की जा रही है। महोदय विभिन्न राजनैतिक दलों—कांग्रेस, वाम दल, समाजवादी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के., आर.पी.आई., राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के 112 सांसदों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है। हमें अपने ज्ञापन के जवाब की प्रतीक्षा है। अनेक दलों से सम्बद्ध 112 सदस्यों ने अपनी आशंका व्यक्त की है और यह जानना चाहते हैं कि शेयर का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है।

एक महत्वपूर्ण मामला आई.पी.सी.एल. (इंडियन पेट्रो केमिकल कारपोरेशन) का है। यह 'नवरत्नों' में से एक है। एक बार विज्ञापन दिया गया। बोली बोलने वाले 4 थे। आई.ओ.सी. एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह भी बोली बोलने वालों में था। मैं आपको बताऊंगा कि शेयरों का मूल्यांकन कैसे किया गया है। यह निश्चय किया गया है कि आई.पी.सी.एल. के शेयर का 25% किसी महत्वपूर्ण भागीदार को दिया जाएगा। शेयर का मूल्य 500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आई.पी.सी.एल. के मामले में यह निश्चय किया गया है कि शेयर का मूल्य 125 रुपये होगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि विनिवेश मंत्रालय कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शेयर का मूल्य केवल 125 रुपये होना चाहिए।

महोदय, यह प्रस्ताव है कि शेयर के 25% का विनिवेश करके इस कम्पनी के प्रबंधन को रिलायंस कम्पनी को दिया जाए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण उपक्रम तथा 'नवरत्नों' में से एक को रिलायंस को देना चाहती है। विनिवेश आयोग ने यही कहा है। यह आई.पी.सी.एल. के विनिवेश संबंधी रिपोर्ट, सातवीं रिपोर्ट के पृष्ट 24 पर दिया गया है। इसमें कहा गया है:

> "बोली बोलने वालों की पूर्व योग्यता निर्धारित करते समय हर संभव सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि अकेले ही कोई बाजार में बिक्री पर हावी न हो जाए।"

लेकिन रिलायंस को प्रबंधकीय नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण भावी भागीदार के रूप में चुना गया है। अब क्या होगा? मूल्य का क्या होगा? जब विनिवेश आयोग ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया है कि इससे यह नहीं होना चाहिए कि अकेले ही कोई बाजार पर अपना नियंत्रण कर ले तो भारत सरकार इस संबंध में क्या कर रही है? वह उसका उल्टा कर रही है। क्यों? शेयर के मूल्य क्यों कम कर दिए गये हैं। इस कम्पनी का स्वामित्व रिलायंस को सौंपने का निर्णय लेने के पीछे कारण क्या है? मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, बहुत से सदस्यों को बोलना है। आप पहले ही 25 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं जानता हूँ लेकिन यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मैं बहस शुरू कर रहा हूँ। मैं अधिक समय लूंगा। मुझे कम से कम 45 मिनट मिलने चाहिएं।

सभापति महोदय: आप कितना समय लेंगे?

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मुझे पर्याप्त समय चाहिए। मुझे और कई मुद्दों पर बोलना है।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें और अपनी बात पूरी करें।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ।

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): आपने 'नवरत्न' की बात में पुनरावृत्ति की है।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, मैं पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरी बात नहीं सुनी है।

सभापति महोदय: कृपया, खत्म करें।

श्री बसुदेव आचार्य: स्वामित्व क्यों बदला जा रहा है? 243 में से 107 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्यों घाटे में चल रहे हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के ये 107 उपक्रम आरम्भ से ही सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं रहे हैं। ये सभी उपक्रम इकाईयां थीं जो की अधिकार में ले ली गई। अत: ये सभी निजी क्षेत्र में थे। जब उनके मालिकों ने उन इकाईयों को बन्द कर दिया तो सरकार ने मजदूरों को बचाने के लिए उनको अपने अधिकार में ले लिया। उद्योग को अधिकार में लिया गया और इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद जो कुछ किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। उनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ। उनमें विनिवेश नहीं किया गया। इससे ये उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले संकेत किया था सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे कई उपक्रम हैं जिन्होंने सरकारी राजकोष में लाभांश और कम्पनी कर जमा किया है। यह धनराशि कम नहीं है। उन्होंने 46,000 करोड़ रुपये से अधिक लाभांश जमा किया है। उनका कार्य निष्पादन भी खराब नहीं रहा है। यदि हम एक-एक इकाई को देखें तो पता चलेगा कि उनका कार्य खराब नहीं है। कितनी निधि की जरूरत है? विनिवेश का क्या उद्देश्य है? हमें बताया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को व्यवहार्य बनाने के लिए धनराशि ही नहीं थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को व्यवहार्य बनाने के लिए निधि की जरूरत है।

इन शेयरों के विनिवेश से सरकार ने 19,000 करोड़ से अधिक प्राप्त किया है। हम यह जानना चाहते हैं कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए कितना खर्च किया गया है, सामाजिक क्षेत्र के लिए कितना खर्च किया गया है, और स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है। सरकार या मंत्री महोदय को हमें आंकड़े बताने चाहिएं। वह यह भी कह सकते हैं कि उनका काम केवल बेचना है।

[हिन्दी]

उसे बेचारे को बेचने के लिए मंत्री बनाया गया है। उनका काम नहीं है कि जो पैसा आएगा वह पैसा कैसे इस्तेमाल होगा।

[अनुवाद]

उनका काम बेचना है। उनका काम बेचना है, धनाभाव के कारण सस्ता बेचना। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि यह धनाभाव के कारण नहीं बेचा गया। यह धनाभाव के कारण की गई बिक्री क्यों नहीं है? माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत सरकार को 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्हें वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। एक बार वित्तीय लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाने के बाद, भाव बढ़ाने वाले बड़े सट्टेबाज और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यह पता चल जाता है कि सरकार को 10,000 करोड़ रुपये की सख्त आवश्यकता है तो शेयर अथवा शेयर के मूल्य अपने आप गिरेंगे।

महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माडर्न फूड्स कम्पनी को बेच दिया गया है। यह विनिवेश नहीं है। पूरी कम्पनी उसकी जमीन, मशीनरी और संयंत्र को बेच दिया गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। श्री नीतीश कुमार को यह मालूम है। वह सरकार की विनिवेश नीति के समर्थक हैं।

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड भी बेच दी गई है। किस कीमत पर? 105 करोड़ रुपये में। कुल कीमत 2000 करोड़ रुपये हैं।

इस सरकार को—श्री अरुण शौरी को हमारी सम्पत्ति को लाखों-लाखों भारतीयों की सम्पत्ति को कूड़े के भाव बेचने का अधिकार किसने दिया है? मुझे नहीं मालूम कि आज श्री जार्ज फर्नान्डीज चुप क्यों बैठे हैं। जब सीमेंट क्षेत्र की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'लाफारजे', हमारे देश में आकर हमारे उद्योगों को हड़प रही है लेकिन फिर भी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया।

भारतीय सीमेंट निगम, बन्द होने के कगार पर है। हमारे सीमेंट का उत्पादन हमारी आवश्यकता से बहुत अधिक है। क्या सीमेंट उत्पादन के लिए हमारे पास तकनीकी नहीं है? श्री जार्ज फर्नान्डीज को पता है कि हमारे पास तकनीकी है। फिर उन्होंने 'लाफारजे' को क्यों अनुमति प्रदान की। उन्होंने 1977 में कोका कोला को भगा दिया। अब वह पेप्सी के बड़े समर्थक बन गए

[श्री बसुदेव आचार्य]

हैं। वह उनको अनुमति दे रहे हैं। वह 'लाफारजे' को अनुमति दे रहे हैं। यह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है। शायद यह निजी क्षेत्र की हो।

हमारे अपने देश के सीमेंट उद्योग का क्या हो रहा है? एल.ए.एफ.ए.आर.जेड.ई. (लाफारजे) ने पहले ही टाटा सीमेंट को खरीद लिया है। हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के यहां आने और सीमेंट उत्पादन की अनुमति क्यों दे? ...*(व्यवधान)* हमारे पास अपनी तकनीक है। वे कौन सी नई तकनीक ला रहे हैं? हम यह भी जानना चाहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र पर कितना खर्च किया गया है।

अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र मे अधिक दक्षता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास बी.आई.एफ.आर. द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन है। ऐसा कहा गया है कि 243 में से 60 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में बी.आई.एफ.आर. की राय ली गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य: अभी, इतना जल्दी? ...*(व्यवधान)* महोदय, अभी तो मैंने मजदूरों के मुद्दे की तो शुरुआत भी नहीं की। मजदूरों के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। मजदूरों का रोजगार खतरे में है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप पहले ही 40 मिनट ले चुके हैं।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, उन्हें मजदूरों के मुद्दे पर बोलने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं अपना समय देख लूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों के बारे में बात कर रहा हूँ। 11785 कम्पनियों में से 2,885 कम्पनियां रुग्ण हैं और इनके विषय में बी.आई.एफ.आर. की राय ली गई है। निजी क्षेत्र की रुग्ण कम्पनियों का प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से कम नहीं है। अत: सरकार यह कैसे कह सकती है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों का प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों से अच्छा है। उन्हें सक्षम प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्हें विश्वव्यापी स्तर के प्रबंधन की आवश्यकता है जिससे उनका काम निर्बाध रूप से चल सके। वे विश्वव्यापी स्तर के प्रबंधन आदि की बात कर रहे हैं। 'भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड' के पास एक विश्वव्यापी स्तर का प्रबंधन है। आपने आई.ओ.सी. में विनिवेश किया है। आप दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी आई.पी.सी.एल. का शेयर खरीदने के लिए आई.ओ.सी. को अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। आपकी पसंद 'रिलायंस' है।

सभापति महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : सार्वजनिक क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों में मजदूरों की संख्या करीब 5 लाख है तथा निजी क्षेत्र में लगे मजदूरों की संख्या लगभग 7 लाख है।

महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय एजेण्डा में यह कहा है कि मजदूरों और प्रबंधन की भागीदारी बराबर होगी। आप मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे है? कितनों ने अपना रोजगार खो दिया है? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दो वर्षों (1997 से 1999) के दौरान रोजगार में बहुत अधिक कटौती की गई है।

दो वर्षों में एक लाख से अधिक मजदूरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): इसका कारण विनिवेश नहीं है। इसका कारण स्वैच्छिक विलगन योजना (वी.एस.एस.) है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अब अपनी बात खत्म करें।

श्री बसुदेव आचार्य : स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) क्या है और स्वैच्छिक विलगन योजना (वी.एस.एस.) क्या है? उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का नाम बदलकर स्वैच्छिक विलगन योजना कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, यह विषय विनिवेश से जुड़ा हुआ नहीं हैं। वे इसे विनिवेश के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हां, मैं अब समाप्त कर रहा हूं लेकिन वे बीच में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, वह दूसरे विषय से संबंधित गलत आंकड़े देकर हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* विषय विनिवेश का है न कि बेरोजगारी का और वह ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसका कि यहां कोई मतलब नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या वह ईमानदारी से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और वास्तव में क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुनर्जीवित करना चाहती है। वे ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के छः रुग्ण उपक्रमों का निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। इन छः उपक्रमों में से चार समितियां पश्चिम बंगाल में ही हैं। मैंने विशेषज्ञ समिति की पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। उन्होने इन 6 इकाईयों की अलग-इलग रिपोर्ट तैयार की है। इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहीं भी इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश नहीं की है। बल्कि उन्होंने सिफारिश की है कि सरकार को दूसरी संभावनाओं - नए सिरे से तुलन पत्र बनाना, संयुक्त उद्यम या मजदूरों की सहकारिता - का पता लगाना चाहिए। बिना दूसरी संभावनाओं का पता लगाए सरकार ने इन उद्योगों को बंद करने का निर्णय कैसे ले लिया? हमारी उद्योग नीति की घोषणा तथा 1966 में स्वीकृत उद्योग नीति का मूल उद्देश्य क्या था? यह स्वावलंबन की नीति थी। क्या सरकार ने स्वावलंबन की नीति को अलविदा कह दिया है? ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता : दूसरी नीति 1991 में बनाई गई थी।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने उस नीति को देखा है। मैं श्री नरसिम्हा राव के लेख से पहले ही उद्धरण दे चुका हूं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, अब कृपया समाप्त करें। बहुत हो चुका। मैं श्री मणि शंकर अय्यर को बुला रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, स्वावलंबन की नीति का परित्याग कर दिया गया है। विनिवेश तथा नाम मात्र की कीमत पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचना देश के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। वे हमारे देश की संपत्ति बेच रहे हैं। हमारे देश की सम्पत्ति बेचने का अधिकार उन्हें किसने दिया है। इस विभाग का कार्यभार संभालने के बाद नए मंत्री ने यह घोषणा की कि कोई श्वेत-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाए और संसद की आड़ में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि वे विनिवेश से प्राप्त धन का क्या कर रहे हैं। मैं लाभ में चल रही अपनी कम्पनियों के शेयर के विनिवेशन का विरोध करता हूं। वे हमारी लाभ में चल रही कम्पनियों के शेयर बेच रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आपने बहुत समय ले लिया। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अतः मैं इसका विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार इस नीति का पुनः अवलोकन करें तथा नाममात्र की कीमत पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर न बेचें।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं सरकार के आर्थिक कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दिए गए अपने सहपाठी श्री अरुण शौरी को बधाई देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार और मुख्य रूप से भाजपा डा. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई सुधार प्रक्रिया के अनुसार अपनी आर्थिक नीतियां चित्रित करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह खतरनाक गलतबयानी है। भाजपा और कांग्रेस के विनिवेश संबंधी दृष्टिकोण में जो बहुत अधिक अन्तर है, इससे अधिक और किसी बात से इसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। निःसन्देह कांग्रेस विनिवेश को आर्थिक सुधार प्रक्रिया का एक हिस्सा मानती है लेकिन वह इसका मूल नहीं है। स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि विनिवेश शब्द पंचमढ़ी घोषणा पत्र 1998 में नहीं आया है और न ही कांग्रेस अध्यक्ष के उद्घाटन भाषण या समापन भाषण में आया है। 1999 चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में विनिवेश का किसी खण्ड में उल्लेख नहीं है। विनिवेश का उल्लेख सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य और क्षेत्र की नई आवश्यकता के अनुसार दी जा रही परिभाषा के संदर्भ में और अल्पकालिक पूंजी बाजार के पुनः निर्माण तथा भारतीय व्यक्तियों को निवेश के नए अवसर देने के लिए किया गया है। ये चाहे भारतीय कम्पनियां हों या विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां। यहां 'भारतीय व्यक्तियों' शब्द का प्रयोग किया गया है।

तथापि भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सुधार कार्यक्रमों के लिए विनिवेश एक प्रमुख आधार बन गया है। इसके लिए एक नया विभाग बनाया गया है तथा सरकार के दो प्रतिभाशाली मंत्रियों को सरकारी उपक्रमों को बेचने का कार्यभार सौंपा गया है। इससे भी बुरा यह हुआ है कि बिना कोई विनिवेश नीति बनाए उन्होंने विनिवेश कार्यक्रम की शुरूआत कर दी है।

माननीय मंत्री महोदय यह दावा करेंगे कि वास्तव में उनके पास एक नीति है और यह बात उन्होंने बार-बार संसदीय प्रश्नों के उत्तर और सभा में बहस के दौरान कही है, जैसे:"महत्वपूर्ण उद्योगों को छोड़कर सामान्य मामलों में सरकार की यह नीति है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी के लिए 26% से अधिक नहीं घटाए जाएंगे।" यह नीति नहीं है। यह एक 'फतवा' है।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

सरकार द्वारा ऐसी नीति लाने से पूर्व जिसके आने से 65,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय सहभागिता 2.5 लाख करोड़ रुपये के राष्ट्रीय निवेश और 10 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय आस्तियों पर से राष्ट्र का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा, संसद को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस बारे में श्वेत-पत्र जारी किया जाए जिसमें यह बताया जाए कि राष्ट्रीय संपत्ति थोक के भाव नीलाम करने का औचित्य क्या है। हम चाहते है कि एक श्वेत-पत्र जारी किया जाए जिसमें कम से कम इन 13 मूलभूत प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। ये प्रश्न हैं:

1. वे कौन से क्षेत्र हैं जिसमें सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का होना आवश्यक समझती है और किसमें अनावश्यक?

2. किन सार्वजनिक इकाईयों को पूर्णत: वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाना चाहिए और व्यापक हितों में, किन इकाइयों को विशेष सामाजिक लक्ष्यों के लिए चलाया जाना चाहिए और उनकी औचित्यता पूर्णत: व्यावसायिकता से हटकर मापी जानी चाहिए?

3. सामरिक उद्योग कैसे परिभाषित किए जाएं? क्या उन्हें इस प्रकार का उद्योग माना जाए जो कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है जैसे परमाणु ऊर्जा अथवा वे जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हों।

4. प्रमुख उद्योग कौन से हैं - वह उद्यम जो कि आधारभूत बुनियादी ढांचे वाले आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है या वे उद्यम जो आधारभूत सामाजिक संरचना के लिए आवश्यक हैं जैसेकि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम या गरीबी उन्मूलन।

5. क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन इकाइयों को सेवा क्षेत्र की उत्पादन इकाइयों के समकक्ष समझा जाए? विनिवेश की संपूर्ण रणनीति के साथ धारा 25 की संगति कहां बैठती है?

6. क्या, सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों में, जो औद्योगिकीकरण के नए क्षेत्रों में अग्रणीय हैं या जिन्होंने प्रौद्योगिकी के नए आयाम स्थापित किए हैं या जिन्होंने विकास को नई दिशाएं प्रदान की हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों में जो निजी क्षेत्रों की असफलता के कारण उद्यमरत हैं, में कोई अंतर स्थापित किया जाना चाहिए?

उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की लगभग सभी इकाइयां हानि उठा रही हैं तथा वे निजी क्षेत्र की कंपनियों की स्मारक मात्र हैं, जिन पर इस सरकार ने यह विश्वास किया था कि वे अपना निजी व्यापार चलाने में सफल रहेंगी।

आखिरकार, बी.आई.एफ.आर. को दिए गए सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग आधे से अधिक उपक्रम (67 में से 35) निजी क्षेत्र के वे उपक्रम हैं जो अपने निजी मालिकों के हाथों ही दिवालिए हो गए हैं। मंत्री महोदय यह क्यों सोचते हैं कि यदि आप निजी क्षेत्र में हैं, यदि आप जन्मजात धनवान हैं और यदि निजी क्षेत्र के सभी क्षेत्रों को मिला देने से आप मेरे जैसे किसी व्यक्ति से अधिक प्रतिभावान हैं, जो जन्मजात अमीर नहीं है और जिसने स्वयं की विदेश सेवा के योग्य बनाया है। मैं यह जानना चाहता हूं। जो कुछ हुआ, यह उसके सर्वथा विपरीत है, जैसे वस्त्र क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग आधे से अधिक उपक्रम लाभ कमा रहे हैं और इनके तीन-चौथाई उपक्रमों से जिनके साथ सरकार ने 'समझौता-ज्ञापन' हस्ताक्षर किया था उन्हें सरकार ने 'बहुत अच्छा' या 'उत्तम' के वर्गों में रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों या 77 में से 42 उपक्रमों को उत्तम समझा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खराब कार्यकरण के पीछे क्या राज है?

7. किन मापदण्डों के आधार पर प्रबंध नियंत्रण हस्तांतरित किया जाना चाहिए और किन परिस्थितियों के अधीन स्वामित्व के हस्तांतरण की अनुमति देनी चाहिए?

यह 74 प्रतिशत, 49 प्रतिशत, 26 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से संबंधित है। नीतिश सेनगुप्ता जैसे लोग द्वारा संदर्भित इन प्रतिशतों से सामान्य लोग भ्रमित हो जाते हैं।

किन परिस्थितियों में सरकार को स्वामित्व और प्रबंधन दोनों छोड़ देने चाहिएं? राष्ट्रीय सम्मान कहां है? उदाहरण के लिए, सरकार की राष्ट्रीय एयरलाइंस कम्पनियां किस कसौटी पर खरी उतरती हैं।

8. किसी इकाई के विनिवेश के संबंध में और अधिकाधिक इकाईयों वाले उपक्रमों को एक संयुक्त निगम के रूप में पहले उन्हें अलग-अलग विभाजित करके इकाई-वार विनिवेश करने के लिए निष्पक्ष मापदण्ड अपनाए जाने चाहिएं। मैं 'निष्पक्ष' पर जोर दे रहा हूं।

जैसे कि उर्वरक क्षेत्र में एन.एफ.एल. ही ऐसा लक्ष्य है जो निजी क्षेत्र में लाभदायक है किंतु जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि इसकी चार में से तीन इकाईयां हानि में चल रही हैं। तो ये एन.एफ.एल. से छुटकारा पाना क्यों चाहते हैं? उन्हें इसे अलग-अलग इकाईयों में बांट कर ही निर्णय लेना चाहिए कि वे नुकसान

उठा रही और लाभदायक इकाईयों का क्या करेंगे। 'सेल' को ही देखें जिसमें दो इकाईयां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और दूसरी इकाईयों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि वे इसे अलग-अलग बांटकर उनसे अलग-अलग डील करेंगे। तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किन मापदण्डों के आधार पर सरकार ऐसा करेगी और यह निर्णय लेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के कौन से उपक्रमों को जनसाधारण के विनिवेश के लिए खोल दिया जाए। मैं अपने घोषणापत्र की बात कर रहा हूं जिसमें हमने इनको भारतीय जनता द्वारा चलाए जाने, बहु-स्वामित्व या औद्योगिक नीति संकल्प, 1991 के प्रावधानों के अनुसार म्यूचल फंड या वित्तीय संस्थानों को देने की बात कही है और जिसे बिक्री के लिए रखा जा सकता है। किस उपक्रम को किस वर्ग में रखा जाएगा इसके लिए कौन से मापदण्ड निर्धारित किए जाएंगे?

कौन से मापदंडों के आधार पर आप इकाईयों की बहाली, जीर्णोद्धार और पुर्ननिर्माण का निर्णय लेंगे? अंत में, कौन से बंद उपक्रमों को बेचा जाएगा? क्या ऐसे मामलों का निर्णय तदर्थ आधार पर कार्यपालिका द्वारा किए जाने के बजाए पूर्वनिर्धारित नीति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

9. सार्वजनिक क्षेत्र के लाभदायक और हानि वाले उपक्रमों में क्या कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

महोदय, श्री तिरु पी. कुमारास्वामी अवरगल द्वारा दिनांक 25 फरवरी को पूछे गए प्रश्न सं. 351 के उत्तर में सरकार ने इस सभा को यह सूचित किया है कि हानि उठा रही इकाईयों के लिए सरकार की कोई पृथक नीति नहीं है। मेरे मित्र, श्री बसुदेव आचार्य ने अभी आपके एक और जवाब को उद्धृत किया, जिसमें आपने कहा है कि लाभदायक इकाईयों के संबंध में आपके पास कोई पृथक नीति नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके क्या कारण हैं? लाभदायक इकाईयों और हानि उठाने वाली इकाईयों के लिए पृथक नीतियां क्यों नहीं है? इसी से संबंधित एक दूसरा मूल प्रश्न है कि हानिदायक उपक्रम कौन से हैं - 'सेल' जिसे 1998-99 में 1600 करोड़ रु. की हानि हुई या वह 'सेल' जिसने 1995-96 में 1300 करोड़ रु. का लाभ कमाया? हानिदायक इकाई कौन सी है? भिलाई और बोकारो के बारे में आप क्या कहते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष लाभ कमाया और 'सेल' की दूसरी सहायक इकाईयों के बारे में आप क्या कहेंगे जो हानि में चल रही हैं? आप इन दोनों में अंतर कैसे पहचानेंगे?

10. 'नवरत्नों' को ले लीजिए। भले ही वह बड़े नवरत्न हों या छोटे, क्या उन्हें विनिवेश से छूट प्राप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यदि आप सोचते हैं कि इन्हें इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, उन्हें सम्मिलित क्यों किया जाना चाहिए? यदि आप सोचते हैं कि उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए तो सवाल यह है कि किस सीमा तक? क्या इसे प्राथमिकता के मामले के रूप में नहीं उठाया जाना चाहिए?

महोदय, 11 नवरत्नों में से 10 उपक्रमों का विनिवेश किया गया है। इन 10 उपक्रमों में से भी आठ उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ कमाने वाले 10 अग्रणिय उपक्रमों में से एक हैं। क्या विनिवेश की यह सही दिशा है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): यह किस वर्ष में किया गया था? क्या यह 1991 और 1996 के बीच नहीं किया गया था?

श्री मणिशंकर अय्यर : अगर श्री जेटली 1991-96 और अब की विनिवेश नीति में अंतर पहचान नहीं सकते, तो मैं आपको इनका अंतर स्पष्ट करूंगा। अब मैं समझा हूं कि प्रधान मंत्री ने उन्हें क्यों निकाल दिया। स्पष्टतया वे नीति समझते नहीं हैं।

11. सार्वजनिक क्षेत्र के भिन्न-भिन्न उपक्रमों के लिए विनिवेश की कार्यविधि क्या होगी? राजनैतिक विचारधाराओं की व्यापार आधारित भिन्नता के अनुसार विनिवेश प्रस्ताव, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्ड से क्यों नहीं आने चाहिए? विनिर्णय किस सीमा तक विनिवेश आयोग के अधिकार क्षेत्र में रहेगा? क्या इस आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिए? विनिवेश क्या केवल कार्यपालिका का मामला ही होना चाहिए या फिर संसद, उचित समिति के माध्यम से विनिवेश प्रस्तावों की प्रक्रिया में कुछ कहने का अधिकार रखे?

12. विनिवेश से प्राप्त आमदनी का क्यां किया जाना चाहिए? क्या इस आमदनी को भी भारत की संचित निधि में डाल देना चाहिए या इसे विनिवेश आयोग की संस्तुति के अनुसार पृथक विनिवेश निधि में जमा कर देना चाहिए। इस आमदनी को कुछ विशेष उद्देश्यों, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के पुनरुद्धार और पुनर्संरचना, आधारभूत संरचना निवेश, सामाजिक क्षेत्र व्यय, और गरीबी उन्मूलनता कार्यक्रमों आदि के लिए रखा जाना चाहिए। और यदि ऐसा किया भी जाता है तो प्रश्न यह उठता है कि किस अनुपात में और किस प्राथमिकता से?

13. कौन से कदम तत्काल उठाए जाने चाहिएं तथा उच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के मुद्दे के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए?

श्री माधवराव सिंधिया : सत्ता पक्ष में बहुत बेचैनी है।

श्री मणिशंकर अय्यर : यदि ऐसा किया जाता है, तो महालेखा नियंत्रक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सरकार व संसद के उत्तरदायित्व के संबंध में कौन-कौन से परिवर्तन आ सकते हैं। संक्षेप में, संयुक्त-सचिव राज को समाप्त करने और सार्वजनिक उपक्रमों के मालिक बने मंत्रियों की संख्या को सख्ती से कम करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय द्वारा व्याख्यायित अनुच्छेद 12 के संबंध में, कौन से संवैधानिक और विधिक परिवर्तन संभव हैं?

हमें इस प्रश्न पर तदर्थ उत्तर नहीं चाहिए। हमें नीति चाहिए। बिना विनिवेश नीति के विनिवेश कार्यक्रमों से आपके प्रयोजन, आपके इरादे और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सभी लक्ष्य संदेह के दायरे में आ जाते हैं।

तदर्थ नीति की घोषणाओं और तदर्थ निर्णयों से सरकार केवल अपनी साख और छवि ही खराब कर रही है। यही सरकार है जो पारदर्शिता का दावा करती है। हमें सूचना स्वातंत्र्य विधेयक पर भी चर्चा करनी है। किंतु जब अपने उपक्रमों को बेचने की बात उठी, तो सरकार की पारदर्शिता भी खत्म हो गई है।

उन्हें विनिवेश आयोग विरासत में मिला है। विनिवेश आयोग की अवधि समाप्त हुए भी लगभग नौ महीने हो चले हैं। नौ महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है मगर इतना समय इस असमर्थ सरकार के लिए काफी नहीं है कि वह इन आयोग का पुनर्गठन कर सके। क्या यह केवल घटनामात्र है या फिर सोची समझी चाल है? यही मैं जानना चाहता हूं क्योंकि इस सरकार की कोई नीति है ही नहीं। इसने, सरकार की नीति की घोषणा में अचानक योग्यताएं जोड़ दी हैं।

विनिवेश के पूर्व मंत्री, 'राजा अरूण एक' ने राज्य सभा को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बहाली और उनकी पुनर्संरचना विनिवेश नीति का पहला उद्देश्य है। यदि ऐसा है, तो इस सदन और दूसरे सदन में प्रश्न के कई जवाबों में वे यशवंत सिन्हा के फतवे से क्यों चिपके हुए हैं? वे यह भी कहते हैं कि विनिवेश से वित्तीय घाटे का कुछ भी लेना-देना नहीं है। तो डीजल और मिट्टी के तेल के कर को प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के लिए निर्धारित करने के तौर तरीके के अनुसार ही, विनिवेश की आमदनी को, विनिवेश निधि के बजाए भारत की संचित निधि में क्यों डाला जा रहा है?

विनिवेश के नए मंत्री, 'राजा अरूण द्वितीय' ने राज्य सभा को बताया था कि सिन्हा जी के फतवे के अलावा या, क्या मैं इसे 'पापी' फतवा कह सकता हूं? दो विचार हो सकते हैं। 'विचार' पर उन्होंने अधिक जोर दिया गया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उन्हें ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता है जो सत्ता का निजी हाथों में केन्द्रीकरण रोक सके और नियंत्रण तंत्र पर काबू पा सके। बहुत अच्छे। तो आपने भी 'विचार' श्री तिरु पी.डी. एलानगोवन अवरगल द्वारा 3 मार्च को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 1369 के उत्तर में व्यक्त क्यों नहीं किए? मैं आपको बताता हूं कि उत्तर में से विचार व्यक्त क्यों नहीं किए गए; क्योंकि उनकी कोई नीति नहीं है और जब बात उन पर आती है तो वे शब्द गढ़ लेते हैं।

आर्थिक सुधारों के युग में, सार्वजनिक क्षेत्र की नई नीतियों की उन्मुखता पर एक प्रभाविक और निष्पक्ष चर्चा के लिए हमें अवश्य ही एक श्वेत पत्र जारी करना होगा। इस श्वेत पत्र के आधार पर ही इस देश और इस सभा में चर्चा होनी चाहिए कि व्यापक राष्ट्रीय सहमति पर ही नीति बनाई जानी चाहिए। तब तक, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि विनिवेश के नाम पर देखी जा रही राष्ट्रीय खजाने की लूट को अस्थाई तौर पर रोक दिया जाए।

खैर, आप यह पूछ सकते हैं कि श्री चंद्रशेखर से लेकर श्री पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकारों तक ने विनिवेश प्रारंभ करने से पहले श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं किया। जहां तक श्री चंद्रशेखर का सवाल है तो आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप, हमेशा बदलने वाले वित्त मंत्री जी से पूछ सकते हैं जिन्होंने जैसे तैसे करके समाजवाद और केसरिये की सेवा करी। औद्योगिक नीति संकल्प, 1991 के द्वारा कांग्रेस सरकार ने विनिवेश के लिए यह स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ विशेष उपक्रमों में सरकारी संपत्तियों का 20 प्रतिशत से अधिक विनिवेश नहीं किया जाएगा तथा वह भी केवल वित्तीय संस्थानों और म्यूचल फंड इत्यादि क्षेत्रों में ही ताकि बजट के सीमित संसाधनों को बढ़ाया जा सके।

बाद की सरकार ने एक स्वतंत्र विनिवेश आयोग का गठन किया। मुझे खुशी है कि श्री बसुदेव आचार्य ने मंत्री श्री मुरासोली मारन को निर्दिष्ट किया है। जाहिर है मैं नैशनल फ्रंट-यूनाइटेड फ्रंट के मारन की ही बात कर रहा हूं न कि एन.डी.ए. वाले मारन की। माननीय मंत्री मुरासोली मारन ने संसद को यह आश्वासन दिया था कि स्वामित्व के परिवर्तन का सवाल ही पैदा नहीं होता। पिछली सभी नीतियों की उपेक्षा करते हुए इस सरकार ने विनिवेश के उद्देश्यों, भूमिका, विषय-वस्तु और प्रयोजन को ही बदल डाला है। उन्होंने विनिवेश को, अपने सुधारों के प्लेटफार्म के

केन्द्रीय मोर्चे के रूप में बदल दिया है। उन्होंने इस पर कोई श्वेत पत्र या नीति वक्तव्य जारी नहीं किया। यह स्वीकार्य नहीं है। विनिवेश की स्पष्ट नीति के बिना विकास जब होगा तभी सामने आएगा।

महोदय, क्या मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए केवल दस मिनट ही मिलेंगे।

सभापति महोदय : जी नहीं, आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, अपनी बात समाप्त करने के लिए मुझे केवल दस मिनट और दीजिए।

महोदय, जो कुछ भी हमने देखा है, कुल मिलाकर, उससे यही लगता है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति दुराग्रह पाल रखा है और इन सबका कारण वे दक्षिण-पंथी आर्थिक सिद्धांत हैं जिन्हें हमारी सामाजिक और राजनैतिक वास्तविकताओं या राष्ट्रीय उद्देश्यों से कुछ लेना-देना नहीं है।

हमें यह कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र, जनसम्पत्ति पर भार हैं। मगर मुझे नहीं पता कैसे। मैं, अपने साथ नवीनतम पब्लिक इंटरप्राइजेज सर्वे, 1998-99 खण्ड-1 लाया हूं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार की इक्विटी 65,000 करोड़ रु. है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में डिविडेंड भुगतान लगभग 4000 करोड़ या 5,000 करोड़ रु. है। इन उपक्रमों से केन्द्रीय राजकोष को ब्याज, करों और ड्यूटी के रूप में लगभग 42,000 करोड़ रु. प्राप्त होते हैं। 65,000 करोड़ रु. की संचित इक्विटी में ये उपक्रम लगभग 47,000 करोड़ रु. का अंशदान करते हैं। क्या यह असहनीय भार है?

मैं सभा तथा मंत्री महोदय का ध्यान इन सर्वेक्षण के पृष्ठ 6 और 7 के इन प्वाइंटस पर दिलाता हूं। इसके अनुसार:

1. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों की विनिवेश से अर्जित राशि। ब्याज व कर (पी.बी.आई.टी.) से कैपीटल एम्पलॉयड (सी.ई.) के समक्ष लाभ अनुपात के रूप में 14.5 प्रतिशत बैठती है। इसी साल निजी क्षेत्र में गुजरात अम्बुजा 12.3 प्रतिशत, बेयर 8.7 प्रतिशत, जुआरी फर्टीलाइजर 7.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रहे हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय कैमीकल्स ने जुआरी फर्टीलाइजर को 6.5 प्रतिशत से पछाड़ दिया है।

2. इस सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1998-99 में इन उपक्रमों से प्राप्त राशि, कुल लाभ का लगभग 9 प्रतिशत था। जबकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एस्कॉर्ट ने केवल 5.7 प्रतिशत, आई.ई.सी. होटल क्षेत्र में 5.6 प्रतिशत, सीमेंट में ए.सी.सी. ने 4.6 प्रतिशत और उर्वरक क्षेत्र में एस.पी.आई.सी. केवल 2.5 प्रतिशत का योगदान ही दे सके। बिरला समूह ने हिन्दुस्तान मोटर्स में 11.55 प्रतिशत का घाटा उठाया, और सीमेंट में 36.2 प्रतिशत जबकि एस्सार स्टील में कुल प्राप्ति आश्चर्यजनक रूप से 43.5 प्रतिशत कम थी। यह 'सेल' द्वारा दर्ज की गई ऋणात्मक प्राप्ति से भी दुगनी है। मंत्री जी को नीजि क्षेत्र में निहित कार्यक्षमता की सर्वोच्चता का विश्वास किस बात से है?

पिछले साल और 1998-99 के दो साल एन.डी.ए. की सरकार थी। पी.एस.ई. डिविडेंड 37 प्रतिशत तक पहुंच गए थे। केन्द्रीय राजकोष में इनका अंशदान 12 प्रतिशत था। पी.एस.ई. का नेट वर्थ 9.9 प्रतिशत बढ़ गया था। ये सभी आंकड़े इनकी अपनी रिपोर्ट से लिए गए हैं।

मैं जल्दी से एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इन प्राप्तियों की कोई भी राशि इतनी नहीं होती, यदि सार्वजनिक क्षेत्र को, सरकारी व्यय के अनुपात में बजटीय सहायता न मिलती। मगर इस साल 2000-2001 के बजट में 88,000 करोड़ के परिव्यय की योजना में से विद्युत और सड़कों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र को, जहां तक मैंने हिसाब लगाया है करीब 900 करोड़ और ऋणों के साथ 1100 करोड़ रु. की बजटीय सहायता का प्रावधान है। दोनों को मिलाकर यह 2,000 करोड़ रु. बैठता है। यह केन्द्रीय योजना परिव्यय का मात्र 2.5 प्रतिशत है। क्या यह असहीय बोझ है?

सभापति महोदय : अब आप, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मणि शंकर अय्यर : यदि विद्युत और सड़कों की आधारित संरचना पर होने वाले व्यय भी मिला लिए जाएं तो सार्वजनिक क्षेत्र को इक्विटी और ऋणों के रूप में मिलने वाली बजटीय सहायता, विकास खर्च के पांच प्रतिशत से भी कम बैठती है।

महोदय, मैं सभा का आदर करता हूं। मुझे लगता है कि दूसरे सदन की ही भांति मंत्री जी को यहां भी सवा घंटे बोलने की अनुमति मिलेगी और निस्संदेह जितना वे चाहेंगे उन्हें उतना ही समय मिलेगा। और मुझे आप 20 मिनट बोलने से भी मना कर देंगे इसलिए मैं अपना भाषण लिख कर लाया हूं। कृपया मुझे इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने की और दूसरी प्रति मंत्री जी को देने की अनुमति प्रदान करें ...*(व्यवधान)*

यह मेरे साथ अन्याय है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह कोई अन्याय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं केवल सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमारे सभी सदस्य अपने नाम वापिस लेते हैं *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : माननीय सभापति महोदय, क्या यह सही नहीं है कि सरकार के बजट आबंटन में अत्यधिक कमी के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वाधिक कठिनाइयां हो रही हैं? *...(व्यवधान)*

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री तथा विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें उठाई गई हैं। इससे पहले श्री बसुदेव आचार्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातें उठाई थीं। अब श्री मणिशंकर अय्यर महत्वपूर्ण बातें उठा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें इस दो घण्टे के समय में ढील दी जानी चाहिए। यदि संभव हो तो हम यह चर्चा किसी और दिन जारी रख सकते हैं ताकि अब हम सूचना स्वातंत्र्य विधेयक पर भी चर्चा कर सकें।

अपराह्न 5.21 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, माननीय मंत्री चाहते हैं कि मैं अपनी बात जारी रखूं *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि श्री मणि शंकर अय्यर मेरी बात सुनना चाहेंगे *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए केवल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, कृपया श्री मणि शंकर अय्यर को बोलने की अनुमति प्रदान करें। उनके बोलने में अगर पूरा समय भी लग जाता है और कांग्रेस के दूसरे सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं अपनी तीन-चौथाई बात पूरी कर चुका हूं। बाकी का हिस्सा भी मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा *...(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): महोदय, श्री मणिशंकर अय्यर ने कहा कि वे अपने भाषण का बाकी का हिस्सा सभा-पटल पर रखना चाहते हैं। यही उनका सुझाव था। उनके भाषण से पहले सदस्यों को वितरित प्रति से वे बाहर जा रहे हैं और यह सही नहीं है। मेरे विचार से मुझे आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए। *...(व्यवधान)* प्रेस को दिया गया इनका भाषण भी मैं पहले देख चुका हूं। यह अच्छी संसदीय प्रणाली नहीं है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हमारे पास समय कम है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री मणिशंकर अय्यर : जब से कांग्रेस ने सरकारी निवेशों के लिए बजट आबंटन के कार्य को छोड़ा है तब से इन उपक्रमों में की गई कमी ही सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा का कारण बनी हैं। दोनों योजना लक्ष्यों की तुलना में - आपके अपने योजना लक्ष्य और वास्तविक व्यय के रूप में। आपके व्यय-बजट आबंटन के अनुपात के रूप में - आपके बजट आबंटन।

सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र से हाथ खींच लेने के संबंध में दूसरा तर्क यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्तर्निहित अक्षमता है। यह मेरा कहना नहीं है। इस अभिव्यक्ति का प्रयोग राज्य सभा में माननीय मंत्री श्री शौरी ने किया था। क्या अभिलेख में भी ऐसी बाते हैं? यदि सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्निहित रूप से अक्षम है तो यह कैसे हो सकता है कि मूल्य प्राथमिकता की सहायता लिए बिना लगातार 18 विश्व निविदाएं भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड - जो कि श्री जार्ज फर्नान्डीज की सृजना है और जिसके लिए मैं उन्हें नमन करता हूं - को मिली जिसके लिए उसने ए.बी.वी., सीमेन्स तथा जी.ई.सी. अलासथोम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जैसी बहुराष्ट्रीय दिग्गज कम्पनियों को पछाड़ दिया? क्या भारत की भारतीय तेल निगम एक मात्र फोरचून 500 कम्पनी नहीं है? क्या वही 'सेल', जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तहत 1600 करोड़ रुपये की हानि हुई, ने पिछली कांग्रेस सरकार के आखिरी वर्ष में 1300 करोड़ रुपये का लाभ अर्जन नहीं किया था? सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी अन्तर्निहित अक्षमता क्या है जबकि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 60 प्रतिशत उपक्रम लाभार्जन में से सम हैं, यह भी सच है कि कुछ मामलों में लाभ कम है और जिनमें लाभ ज्यादा है उनकी संख्या बहुत कम है? लेकिन जब हानि की बात भी आती है तो अधिकतर मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र की हानियां मामूली सी हैं और कुछ एक मामलों में ही वे अधिक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विश्व में अपनी तरह के संगठनों में उत्कृष्ट हैं। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को ब्रिटिश गैस कम्पनी ने कभी भी मात नहीं दी और श्री राम नाईक इस बात की पुष्टि करेंगे कि इसके बावजूद भी उन्होंने ब्रिटिश गैस से भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में निवेश के लिए शर्मनाक ढंग से आग्रह किया। राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम ने विश्व बैंक से इतना अधिक ऋण प्राप्त किया है, जिसे कि आज तक बैंक ने किसी भी निगम को नहीं दिया है और लोक उद्यमों संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाले पावर वित्त निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार से लाखों डालरों का कर्जा लिया जबकि इसके प्रतियोगी न तो टाटा और न ही अम्बानी समूह ऐसा कर पाये हैं। इसलिए, यह सरकार अपने कार्यपालकों की बात क्यों नहीं सुनती? प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद में सरकार ने एक भी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकारी को शामिल क्यों नहीं किया है? ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वे सार्वजनिक क्षेत्र से बुरी तरह घृणा करते हैं। यह पक्षपात है, यह नीति नहीं।

यदि हम 10 प्रमुख लाभार्जनकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करें तो उनकी उपलब्धि तथा लाभ, को मापने के लिए इन दोनों ही अनुपातों में तेजी से वृद्धि या सुधार हुआ है। मैं मंत्री जी का ध्यान सरकार के अपने ही प्रपत्र के पृष्ठ संख्या 18 पर सारणी 1.15 तथा उसके अगले पृष्ठ पर बनी सारणी 1.16 की ओर आकर्षित करता हूं। उत्सुकतावश, इन 10 सर्वाधिक लाभार्जन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार ने कम से कम 8 में अपने शेयरों का विनिवेश कर लिया है या विनिवेश करने का प्रस्ताव उसके पास है, लेकिन सारणी 1.16 में दर्शाई गई ऐसी 10 प्रमुख इकाइयां, जो कि घाटे में चल रही हैं, में से केवल तीन या चार में ही विनिवेश किया जा रहा है। यह बात हास्यास्पद है। सरकार अच्छे उपक्रमों को बेच रही है और खराब स्थिति वाले उपक्रमों को अपने पास रखती जा रही है। ऐसा क्यों? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने की मजबूरी क्या है?

सरकार का कहना है कि उसे संसाधनों की आवश्यकता है। हमें संसाधन किसके लिए चाहिए? क्या इनकी आवश्यकता वित्तीय घाटे की पूर्ति करने के लिए है? बिल्कुल नहीं, यह सरकार का जवाब होता है। आप ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? हम तो ईमानदार थे। यदि घाटे को पूरा करने के लिए यह नहीं है तो आप वार्षिक लक्ष्य क्यों निर्धारित करते हैं? यदि आप इस वर्ष 10,000 करोड़ रुपये का विनिवेश नहीं कर पाते तो इस वित्त वर्ष के अंत में राजकोषीय घाटा 10 प्रतिशत और बढ़ जाएगा। यही कारण है कि वे विनिवेश करते जा रहे हैं और यही कारण है कि हम इसे मंगल सूत्र बेचकर बावर्ची को वेतन देने जैसी संज्ञा दे रहे हैं।

विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि इस विक्रय का 10 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक उद्यमों के पुनरुज्जीवन और उनके पुनर्गठन के लिए अलग से रखा जाए। यह पूछे जाने पर कि क्या इस सिफारिश का अनुपालन किया गया है तो माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली हस्तकौशल का सहारा लेने लगते है। मैं 3 मार्च को भी दासमुंशी और पवन कुमार बंसल द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या - 1490 का जिक्र कर रहा हूं:

> "पिछले वर्ष की प्राप्ति का दस प्रतिशत इस वर्ष के बजट अनुसमर्थन के दस प्रतिशत से कम है और इसलिए सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।"

क्या उनके कहने का तात्पर्य यह है कि विनिवेश न होने की दशा में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बजट अनुसमर्थन शून्य रहा होगा?

उन्होंने यह भी कहा व्यवसाय में सरकारी धन के अप्रवाह के बजाय यह उपयुक्त होगा कि इस धन को सामाजिक क्षेत्र में पुनर्निवेशित किया जाए, महोदय, मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि भारत लीटर या राष्ट्रीय बाइसाइकिलस में इस धन के अप्रवाह के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन में इसका निवेश किया जाना और अच्छा होगा, लेकिन विनिवेश और सामाजिक क्षेत्र के बीच क्या संबंध है? इस समय शायद कुछ भी नहीं है, यदि वित्त मंत्री इस सभा को आश्वासन देते कि इन 10,000 करोड़ रुपयों जिन्हें कि इस वर्ष विनिवेश से प्राप्त किया जाना है में से उनकी अनुपूरक मांगों में इतने हजार करोड़ रुपये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न राजसहायता में जाएगा, इतना करोड़ रुपया अनुसूचित जातियों के आवास के लिए, इतना हजार करोड़ रुपया आदिवासी बच्चों के लिए, आश्रम विद्यालयों, इतना करोड़ रुपया दोपहर के भोजन के लिए, इतना करोड़ रुपया महिलाओं के लिए स्व-सहायता समूहों के लिए, सफाई के लिए इतने करोड़, बंजर भूमि विकास के लिए इतना करोड़, लघु सिंचाई के लिए इतना करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के बजटीय अनुसमर्थन के लिए इतना करोड़ रुपये तो इस बात की

[श्री मणिशंकर अय्यर]

प्रंशसा करने वाला मैं पहला वक्ता होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। राष्ट्र द्वारा कड़ी मेहनत से स्थापित इस क्षेत्र को सरकार कौड़ियों के दान बेच रही है और कोई नहीं जानता कि यह पैसा कहां जा रहा है, हर व्यक्ति एक ही बात जानता है कि यह पैसा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है।

महोदय, सरकार की राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों के पुनर्अभिमुखीकरण पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं लेकिन इन सम्पत्तियों की इस तरह से दु:खद बिक्री के लिए नहीं, राजकोषीय घाटा सरकार को इस दु:खद बिक्री के लिए बाध्य कर रहा है। विनिवेश लक्ष्यों की हर घोषणा के बाद इनके उत्पादों की लागत उपभोक्ता बाजार में गिरती जा रही है, बड़े पैमाने के विनिवेश का तात्पर्य है धनाड्य लोगों और विदेशों में स्थित उनके बहुराष्ट्रीय निगम मित्रों को घरेलू बाजार को किनारे करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक राजनीतिक प्रतिबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित करना, इसमें बुरी बात जो है वह है कि किसी विशेष मामले में विनिवेश से एकाधिकार और अल्पविक्रेताधिकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से यह अस्पष्ट है कि इण्डियन पैट्रो केमिकल्स लिमिटेड जैसे उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को यह जानते हुए भी कि अधिकतर क्रेता निजी क्षेत्र के विशालकाय उद्यम हैं फिर भी उन्हें विनिमय की श्रेणी में रखा गया है। मैं जानता हूं कि कम से कम हमारे दो अरुणों में एक अरुण तो फोटो की इस अभ्युक्ति से परिचित होंगे कि "आप रात में मुझसे नहीं मिल सकते और सुबह मैं उपलब्ध नहीं होता।"

मैं जानता हूं कि आप में से कई के उन लोगों से क्या संबंध हैं जिन्हें कि ये क्षेत्र बेचे जा रहे हैं।

श्री अरुण शौरी : महोदय, यह कटाक्ष है। सदस्य को इसे स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि यहां दो अरुण हैं और उन्हें हमें बताना चाहिए कि सभावित क्रेताओं के साथ किस प्रकार के संबंधों का वह जिक्र कर रहे थे।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैंने ये 'दो अरुण' इस संदर्भ में नहीं कहा, कृपया, अभिलेख देखें। मैंने ये 'दो अरुण' नहीं कहा?

श्री अरुण शौरी : आपने ऐसा कहा है।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैंने कहा कि दो अरुणों में से एक अरुण इस अभ्युक्ति के बारे में जानता है ...*(व्यवधान)* आप दोनों बहुत ही ईमानदार हैं और इसीलिए सत्ता पक्ष में बैठे दो मौन रहने वाले मंत्री हैं। इसलिए, सारी घटनाएं आपकी अनुपस्थिति में घटती हैं और आप उनके बारे में नहीं जानते। इसलिए आप उनमें संलिप्त नहीं होते।

श्री अरुण शौरी : कई बातें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं लेकिन आप सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि ऐसा हो रहा है।

श्री मणिशंकर अय्यर : मैं निजी क्षेत्र से उनके संबंधों के बारे में कहे गए अपने शब्द वापस लेता हूं। मैं उन्हें कहने के लिए आवश्यक नहीं समझता।

महोदय, हमारे विनिवेश मंत्री ने राज्य सभा को बताया कि राष्ट्रीय बाइसाइकिल निगम ने 27 लाख की बिक्री की और उसे 56 करोड़ का घाटा हुआ। वस्तुत: यही कारण है कि किसी ने भी इसकी बिक्री का विरोध नहीं किया। यह कार्य घाटे में चल रही इकाइयों से आरम्भ किया जाए। लेकिन उन्हें उनके वास्तविक मूल्य पर ही बेचा जाए। राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कम्पनियों के तुलनपत्रों से माननीय मंत्री जी ने परहेज किया है। लेकिन यदि वह उनकी परिसम्पत्तियों को वस्त्र कम्पनियों के रूप में नहीं बेचते और शहरी विकास की दृष्टि से बेचते तो उनकी परिसम्पत्तियों की बाजार लागत क्या रही होती।

यह हजारों करोड़ रुपये है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? भारी उद्योग मंत्री जी से पूछें, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने भूमि प्रयोग में परिवर्तन की अनुमति देने से मना कर दिया था। तब राष्ट्रीय वस्त्र निगम की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है? क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र में अन्तर्निहित अक्षमता है या उनके ऊपर मेरे मित्रों का यह राजनीतिक कुप्रबंधन? क्या मंत्री जी इस बात की प्रशंसा नहीं करेंगे कि यह वस्त्र निगम निजी क्षेत्र की कब्र है न कि सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन में असफलता सरकार की अकर्मणता का प्रमाण है न कि सार्वजनिक क्षेत्र में अन्तर्निहित अक्षमता का?

मुझे यह जानकर दु:ख हुआ और मंत्री महोदय श्री अरुण शौरी को मॉडर्न फूड की पूरी परिसम्पत्तियों का मात्र 28 करोड़ रुपये आकलन की ओर ध्यान देना चाहिए। हिन्दुस्तान लीवर ने इसे खरीदने के लिए 105 करोड़ रुपये जो कि उसके निवेश का एक तिहाई है की पेशकश क्यों की? क्या यह उनकी भलमानसिकता है या यह कि उन्होंने मॉडर्न फूड की विभिन्न इकाइयों को वास्तविक और व्यावसायिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना का मूल्यांकन 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक आंकलित किया है?

श्री अरूण शौरी संतरे की तुलना सेब से करने के माहिर हैं। वह एक वर्ष की प्राप्तियों की तुलना दशकों से अर्जित घाटे से ही नहीं करते बल्कि वह उस शुद्ध मूल्य के संबंध में लगातार गलतफहमी उत्पन्न करते हैं जो कि शेयर जमा आरक्षित धन है और वह वास्तविक परिसम्पत्तियों और वाणिज्यिक साख के साथ ऐसे निजी क्षेत्र - घरेलु या बहुराष्ट्रीय - के स्वामित्व या प्रबंधन नियंत्रण में जा रहा है जिसका कि इन सम्पत्तियों के निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा।

महोदय, हमें इस परिवर्धन के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। अब से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्यमों में निजी क्षेत्र या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आने दीजिए और सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता करने दीजिए। लेकिन इस परिवर्धन की तुलना में अधिग्रहण को वरीयता क्यों दी जाए? एक मंत्री जो मानता है कि सार्वजनिक क्षेत्र अन्तर्निहित रूप से अक्षम है उस मंत्री पर सार्वजनिक क्षेत्र का विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वह राज्य सभा में कहते हैं कि जब 1960 में वह अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में डाक्टरी कर रहे थे तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि समाजवाद एक बुराई है। शिक्षार्थी के रूप में उनके पूर्वाग्रह अब सामने आ रहे हैं। ऐसे मंत्री का स्वदेशी स्वाभिमान और स्वावलम्बन में कोई विश्वास नहीं है। वह भौतिकवाद का पुजारी है और यही कारण है कि विनिवेश विभाग में उसकी प्रमुखता को मैं इन्हीं जीवन्त आशंकाओं से देखता हूं।

हम ऐसे श्वेत-पत्र की मांग करते हैं जिसमें सरकार मंत्री जी के इस दावे की पुष्टि करने के लिए स्वतंत्र है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अन्तर्निहित अक्षमता है। हम मंत्री जी के आश्वासन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें उनके तर्कों को गहराई से देखना है और हम उनका खण्डन करने के लिए अवसर भी चाहते हैं। यदि उनके पास दोषसिद्धि का साहस है और उनकी सरकार के पास भी - उनके पास तो है, लेकिन क्या 27 दलों की इस सरकार के पास भी दोषसिद्धि का साहस है? क्या सरकार इस चुनौती को स्वीकारेगी? जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इस तर्कविहीन विनिवेश द्वारा जनता के धन की बर्बादी को रोके रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली वाद-विवाद में हस्तक्षेप करेंगे।

श्री अरुण जेटली : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं।

हमें, अपने मित्र श्री मणिशंकर अय्यर का ओजपूर्ण भाषण सुनने का अवसर मिला। यह सही है कि मुझे उनके साथ अध्ययन करने का मौका नहीं मिला लेकिन मैं निश्चित रूप से उनके शब्द चयन की प्रशंसा करता हूं। उन्होंने तेरह प्रश्न उठाए। उन्होंने मेरे मित्र श्री अरुण शौरी का जिक्र किया कि वे एक ऐसे प्रतिभावान है जिन्हें संतरे का भ्रम हो जाता है। लेकिन भ्रमित प्रतिभावान हमेशा ही उन्हें गलतफहमी में रखेगा क्योंकि वह भी ऐसा ही है। ये तेरह प्रश्न जिन्हें कि उन्होंने उठाया है उनके उत्तर इतने स्पष्ट हैं कि शायद इनसे ही मेरे मित्र के मन में गलतफहमी पैदा हो गई है।

अपने भाषण के अंत में उन्होंने श्री अरुण शौरी से पूछा कि क्या उनके पास इस बात का साहस है कि जो कुछ उन्होंने सोचा वह सरकार की गलत नीति थी।

लेकिन यदि मैं श्री मणिशंकर अय्यर के आग्रह को लागू करूं तो सरकार ने 1991-96 के दौरान क्या किया। मैं तो उनसे इतना ही आग्रह करूंगा कि क्या वे उस दौरान हुए विनिवेश के संबंध में प्रत्येक घटना की भर्त्सना करने का साहस रखते हैं। वस्तुत: हमने एक इकाई का निजीकरण किया है और 19 अन्य इकाईयों के बारे में निर्णय लिया है। हमारे विरुद्ध की गई प्रतिभा सम्पन्न टिप्पणियों में सबसे अधिक बात यह है कि हम बड़े पैमाने के विनिवेश क्यों नहीं करतें, आप घाटे में चलने वाली इकाइयों को ही क्यों ले रहे हैं और माध्यमिक स्तर की कुछ इकाइयों को ही क्यों ले रहे हैं? आप बड़े पैमाने के विनिवेश को क्यों नहीं चुनते हैं? वास्तव में, इसी प्रकार की ये टिप्पणियां हैं जिन्हें अर्थशास्त्री समाचार पत्रों में करते रहे हैं। ऐसी टिप्पणियों को हमारे खिलाफ कई सम्पादकियों में किया गया है। हम और अधिक क्रमवार तरीके से इनका जवाब देंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर ने इस बात की कड़ी आलोचना की कि लार्भाजन करने वाली इकाइयों में विनिवेश क्यों किया जाए और हमें नवरत्न उद्योगों को नहीं छूना चाहिए। हां, यदि लाभार्जन करने वाली इकाइयों और नवरत्नों के शेयरों का विनिवेश - इनमें से 39 और नवरत्नों में से अधिकतर लार्भाजन करने वाली इकाइयों का - किया गया होता तो ऐसी नौबत 1991-96 के दौरान ही नहीं आती बल्कि 1996-98 से यही चल रहा है। मैं आज अवश्य मानूंगा कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से मैं तत्कालीन सरकार की नीति की आलोचना नहीं करुंगा, मेरा मानना है कि जब 1991 में वित्त मंत्री ने इस नीति को आरम्भ किया तो उस समय हममें से हर भारतीय का सार्वजनिक क्षेत्र से विशेष लगाव था।

जैसा कि श्री आचार्य और श्री अय्यर ने कहा कि एक समय था जब वार्षिक योगदान की ही निश्चित रूप से आवश्यकता नहीं थी बल्कि सामाजिक तौर पर भी योगदान की भारी आवश्यकता थी तो उस समय निजी क्षेत्र बहुत ही कम था और कतिपय क्षेत्रों में यह क्षेत्र निवेश करने के लिए भी तैयार नहीं था। उस समय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भूमिका थी लेकिन आज कुछ ही क्षेत्रों को छोड़कर यह उन क्षेत्रों में भी कार्य कर रहा है जहां निजी क्षेत्र बहुत आगे बढ़ चुका है और इसके साथ प्रतियोगिता के लिए उठ खड़ा हुआ है। श्री मणिशंकर अय्यर ने कई आर्थिक प्रश्न उठाए हैं। जिनका उत्तर देने की कोशिश मैं अपने भाषण में करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि जब श्री अरुण शौरी पूरी चर्चा का जवाब देंगे तो उनका विस्तार से जिक्र करेंगे। लेकिन हमें इस देश में विनिवेश

[श्री अरुण जेटली]

के बारे में अत्यधिक स्पष्ट होना होगा और श्री अय्यर इस बारे में सटीक सोचते हैं। उन्होंने, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं विनिवेश और निजीकरण के बीच के अन्तर के बारे में गलतफहमी में हूँ। मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूँ कि मेरे मस्तिष्क में इस प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। इस देश में विनिवेश उसी समय आरम्भ हो गया था जब श्री चन्द्रशेखर ने अन्तरिम बजट पेश किया था। आज वे बजट में ऐसे लक्ष्य रखे जाने के कटु आलोचक हैं। लेकिन 1991 से 96 तक के कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक बजट में विनिवेश के लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब, श्री मणिशंकर अय्यर तर्क देते हैं कि "हाँ, यदि आप बजट में लक्ष्य रखते हो तो इसका तात्पर्य दु:खद बिक्री को आमंत्रण है और बंदी विनिमय करार को आमंत्रित करना है।" मुझे आशंका है कि आर्थिक दृष्टि से यह तर्क ठीक नहीं है। ये तर्क सुविधा के लिए है कि जब परिस्थितियां बदल जाती हैं और आपको विपक्ष में बैठना पड़ता है तब ही इन्हें दिया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से ये तर्क नहीं हो सकते।

श्री मणिशंकर अय्यर: हमारे पांच प्रस्तुत बजटों में यह नीतिगत ढांचे में था कि 20 प्रतिशत से अधिक विनिवेश नहीं होगा, उसमें प्रबंध-नियंत्रण या स्वामित्व नियंत्रण छोड़ने की बात नहीं की और हमने मामूली लक्ष्य और बजटीय संसाधन जुटाने के लक्ष्य विशेषरूप से रखे थे। मैं नहीं समझता कि हमें अपनी नीति को आपकी नीति से मिलाकर गलतफहमी पैदा करनी चाहिए। आप दोनों ही बातों को मिलाकर रहे हैं।

श्री अरुण जेटली: यह कांग्रेस सरकार और वर्तमान सरकार की नीतियों का समान होने का प्रश्न नहीं है। यह नीति निर्माण में मतैक्य की बात है और इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि एकमतता की नीति कैसे पनपी, मैं यह उल्लेख करूंगा कि विनिवेश का उल्लेख श्री चन्द्रशेखर के बजट में ही नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस के हर बजट में इसका उल्लेख किया गया है। उनके बजट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यह फैसला किया गया है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों में 20 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश करेगी। कांग्रेस के प्रत्येक बजट में भी यही कहा गया था।

श्री मणिशंकर का कहना ठीक है कि यह 20 प्रतिशत तक ही सीमित था, आज, इसके लिए कई अच्छे आर्थिक कारण मौजूद हैं। जब आप विश्लेषण करते हैं कि अलग-अलग विनिवेश की आमदों से आप उस धनराशि की वसूली करेंगे जिसे कि हमने बिना लाभ पाए खो दिया। संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अनुपालित न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में भी इस बात का उल्लेख हुआ। यहां तक कि इस न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में वामपंथी दलों ने भी हस्ताक्षर किये थे। वस्तुत: जिस संयुक्त मोर्चा सरकार का उन्होंने समर्थन किया था उसमें भी यही बात थी *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल (हुगली): यहां तक कि जब संयुक्त मोर्चा सरकार की उस समय भी हमने बीमा और अन्य बातों का भी विरोध सदन में भी किया था, यह सब अभिलेख में है।

श्री अरुण जेटली: मैं इस हस्तक्षेप के लिए आभारी हूं। आपने सभा में इसका विरोध किया था लेकिन आपमें से कुछ यहां तक की मंत्रिपरिषद में थे जिन्होंने विनिवेश का निर्णय लिया था। जो भी विनिवेश आपने किया उसमें घाटे में चल रही कोई भी यूनिट नहीं थी। आपने जो भी विनिवेश किया वह नवरत्नों में ही किया था। विदेश संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के संबंध में विनिवेश किया गया और भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड के संबंध में निर्णय 1996 और 1998 की समयावधि में लिया गया *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: प्रतिशत क्या था? यह मात्र पांच प्रतिशत था *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: अब मैं नये उस तर्क पर आता हूँ जो कि हम और आप के बीच के अन्तर से उठा है कि हम पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत या 15 प्रतिशत अलग-अलग भागों में विनिवेश चाहते थे लेकिन आप तो इस प्रकार से पूरा ही निजीकरण करने जा रहे हैं। श्री मणिशंकर अय्यर का कहना है कि यही मूलभूत अंतर है। मैं उनसे सहमत हूँ कि यही उनकी नीति और हमारी नीति में अंतर है। मैं इसके कारण बताऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में हमारी नीति ही अधिक अच्छी नीति है।

महोदय, हम सभी ने शेयर बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का मूल्यांकन देखा है। जब आप अलग-अलग भागों में विनिवेश करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? वस्तुत: जो भी आलोचना श्री मणिशंकर अय्यर और श्री बसुदेव आचार्य ने भी की वह अलग-अलग भागों में विनिवेश किए जाने से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों का भाव बाजार में बहुत ऊंचा नहीं है। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ।

जैसा कि आपने कहा कि इंडियन ऑयल कम्पनी फारचून 500 कम्पनियों में से एक है। वस्तुत: यह ही एक मात्र भारतीय कम्पनी है जो कि फारचून 500 कम्पनियों का हिस्सा है। यही कम्पनी लाभ में चल रही है। सरकार मेरे वरिष्ठ साथी श्री राम नाईक यहां उपस्थित है—ने इंडियन आयल कम्पनी के महत्व के बारे में निर्णय लिया है और यही कारण है कि यह कम्पनी आज सार्वजनिक क्षेत्र में है।

परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी, जो कि लाभ अर्जित करने वाली और फॉर्चून 500 में उल्लेख की

गई कंपनी है, ने जब इसके शेयर को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था। तब इसने कितना अर्जित किया? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने श्री राम नाइक जी का उल्लेख किया है, यह उनके विचारों को लागू क्यों नहीं करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इस प्रकार बीच में कोई टीका-टिप्पणी मत कीजिए। कृपया उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली: आप तर्क की बात सुन लीजिए, हमें प्रसन्नता होगी। श्री राम नाइक जी का और सरकार का जो स्टैंड है, उसके संबंध में भी मैं कुछ कहूँगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अखिलेश जी, कृपया बैठ जाइए।

श्री अरुण जेटली: इंडियन ऑयल कंपनी जोकि एक फॉर्चून 500 कंपनी है, लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। ऐसी कंपनी जिस पर हमें गर्व है और ऐसी कंपनी है जिसकी लोक अभिमुखता को अच्छे उद्देश्यों के लिए बनाए रखा जाता है, को शेयर बाजार में उस शेयर मूल्य पर सूचीबद्ध किया गया था जो कि अंकित मूल्य से भी कम है। मैं बस एक दृष्टांत दे रहा हूँ। वर्ष 1991-96 की अवधि के दौरान एवं उसके बाद, जब पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत में विनिवेश करने का प्रयास किया गया है तब आपने सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों के मूल्य निर्धारण के रूप में जो भी प्राप्त किया है, वह निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं है। नवरत्नों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनका विनिवेश किया गया था में भी आपने कभी ऊंचा मूल्य नहीं प्राप्त किया है। जब अंकित मूल्य 350 रुपए था, तो आपने बाजार में लगभग 437 रुपए या इतना ही प्रति शेयर मूल्य निर्धारण प्राप्त किया। जब आप छोटे हिस्सों में विनिवेश करते हैं, तो निवेशक हमेशा ही यह प्रश्न पूछता है: "क्या मुझे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शेयरों में निवेश करना चाहिए क्या मुझे लाभदायक बड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहिए? या मुझे उस कंपनी में निवेश करना चाहिए जिसके पास तीन प्रतिशत अल्प शेयर हैं या जिसके पास सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ हजार या कुछ लाख शेयर हैं?" हमने उस नीति का अनुसरण किया। हमने कभी भी सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त नहीं किया। जो धन आया, वह धन नहीं है जिनका वृहत्तर प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

परन्तु विनिवेश का उद्देश्य थोड़े से शेयरों का विनिवेश करना और केन्द्रीय बजट में धन को प्राप्त करना ही था, और संभवत: श्री मणिशंकर अय्यर की 1991-98 की नीति के बारे में की गई आलोचना सही होगी कि इस धनराशि का उपयोग बजटीय घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया हो। परन्तु आज यह नीति भिन्न है। जब आप निजीकरण या निजीकरण प्रक्रिया को शुरु करते हैं, और जब आप संतुष्ट हो जाते हैं कि इस कंपनी का अस्तित्व सार्वजनिक क्षेत्र में अपेक्षित नहीं है तो आप कंपनी के शेयरों को ही बेच रहे नहीं होते बल्कि आप नवीन प्रबंधन लाने का प्रयास कर रहे होते हैं और नए प्रबंधन में ज्यादा पूंजी, नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किए जाने की संभावना होती है और इस प्रकार, आपको कही ऊंचा मूल्य मिलता है। अतएव, केवल यही दृष्टांक आपके पास है कि जब सेब और नारंग के फर्क को पहचान नहीं पाते हैं तब, इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनी ने 1991-96 की नीति, जिसे हमने कुछ समय तक जारी रखा है, के अनुसार 350 रुपए के उच्च मूल्यों पर केवल 437 रुपए ही प्राप्त कर सकी जबकि माडर्न फूड्स जैसी घाटे में चलने वाली कंपनी ने योजनाबद्ध प्रक्रिया के द्वारा 1000 रुपए के शेयर ने योजनाबद्ध बिक्री में, घाटे में चलने वाली कंपनी में 11,490 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त किए। ...*(व्यवधान)* अतएव, मैं उस संदेह को भी दूर करता हूँ। इसलिए, घाटे में चलने वाली एक कंपनी ने भी योजनाबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से हमने बेहतर मूल्य प्राप्त किए! यह दूसरा लाभ है। ...*(व्यवधान)* मैं पूरा करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अरुण जेटली जी, क्या आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री अरुण जेटली: महोदय, नहीं, मैं इनकी बात इस समय सुनने को तैयार नहीं हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: तब यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरुण जेटली: कृपया मुझे पूरा करने की अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)* निश्चित रूप से आपके पास प्रश्न होंगे जिनका जवाब अरुण शौरी जी देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: मैं मूल्य निर्धारण का सुस्पष्ट रूप से जवाब दूँगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यहाँ क्या हो रहा है? माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी, दोनों की टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अरुण जेटली: मेरे सहयोगी और मैं निश्चित रूप से यह महसूस करते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि मैं इससे सहमत हूँ कि कुछ गलतफहमियाँ अभी मौजूद हैं जिनका निराकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, ऐसा अनुभव रहा है कि जब ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रूपचन्द पाल जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस तरह से हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, वे पूरे प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब नहीं देया है। फिर क्यों आप उन्हें बाधित कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मंत्री जी ऐसा करने में सक्षम हैं। ..*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी पूरे चर्चा क्यों नहीं करते ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: खारबेल स्वाइं जी, अब आप समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरुण जेटली: इसलिए, छोटे हिस्सों में की जा रही विनिवेश की इस प्रक्रिया से सरकार को सर्वोत्तम मूल्य नहीं मिल सकता था। मैं निश्चित रूप से किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी 1991 में की गई शुरुआत के लिए सरकार को श्रेय दूँगा। यह परीक्षण पद्धति थी। उन्होंने एक विशिष्ट कार्य प्रणाली का प्रारंभ किया और वस्तुत: उसी कार्य प्रणाली ने प्रक्रिया आरंभ की। परन्तु हमारे पास दस साल का अनुभव होते हुए भी खंडश: विनिवेश से हम सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त नहीं कर सके। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण और प्राप्त की गई धनराशि में किसी प्रकार का व्यावसायिक परिवर्तन नहीं आया।

मणिशंकर अय्यर जी ने सही कहा है कि इस धनराशि का उपयोग अनिवार्यत: बजट घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया था। इसके विपरीत निजीकरण प्रक्रिया के कुछ लाभ हैं जैसे आप उच्च मूल्यों को प्राप्त करते हैं, सरकार को सर्वाधिक आमद प्राप्त होती है, आप प्रबंधन को लाने में समर्थ होते हैं, जो कि अच्छा प्रदर्शन न करने वाले एककों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, और ऐसा प्रबंधन निश्चित रूप से ज्यादा पूंजी, बेहतर प्रौद्योगिकी लाएगा। ज्यादा पूंजी लाने का एकमात्र दूसरा विकल्प भारतीय जनता पर कर थोपना है। मेरे सामने घाटे में चलने वाला एक एकक है, मैं वस्त्र व्यापार करने गया—राष्ट्रीय वस्त्र निगम का उदाहरण जो उन्होंने दिया—या मैं बेकरी व्यवसाय में लग गया। हमें वहां भारी घाटा हुआ। अब हम भारतीय जनता पर कर लगाने लगे जिससे कि सरकार वस्त्र निर्माण अथवा ब्रेड निर्माण का व्यवसाय कर सके, और एक बार हम उन व्यवसायों में लग जाते हैं, हम वर्ष दर वर्ष पैसे मांगते हैं कि इसी कारण से मणिशंकर अय्यर जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप में कहा—कृपया उन्हें प्रत्येक बजट में अनुदान दीजिए और यह कहिए कि हमें अफसोस है, हमें उस क्षेत्र में घाटा हुआ। इस प्रकार, इस वर्ष हम व्यापार करने के लिए आप पर कुछ और कर लगाने जा रहे हैं।

इस प्रकार, हमारा अनुभव यह रहा है कि अर्थ-व्यवस्था के हित में, राजकोष के हित में तथा स्वयं एकक के सम्पूर्ण हित में योजनाबद्ध बिक्री एक बेहतर विकल्प है। परन्तु इस सिद्धांत को सभी मामलों में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए तथा इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भिन्नता होनी चाहिए। ऐसे कुछ एकक हो सकते हैं जिनके संबंध में आप महसूस करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में इस एकक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, परन्तु एकक का चरित्र कुछ इस प्रकार का है कि हम इसे विशेष सामरिक साझेदार को सौंपने की मंशा नहीं रखते। इसलिए, ऐसे एककों में बाजार में खुदरा बिक्री की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। हो सकता है हमें थोड़ा कम मूल्य मिले। परन्तु तब उसमें व्यापक जनहित होगा और यह व्यापक जनहित ऐसा होगा कि हालांकि हम बहुत कम मूल्य प्राप्त कर रहे हैं पर निजी क्षेत्र के एकाधिकार का निर्माण करने की

प्रक्रिया में नहीं है। इस एकक के लोक चरित्र को बनाए रखा जाता है और इसके शेयरों को शेयर बाजार में लाखों लोग रखते हैं और उनमें सबसे ऊपर पेशेवर प्रबंधन होता है। ऐसे कुछ एकक हो सकते हैं। परन्तु विनिवेश आयोग ने सरकार को दिए गए 58 रिपोर्टों में यह कहा:

> "उन 58 में से 29 की योजनाबद्ध बिक्री होगी, 8 की वाणिज्य बिक्री होगी, 5 में शेयरों को वेचने का प्रस्ताव होगा।"

अन्य ग्यारह में उन्होंने कहा कि वर्तमान क्षणों में विनिवेश की आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार, हमने नीति के महत्व को जाना है, जिसे हमने पूर्व में अपनाया है। हमने महसूस किया है कि 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत शेयरों की बिक्री की मंशा नहीं है। वस्तुतः, मैंने राज्यसभा में व्यवसाय का अनुभव रखने वाले एक कांग्रेस सदस्य को यथातथ्य वही तर्क देते हुए देखा, जिसे मैं दे रहा था और कहा है "कृपया सावधानी रखें।" *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: ऐसा इसलिए है क्योंकि वे व्यापार में हैं।

श्री अरुण जेटली: हाँ, वे हममें से कुछसे व्यापार की ज्यादा समझ रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: बहस में हस्तक्षेप करना तथा बहस का उत्तर देना दोनों में कुछ अन्तर होना चाहिए। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं केवल उन्हीं कुछ और मामलों पर बात करूंगा जो कि यहाँ उठाये गये हैं।

मैंने अभी-अभी यह कहा है कि मूलभूत बातों पर हमारे दृष्टिकोण केवल इसलिए नहीं बदल सकते कि हम यहाँ इस सभा में किस पक्ष में बैठे हैं। 1991 से 1996 तक की सरकार और उसके बाद की सरकार ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की। हमें यह देखना है कि राज्य में क्या हो रहा है। *...(व्यवधान)* हर राज्य में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकार हैं। राजस्थान सरकार इस दिशा में क्यों बढ़ रही है और राजस्थान राज्य विद्युत परिषद के निजीकरण करने की क्यों सोच रही है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री निजीकरण की प्रक्रिया का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश सरकार ऐसा क्यों कर रही है? दिल्ली सरकार भी विद्युत परिषद के निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने-अपने राज्य में विनिवेश आयोग का गठन किया है। असम सरकार इसके विषय में सोच रही है। यहां तक पश्चिम बंगाल में भी *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): पश्चिम बंगाल में कहीं विनिवेश नहीं हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: विनिवेश प्रक्रिया को पारदर्शिता के विषय में आपको क्या कहना है? कार्य-प्रणाली क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: हम निश्चय ही यह करने जा रहे हैं।

महोदय, मैं पुनः यही बात कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार भी इससे होने वाले लाभ को समझ रही है और मैंने समाचार पत्रों में यह पढ़ा है कि वे राज्य सरकार के होटलों में एक महत्वपूर्ण भागीदार को लाने के बारे में सोच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के श्री दासमुंशी अपना सिर हिला रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में उदारीकरण की प्रक्रिया चल रही है लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मेरे विचार में अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं 5 या 6 मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: हाँ।

श्री अरुण जेटली: महोदय, इस बहस से हम मूलभूत प्रश्न पर आते हैं और मुझे खुशी है कि किसी न किसी रूप में इस मूलभूत प्रश्न का किसी ने विरोध नहीं किया इस समय तर्क की बात यह है:

> "हां, यदि आप विनिवेश करना चाहते हैं तो घाटे में चलने वाली इकाईयों का विनिवेश करो, लाभ में चलने वाली इकाईयों का विनिवेश मत करो।" आप कौन सी कार्य प्रणाली अपना रहे हैं? आप जो संसाधन जुटा रहे हैं उसके निवेश के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? चौदहवां मुद्दा, जिसे श्री मणि शंकर अय्यर ने अपने 13 मुद्दों में सम्मिलित नहीं किया, यह उनके लिए भले ही महत्वपूर्ण न हो लेकिन कम से कम हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है। यह है कि मजदूरों के हित की रक्षा के लिए आप क्या करते हैं? मेरे विचार में यह उनके 13 मुद्दों में से प्रथम होना चाहिए था। दुर्भाग्य से, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री मणि शंकर अय्यर: श्री बसुदेव आचार्य इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके थे।

श्री अरुण जेटली: जहां तक प्रक्रिया का संबंध है, यह अत्यंत स्पष्ट है।

श्री मणि शंकर अय्यर: हमें श्वेत-पत्र दीजिए।

श्री अरुण जेटली: अच्छा, इस विनिवेश का विरोध इस तरह नहीं किया जा सकता कि जब तक आप इस पर श्वेत-पत्र जारी नहीं करेंगे कि विनिवेश नहीं किया जा सकता है।

श्री मणि शंकर अय्यर: कोई नीति लाइए और हम उस पर विचार करेंगे। मुख्य बात यह है कि आप कोई नीति हमारे समक्ष रखिए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। मुझे विश्वास है कि यदि वह बात मान लेते हैं तो अगले 5 मिनटों में मैं अपनी नीति को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा।

सायं 6.00 बजे

सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। नीति में वही बातें कही गई हैं जैसी कि डा. मनमोहन सिंह ने 1990-91 के बजट में कही थी और जैसा कि औद्योगिक नीति संबंधी दस्तावेज में कांग्रेस सरकार की नीति रही है। श्री यशवंत सिन्हा ने अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए लगातार तीन बजटों में, प्रत्येक वर्ष विनिवेश नीति से संबंधित एक अलग अध्याय की घोषणा की है। उन्होंने पिछले वर्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि सरकार की नीति अधिकांश मामलों में समानता लाने की है। सामरिक क्षेत्र को छोड़कर, हमने सब मामलों में 26% तक कटौती की है। कुछ मामलों में हम कुछ और कमी करेंगे। गैर-सामरिक क्षेत्रों में भी, हम सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त नहीं करेंगे। हम सार्वजनिक क्षेत्र को वहां बनाए रखेंगे जहां पर वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक होंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि निजी क्षेत्र में उस क्षेत्र की इकाईयों के एकाधिकार का खतरा हो सकता है, अत: हम सार्वजनिक क्षेत्र को ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: आप अपने मंत्रियों—भारी उद्योग मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री को विश्वास नहीं दिला सकते हैं। आप अपने साथी श्री वैको को विश्वास नहीं दिला सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: कृपया हममें से किसी की चिन्ता न करें। हमारी नीति एकदम स्पष्ट है। उठाए गए मुद्दे पर मेरा विचार पूरा दृढ़ है। आपको इस नीति का महत्व धीरे समझ में आना शुरू हो गया है। अब, आप कह रहे हैं, "मेरा विरोध केवल निजी क्षेत्र तक सीमित है न कि घाटे में चल रही ....." ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: कृपया हमें नीति के बारे में बताइए। हम जानते हैं कि यह ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, हम इस प्रकार आराम से समय बर्बाद नहीं करेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अभी 15 और सदस्य हैं। हमें वाद-विवाद आज पूरा कर लेना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, भाजपा ने अधिकृत तौर पर यह स्वीकार किया है कि अभी तक उसके पास विनिवेश संबंधी कोई नीति नहीं है।

श्री अरुण जेटली: मुझे नहीं लगता कि मैं हमने अपनी नीति के लिए किसी को प्रवक्ता नियुक्त किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपके प्रवक्ता ने कहा कि आपकी कोई नीति नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: महोदय, यदि इस प्रकार व्यवधान डाला जाएगा तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह बात मानने वाले नहीं हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री तरित वरण तोपदार: मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। ...*(व्यवधान)* महोदय विनिवेश मंत्री इस मुद्दे पर गंभीर, गहन और विश्लेषणात्मक बहस के लिए इस बहस को दूसरे दिन भी जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं। इसलिए, समय का अवरोध न डालें। मेरा यही अनुरोध है। यह एक अत्यन्त गंभीर मुद्दा है। अचानक, नियम 193 के अधीन बहस करना स्वीकार कर लिया गया है। सरकार इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रही थी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, आप इस चर्चा को कल तक जारी रखिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यमंत्रणा समिति में यह तय किया जा चुका है कि इस विषय पर बहस आज ही पूरी कर ली जानी है।

श्री तरित वरण तोपदार: नहीं, हम सहमत नहीं हैं। *...(व्यवधान)* हमें समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: यह बहस कम से कम 4 घंटे, और यानि आठ बजे तक चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके लिए वास्तव में 2 घंटे आवंटित थे। दो घंटे हो गए हैं। अभी 15 और सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं। क्या सभा यह चाहेगी कि समय बढ़ाया जाए?

श्री तरित वरण तोपदार: महोदय, विनिवेश मंत्री बहस को कल तक जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): इसे अगले सत्र तक भी जारी रख सकते हैं।

श्री तरित वरण तोपदार: इससे मुद्दा समाप्त नहीं हो जाएगा। यहां हर बात समाप्त नहीं हो जाएगी। लोग उठ खड़े होंगे *...(व्यवधान)* इस प्रकार टिप्पणी न करें। मैं कार्यवाही की बात कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे सभा की अनुमति प्राप्त करने दीजिए। अभी 15 सदस्यों को और बोलना है। मंत्री जी को उत्तर देना है। क्या सभा बहस के पूरा होने तक बैठेगी?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा का समय बढ़ाया जा रहा है।

श्री अरुण जेटली: पूरी प्रक्रिया की कार्य-विधि के बारे में एक प्रश्न किया गया था। यदि शेयरों का विनिवेश बाजार में खुदरा बिक्री के रूप में किया जाता है तो इसके लिए सुव्यवस्थित तरीके हैं। इसके लिए लिखित प्रक्रिया है जिसके द्वारा खुदरा बिक्री की जाती है। मैंने देखा है कि देश में 1991 से भी खुदरा बिक्री की गई है बाजार में सुव्यवस्थित तरीकों के अनुसार की गई है।

जहां तक सामरिक क्षेत्र की बिक्री का संबंध है उसके लिए आप अपने सलाहकार नियुक्त करते हैं, बाजार का मूल्यांकन करते हैं और भागीदार का चुनाव सदैव बोली बोलने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।

श्री रूपचंद पाल: कहीं पारदर्शिता नहीं है।

श्री अरुण जेटली: पहली बार मुझे एक युक्ति का पता चला है। आपने निविदा निकाली। आपने बोली बोलने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रक्रिया में आपने सबसे अधिक मूल्य और सबसे अच्छे भागीदार का चुनाव किया। क्या बोली बोलने की यह प्रक्रिया क्या पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है।

दोनों बातें एक दूसरे के पूर्णत: विरोधी हैं। कोई लेन-देन नहीं हुआ है और न हो रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: क्या माननीय मंत्री जी जी.ए.आई.एल. से प्राप्त अनुभव और लिखित प्रक्रिया को स्पष्ट करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पाल, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। हम सरसरी तौर पर बात करते हुए सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते।

श्री अरुण जेटली: गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर हम चर्चा कर चुके हैं और इसकी 'बुक बिल्डिंग प्रक्रिया' है *...(व्यवधान)* गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो मूल्य मिलता है वह बाजार मूल्य से अधिक है। यह निविदा की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा होता था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें यह रात 8 बजे तक खत्म करना है। जब मंत्री महोदय उत्तर दें तब आप प्रश्न पूछें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ये उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये हस्तक्षेप कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अरुण जेटली: महोदय, एक प्रश्न, जिसकी हमने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी। वह मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर ने उठाया ही नहीं है। यह सरकार मजदूरों के हितों के बारे में स्पष्ट नीति रखती है। प्रत्येक लेन-देन के मजदूरों के हितों की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। दरअसल, विनिर्णय प्रक्रिया में पहली बार हमने कर्मचारी स्टॉक विकल्पना योजना के द्वारा कर्मचारियों को एक उपक्रम की निगमित संपदा में हिस्सेदार बनाया है। परिणामस्वरूप, कई मजदूर संघों ने निजीकरण का समर्थन करते हुए कुछ बड़े उपक्रमो के निजीकरण के प्रयास का समर्थन किया है। देश में पहली बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: सभी मजदूर संघों ने इसका विरोध किया है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.), मान्यवर, इसे कल तक जारी रखिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: सरकार की विनिवेश नीति के विरोध में तीन दिन तक हड़ताल रही थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जब उत्तर देंगे तो आपको ये सभी स्पष्टीकरण मिल जाएंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: ये सदन के समक्ष गलत तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका मजदूरों से कुछ लेना-देना नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अब समाप्त करें। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली: महोदय, केवल दो प्वाइंट और हैं *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, ये सदन को गुमराह क्यूँ कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: ये मजदूर संगठनों के विषय में जो कह रहे हैं, वह गलतबयानी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* सरकार के घटक दलों में भी इस पर विरोध है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): महोदय, ये श्री मणिशंकर अय्यर द्वारा पूछी गई सभी बातों के उत्तर दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: वाद-विवाद में श्री अय्यर जैसे वक्ता का जवाब कोई भी देना चाहेगा। यदि श्रीमती आल्वा उनके समक्ष वाद-विवाद करती तो मैं उन्हें भी जवाब देता *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जरा आराम से सुनिए तब पता लगेगा कि क्या है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन बातें ही और कहूँगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह था कि अंतिम नौ महीनों में भी आपने विनिवेश आयोग का गठन क्यों नहीं किया? विनिवेश आयोग ने 58 सिफारिशें की हैं। विनिवेश आयोग एक व्यावसायिक निकाय है जिसने हर कंपनी का अध्ययन कर बड़ी ही विस्तृत मूल्यवान सिफारिशें की हैं। मगर आज उन 58 कंपनियों में से केवल 1927 20 कंपनियों के संबंध में ही निर्णय लिये गये हैं। इन निर्णयों के लागू होने में वक्त लगेगा। निश्चित रूप से एक विनिवेश आयोग की आवश्यकता होगी। मगर विनिवेश आयोग की आवश्यकता तब होगी जब आखिरी सिफारिश लागू हो जाए तथा लागू होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए।

महोदय, एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि निजी क्षेत्र की कई कंपनियाँ भी खराब कार्य कर रही हैं। वे ठीक कहते हैं, "यदि निजी क्षेत्र में कार्य सही रूप से नहीं चल रहा है तो आप इस पूरी प्रक्रिया में केवल सार्वजनिक क्षेत्र को ही विनिवेश करने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें मूल अंतर हैं। और वह यह है कि निजी क्षेत्र इस प्रक्रिया में अपना उद्धार तो कर ही लेगा, भले ही वह अधिक निवेश से हो, अपने रिजर्व बाहर निकलने से हो, बैंकों से ऋण लेने से हो या फिर अपनी पुनर्संरचना से हो *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: स्वराज पॉल के अवलोकन के अनुसार, "अब यहाँ निजी क्षेत्र है ही नहीं।" निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों से ऋण ले रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: मगर स्वराज पॉल द्वारा बताने पर उन्हें पता चला कि *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: जी हाँ, उनके मित्र।

श्री अरुण जेटली: मगर वित्तीय मर्दे तो है और फिर श्री मणिशंकर अय्यर यह उसी प्रकार का मूलभूत अंतर है जैसे कि सेब और संतरे में फर्क होता है। जब निजी क्षेत्र बदहाली में होता है तो वे भारत को कर तक नहीं देते जो कि उनकी कार्यक्षमताओं के लिए भुगतान करता है *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: एन.पी.ए. लगभग 54,000 करोड़ रु. हैं। क्या हम उसके लिए भुगतान नहीं कर रहे? 62,000 करोड़ रु. के कर बकाया हैं तो क्या हमने उसके लिए भुगतान नहीं

किया? आप सार्वजनिक क्षेत्र को असफल निजी क्षेत्र को सौंप रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: आज यह उन लोगों का पैसा है जो कर देते हैं और सरकार ने उन क्षेत्रों का चयन भी कर लिया है जिनमें विनिवेश किया जाना है। क्या हम करदाताओं का पैसा ऐसे व्यापार में लगा रहे हैं जिसमें निजी क्षेत्र का निवेश भी उपलब्ध है या फिर हम यह पैसा सरकार की घोषित नीति वाले सामाजिक क्षेत्र के लिए प्रयोग करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: शिक्षा के लिए दिए जाने वाले प्रावधान दिन-ब-दिन कम होते जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा): एन.पी.ए. के 56,000 करोड़ के बारे में आप क्या कहते हैं? ये आंकड़े आपके अपने हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: आपने आखिरी मुद्दा यही उठाया था। आपके द्वारा उठाया गया 13वाँ प्रश्न था कि इससे जुड़े राष्ट्रीय गौरव पर हमारी राय क्या है? आप सही हैं। ये कारोबार चल रहे हैं और इनमें से कुछ कारोबार राष्ट्रीय हैं और उनके ऊपर भारत का झण्डा लगा है। इस कारण यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय गौरव पर आंच न आये। ग्राहकों के लिए ये अपनी उत्तम सेवाओं और सुविधाओं के साथ सामने आएं और अकुशल संगठन के रूप में कार्य न करें ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मेरे ख्याल से श्री शरद यादव आपसे सहमत नहीं होंगे ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली: सरकार अपनी नीति के बारे में स्पष्ट है। इस बारे में आप चिंता न करें। आप सिर्फ उसकी चिंता करें जो आपने 1991 और 1996 में किया था। इस पर वे आपको आपके सहयोगियों से उत्तर मिल ही जाएगा।

मैं कहना चाहूँगा कि इस विनिवेश प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामाजिक क्षेत्र में पिछले ऋणों के भुगतान करने और सार्वजनिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए करदाताओं के धन का सर्वोत्तम प्रयोग हो सके। महोदय, विनिवेश प्रक्रिया का उद्देश्य ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ये क्या है? सदन में बहुत शोर हो रहा है। कृपया सुनिए, ये क्या कह रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यदि आप इनसे सहमत नहीं हैं तो भी आपको इनकी बात सुननी चाहिए।

श्री अरुण जेटली: महोदय, समूची प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा हो, इकाईयों के हितों का भी संरक्षण हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और रुग्ण इकाईयाँ पुन: चालू हो सकें। कुछ इकाईयाँ रुग्ण हैं और कुछ रुग्ण हो रही हैं। हमें इस प्रक्रिया की हर संभव कुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न करने होंगे। यह प्रक्रिया दूसरी पीढ़ी के सुधारों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब यह सम्मानित सदन इस पर चर्चा कर रहा है। वित्त मंत्री जी ने अपने लगातार तीसरे बजट में नीति को एकदम स्पष्ट कर दिया था। इस नीति से सरकार के पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तर्क-विवाद के बीच में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों से हमें अभी एक दु:खद सूचना मिली है कि आज श्रीनगर में बम विस्फोट से कुछ पत्रकारों और फोटोग्राफरों की मृत्यु हो गई है। हम चाहते हैं कि आज की सभा की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं इस सभा को बताएं कि वास्तव में वहाँ क्या हुआ था?

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री संभवत: कुछ जानते हों।

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार आज सभा की बैठक स्थगित होने से पहले हम आपको सूचित करेंगे। मैं माननीय सदस्यों की ये एक बार फिर यह विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें इस घटना की सूचना अवश्य दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री तरित वरण तोपदार।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के संबंध में पूर्व विनिवेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है—मैं द्विअर्थी नहीं हूं—कि बड़े और विशाल निजी उद्योगों और औद्योगिक घरानों के हित में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश किया जा रहा है।

आजादी और देश के बंटवारे के बाद, हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए और कृषि विकास के साथ मिलकर चलने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह बात 1948 से 1987 तक की औद्योगिक

[श्री तरित बरण तोपदार]

नीति संबंधी वक्तव्यों में साफतौर पर कही गई थी। लेकिन 1999 में इसमें उस समय स्पष्ट और अलग प्रकार का अंतर उभरा—यह पहले ही आरम्भ हो चुका था—जबकि राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के विचार को चलता कर दिया गया और इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र, अन्य सरकारी क्षेत्रों जिनमें रेलवे भी शामिल है के सामाजिक दायित्व के विचार को त्याग दिया गया। मैं इस बात को जानता हूँ। कम से कम अब तो यह स्पष्ट ही हो गया है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की गति जो कि पूंजीवाद के विकास पर आधारित है को इस स्थिति में आना नियत था। यह राज्य पूंजीवाद है जो अब विकसित हुआ है। पूंजी देश के हाथ में है लेकिन इससे देश के पूंजीपतियों और बड़े औद्योगिक घरानों के मंसूबे ही पूरे होते हैं। उस समय, उनके पास शक्ति नहीं थी, पूंजी नहीं थी और उनके पास इस साम्राज्य के विनिर्माण के लिए धन भी नहीं था। मेहनतकशों जन-साधारण और देश के सभी लोगों ने सरकार को योगदान दिया। इस योगदान से इन सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। अब, जनता के खर्चे से बने, सर्वजनिक धन से बने इन उद्यमों को पुन: पूंजीपतियों के हित में उन्हें ही सौंपा जा रहा है। इनकी जो कीमतें निर्धारित की जा रही हैं वे परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है और ना ही इसके बारे में कुछ किया जा रहा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विभिन्न प्रकार के हैं। जैसा कि श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र की कब्र पर स्थापित किया गया है। अब हमारी अर्थव्यवस्था के विकास की कुछ निश्चित अवस्था में इन उद्यमों ने भी कमान संभाली और जन-साधारण की विभिन्न तरीकों से सेवा की। हम एक ऐसे ही विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का उदाहरण दे सकते हैं जो कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम है। कांग्रेस शासन के दौरान इसके लिए पुनरुज्जीविन पैकेज तैयार किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने इस प्रक्रिया का आरम्भ न किया हो, लेकिन उस दौरान जब विनिवेश की अवधि आरम्भ हुई, गैर-राष्ट्रीयकरण की अवधि के दौरान, हम श्रमिक संघों, सांसदों मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर आते उस समय वहां एक समिति थी। हम उस समय इस बात को करते जब कि हमने-इस संसद ने-15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, का राष्ट्रीयकरण किया, मेरा तात्पर्य राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत इनका प्रबंधन ग्रहण किया। उस समय तो पन्द्रह उद्यमों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

अत: मैं जो देखता हूँ वह है कि जब श्री अरुण जेटली ने कहा-वह यहां अभी नहीं है-कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया को आरम्भ किया था और वे इस प्रक्रिया के आख्याता हैं। वे इस प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं और मात्र चार वर्षों में ही उन्होंने 20 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक विनिवेश का निर्णय ले लिया। इसकी गति इतनी तीव्र है कि मात्र चार वर्षों में ही वे 20 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से 100 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। लेकिन मुझे याद है—आप भी याद करें—कि वे उस समय विपक्ष में थे जबकि यह प्रक्रिया शुरु की गई थी तो वे उसका विरोध हमारे साथ किया करते थे।

अत: पक्ष की राजनीति चाहे उस तरफ हो या इस तरफ, जो भी आक्षेप कांग्रेस पर लगाए गए हों वे दोनों पर लागू होते हैं। मैं नहीं जानता कि वे इसका विरोध करेंगे या नहीं, लेकिन मैं पाता हूँ कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब वे सरकार में हैं तो उन्होंने इसे उच्च गति दे दी है, और मात्र चार वर्षों में ही 20 प्रतिशत 100 प्रतिशत में बदल गया। और तो और वे प्रमुख क्षेत्र की भी बिक्री कर रहे हैं। प्रमुख क्षेत्र की अवधारणा ही समाप्त हो गई है। उच्च लाभार्जन योग्य, और उच्च लाभार्जन कम्पनियों की भी बिक्री की जा रही है। इस संबंध में कई मुद्दे उठाये जाते हैं। मैं उन्हें दुहराना नहीं चाहता। मैं एक लेख से ब्रिटेन में विनिवेश के अनुभवों के कुछ उदाहरण देता हूँ। "आज भारत और ब्रिटेन के बीच विरोधाभास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण के प्रति दृष्टिकोण तीव्र नहीं हो सका।"

कई विवेकशील ब्रिटेनवासियों ने निजीकरण को बड़ी मूल के रूप में स्वीकारा है, वस्तुत: यह चिरस्मरणीय युवा है। ब्रिटिश एयरवेज के निजीकरण की महान सफल कहानी गम्भीर खतरे में है और परेशानियों से जूझ रही है।

ब्रिटिश दूरसंचार के शुल्क यूरोप में सर्वाधिक ऊंची दरों में से हैं। ब्रिटिश के निजीकृत जल आपूर्ति इतनी महंगी है कि कई लोग कनेक्शन लगाए जाने के साथ इसे काट देना पसंद करते हैं। इससे निर्धन क्षेत्रों में स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

यहाँ तक कि ब्रिटेन की यातायात अवसंरचना भी बदतम है, छोटे-छोटे निजी संभागों में बिखरी, विश्व में कभी नम्बर एक ब्रिटेन की रेल व्यवस्था आज अनुरक्षण के मानकों के कारण भयभीत करने वाली व्यवस्था है। हाल में पडिंगटन दुर्घटना जो यूरोप की सर्वाधिक भयंकर दुर्घटना थी वह भी इसी के कारण हुई।

आज, शायद ही लंदन की डब्बल टेकर बसें समय से चलती हों। इन बसों के नेटवर्क के छोटे भागों में विभिन्न कम्पनियों ने स्वामित्व ग्रहण कर लिया है और वे कर्मियों की छंटनी करने और किराये बढ़ाने में अधिक रुचि लेती हैं न कि सेमी-विश्वंशनीय सेवाएं प्रदान करने में।"

और हमारे मंत्री ने अपने हस्तक्षेप में कहा—मैं नहीं जानता कि यह चर्चा का आधा उत्तर था या नहीं कि निजी कम्पनियां चाहे

लाभ में हो या घाटे में चल रही हों लोगों को परेशान नहीं करती हैं। अर्थव्यवस्था की संकल्पना क्या है मैं नहीं जानता। उत्पादन व्यापार और विपणन की प्रत्येक प्रक्रिया हमारे देश के लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुभती रहेंगी।

यह कैसा आर्थिक तंत्र है जहां हम अब हैं।

हाल ही में सी.एम.आई.ई. अध्ययन ने पाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पूंजी का उपयोग निजी कम्पनियों की तुलना में अधिक निपुणता से करते हैं। इस बात का उल्लेख आई.आर.ओज ने किया है।

1991-92 में किए गए विनिवेश के प्रथम भाग में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक ने प्राक्कलित किया कि उस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों को कम लागत में बेचे जाने के कारण 3,342 करोड़ रुपए का सार्वजनिक घाटा हुआ ...*(व्यवधान)*। मैं उन्हें भी नहीं छोड़ रहा हूँ। बाद के वर्षों में आज तक, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की राय और आपत्तियां उन शेयरों के मूल्यांकन के बारे में क्या है जिन्हें कि बेचा जा रहा है? ...*(व्यवधान)*

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अर्थशास्त्री और अखबार वाले आलोचना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं जल्दी कीजिए, सब कुछ बेच डालिए, आप इन्हें क्यों नहीं बेच देते? हमने भी समाचार-पत्रों में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के लेखों को देखा है। वहाँ कुछ लोग इससे असहमत भी हैं। यह असन्तुष्टता यहाँ तक कि मंत्रालयों में और केन्द्रीय मंत्रीमंडल में भी है। मुझे यह मुद्दा भी उठाना है कि विनिवेश मंत्री को एक तरह से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वह एयरलाइन्स, वस्त्र उद्योग, भारी उद्योगों, रसायन उद्योगों आदि में विनिवेश किए जाने का निर्णय स्वयं ले रहे हैं।

महोदय, जब हम परामर्शदात्री समिति या अन्य संसदीय समितियों में शरीक होते हैं तो सचिव और अन्य लोग बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं से अवगत करवाते हैं। इसमें तर्क की मात्रा कम होती है। वे कम ही सूचनाएं देते हैं।

महोदय, विनिवेश मंत्रालय के सचिव ने प्रेस में कहा था कि यदि सरकार, उनकी नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को पूर्णत: बेच देती है तो सरकार को 8 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हो सकेंगे। यह ठीक है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सभा में इस चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। हम यहां हैं और हमें समाचार पत्रों से पता चलता है यह निर्णय लिया गया है, वह निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम, एन.जे.एम.सी. तथा अन्य कई संगठनों को जिम्मा लेते समय इस सभा में कानून अधिनियमित किए गए, लेकिन अब जब विनिवेश लिया जा रहा है तो सभा को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस पर विनिर्णय नहीं कर रहे हैं। बजट पारित कर दिया गया है। बजट-भाषण में ही इस संबंध में कुछ उल्लेख किया गया और प्रक्रिया चलने लगी। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूर्व के दिनों में जब नियम बनाए जाते थे तो हमें पता नहीं था कि इस तरह की स्थिति उभर जाएगी। हम विनिवेश का नहीं बल्कि निवेश का निर्णय करते थे। इसलिए, यह नई स्थिति है और इसमें एक नई नीति को अपनाया जाना है कि संसद को विश्वास में कैसे लें।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया, अब समाप्त करें अन्यथा हम चर्चा का समापन नहीं कर पाएंगे।

श्री तरित वरण तोपदार: मैं समाप्त कर रहा हूँ। महोदय, यह कहा गया है कि विनिवेश से भारत को कर्जों से मुक्ति मिलेगी। मैं सचिव की टिप्पणी का संदर्भ दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि:

> "भारत एक कर्ज-जाल की ओर बढ़ रहा है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से बचा जा सकता है जिससे कम से कम 7 लाख करोड़ रुपये की वसूली हो सकेगी।"

सायं 6.31 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

वर्ष 2000-01 के संघ के बजट में ब्याज का भुगतान संभावित प्राप्तियों का 50 प्रतिशत है। प्राप्त होने वाले राजस्व का पचास प्रतिशत कर्जों के ब्याज पर चला जाएगा। ऐसी स्थिति है। स्थिति विशेष प्रकार के कर्ज-जाल की ओर जा रही है जिससे विनिवेश से बचा जा सकता है। यही बात सचिव ने भी कही थी। लेकिन न तो सभा में और ना ही किसी कमेटी में जहां हम इन अधिकारियों से मिला करते हैं वहां कुछ भी नहीं कहा गया है। यहां तक कि जब उनसे पूछा जाता है तो कुछ अस्पष्ट सा उत्तर देकर वे अनदेखी कर देते हैं। यह बहुत नई स्थिति है जिसके बारे में हम 15, 20 या इनसे अधिक वर्षों पहले नहीं सोच सके।

बजट-भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा था कि प्रत्याशित प्राप्तियों का दसवां भाग सरकारी कर्जों को देने और बाकी सामाजिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन में व्यय करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। यदि श्वेत-पत्र भी न हो, कोई सुस्पष्ट नीति

[श्री तरित बरण तोपदार]

और उस नीति में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी न हो तो इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए? और यदि नीति और उस नीति पर की गई कार्रवाई का मूल्याँकन संसद नहीं करती तो यह प्रयोजन विहीन है।

मैं इस बात के साथ समापन करना चाहता हूं कि इस स्थिति में सरकार जो भी सम्पत्ति, परिसम्पत्तियां और अन्य चीजें देश की जनता ने अर्जित की है उन्हें अन्य लोगों को सौंप रही है। देश ने इन परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए लम्बी दूरी तय की और अब उन्हें निजी स्वामित्व को सौंपा जा रहा है।

मैं बता सकता हूँ कि बजट का धन आरम्भ से ही सीधे ही व्यावसायिक घरानों को चला जाता है। यह धन बजट से किसानों के नाम पर प्रत्यक्ष रूप से बड़े भू-स्वामियों को चला जाता है। हमें खेती करने वालों और खेती न करने वालों के बीच का अन्तर स्पष्ट करना ही होगा। हमें किसानों और जमींदारों में अंतर करना चाहिए। पांच प्रतिशत ग्रामीण जनता के पास 45 प्रतिशत जमीन है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

45 प्रतिशत जमीन 5 प्रतिशत लोगों के हाथ में है। आप समझ जाइये कि 45 प्रतिशत आप जो सब्सिडी देते हैं, जो पैसा देते हैं चाहे वह बिजली में हो, पानी में हो या दूसरी चीजों में हो, यह 45 प्रतिशत पांच प्रतिशत लोगों के हाथ में जाता है।

[अनुवाद]

इसी प्रकार, सरकारी खजाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े औद्योगिक संगठनों और बड़े जमींदारों को भुगतान किया जा रहा है। यह नीति लगातार अपनाई जा रही है। हम संसद में विरोध प्रकट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि असहमत दल, असहमत मंत्री तथा कांग्रेस पार्टी जो अपनी नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं–एक साथ मिलकर इस प्रक्रिया को विफल कर रहे हैं। यह संसद में विफल नहीं हुआ है, यह संसद के बाहर लोगों के सामने विफल होगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): सम्माननीय सभापति जी, एनडीए सरकार की डिस-इंवैस्टमेंट नीति के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं अपने एक सहयोगी से पूछ रहा था कि ऐसा कौनसा प्राणी होता है जो सीजन के हिसाब से अपना रंग बदलता है। उन्होंने कहा कि उसको हिंदी में गिरगिट कहते हैं। ऐसे ही कांग्रेस भी अपना रंग बदलने लगी है। *...(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: यह आप पर पूरी तरह से लागू होता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): कांग्रेस द्वारा अपनी उदारीकरण की नीति की घोषणा करने के बाद माननीय मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने वाशिंगटन में न कि कांग्रेस ने भाजपा की आर्थिक उदारीकरण की नीति का अपहरण किया था *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया: सभापति जो, मुझे लग रहा है कि 90 के दशक के पहले की कांग्रेस में और 2000 की कांग्रेस में तथा 21वीं सदी की कांग्रेस में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। सन् 1998 में भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उनकी सीटें कम होती गयी। *...(व्यवधान)* उनकी सीटों का डिसइंवैस्टमेंट हो गया। कांग्रेस की सीटें 401 से घटकर 100 पर आ गयी हैं और उन्हें डर यह लग रहा है कि 21वीं सदी में जब पहला चुनाव होगा तो तब शायद वे डबल फिगर में भी न पहुंच पायें। चुनाव स्टंट के नाते 1990 की उनकी डिसइंवेस्टमैंट की नीति और अब की उनकी नीति में अंतर हो सकता है और यह हर पार्टी का अधिकार है। लेकिन जब पार्टी अपना रंग बदलती है तो किसी की बलि भी चढ़ाती है। हमारे मुम्बई में उसको "बलि का बकरा" कहा जाता है। पार्टी बलिदान से पहले उसको बहुत खिलाती है, पिलाती है।

* * * *

काश, श्री अय्यर जी को जो अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ है, वह 1991 से लेकर 1995 तक हुआ होता तो जो छोटे इनवैस्टर्स हैं, जो मिडिल क्लास इनवैस्टर्स हैं, उनके 3-4-5 हजार करोड़ रुपये आपके कारण बच जाते।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सभापति महोदय, विपक्ष के नेता संसदीय प्रणाली का एक अंग है। इसलिए उनके लिए निन्दा शब्द का प्रयोग करना असंसदीय है। आप इस पर बाद में विचार कर सकते हैं और अगर आप समझते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूं तो इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है, इसे एक्सपंज किया जाये।

*अध्यक्षपीठ के आदेसानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, कुछ भी अपमानजनक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): जब उन्होंने अपने भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो हमने उसे सह लिया। अब, वे क्यों नहीं सह सकते? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैं अय्यर जी को वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो डा. मनमोहन सिंह जी का वाक्य था और जिसे आपने पढ़ा था।

> "अधिक सार्वजनिक भागीदारी तथा अधिक उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की 20 प्रतिशत इक्विटी को म्यूचल फंडों और सरकारी क्षेत्र में निवेश संस्थानों में निवेश किया जाएगा।"

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या सरकारी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उल्लेख किया गया है?

[हिन्दी]

पढ़िये, मगर दोबारा पढ़िये और समझिये। उसके बाद हमें पढ़कर सुनाइये।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अगर आपको इतना ही सुनना है तो आगे कहूंगा कि खुद आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं डा. मनमोहन सिंह का वही वाक्य पढ़ रहा हूं:

> "सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संगठनों तथा म्यूचल फंडों में चुने हुए 20 प्रतिशत का निवेश करना।"

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : यह अधिक सार्वजनिक भागीदारी के लिए है न कि अम्बानी की भागीदारी के लिए।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : और आगे क्या सुनाऊं? आपने म्युचुअल फंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को पैसा बेचा, जो शेयर्स बेचे, आप 1991 से लेकर 1995 तक की हिस्ट्री देखिये तो मालूम होगा कि आपने पांच हजार करोड़ रुपया डिसइनवैस्टमेंट किया, वह पब्लिक में नहीं किया, आपने बाहर मार्किट में शेयर्स नहीं खरीदे। आपने 20 प्रतिशत इक्विटी यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को बेची थी। उसमें यू.टी.आई. को 3500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 1991 से 1995 तक यू.टी.आई. ने पब्लिक सैक्टर में डिसइनवैस्टमेंट किया और उससे सरकार मारी गई। सरकार ने 3500 करोड़ रुपया देकर बेल आउट किया और आपने जो शेयर्स ट्रांसफर किये, उसके कारण हुआ। यह केवल प्रदर्शन और धोखा था। आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। आपने हायर रेट्स पर यू.टी.आई. को बेचे। यू.टी.आई. कुछ नहीं कह सकता था। यू.टी.आई. में किसका पैसा है? इसमें स्माल इनवैस्टर्स का दो करोड़ पचास लाख रुपया है। आज यू.टी.आई.-64 नीचे आई तो आपकी सरकार के कारण आई। और आप श्री अरुण जेटली से पूछ रहे थे। वे श्वेत पत्र प्रकाशित करने की बात कह रहे थे। अरुण शौरी व्हाइट या रेड पेपर पब्लिश करें, उसमें काले कारनामे तो आप लोगों की सरकार के ही होंगे।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली): आपका स्वदेशी जागरण मंच बोल रहा है, वह सरकुलर तो निकाल दीजिये।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व): मैंने यह कहा कि व्हाइट पेपर हो या रेड पेपर हो, उसमें आप दोनों के समय की सरकारों के काले कारनामे होंगे।

[अनुवाद]

जुलाई 1991 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य और निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की थी जिसमें सरकारी क्षेत्र के संबंध में बड़े निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों में सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची 17 से घटाकर 4 क्षेत्रों तक कर दी गई।

विनिवेश नीति एक अच्छी नीति है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

क्योंकि मेरा स्पष्ट कहना है कि 17 में से चार खराब हैं। ठीक है, 1970 में कोई कम्पलशन रही होगी। मैं 1970 और 1980 के डीटेल में नहीं पड़ना चाहता। उस समय नेशनलाइजेशन हुआ, जो आपने शुरू किया। मैंने कांग्रेस को यह नहीं पूछा कि 17 पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज थीं और फिर बाद में चार हो गयीं, उसमें से स्ट्रेटेजिक कौन सी है और कोर सैक्टर कौन सी हैं।

[अनुवाद]

आपने 13 प्रश्न पूछे थे और मंत्री जी उनका उत्तर देंगे। आप मुख्य क्षेत्र, नीतिगत क्षेत्र आदि के आधार पर उन्हें अलग करना चाहते थे।

यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों, गरीब लोगों के लिए है। अब आप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बाते करते हैं आप समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। जो झोंपड़-पट्टी में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, वे मारुति कार यूज करते हैं। क्या मारुति फैक्टरी माननीय अरुण शौरी जी ने लगाई? क्या यह मजबूरी में किया गया था या इसे महत्वपूर्ण क्षेत्र समझा गया था? मारूति उद्योग में भारत सरकार के 51 प्रतिशत शेयर नहीं हैं। आपने वैश्वीकरण शुरू कर दिया है। यह कैसा वैश्वीकरण है? आपने 50 प्रतिशत शेयर सुजुकी को दिए हैं, 50 प्रतिशत भारत सरकार को। क्या आप 51 प्रतिशत अपने पास नहीं रख सकते थे। क्या मारुति कार आम आदमी के लिए है? आप डिसइन्वैस्टमैंट की बात करते हैं। आपके 24 में से 23 होटल्स आज लॉसेज में जा रहे हैं। जो सैन्टूर फाइव स्टार होटल्स बने हैं, क्या यह पर्यटन विकास के लिए हैं? हम किस तरह के पर्यटन विकास की बात कर रहे हैं?

[हिन्दी]

कोई राजस्थान के जंगल में या उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास छोटी धर्मशाला बनाये तो मैं समझ सकता हूं और उसके लिए सरकार अपने बजट में से पैसा रखे, मैं उसे सपोर्ट करूंगा। लेकिन मुम्बई एयरपोर्ट के सामने जुहू के सामने सैन्टूर होटल बनते हैं और उसमें जो लॉसेज होते हैं वे आम आदमी की खींसे में से जाते हैं, क्या आप उस पालिसी को जारी रखेंगे। जो लॉसेज पब्लिक सैक्टर में होता है वह किसके खींचे में से जाता है। हम 'भारत सरकार' से क्या समझते है? अन्य शब्दों में भारत सरकार सौ करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वह टैक्स पेयर्स का पैसा है। अगर टैक्स पेयर्स का पैसा मारूति के कारखाने में लगाने की बजाय जहां बाढ़ आती हैं, उन बाढ़ों को रोकने के लिए, वहां डैम्स बनाने के लिए यूज करते तो वहां नुकसान कम होता। हमें इस नीतिगत क्षेत्र की व्याख्या करनी होगी। मैं आपसे केवल आगे सोचने को कह रहा हूं। एक लाभ कमाने वाली इकाई किसे कहते हैं। आप लाभ कमाने वाली सरकारी इकाइयों की बात कर रहे थे। आज वे 117 हो गये। 237 में से 106 लॉस करते गये। ये 106 तब लॉस नहीं कर रहे थे। 10-15 साल पहले ये काफी प्रोफिट में रहे होंगे। शहरीकरण के कारण तथा निजी कम्पनियों को अनुमति देने से, एकाधिकार खत्म होने से उन्हें हानि हो रही है। इसमें आपका या किसी का दोष नहीं है। मैं वास्तव में सदन से कहना चाहता हूं कि यह नाटकबाजी छोड़ो, बनातवाला जी नाटकबाजी शब्द के अर्थ पर मत जाइये। छोड़ो ये सब बातें कि आपकी सरकार होगी या यह सरकार होगी। जो दो लाख पचास हजार करोड़ रुपये का इन्वैस्टमैंट लगा है, उसका रेट ऑफ रिटर्न अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं। आपको बहुत स्टेटिस्टीकली फीगर्स मिल सकती हैं। इस आंकड़े में एक से छह प्रतिशत का अंतर आता है। प्रत्येक अलग-अलग आंकड़े दे रहा है। हमें क्या वसूली हो रही है? कोई कहता है यह एक प्रतिशत है, कोई कहता है यह दो प्रतिशत है या 4 प्रतिशत। उसमें से जो आपके मोनोपोलिस्टिक पी.एस.यूज. हैं, ऑयल पी.एस.यूज. हैं, वे निकाल दीजिए, यह दो परसेन्ट से भी नीचे आ जायेगा। आपको श्री अरुण शौरी जी एक्जेक्ट फीगर्स देंगे, ऑयल पी.एस.यूज क्या होते हैं। माननीय राम नाइक जी यहां बैठे हैं, 2002 में आपके ऑयल पी.एस.यू. के पैट्रोल पम्प्स बाहर बिकने लगेंगे।

[अनुवाद]

आप उन्हें कैसे रोकेंगे? जब रिलायन्स और निजी क्षेत्र में अन्य उद्योग आएंगे तो आप उन्हें कैसे रोकेंगे? क्या हम निजी क्षेत्र के लोगों को दूरसंचार बाजार में आने से रोकने में सक्षम हैं? आप मुम्बई आइए। बंगलौर, इंदौर में शुरू हो चुका है। और वहां यूजर्स टैलिकॉम आ गया है। एम.टी.एन.एल. की वैल्यू डाउन होने लगी है। आटोमैटिकली होगी। मुम्बई में कस्टमर के घर में आकर लगा जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें नया नम्बर नहीं चाहिए। आप केवल जाने वाली कालों का हिसाब रखते हैं। इनकमिंग में एम.टी.एन.एल. को पैसा नहीं मिलता है जो करने वाला देता है। वह कहता है कि इनकमिंग के लिए एम.टी.एन.एल. का बॉक्स यूज करो और आउटगोइंग के लिए मेरा यूज़ करो। वे केवल बड़े ग्राहकों पर ध्यान देते हैं। आपने आज गेटवे खोल दिये। क्या होगा वी.एस.एन.एल. का, क्या होगा वी.एस.एन.एल. का? एम.टी.एन.एल. होगा, वी.एस.एन.एल. होगा, बी.पी.सी.एल. होगा, आई.ओ.सी. होगा पांच वर्षों के बाद वे एन.टी.सी. बन जाएंगे। दीवार पर लिखा है जिसको पढ़ने की हिम्मत हमें करनी चाहिए। हम इस देश के नेता हैं। आज देश हमको अलग दृष्टि से देखता है। भूल जाइए समाजवादी, कांग्रेस, कम्यूनिस्ट, बीजेपी, बीजेडी, शिवसेना, एन.डी.ए., लेकिन हमें सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे और इसी प्रकार का वाद-विवाद वितंडावाद करते रहेंगे तो हर साल नयी-नयी सिक यूनिट्स बनती जाएंगी और आज जो घाटा इतना होता है जो मैंने बताया ऑइल सेक्टर निकाल दीजिए और उसके बाद 10-15 मेजर प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स निकाल दीजिए पावर सैक्टर की यह घाटे में जा रहा है। पावर सैक्टर का हम क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है। हम पावर सैक्टर में जनरेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं लेकिन हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि बहुत बड़ी गलती हम समाज के साथ, देश के साथ और आर्थिक नीति के

साथ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका कारण है कि जब विद्युत उत्पादन के साथ वितरण होना चाहिए। डिस्ट्रिब्यूशन में कोई प्राइवेट सैक्टर आने को तैयार नहीं है क्योंकि बिल की वसूली कौन करेगा? पैसे वसूल करने की शक्ति नहीं है। पावर की चोरी होती है, माफिया होते हैं, बिल वसूल नहीं कर सकते हैं। वितरण में घाटा हो रहा है। हरेक स्टेट में किस-किस को सरकार है? हर पार्टी की सरकार हैं। हम वहां पावर जनरेशन का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिब्यूशन का नहीं कर रहे हैं। डिस्ट्रिब्यूशन का लॉस हमारे सिर पर आ रहा है और यह जो प्राइवेट कंपनीज़ आने वाली हैं किसने वैश्वीकरण शुरू किया है? 1991 से 1995 तक हरेक कंपनी को टैक्स की जो छूट दी है वह मैं आपको बताऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा। मैं फॉरेन टैलिविजन कंपनीज़ और इंडियन टैलिविजन कंपनीज के बारे में बताता हूं। भारतीय दूरदर्शन कम्पनियों को 38 प्रतिशत आय कर देना होता है और विदेशी कम्पनियों को केवल 4.5 प्रतिशत आयकर। यह एन.डी.ए. की सरकार ने नहीं किया है, यह पहले की सरकार ने किया है। लेकिन मैं आरोपबाजी नहीं करना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं कि यह ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट ने किया है, आप मत बुलवाइए कि आपकी सरकार में हुआ है, आप उस बात को छोड़ दीजिए। मैं आरोपबाजी नहीं करना चाहता हूं। मुझे एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि हम सुबह उठकर पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम नाश्ता नहीं करते हैं। पहले हम मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं उसके बाद लैट्रीन जाते हैं, उसके बाद हम स्नान करते हैं और उसके पश्चात् नाश्ता करते हैं। हम क्या कर सकते थे? हमने अपने पी.एस.यूज. का मोनोपलिस्टिक नेचर तैयार किया। उसके कारण ऐफिशियेन्सी, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। 11 बजे के बाद 11.25 बजे भी कोई आता है क्या हम कह सकते हैं? वहां पर कोई मंत्रालय में या पी.एस.यू. में जाकर बोले कि क्यों लेट आया है और छः बजे के बदले पौने छः बजे जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यह 25-30 साल का सिस्टम है। वहां पर मोनोपलिस्टिक नेचर तैयार किया है। ऐफिशियेन्सी का सवाल ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का प्रश्न ही नहीं है और हमने क्या किया? हमने ट्रेड में ग्लोबलाइजेशन कर दिया। एक बाजू वी.एस.एन.एल. के सामने बड़ी ग्लोबल कंपनियां होंगी और दूसरी तरफ हमारा 30 साल पुराना मोनोपलिस्टिक कल्चर। तो कहां तक टिक पाएगा?

सभापति महोदय, मैं इनसे कहूंगा कि नवरत्न यूनिटों से और आगे जाकर स्टडी कीजिए। वे सभी केवल बाजार में अपने एकाधिकार के कारण ही लाभ कमा रहे हैं। दूसरी जो वे मांग कर रहे थे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपको भेल का उदाहरण दूंगा।

श्री किरीट सोमैया : यह सच है। मैं आपको बता रहा हूं।

[हिन्दी]

हमें पहले पी.एस.यूज. का कारपोरेटाइजेशन करना चाहिए। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन के बाद ग्लोबलाइजेशन और डिसइनवैस्टमैंट करना चाहिए, लेकिन हमने पहले क्या किया, वहीं जो मैंने पहले कहा, स्नान किया, उसके बाद लैट्रीन गए और फिर ब्रश कर रहे हैं। मैं वास्तव में आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं वरना जितने फिगर्स आपने पेश किए हैं मैं उससे 10 गुने फिगर दे सकता हूं। गुजराती में जो कहावत है मैं उसे आपके सामने सुनाना चाहता हूं। उसका अभिप्राय यह है कि राजा का काम व्यापार करना नहीं है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बचा सकेंगे? जब राजा ही व्यापार करने बैठ जाए, तो प्रशासन और शासन कौन करेगा ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : तभी देश भिखारी हो रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : देश भिखारी नहीं हो रहा है। मैं आपको वास्तविकता बताता हूं। जो टोटल इन्वैस्टमेंट हुआ वह 18 हजार करोड़ रुपए का हुआ। उसमें से यशवन्त सिन्हा जी ने 1998 से डिसइनवैस्टमेंट शुरू किया। 5300 करोड़ रुपए के अभी तक के डिसइन्वैस्टमेंट में से केवल 700-800 करोड़ रुपए का बाहर हुआ और बाकी 4000 करोड़ का पी.एस.यूज. में, ऑयल सैक्टर वगैरह में हुआ है। यानी अपने ही देश के अंदर हुआ है। 1992 में दो-ढाई हजार करोड़ रुपए का हुआ जिसमें से कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास गया और 2 हजार या 2200 में से बहुत कम एन.डी.ए. की सरकार ने किया। बाकी सब जितना भी किया वह पहले की सरकारों ने किया, लेकिन मैं उनके ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता और न कोई आरोप लगाना चाहता हूं। अभी शेयर बेचे गए। मैं कहना चाहता हूं कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को क्यों बेचे। आपने जो काम किया है वह तो ऐसा है जैसे कोई आदमी अपने घर का पूरा गहना और सब कुछ बेच दें। यह हमारा काम नहीं है। सरकार का काम भी व्यापार करना नहीं है। आपने स्माल यूनिट्स का पैसा डबल किया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

आपको क्या मिला? आप सोचिए कि शेयरों में क्या हुआ। हमने रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्र में विस्तार किया है। अब हम "खुला आकाश नीति" बनाने जा रहे है आल इंडिया रेडियो पर

[श्री किरीट सोमैया]

500 करोड़ रुपए साल का खर्च है। उनकी आय कितनी है? यह 90 करोड़ रुपए है। स्ट्रैटैजिक सैक्टर है। हमने इस बार एफएम रेडियो के लाइसेंस बेचे। ओपन बिडिंग हुई। क्या आप जानते हैं कि सरकार को कितना लाभ हुआ है? एक साल के 430 करोड़ रुपए सरकार को मिले। जब आर्थिक प्रगति होगी तभी देश का विकास होगा और तभी काम बनेगा। अब आप देंखे 430 करोड़ रुपए की रायल्टी दी है और जो 90 करोड़ की इन्कम है वह भी 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। सब कुछ है। मैं आपके सामने एक म्युच्युअल फंड का आंकड़ा बताना चाहता हूं। 1995-96 तक गवर्नमेंट इस क्षेत्र में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मौनोपौली थी। उसने 1995-96 में 5900 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। दूसरी ओर म्युचुअल फंड की आई.डी.बी.आई. या आई.सी.आई.सी.आई. आदि दूसरी कम्पनियों ने - उन्होंने 296 करोड़ रुपए जमा किए हैं - केवल 296 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं।

सायं 7.00 बजे

निजी क्षेत्र के म्युचुल फंड द्वारा कितने रुपए इकट्ठे हो सकते हैं? 312 करोड़ रुपए। 1995-96 में 6,508 करोड़ रुपये में से 312 करोड़ रुपये प्राइवेट म्युचुअल फंड ने किये। यह कितने परसेंट है, वह आप पता लगा सकते हैं। क्या हुआ है। आप जानते हैं 1999-2000 में जो सेविंग थी, उससे फायदा भी होने वाला है। मैं दोनों बातें रख रहा हूं। एक तो गवर्नमेंट पी.एस.यूज. को सोचना पड़ेगा। 1999-2000 में यूनिट ट्रस्ट और गवर्नमैंट म्युचूअल फंड की 96 परसेंट मोनोपली थी। 1990-2000 के दौरान यह 23 प्रतिशत तक घट गया। आंकड़े सुनेगे तो आपको आश्चर्य होगा।

1990-2000 के दौरान म्यूचुल फंड से 61,221 करोड़ रुपये जमा हो सकते थे। चार साल में हम दस टाइम ऊपर गये। यूनिट ट्रस्ट का टोटल क्लैक्शन 13,698 करोड़ रुपये हैं। गवर्नमैंट के बाकी म्युचूअल फंड 3,817 करोड़ रुपये के हैं और प्राइवेट म्युचुअल फंड 43,706 करोड़ रुपये के हैं। अब क्या होगा, यह मैं आपको बताता हूं। इसमें इन्होंने पी.एस.यूज. की लिस्ट में एफ.आई.आई.एफ.आई.ओ. लिया नहीं है। यूनिट ट्रस्ट से लेकर यह भी सिक होने वाला है। यूनिट 64 सिक हो गयी है। साढ़े तीन हजार रुपये लॉस्ट ईयर दिये क्योंकि निजी क्षेत्र के म्युचूअल फंड से हम प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मेरी प्रार्थना यही है कि सरकार को इसमें थोड़ी और गति बढ़ानी चाहिए। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। मेरी प्रार्थना यही है कि अभी भी थोड़ा समय है। ग्लोबलाइजेशन के पहले जो भी सैक्शन रह गये हैं, वहां पहले कारपोरेटाइजेशन करो। अभी डिपार्टमैंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैं। हम बाहर लाइसेंस दे देते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमैंट पर माननीय प्रणव मुखर्जी ने साईन किये हैं। 2005 में वर्ल्ड की टेलीफोन सर्विसेस यहां आने लगेंगी और यहां आकर कुछ सिगनल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेटेलाइट है। वे डायरेक्ट सिगनल देंगी। आप इंटरनेट से डायरेक्ट अमरीका फोन कर पायेंगे। मुम्बई और दिल्ली के बीच कोई एस.टी.डी. प्रभार नहीं होगा। एम.टी.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. का क्या होगा? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। हम कभी न कभी इस प्रकार का विचार करें।

मैं एक बात कहकर अपना विषय समाप्त करने वाला हूं। मेरा अंतिम मुद्दा है कि डिसइन्वेस्टमैंट का जो प्रौसेस स्टार्ट हुआ है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि सालों तक जो लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं या जो सो-कालड प्राफेट मेकिंग यूनिट हैं, उनकी मोनोपली समाप्त होने के बाद वे भी लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं या जो सो-कालड प्राफेट मेकिंग यूनिट हैं, होने वाली हैं। इनमें 19 लाख वर्कर्स हैं। इन वर्कर्स पर हम कितने लाख रुपये खर्च करेंगे? हर साल उनको पगार हम आम बजट में से देंगे। वह पैसा उनके बजाए डेवलपमैंटल एक्टिविटीज, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट, नये पावर प्रौजेक्ट लगाने के लिए, नये इरीगेशन प्रौजेक्ट लगाने के लिए, नये रास्ते बनाने के लिये यूज कर सकते हैं या नहीं? डिसइन्वेस्टमैंट की जो भूमिका है, उसकी नीति है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस दृष्टि से देखना चाहिए। इसमें बैंक काउंट नहीं किये हैं। बैंकस की स्थिति देखना चाहें तो उनकी इससे भी नाजुक हालत है। अभी इस साल जो पब्लिक इश्यूज आये और अभी तक जो पब्लिक इश्यूज आते थे, मैं आपको आंकड़े भी बताऊंगा। 1996-97 तक जो पब्लिक इश्यूज आते थे उसमें 92 परसेंट क्लैक्शन पी.एस.यूज. का बैंक के थ्रू होता था। 1999-2000 में क्या हुआ?

[अनुवाद]

33,435 करोड़ रुपए के कुल जमा में से बैंकों का केवल 31 प्रतिशत हिस्सा है। हमने ग्लोबलाइजेशन पहले कर दिया है। कितना ग्लोबलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है? 33,435 करोड़ रुपए के जमा में से विदेशी बैंकों ने 9,233 करोड़ रुपए जमा किए हैं।

[हिन्दी]

जो पब्लिक ईशू आता है, पैसा हमारा ही कलैक्ट हुआ है, इसका सब प्रॉफिट 25 प्रतिशत फौरेन बैंक को गया। पी.एस.यू. बैंक कहां आ रहे हैं। आज तीन बैंक सिक हुए हैं। माननीय अरुण जेटली जी ने कर्नाटक का उदाहरण दिया। महाराष्ट्र सरकार के फाईनैंस मिनिस्टर की स्टेटमैंट है। बी.जे.पी. और शिव सेना सिर्फ वहां चार-साढ़े चार साल थी बाकी वही है। वहां के पी.एस.यूज की क्या हालत है।

> "78 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी की तुलना में 248 करोड़ रुपए का संचयी घाटा हुआ।"

वे भी अभी निर्णय लेने लगे हैं कि इसका क्या करना चाहिए। स्टेट गवर्नमैंट के पी.एस.यूज. का आपने टोटल नहीं लगाया। उसमें अगर उनका लौस काउंट होगा, सिर्फ कर्नाटक का बताता हूं।

[अनुवाद]

"सार्वजनिक क्षेत्र के दो हजार उपक्रम हैं, जिनमें से 75 से अधिक उपक्रम लगातार घाटा उठा रहे हैं जिसमें 4,50,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। केवल कर्नाटक में ही 78 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ही 16,124 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इनमें से इक्यावन उपक्रमों को 2,236 करोड़ रुपये की हानि हुयी है।"

[हिन्दी]

मेरी प्रार्थना है कि कभी तो हम इस विषय पर और अधिक गंभीरता से विचार करें क्योंकि यहां पर हम होंगे, वहां पर आप होंगे। वहां पर आप डिसइन्वैस्टमैंट का प्रौसेस स्टार्ट करते हैं। जो पार्टी वहां रूलिंग में नहीं है, वह इस प्रकार की जन-भावना भड़काने का प्रयत्न करती है। कहीं पर आप रूलिंग में हैं, कहीं पर आप औपोजीशन में हैं। लेकिन देश ने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है। हमने भूतकाल में क्या किया, मैं उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि अय्यर जी, रूप चन्द पाल जी, गीते जी, आप लोक सभा में बैठे थे, आप लोग जिम्मेदार थे, आपने साढ़े चार लाख करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमैंट के पी.एस.यूज. और ढाई लाख करोड़ रुपये के गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के पी.एस.यूज. यानी सात लाख करोड़ रुपये के पी.एस.यूज. में बैंक और फाईनैंशियल इंस्टीट्यूशन्स काउंट नहीं किए। सात लाख करोड़ रुपये के पी.एस.यूज की वैल्यू सत्तर हजार करोड़ हो गई — आप क्या करते रहे।

मैं यही विनता करता हूं कि हम सब साथ मिल कर इस डिसइन्वैस्टमैंट नीति को पौजीटिव दृष्टिकोण से देखें।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): माननीय सभापति महोदय, सार्वभौमीकरण के इस दौर में विश्व के सभी राष्ट्र अपने-अपने हितों को देखते हुए अपने कार्य साधन जुटा रहे हैं। सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया जटिल एवं बहुआयामी है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत हमें देखना होता है कि किस प्रक्रिया के किस पहलू को अपनाने से हमारे देश का सर्वाधिक लाभ होगा। विश्व में जो राष्ट्र आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं और औद्योगिक रूप से सम्पन्न हैं, वे विश्व में अन्य जगहों में अपनी उत्पादित वस्तु के लिए बाजार की तलाश में हैं। जो राष्ट्र जन-संसाधनों से परिपूर्ण हैं, वे जन-बाहुल्यता के आधार पर उद्योगों के लिए और अपने जन-संसाधनों के निर्यात के लिए जगह तलाश करके विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में अपना स्थान बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि हमारा देश लगातार दस वर्षों से सार्वभौमीकरण का पाश्चात्य अंधानुकरण करने के पश्चात् भी आज तक यह तय नहीं कर पाया कि हम किस पहलू को अपना कर देश को विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठापित करने का कार्य करें।

आज उसका नतीजा यह है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण समाज का वह वर्ग प्रभावित हुआ है, आज देश का किसान, जो इस देश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत है, सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण खाद, बीज और पानी के लिए तरस रहा है। उसे बिजली प्राप्त नहीं हो रही है, जो बुनियादी सुविधाएं इस देश के किसान को प्राप्त होनी चाहिए, वे देश की 54 साल की आजादी के बाद भी आज देश के किसान को प्राप्त नहीं हो रही हैं। इस देश का नौजवान बेकारी और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। आज इस नीति का कहीं कोई लाभ देश के अन्दर बेरोजगारी को दूर करने में अब तक सफल सिद्ध नहीं हुआ है। आज सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। निजीकरण के पक्ष में यह तर्क दिया जा रहा है कि जो सार्वजनिक उपक्रम घाटे में हैं, उन सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। निश्चित तौर पर जो उपक्रम घाटे में जा रहे हैं, वहां विनिवेश की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। लेकिन जो उपक्रम लाभ में चल रहे हैं, यदि उन्हें भी हम निजी क्षेत्रों में सौंपने का काम करेंगे, उनका भी निजीकरण करने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर देश रसातल में जायेगा।

आज रूस की जो आर्थिक स्थिति है, हंगरी की जो आर्थिक स्थिति है, इस अंधानुकरण और निजीकरण का ही परिणाम है। हंगरी के अन्दर तीन वर्षों तक जब विनिवेश की प्रक्रिया चलती रही तो आर्थिक स्थिति अच्छी रही, लेकिन जब मुनाफा दूसरे देशों में जाने लगा तो हंगरी की स्थिति कैसी है, यह आज सर्वविदित है। आज सरकार में बैठे हुए लोग इस खुशफहमी के शिकार हैं कि वे विनिवेश की प्रक्रिया को अपनाकर बजटीय घाटे को पूरा करने का काम करेंगे। आज बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारों के द्वारा जो विनिवेश की प्रक्रिया अपनाई गई। विनिवेश की प्रक्रिया के अन्तर्गत आज तक जो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किये थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके। इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने सार्वजनिक उपक्रमों को आजाद हिन्दुस्तान का मंदिर कहा था। इन्होंने आजाद हिन्दुस्तान के मंदिरों को एक-एक करके जिस तरह से ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, यह कोई नई बात नहीं है। मंदिरों को, धार्मिक प्रतिष्ठानों को गिराना भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार के लोगों की आदत बन चुकी है। हम यह कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से यह सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को अपना रही है ...*(व्यवधान)* आपके ही लोगों ने यह कहा था कि ये आजाद हिन्दुस्तान के मंदिर हैं और

[कुंवर अखिलेश सिंह]

यह मेरा कहना नहीं है, यह स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख घटक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने यह बात कही थी और यह अन्तर्विरोध आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्दर उभरकर दिखाई दे रहा है। आदरणीय श्री रामनाईक जी बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री श्री अरुण शौरी जी बैठे हुए हैं, अरुण शौरी जी के जो मूल विचार हैं और श्री राम नाईक जी के जो मूल विचार हैं, उन मूल विचारों से विनिवेश की नीति कहीं भी मेल नहीं खाती है। आप इस सच्चाई को स्वीकार करिये। आप सदन के अन्दर दूसरी भाषा बोलते हैं और जब जनता के बीच में जाते हैं तो दूसरी भाषा बोलते हैं। यह जो दोहरी नीति और दोहरी सोच है, यही इस देश को रसातल में ले जा रही है। अभी हमारे साथी किरीट सोमैया जी ने सार्वजनिक उपक्रमों के अन्तर्गत लगातार कार्यक्षमता के ह्रास की तरफ इशारा किया है। हम यह कहना चाहते हैं कि जो देश का सबसे प्रतिष्ठित मंच यह संसद है, इस संसद के अन्दर आज इन विनिवेश पर जो बहस हो रही है, इस विनिवेश की बहस पर कितने लोग उपस्थित हैं। आज जब हम 11 बजे सदन के अन्दर प्रवेश करते हैं और जब तक सदन समाप्त होता है, कितने लोग इस सदन के अन्दर लगातार उपस्थित रहते हैं। इस पर भी हमको और आपको विचार करना चाहिए। हम समाज का प्रतिबिम्ब हैं। समाज हमसे कुछ नई अपेक्षाएं रखता है। जब हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते, जब हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते तो उन सार्वजनिक उपक्रमों के अपने कर्मचारियों से यदि हम यह अपेक्षा करें कि वे 10 बजे से पांच बजे तक अपनी ड्यूटी निभाने का काम करेंगे तो यह बेमानी बात है। पहले देश के प्रधान मंत्री को, केन्द्रीय मंत्रीगण को और सम्माननीय संसद सदस्यों को अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन सही तरीके से करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य और दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो हम यह अपेक्षा करेंगे कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने का कार्य करेगा।

आज देश में जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जो स्वतंत्र भारत के मंदिर इसी सरकार के द्वारा इनकी सरकार के पुरोधाओं के द्वारा घोषित किये जा चुके हैं, वे एक-एक करके धवस्त किये जा रहे हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि विनिवेश के नाम पर भूमंडलीकरण की तर्ज पर लाभांश देने वाली और घाटे में चलने वाले दोनों ही उपक्रमों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एम.एम.टी.सी. और एस.टी.सी. का उदाहरण देना चाहता हूं, जिन्होंने देश और विदेश में काफी नाम कमाया है और जिनके सम्बन्ध में मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। उन उपक्रमों में 100 प्रतिशत विनिवेश का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है वह गलत हो। मैं कहना चाहता हूं इस तरह से उन कर्मचारियों के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है जिन्होंने 30-35 साल तक उस सार्वजनिक उपक्रम की सेवा करने का लक्ष्य लेकर नौकरी सम्भाली थी। आज जिनकी सेवा को मात्र 10-15 साल हुए हैं, उनको स्वैच्छिक अनिवार्यता के नाम पर रिटायर करने का काम किया जा रहा है। उनके भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है। विनिवेश की प्रक्रिया देशहित में हो, उस तक इसको अपनाएं तो हम सहमत हैं, लेकिन जबर्दस्ती उसको आगे बढ़ा कर उन लाखों कर्मचारियों के भविष्य को अंधकारमय बना कर देश का भविष्य बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं आपकी यह सोच बेमानी है, देशहित में नहीं है और राष्ट्रविरोधी कदम है। जो लोग जबर्दस्ती रिटायर किए जा रहे हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम लाभ में हैं, उनको भी जबर्दस्ती बंद करने की आपकी जो नीति है, यह नीति राष्ट्रविरोधी है। कम से कम इस नीति का देशहित में परित्याग करें। जहां आवश्यक है, विनिवेश एकदम आवश्यक है, वहां इसको अपनाएं तो हमारा कोई विरोध नहीं है।

आज एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. के कर्मचारियों की छंटनी करके जिस प्रक्रिया का अनुपालन कर रहे हैं, इससे देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य का प्रश्न आपके सामने खड़ा हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आप मासिक भत्ता योजना शुरू करें। 10-15 साल तक जो लोग नौकरी कर चुके हैं, आज आप जबर्दस्ती उनको रिटायर कर रहे हैं, कुछ तथाकथित धन देकर, उससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। आप मासिक भत्ता योजना शुरू कीजिए और इतना दीजिए कि वे अपने परिवार का गुजारा कर सकें। आज जो विनिवेश की प्रक्रिया इस सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, यह राष्ट्रविरोधी कार्य है। यह देश को रसातल में ले जाने का कार्य है। इसलिए मैं सरकार की इस वर्तमान नीति का घोर विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

डा. बी.के. रमैया (एलुरू): सभापति महोदय, हमारे देश में जैसी अर्थव्यवस्था विद्यमान है, उसी के आधार पर 1991 में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई थी कि वित्तीय संस्थानों की निधियों का उपयोग चयनित सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों को खरीदने में किया जाए और उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग कल्याण, स्वास्थ्य व शिक्षा केलिए किया जाए, और विभिन्न कंपनियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए अपने कार्यबल को सुदृढ़ करने, और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए किया जाए।

आज यदि सार्वजनिक क्षेत्र में किए जा रहे विनिवेश पर ध्यान दें तो यह 2,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। विनिवेश की विचारधारा के पीछे का मुख्य उद्देश्य घाटे की अर्थव्यवस्था को

कम किया जाना है। यदि हम इस क्षेत्र में विनिवेश जारी रखते हैं तो हम 3,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खो देंगे। इसका अर्थ है, अप्रत्यक्ष रूप से यह हमारी घाटे की वित्त व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। विनिवेश की इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि पहले की सरकार द्वारा अपनाई गई नीति पर हम रोक लगाएं। पूर्व सरकार में जब डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उस समय ही यह प्रक्रिया शुरू की गई थी। सत्ता में कौन सा दल है, इस पर विचार किए बिना यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। हमें केवल यह देखना है कि हम सही दिशा में बढ़े, उचित क्रियाविधि को अपनाएं और केवल उन्हीं इकाइयों में विनिवेश करें जहां इसकी आवश्यकता है। विनिवेश आयोग को पहले इसका मूल्यांकन करें और केवल तब उस मामले को सरकार के पास भेजें।

उस के आधार पर सरकार को यथार्थवादी अभिगम पद्धति अपनाने में सक्षम होना चाहिए। 58 कंपनियों का चयन हो चुका है। जिसमें से 18 से 19 कंपनियों को अनुमति दी गई हैं। इन कंपनियों में 240 सार्वजनिक क्षेत्र के एकक शामिल हैं। उनमें से कुछ उत्पादन इकाईयां हैं, और उनमें से कुछ सेवा क्षेत्र की हैं। जैसाकि मैंने कहा है, जब 1991-92 में विनिवेश की प्रक्रिया का आरंभ किया गया था, तब केवल 3000 करोड़ रुपए का विनिवेश किया गया था, वर्ष 1992-93 में उन्होंने मात्र 1900 करोड़ रुपए का विनिवेश किया था, वर्ष 1993-94 में उन्होंने कुछ भी विनिवेश नहीं किया था, वर्ष 1994-95 में वे केवल 800 करोड़ रुपए का विनिवेश कर सके और फिर वर्ष 1995-96 में उन्होंने 362 करोड़ रुपए का विनिवेश किया था। वर्ष 1996-97 में 380 करोड़ रुपए, 1997-98 में 902 करोड़ रुपए, 1998-99 में लगभग 5000 करोड़ रुपए, और 1999-2000 में 1500 करोड़ रुपए विनिवेश किए गए थे। इस प्रकार, 44,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सामने वे केवल 18,000 करोड़ रुपए ही विनिवेश कर सके। इतने ज्यादा प्रयासों के बावजूद जो कुछ रकम वे विनिवेश कर सके। वह इसलिए कि पहले से जारी नीति को बदला जा सके और बहुत कम आमद वाले क्षेत्रों में धन के प्रवाह को हम रोक सकें। यह इस देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए भी आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, धन का कहीं और विनिवेश करना होगा। यही विनिवेश का मुख्य लक्ष्य है। माननीय सदस्यों ने कई बातों का उल्लेख किया है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। इसमें कुछ कमियां और थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। उन बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमारे देश में पारदर्शिता की नीति का होना आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि क्या हो रहा है और देश के व्यापक हित और श्रमिकों के व्यापक हित में हमें किस प्रणाली को अपनाना चाहिए। हमें देखना है कि इस राशि का कहां उपयोग किया जाना चाहिए। यह एक बड़ी बात है।

हाल में, हमने देखा है कि उन्होंने सरकारी अंश को हिन्दुस्तान जिंक में 26 प्रतिशत, शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड में 40 प्रतिशत, हिन्दुस्तान ऑर्गनिक केमिकल्स में 33 प्रतिशत, हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस में 51 प्रतिशत, माइन्स एंड मिनिरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन में 51 प्रतिशत, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में 91.3 प्रतिशत और स्पंज आयरन में 97.5 प्रतिशत तक लाने के संबंध में भी कुछ निर्णय लिया है। इसमें कोई विनिवेश नहीं है। आई.बी.पी. में किसी प्रकार का विनिवेश नहीं है। उसी प्रकार उन्होंने विभिन्न इकाईयों के आधार पर ढेर सारे विश्लेषण किए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें उन्होंने आलोचना भी की है और वे इन बातों के संबंध में कुछ और सूचना भी चाहते हैं। मंत्रालय ने भी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मामलों को ध्यान में रखने के दौरान उचित सावधानी रखी है। यदि आप इसी जारी प्रचालन पद्धति को जारी रखते हैं तो कुछ मामलों में सुधार लाए जा सकते हैं। हाल में, मुझे एन्ड्यूज यूल के एक एकक का विश्लेषण करना पड़ा। वे पिछले 10 वर्षों से घाटे में चल रहे थे। उन्होंने इसका निजीकरण किया और पहले वर्ष में ही 5 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इकाई अच्छी हालत में है। परन्तु उनमें केवल विपणन रणनीति की कमी थी। इसलिए देश के यापक हित में हमें उन सभी संगठनों को सुदृढ़ करने की जरूरत है जिनको सुदृढ़ किया जाना अपेक्षित है। उनमें विश्व बाजार में जाने की क्षमता थी। जर्मन कंपनी उस इकाई को लेने में सक्षम थी और विश्व बाजार में आने में भी सक्षम थी। वे उस इकाई का विस्तार भी कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र में हम सुदृढ़ हैं, तो हम सुधार कर सकते हैं। हममें कुछ कमजोरियां होंगी। आज, हम कह सकते हैं कि साफ्टवेयर के क्षेत्र में हम मजबूत हैं। हम इस क्षेत्र में अपने देश को मजबूत कर सकते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। हम उद्यमशीलता एवं रोजगार क्षमताओं में भी वृद्धि कर सकते हैं।

कुछ नवरत्न एककों में कमजोरी और रुग्णता व्याप्त है। इन एककों के चयन में उनके सामरिक महत्व पर विचार करना चाहिए और ऐसे एककों का विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु कुछ ऐसे एकक हैं जिनके मामले में सरकार 26 प्रतिशत तक विनिवेश कर सकती है और फिर भी उन पर किसी प्रकार की पकड़ रख सकती है।

[श्री बी.के. रमैया]

जैसा कि सभी ने कहा है, आज विनिवेश की नीति सभी आने वाली सरकारों के लिए सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। विनिवेश की नीति में कुछ भी गलत नहीं है। परन्तु हमें सिर्फ यह देखना है कि कैसी नीति प्रचालन में है, कौन सी क्रियाविधि और पारदर्शिता अपनाई जाती है। और इसे व्यापक राष्ट्रीय हित में और कामगारों के हितों की रक्षा के लिए भी किया जाना चाहिए। मैं कई मामलों में ऐसा देखता हूं कि इस राशि का उपयोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए हो रहा है। इसने अनावश्यक श्रमबल को घटाकर सचमुच ही उन कंपनियों को सुदृढ़ किया है। उन कामगारों को वैकल्पिक नौकरी भी मिली है। इस तरह की नीति बहुत जरूरी है।

मैं प्रत्येक एकक के मामले का अध्ययन करना नहीं चाहूंगा कि प्रत्येक मामले में क्या हुआ, किसने क्या किया है, किस सरकार ने ऐसा किस समय किया, इत्यादि। मेरे लिए कार्यविधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम उसका अनुपालन करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम अपने देश को ऋण-जाल से बचा सकेंगे और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने चीन का उदाहरण दिया है। उन्होंने भी काफी निजीकरण और उदारीकरण किया है। इससे उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। जहां हमें जरूरत हों, हमें उनका अनुपालन करना चाहिए और जहां पर अपने विचारों पर स्थिर रहने की आवश्यकता हो, हमें अपने राष्ट्रीय हितों का नुकसान करने वाला कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के एकक हमारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत समर्थक थे। अब हमें उन्हें थोड़ी और स्वतंत्रता देनी है जैसा हमने भारतीय दूरभाष उद्योग के मामले में किया है। जब वे केवल लागत से कुछ ज्यादा प्राप्त कर रहे थे तो वे लाभ अर्जित कर रहे थे। परन्तु जब उन्हें बाजार जिसमें लोग गुणवत्ता और बेहतर उपस्कर की मांग करते हैं, तब हम हार गए। फिर प्रबंधन को अपने साझेदारों को चुनने विविधता की ओर बढ़ने, सहयोग के तरीके को अपनाने के लिए और श्रमिकों की संख्या और अन्य सुविधाओं को चुनने की स्वतंत्रता का अवसर दिया गया था और अब वे सुधार करने में समर्थ हैं। यही स्थिति भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ है। इसलिए, नीति के माध्यम से विस्तृत स्वतंत्रता और अवसर दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सकें और जिससे सामान्य आदमी उचित मूल्य पर उन सभी उत्पादों को भी प्राप्त कर सके जिनका उत्पादन वे प्रतियोगी गुणवत्ता पर कर रहे हैं। अंतत: हमें ग्राहक पर ध्यान देना है। हमें उन्हें अपेक्षित महत्व दिया जाना चाहिए और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें इस देश की औद्योगिक परिदृश्य को सुदृढ़ करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं महसूस करता हूं कि विनिवेश हम लोगों के लिए आवश्यक है। सभी सावधानियों को बरतते हुए, मुझे विश्वास है कि सरकार इस तथ्य पर विचार करेगी कि इसमें पारदर्शिता आवश्यक है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): सभापति महोदय, देश की आम जनता, शेयरधारकों और निवेशकों का संसद में प्रतिनिधि के रूप में मैं आपके समक्ष सिर्फ यह स्मरण कराने के लिए खड़ा हूं कि जनता ने हमें देश को चलाने और पिछले पचास वर्षों में सृजित की गई सम्पत्तियों, किए गए निवेशों और निर्मित परिसम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए चुनकर यहां सरकार चलाने के लिए भेजा है। इसका प्रबंधन नई सरकार द्वारा बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। इसीलिए लोगों ने हमें निर्वाचित किया है।

परन्तु, यहां वस्तुत: हम यह मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ चीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लोग इस असफलता को कैसे स्वीकार करेंगे? उन्होंने हमें इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने समझा कि हममें प्रबंधकीय क्षमता है, हममें प्रशासनिक क्षमता है, हमारे पास भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों से बनी हुई बहुत ही शक्तिशाली कार्यपालिका है और हमारे पास विशाल सरकारी तंत्र है। इसके अतिरिक्त, हमारे पास विधायी शक्तियां हैं और न्यायपालिका तो है ही। परन्तु हम इन सब शक्तियों के साथ भी लोगों को यह कह रहे हैं कि हम इन संपत्तियों का प्रबंधन नहीं कर सकते।

पिछले 50 वर्षों में सृजित की गई सम्पत्ति का प्रबंधन हमारे द्वारा नहीं हो सकता है। हम दिवालिया होते जा रहे हैं। हम विनिवेश मंत्रालय गठित कर रहे हैं जो कि दिवालिया मंत्रालय है और जो इस देश को निर्धारित नहीं कर सकता है। इसे हम आम जनता, हमारे साथ अपने धन का निवेश करने वाली 100 करोड़ जनता के समक्ष यह स्वीकार कर रहे हैं। कृपया याद करें कि हमारे संविधान में हमारे देश की उद्घोषणा एक समाजवादी प्रकार के समाज के रूप में की गई है। हमें देश को चलाना है और उस संपत्ति, जो हमें दी गई थी, का प्रबंधन करना है। हमारे पास पांच वर्षों की अवधि है। उन पांच वर्षों के अन्दर, हम इन सम्पत्तियों को किस प्रकार से निवेश करने वाले हैं? हम उस धन का, जिसका निवेश हमारे माध्यम से राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में की गई है, का संरक्षण कैसे करने वाले हैं? हम उन्हें यह कब कह रहे हैं। हम यह स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा असफल हो चुकी है। नौकरशाही असफल हो चुकी है। और वे इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। वे अपने तंत्र के माध्यम से संरक्षण नहीं दे सकते हैं। हम यह साबित कर रहे हैं कि हम संरक्षण नहीं दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. नीतिश सेनगुप्ता : भारतीय प्रशासनिक सेवा की आलोचना मत कीजिए।

श्री इ.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : कृपया हस्तक्षेप न करें। मैं आपके समक्ष झुक नहीं रहा। औपचारिक रूप से आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में होंगे परन्तु हम स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अब नियंत्रित करने में असफल है। पिछले 50 वर्षों से इसने देश को संभाला है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को भी संभाला है। अब वे कहते हैं कि वे उनको संभाल नहीं सकते और इसे निजी उपक्रमों को देना होगा। वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि वे इसको संभाल नहीं सकते और इसका समाधान विनिवेश ही है। हम राजनीतिज्ञों के बारे में क्या ख्याल हैं? मंत्रियों के संबंध में क्या है? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को नहीं संभाल सकते। आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। आप इसे क्यों नहीं संभाल सकते हैं? माननीय नाईक एक शक्तिशाली मंत्रालय को बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं। हम उस तरीके से क्यों नहीं संभाल सकते हैं? हम सभी चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे में प्रबंधकीय क्षमता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पास इस देश को चलाने की क्षमता है। तब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप इसे नहीं संभाल सकते? राजीव गांधी का काल स्वर्ण काल था। आप 1984-89 का उदाहरण ले सकते हैं। उत्तरवर्ती वर्षों का उदाहरण न लें। नौकरशाहों को उस अवधि में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें आधुनिकता को अपनाने के लिए कहा गया था। उन्हें 21वीं शताब्दी के आधुनिक विश्व का सामना करने का प्रशिक्षण दिया गया था। मंत्रियों को प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित किया गया था। सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था। अब उन्हीं कदमों का अनुपालन चन्द्रबाबू नायडू जी कर रहे हैं। हम उनकी प्रशंसा तो कर रहे हैं पर राष्ट्रीय स्तर पर उनका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। हमें अपने आप को तैयार करना है क्योंकि राष्ट्र ने यह सोचा है कि एक लोकतांत्रिक शासन अपने स्वयं के नियंत्रणों से ज्यादा लाभ दे सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र श्री जवाहर लाल नेहरू का सपना था क्योंकि उसमें किसान का बेटा भी रोजगार पा सकता था। नेहरु जी ने सोचा कि समाज की समाजवादी प्रणाली विकासशील देश के लिए एक मात्र चारा है क्योंकि निजी उद्यम उस अवस्था में नहीं उभर पाए थे। हम पाश्चात्य प्रजातंत्र की नकल नहीं कर सकते हैं। उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। वे हर चीज का निजीकरण कर रहे हैं। क्या आप शिक्षा को पूर्णत: निजी क्षेत्र में सौंपने जा रहे हैं? आप परिवहन क्षेत्र को भी उन पर छोड़ देंगे। आप कृषि और हर चीज को निजी उद्यमों पर छोड़ रहे हैं तो जनतांत्रिक सरकार की क्या जरूरत है? जनतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की क्या भी क्या जरूरत है? अत: हमें इन बातों की ओर सोचना होगा।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तमिलनाडू में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड जैसा प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम हमारे पास है। यह कमांड में स्थित है। लेकिन वहां क्या हुआ? वहां श्रमिक अपने वेतन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे मात्र अपने वेतन का 46 प्रतिशत ही ले रहे हैं। वे अपनी कमर कसने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी मजदूरी छोड़ दी और उद्योग को लाभ देने के लिए तैयार हो गए। आप इस उद्योग को श्रमिकों को ही क्यों नहीं दे देते? आप इसे उन्हें दीजिए, आप उन्हें एक वर्ष का मौका दीजिए। वे इस बात को प्रमाणित कर देंगे कि वे इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इण्डियन बैंक का क्या हुआ? सिंगापुर में ही इस बैंक की 2000 करोड़ रुपये के बराबर परिसम्पत्तियां हैं। आप इसका निजीकरण करना चाहते हैं। निजी उद्योगों को लोग इसे एक मिनट में बेचकर, चलते बनेंगे। प्रत्येक विश्वजनीन नगरी में बीमा कंपनियां तथा अन्य सभी सी.एस.यूज. अवस्थित हैं। क्या एक निजी कंपनी का साधारण आदमी अब उस सम्पत्ति को खरीद सकता है?

नहीं, वे इसे नहीं खरीद सकते क्योंकि हमने समर्पण कर दिया है। कनॉट प्लेस में एल.आई. सी. का कार्यालय है। केनरा बैंक और सिटी बैंक के कार्यालय परिसर पट्टे पर चल रहे हैं क्योंकि वे इस सम्पत्ति को नहीं खरीद सकते हैं। हमने इसे खरीदा है। हमारा इस पर स्वामित्व है। मंत्री महोदय आपने कहा कि आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते और इसीलिए आप इसका विनिवेश कर रहे हैं। सेलम स्टील प्लांट के बारे में भी यही मामला चल रहा है। ट्रीची में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड लाभ में चल रहा है और 60 करोड़ रुपये का लाभांश दे रहा है। आप उसे भी बेचना चाहते हैं। अंत में क्या होगा? हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। भारत पूरे एशियाई देशों में अग्रणी देश है जिसने यह कर दिखाया है कि विकासशील देशों के लिए समाज का समाजवादी ढांचा ही एक मात्र चारा है। हमने ऐसा किया है। आप इतिहास देखें।

रा.ज.ग. सरकार ने कहा है कि विशेषकर भा.ज.पा. ने कि स्वदेशी इसके सिद्धांत में हैं। आपके लिए स्वदेशी क्या है? भारतीयों ने ऐसी व्यवस्था की और उन्होंने ऐसी। वे इन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वे इन उपक्रमों को भली भांति चला सकते हैं यह ही स्वदेशी है। यह भारतीयों की प्रतिष्ठा है। अब आप यह कहते हैं कि कोई भी कंपनी किसी भी देश से यहां आकर संपत्ति खरीद सकती है क्योंकि आप इस पर नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हैं। आपके पास इन उपक्रमों को चलाने के लिए प्रबंधकीय क्षमता नहीं है और आप इन्हें घाटे में चला रहे हैं। इसलिए, आप उनसे आने के लिए और हर चीज ले जाने के लिए कहते हैं यह क्या है? कृपया, इतिहास को याद करें ताकि लोग भविष्य में हम पर आरोप न लगा सकें। विनिवेश के जरिए कुछ करोड़ प्राप्त करने के लिए आप देश की संपत्ति को इस तरह से धोखे में नहीं बेच सकते

[श्री इ. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

हैं। विनिवेश, सरकार की इस बात की स्वीकृति है कि वह इनका नियंत्रण नहीं कर सकती है और उनका उचित प्रबंधन भी नहीं कर सकती है। कृपया, इस नीति की समीक्षा करें क्योंकि करोड़ों श्रमिक इससे रोजी रोटी कमाते हैं। करोड़ों लोग इससे कष्ट में हैं और भूखे मर रहे हैं।

सायं 7.36 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए]*

अब, उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। वे संसद-पथ की ओर बढ़ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भूखे मर रहे हैं। वे आन्दोलनरत हैं। कितने लाख लोग संसद के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं? कृपया, इसे याद रखें कि मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले पचास वर्षों से गरीब लोगों ने अपना धन इन पर लगाया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदय, मैं यहां पर विनिवेश के संबंध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नीति के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। लेकिन क्या सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति से निपटने का यही एकमात्र उपाय है? या क्या यह सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन के बारे में सोच सकती है? सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना का सूत्रपात करने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरु का पूरा देश आभारी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में की गई थी। इससे उन क्षेत्रों में विकास हुआ और हमारे देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इस देश के लोगों को रोजी रोटी के अधिकार देने का यह पंडित नेहरु का सपना था। लेकिन बाद की कांग्रेसी सरकारों ने उनके विचार और सपने को चूर-चूर कर दिया।

मैं कई उदाहरण उद्धृत कर सकता हूं। कई माननीय सदस्यों ने सांख्यिक आंकड़ों के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने अच्छी अंग्रेजी का प्रयोग किया और गलतफहमी का जिक्र किया। लेकिन मैं एक बहुत सरल सी बात पूछ रहा हूं। किसी भी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में सार्वजनिक क्षेत्र को हो रहे घाटे के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। एकाधिकार के क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की स्थापना की गई थी। बाद की कांग्रेसी सरकार को लाइसेंस प्रणाली ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए बाध्य किया। निजी उद्योगों को लाइसेंस देने से पहले इनका भविष्य क्या था? इससे किस तरीके से निपटा गया? इस प्रतिष्ठित सभा के हम राजनेता और कांग्रेस का वह शासन भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दैनिक गतिविधियों में राजनीतिक लोग दखल देते हैं। इनमें चाहे भर्ती की आवश्यकता हो या न हो लेकिन मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता भर्ती करने का दबाव डालते रहे। यहां मैं एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। रेलवे की अनुषंगी कम्पनी आई.आर.सी.ओ.एन. के मामले में संबंधित मंत्री ने इस कंपनी के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक पर यह कहकर दबाव डाला कि वह एक नोट भेज रहे हैं और तत्काल 200 आदमियों की भर्ती की जानी है।

प्रबंध निदेशक ने कहा "महोदय, इन अकुशल श्रमिकों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है, आप इन श्रमिकों को हमारे पास न भेजें।" मंत्री जी ने कहा: मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं, मेरे छोकरे हैं, उन्हें जॉब मिलना चाहिये। उन्हें रोजगार मिलना ही चाहिए, चाहे आपके पास काम है या नहीं। अन्यथा आप अपना बोरिया बिस्तर बांधें। आपको मंत्री जी की बात न सुनने के लिए स्थानान्तरित कर दिया जाएगा।" इसलिए, मंत्री जी ने बिना किसी जवाबदेही के इन आदमियों की भर्ती की सिफारिश कर दी वह भी यह देखे बिना कि वहां काम है या नहीं, इससे उत्पादन की लागत बढ़ेगी कि नहीं, और सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम बाजार में प्रतियोगिता कर पाएगा भी या नहीं। उन्होंने प्रबंध निदेशक को इन लोगों की भर्ती करने के लिए बाध्य कर दिया।

महोदय, मैं. रिचर्डस और कुरुदास की मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इकाई है। वे लोग रेलवे को कुछ सामान की आपूर्ति करते हैं। कांग्रेस शासन के रेलवे मंत्री जो इस सभा के सदस्य भी हैं जिनका नाम मैं यहां लेना नहीं चाहता ने उस उपक्रम के प्रबंध निदेशक को बुलाया और कहा "मुझे खेद है कि जो आदेश आप रेलवे से प्राप्त कर रहे हैं मैं उन्हें निजी कंपनी को देने जा रहा हूं क्योंकि आप मुझे कमीशन नहीं दे सकते" *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदय, किस सूचना आधार पर वह यह आरोप लगा रहे है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, मैंने पूर्व रेलवे मंत्री को यह आरोप लिखित में दिया है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह कटाक्ष कर रहे हैं *...(व्यवधान)* कटाक्ष नहीं तो यह क्या है?

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, ये लोग इन सब बातों के जिम्मेदार हैं *...(व्यवधान)*। महोदय, हमने उन्हें सुना है। उन्हें अब हमें सुनना होगा। उन्हें मुझे बाधित नहीं करना चाहिए *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इन लोगों ने कैसे पंडित जवाहर लाल नेहरु का सपना चकनाचूर कर दिया। जो उदाहरण मैं दे रहा हूं वह इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तब,

इस तरह से मैं रिचर्डस और कुरुदास को दिए गए आदेश रोक दिए गए। जब श्री राम नाईक रेलवे राज्य मंत्री बने तो मैंने उन्हें इस मामले से अवगत करवाया *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : आपने माडर्न फूड इंडस्ट्रीज को पांच करोड़ रुपए में बेच दिया *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत : हमने पारदर्शिता रखी है और एन.डी.ए. की सरकार रखती है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, जब श्री राम नाईक रेलवे राज्य मंत्री बने तो उन्होंने 20 दिन के अन्तर्गत ही इस गलती को सुधारा और दुबारा मै. रिचर्डस एण्ड कुरुदास की वैकुला इकाई को आदेश जारी कर दिए गए। इस तरह से उस फैक्ट्री का पुर्नजीवन हुआ। इन कांग्रेस के लोगों ने ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों को इस तरह से बर्बाद किया है। जब कभी उन्होंने इनमें हस्तक्षेप किया तो उन्होंने भर्ती में किया, कच्ची सामग्री की खरीद में किया तथा यहां तक कि उनके ठेके देने में भी हस्तक्षेप किया। इनसे भी परे जब सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के द्वारा वसूली की जानी बकाया थी तो उन्होंने प्रबंधन पर इसकी वसूली न करने का दबाव डाला। मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : सभापति महोदय, जब मैंने कटाक्ष किया तो श्री अरुण शौरी ने सही आपत्ति जताई थी और मैंने अपने शब्द वापस ले लिए। यदि वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते तो वह कटाक्ष कर रहे है। मैं नहीं समझता कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, मैं इसकी पुष्टि करुंगा *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, महाराष्ट्र में शिव सेना सरकार ने इसी तरीके से कार्य किया होगा। उन्होंने सर्वाधिक भ्रष्ट राज्य सरकार चलाई *...(व्यवधान)* वह ऐसा कहने का साहस कैसा करते हैं? *...(व्यवधान)* सबूत कहां है? उन्होंने इस देश में सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार चलाई है *...(व्यवधान)**

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, मैं इस सरकार को आगाह करता हूं कि विनिवेश पर निर्णय लेने के बजाए उन्हें इन सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्गठन को प्राथमिकता देनी चाहिए *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय सभापति महोदय, जहां तक मुझे याद है, माननीय सदस्य ने कहा था, "वह व्यक्ति जो मंत्री था अब इस सभा का सदस्य है।" उन्होंने कहा था कि वे इस सभा के सदस्य हैं। उन्हें इस सभा के वर्तमान सदस्य पर आक्षेप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। *...(व्यवधान)* वे ऐसा लांछन नहीं लगा सकते *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : मैं सभा के समक्ष तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, क्या उन्हें इस सभा के एक सदस्य पर यह आरोप लगाने और उसे सिद्ध करने का अधिकार है? हम इस पर विनिर्णय चाहते हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, ये लोग कई सालों तक सत्ता में रहे हैं, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल: उन्हें सदस्य का नाम लेने दीजिए। तभी उस माननीय सदस्य को यहां उत्तर देने का अधिकार मिल सके।

सभापति महोदय: यदि कुछ आपत्तिजनक है ...

श्री प्रकाश परांजपे: कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है *...(व्यवधान)* मेरे पास दस्तावेज हैं।

सभापति महोदय: यदि कुछ आपत्तिजनक है तो हम उसे पढ़ेंगे। आपत्तिजनक भाग कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे: श्री राम नाईक के बाद मैं रेल मंत्री, कुमारी ममता बनर्जी की सराहना करना चाहता हूँ। वे तो एक कदम और आगे निकल गई हैं। उन्होंने तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्डर देने भी प्रारंभ कर दिए हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रकाश परांजपेः कुमारी ममता बनर्जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वैगन बनाने का एक आर्डर दिया है जो कि पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत से भी अधिक है।

इसके अलावा, पिछले महने ही उन्होंने एक और निर्णय लिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय निविदा थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की दरें न्यूनतम थीं। विश्व बैंक चाह रहा था कि यह कार्य 'नम्बर टू को दिया जाए। लेकिन कुमारी ममता बनर्जी ने अपने सहयोगियों को विश्व बैंक भेजा मगर उन्होंने कहा, ''नहीं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि 'एल-2' को यह दिया जाए।'' यह उपक्रम बी.आई.एफ.आर. के अधीन है। कुमारी ममता बनर्जी ने विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता को तुरंत ठुकरा दिया। अब उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ही आर्डर दिया है.।

अब, कुमारी ममता बनर्जी एक कदम और आगे बढ़ गयी हैं। उन्होंने रेलवे को सामग्री सप्लाई करने वाली फर्मों की एक सूची तैयार की है। यह सूची उन्होंने सभी उपक्रमों को यह पता लगाने के लिए भेजी है कि आयातित होने वाली इन सामग्रियों में से ये उपक्रम कौन-कौन सी सामग्री दे सकते हैं ताकि आयात को रोका जा सके। मैं श्री अरुण शौरी से यह अपील करता हूँ कि विनिवेश के बजाए इन उपक्रमों के पुनर्गठन पर ध्यान दिया जाए। ये उपक्रम बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी नौकरशाही पर विश्वास है। इन लोगं के हस्तक्षेप ने सार्वजनिक क्षेत्र को चौपट कर डाला है। हमारे नौकरशाह काफी बुद्धिमान हैं। वे इन उपक्रमों को लाभ में ला सकते हैं। मगर कुछ निहित स्वार्थों के कारण उन्हें लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी गई। वे कारण मैं यहां उद्धृत कर रहा हूँ:

पिछले सप्ताह मैंने हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स के संबंध में पत्र दिया था। हम विनिवेश के संबंध में निर्णय ले चुके थे। मैं आपसे यह प्रक्रिया दो महीने के लिए रोकने का अनुरोध करता हूँ। हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स की एक इकाई कोच्ची में स्थित है। कोचीन रिफाइनरी यह इकाई खरीदने के लिए तैयार है क्योंकि इससे हि.आ.कै. को 600 करोड़ रु. से तो कम नहीं मिलेंगे। इस राशि से हि.ऑ.कै. अपने ऋण चुका सकता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू कर सकता है और दोबारा लाभ भी कमा सकता है। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ कमाने का विनिवेश कोई समाधान नहीं है। हम परिस्थितियों में सुधार कैसे ला सकते हैं? उनके शासन काल में शुरु हुए भ्रष्टाचार को हमें रोकना होगा। उदाहरण के लिए, मैं आपको 1991-2000 में लोगों द्वारा पंचतारा होटलों में रहने-खाने पर किए गए खर्च के आंकड़े देता हूँ। यदि आप इन आंकड़ों की जांच करें तो कम से कम 50 प्रतिशत उपक्रमों को दोबारा चालू किया जा सकता है। क्या यह सरकार यह निर्णय देगी कि सार्वजनिक उपक्रम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से ही करे। उन्हें निजी उद्यमियों से खरीद नहीं करनी चाहिए। क्या आप एक घोषणा कर सकते हैं कि चुना गया कोई भी मंत्री या कोई भी अधिकारी दौरे के दौरान पंचतारा होटलों में नहीं रहेगा क्योंकि सभी जिला मुख्यालयों में सरकारी विश्राम गृह हैं। ये इकना प्रयोग क्यों नहीं करते? ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें आप बाजार में निजी लोगों की तुलना में अपने व्यय कम कर सकते हैं। मगर हम निहित स्वार्थों के कारण ऐसा नहीं करते। यह पैसा किसका है? जब भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम घाटे में चलता है तो वे उस घाटे को कम करने का हर संभव प्रयास करते हैं और उस उपक्रम से लाभ कमा लेते हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किंया। मेरा आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन किया जाए। उनकी रुचि अलग है। लोग एन.डी.ए. से कुछ आशा लगाए हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन किया जाए और भ्रष्टाचार को तुरंत समाप्त किया जाए। अनुसंधान और विकास पर हम कितना खर्च करेंगे? हम काफी खर्च नहीं कर रहे हैं। एक सदस्य ने कहा था कि इन उपक्रमों को बेचकर या उनका निजीकरण करके हम केवल अपनी अक्षमता ही प्रकट कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि ऐसा न करें। हममें इन उपक्रमों को चलाने की क्षमता है। हमारे मंत्री सक्षम हैं। कुमारी ममता बनर्जी की ही तरह यदि प्रत्येक मंत्री यह निर्णय ले ले कि वो निजी कंपनियों को कोई ऑर्डर नहीं देंगे और वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से करेंगे तो इन उपक्रमों को निश्चित ही लाभ होगा।

सभापति महोदयः अब, डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह।

श्री प्रकाश परांजपेः महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा।

सभापति महोदयः कृपया अब समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपेः इस मुद्दे को वित्तीय कोण से नहीं देखना चाहिए। इसे राष्ट्रीय मसले के तौर पर लेना चाहिए। आंकड़ों के बजाए, चाहे 6.2 प्रतिशत या 4.3 प्रतिशत शेयरों के आंकड़े हों हम आंकड़ों में रुचि नहीं रखते। हमारी रुचि अपने लोगों को रोजगार देने में है।

यदि माननीय मंत्री यह महसूस करते हैं कि पुनर्गठन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए वेतन प्रपत्र को और अधिक

वित्तीय सहायता की आवश्यकता है तो वे दे सकते हैं। कई लोग जाना चाहते हैं। मगर किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से पहले पुनर्गठन कीजिए। मेरा शिव सेना पार्टी की ओर से यह अनुरोध है कि लोगों को बेरोजगार न करें। उनके शासनकाल में प्रारंभ हुए दुराचार और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त उपाय करें। मैं यह दोबारा कहूँगा कि लोगों को एन.डी.ए. सरकार से काफी अपेक्षाएं हैं। कुमारी ममता बनर्जी और श्री राम नाईक की ही तरह, यदि वे सभी मंत्रियों को यह निदेश दें कि वे भी सार्वजनिक उपक्रमों को ही आर्डर दें तो पूरी प्रक्रिया ही बदल जाएगी। बजाए इसके कि सोने का अंडा मिलता है तो मुर्गी मत काटो। एक साल में 10,000 करोड़ रुपये मिलेंगे लेकिन इन उपक्रमों से निरंतर प्राप्त होने वाले लाभ से हम सरकार को वंचित करना नहीं चाहते जो कई सालों तक होता रहेगा। एक बार फिर, मेरा यह अनुरोध है कि विनिवेश के बजाए इन उपक्रमों के पुनर्गठन को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि पुनर्गठन के बाद भी संभव नहीं होता तो ही इनका विनिवेश करना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इन्हें, इनके भाषण पर मुबारकबाद देता हूँ। मगर रेकार्ड को ठीक करने के लिए मैं सभा को यह सूचित करना चाहूँगा कि महोदय, आप रेलवे की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और मैं उसका सदस्य हूँ। जहाँ तक वैगन का संबंध है अभी तक उनके आर्डर सार्वजनिक उपक्रमों के बजाए निजी क्षेत्रों के पास अधिक हैं। इनकी सूचना सही नहीं है।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, डिसइनवैस्टमेंट पॉलिसी पर बहस चलाई जा रही है। इसमें उस पक्ष के लोगों का जो तर्क हमने सुना और पहले से उनके वित्त मंत्री का बयान था कि फिस्कल डैफिशिट को कम करने के लिए हम डिसइनवैस्टमैंट कर रहे हैं और 10,000 करोड़ रुपया हम इससे आमदनी करेंगे। एक तर्क उन्होंने दिया कि रुपये की कमी हो गई है तो जो पुरानी संपत्ति है, उसको बेचकर पूरा करेंगे। उनसे हमारा यह सवाल है कि हिसाबी लोग, ज्ञानी लोग बोल रहे हैं कि 8 लाख रुपये काला धन है। 58,000 करोड़ रुपये एन.पी.ए. है। 52,000 करोड़ रुपये इनकम टैक्स का बकाया है। मतलब यह कि अरबों-खरबों रुपये हैं और किरीट सोमैया कह रहे थे कि सरकार का काम है प्रशासन चलाना, व्यापार नहीं करना। प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं कि काला धन वसूली के लिए 52,000 करोड़ रुपया जो बड़े आदमी इनकम टैक्स का रखे हुए हैं, उसकी वसूली के लिए और एन.पी.ए. जिसमें 30,000 करोड़ रुपये सी.आई.आई. का बकाया है, उसके लिए प्रशासनिक क्षमता कहां चली गई नपुसंकता क्यों आ गई जो गरीब आदमी पर खर्च बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी की तो अनाज से भी सब्सिडी काटो और उसके बाद देश की संपत्ति को बेचकर हम फिस्कल डेफिसिट पूरा करेंगे, यह कौन सा अर्थशास्त्र चला रहे हैं इस देश में? तर्क दे रहे हैं कि हमें 10,000 करोड़ रुपया लाना है तो पुराने जमाने की जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसको बेचकर हम पूरा करेंगे। यह कौन सा अर्थशास्त्र है?

सभापति महोदय, इन्होंने कालाबाजारी पर हमला नहीं किया। काले बाजार में जो अरबों-खरबों रुपया है उसको उगाहने का काम नहीं किया। उसको वसूलने का काम नहीं किया। मुझे आप इस प्रकार का कोई एक उदाहरण बता दें। जो 58 हजार करोड़ रुपए एन.पी.ए. का है उसकी वसूली के लिए आपने क्या उपाय किया? कुछ उपाय नहीं किया। 92 हजार करोड़ रुपया इन्कम टैक्स का बकाया है, उसको वसूलने के लिए आपने क्या किया, क्या आपमें उसको वसूलने की क्षमता नहीं है, क्या आप उस रुपए को वसूल नहीं कर सकते, क्या सिर्फ एक ही डिसइनवैस्टमेंट का उपाय बचा है? फिर कहते हैं कि सरकार का काम प्रशासन करना है व्यापार करना नहीं है। क्या सरकार यह नहीं देख रही है कि किस में लाभ है किसमें हानि है और उसको जोड़-तोड़ कर, उसका हिसाब लगा-लगा कर काम कर रही है, तो क्या यह व्यापार करना नहीं है?

सभापति महोदय, सरकार का काम है वैलफेयर करना। गरीब का भला कैसे हो, यह देखना। जो अपने देश के 100 करोड़ लोग हैं, उनका उत्थान कैसे हो, यह देखना। श्री मणिशंकर अय्यर जी अपने भाषण में अभी बता रहे थे कि प्राइवेट कंपनियों में ज्यादा नुकसान हो रहा है। जैसा अभी परांजपे साहब बोल रहे थे कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में जो कुव्यवस्था है, उसको खत्म कर दीजिए, वे अपने आप फायदे में हो जाएंगी। विद्वान लोग बोल रहे थे कि जो घाटे में है उसका डिसइनवैस्टमेंट किया जाए, लेकिन डिसइनवैस्टमेंट करने के लिए कंपनी को घाटे में न डाला जाए। कहीं ऐसा न हो कि डिसइनवैस्टमेंट करना है इसलिए उनके मैनेजमेंट को बदल दो और उसे घाटा पहुंचा कर उसका डिसइनवैस्टमेंट करो। यह नहीं होना चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?

सभापति महोदय, अभी हमारे एक मित्र होटल का उदाहरण दे रहे थे। यह सरकार बड़े-बड़े होटलों को बेचने की बात कर रही है। वे होटल जो दो वर्ष पहले एक प्राफिट में चल रहे थे, लाभ कमा रहे थे और अब घाटे में आ गए। वही मैनेजमेंट जो दो वर्ष पहले तक लाभ कमा रहा था, वही मैनजमेंट और वही होटल अब घाटे में जा रहा है। कहीं आपकी यह नीति तो नहीं है कि लाभ में चल रही कंपनियों को घाटे में पहुंचाओ और फिर उनको बेचो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, तो यह इस देश के सम्मान को बेचने के समान है। यह तो वही बात हुई जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान को ही बेच दे। मैं कहना चाहता हूं कि* आज यह नारा देश के गांवों और गली-गली में लग रहा है।

---

* अध्यापीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

सभापति महोदय, अभी बसुदेव आचार्य, सी.पी.एम. के माननीय नेता ट्रांसपरेंसी की बात कह रहे थे। वे ट्रांसपेरेंसी खोज रहे थे। अभी परांजपे साहब भी भाषण कर रहे थे, मैं उन दोनों माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि एक योजना चल रही है कि किस पोस्ट पर कौन सा आदमी लगाया जाए और किस कंपनी को कौन सा बड़ा मल्टी नैशनल खरीदेगा। यह सब चल रहा है। मैं आपको सी.सी.आई. का उदाहरण देना चाहता हूं। सी.सी.आई. में जो अफसर बहाल हो रहा है, जो मैनेजिंग डायरैक्टर बहाल हो रहा है, उसके खिलाफ विजिलेंस ने क्या लिखा है, वह मैं पढ़ देता हूं। विजिलेंस ने लिखा है-

[अनुवाद]

> "विभागीय जांच के पश्चात्, उन्हें जम्मू हवाई अड्डे पर एक कैंटीन का ठेका देने के लिए चेतावनी दी गई थी। उन्होंने, मैसर्स विप्रो से कम्प्यूटरों की खरीद के लिए धनराशि की मांग भी की थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संबोधित, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने दिनांक 22.2.2000 के पत्र के द्वारा प्रतिकूल रिपोर्ट दी है और यह टिप्पणी करी है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए किंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने दिनांक 17.5.2000 के पत्र के द्वारा यह टिप्पणी की है कि विजिलेंस प्रोफाइल में उस अधिकारी की खराब पृष्ठभूमि संतोषजनक नहीं है। तथापि उन्होंने, उन्हें सशर्त विजिलेंस क्लीयरेंस दे दिया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग पर दबाव स्पष्ट है। यह रिपोर्ट दी गई है कि उस अधिकारी को जिस अंतर्राष्ट्रीय फर्म का समर्थन प्राप्त है उसे एक अप्रवासी भारतीय का समर्थन है जो सी.सी.आई. यूनिटें प्राप्त करना चाहता है।

[हिन्दी]

मतलब यह है कि मल्टी नैशनल कंपनियां अपने हितों का संरक्षण करने वाले अधिकारियों को बहाल करा रही हैं। जो अधिकारी उन कंपनियों को खरीदने में मदद करेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर वे अपने अधिकारियों को बहाल करा रही हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कागज सदन की टेबल पर प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। आप इसकी जांच कराइए। इस बात की छानबीन हो कि उस अधिकारी के बारे में सी.वी.सी. ने क्या लिखा, सी.वी.ओ. ने क्या लिखा और सी.बी.आई. ने क्या लिखा। मैं बताना चाहता हूं कि सी.बी.आई. ने लिखा है कि उनको सेंसिटिव पोस्ट पर मत रखिए, वह तत्काल खतरा पैदा करेंगे और उन्हीं अधिकारी को आप सी.सी.आई. के एम.डी. के पद पर बहाल करना चाहते हैं। उसके पीछे हिन्दूजा और जाने कौन बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, कौन-कौन लोग हैं। यह सब साजिश चल रही है।

रात्रि 8.00 बजे

लोग ट्रांसपरेन्सी खोज रहे हैं। इसलिए देश के सामने बहुत बड़ा खतरा है। यह हमारी सम्पत्ति को बेच रहे हैं। अभी तक क्या किया है? यह कह रहे हैं कि अंडरटेकिंग्स बनाये हैं, तो कहां बनाये हैं। एक भी अंडरटेकिंग नहीं बनाई है। जो पहले की अंडरटेकिंग्स थीं, उनको खत्म कर रहे हैं। यह कहते हैं कि उसको घाटा पहुंचाओ। लाभ वाली अंडरटेकिंग्स को ही बेचने की बात हम सुनते हैं। भेल को बेचने की बात सोच रहे हैं। भेल तो लाभ में चल रही है। *...(व्यवधान)* जब अंडरटेकिंग्स बनाई गई थीं तब हिन्दुस्तान में क्या सपना था? यह कहते हैं कि इकोनोमिक्स के बारे में सुझाव देने के लिए उन्होंने बड़े-बड़े पूंजीपति रखे हैं। अर्थशास्त्रियों को नहीं पूंजीपतियों को रखे हुए हैं कि फलाना यह है, फलाना वह है आदि बड़े-बड़े लोग इनके सलाहकार हैं। "जेई भनसीया सेई चटनी और दही के रखवार बिल्ली।"। यह सब कहां जायेगा। *...(व्यवधान)* जो पूंजीपति लोग हैं, वे परमार्थी नहीं हैं। जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, मल्टीनैशनल हैं, वे क्या परमार्थ के लिए यहां आये हैं? इस 100 करोड़ आबादी को लाभ पहुंचाने के लिए आये हैं या अपने प्राफिट के लिए आये हैं? क्यों पूंजीपति लगाये हैं? यह कहते हैं कि इन्वेस्टमैंट होगा।

अब यह तर्क दे रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमैंट ठीक है, इसे बेचना ठीक है। ऐसे तर्क कुतर्क दिये जा रहे हैं। इसे कौन अर्थशास्त्री चला रहा है क्योंकि इनकी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं। अभी सुदर्शन साहब भाषण कर रहे थे कि हमसे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। आपसे अंडरटेकिंग्स का मैनेजमेंट नहीं हो रहा लेकिन सरकार का मैनेजमेंट आपसे हो रहा है। आप पूंजीपतियों, मल्टीनैशनल कम्पनीज को कहिए कि वे यहां बैठें और राज चलायें और वर्चुअली वह चला ही रहे हैं। ये लोग दिखावटी बैठे हैं। जो पूंजीपति लोग हैं, अरबपति हैं, मल्टीनैशनल कम्पनियां हैं, वे राज चला रही हैं। असल में इन लोगों के हाथ में शासन नहीं है। आप हमें एक भी उदाहरण बता दें कि जनता के हित में इस सरकार ने यह काम किया है। पी.डी.एस. के मामले में इनके सहयोगी दलों ने इन्हें चेताया, इन पर लगाम लगाने की कोशिश की। इन्होंने नौ रुपये गेहूं का भाव किया लेकिन आज वह नहीं बिक रहा है। अब आप पूंजीपति, व्यापारी लोगों के लिए दाम घटाने को तैयार हैं। जनता के नौ रुपये और व्यापारी के सात रुपये, क्या अंधेर? क्या अनर्गल है? ऐसे गरीब के दुश्मन ऐसे पूंजीपरस्त, ऐसे मल्टीनैसनल परस्त कहीं नहीं देखे गये। सब हिसाब

जोड़कर श्री मणि शंकर अय्यर ने यहां बताया है। सब कागज-पत्र में तो काफी समय लगता है लेकिन मोटे-मोटे सामान्य बुद्धि से हम देख रहे हैं कि यह देश का भविष्य खतरे में पहुंचा रहे हैं। भूतकाल से हमारी जो सम्पत्ति थी, उसको भी बेच रहे हैं। वर्तमान को भी बेच रहे हैं और भविष्य को भी खतरे में पहुंचायेंगे। तीनों काल में यह जो नुकसान करेंगे, उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं होने वाली है। इसलिए डिसइन्वेस्टमैंट करने वालों से आप सावधान रहिये। यह कहते हैं कि कुछ मुनाफा हुआ। सोमैया साहब मुम्बई में किसी कारोबार के कर्ता-धर्ता हैं। जब वह बहस चला रहे थे तब हमें आश्चर्य हो रहा था। वह अपने तर्क में कह रहे थे कि सार्वजनिक सम्पत्ति का प्राफिट है, वह तथाकथित प्राफेट है। यह जो अंडरटेकिंग्स है, उनकी तथाकथित मोनोपली है। इसलिए लाभ है नहीं तो वह लाभ नहीं होगा। इतना बड़ा पब्लिक प्राफिट के दुश्मन हैं। क्या मल्टी नेशनल बाहर से परोपकारी आयेगा? उसकी मोनोपली नहीं होगी? मतलब यह कि उसकी मोनोपली चली तो उसका प्राफिट है। अंडरटेकिंग्स के बारे में यह कह रहे हैं कि इस मोनोपली के चलते जो प्राफिट है, वह प्राफिट नहीं है।

सुदर्शन साहब ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। इतने आई.ए.एस. काबिल पदाधिकारी, पुराने होशियार लोग, मैनेजीरियल कैपेसिटी रखने वाले, सब कहते हैं कि नहीं होगा, मिसमैनेजमेंट है, इसे बेचने से ही ठीक होगा। गांव में जब परिवार की आर्थिक हालात खराब हो जाती है और उसका पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है तब वे अपनी सम्पत्ति बेचने की सोचते हैं। अपने बाप-दादा की सम्पत्ति को बेच कर कर्जा अदा करते हैं, खान-पान करते हैं। मैं गांव के साधारण परिवार का उदाहरण दे रहा हूं। यह हिसाब में इस सरकार में देख रहा हूं। *...(व्यवधान)* उन्होंने लालू जी का नाम लिया। लालू जी पर 27 लाख रुपये की सम्पत्ति की इवैलूएशन का झगड़ा है। इन्कम टैक्स वाले कहते हैं कि 27 लाख रुपये नहीं 42 लाख रुपये हैं। इसके लिए उन पर मामला चला, वे जेल गए और कानूनी कार्यवाही हो रही है।* वहां तो हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन यहां. सी.वी.सी. लिखा है, उसका धरना है, हमको जवाब देना पड़ेगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी: माननीय सभापति महोदय, मैं इनके भाषण में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहता हूँ और मैं इसके हक में भी नहीं हूं कि श्री लालू प्रसाद यादव का नाम लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब एक केस चला और उसे कोर्ट ने बरी कर दिया, उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस तरह आडवाणी जी पर इल्जाम लगाने की आपके आरग्यूमैंट में कोई जरूरत नहीं है। जैसे मणि शंकर अय्यर जी ने कहा, वह इल्जाम भी चला जाए। कृपया ये शब्द भी हटाए जाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने क्या कहा है। इन्कम टैक्स का झगड़ा है। इन पर भी डिसप्रपोर्शनेट असैट का मामला चलाने का लिखा गया है। बरी कैसे कर दिया, वह हम जान रहे हैं। कोर्ट ने बरी किया लेकिन उन्होंने फाईनल रुपया लिया या नहीं, इस पर बरी हो गए। उस समय डिसप्रपोर्शनेट असैट का केस फाईनल केस से पहले होना चाहिए, वह क्यों नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* अभी मैच फिक्सिंग में जो छापामारी हुई, इनकी पार्टी के नेता के यहां गए थे। *...(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री तरित बरण तोपदार: लालू जी का नाम लेकर जो डायवर्शन हुआ है, उसका अंजाम देखिए।*...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: इन्होंने जो कहा, उसकी क्या जरूरत थी।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश जी, नियम के अनुसार जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): जो व्यक्ति यहां नहीं है, उसका नाम कैसे ले सकते हैं। यह निकाल देना चाहिए। उनका नाम निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

रात्रि 8.10 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ कहा गया मैं सुन रहा था। यदि उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो वह कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसमें जो भी आपत्तिजनक बात है, मैं कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

दूसरे, माननीय मंत्री जी यह ध्यान रखें कि वह उत्तर देते समय कोई बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। हमें यह बहस समाप्त करनी है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से सहयोग चाहता हूं। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री वैको क्या मैं आपसे सहयोग प्राप्त कर सकता हूं? मैं प्रत्येक सदस्य से सहयोग मांग रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईमानदारी से बोल रहा हूं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री लालू यादव में से किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए और कार्यवाही में भी नहीं आना चाहिए। जैसे इनके नाम लिए गये, उसी तरह पहले कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के नाम, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के नाम भी बिना किसी मतलब के लिए गए। उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, कांग्रेस पार्टी के किसी का नाम नहीं लिया गया। श्री परांजपे ने किसी का नाम लिया। *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने कहा कि इस सभा के एक सदस्य जो कि पहले रेलवे मंत्री थे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, मैंने आपसे कहा कि अब हस्तक्षेप न करें। श्री परांजपे, श्री वैको, यह क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी बात के आपत्तिजनक होने पर मैं उसे निकाल दूंगा। आप इसके बारे में क्यों चिन्तित हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मापदण्ड एक ही होगा। सब ठीक है। श्री परांजपे, कृपया हस्तक्षेप न करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो डिसइन्वेस्टमेंट पर ही बोल रहे थे, लेकिन ये लोग छेड़ते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इस तरफ मुंह करके बोलिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अन्त में माडर्न फूड इंडस्ट्रीज के विषय में देश में यह गर्म अफवाह है कि करोड़ों रुपये का लेनदेन करके उसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसको बेचने की बात हो रही है। उस दिन चन्द्रशेखर जी बोल रहे थे *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वह बेच दिया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बेच दिया? डेढ़ दो हजार करोड़ रुपये की तो उसकी जमीन ही है और उसको कुल दाम 130 करोड़ रुपये में बेच दिया।

श्री मणि शंकर अय्यर: 105 करोड़ रुपये के लिए 2000 करोड़ रुपये की चीज बेच डाली।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हीरा बेचकर ये लोग कोयले के दाम पा रहे हैं। माडर्न फूड इंडस्ट्रीज को बेचने का काम इन्होंने किया और ट्रांसपेरेंसी खोज रहे हैं। जो पहले बेच लिया, उसका क्या होगा? इसलिए इसकी उच्चस्तरीय छानबीन होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* अब बैठिए न। दस हजार करोड़ रुपये की चीज 135 करोड़ रुपये में बेच दी तो क्या बिना कुछ लिए ही बेच दी? जब एक दाम की चीज को कम दाम में बेच दिया, शाक पात के दाम में बेच दिया तो इसकी सी.बी.आई. इन्क्वायरी होनी चाहिए। एक चीज को कम दाम में बेचा तो जनता जान जाये कि ये ले देकर बेच रहे हैं और कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है या ले देकर बेचने की पॉलिसी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: एक सी.बी.आई. इन्क्वायरी माडर्न फूड इंडस्ट्रीज की भी होनी चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हो जाये और इसमें ट्रांसपेरेंसी रखिये। कई लाख रुपये की चीज आप कम दाम में बेचेंगे तो देश के लोग समझेंगे कि इसमें घोटाला है, लोग ले देकर चीजों को बेच रहे हैं। देश की सम्पत्ति को नहीं बेचना है। उसमें अगर मिसमैनेजमेंट है तो उसे ठीक करिये आई.डी.पी.एस. मुजफ्फरपुर में है, खाद कारखाना बरौनी में है, एक तरफ अंझोर का बन्द है, फर्टिलाइजर फैक्टरी सिंदरी है, जितने अंडरटेकिंग्स हैं, सब का मिसमैनेजमेंट दूर करके उनको चालू करिए, मैनेज करिये, उसके लिए बजट में उपबन्ध बढ़ाना चाहिए। देश की सम्पत्ति को बढ़ाने का काम करना चाहिए, बेचने का काम हरगिज नहीं करना चाहिए। हम इस पॉलिसी का समर्थन किसी हालत में नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इन लोगों को देश बेचने की सनक चढ़ी हुई है, इसमें जनता आप लोगों की खबर लेगी और आपको ठीक सजा देगी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की विनिवेश नीति का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस पर बहुत बहस हो चुकी है और आज यह राष्ट्रीय बहस का मुद्दा हो गया है कि विनिवेश होना चाहिए या नहीं और यदि होना चाहिए तो किस तरह से और क्यों। भावुक नहीं होना चाहिए। हमें यथार्थ को देखना चाहिए। पूरे संसार में, प्रत्येक देश में निजीकरण हो कारण रहा है और विनिवेश उसका एक अंग है। कुछ दिन पहले 'इकोनामिक टाइम्स' में एक खबर छपी थी और उसका शीर्षक 'रतन टाटा ग्रुप' से संबंधित था। उसने निजीकरण के बारे में बात कही थी कि निजी क्षेत्र में यदि आपके अंदर प्रतियोगिता की भावना नहीं है तो आपको भावनात्मक नहीं होना है। और क्या हुआ? टाटा केमिकल्स का प्रदर्शन अच्छा था इसलिए मनु सेठ को हटना पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए यह बड़े कारणों में से एक था जिससे वे अपना कार्यकाल पूरा कर सके। एक समय ऐसा था जबकि इस क्षेत्र में धन नहीं आ रहा था और हमने नेहरु के आदर्शों का अनुकरण किया। उस समय यह एक अच्छा आदर्श था। लेकिन समय बदल गया है और व्यक्ति को समय के साथ बदल जाना होता है। किसी को इसके बारे में भावुक नहीं होना है और न ही आत्मपरक दृष्टिकोण रखना है। एक बड़ा कारण यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचकों का सामना किस प्रकार करूं? यह हम सबके लिए एक बड़ी समस्या है। हम उनसे क्या बताएं? लेकिन जब वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, जब वे अपना काम नहीं कर रहे थे तो उसके लिए वही दोषी ठहरते हैं। हम एक अलाभकर विनिवेश या घाटे के लिए अच्छी खासी धनराशि कैसे देते रहे, कैसे खर्च करते रहे? क्या यह सरकार का काम है कि उन क्षेत्रों में प्रवेश करे जहां उसकी आवश्यकता नहीं थी? होटल क्षेत्र में प्रवेश करने का क्या कारण था? बसों को चलाने या रोडवेज के संचालन के पीछे क्या कारण या तर्क थे? *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि राज्य परिवहन निगम को अनुचित लाभ कमाने वाले निजी लोगों द्वारा संचालित किया जाए?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: वास्तव में। क्यों नहीं? यदि नौकरशाह अपनी इच्छा से कार्य किए होते तो वे टैक्सी सेवा का भी राष्ट्रीयकरण कर देते, और यदि श्री मणिशंकर अय्यर हवाई अड्डे पर जाते और एक राष्ट्रीय टैक्सी को बुलाते और वहां यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कार्य देख रहा होता तो वह कभी भी हवाई अड्डे नहीं पहुंच पाते। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमने राजस्थान में एक छोटा अध्ययन किया। हमने सरकार द्वारा संचालित राजस्थान गैरज का अध्ययन किया। अध्ययन के दौरान हमने यह पाया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, मंत्रियों और अन्यों को उपलब्ध कराई गई कार का प्रति किलोमीटर खर्चा गणना करने पर अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक 15 रुपया प्रतिकिलोमीटर बैठता है।

यदि आप उसी कार को कि.मी. के आधार पर लें तो 3 रुपया या 4 रुपया प्रति कि.मी. की दर से आप मरसीडीज बेन्ज चला सकते हैं। मरे मित्र और वरिष्ठ नेता श्री मणि शंकर अय्यर ने टीका-टिप्पणी के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। उन्होंने 'चौकीदार' के भुगतान के लिए 'दहेज' के बेचने की बात कही। मुझे यह वक्तव्य पसंद है। यह बहुत हद तक दून स्कूल के वक्तव्य की तरह से है। *...(व्यवधान)*

श्री वैको: ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वहां रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: इसका वास्तविक अर्थ यह है कि चौकीदार को देने के लिए आपके पास धन नहीं है लेकिन आप उसको रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने अच्छे माल को बेचना नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: आपने मेरे सरकार से गठजोड़ कर लिया *...(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: इस पर मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं इसको ठीक इसी तरह देखता हूँ। उनके पास चौकीदार को देने के लिए धन नहीं है लेकिन फिर भी वे अच्छा माल बेचना नहीं चाहते हैं। एक माओवादी अपना सामान बेचकर एक उद्यम स्थापित करके उसमें 4 या 5 चौकीदार रखना अधिक पसंद करेगा। इस पर यही हमारा दृष्टिकोण है और एक डोस्को भी इसको इसी नजरिये से देखता है। *...(व्यवधान)*

मैं यह भी कहूँगा कि उपनिवेश के समय में अधिकांश व्यापार सरकार द्वारा चलाये जाते थे और इनकी शुरुआत इसी तरह हुई।

श्री मणि शंकर अय्यर: यह बात पूरी तरह गलत है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: केवल भारत में ही नहीं कनाडा में भी रेलवे सेवा और सब कुछ उनके पास है और उन्होंने होटल सेवा की भी शुरुआत कर दी है। यह राज्य द्वारा चलाया जाता था। लेकिन इंग्लैण्ड में अब बात बदल गई है। बी.ओ.ए.सी. लाभ में नहीं चल रही थी। जब यह एक बार ब्रिटिश एयरवेज बन गई, जब इसका निजीकरण कर दिया गया तो यह अच्छी तरह कार्य करना शुरू कर दी तथा लाभ देना शुरू कर दी। एयर फ्रांस आज भी अच्छा कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि वह बहुत बड़ी

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर]

एयरलाइंसों में से एक है। इसे अच्छा करना चाहिए था। फ्रांस की सरकार ने भी यह निश्चय किया है कि विनिवेश किया जाएगा तभी वे वास्तव में लाभ देना शुरू करेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: पान अमेरिका का क्या हुआ?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: यह एक निजी विमान है।

श्री मणि शंकर अय्यर: इसका पतन हो गया। यह क्या सिद्ध करता है?

...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: मैं वास्तविक आंकड़ों में नहीं जा सका। आज प्रतियोगिता का जमाना है। किसी को भावुक नहीं होना चाहिए। हमें विनिवेश की दिशा में आगे बढ़ना है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम)**:** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ यद्यपि यह अवसर मुझे लगभग बहस के समापन के समय दिया गया है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं। यहां जिस विषय पर बहस चल रही है वह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है और इसके हमारी भविष्य की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होंगे।

इस बारे में दो विचारधाराएं हैं। एक कहती है कि 'विनिवेश किया जाए' दूसरी कहती है कि 'नहीं'। जब हम कहते हैं कि हमें विनिवेश करना चाहिए या जब किसी मामले में हम इसका विरोध करते हैं तो हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में दो लाख चार हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है जिनसे मात्र नौ हजार करोड़ रुपये का लाभांश प्राप्त हो रहा है।

लाभ का अनुपात बहुत कम है। सरकार की यह एक परेशानी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां बजट का और राष्ट्रीय बचत का अधिकांश भाग प्राप्त कर रही हैं जिससे बजट में बहुत अधिक अन्तर आ रहा है। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि हमारे राजस्व का 60 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण के भुगतान करने में चला जाता है।

महोदय, यह भी एक तथ्य है कि 245 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से लगभग 107 उद्यम भारी घाटे में चल रहे हैं और उनमें से कई रुग्ण श्रेणी में से हैं तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से अपने मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। महोदय, माननीय मंत्री जी जो कि विनिवेश विभाग के मंत्री बने हैं की आज यही परेशानी और चिन्ता है। लेकिन क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अंधाधुंध विनिवेश कर सकते हैं। क्या हम देश के करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में सौंपा जाना स्वीकार कर सकते हैं? महोदय, हम जब सरकार द्वारा किसी उपाय की बात करते हैं तो जल्दी से कहने के लिए खड़े हो जाते हैं कि यह कांग्रेस के शासन में शुरू हुआ था। शासन आता जाता रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, मंत्री आते जाते रहते हैं लेकिन 50 वर्षों में बनाई गई राष्ट्रीय परिसम्पत्ति का क्या होगा?

महोदय, जब हम विनिवेश की बात करते हैं तो दूसरा क्षेत्र भी है जिसके विषय में हमें जानना चाहिए तथा उस विषय को गंभीरता से समझना चाहिए। कुछ ऐसे उद्योग हैं जो 1956 में 5 इकाईयों तथा 26 करोड़ रुपये विनिवेश के साथ शुरु हुए थे। आज उसमें 245 इकाईयां हो गई हैं और इनसे देश की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन इकाईयों ने हमारे राष्ट्र का निर्माण किया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों ने राष्ट्र के औद्योगिकरण का दायित्व निभाया है। क्या हम इसे भुला सकते है? महोदय, आप मुझसे असहमत नहीं होंगे यदि मैं यह कहूँ कि इन 245 इकाईयों में लगाया गया साधारण शेयर अनुमानत: 55,000 करोड़ रुपये है और शेष वित्तीय संस्थानों का है। पूरा ऋण अदा कर दिया गया है। क्या वह एक तथ्य नहीं है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इतने अधिक करोड़ रुपये अदा कर दिये गये हैं।

महोदय, हमें इस पर भी सहमत होना चाहिए कि सकल बिक्री में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और कुल लाभ में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। 55,000 करोड़ रुपये के विनिवेश करके इस क्षेत्र ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। महोदय, उत्पादन में जोड़ा गया मूल्य 25 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सकल आन्तरिक संसाधन में भी 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की वजह से निर्यात की आमदनी में 15% की वृद्धि हुई है। इन इकाईयों ने राजकोष में लगभग 42,000 करोड़ रुपए का योगदान किया है। क्या हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं? इन सब बातों के बाद भी इन इकाईयों से देश के 20 लाख परिवार पल रहे हैं। अंधाधुंध विनिवेश की वजह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधीन 2 लाख मजदूर बेकार हो गये हैं। आप उनको लुभा रहे हैं और वे उधर आकर्षित हो रहे हैं। आज यही हो रहा है। हमें इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। यद्यपि हमने 55,000 करोड़ रुपये का विनिवेश किया है और कुल मूल्य 2,01,000 करोड़ रुपये है। आज केवल 10 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 5,00,000 करोड़ रुपये के हैं। क्या हम उन्हें निजी उद्यमियों को बेच सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा किये गये इन योगदानों पर हमें ध्यान देना चाहिए।

हम यह कह रहे हैं कि विनिवेश सीमित उद्देश्यों को लेकर आरंभ हुआ था। कांग्रेस राज में, इसे 20 प्रतिशत बढ़ना था। वे कहते हैं कि प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस मामले में हम खण्डशः विनिवेश से विवेकरहित और बड़े पैमाने के विनिवेश की ओर जा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है, यही हमारा प्रश्न है। क्या यह वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए है जिसका सामना आज सरकार कर रही है? क्या यह बजट घाटे को कम करने के लिए है? सरकार को इसका उत्तर देना ही होगा। यदि वे कहते हैं, 'नहीं', यह बजट के घाटे को कम करने के लिए नहीं है,' तो क्यों वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने बजटीय भाषण में किया था। क्या यह सच नहीं है कि आपको 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और, इसीलिए, आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए सब कुछ खोल रहे हैं और इन शेयरों को बेच रहे हैं?

हम विनिवेश का पूर्णतः विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार का विनिवेश गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मामले में हुआ उसका हम विरोध कर रहे हैं। हम 600 करोड़ रुपये की हुई हानि का विरोध कर रहे हैं। मैं इसमें कोई प्रयोजन नहीं ढूंढ़ रहा हूँ। परंतु इसको कार्यान्वित करने का तरीका देखिए। जब शेयर की कीमत 150 रुपये थी, गेल (जी.ए.आई.एल.) को शेयर बेचने की अनुमति नहीं मिली और जब शेयर की कीमत 70 रुपये थी, इसे बेचने की अनुमति मिली इससे राजकोष को 600 करोड़ का घाटा हुआ इसी पहलू का हम विरोध कर रहे हैं, इस प्रकार के विनिवेश का हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए, सरकार को अपनी नीति साफ और स्पष्ट करनी चाहिए।

जब प्रथम उद्योग का उद्घाटन इस देश के पहले प्रधान मंत्री ने किया था, उन्होंने कहा था वह किसी उद्योग का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश के आधुनिक मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। हम अब उन मंदिरों को तोड़ रहे हैं। जो पार्टी आज सत्ता में है वह ढहाने में बहुत माहिर है। आज जो पार्टी सत्ता में है उन्हें प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार में रुचि है। कृपया करके भारत के इस आधुनिक मंदिर को भी बचाइए। मैं उन्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा करने के कई रास्ते हैं। हमें इन सभी पहलूओं पर गंभीरता से देखना होगा। हमें इसे करने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न यह नही है कि इसे उस सरकार ने किया या किसी अन्य सरकार ने किया। इस मुद्दे को ही कहते रहने में या यह कहने में कि ये कांग्रेस के दिमाग की उपज है कोई तथ्य नहीं है; इसे कहने में भी कोई तथ्य नहीं है कि संयुक्त मोर्चा सरकार ने इसे न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ावा दिया था, यह कहने में भी तथ्य नहीं है कि आप भी इन्हीं बातों को अपना रहे हैं। इसकी गुणवत्ता में विभिन्नता हो सकती है, परंतु उस पर अभी बात नहीं कर रहे हैं।

यदि आप कहते हैं कि इस विशिष्ट मामले में हम विनिवेश से नहीं बच सकते, तो आप अपनी नीति को बताइए। यह स्पष्ट होनी चाहिए।

आज, हमारा प्रश्न यह है कि क्या ये सारे विनिवेश बजटीय घाटे की पूर्ति करने के लिए किये जा रहे हैं? इससे मुझे वह स्थिति याद आती है जब आपके सारे परिवार के गहने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेच दिये जाते हैं। यदि आप अपनी जमीन, जो आपको आजीविका प्रदान करती है, को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेच रहे हैं, और यदि यह सच है, तो हमें यह विनिवेश नहीं चाहिए।

महोदय, यह विनिवेश नवरत्नों में क्यों हो रहा है? इसमें दो श्रेणियाँ हैं। एक है मुनाफा कमाने वाले उद्योग, दूसरे हैं घाटे में चलने वाले उद्योग। क्यों मुनाफा देने वाले उद्योगों के शेयरों को ही बेच रहे हैं? इस विवादास्पद प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। ठीक है, यदि आप घाटे में चलने वाले उद्योगों को अच्छे उद्देश्य के लिए बेच रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या यह बीमार उद्योगों को सुधारने के लिए है? क्या यह रुग्ण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए है? या, यह वर्तमान रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए है? आपने ऐसा नहीं किया। आपका दावा है कि आपने इन शेयरों को बेच कर अब तक 18,000 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं? आप इन 18,000 करोड़ रुपये का क्या करेंगे? क्या यह सामाजिक क्षेत्र को जाएगा, जैसा कि वादा किया गया था?

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः महोदय, यह मामला महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि आप मुझे और दो मिनट बोलने की आज्ञा देंगे। दो और महत्वपूर्ण मुद्दे है जिन्हें मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

महोदय, यह कहने में कोई तथ्य नहीं है कि यह 18,000 करोड़ रुपये भारत के संचित निधि में गए हैं। कृपया यह मत बोलिए। फिर, विनिवेश आयोग की आवश्यकता क्या है? आयोग का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। मुझे यह नहीं पता कि कब यह सरकार विनिवेश आयोग को पुनर्जीवित करेगी। आप इस आयोग को कुछ शक्तियाँ देकर ही पुनर्जीवित कीजिए। उनकी सिफारिशों का क्या हुआ? विनिवेश आयोग की किसी भी सिफारिशों को, जिसने 12 रिपोर्टें दी है, इस सरकार ने मान्य नहीं किया। विनिवेश आयोग की किसी भी सिफारिश को सरकार ने विचारार्थ नहीं लिया। आयोग एक निधि का गठन करना चाहती थी— विनिवेश निधी। माननीय वित्त मंत्री ने, इस सभा में, यह वचन दिया था कि इस निधि का गठन किया जाएगा। उसका क्या हुआ?

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

इसलिए, हमें आशंका है कि आपके कार्य में पारदर्शिता नहीं है। हम आपके कार्य को आशंका से देखते हैं क्योंकि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इन 18,000 करोड़ रुपयों का क्या हुआ? क्या यह सच में स्वास्थ्य क्षेत्र में जा रहा है? क्या यह सचमुच शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा? किसी को भी नहीं पता। परंतु यह कहने में कोई तथ्य नहीं है कि यह भारत की संचित निधि में गया और वहाँ से ही यह अन्य क्षेत्रों में आया है। यही बात आप हर बार कहते हैं। आपने इसके लिए लिखित संग्रह क्यों नहीं बनाया? आप जो भी पैसा विनिवेश करेंगे उसे अलग रखा जाना चाहिए और उसे वर्तमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनः चालू करने के लिए ही जो देश की पूँजी और देश की संपदा है—इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या आप इसकी घोषणा करेंगे? कृपया अपनी नीति को जाहिर कीजिए।

माननीय मंत्री जी हम सभी जानते हैं कि आप सक्षम व्यक्ति हैं। हम आपकी सत्यनिष्ठा को जानते हैं। हम आपकी दूरदर्शिता को भी जानते हैं। यदि आप इसे अभी नहीं करेंगे, आप इसे पुनः नहीं कर पाएंगे। यदि माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री राम नाईक शक्ति सम्पन्न हैं, तो वह अपने मंत्रालय में विनिवेश पर नियंत्रण रख सकते हैं। यदि कुमारी ममता बनर्जी शक्तिसम्पन्न हैं तो, वे भी इस पर नियंत्रण रख सकती हैं। परंतु बेचारे श्री शरद यादव इसे नहीं कर सकते, उन्हें इस देश के गौरव एयर इंडिया को बेचना है।

महोदय, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मनमाने तरीके से किसी भी उद्योग को चुन लेते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? तमिलनाडु में दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उनमें से एक है सेलम स्टील प्लांट, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मेरे मित्र यहाँ कह रहे थे, कि इस बारे में हम लोगों को क्या बताएँ?

एक बार आप इस उद्योग को 2,500 करोड़ रुपये में, जो संपूर्ण भारत की एकमात्र स्टील उद्योग है, निजी उद्योगपतियों को बेचते हैं, निजी उद्योगपति संपूर्ण देश के स्टेनलेस स्टील उद्योगों पर एकाधिकार कर लेंगे। सरकार किसकी मदद कर रही है? सरकार यह क्यों कर रही है जब पुनर्जीवित करने के तरीके हमारे पास हैं? सरकार ने हाल ही में 808 करोड़ रुपये सिर्फ सेलम स्टील प्लांट को हॉट रोलिंग मिल उपलब्ध करने के लिए खर्च किए। अब सरकार इस स्टील प्लांट पर 800 करोड़ रुपये खर्च करने के तुरंत बाद बेचने का इरादा रखती है, जबकि प्रबंधन इसे संपूर्ण स्टील उद्योग में परिवर्तित करने के लिए केवल 200 करोड़ रुपये चाहता है। यह उद्योग कच्चा माल दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट से प्राप्त करता है। यह सरकार दुर्गापुर के एलॉय स्टील प्लांट को भी समाप्त करना चाहती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार यदि सेलम स्टील प्लांट का निजीकरण हो जाए तो, निजी उद्योगपति दुर्गापुर प्लांट से कच्चा माल नहीं लेंगे। इस प्रकार यह सरकार एक तीर से दो निशाने साध रही है—सेलम स्टील प्लांट को मारो और दुर्गापुर एलॉय स्टील प्लांट को मारो। यह सरकार इसे प्राप्त करने के लिए यह तरीका अपना रही है। सरकार यह क्यों कर रही है? क्या सरकार ऐसा निजी क्षेत्र को स्टील उद्योग पर एकाधिकार करने की सुविधा के लिए नहीं कर रही है? इसकी सलाह किसने दी है? इसके बारे में विनिवेश आयोग क्या कहता है?

तमिलनाडु विधान सभा ने इस पर सर्वसम्मत प्रस्ताव यह कहते हुए पारित किया था कि सरकार इस निर्णय पर पुनःविचार करे। सभी राजनैतिक दलों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। इसी मामले को सभा में भी उठाया था। श्री वैको, जिनकी पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे की भागीदार हैं, वे भी यहाँ बैठे हैं। डी.एम.के. के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। पी.एम.के. के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है। मुझे नहीं पता वे सब क्या कर रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपये की संपत्ति निजी उद्योगपतियों के हाथों में सौंपी जा रही है। यह किस कारण से किया जा रहा है? यह इसलिए किया जा रहा है ताकि निजी क्षेत्र का उद्योग में एकाधिकार हो सके।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। अगर उन्होंने इस उद्योग का कुछ भला किया होता तो मैं इसका समर्थन करता। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ...*(व्यवधान)* जब वे सत्ता में भागीदार थे, तो तमिलनाडु के लोग चाहते थे कि वे राज्य के लिए अच्छा काम करें। अगर वे कहते हैं कि वे हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ठीक है। हम विपक्ष में हैं। इसीलिए वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः महोदय, वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। महोदय, मुझे स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिलना चाहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। श्री पलानीमनिक्कम को इस मुद्दे पर तमिलनाडु के हितों का विभाजन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का एक ही मत है।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः महोदय उन्होंने सरकार के एसपीआइसी में शेयरों के निजी उद्योगपतियों को बेच दिया है। वे अब इसकी बात कैसे कर सकते हैं।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः महोदय, अगर श्री पलानीमनिक्कम इस बात से नाराज है तो उन्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जब केन्द्र सरकार विजाग इस्पात संयंत्र को बेचना चाहती थी तो श्री चंद्रबाबू नायडू ने इस सरकार से केवल एक ही शब्द कहा था जिससे सरकार परेशान हो गई थी और तुरंत यह बात कही गई कि सरकार इसे वापस ले रही है। ऐसा आंध्र प्रदेश के मामले में क्यों किया गया था? यह केवल आंकड़ों के कारण किया गया था।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कमः यह काम अभी भी चल रहा है। विनिवेश आयोग ने इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर दी है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः यह इसलिए किया गया है कि इस सभा में तेलुगु देशम पार्टी के 28 सदस्य हैं। यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री सेल्वागनपति कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री वैकोः महोदय श्री सेल्वागनपति ने मेरा और द्रविड़ मुनेत्र कषगम का नाम लिया है और कहा है कि हमने समझौता किया है। हमने बिल्कुल समझौता नहीं किया है। हमने यह मुद्दा सभा में उठाया है। हमने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। हमने इस मुद्दे पर कभी समझौता नहीं किया। समझौता करना केवल उन्हीं का काम कर रहा है। मैं आलोचना करना नहीं चाहता।

श्री मणिशंकर अय्यरः हम यह कह रहे हैं कि तमिलनाडु की बात सरकार नहीं सुन रही है जबकि वे आंध्र प्रदेश की बात सुन रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि राजनीति के कारणों से अगर वे आंध्र प्रदेश की बात सुन रहे हैं तो उन्हें तमिलनाडु की बात भी सुननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदयः कम से कम तमिलों के बीच कुछ एकता तो होनी चाहिए।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः महोदय मुझे खुशी है कि श्री वैको लड़ रहे हैं, बिना किसी परिणाम के लड़ रहे हैं। अगर श्री चंद्रबाबू नायडू ऐसा करने में समर्थ हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते।

श्री पी.एच. पांडियनः उपाध्यक्ष महोदय श्री सेल्वागनपति कह रहे थे कि तमिलनाडु सरकार या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इन निजीकरणों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री या केन्द्र सरकार से उस तरह संपर्क नहीं किया जिस तरह श्री चंद्रबाबू ने किया था *...(व्यवधान)*

श्री वैकोः महोदय तमिलनाडु सरकार ने यह मुद्दा सरकार के साथ उठाया है *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः उन्होंने नहीं किया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप यह कैसे जानते हैं?

श्री पी.एच. पांडियनः इसका क्या परिणाम हुआ? कोई परिणाम नहीं निकला *...(व्यवधान)* उन्होंने संपर्क किया था। परन्तु उन्होंने कोई उग्र पहल नहीं किया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री पांडियन अब आप अपना मामला बिगाड़ रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): वह गलत सूचना दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री वैकोः *

श्री मणिशंकर अय्यरः महोदय यह बहुत आपत्तिजनक है। कृपया इन टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः मैं सभी आपत्तिजनक बातें कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियनः सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दोषी कौन है। इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री सेल्वागनपति कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपतिः चीनी के मामले में भी सरकारिया आयोग ने उन्हें दोषी पाया था *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)***

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम आप अपनी ताकत क्यों खर्च कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन अपने सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: जो कुछ मैंने कहा है वह पुस्तकालय में पड़ी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट में दिया गया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम कृपया समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: यह सच है *...(व्यवधान)* उन्होंने वैज्ञानिक भ्रष्टाचार किया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुसामी कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, मैं बोल रहा हूँ। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुसामी, आप भी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम आप कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सेल्वागनपति कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: महोदय, कृपया कार्यवाही-वृत्तांत को देखें। मैंने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। *...(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): इस चर्चा में एक बार फिर श्री करुणानिधि का नाम लिया गया है और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। *...(व्यवधान)* वे नाम कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिए जाने चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनके बारे में मत बोलिए जो यहां नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन: यह सच है। यह पुस्तकालय में है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन् क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पलानीमनिक्कम कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: महोदय, मैं मुद्दे से हट नहीं रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप आपत्ति क्यों कर रहे हैं? मैं केवल इस सभा में एक अच्छा वातावरण तैयार करना चाहता हूँ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री सेल्वागनपति ने जो कुछ कहा उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सेल्वागनपति अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं।

'सेल' ने शेयरधारिता समझौते में प्रवेश के लिए मार्च 2001 तक समय सीमा निर्धारित की है। *...(व्यवधान)* उन्हें परिसंपत्तियों के स्थानांतरण के लिए अपने नीतिगत भागीदारों के साथ समझौता करना होगा। जो मेरे मित्र साथ दे रहे थे मैं चाहता हूं कि वे यह काम रोक दें। अन्यथा 2500 करोड़ रुपये की पूरी परिसंपत्ति नष्ट हो जाएगी।

एक अन्य मामला जो मैं उठाना चाहता हूं वह हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड के बारे में है। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में यही एकमात्र उद्योग है जो स्वास्थ्य और रक्षा विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह एक नीतिगत उद्योग है। बी.आई.एफ.आर. ने पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है कि यह उद्योग बंद कर दिया जाए, यह गम्भीर मुद्दा है। पूरे विश्व में इस क्षेत्र में मात्र छः उद्योग है। इस उद्योग को बंद करवाने में बहु-राष्ट्रीय निगम काफी रुचि ले रहे हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि कामगार अपने वेतन का 40 प्रतिशत भाग ही प्राप्त कर रहे हैं। श्री नाचियप्पन ने ठीक ही कहा है कि वे यहाँ तक कि कैन्टीन में मिलने वाली राजसहायता को भी नहीं ले रहे हैं। वे एक दोसा के लिए 10 रुपये दे रहे हैं जबकि उनहे राजसहायता के तहत इसके लिए 1 रुपया देना था लेकिन कम्पनी का लाभ बढ़े इसके लिए वे ऐसा कर रहे हैं। ये कामगार इस उद्योग के पुनरुज्जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका पुरुज्जीवन पैकेज सरकार के पास लम्बित है। सरकार को देखना चाहिए कि इस उद्योग का पुनरुज्जीवन हो। इसमें लगभग 2500 कामगार ऐसे हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं और अपनी आजीविका के लिए इस उद्योग पर पूर्णतः आश्रित है।

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर: इसके लिए जो कुछ अपेक्षित है वह है पॉलिस्टर एकक की स्थापना।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: यदि इस उद्योग का पुनरुज्जीवन नहीं किया जाता तो एक्सरे के मूल्यों का निर्धारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा किया जाएगा। हमारे देश की आवादी 100 करोड़ है। यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कहती हैं कि एक्सरे का मूल्य 200 रुपये या 500 रुपये होगा तो हमें यह कीमत देनी ही पड़ेगी। इसलिए, कृपया इस महत्वपूर्ण उद्योग को बचाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह अपनी नीति को स्पष्ट करे। कुछ माननीय सदस्य इस बारे में श्वेत-पत्र रखने की मांग करते रहे हैं। अच्छा होगा कि श्वेत-पत्र निकाला जाए क्योंकि हम इस जीर्णशीर्णता की पूरी चर्चा कर किसी विनिर्णय पर पहुंच सकें।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यद्यपि व्यवहार्यतः यह दिन के अंत में मिला। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप सुरक्षित हैं।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: मैं अत्यन्त संक्षेप में कहूंगा। यह ऐसा महान अवसर है जब चर्चा के दौरान मैंने कई भावनाओं, शिकायतों और यहां तक कि पूर्वाग्रहों का भी अनुभव किया। वास्तव में मुख्य मुद्दा है कि क्या जिस विचार को हमें आगे ले जाना था उसे हम पीछे धकेल रहे हैं और वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हर समय इसमें भारी परिवर्तन होते जा रहे हैं। यह जरूरी है कि अपनी विचार धारा को पीछे छोड़कर कभी-कभी बीच-बीच में सुधार भी किया जाए और तब हम उस पर निराशाजनक, शैक्षणिक तथा उद्देश्य परक चर्चा करवाते हैं। इस संध्या में जिस भावना के साथ मैं इस पर चर्चा करूंगा उसके पीछे यही भावना है।

सर्वप्रथम तो विनिवेश अपने आप में साध्य नहीं है यह साध्य के लिए एक साधन है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की प्रणाली का पुनर्गठन, उनका पुनर्जीवन, उन्हें सक्षम उद्यमों में परिणित करना तथा 6 लाख करोड़ के इस विशाल और दुर्दशा के निवेश संसाधन को क्षीण होती अस्मिता से अधिशेष उत्पादक अस्मिता में बदलना साध्य है। जिस सीमा तक विनिवेश इसके लिए सहायक हो सकता है उस सीमा तक वह स्वागत योग्य है।

यदि मैं थोड़ी बहुत इस सम्पूर्ण स्थापना के ढांचे में गैर स्थापना की बात करता हूँ तो ऐसा कहकर सत्ता पक्ष के मेरे मित्रों को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि भूतलक्षी प्रभाव से एक अलग मंत्रालय का सृजन बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं है। यह हर किसी जिसमें श्रमिक संघ, श्रमिक वर्ग भी शामिल

[डां. नितिश कुमार सेनगुप्ता]

है के लिए एक गलत संकेत है कि सरकार पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने जा रही है। जबकि यह संदेश ऐसा नहीं है। वर्ष 1991 से ही यह सोची समझी प्रक्रिया रही है। यह कार्य विभिन्न सरकारें करती रहीं लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विभाग जैसा मंत्रालय उनके पास पहले से ही था जो कि पूर्णत: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित था। अब विनिवेश मंत्रालय क्या कर सकता है? इसकी स्थिति अंग विहीन है। प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से इसे कार्य करना पड़ता है।

अब, बात यह है कि यदि पेट्रोलियम मंत्री को विनिवेश के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं तो विनिवेश मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता। अब तक इसकी उपलब्धि क्या रही है। क्या यह इस समय अपने अस्तित्व की न्यायोचितता को बता सका है क्योंकि प्रशासनिक मंत्रालय के सक्रिय समर्थन के बिना मूलत: यह किसी भी प्रकार का विनिवेश नहीं कर सकता है। यदि उसकी स्थिति इस प्रकार से है तो इससे भला यह है कि वित्त मंत्रालय और हो सके तो सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर उद्यमों पर नियंत्रण रखने वाले सार्वजनिक उद्यमों के विभाग की सहायता से विनिवेश का पूरा कार्य प्रशासनिक मंत्रालय पर छोड़ दिया जाए ...*(व्यवधान)*

सरकार के पास कारण कुछ भी हों लेकिन उससे बाहर कोई भी आदमी मानता है कि अलग विनिवेश मंत्रालय के सृजन से चारों तरफ गलत संकेत जाते हैं कि सरकार सभी हितों को बेचने जा रही हो। देश की संपदा को बेचने वाले इन तर्कों को हम नहीं मानते हैं। वैसे भी यह सम्पदा बहुत कम है। जब 6 लाख करोड़ रुपये निवेश किये जाते हैं और उससे प्राप्त आमद नकारात्मक है और यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र की उन एकाधिकारी ऑयल कंपनियों को छोड़ देते हैं और नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन और वी.एच.ई.एल. जैसी कम्पनियों को भी छोड़ देते हैं तो कोई ऐसी कम्पनी नहीं बचती जो कि लाभार्जन कर रही हो, इस दिशा में सख्त कदम उठाए जाने चाहिए।

मेरे मस्तिष्क में मुख्य समस्या यह है कि तुलन पत्र तथा लाभ-हानि विवरण के अनुशासन को कैसे नियंत्रण में रखा जाए। यदि आप इस अनुशासन को बनाये रख रखते हो तो कई समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू जिसे मुझे इस तरह से कहना चाहिए कि कामगारों और श्रमिक संघों को विनिर्णय करने की इस प्रमुख प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखा गया है जो कि उनके इन उद्यमों से संबंधित है। यह भारी विनिर्णय है एक ऐसा सामूहिक विनिर्णय है जिसमें कि प्रबंधन, सरकार, मंत्रालयों और संबंधित श्रमिक संघों को संलिप्त होना चाहिए और उन्हें इस समस्या को इस तरह से देखना चाहिए कि यह हम सबकी समस्या है।

ऐसी प्रक्रिया में यदि सरकार को अपने शेयरों का कुछ हिस्सा बेचना भी पड़े तो इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन यह नितान्त आवश्यक है कि कामगारों की सहमति ली जाए और उन्हें भी इसमें शामिल किया जाए क्योंकि ऐसा न होने पर, मुझे आशंका है कि हर तरह की समस्याएं पैदा करेंगे और यदि एक बार उन्होंने इसका प्रतिरोध आरम्भ कर दिया तो किसी भी तरह की प्रगति इस दिशा में कर पाना अत्यन्त कठिन होगा।

अनिवार्यत: मुझे लगता है कि हमें पूरे सार्वजनिक क्षेत्र को दो भागों में बांट देना चाहिए—परम्परागत रूप से लाभार्जन करने वाले उद्यम और निरन्तर अक्षम्य उद्योग जिन्हें दुबारा लाभार्जक नहीं बनाया जा सकता।

रात्रि 9.00 बजे

ऐसे एक या दो मामले होंगे। यहां कई मामलों का जिक्र किया गया है। मैं नहीं समझता कि यह उचित है कि श्री मणिशंकर अय्यर इस्सार स्टील की तुलना भारतीय इस्पात प्राधिकरण से करें। इस्सार स्टील में पूर्णत: भिन्न प्रणाली है वहाँ काफी पैसा है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण जिसे कि बहुत सस्ता वित्तपोषण प्राप्त हुआ है के बजाए इस्सार के विनिर्माण में भारी दुर्लभ मुद्रा का निवेश हुआ है। हाल के इस्पात उद्योग की तुलना में भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण में कम वित्त पोषण हुआ है। इसके बाद इस्पात उद्योग अंधाधुंध मुक्त आयात नीति का शिकार हुआ। आज कई सार्वजनिक क्षेत्र के उध्यम ऐसी खेदपूर्ण स्थिति में हैं क्योंकि उन विभिन्न उत्पादों को आयात की अनुमति देने की नीति बनाई गई जिनके लिए एक प्रकार की एकाधिकारी स्थिति या संरक्षित बाजार स्थिति आने वाले समय में उनसे पूरी तरह आश्वस्त थी। अचानक ही उन्हें उस पूर्ण प्रतियोगिता में ला खड़ा कर दिया गया जिसके लिए वे तैयार ही नहीं थे। यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र को हर समय बच्चे की तरह झुलाते रहोगे, इन क्षेत्रों को खरीददारी की वरीयता, मूल्य वरीयता, निवेश किए गए धन को ब्याज सहित न लौटाने की स्वैच्छा आदि आदि देते रहोगे और अचानक इस बच्चे को बहती नदी में फेंक देते हो और कहते हो कि तैर तो वह तैर नहीं सकता। यह डूब जाएगा या इसे शार्क खा जाएंगी। वस्तुत: यही सब हो रहा है।

हमारे उद्यम इस तरह होने वाली प्रतियोगिता के अभ्यस्त नहीं हैं। पूर्व सोवियत संघ के कई देश अपनी विदेशी मुद्रा की स्थिति को सुधारने के लिए कम कीमतों पर अपने उत्पादों का जमाव कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया में मंदी के कारण उन्होंने भारतीय बाजार में अपने उत्पादों का जमाव कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप हमारी कंपनियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन मैं समझता हूं कि यह अस्थाई स्थिति है, यह निश्चित रूप से सुधरेगी।

जैसा कि मैंने कहा जो उद्यम लगातार घाटे में चल रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ क्योंकि प्रौद्योगिकी बदल गई है और उनके पास वही घिसी-पिटी प्रौद्योगिकी है। बाजार ने इस बात का निर्णय कर लिया है। प्रत्येक विशेष उद्यम का अपना विशेष इतिहास है कि वह कैसे रुग्ण हुआ है। ऐसा सामान्य सा कोई इतिहास नहीं है जिससे कि इस रुग्णता का पता चल सके। तो इसमें आप क्या करोगे?

आज, इनमें से कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं लेकिन मूलत: यह निजी क्षेत्र ही है जिसने उन्हें बर्बाद किया। सरकार ने उदारता पूर्वक-जैसे कि आठवें या नवें दशक में किया उन्हें अपने अधीन ले लिया, मैं समझता हूँ कि भूतलक्षी प्रभाव से यह नीति गलत थी, उस समय की सरकार द्वारा उन कंपनियों को नहीं लिया जाना चाहिए था जिन्हें निजी क्षेत्र ने रुग्ण बना दिया था। यही बात नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन के मामले में ही हुई। इनमें से कई सार्वजनिक क्षेत्र में इसलिए ले लिए गए क्योंकि वहां यह धारणा थी कि कुप्रबंधन के कारण वे रुग्ण हो गए है। यदि ऐसा किया जाना जरूरी था तो इसके लिए जो आवश्यक था वह कि सरकार असीमित वित्तीमन से उनका उचित रूप से प्रचलन करती और वे लाभ देने लगते, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि मनुष्य की तरह ही उद्योग का भी जीवन वृत होता है। उद्यम भी मरते हैं और जब कोई व्यवस्था मरने लगती है तो कृत्रिम उपायों द्वारा इसे बचाने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसा करना राष्ट्र को महंगा पड़ता है क्योंकि हानि उठाकर हर समय इसे जीवित रखा जाता है और यह खर्चा बजट से पूरा किया जाता है जिसे कि मुझे कहना चाहिए कि हमारे गांवों की पेयजल की सुविधा, हमारे सभी विद्यालयों में मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा को वंचित करके किया जाता है, सरकार इन आवश्यक कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकती क्योंकि उद्योगों पर इसकी अत्यधिक पूर्व व्यस्तंता है जो हमने पिछले तीन-चार दशकों से पाई हैं, हम हर चीज को जीवित रखना चाहते है, इसलिए मुझे आशंका है कि असन्तुलन की स्थिति पैदा होने वाली है।

सरकार को शीघ्र निर्णय लेने हैं। जैसाकि मैंने कहा है, एक बात यह निर्णय हो जाने पर कि ये लाभ अर्जित करने वाले एकक हैं और ये घाटे में चलने वाले एकक हैं, आप बाद वाले को बाहर कर सकते हैं। यदि घाटे में चलने वाले एककों को पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कोई हानि नहीं है कि प्रौद्योगिकी अथवा वित्त उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र के किसी सहयोगी को लाया जाये। मुझे यह कहना चाहिए कि जो मित्र हर वक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कोसते रहते हैं, उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए यदि किसी विशिष्ट रुग्ण एकक, जिसे किसी भी अन्य तरीके से पुनजीवित नहीं किया जा सकता हो, को पुनर्जीवित करने में सहायता प्रदान करने के लिए किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सहारा लिया जाता है। यदि वे प्रमाण के तौर पर वाय-बैंक गारंटी देतें हैं तो यह अच्छा है। मैक्सिको और ब्राजील जैसे देश में कई ऐसे मामले हैं। जिन्होंने अपने सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को समस्याओं का समाधान किया है। हम दूसरे देशों से सीख नहीं लेते। कामगारों के बारे में कई बाते कही गई थी। हमारी प्रणाली में संगठित क्षेत्र में रोजगार कर रहे लोगों की कुल संख्या लगभाग 300 लाख है जिसमें से सरकारी क्षेत्र में लगभग 220 लाख अथवा 260 लाख हैं।

अब, अगर किसी उपक्रम को बंद कर 4000 लोगों को बेरोजगार बनाने का कोई विचार सामने आता है, तो वह वांछनीय नहीं होगा। इसलिए, पुनर्गठन अथवा विनिवेश करने के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न हो जाए। श्रीलंका की सरकार ने ऐसा किया है। जब श्रीलंका की सरकार ने अपने ढेर सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण किया तब इस जिम्मेदारी को संभालने वाले लोगों को यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि दो वर्षों के अन्दर कोई छटनी नहीं होगी और दो वर्षों के बाद ही नए मालिकों को छंटनी का अवसर मिलेगा। जिन्हें आप नहीं चाहते, उनको आप जाने को कह सकते हैं। परन्तु ऐसा उचित पुनर्वास पैकेज के साथ ही किया जाना चाहिए। महोदय, क्या हम यह घोषणा नहीं कर सकते हैं कि पुनर्गठन या विनिवेश की वजह से कोई भी बेरोजगार नहीं होगा और जब तक वे सेवानिवृत्त नहीं होते हैं उन्हें वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी? अगर आप लोगों की औसत आयु पर ध्यान दें तो यह पाते हैं कि सरकार को इस मद में अधिक खर्च नहीं करना होगा। यह बहुत सस्ता होगा।

प्रसंगवश, 90 के दशक के पूर्ववर्ती वर्षों में गठित बहुचर्चित राष्ट्रीय नवीकरण कोष का क्या हुआ। इसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि जो लोग सेवाओं से फालतू हो गए हैं उन्हें फिर से प्रशिक्षण दिया जाए और नौकरी में लगाया जाए। परंतु कुछ नहीं हुआ। शासकीय प्रणाली में हमारे पास कई उदाहरण हैं। 50 के दशक के शुरू में जब खाद्य सामग्री को विनियंत्रित किया गया था तो कई हजार लोगों को पूरे देश में रोजगार दिया गया था, उन्हें खाद्य विभाग में नौकरी दी गई। परन्तु उस समय हमारे मंत्री रफी अहमद किदवई जी बड़े निर्भीक थे जिन्होंने इसे बंद किया। परन्तु उन्होंने उन सबको दूसरे विभागों में भेजकर नई नौकरी दी थी। अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जहां पर्याप्त श्रमबल नहीं है। अत: हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। एक साधारण सी घोषणा की जा सकती है कि पुनर्गठन अथवा विनिवेश का मतलब किसी को बेरोजगार करना नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि सभी की पुनर्प्रशिक्षण और फिर से रोजगार प्राप्त करने का समुचित अवसर दिया जाएगा। हमें यह

[श्री नीतिश सेनगुप्ता]

भी कहना चाहिए कि उचित रूप से गोल्डन हैंड शेक योजना दी जाएगी। अन्यथा ये लोग घर पर बैठ जाएंगे और जब तक सेवानिवृत्त नहीं होते, उन्हें वेतन और भत्ता मिलता रहेगा। कुछ वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान लीवर और भारतीय एल्यूमिनियन कंपनी को बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां पर कोई अव्यवस्था अथवा आक्रोश उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि प्रबंधन ने मजदूरों के साथ बातचीत कर समस्या को निपटाया था। भारतीय एल्यूमीनियन कंपनी के अध्यक्ष ने मुझसे कहा था कि एक व्यक्ति ने उनसे कहा था कि जब किसी ने उनसे यह पूछा कि वह क्या कर रहा है तो वह क्या कहे? वह कहा करता था कि वह भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी में कार्यरत है। अब उसे क्या कहना चाहिए? अब अस्तित्व का संकट सामने था। तब अध्यक्ष ने कहा कि उनके पास समाचार पत्र पढ़ने के लिए उनके लिए जगह होगी। वे जब भी यहां आना चाहें, वे आ सकते हैं और जब तक वे चाहे वे यहां अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। समस्या का निपटान हो गया था। मुम्बई जैसे शहर में भी किसी मजदूर संघ ने इस मुद्दे को नहीं उछाला कि दो बड़ी कंपनियां बंद कर दी गईं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए यह सीखने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि यदि कामगारों को विश्वास में लिया जाता है और मामले को "हम" और "तुम" के बजाय, यह कहते हुए कि यह सामूहिक समस्या है, "हम" के आधार पर निपटाया जाता है और मजदूर संघों को शामिल करते हुए कोई सामूहिक निर्णय लिया जाता है, तो निश्चित रूप से इसे सुलझाया जा सकता है।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। अभी काफी अनिश्चितता विद्यमान है। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की सही स्थिति क्या है? कुछ समय पहले यह निर्णय लिया गया था कि दोनों का विलय किया जाएगा। मेरे विचार से यह बहुत ही तर्कसंगत कदम होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। इसको क्यों रोका गया था?

सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में यहां तक कि लाभ कमाने वाले उद्यमों पर भी सरकारी भागीदारी को कम करके 49% पर लाया जाना चाहिए। कई बार हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम नहीं समझते। श्री मणिशंकर अय्यर जी ने मुझसे कहा कि मुझ जैसे लोग दूसरे लोगों को 74, 26 और 51 के आंकड़ों से भ्रमित करते हैं। यदि यह 51 प्रतिशत है तो यह सरकारी कंपनी के रूप में जारी रहेगा। यदि एयर इंयिा को वायुयान लेना है तो पहले उसे वित्त मंत्रालय के पास जाना होगा और फिर योजना आयोग के पास जाना होगा। यदि योजना आयोग को यातायात क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बीच फैसला करना हो, तो स्वाभाविक रूप से वह ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देगा। तब यातायात क्षेत्र में भी पहली प्राथमिकता नागरिक उड्डयन, जो कि आम जनता के लिए अभी भी विलासितापूर्ण चीज है, के बजाय शहरी यातायात ही होगी। आप इसे सरकार से दूर करें और सरकार की भागीदारी को कम करके 49 प्रतिशत पर लाए। सरकार का पूरा नियंत्रण होगा। शेष शेयरों को आप रहने दें। इन उद्यमों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा, लेकिन वे सरकारी कंपनी नहीं होंगे। वह इस हद तक बाजार में उतर सकती है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि विश्व बाजार में वायुयान खरीदने में कोई परेशानी नहीं है। आज, विक्रेता स्वयं आएंगे और आपको वित्तीय संगठनों से जोड़ देंगे जो आप को आसानी से आसान ऋण भी देंगे।

परन्तु, जब तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस सरकारी कंपनी के रूप में रहेंगी। वे इस समस्या से ग्रस्त रहेंगी।

संक्षेप में मुझे यह कहना चाहिए कि इस बारे में किसी भी प्रकार का सख्त परहेज नहीं होना चाहिए। हमें व्यावहारिक होना चाहिए। हमें घाटे में चलने वाले एककों को जारी रखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उनकी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। यदि हम परिसम्पत्तियों की गणना बैलेन्स-शीट के आधार पर करते हैं, तो मुझे शक है उन मजदूरों के लिए, जो नौकरी छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास एक अच्छा क्षतिपूर्ति पैकेज देने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। परिसम्पत्तियों को बेच दें। इनमें विनिवेश करने की कोई जरूरत नहीं है।

लाभ कमाने वाली कंपनियों के संबंध जो कि एकाधिकार रखतीं है, सरकार की भागीदारी को 51 प्रतिशत तक रखना बेहतर होगा। परन्तु, अन्य सभी कंपनियों में सरकारी भागीदारी को क्रमिक रूप से कम करके 49 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए। इसमें कोई हानि नहीं है। सिद्धान्ततः मैं चाहूंगा कि इसे निवेशक जनता में व्यापक रूप से प्रचलित करें। इससे काफी लाभ होगा, इससे शेयर पूंजी बाजार में बढ़ोत्तरी होगी, बाजार में भारी पूंजी प्रदान करेगी और भारतीय शेयरधारकों को काफी धन भी देगी। इसमें कर्मचारियों को प्राथमिकता भी देनी चाहिए। इसी प्रकार से ही 'मिसेज मार्ग्रेट थैचर' अपने प्रयासों में सफल हुई।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनिवेश का विरोध करने की किसी भावना से खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं विनिवेश की किसी भी नीति के कार्यान्वयन में अपेक्षित सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

कभी-कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या थोड़े से बहुमत वाली सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने की शक्ति है। उनकी चाहत के पीछे जो कुछ भी रहा हो, मुझे आश्चर्य है कि क्या थोड़े से बहुमत वाली सरकार के पास पिछले

50 वर्षों में निर्मित किए गए औद्योगिक बुनियादी ढांचें को समाप्त करने की शक्ति है या क्या किसी विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में विनिवेश के लिए इस सभा के दो-तिहाई बहुमत की स्वीकृति होनी चाहिए। इसमें सावधानी रखनी है। तथापि, इसके अलावा, जैसाकि मैंने कहा है कि विनिवेश की हमारी नीति के अंधानुकरण के बजाय सावधानी बरतनी चाहिए।

विनिवेश, निजीकरण, उदारीकरण, सार्वभौमिकरण इत्यादि की प्रक्रिया में राष्ट्र की सुरक्षा और जनता के कल्याण के उद्देश्यों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। उभरते हुए परिदृश्य पर नजर डालें। मुझे संदेह है, यह थोड़ा डरावना दृश्य सा है। समुद्री पत्तनों एवं वायुपत्तनों के कार्यकरणों के निजीकरण और हमारी राष्ट्रीय वायु सेवाओं के वैश्वीकरण के बाद हम अपने आप को कहां ले जा रहे हैं? खुदा न करें, अगर कहीं आपदा आती है या फिर युद्ध होता है, और ये सामरिक महत्व के स्थान निजी लोगों अथवा विदेशी हितों से आबद्ध और सरकार के पास केवल 26 प्रतिशत अंश हो तो, मुझे डर है कि इससे बड़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। हमें बड़ी सावधानीपूर्वक यह ध्यान देना है कि लोगों की सुरक्षा और कल्याण से समझौता न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सामाजिक क्षेत्र के प्रति उदारता से योगदान किया है। वर्ष 1971-98 के दौरान, शहरीकरण, रखरखाव, शैक्षणिक, चिकित्सीय एवं अन्य सुविधाओं पर उनका खर्च 3147 करोड़ रुपए था। जब आप निजी उपक्रमों पर ध्यान देते हैं तो आप पाएंगे कि उनका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना ही है। इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा से कुशलता आ सकती है। इससे अधिक लाभ भी कमाया जा सकता है किंतु सामाजिक न्याय का क्या होगा? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का क्या होगा? हमें इन मुद्दों को भो ध्यान में रखना होगा।

हमें दूसरे राष्ट्रों और दूसरे देशों के अनुभवों से सीखना होगा। हमने यह पाया है कि जिन देशों ने विनिवेश किया उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा है। समय की कमी को देखते हुए मैं ऐसे देशों के विनिवेश के विस्तार में नहीं जा रहा हूं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश को कुछ साल पहले सभी ने 'थैचरवाद' का नाम दिया था। इसकी उस समय की भयंकर भूल के रूप में आलोचना की गई। इसका ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा? इससे टैरिफ की दरें आसमान छूने लगी थीं। जैसे, वहां दूरसंचार और जल-आपूर्ति के निजीकरण के कारण टैरिफ काफी अधिक हो गए।

ब्रिटिश एयरवेज का भी हवाला दिया गया किंतु इसका केवल एक भाग ही दिखाया गया था। आज, ब्रिटिश एयरवेज मुश्किल में है। आवश्यक धन की पूर्ति के लिए वह किसी हिस्सेदार की तलाश में है। मेरे मन में आपकी नीति के प्रति कोई विरोध नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि हमें एहतियात बरतने चाहिए। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम महान सामाजिक सेवा कर रहे हैं। हमारे देश के हर कोने में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का इन तेल कंपनियों ने कितना बेहतर जाल बिछाया हुआ है। निजी उपक्रम सामाजिक न्याय के बजाए लाभ कमाने की सोचेंगे जबकि सार्वजनिक उपक्रम देश के हर कोने में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और यह नहीं देखते कि इससे लाभ होगा कि नहीं। इसलिए मैं विनिवेश की इस पूरी प्रक्रिया को करते समय सावधानी बरतने पर बल दे रहा हूं।

महोदय, विनिवेश प्रक्रिया के लिए हमें सकारात्मक रवैये की आवश्यकता है। यह सकारात्मक रवैया इस बात में निहित है कि विनिवेश के प्रश्न को अपने सार्वजनिक उपक्रमों के सुधार और पुनर्वास के साधन के रूप में लिया जाए। अब, इस अवधारणा के लिए कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, जिसके लिए समय नहीं है। मगर विनिवेश की समूची प्रक्रिया पर सकारात्मक ढंग से विचार किया जाना चाहिए ताकि अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सुधार और पुनर्वास किया जा सके। मगर तत्पश्चात् विनिवेश से प्राप्त निधियों के इस्तेमाल पर नजर भी रखनी होगी। यदि, विनिवेश से प्राप्त निधियों का प्रयोग राजकोषीय घाटे से उबरने के लिए किया जाएगा तो विपत्तियों से भगवान ही बचाए। विनिवेश आयोग ने स्वयं यह कहा है कि एक विनिवेश फंड होना चाहिए और यह धनराशि राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए प्रयोग मे नहीं लाई जानी चाहिए, किंतु इसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे अपने उपक्रमों के सुधार व पुनर्वास में किया जाना चाहिए।

विनिवेश आयोग ने अगस्त, 1999 की अपनी 12वीं रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 2 में कहा है कि:

> "विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार की एक युक्तिसंगत प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए तथा इसे, केवल बजट के लिए राजस्व पैदा करने के लिए नहीं करना चाहिए।"

मैं यह पूछ रहा हूं कि विनिवेश आयोग के उन सुझावों का क्या हुआ जिसमें उन्होंने विनिवेश फंड की स्थापना और उससे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सुधार व पुनर्वास का सुझाव दिया था? अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो वर्ष 1996 में सरकार ने विनिवेश फंड की स्थापना का निर्णय लिया था मगर मेरे ख्याल से यह कार्य नहीं कर रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं

[श्री जी.एम. बनातवाला]

यहां विनिवेश का विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि ऐसा नहीं है तो कृपया इसे तुरंत कीजिए। मेरा अनुरोध है कि इन निधियों को राजकोषीय घाटे की पूर्ति पर बर्बाद न करें बल्कि इसका उपयोग किसी अच्छे तरीके से करें।

विनिवेश निधि की स्थापना और इस धन के सही उपयोग से हम दूसरे खतरे से भी बच जाएंगे और वह है विनिवेश की प्रक्रिया में सस्ती बिक्री का। बजट में करीब 10,000 करोड़ का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सस्ती बिक्री होगी और संभवत् इससे राजकोषीय घाटे की पूर्ति हो जाएगी और बजट भी नहीं गड़बड़ाएगा। यदि हम विनिवेश फंड की स्थापना कर लें और इस विनिवेश प्रक्रिया का उपयोग बजट के लिए न करें तो भी हम सस्ती बिक्री के खतरे की स्थिति से निपट सकते हैं। मुझे डर है कि एयर इंडिया में भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप कुछ बेचैन हो रहे हैं इसलिए मैं एयर इंडिया के मुद्दे को नहीं उठा रहा हूं। मेरे ख्याल से मुझे कई अवसर मिलेंगे।

एक पहलू और है जिसमें हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए और वह है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्तियों का उचित मूल्यांकन। संबंधित मंत्रालय ही यह कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को भी लगाया जा सकता है। शेयरों के मूल्यों का उचित मूल्यांकन भी होना चाहिए। एक मामला माडर्न फूड इंडस्ट्रीज का भी था। सभी जानते भी हैं। हमें पारदर्शिता अपनानी होगी। मंत्री महोदय यह आपके लिए ही अच्छा है कि लोगों की शंकाओं का समाधान आप सुनिश्चित कर लें। यह कहा जाता है कि कई महानगरों में महत्वपूर्ण स्थानों पर भूमि की कीमत लगभग 2000 करोड़ रु. है। मैं इस बारे में नहीं जानता। मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं मगर इस प्रकार ही हो रहा है। यह कहा गया है कि 2000 करोड़ रु. की संपत्ति को मात्र 105 करोड़ रु. में बेचा गया, कितना सस्ता! इसलिए ऐसे मूल्यांकनों के लिए पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए।

इस संबंध में, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे याद है कि आयकर विभाग के लोग कैसे कार्य करते हैं। यदि मैं अपनी संपत्ति को ऐसे मूल्य पर बेचता हूं तो वे लोग इससे कभी भी सहमत नहीं होंगे। वे कहेंगे कि वे पहले मेरी संपत्ति का मूल्यांकन करेंगे। व ऐसा कहेंगे "आपने कहा था कि आपने यह संपत्ति इतनी कीमत पर बेची हैं किंतु हम आपकी संपत्ति का मूल्यांकन स्वयं करेंगे क्योंकि हमें यह लगता है कि आपने इस संपत्ति को अधिक मूल्य पर बेचा है।"

खैर, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। कुछ राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं। यहां विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। इसमें दायित्व, स्वतंत्र मूल्यांकन और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

महोदय, कर्मचारियों के प्रश्न पर आप कृपया घण्टी ना बजाएं। उनके हितों को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और मैं वह सब दोबारा नहीं कहूंगा। मगर इस पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, कई और भी चीजें हैं जैसे वो क्या कहते हैं--योग्य भागीदार की खोज। इसका क्या अर्थ है? इन सब पर मेरी जानकारी बहुत कम है मगर मैंने यह जानने का प्रयत्न भी किया है। मेरा मतलब उसी उद्योग के कुछ असरदार लोगों से है। अगर मैं सही हूं तो वे लोग निर्माता संघ और एकाधिकार फैला रहे हैं। इस बारे में माननीय मंत्री, श्री अरुण जेटली भले ही कुछ भी कहें मगर यह सब बिना तर्क वितर्क के ही है। इसलिए, ये निर्माता संघ और एकाधिकार हमारी नीति को काफी हद तक खराब कर देंगे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसके गंभीर परिणाम होंगे।

इसलिए, विनिवेश की सकारात्मक नीति पर चेतावनी और उस पर जोर देते हुए मैं यह फिर कहूंगा कि यह हमारे सार्वजनिक उपक्रमों के सुधार और पुनर्वास की दिशा में प्रभावी उपाय सिद्ध हो सकता है। इन शब्दों के साथ ही, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विचार करने के लिए जो आर्थिक विषय आया है, उसका कड़ा विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जेब में चना डालने से आवाज आती है, लेकिन मुंह में माल डालने से आवाज नहीं आती है। छोटा बाबू थोड़ा भ्रष्टाचार करता है, लेकिन किसान के पास अगर दो हजार का भी ऋण होता है, तो उसको नोटिस जाता है और उसका सारा माल जब्त हो जाता है। मैं चेन्नई गया था। वहां बैंक के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे मुलाकात की, तो पता लगा कि उन्होंने 20 कोटि रकम छोड़ दी। जिन लोगों की रकम छोड़ी वे किसान नहीं थे, बल्कि बड़े-बड़े उद्योगपति थे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अगर माल मुंह में जाता है, तो आवाज नहीं होती है और यह भ्रष्टाचार का तरीका है। इतनी रकम एक बैंक में भ्रष्टाचार में है, तो देश में कितने बैंक हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मुरारजी पंथ प्रधान थे और किर्लोस्कर उनके घर ब्याहने आए थे। किर्लोस्कर ने मुझे कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं, बड़े लोगों के दुश्मन हैं, क्योंकि लोहे का दाम बढ़ा दिया, यूरिया का दाम बढ़ा दिया। एक बार ऐसा भी हुआ, कैलाशवासी वसन्तदादा पाटिल मुख्यमंत्री थे। मुम्बई के एक कार्यक्रम में हमारे लोगों ने बोल दिया कि मोरारजी भाई वसन्तदादा के खिलाफ बोलेंगे, अलग पार्टियां थीं, लेकिन उन्होंने खिलाफ नहीं

बोला। वसन्तदादा ने जो किया, वह ठीक किया। महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने भीम प्रतिज्ञा की कि एनरान कम्पनी समुद्र में डुबो दी जाए, लेकिन डूबी नहीं।

महाराष्ट्र में मिली-जुली सरकार आई तो एनरॉन जिन्दा हो गया। इसे 13 दिन की भारत सरकार ने मंजूरी दी। मेरा यह कहना है कि जो राष्ट्र के हित की बात है उसे सरकार करे और जो राष्ट्र के हित में नहीं है उसे कोई सरकार न करे।

महोदय, जब 1978 में प्याज का दाम कम हो गया तो मैं श्री मोरारजी भाई के पास गया और उनसे कहा कि जल्दी से जल्दी निर्यात बंदी उठानी चाहिए, उन्होंने निर्यात बंदी उठाई। आज महाराष्ट्र में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। वाजपेयी साहब भी बहुत अच्छे हैं। हम उनसे कई बार मिल चुके हैं। उनसे भी कहा था कि प्याज की निर्यात बंदी उठानी चाहिए, लेकिन उन्होंने उठाई नहीं। इसलिए महाराष्ट्र को 150 करोड़ का घाटा हुआ। किसान रोने लगे। अभी भी किसान 100-250 रुपए प्रति क्विंटल प्याज बेच रहे हैं। मैं उस समय न विधायक था और न ही संसद सदस्य था, केवल एक सामान्य कार्यकर्ता था। मैं देवेगोड़ा जी के पास गया और उनसे भी प्याज के लिए विनती की। उन्होंने निर्यात बंदी उठाई। अगर निर्यात बंदी उठ जाती तो फॉरेन एक्सचेंज भारत सरकार को मिल जाता और किसान भी सुखी होते और महाराष्ट्र की 150 करोड़ की रकम भी खराब न होती।

अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि लक्ष्मी, सरस्वती, नीयत और श्रम इकट्ठा करके राष्ट्र के हित को देखा जाए तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अभी भी समय नहीं गया है, इसलिए अगर इन दो-चार बातों को ध्यान में रखा जाएगा तो देश आगे बढ़ेगा।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं अपनी बात थोड़े शब्दों में कहूंगा और पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। यह कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र अकुशल हैं। माननीय मंत्री से मेरा यह पहला प्रश्न है। भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ पोचिंग की प्रक्रिया और दूसरे तरीकों से उन्हें कुशल बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कितने लोग लिए गए हैं? आर. एंड डी. के रूप में, नीजि क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों का योगदान कितना है?

आखिर में, अंतिम तर्क यह है कि हमें अधिक संसाधनों की सख्त आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं हैं। एफ.डी.आई. कितना आ रहा है? सी.आई.आई. और 'फिक्की' ने प्रधानमंत्री को एक महीने पहले दिए गए एक अभिवेदन में कहा गया है कि विदेशी निवेशक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और शेयर बाजार के द्वारा राष्ट्रीय बचतों पर एकाधिकार कर रहे थे जो हमारी राष्ट्रीय बचतें, हमारा पैसा, हमारी प्रौद्योगिकी, हमारे अनुसंधान, हमारा प्रबंधन इत्यादि हैं और इनके द्वारा वे प्रबंध नियंत्रण करना चाह रहे हैं। ये क्या है? भारतीय कंपनी कानून के अनुसार 26 प्रतिशत नियंत्रण से ही उन्हें वीटो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्ता और स्वतंत्रता में से भी 26 प्रतिशत नियंत्रण विदेशी कंपनियों के पास चला गया है जिससे उन्हें हमारी राष्ट्रीय बचतें, हमारा प्रबंधन और हमारे संसाधन व विकास पर वे निषेशधिकार के माध्यम से नियंत्रण पा लेंगे जैसे कि एयर इंडिया या दूसरे उपक्रमों – बीमा और दूसरे क्षेत्रों के मामलों में हुआ हैं जिनमें आपने 26 प्रतिशत या उससे अधिक निजी कंपनियों को दिया है।

दूसरा, विदेशी इक्विटी के लिए इक्विटी की खातिर 26 प्रतिशत को भी कई तरह से निरुपित किया जा रहा है। आई.आर.डी.ए. के मामले में ऐसा ही हुआ था। आप जानते हैं कि व्याख्या क्या है? वह है, भारतीय कंपनी में विदेशी भागीदारी जो कि बीमा उद्योग में भागीदार होगी, उस पर 26 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं है। यह व्याख्या की गई थी। मैंने यह मुद्दा बार-बार उठाया और सभी इसका विरोध करते रहे। मैं नहीं जानता, परन्तु माननीय मंत्री जी जवाब देंगे कि इसकी व्याख्या इस तरह से कैसे की गई है। यह सभा का अपमान है। इस सभा ने केवल 26 प्रतिशत की विदेशी भागीदारी के पक्ष में निर्णय लिया है और वे इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि 26 प्रतिशत की विदेशी भागीदारी कंपनी के भारतीय साझेदार में उन विदेशी स्वामित्व पर लागू नहीं होगी। माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है वह इस सभा में स्पष्टीकरण दे।

जानबूझकर गलती करने वाली इन कम्पनियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये कम्पनियां वित्तीय संस्थाओं की भारी रकम की देनदार है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी, कि इन कंपनियों, इन व्यक्तियों को विनिवेश के अधिकार की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी? जब भारतीय उद्योग परिसंघ ने कहा कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का वाणिज्यीकरण किया जाना चाहिए अथवा बेच देना चाहिए, तब कर्मचारियों ने कहा था कि ये वही लोग थे जो बैंक के देनदार हैं। अंततः उन्हें अपने इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा।

महोदय, इन सरकारी उपक्रमों ने वर्ष 1998-99 में लाभांश, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य करों के रूप में 46,924 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसकी क्षतिपूर्ति भारतीय कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए करों से की जाएगी। मैं सिर्फ तीन कंपनियों का संदर्भ दे रहा हूं। भारत की अग्रणी कंपनी, जिसका नाम फार्चून सूची में भी है, शून्य कर

[श्री रूपचंद पाल]

रियायत की सुविधा ले रही है। बाद में वे न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करते रहे हैं। यह इंडियन टोबैको कंपनी है। उत्पाद शुल्क के रूप में उन पर कितना बकाया है? यह रकम 800 करोड़ रुपये है। बहुराष्ट्रीय बैंकों द्वारा आयकर के रूप में भुगतान की गई राशि कितनी थी? उनके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया था और अब उनको शेयर खरीदने की अनुमति भी दी जा रही है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि उन लोगों ने जिन्होंने सरकार को बकाया करों का भुगतान नहीं किया है और जो चूककर्ता हैं, को भारतीय स्वामित्व, यदि इसका विनिवेश किया जाता है, खरीदने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी?

पारदर्शिता के संबंध में, मैं बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार में भीतरी व्यापार के नाम पर क्या होता है? यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको बहुतेरे उदाहरण देता। अन्दरूनी सूचना के माध्यम से वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर मूल्यों को शेयर बाजार में नीचे लाने में लगे होते हैं ताकि जब उनका विनिवेश हो, तो वे सस्ते मूल्य पर उसे खरीद सकें। इस तरह के हेर-फेर की जाये वहां पर हैं, पर मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा।

मैं कहना चाहूंगा कि समानता के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैं हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का एक उदाहरण दे रहा हूं। यह दूरसंचार विभाग की सहायक समझी जाने वाली कंपनी थी। वे लाभ अर्जित कर रहे थे परंतु दूरसंचार विभाग ने उनको सामानों के आर्डर देने बंद कर दिए। अंततः सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसे विनिवेश सूची में शामिल किया जाए।

महोदय, राज्य एकाधिकार के स्थान पर निजी एकाधिकार को लाया जा रहा है। मैं एक उपयुक्त उदाहरण दे रहा हूं। इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड की बोली लगाने वाले दो हैं। पहली आई.पी.एल. चटर्जी सोरोस और दूसरी रिलायंस है। यदि रिलायंस को दिया जाता है तो भारतीय बाजार पर रिलायंस का एकाधिकार होगा। राज्य एकाधिकार से आप निजी एकाधिकार की ओर जा रहे हैं। एकाधिकार को कैसे रोका जा सकेगा?

अंततः भारत में विरोधाभास की सी स्थिति है। यहां कोई निजी क्षेत्र नहीं है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों पर पूरी तरह से आश्रित है।

मैं एक घटना का पुनर्स्मरण कर रहा हूं। जब स्वराज पाल एस्कॉर्ट के कार्यों से भारत आए थे और वापस जाते समय उन्होंने ऐतिहासिक वक्तव्य दिया कि मात्र 260 करोड़ रु. का योगदान करने वाले भारतीय निजी क्षेत्र का 27,000 करोड़ रुपए की निधि पर नियंत्रण है। अब यह लाखों करोड़ों रुपयों के बराबर है। यहां कोई निजी क्षेत्र नहीं है। यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर है।

इसकी दूसरी कहानी इस प्रकार है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन पर नजर डालें। रतना टाटा रिलायंस बोर्ड में शामिल हैं। निजी क्षेत्र के सभी दिग्गज सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर हैं। *...(व्यवधान)* मैं श्री वैको एवं अन्यों, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में साझेदार हैं, से अपील करूंगा कि सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जो विनिवेश के संबंध में आपत्ति रखते हैं। मैं देखता हूं कि, राम नाईक जी हंस रहे हैं। उन्हें खड़े होकर विरोध करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हंस नहीं रहा बल्कि मुस्करा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल : ठीक है। इसका मतलब है कि आप उसकी पुष्टि करते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रुपचन्द पाल जी, हंसने और मुस्कराने में फर्क है।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं अब समाप्त कर रहा हूं। उन्हें खड़े होकर विरोध करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है और उन्होंने गवर्नमेंट की डिसइनवैस्टमैंट पालिसी फार मेजर पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में क्वैरी की है। मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के बाद आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन नियम 193 का जवाब देने के बाद कैसे बोल सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कुछ भी बोल सकते हैं?

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, जस्टिस कृपाल सिंह और जस्टिस डी.पी. महापात्र ने सोलिसिटर जनरल श्री हरीश साल्वे से पूछा है:

[अनुवाद]

> "क्या न्यायालय को सरकार की नीतियों में तब भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब स्वस्थ और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को निजी पार्टियों को कटोरे में सौंप दिया गया था।"

[हिन्दी]

आगे भी लिखा है और हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है:

[अनुवाद]

> "सरकार के पास विभिन्न प्रयोगों को आजमाने का तब तक अधिकार है जब तक ये प्रयोग निरंकुश और बुरे इरादे से न किए गए हों।"

[हिन्दी]

क्या सरकार इसका प्रीकाशन लेगी? हमारे सहयोगी श्री परांजपे ने भी बताया और मैं एन.टी.सी. के बारे में बोलना चाहता हूं। उन्होंने बताया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, उन्होंने इस पर विस्तार से बोला है।

अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे। जब तक वे अपना भाषण समाप्त नहीं करते है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।

श्री अरुण शौरी : महोदय, हमारी चर्चा काफी तीक्ष्ण रही। मेरे महाविद्यालय के दिनों के मित्र रह चुके श्री मणि शंकर अय्यर की तरफ जोरदार भाषण दिया गया, श्री बनातवाला की सावधान रहने की अच्छी सलाह, एवं श्री किरीट सोमैया के बोलते आंकड़े और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और अन्य बातों के प्रति उनकी समझ - इनको खारिज नहीं किया जा सकता कि ये वक्तव्य कुछ धंधा करने वाले या उनको संभालने वाले व्यक्तियों के वक्तव्य नहीं हैं बल्कि ऐसे व्यक्तियों के हैं जो इन विषयों के बारे में व्यापक जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार, कई हलकों से, विशेषकर डा. नीतिश सेनगुप्ता एवं अन्यों की तरफ से रचनात्मक सुझाव मिले हैं। मैं आश्वासन देता हूं कि उन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

महोदय, मैंने कई बार जन सभा में और अन्य सभा में, जहां मुझे इन मामलों पर बोलने का अवसर मिलता रहा है, अनेकों बार कहा है कि सरकार की नोति में निरन्तरता है। मैं यह नहीं कर रहा कि हम केवल वही चीजें कर रहे हैं जो दूसरों ने किया है। मेरा यह प्रयोजन नहीं है बल्कि मैं इसे भारतीय राजनीतिक वर्ग की परिपक्वता का संकेत समझता हूं, जो सरकार में समय दर समय आती है। 1990 की शुरुआत से यह पांचवी या छटवीं सरकार है, परन्तु आर्थिक नीति की दिशा वही रही है। इसका मतलब यह नहीं कि वही नीति जारी रही है। इसके विपरीत, नीतियों में परिवर्तन किया गया है और उन अनुभवों के आधार पर, जिन्हें हमने उन नीतियों के साथ आगे बढ़ते हुए प्राप्त किया है, तैयार किया है।

इसने मुझे हमेशा ही हताश किया है कि जहां कोई मतभेद नहीं होता वहां हम मतभेद पैदा करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब लोग सत्ता में होते हैं - आजकल "सत्ता" एक गूढ़ शब्द है, इसलिए "कार्यालय" शब्द का प्रयोग करें - अथवा जहां वे कार्यालय में है, हम सभी एक बात कहते हैं और जब कभी हम कार्यालय में नहीं होते हैं, हम कुछ और ही कहते हैं। जैसाकि श्री अरुण जेटली और श्री किरीट सोमैया जी ने कहा कि यदि हम आज राज्य सरकारों को देखें, तो सामान्यत: वे उन्हीं नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं। उनमें छोटे-मोटे अंतर जरुर हैं। फिर भी मैं किसी राज्य का नाम लेना नहीं चाहता जिससे कि कोई विवाद पैदा हो। मुझे यही कहना है।

मैं महसूस करता हूं कि जैसे ही हमारी भूमिका बदलती है वैसे ही कृत्रिम मतभेद पैदा कर हम एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे शेष विश्व के साथ प्रतियोगिता करने की अपनी योग्यता को हम अक्षम कर देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। अरुण जेटली जी ने उल्लेख किया है कि पहली बार विनिवेश का प्रस्ताव श्री चन्द्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल के बजट में किया गया था और इसे जारी रखा गया। ऐसा किसी गलत उद्देश्य से नहीं किया गया था। यह एक अनुभूति थी। मैं बताऊंगा कि ऐसी अनुभूति क्यों हुई। यह एक परिवर्तन की अनुभूति थी जिसे आर्थिक नीति की दिशा में लाया जाना था। श्री मणिशंकर अय्यर और मेरे अन्य कई मित्रों ने उल्लेख किया है कि जब आप 10,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और यदि आप अपने विकल्पों को त्याग देते हैं और अपनी मजबूरी की घोषणा करते हैं तो इस प्रकार आप मूल्यांकन और अन्य बातों में कम पड़ जाते हैं।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य पर दिलाता हूं कि 1991-92 के बजट में निर्धारित लक्ष्य 2500 करोड़ रुपए का था। इसे दिया गया। वर्ष 1992-93 में 2,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। वर्ष 1993-

[श्री अरुण शौरी]

94 में दिया गया लक्ष्य 3,500 करोड़ रुपए था। वर्ष 1994-95 में दिया गया लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपए था। वर्ष 1995-96 में 7,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था। मेरे पास अब तक के आंकड़े हैं। यदि हम यह कहें कि उन मामलों में ऐसा करना ही ठीक था बल्कि कोई व्यक्ति इस वर्ष या पिछले वर्ष लक्ष्य देता है, और वह संकटकालीन बिक्री है, तब हम मात्र बहस का मुद्दा बना रहे हैं, बिना किसी आधार के संदेह हम पैदा कर रहे हैं।

वर्ष 1993 में, भारत के एक सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति और अर्थशास्त्री एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति का नाम था — "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश संबंधी समिति।" इसका गठन 1993 में किया गया था। संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने कार्यक्रम में विनिवेश को न केवल शामिल किया बल्कि यही वह सरकार है जिसने विनिवेश आयोग का गठन किया था। इसने 72 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विनिवेश आयोग को दे दिया। आज उन्हीं उद्यमों पर विचार किया जा रहा है जिनके विषय में विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है। मैं उनमें से कुछ उदाहरण दूंगा जिनका उल्लेख किया जा चुका है जैसे एयर इंडिया, बी.एच.ई.एल. और अन्य।

दूसरे प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो कि हमारे विभाग के सामने हैं तथा जिनके विषय में हमें प्रक्रिया की शुरूआत करनी है, विचार करना है वे उस प्रकार के उद्यम हैं जिनके विषय में किसी अन्य मंत्रालय ने नहीं बल्कि भारी उद्योग मंत्रालय ने, जिसके विषय में यह कहा जाता रहा है कि विनिवेश पर उसके विचार अलग प्रकार के हैं, उसने यह सिफारिश की है कि इन उद्यमों को विनिवेश आयोग को दे दिया जाए।

श्री तरित वरण तोपदार : मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री अरुण शौरी : मंत्री जी यहां नहीं हैं। मैं मात्र यह कह रहा हूं कि वे इस प्रकार के मामले हैं जो कि मेरे सामने हैं। विनिवेश से संबंधित और भी मामले हैं जो कि बी.आई.एफ.आर. द्वारा भेजे गए हैं। मैं प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करना चाहता। लेकिन वे व्यक्ति, जिन्होंने इसकी शुरूवात की तथा उस नीति को आगे बढ़ाया, उनमें से कोई भी यह नहीं कहा कि यह नीति गलत है। वे परिस्थितियों और बाध्यताओं के अनुसार कार्य कर रहे थे।

महोदय, दूसरी बात यह है कि श्री रामैया ने अभी-अभी एक बात का उल्लेख किया जिसके बारे में दूसरे मित्रों ने भी कहा है। श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा, उन्होंने अत्यंत सही बात कही कि विनिवेश आयोग का कार्यकाल नवम्बर 1999 में ही समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि अभी तक इसका पुनर्गठन नहीं किया गया है। श्री अरुण जेटली ने इसका उत्तर दिया कि विनिवेश आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का कार्य अभी चल रहा है और जब पुराने आयोग द्वारा किए गये कार्यों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है तो अभी नए आयोग का गठन की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन मुझे श्री मणिशंकर अय्यर और दूसरे उन मित्रों को, जिन्होंने इसका उल्लेख किया, सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि, वास्तव में, विनिवेश आयोग के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है और हम पहले से ही यह विचार रहे हैं कि विनिवेश आयोग के पुनर्गठन के समय उसमें किस प्रकार के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए। वे अत्यंत सम्माननीय होने चाहिए। उनमें उच्चकोटि की ईमानदारी होनी चाहिए। उनको इस विषय की गहरी सूझ-बूझ होनी चाहिए। मुझे इस बात को प्रकट करने में कोई आपत्ति नहीं है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर प्रधानमंत्री से बात की है। जिन्होंने यह कार्य मुझे आगे जारी रखने को कहा है। नामों का प्रस्ताव किया जाएगा और सरकार में इन पर विचार किया जाएगा। यह केवल एक मंत्री का अधिकार नहीं है मैं यह बात बाद में बताऊंगा। प्रक्रिया की शुरूआात हो गई है।

श्री नीतीश कुमार ने इसका उल्लेख किया, हमारे अन्य दूसरे मित्रों ने भी इसका उल्लेख किया, अत्यंत वरिष्ठों ने भी इसका उल्लेख किया कि मजदूरों और मजदूर संघों से भी इस पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर मजदूर संघ के नेता परसों सुबह प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि मुझे भी वहां रहना चाहिए।

अपने विषय में मैं पहले ही दूसरी सभा में कह चुका हूं तथा पहले ही इस सभा को सूचित कर दिया हूं कि मैंने राज्य सभा के अति प्रतिष्ठित नेता, विरोधी दल से समय मांगा है। मैं उनको 30 वर्षों से जानता रहा हूं और वे नई आर्थिक नीतियों तथा ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं। मैंने उनसे इन विषयों पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय मांग रखा है।

मैंने लोक सभा में विपक्ष की नेता जो कि अति प्रतिष्ठित है, से समय मांगा है। मैं एक दिन उनसे मिलने वाला था लेकिन इस सभा में विधेयक पर बहस चलने के कारण, मेरे विचार में यह बहस झारखण्ड से संबंधित प्रथम विधेयक या किसी राज्य पुनर्गठन विधेयक, 2000 से संबंधित थी; उन्होंने उस दिन शाम 2 बार यह संदेश भिजवाया कि वह उनसे बाद में मिलेगी।

अगले दिन हमारी मुलाकात होने वाली थी लेकिन दूसरे विधेयक पर विचार चल रहा था। तीसरे दिन अत्यन्त आवश्यक कार्य से उन्हें कश्मीर जाना पड़ा और मैं उनकी सुविधानुसार समय प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगा। मेरा पक्का विश्वास है कि यह

प्रतिष्ठा का मामला नहीं है जैसा कि अत्यंत प्रसिद्ध और वरिष्ठ वक्ताओं द्वारा कहा गया। यह इस तरह का मामला है जिसका देश से बहुत गहरा संबंध है और यह उस प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है जिसे इतनी मतैक्यता वाले मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इससे संबद्ध लोगों से सम्पर्क करे।

श्री बसुदेव आचार्य जी यहां उपस्थित हैं। मैं उन्हें यह सूचित कर सकता हूं कि कल श्री दीपांकर मुखर्जी से मैंने 'नेशनल फर्टिलाइजर' के विषय में काफी लम्बी और शिक्षात्मक बात की। उन्होंने मुझे दो दूसरे विशेषज्ञों के पास भेजा। मैं उनसे स्वयं मिलूंगा और निश्चय ही उनसे मार्गनिर्देशन प्राप्त करूंगा। अत: मैं सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि जो भी आवश्यक होगा वह दूसरों से सलाह लेकर किया जाएगा। लेकिन विषय दूसरा है। इस विषय में माननीय सदस्यों को पूर्ण वार्ता में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों का भाव समझना चाहिए। मुझे ज्ञात होता है कि अनेक मामलों में हमें गलत सूचना दी गई है। मैं एक या दो उदाहरण दूंगा।

श्री बनातवाला, श्री नीतीश कुमार ने और श्री सेल्वागनपति ने एयर इंडिया की बात की। इसके लिए जिस पदबंध का प्रयोग किया गया वह है 'राष्ट्र की शान'। यह सत्य है कि हममें से अनेकों व्यक्ति एयर इंडिया को भारत के प्रतीक के रूप में जानते रहे हैं। लेकिन कृपया वास्तविक स्थिति को देखें। यह मेरे द्वारा नहीं बल्कि विनिवेश आयोग द्वारा बताए गए हैं।

उदाहरण के लिए श्री बनातवाला ने इससे एक अनुच्छेद पढ़ा और उन्होंने विनिवेश निधि से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश पर बहुत अधिक बल दिया।

आयोग ने यही कहा था। इसके अध्यक्ष श्री जी.वी. रामकृष्णा थे। वे कहते है 'एयर इंडिया के यातायात का शेयर'। यह प्रतिवेदन के दूसरे खंड के पृष्ठ 279 पर कहा गया है। इसमें भारत से आने-जाने की बात कही गयी है। दूसरे स्थानों के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें लगातार गिरावट आने से यह 30 वर्ष पहले 50% था जो कि घटकर 33% आ गया और 80 के दशक के मध्य में 22% तक गिर गया।

वे यह कहते रहे हैं कि ऐसा 'एयर इंडिया' द्वारा संपन्न प्रथम श्रेणी और व्यापारी वर्ग के यात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की अक्षमता के कारण हुआ है। आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि पिछले वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में प्रतियोगिता बढ़ रही है और एयर इंडिया की सेवा भी खराब हुई है। इसमें गिरावट का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 1996 तक इसका खराब कार्य निष्पादन (लगभग 55%) निम्नस्तरीय सेवा गुणवत्ता और सीमांत नेटवर्क प्रदान करना है। वे यह कहते रहते हैं। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। ...*(व्यवधान)* एयरलाइन के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इसके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे मार्गों की प्रतिशतता में भी कमी आई है। वह अपने केवल 47% मार्गों का प्रयोग कर रही है। विशेषकर इस आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। कृपया वाक्य देखें। सदस्यों ने कहा कि यह भारत की शान है। लेकिन अब जब शान खत्म हो गई है तो हम अन्यत्र देख रहे हैं। आयोग ने कहा, "मौजूदा वित्तीय कार्य निष्पादन के मुताबिक अगले दो वर्षों के दौरान एयर इंडिया का नेटवर्क समाप्त हो जाएगा और यह एक रूग्ण कम्पनी हो जाएगी और इसे बी.एफ.आई.आर. को भेजना पड़ेगा। हमारी शान को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि इतने महत्वपूर्ण उद्यम की ऐसी स्थिति न होती।

महोदय, अनेक सद्मित्रों ने बी.एच.ई.एल. का जिक्र किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : मैं एयर इंडिया के बारे में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि आपने वह विषय छोड़ दिया। ...*(व्यवधान)* कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बई आदि स्थानों पर हवाई अड्डों के निजीकरण या विनिवेश के पीछे क्या उद्देश्य हैं। वहां वायु यातायात कम हो सकता है और दूरसंचार क्षेत्र के विषय में भी यही बात है। दूरसंचार विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैंने आपको बताया कि उनके भाषण के बाद यदि किसी छोटे-मोटे स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो मैं आपको अवसर दूंगा, अन्यथा यह बहस कभी समाप्त ही नहीं होगी। वह बहस का समापन नहीं कर सकेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : श्री पांडियन, मैं निश्चय ही इन सभी मुद्दों पर अपनी बात कहूंगा। आप जैसे चाहें इस सभा में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आप पहले एक प्रतिष्ठित अध्यक्ष रहे हैं। आप सदैव मेरे जैसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[श्री अरुण शौरी]

महोदय, भारत में बी.एच.ई.एल. के महत्व और इसके विषय में अपने मित्रों द्वारा बताए गए अच्छे कार्यों को ध्यान में रखकर विनिवेश आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला:

> "अपने सम्पूर्ण उत्पादन के लिए बी.एच.ई.एल. विदेशी तकनीक पर आश्रित है। यद्यपि यह कम्पनी तकनीक को भारत की स्थिति के अनुसार स्वीकारने और अपनाने में सफल रही है। अपने अत्यन्त कम प्राप्ति और भरण खर्चे के कारण नई तकनीक के विकास और वाणिज्यीकरण के लिए इसे अनेक प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता।"

यह कोई ऐसा नहीं है जो अभी एक दो वर्षों में ही घटित हुआ हो बल्कि यह तो वर्षों से चलता आ रहा है।

वहां ढांचागत समस्याएं है। आयोग ने यह कहा है कि "भेल" के थोड़े शेयर विश्व बाजार में हैं। अत: आयोग ने सिफारिश की कि "भेल" को गैर-प्रमुख इकाई के रूप में वर्गीकृत किया जाए। आगे यह कहा गया है:

> "अत: आयोग सिफारिश करता है कि वित्तीय संस्थाओं को "भेल" इक्विटी के 20 प्रतिशत के विनिवेश के मार्फत कार्यनीति सहयोगियों के रूप में भागीदार बनाया जाए। रुपये की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिये उसके साथ-साथ विदेशी मुद्रा की वित्तपोषित क्षमता में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु यह सिफारिश की जाती है कि घरेलू वित्तीय संस्थाओं को 10 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी प्रदान की जाए और भारतीय तथा विदेशी पार्टियों, दोनों को प्रबंधन में उचित भूमिका निभाने के लिए कम्पनी को बहु आयामी संस्थाओं (विदेशी कोष) सहित विदेशी निजी इक्विटी कोष/वित्तीय संस्थाओं में 10 प्रतिशत और हिस्सेदारी दी जाए...."

रात्रि 10.00 बजे

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको आयोग की टिप्पणियों का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा लेकिन कम से कम इनकी टिप्पणियों को दिमाग में तो रखिए।

श्री बसुदेव आचार्य ने बंगाल में सरकारी क्षेत्र के छह उपक्रम बताए हैं। पुन: मैं यहीं कह रहा हूं कि उन पर निर्णय ले लिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से छह कम्पनियों के बारे में कुछ जानकारी सभा को आज बताना चाहूंगा। ये हैं माइनिंग एंड अलायड मशीनरी कारपोरेशन, नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन, टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन, रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, वेबोर्ड इंडिया और भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स। ये छह कम्पनियां हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष में इन छह कम्पनियों की कुल बिक्री 9.66 करोड़ रुपये रही है अर्थात् वह 10 करोड़ रुपए से भी कम रही है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इसका कारण उनकी कार्यकारी पूंजी का अपर्याप्त होना है और कार्य दल को घटाया गया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले एक वर्ष से इसमें कोई उत्पादन नहीं हुआ है। अत: बेहतर परिणाम कैसे हो सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : कृपया मुझे पूरा करने दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : पिछले एक वर्ष से वहां उत्पादन नहीं हुआ है। वहां कोई बिक्री कैसे हो सकती है?

श्री अरुण शौरी : ठीक है। पिछले वर्ष बिक्री 10.77 करोड़ रुपए थी इसमें कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इन छह कम्पनियों जिनकी पिछले वर्ष बिक्री 10 करोड़ रुपए से भी कम थी, की हानि 3.57 करोड़ रुपए है। उनकी कुल हानि 2,240 करोड़ रुपए है। हम उन तथ्यों को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं।

पुन: यह मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं कि एक फर्म बन्द की जाए। मैं जानता हूं जब महत्वपूर्ण सदस्य एक फर्म की बात करते हैं तो उनके पास अपने निर्वाचन क्षेत्रों की पूरी जानकारी और जो किसी निर्णय से प्रभावित होगा उसकी पूरी सूचना होती है। अत: मैं झगड़े को तूल देने के लिए नहीं कह रहा हूं - हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स का जिक्र चार-पांच सदस्यों द्वारा किया गया है। श्री मणि शंकर अय्यर ने हिन्दुस्तान फौटो फिल्म हेतु श्री सेल्वागनपति के जोरदार हस्तक्षेप करने की बात का समर्थन किया है। स्थिति पर विचार कीजिए। इसकी प्रदत्त पूंजी 196 करोड़ है और एक वर्ष में अर्थात् 1998-99 में इसकी हानि 310 करोड़ रुपए है। इससे पहले वर्ष के लिए यह हानि 176 करोड़ रुपए की थी। श्री सेल्वागनपति ने कहा है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। यदि बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक्सरे फिल्म बनाएगी, वह कहते हैं, इसके मूल्य बढ़ जाएंगे और हर एक को एक एक्सरे फिल्म के लिए 200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं हिन्दुस्तान फोटो फिल्म का देश में एक्सरे फिल्म के मामले में हिस्सा कितना है? यह लगभग 10% है। इसका आज मुख्य कार्य जम्बोरोल नामक रोल का आयात करना है और उसे फिल्म के रूप में परिवर्तित करना है। जबकि विश्व डिजिटल फोटोग्राफी की ओर जा रहा है यहां रंगीन फिल्म प्रौद्योगिकी तक नहीं है। यह वह है जो हमने भारत के मन्दिर कहे जाने वाली चीजों के साथ किया है। आज नहीं कई वर्षों से इन फर्मों में से एक फर्म की संचित हानि 800 करोड़ रुपए हो गई है। मैं सदस्यों द्वारा बताई गई फर्मों में से हर एक फर्म का ब्यौरा दे सकता हूं *...(व्यवधान)*

श्री वैको : महोदय, नीलगिरि जिला में हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् ही सरकारी क्षेत्र का अकेला उपक्रम है जहां अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले चार हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। अतः इस उपक्रम की संरक्षा की जानी चाहिए।

श्री अरुण शौरी : यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और इसे हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं अतः मैं सभा के समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूं जिस पर हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक तथ्य जिसको हम सभी भूल गए हैं वह है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष। इसकी स्थापना की गई थी और आपके द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। मुझे एक अध्ययन से यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ। मैं आपको पूरी तरह स्पष्ट बताऊंगा कि 1997 तक इसके मात्र 10% धन का उपयोग पुनर्प्रशिक्षण के लिए किया गया है। बाकी धनराशि बी.आर.एस. के लिए उपयोग की गई है। आप पूरी तरह सही हैं। यदि हम मिलकर कार्य करते हैं और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष जैसे साधनों को उर्ज्वसित करते हैं और इसका प्रबंध करते हैं कि हमारे कर्मचारी प्रशिक्षित हैं और समय-समय पर पुनर्प्रशिक्षित किए जाते हैं तो इस प्रकार की भयंकर स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

कम से कम डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री जी.एम. बनातवाला सहित पांच माननीय सदस्यों ने अभी-अभी माडर्न फूड के बारे में कहा है। यह अन्य उदाहरण है कि हम - यदि मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूं तो कृपया यह मत सोचिए यह कठोर शब्द है - मात्र काल्पनिक आंकड़ों द्वारा सार्वजनिक विषय से ध्यान हटा रहा हूं। श्री चन्द्रशेखर ऐसे आदमी हैं जिन्हें मैं आपातकाल के समय से जानता हूं। वह कहते हैं कि माडर्न फूड्स का भूमि मूल्य 2000 करोड़ रुपए है। श्री मणिशंकर अय्यर 1998-99 के सरकारी उद्यम सर्वेक्षण से ऐसे तथ्य बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि माडर्न फूड्स का नेट मूल्य उसी सर्वेक्षण में वर्ष 1996-97 में क्या दर्शाया गया है?

श्री मणिशंकर अय्यर : यह 28 करोड़ रुपए है।

श्री अरुण शौरी : जी हां, यह श्री चन्द्र शेखर द्वारा कल्पना किये गए 2,000 करोड़ रुपए की तुलना में 28 करोड़ रुपये था।

श्री मणि शंकर अय्यर : कृपया इसकी तुलना मत कीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार : यह उनकी परिसम्पत्ति का मूल्य है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : कृपया मुझे बस एक सेकेंड का समय दें। मैं उसी पर आ रहा हूं। महोदय, वह भूमि की बात कर रहे हैं। मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। कृपया, मुझ पर विश्वास रखें, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। 31.3.1999 के लेखा के अनुसार परिसम्पत्ति का कुल मूल्य 39 करोड़ रुपए हैं। यह छपी हुई संख्या है। *...(व्यवधान)* मैं पूरी प्रक्रिया की बात कहूंगा। कृपया मुझे 2 मिनट का समय दें।

शुद्ध परिसम्पत्ति 19 करोड़ रुपये है। सरकार के मूल्यांकन द्वारा आंके मूल्य के मुताबिक भूमि था कुल मूल्य 109 करोड़ रुपए है। इसमें बन्धनरहित प्रयोग भी सम्मिलित है। कृपया ध्यान दें कि यह बन्धनरहित प्रयोग के साथ है। यहां बैठे हुए माननीय मंत्री श्री राम नाईक जी इसका अर्थ समझ रहे हैं और आप लोगों में से जो भी महाराष्ट्र के हैं इसको जानते हैं। जैसा कि श्री जी.एम. बनातवाला कह रहे थे, मुम्बई की कपड़ा मिलें स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना और दूसरे कार्यों के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाईयों के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन के लिए धन जुटा सकती हैं। लेकिन यह केवल बन्धनरहित प्रयोग ही हो सकेगा। यदि बन्धन जारी रहते हैं यथा - एक तिहाई का निपटान इस प्रकार किया जाएगा और दूसरे एक तिहाई का प्रयोग दूसरे प्रकार से किया जाएगा तो उस धन की वसूली संभव नहीं हो सकेगी जिसके विषय में यह सोचा जाता है कि उसका आकलन तो उस संलग्न निजी प्लाट को देखकर ही किया जा सकता है जिसमें की पहले से ही भूमि के प्रयोग संबंधी किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस बंधनरहित प्रयोग को मानते हुए सरकार के मूल्यांकन ने माडर्न फूड्स की भूमि का मूल्य 109 करोड़ रुपया माना न कि 2000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए। सलाहकारों ने अनेक तरीकों से 100% साधारण शेयर बिक्री का मूल्यांकन 30 करोड़ रुपए से 70 करोड़ रुपए किया था। और सरकार ने क्या प्राप्त किया?

74% साधारण शेयर 105 करोड़ रुपए में बेच दिए गए। एक नए आने वाले भागीदार मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने 20 करोड़ रुपए लगाए। लेकिन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित है। इन महीनों में उपयोग की क्षमता में 40% की बढ़ोत्तरी हुई है और उस अन्तरिम सहायता का भुगतान इन लोगों ने मजदूरों को कर दिया है जिसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सरकार नहीं दे सकी क्योंकि यह एक घाटे में चलने वाली इकाई थी इसलिए सरकार अन्तरिम सहायता का भुगतान नहीं कर सकी।

हम इन विशेष मामलों का अध्ययन करकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे केवल यह कहूंगा कि कृपया प्रत्येक मामले में तथ्यों का अवलोकन करें। श्री बनातवाला और दूसरे मित्रों ने मूल्यांकन के मामले में सावधानी बरतने को कहा है। मैं इस सभा को

[श्री अरुण शौरी]

आश्वस्त करता हूं कि कम्पनियों के मूल्यांकन, उनकी परिसंपत्ति और लेखा-जोखा बनाने आदि कार्यों के लिए अनेक, चार या पांच विधियां हैं। इनमें से जो भी जहां और जो भी उपयुक्त होगी, प्रयोग में लाई जाएगी।

मैं एक उदाहरण दूंगा। यह सदैव अच्छा नहीं रहता कि केवल भूमि और दूसरी परिसंपत्तियों का ही ध्यान रखा जाए। श्री मणिशंकर अय्यर और स्वयं मैं अनेक बार एक साथ नई दिल्ली दूरदर्शन पर आ चुके हैं। संभवत: वे किसी भूमि या परिसंपत्ति के मालिक नहीं हैं। यह तो केवल उस दल की योग्यता है कि श्री प्रणव राय और श्रीमती राधिका राय एकत्रित हो गए हैं।

भारत में उनका एक स्थान है। यदि आप केवल परिसंपत्तियों के आधार पर देखें तो आपको उसका कुछ भी मूल्य नहीं दिखाई देगा लेकिन व्यापार के आधार पर मूल्यांकन करें तो आप पायेंगे कि उस फर्म का व्यापार संबंधी मूल्य बहुत अधिक है। भारत में साफ्टवेयर कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अत्यंत अधिक है।

श्री तरित बरण तोपदार : आपको उस मूल्य को महत्व देना चाहिए जो कि तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है।

श्री अरुण शौरी : यह किया जा सकता था। माडर्न फूड्स के मामले में ठीक यही किया गया था।

साफ्टवेयर कंपनियों के पास परिसंपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है लेकिन उनकी बुद्धि, व्यवहार, ब्रांडिंग और फैलाए गए नेटवर्क के बल पर, आप उनकी बाजार में फैली पूंजी को देखें। मूल्यांकन की जिसे भी उपयुक्त विधि से उच्चतम मूल्य प्राप्त होगा, सरकार उसी को व्यवहार में लाएगी।

एक अत्यंत विलक्षण बात कही गई। श्री मणिशंकर अय्यर ने विनिवेश को सरकार की प्रमुख सुधार नीति समझ लिया। श्री बसुदेव आचार्य और दूसरों ने कहा कि केवल एक मंत्री तय करेगा कि विनिवेश कैसे किया जाए। विद्वान अध्यक्ष जी द्वारा यह बताया गया कि हाल ही में बनाए गए विनिवेश विभाग के मंत्री प्रधानमंत्री से कम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है प्रत्येक निर्णय विनिवेश मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया जाता है। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। श्री राम नाईक इसके सदस्य हैं। श्री मनोहर जोशी जिनसे अनेक लोग बहुत बड़ी आशा किए हुए हैं, इसके सदस्य हैं। श्री जसवंत सिंह इसके सदस्य हैं। श्री यशवंत सिन्हा इसके सदस्य हैं। प्रत्येक छोटी सी छोटी बैठक में इन प्रतिष्ठित मंत्रियों के अलावा वे मंत्री भी बैठक में उपस्थित होते हैं जिनके मंत्रालय के अंतर्गत वह फर्म आती है। प्रत्येक कार्य विचार-विमर्श से किया जाता है। सरकार में एक नए व्यक्ति के रूप में मुझे एक सुखद आश्चर्य यह हो रहा है कि सब पर खुले तौर पर और बैठक के बीच में बहस होती है। लोग अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने को कहा जाता है जैसे कि वे दूसरों को ऐसा करने को कहते हैं। इसके बाद तीन अन्य स्तरों पर कार्रवाई की जाती है और इसके बाद सब कुछ संपूर्ण रूप से मंत्रिमंडल के पास वापस भेज दिया जाता है। विनिवेश संबंधी कोई भी निर्णय, कोई मूल्यांकन या अन्य मापदण्ड को स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है और न तो महत्वपूर्ण भागीदार का अंतिम रूप से चयन किया जाता है जब तक कि मामला मंत्रिमंडल के पास वापस नहीं जाता है।

महोदय, मैं एक भ्रम दूर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा और श्री अरुण जेटली ने भी अनेक उदाहरण दिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा प्राप्त अनुभव से कैसे नीति बना रहा है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है लेकिन मेरे विचार में चल रहे विवाद के कारण इसकी उचित रूप से प्रशंसा नहीं की गई है। जिस विनिवेश आयोग की संस्तुतियों को वे चाहते हैं कि हम मानें, उसमें कहा गया है कि 5% या 2% जैसी छोटी बिक्री न की जाए क्योंकि इससे फर्म की परिसंपत्ति का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। ऐसा रंगराजन समिति में भी कहा गया है। विनिवेश आयोग ने 37 मामलों में महत्वपूर्ण बिक्री और 5 मामलों में लघु बिक्री की संस्तुति की है। कृपया संख्या 37 को याद रखें। लेकिन व्यवहार में क्या हुआ है, केवल एक मामले में महत्वपूर्ण बिक्री और 39 मामलों में छोटे शेयरों की बिक्री की गई है। यह बात मैं किसी भी सरकार पर बिना आक्षेप लगाए कह रहा हूं। परिणाम क्या रहा है? क्या मैं उस हानि को बताऊं जो कि भारत की वित्तीय संस्थाओं को उठानी पड़ी है? हानि की मात्रा अकल्पनीय है। औसत मूल्य जिस पर बी.ई.एल. के शेयर वित्तीय संस्थानों में लगाये गए वह 142.50 रुपए था। इस समय इसका मूल्य 72.20 रुपए है। बी.पी.सी.एल. के शेयर वित्तीय संस्थानों में 622.30 रुपए के औसत मूल्य पर लगाए गए और इसका वर्तमान मूल्य 224 रुपए है। बी.आर.पी.एल. के शेयर 42 रुपए के औसत मूल्य पर वित्तीय संस्थानों में लगाए गए और इसका वर्तमान मूल्य 7.60 रुपए है। ई.आई.एल. के शेयर 626 रुपए के औसत मूल्य पर वित्तीय संस्थानों में लगाए गए और इसका वर्तमान मूल्य 160 रुपए है। एच.एम.टी. के शेयर 55.30 रुपए के औसत मूल्य पर वित्तीय संस्थानों में लगाए गए और इसका वर्तमान मूल्य 7.55 रुपए है।

श्री रुपचंद पाल : क्या उन्हें आई.सी.ई. के अतिरिक्त अन्य भारतीय कम्पनियों की बाजार में स्थिति का पता है?

श्री अरुण शौरी : ये पहले के आंकड़े हैं। ये उच्चतम दर के हैं।

एच.पी.सी.एल. के शेयर 824.60 रुपए के औसत मूल्य पर वित्तीय संस्थानों में लगाए गए और इसका वर्तमान मूल्य 130 रुपए हैं।

मैं इस प्रकार के 30 शेयरों की सूची पढ़ सकता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप किस वर्ष की बात कर रहे हैं?

श्री अरुण शौरी : यह 12.7.2000 की स्थिति है। श्री मणिशंकर अय्यर जी ये नवीनतम आंकड़े हैं जो कि मैंने आपको बताया है। इन विशेष कार्यों की शुरूआत जुलाई से पहले हुई थी। मैं यह बात कह रहा था कि इस हानि का दण्ड आप किसे दे रहे हैं? विनिवेश आयोग ने मुख्यत: इसी के विरुद्ध हमें सचेत किया है कि आप यदि छोटे शेयरों की बिक्री करेंगे तो किसी को यह विश्वास नहीं होगा कि प्रबंधन बदलेगा। आप अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों या वित्तीय संस्थानों को शेयर देंगे तो वे बहुत बड़े घाटे में रहेंगे। यही हुआ है।

महोदय, अनेकों बार वर्तमान नीति के 5 या 6 तत्व बताए गए हैं और बैठक के अंतिम समय में मैं उनको नहीं बताना चाहता। यदि आप चाहते हैं कि मैं बताऊं तो मैं बताऊंगा। समय की कमी के कारण इस समय मैं केवल एक तत्व की बात कर रहा हूं। श्री बनातवाला और डा. नीतीश सेनगुप्ता ने कहा है, "आपको विनिवेश पर ध्यान देना चाहिए और उस निधि पर ध्यान देना चाहिए जो कि लाभ प्रदान करता है तथा पुनर्गठन के लिए उपलब्ध है।" आज मामले का तथ्य यह है कि इस समय जब कि हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यम पुनर्गठन पैकेज प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से 12 उस मंत्रालय के अधीन आते हैं जो कि आपके अनुसार विनिवेश का विरोध कर रहा है। यह भारी उद्योग मंत्रालय संपूर्ण पुनर्गठन प्रक्रिया का एक अंग है। इस पैकेज का संपूर्ण खर्च 3,324 करोड़ रुपए है और यह एक छोटी धनराशि नहीं है।

एस.ए.आई.एल. की बात करते समय अभी-अभी यह बताया गया था कि इसका इतना लाभ तथा हानि होती थी। श्री मणिशंकर अय्यर ने दोनों वर्षों में एक जोरदार तुलना की। महोदय, इसकी इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो गई, हमें इसके बारे में चिन्ता करनी चाहिए अर्थात् इसके लिए 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज के युक्ति पर विचार करना है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह धनराशि इस्पात विकास कोष से दी गई थी, विनिवेश कोष से नहीं। क्या यह उनका अपना कोष है।

श्री अरुण शौरी : एच.एम.टी. के लिए 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज क्रियान्वित किया जा रहा है अत: नीति के अनेक तत्वों में से इस प्रकार के पुनर्जीवित करने वाले पैकेज भी हैं। पुनर्गठन की बात सरकार की सोच में है। विभिन्न दृष्टिकोणों से मूल्यांकित किए गए मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है और किसी उद्यम के यदि पुन: सुधरने की कोई संभावना है तो इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं।

महोदय, किरीट सोमैया और दूसरों ने उन यूनिटों की बात की जो कि आज लाभ की स्थिति में दिखाई दे रही हैं और किस प्रकार तेजी से उनका लाभ घटता गया। यदि आप उन इकाईयों की वास्तविक संख्या की गणना करें जो कि भारत में अपने एकाधिकार के कारण लाभ अर्जित कर रही हैं तो उनकी संख्या (-)3.9% होगी। मैं ऐसा विवाद के कारण नहीं कह रहा हूं। यह बात इस तथ्य के विपरीत ठहरती है कि सरकार 12% से 14% की दर पर धन उधार लेती है।

श्री मणिशंकर अय्यर : लेकिन यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है और आप केवल 2.5% देते हैं।

श्री अरुण शौरी : (-) 3.9% की वापसी के लिए तथा इन इकाईयों को ऋण देने तथा पुनर्गठन पैकेज के लिए आप 12% से 14% की दर पर उधार ले रहे हैं।

अनेक मित्रों ने कहा है कि हमें विनिवेश का प्रयोग राजस्व घाटे के अंतर को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए। श्रीमान, आप ठीक कह रहे हैं। एक समय जब इसका प्रयोग मात्र राजस्व घाटे के अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता था, उस समय 2,500 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए के अल्प बिक्री का लक्ष्य था। इस अल्प बिक्री का कोई परिणाम नहीं मिला है।

श्री मणिशंकर अय्यर : क्या हमने ऐसा कहा था?

श्री वैको : मंत्री महोदय, कृपया आप यह बताएं कि ऐसा क्यों किया गया था।

श्री अरुण शौरी : मैं 1991-96 की बात कर रहा हूं।

श्री वैको : इसका उपयोग कब किया गया था? मंत्री महोदय बहुत तर्कसंगत बात कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वैको जी, यही बात मैं भी कह रहा हूं। आप उनकी बात मैं व्यवधान क्यों कर रहे हैं?

श्री वैको : मैंने उनको नहीं टोका है।

श्री मणिशंकर अय्यर : वे बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और इसका वर्णन करने के लिए उन्हें आपकी जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सहयोग चाहता हूं क्योंकि हम चर्चा समाप्त करने जा रहे हैं।

श्री अरुण शौरी : मैं दो या तीन मुद्दों को उठाऊंगा और तब मैं चर्चा समाप्त करूंगा क्योंकि हमें देर हो रही है। मैं किसी चीज को कम करके आंकना नहीं चाहता। हम सभी कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण नहीं है।

यह कहा गया था कि इसको पूरा करने के लिए किसी भी धन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय एवं अन्य कितनी सावधानी से बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कुछ भी वे कहते हैं उसके बड़े परिणाम होते हैं परन्तु मेरे जैसा व्यक्ति जब कुछ कहता है, तो मेरे विचार से उसका कुछ भी परिणाम नहीं होता है और इस प्रकार मैं आपके प्रति और भी निष्पक्ष रहूंगा।

महोदय, केन्द्र और राज्यों, दोनों जगह, राजकोषीय स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपको सभी उपायों को लागू करना होगा जैसा कि मेरे एक मित्र ने गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का उल्लेख किया है और अन्य कई मित्रों ने इस स्थिति से निपटने के लिए विनिवेश सहित बकाया करों के बारे में कहा है। मैं दो आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा।

महोदय, राज्यों की स्थिति ही लें। नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों का परिव्यय 3,50,000/- करोड़ रुपए रहने की संभावना थी। इस आंकड़े को ध्यान में रखिए। राज्यों को उनके प्राप्त अंशदान से मात्र 3,800 करोड़ रुपए दिए गए थे जोकि लगभग एक प्रतिशत था। क्या आपको मालूम है प्रथम तीन वर्षों में कि राज्यों ने कितना अंशदान किया है? 3,800 करोड़ रुपए की जगह उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए से कम का अंशदान किया है। यह उनका दशा है।

श्री रुपचन्द पाल : आप इसे अलग परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : जी हां, आप ठीक हैं। मैं इसे अलग परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री रुपचन्द पाल : यहां यह इतना प्रासंगिक नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : मैं यही सुझाव दे रहा हूं कि राजकोषीय घाटे द्वारा थोपी गई जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। केन्द्रीय वित्त की यह स्थिति है कि केन्द्र सरकार का आधा राजस्व पूर्व में प्राप्त किए गए ऋणों के ब्याज के भुगतान में ही खर्च हो जाता है। यदि आप ब्याज और मूलधन को एक साथ जोड़ें, तो वह सरकार के कुल राजस्व से ज्यादा होता है। इसीलिए, विनिवेश के माध्यम से निधि जुटाना *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : इसका विनिवेश से क्या संबंध है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अय्यर जी, आप बाद में स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी : अय्यर जी, मैं आपको बता दूं कि इसका विनिवेश से कुछ न कुछ संबंध है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : ये लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

इनसे फिगर्स मत पूछिए।

उपाध्यक्ष महोदय : फिगर्स के बारे में मत कहिएगा। फिगर्स के बारे में मालूम है।

[अनुवाद]

श्री रुपचन्द पाल : वे केवल इस बात की संपुष्टि कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, मेरे पास 30 आंकड़े हैं। परंतु मैं एक ही आंकड़ा और रखूंगा।

महोदय, बनातवाला जी और डा. नीतीश सेनगुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि हमारा रवैया सकारात्मक होना चाहिए और विनिवेश को पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में दृष्टिगत करना चाहिए अथवा इसे पुनर्संरचना के एक यंत्र के रूप में देखना चाहिए, के अनुरोध पर मैं कहना चाहूंगा कि 14 एककों को इस समय विपुल लागत से पुनरुज्जीवित किया जा रहा है। 12 से 14 प्रतिशत ब्याज पर धन लिया गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रघुवंश जी मैं रांची का उदाहरण दे रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, कृपया समय-समय पर दिए गए इन पैकेजों के इतिहास पर नजर डालिए। आप यह नहीं कह सकते हैं कि जिन लोगों ने एककों को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास किया, वे विश्वासघाती थे। रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में छटे पुनर्जीवन पैकेज को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन सभी पैकेजों के परिणामस्वरूप इस निगम की कुल संपत्ति ६38 करोड़ रुपए है। 439 करोड़ रुपए की इसकी प्रदत्त पूंजी की तुलना में इसकी संचयी हानि 1039 करोड़ रुपए है। मैं आपको इन सभी कंपनियों की सूची दे सकता हूं। *...(व्यवधान)* पिछले सप्ताह मैंने इनमें से 23 पैकेजों पर काम किया है और उत्तरोत्तर सरकारों पर इसकी लागत 34,000 करोड़ रुपए आई है और एक भी एकक को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका था। एक भी एकक पुनर्जीवित नहीं हो सका था।

श्री रुपचन्द पाल : ऐसा कुप्रबंधन के कारण हुआ।

श्री अरुण शौरी : कई मित्रों ने कहा है कि हमें प्रबंधन का काम भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रतिभाशाली अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री रुपचन्द पाल : ऐसा सरकार की नीति के कारण है। *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : सभी सरकारों ने किया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को अपना जवाब पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का असंतोषजनक उत्तर है। देश को बेचे बिना छोड़ेंगे नहीं, ऐसा इनके भाषण से लगता है। हम लोग इसके खिलाफ सदन से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 10.26 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मंत्री जी ने यह नहीं बताया है कि मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है। उन्होंने आई.पी.सी.एल. का उल्लेख नहीं किया है। सरकार द्वारा जारी की जा रही विनिवेश नीति के विरोध में हम सभा से बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 10.26$^{1}/_{2}$ बजे

(इस समय, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

श्री मणिशंकर अय्यर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपना भाषण समाप्त कर दिया है, परन्तु उसमें श्वेत-पत्र की कोई बात नहीं है। उन्होंने नीति के न होने का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने पूरी तरह से आंकड़ों के विशिष्ट संग्रह को उपलब्ध कराया है। वे बिना यह ध्यान में रखे कि हममें से किसी को क्या कुछ कहना था, उन्होंने जो कुछ भी राज्य सभा में कहा था, उसे घृणाजनक स्थिति तक दोहरा रहे हैं। मुझे डर है यदि मंत्री महोदय विपक्ष की बातों को इस तरह से अनसुना करने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे पास बहिर्गमन के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

रात्रि 10.27 बजे

(इस समय, श्री मणिशंकर अय्यर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का बयान संतोषजनक नहीं है। माननीय मंत्री जी के जो विचार सदन के बाहर हैं, उन विचारों को सदन के अन्दर सरकार के मुखिया के दबाव में नहीं रख रहे हैं। इनकी नीति देश को बेचने की है। राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं। इसके विरोध में हमारी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

रात्रि 10.28 बजे

(तत्पश्चात्, कुंवर अखिलेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस तरीके से जवाब दे रहे थे वह अच्छा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी तक अपना भाषण समाप्त नहीं किया है और आप इस पर टिप्पणी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : राष्ट्र की संपत्ति को निगम की संपत्ति में परिवर्तित किया जा रहा है और मंत्री जी को यह जवाब देना है कि क्या दूरसंचार क्षेत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्य संगठनों के कर्मचारियों को उनकी नौकरी से निकाल बाहर किया जाएगा या उनको कहीं और खपाया जाएगा।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं उस संबंध में बोलने ही वाला हूं। माननीय सदस्य कृपया इंतजार करें जब तक मैं अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेता *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : मंत्री महोदय ने कहा है कि विमान यातायात, लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष इसे रखता हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निजीकरण किया जा रहा है। चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली और कलकत्ता के विमान पत्तनों का विनिवेश किया जा रहा है, और दूरसंचार क्षेत्र में भी ऐसा ही हो रहा है।

श्री वैको : महोदय, यदि वे मंत्री जी का भाषण सुनने के इच्छुक नहीं है, तो उन्हें बहिर्गमन करने दें।

श्री पी.एच. पांडियन : मैं बहिर्गमन नहीं कर रहा हूं। मैं मंत्री जी को चुनौती दे रहा हूं।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं नहीं बैठ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पांडियन जी, वे आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री पी.एच. पांडियन : मंत्री जी ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स का भी जवाब नहीं दिया है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले खाद्य, और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): आप पहले मंत्री जी को सुनिए, फिर प्रश्न पूछिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, यदि मंत्री जी के भाषण में इस तरह व्यवधान उत्पन्न किया जाता रहेगा, तो वे अपना जवाब पूरा कैसे करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मंत्री जी अपने रुख पर कायम हैं। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन : मंत्री महोदय, यदि आप राष्ट्र के हित में रूचि रखते हैं तो कृपया मुझसे सहमत होइए।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : जी नहीं, मैं सहमत नहीं हूं।

श्री पी.एच. पांडियन : .....*आपकी रूचि, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के अधिकारों के हनन में है।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री जी को अपनी बात कहने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : महोदय, माननीय मंत्री जी के संकेत को समझिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। श्री पांडियन, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जाइए।

श्री पी.एच. पांडियन : क्या देश की खातिर मंत्री जी से प्रश्न करना अपराध है?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अपने रुख पर कायम हैं। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप बाहर जा सकते हैं मगर अध्यक्षपीठ की आज्ञा का उल्लंघन न करें।

...(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री पी.एच. पांडियन : क्या आप अपने मत पर कायम हैं?

श्री अरुण शौरी : जी हां।

श्री पी.एच. पांडियन : यदि आप एक सदस्य से सहमत नहीं हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से सहमत है ...*(व्यवधान)* आप विनिवेश नीति से सहमत हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, यदि आप सहमत नहीं हैं, तो आप इन पर इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : मैं सरकार को अपनी और अपने दल की भावनाओं से अवगत कराऊंगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं बोल रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : यदि मुझे यहां मंत्री जी से प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है तो मैं अपने प्रश्न कहां उठाऊं?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें। लगता है आप मुझे भी बोलने नहीं दे रहे

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे : इनका व्यवहार ही ऐसा है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवहार कैसा है, मैं जानता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मेरे ख्याल से अब आप अपना भाषण खत्म करने वाले हैं। मैं पहले आपको, अपना भाषण खत्म करने की अनुमति प्रदान करता हूं, तत्पश्चात् यदि श्री पांडियन कुछ पूछना चाहें तो वे आपसे प्रश्न या स्पष्टीकरण कर सकते हैं। मैं इन्हें इसकी अनुमति दूंगा। आप इन्हें उत्तर दीजिएगा।

श्री अरुण शौरी : ठीक है, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं श्री पांडियन से अनुरोध कर सकता हूं कि वे अपना स्थान ग्रहण करें? जब वे अपना भाषण खत्म कर लें तो आप इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं और ये आपको जवाब देंगे।

श्री पी.एच. पांडियन : धन्यवाद, महोदय।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं आशा करता हूं कि जो आक्षेप लगाए गए हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी है यदि वह आपत्तिजनक है, तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दूंगा। अब आप अपना भाषण खत्म करें।

श्री अरुण शौरी : महोदय, जो इन्होंने कहा कि, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की कठपुतली बन गया हूं यह बहुत ही गलत आक्षेप है। मुझे विश्वास है कि आप ये शब्द कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जांच करूंगा और जो भी आपत्तिजनक होगा वह मैं निकाल दूंगा। अब आप कृपया अपने भाषण पर आइए।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं पुनर्वास कार्यवाही की बात कर रहा था। वर्ष 1992-93 से 34,000 रु. खर्च किए गए हैं। शहरों के पीने के पानी पर किए गए खर्च से इसकी तुलना कीजिए। आप जानते हैं कि शहरी पीने के पानी की वहां कितनी ललक है। श्री जी.एम. बनातवाला ने कहा था, ''आप ऐसी चीजों पर खर्च क्यूं नहीं करते? महोदय शहरों में पीने के पानी पर हम इस वर्ष 100 करोड़ रु. से कम खर्च कर रहे हैं। इन नौ सालों में उन इकाईयों की बहाली के लिए 34,000 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। अब, इस साल पीने के पानी के लिए 100 करोड़ रु., ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए, 2,200 करोड़ रु., प्राथमिक शिक्षा के लिए 3,000 करोड़ रु. और स्वास्थ्य के लिए 4,500 करोड़ रु. रखे गए हैं। हम यह क्यूं नहीं देखते कि, यदि सार्वजनिक निधियों का ऐसा प्रवाह और ऐसा रक्त प्रवाह रोक दिया जाए तो इससे हमारे उपक्रमों को अधिक सक्षम बनाने के लिए पैसा मिल सकेगा और लोगों की दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकेगी।

सरकार की वर्तमान नीति में कई तत्वों का स्पष्ट उल्लेख है। श्री मणिशंकर अय्यर श्वेत पत्र चाहते हैं। यह जरूरी नहीं है। कई अवसरों और बजट भाषणों में उन्होंने इसके व्याख्यान दिए हैं। यदि आप निदेश दें तो मैं भी इसका अर्थ बयान कर सकता हूं वरना, 10.30 बज चुके हैं और अब हमें खत्म करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, धन्यवाद।

श्री अरुण शौरी : महोदय, नीति पारदर्शी होगी। हम चुने गए विशेषज्ञों की सिफारिशों को निष्पक्ष रूप से लागू करेंगे और इस

[श्री अरुण शौरी]

बारे में हम व्यापक परामर्श लेंगे जिनमें श्रमिक नेताओं, विपक्ष के नेताओं और इन मामलों से संबंधित पूर्णतया वाकिफ व्यक्तियों की राय भी शामिल हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि कार्मिकों का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और अन्य पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा उनके हितों का संरक्षण हो।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप कृपया सभी स्पष्टीकरणों को नोट कर लीजिए और आखिर में आप इन्हें जवाब दीजिएगा। अब, श्री पांडियन।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

श्री पी.एच. पांडियन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से संचार क्षेत्रों के कर्मचारियों के विलय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों का, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई हवाईअड्डों में विलय के बारे में जवाब चाहते हैं। इन बड़े हवाई अड्डों के विनिवेश के कारण यहां के कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

वे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि उसका निजीकरण न किया जाए। संचार क्षेत्र का मामला भी ऐसा ही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हमारे लोग कार्यरत हैं। विनिवेश होने पर उन लोगों का क्या होगा? हमारे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कौन से उपाय किए गए हैं?

ऐसा ही एक मामला हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स करना भी है जिसमें 4,000 से 5,000 के करीब कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनकी आजीविका का सवाल है। क्या यह सरकार उन कर्मचारियों को कोई गारंटी दे रही है? फिर सालेम स्टील प्लांट का मामला भी है जिसका उदाहरण दिया गया था।

माननीय मंत्री के जवाब से मैं यह देख सकता हूँ कि निगम शासन, केन्द्रीय शासन तो है मगर निगम संपत्ति, राष्ट्र संपत्ति नहीं है। इसके विपरीत राष्ट्र-संपत्ति, निगम-संपत्ति है। इस तरह, नई दिल्ली नगर निगम जैसे लाभदायक सार्वजनिक उपक्रम का भी निजीकरण किया जा रहा है जिसमें निदान डेनरों और एस्सार को 26 प्रतिशत शेयर और जनता के लिए 49 प्रतिशत शेयरों का प्रावधन है। उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती दी गई है और उच्चतम न्यायालय ने 'कारण बताओ' नोटिस के माध्यम से यह पूछा है कि, 'हालांकि यह एक नीति है, मगर यदि यह एक लाभदायक कंपनी है तो इसका निजीकरण क्यूँ किया जाना चाहिए? जब उच्चतम न्यायालय का नोटिस है तो आप इसका विनिवेश कैसे कर सकते हैं? क्या इसके बाद आप किसी लाभदायक कंपनी का विनिवेश कर सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: इस पर 'स्टे' नहीं है।

श्री पी.एच. पांडियन: मगर यह न्यायिक नोटिस तो है।

श्री अरुण शौरी: उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, आप कृपया सभी प्वाइंट लिख लें और आखिर में अपना जवाब दें।

श्री पी.एच. पांडियन: इसमें एक कानूनी समस्या है। कार्यपालिका की असफलता से न्यायपालिका इस क्षेत्र में आ गई है। कार्यपालिका पूरी तरह से असफल हो गई है। केन्द्रीय सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और दूरसंचार क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने सेलम स्टील प्लांट और हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि. के निजीकरण को नहीं रोका। क्या माननीय मंत्री मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे? यदि उनके जवाब हमें सही लगे, तो हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री जी.एम. बनातवाला: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाहर नहीं गया मगर असंतुष्टि के कई क्षेत्र हैं और यह असंतुष्टि जारी है। इंशा अल्लाह, जब आप सभा स्थगित करेंगे तो मैं भी बाहर चला जाऊंगा मगर यह एक अलग चीज है।

कई क्षेत्रों में असंतुष्टि है। लाभदायक उपक्रमों के निजीकरण का प्रश्न ही नहीं है मगर महत्वपूर्ण अलाभदायक उपलक्ष्यों का प्रश्न भी है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा।

दूसरा, इन अलाभदायक कंपनियों में से तो कई मुश्किल से बची हैं। उदाहरण के लिए, एयर इंडिया। केवल उदाहरण के लिए ही बता रहा हूँ। देखिए कि एयर इंडिया कैसे बची है। यदि कहीं कोई कठिनाई है तो हमें सराहना ही करनी चाहिए। उनके वित्तीय परिणाम यही प्रदर्शित करते हैं कि वे कठिनाई में हैं। 1996-97 के वित्तीय परिणामों में 297 करोड़ रु. की हानि थी। 1997-98 में कुछ हालत सुधरी और नुकसान 181 करोड़ रु. हुआ। वर्ष 1998-99 में यह नुकसान 175 करोड़ और 1999-2000 में यह 75 करोड़ रु. तक ही रह गया। नुकसान कम हो रहे हैं।

हमें यह देखना चाहिए कि लाभदायक उपक्रमों का निजीकरण नहीं होना चाहिए। नुकसान में चल रहे, मगर सार्वजनिक महत्व

के उपक्रमों को इससे छूट मिलनी चाहिए। हमें कठिनाई में चल रहे उपक्रमों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विनिवेश नीति में सुधारों पर विचार करेगी?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, यह सोशल आब्लिगेशन है कि जिन लोगों को पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में वेतन नहीं मिलता, वे सरकार के पास वेतन के लिए जा सकते हैं। अगर डिसइनवैस्टमेंट करने के बाद उनको वेतन, प्राविडेंट फंड नहीं मिला या पेंशन स्कीम इंपलीमेंट नहीं करेंगे सरकार उस पर क्या कंट्रोल करने वाली है? मैं एन.टी.सी. मिल के बारे में बताना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कुछ बताना नहीं, क्लैरिफिकेशन पूछना है और आपको स्पीच नहीं देना है।

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय सदस्य श्री परांजपे बता रहे थे कि अगर पब्लिक सैक्टर में डील करेंगे तो वह चल सकता है। जैसे एन.टी.सी. मिल है, वहां के लोग कपड़ा निकालते हैं। हमारे राम नाईक जी बैठे हुये हैं, उनकी पेट्रोलियम कम्पनी है या रेलवेज है या सरकार के सैक्टर हैं, अगर वे सब एन.टी.सी. मिल से कपड़ा लेंगे तो वह मिल चल सकती है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक सवाल उठाया था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अभी पांडियन जी ने उठाया था ...

—उपाध्यक्ष महोदय: ये जवाब देने के लिए बैठे हैं।

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष जी, पब्लिक सैक्टर हैल्दी नहीं, यदि पब्लिक सैक्टर हैल्दी होंगे ...

उपाध्यक्ष महोदय: आप आरोप मत लगाइये।

श्री मोहन रावले: मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या प्रीकाशन लेगी जिन्होंने पब्लिक सैक्टर को डुबाने में भ्रष्टाचार किया?

[अनुवाद]

श्री प्रकाश परांजपे: महोदय, मैं चाहता हूँ कि ये एच.ओ.सी. के विनिवेश के निर्णय को फिलहाल टाल दें। क्या ये यह निर्णय तीन माह के लिए स्थगित कर सकते हैं?

श्री अरुण शौरी: यहां चार प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इन्हीं पर विशेष रूप से बात करूंगा। कुछ फर्मों या संगटनों जैसे टेलीकॉम, एच.ओ.सी. आदि का उल्लेख श्री पांडियन और अन्य सदस्यों ने किया। इस मामले में यह किया जा रहा है या वह किया जा रहा है कहना मेरे लिए बहाना होगा। इसलिए मैं अभिलेखों की जांच करूँगा और प्रत्येक मामले पर उठाए जा रहे कदमों का प्रतिवेदन आपको दूंगा। आप सामान्य नीति से आश्वस्त हो सकते हैं कि हर एक फर्म जिसको पुन:जीवित किया जा सकता है उसको पुन: जीवित किया जाएगा। सरकार का प्रयास भी यही रहेगा।

दूसरी बात यह है कि हम यह भी अवश्य देखेंगे कि आज जो फर्म लाभ में चल रही है और इसे पुन:जीवित किया जा सकता है या नहीं। अब से पांच वर्ष बाद इसकी स्थिति क्या होगी। मैं कुछ मामलों को स्पष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इनमें से प्रत्येक मामले का अध्ययन करने में समय लगेगा। इनमें तेल क्षेत्र, विमानन क्षेत्र, हिन्दुस्तान आर्गेनिक तथा अन्य कंपनियां भी शामिल हैं।

लेकिन सामान्य नीति, कामगारों के हितों की रक्षा करना है। यही पहला काम है। आज एन.टी.सी. के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि हम 10 अगस्त तक किसी योजना के साथ वहाँ नहीं जाते हैं तो वह बी.आई.एफ.आर. के एककों को बंद करने का निदेश दे देगा। ऐसी स्थिति में कामगारों को, औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत हटाए जाने के वेतन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए, प्रयास किया जा रहा है। श्री मनोहर जोशी और वस्त्र मंत्री श्री काशीराम राणा, महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में मुलाकात करेंगे कि भूमि का अवनिपटान कैसे हो ताकि संसाधन जुटाए जा सकें और इन संसाधनों से हमारा पहला काम कामगारों के हितों और देयराशियों को देखना होगा।

कामगारों से प्राप्त कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है जिसमें अरुण जेटली ने पहली बार जिस बात का जिक्र किया कि शेयरों को भारी मात्रा में कर्मचारियों को बेच देना चाहिए भी शामिल है। एअर इंडिया के मामले में यह एक कारक है जिसकी पहले ही घोषणा कर दी गई है।

मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि नौकरियों को बचाए रखने का सर्वोत्तम उपाय फर्मों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाए। उन्हें इस बारे में अत्यधिक प्रबल बनाना हमारा प्रयास रहेगा और इस रणनीति का एक भाग विनिवेश भी है।

अगला मुद्दा वह है जिसका जिक्र श्री बनातवाला ने किया था। उन्होंने कहा कि कई एकक घाटे में चल रहे हैं

[श्री अरुण शौरी]

लेकिन वे सामरिक महत्व के हैं। जब से 1993 में रंगराजन समिति बनी, तब से ही सामरिक महत्व के उद्योगों को पहचानने के लिए यही नीति हर बार समान रूप से विकसित होती रही। आज शब्दशः स्थिति वही है जिसकी विनिवेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट के खण्ड 1 में पृष्ठ संख्या 17 पर संस्तुति की है।

आयोग ने सामरिक उद्योगों के रूप में चार ऐसे क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है जिनमें इस समय सरकार को विनिवेश नहीं करना चाहिए। ये क्षेत्र एक परिवर्तन वाले ही हैं। आणविक ऊर्जा और इससे संबंधित खनिजों को उन्होंने सामरिक क्षेत्र के रूप में लिए जाने वाले मदों में सूचीबद्ध किया है। आणविक ऊर्जा विभाग और उद्योग विभाग की सिफारिशों पर शब्दावली को बदला गया है क्योंकि इन विभागों ने कहा है कि जब यहां विदेशी निवेश के लिए 74 प्रतिशत की अनुमति मिल गई है तो अब इसे सामरिक क्षेत्र के रूप में मानना आवश्यक नहीं है। आज सामरिक उद्योगों की परिभाषा स्पष्ट है। इनमें एक श्रेणी के रूप में हथियार और युद्ध सामग्री, रक्षा विमान, युद्धकपोत तथा रक्षा उपस्करों के गौण उपकरण शामिल हैं। इसकी दूसरी श्रेणी में आण्विक ऊर्जा है जिसमें बिकीरण तथा रेडियोआइसोटोपस के लिए आण्विक ऊर्जा का प्रयोग, जिसका संबंध कृषि, औषधियों और गैर-सामरिक उद्योगों से है, शामिल नहीं है और इसकी तीसरी श्रेणी में रेलवे आता है।

गैर-सामरिक एककों के अन्य मामलों में भी, यह विनिर्णय लिया गया है और सरकार की घोषित नीति भी यह रही है कि इनमें 26 प्रतिशत या उससे कम का विनिवेश स्वतः नहीं होगा। इस संबंध में दो बातों को ध्यान में रखा गया है। पहला यह कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र की काउंटरवेलिंग विद्यमानता इस क्षेत्र में उपभोक्ता हितों और बाजार आधिपत्य की सुरक्षा करने के लिए उसी तरह आवश्यक है जैसा कि आई.पी.सी.एल. तथा अन्य कम्पनियों का मामला है जिनका कि पहले जिक्र किया गया है। इस बारे में दूसरी बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के इस क्षेत्र से हटने से पूर्व क्या वहाँ उचित नियामक तंत्र है *...(व्यवधान)* महोदय, जैसा कि आप को विदित है विभिन्न संस्थाओं का निगमीकरण उनके परामर्श से किया जा रहा है जो *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः इंडियन एयरलाइन्स का प्रस्थान समय 7 बजे है और निजी एयरलाइन्स का प्रस्थान समय भी 7 बजे है। इसलिए, हर दिन इंडियन एयरलाइन्स को होने वाला घाटा कपटपूर्ण है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरीः महोदय, यदि हम हवाई जहाजों के समय सारणी की चर्चा करते हैं तो बात का समाप्त करना असम्भव होगा *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियनः महोदय, अपनी विनिवेश नीति को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन एअरलाइन्स को कपटपूर्ण घाटे में चलवाया गया। इसलिए ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से हम सरकार की विनिवेश नीति की भर्त्सना करते हैं। महोदय, सरकार को हुई कपटपूर्ण हानि और निगम को हुए कपटपूर्ण इस लाभ पर हम बहिर्गमन करते हैं।

रात्रि 10.48 बजे

(इस समय, श्री पी.एच. पांडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावलेः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अरुण शौरीः मैं आपके वेजिज के सवाल पर ही आ रहा हूं।

श्री मोहन रावलेः आप जो कार्यवाही करने वाले हैं, यदि आप उस पर अमल करेंगे तो क्या वह बंधनकारक होगा। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। डिसइनवैस्टमैंट क्या उन पर बंधनकारक होगा?

उपाध्यक्ष महोदयः आप क्या पूछ रहे हैं, आपका सवाल क्या है?

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरीः महोदय, यह विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम कई चीजों पर विचार करते हैं। एक मामले में विनिवेश किया गया और वहां प्रत्येक कर्मचारी को रख लिया गया है। पहले वह रुग्ण कम्पनी में था और अब वह प्रबल विपणन करने वाली और खाद्य पदार्थों की कम्पनी का कर्मचारी है। हम इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावलेः जैसे पी.एस.यूज. में वेतन मिलता है, क्या वैसा वेतन वहां नहीं मिलेगा, आप वह कैसे बंधनकारक करेंगे। आप वर्कर्स के इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे?

श्री अरुण शौरी: मैं आपको उसी का स्पेसिफिक एग्जाम्पल देता हूं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। यह हर मामले पर अलग-अलग निर्भर करता है।

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले: आप कामगारों के हितों का संरक्षण कैसे करने जा रहे हैं? क्या उसमें कुछ बंधन होगा?

उपाध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। मैं अब इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अरुण शौरी: महोदय, हमें देश में व्याप्त स्थिति का आभास नहीं है। फैक्ट्रियों के कामगारों को जो मजदूरी दी जाती है वह भी सार्वजनिक क्षेत्र के समान ही है। महोदय, क्या आपको इस धनराशि का पता है? यह प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये है। क्या यह नौकरियों के सृजन का उपाय है? क्या यह इन्हें बचाने का उपाय है? राष्ट्रीय वस्त्र निगम में हर तरह का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, अंतिम प्रश्न उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता है। जब वहां से नोटिस प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से पूर्ण सम्मान के साथ उस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

रात्रि 10.50 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000, जिसे कि लोक सभा ने 1 अगस्त 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था को राज्य सभा ने 10 अगस्त 2000 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया है:

खंड 5

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 32 "25" के स्थान पर "26" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 33 में "26" के स्थान पर "27" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 7

3. पृष्ठ 3, पंक्ति 5-"16", "27", '17' और '28' के स्थान पर '17', '28', '18' और '29" प्रतिस्थापित किया जाए।

4. पृष्ठ 3, पंक्ति 7-"15" के स्थान पर "16" प्रतिस्थापित किया जाए।

5. पृष्ठ 3, पंक्ति 8 में-"15" के स्थान पर "16" प्रतिस्थापित किया जाए।

6. पृष्ठ 3, पंक्ति 9-"16" के स्थान पर "17" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 12

7. पृष्ठ 30 पंक्ति 30-"24", '25', '25', और '26' के स्थान पर "25, '26' '26' और '27' प्रतिस्थापित किया जाए।

8. पृष्ठ 3, पंक्ति 32-"23" के स्थान पर "24" प्रतिस्थापित किया जाए।

9. पृष्ठ 3, पंक्ति 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

" ----------

'----------5

25 उत्तरांचल ----------70"

10. पृष्ठ 3, पंक्ति 34-"25" के स्थान पर "26" प्रतिस्थापित किया जाए।

पांचवीं अनुसूची

11. पृष्ठ 29-पंक्ति 4-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 में—

(क) पैरा 2 में, "23" अंकों के स्थान पर "24" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुसूची में, भाग 23 के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

12. पृष्ठ 29, पंक्ति 6 के स्थान पर

''भाग 24-उत्तरांचल'' प्रतिस्थापित किया जाए।

छठी अनुसूची

13. पृष्ठ 30, अन्तिम पंक्ति-'19' और '20' के स्थान पर '20' और '21' प्रतिस्थापित किया जाए।

14. पृष्ठ 31, पंक्ति 1 में ''19'' के स्थान पर ''20'' प्रतिस्थापित किया जाए।

15. पृष्ठ 31, पंक्ति 2, के स्थान पर

''भाग 21—उत्तरांचल'' प्रतिस्थापित किया जाए।

इसलिए, राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे उपरोक्त विधेयक को इस निवेदन के साथ वापस भेजना है कि उपर्युक्त संशोधनों पर लोक सभा की सहमति से इस सभा को सूचित किया जाए।

2. महोदय, राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित यथा लौटाए गए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 जिसे लोक सभा द्वारा 1 अगस्त, 2000 को पारित किया गया, को मैं सभा पटल पर रखता हूँ।

रात्रि 10.50 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर में बम विस्फोट

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे दिन के दौरान अध्यक्षपीठ की इच्छा और टिप्पणी का आदर करते हुए तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं और चिंता का भी आदर करते हुए, मुझे उस दु:खद घटना की सूचना देनी है जो कि आज जम्मू एवं कश्मीर में घटी है। दुर्भाग्यवश, इस दु:खद कार्य की सूचना देने की जिम्मेदारी मुझ पर है।

आज श्रीनगर में तीन घटनाएं हुई। पहली घटना रेजिडेन्सी रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पास ग्रेनेड विस्फोट की है। लेकिन सौभाग्य से वहां कोई क्षति नहीं हुई और वहाँ कोई जन-हानि भी नहीं हुई है। दूसरा विस्फोट उसी स्थान पर, उसी जगह के नजदीक कुछ क्षणों बाद हुआ। शायद, इसकी योजना और समय इस तरीके से सुनियोजित किया गया था कि उन्हें पता था कि वहां पुलिस और लोग एकत्रित होंगे और प्रेस वाले लोग भी इस घटना स्थान पर पहुंच जाएंगे। यही कारण है कि दूसरे विस्फोट में दस लोगों की मृत्यु हो गई।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): क्या आप सतर्क नहीं थे?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यह वक्तव्य नहीं है। यह सूचना मात्र है जिसे कि मैं माननीय सदस्यों को अध्यक्षपीठ की इच्छाओं और टिप्पणी तथा माननीय सदस्यों द्वारा पूरे दिन के दौरान अभिव्यक्त चिंता का आदर करते हुए दे रहा हूँ। मैं वहाँ की ताजा स्थिति की सूचना ही दे रहा हूँ। बाकी कुछ नहीं।

श्री जी.एम. बनातवाला: आपकी सतर्कता का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें सभा को जो सूचित करना है सतर्कता उससे भिन्न है। दूसरे विस्फोट में हताहतों की संख्या क्या थी?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: दूसरे विस्फोट में दस लोग मारे गए और अन्य 25 लोग घायल हुए।

श्री जी.एम. बनातवाला: इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप सतर्क नहीं थे और वहां कोई योजना नहीं थी।

श्री वैको (शिवकाशी): पहले मंत्रीजी को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। सर्वप्रथम हमें मंत्री जी की बात सुननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें सभा को सूचना देने के लिए ही कहा गया है। आप इसके बाद ही स्पष्टीकरण यदि कोई हो, पूछ सकते हैं। आज की चर्चा के दौरान अध्यक्षपीठ ने सरकार से सभा को सूचना देते रहने के लिए कहा था। यही बात मैं उनसे कह रहा हूँ। इस बारे में प्रति-प्रश्न करना दूसरी बात है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह इतना सुनियोजित था कि दूसरे विस्फोट में दस लोग मारे गए और अन्य 25 घायल हुए। दुर्भाग्यवश, पत्रकारिता जगत की प्रतिभा, हिन्दुस्तान टाइम्स के प्रदीप भाटिया, की भी इस घटना में मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त, नागरिक, सेना के लोग और पुलिस अधिकारी भी इसमें मारे गए हैं। मृतकों में एक स्थानीय दुकानकार भी था।

गम्भीर रूप से घायलों में, भारतीय पुलिस सेवा के 1995 बैच के अधिकारी श्री पंकज कुमार गर्ग, पुलिस अधीक्षक, पूर्व तथा श्री कुलदीप सिंह पुलिस उपधीक्षक भी शामिल हैं। इसी क्षेत्र के कोटी बाग थाने के पुलिस उपाधीक्षक तथा थाना प्रभारी श्री अलताफ बख्श भी घायल हुए हैं। अन्य घायलों में नागरिक, प्रेस के लोगों के अलावा सुरक्षा बलों के कर्मी भी शामिल हैं।

श्रीनगर में हुई तीसरी घटना में किसी के मारे जाने की खबर नहीं है और इससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। यह तीसरी घटना दूसरे विस्फोट के कुछ समय बाद जहाँगीर चौक पर हुई और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, कृपया सरकार को निदेश दें कि वर्तमन स्थिति के तहत वह विशेषरूप से सतर्कता बरते। वहाँ कौन सी निंदनीय घटनाएं हुई है। ऐसा लगता है कि वहां सरकार पूर्णत: निष्क्रिय रही है। वे वहाँ की स्थिति से वाकिफ नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि यह सुनियोजित हमला था।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पूर्णत: सतर्क थी। पुलिस घटना स्थल पर तत्काल पहुंच गई थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: सभा कल 11 अगस्त 2000 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, शुक्रवार, 11 अगस्त 2000/20 श्रावण, 1920 (शक) को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पी.एल.एस.–48/9/14/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।